फ़ेहरिस्त मज़ामीन मजमूआ ज़ाब्ते दीवानी।

ज़मीमजात

ज़मीमै अव्वल

आर्डर (१)

फ़रीक़ैन

आर्डर (१०)

फ़रीक़ैन की इज़्हारबंदी अदालत की मारफ़त

आर्डर (२१)

नम्बर क़ायदा	मज़ामीन	नम्बर सफ़ा
	ख़रीद सक्ते हैं	१६१
	जायदाद मन्क़ूला का नीलाम	
७४	नीलाम पैदावार ज़िराअत का	१६२
७५	शरायत ख़ास निस्बत नीलाम फ़स्ल इस्तादह की	"
७६	नीलाम दस्तावेज़ात क़ाबिल बैवशिरा व हिस्सा जमाअत सनदयाफ़्ता का	१६३
७७	नीलाम आम	"
७८	बेज़ाब्तगी से नीलाम जायदाद मन्क़ूला का नाजायज़ न होगा लेकिन शख़्स ज़रर रसीदह नालिश करसक्ता है	"
७९	सिपुर्दगी जायदाद मन्क़ूला और देन और हिस्सा नीलामीकी	१६४
८०	इन्तिक़ाल दस्तावेज क़ाबिल बैवशिरा और हिस्सा नीलामी का	"
८१	हुक्म हवालगी और सूरत जायदाद अज़ क़िस्म दीगर के	१६५
	नीलाम जायदाद ग़ैर मन्क़ूला	
८२	कौन अदालतें नीलाम का हुक्म देसक्ती हैं	१६५
८३	इलतुवाय नीलाम जायदाद ग़ैरमन्क़ूला ताकि मदयून डिगरी ज़र डिगरी का इन्तिज़ाम करसकें	"
८४	रुपया जमा किया जाना अज़तरफ़ ख़रीदार और दरसूरत जमा न करने के फिर नीलाम किया जाना	१६६
८५	मीयाद बिनाबर अदाय कामिल ज़र समनके	१६७
८६	कार्रवाई दर सूरत अदम अदाय ज़र समन	"
८७	इश्तहार दर सूरत नीलाम मुकर्रर	"
८८	हिस्सादारकी बोलीकी तरजीह होगी	"
८९	रुपया दाख़िल करनेपर दरख़्वास्त इनफ़िसाख़ नीलाम	"
९०	दरख़्वास्त इनफ़िसाख़ बरबिनाय बेज़ाब्तगी या फ़रेब	१६८
९१	दरख़्वास्त ख़रीदार निस्बत इस्तरदाद नीलाम बर बिनाय	

आर्डर (३३)

नालिशात मुफ़लिसी

आर्डर (४६)

इस्तिसवाब

इण्डिक्स (बे)

परोसस

इपनडिक्स (बाए)

कार्रवाई हाय ज़िमनी

इपन डिक्स (हे)

मुतफ़र्रिक़

ज़मीमा चहारुम

ज़मीमा पंजुम

मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी

याने

ऐक्ट नम्बर ५ बाबत सन् १९०८ ई०

---

२१ मार्च सन् १९०८ ई० को पेशगाह जनाब नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर बइजलास कौंसिल से मंज़ूर हुआ—

ऐक्ट बग़रज़ इजमाअ व तरमीम उन क़वानीन के जो ज़ाब्ता अदालतहाय दीवानी से मुतअल्लिक़ हैं.

हरगाह यह क़रीन मसलहत है कि क़वानीन जो ज़ाब्ता अदालत हाय दीवानी से मुतअल्लिक़ हैं जमा व तरमीम किये जायें—लिहाज़ा बज़रिये इसके हस्बज़ैल हुक्म होता है.

मरातिब इब्तिदाई.

दफ़ा १—(१) जायज़ है कि इस ऐक्ट का नाम मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी सन् १९०८ ई० रक्खा जाय— दफ़ा १

मुख़्तसिर नाम शुरूअ नफ़ाज़ व दायरे नफ़ाज़

(२) यह कि ऐक्ट यकुम जनवरी सन् १९०९ ई० से नाफ़िज़होगा—

(३) यह दफ़ा और दफ़ात १५५ लगायत १५८ तमाम ब्रिटिशइण्डिया से मुतअल्लिक़हैं बाक़ीमांदा मजमूआ बजुज़ अजज़ाअ मुन्दर्जे फेहरिस्तके कुल ब्रिटिशइण्डियासे मुतअल्लिक़ हैं—

दफ़ा २—इस ऐक्ट में अगर मजमून या सियाक़ इबारत में कोई अमर खिलाफ इसके न हो तो— दफ़ा २

तारीफ़ात--(१) लफ़्ज़ "मजमूआ" में क़वायद दाख़िल हैं--

(२) "डिगरी" से मुराद है बाज़ाब्ता ज़ाहिर करना फ़ैसले का जिस से बहद तअ़ल्लुक़ अदालत सादिरकुनिन्दा डिगरी हुक़ूक़ फ़रीक़ैन निस्बत कुल या बाज़ उमूर मुतनाज़ाफ़िया मुक़द्दमा क़तअ़न तै होजायें और वह इब्तिदाई और क़तई दोनों होसक्ती है--और इस में नामंज़ूरी अर्ज़ीदावा और तस्फ़िया किसी अम्र मुतज़क्किरे दफ़ा ४७ या दफ़ा १४४ का दाख़िल समझा जायेगा लेकिन--

(अलिफ़) कोई ऐसा फ़ैसला जिसकी अपील मिस्ल अपीलहुक्म के दायर की जावे--

इख्तियार न रखती हो और नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर के हुक्म से न तो अजसरेनौ क़ायम हो और न क़ायम रक्खी गई हो—

(६) "तजवीज़ रियासतग़ैर" से अदालत रियासत ग़ैर की तजवीज मुराद है—

(७) "गवर्नमेन्ट प्लीडर" (वकील सरकार) में वह ओहदेदार दाखिल है जिसे लोकल गवर्नमेन्ट ने उन तमाम खिदमात या उनमें से किसी की अंजामदिही के लिये मुकर्रर किया हो जो सराहतन् इस मजमूआ की रूसे गवर्नमेन्ट प्लीडर से मुतअल्लिक़ की गई हैं—और वह वकील भी दाखिल है जो वकील सरकार की हिदायात के मुताबिक़ काम करे—

(८) "जज" से अदालत दीवानी का ओहदेदार इजलासकुनिन्दा मुराद है—

(९) "तजवीज" से वह बयान जज का मुराद है जिसमें किसी डिगरी या हुक्म की वजूह हों—

(१०) "मदयून डिगरी" से हर शख़्स मुराद है जिसपर कोई डिगरी या हुक्म लायक़ तामील सादिर हुआ हो—

(११) "क़ायम मुक़ाम क़ानूनी" से वह शख़्स मुराद है जो क़ानून में किसी शख़्स मुतवफ़्फ़ा की जायदाद का क़ायम मुक़ामहो और इस लफ़्ज में वह शख़्स दाखिल है जो मुतवफ़्फ़ाकी जायदादमें दस्तन्दाजीकरै और जिससूरत में कोई फरीक़ बहैसियत क़ायम मुक़ाम मुद्दई या मुद्दाअलेह हो तो वह शख़्स भी दाखिल है जिसपर बाद वफात मुद्दई या मुद्दाअलेह मज़कूर की जायदाद ऊदकरै— जदीद

(१२) "वासिलातजायदाद" से वह मुनाफा मुराद है जो जायदाद के क़ाबिज नाजायज ने फ़िलहक़ीक़त जायदाद से वसूल कियाहो या मामूली कोशिश से उससे वसूल करसक्ता था मय सूद ऊपर उस मुनाफे के—लेकिन उसमें वह मुनाफा दाखिल नहीं है जो उन तरक़्क़ियात के सबब से हुआहो जो क़ाबिज नाजायज़ ने की हों— दफ़ा २ तशरीह

(१३) "जायदाद मन्क़ूला" में फसिल इस्तादा दाखिल है— जदीद

(१४) "हुक्म" से बाज़ाब्ता जाहिर करना किसी फैसले अदालत दीवानी का मुराद है जो अजक़िस्म डिगरी न हो—

(१५) "प्लीडर" से कोई शख़्स मुराद है जो किसी दूसरे शख़्स की तरफ़ से अदालत में हाजिर होने और सवाल जवाब करने का मुस्तहक़ हो और उस में हाईकोर्ट का ऐडवोकेट और वकील और अटर्नी दाखिल हैं—

(१६) "मुक़र्ररा" से मुक़र्ररा अज़रूय क़वायद मुराद है—

(१७) "ओहदेदार सरकारी" से मुराद हर शख़्स है जो मिनजुमला अक़साम मुन्दर्जे ज़ैल के किसी क़िस्म में दाखिल हो—याने

(अलिफ़) हर जज—

(बे) हर मेम्बर इन्डियन सिविल सर्विस का—

(जीम) हर कमीशनयाफ़्ता या गज़टशुदह ओहदेदार आला हज़रत मलिक मुअज़्ज़म की अफ़वाज बर्री या बहरी का—जिन में शाही इन्डियन मरीनसर्विस दाखिल है जब वह ज़ेरहुक्म गवर्नमेन्ट ख़िदमत अनजाम देता हो—

खलायक की तन्दुरुस्ती या सलामती या आराम की हिफाजत करता रहै—

(जे) हर ओहदेदार जिसपर उसके ओहदे की रु से वाजिब है कि सरकार की तरफ से कोई माल ले या हासिल करे या रक्खे या सर्फ़ करे या सरकार की तरफ से कोई पैमायश या तश्खीस या कोई मुआहिदा करे या सीगे माल के किसी हुक्मनामा की तामील करे या ज़र के मुतअल्लिक अगराज सरकारी की तहकीकातकरे या कैफियत लिखे या कोई दस्तावेज जो अगराज सरकारी मुतअल्लिकाज़र से तअल्लुक़ा रखती हो मुरत्तब या मुसद्दक़ करै या अपने पास रक्खे या जो क़ानून सरकारी अगराज जरकीहिफाजत के लिये नाफिज है उस से खिलाफ वर्जी न होने दे—

(खे) और हर ओहदेदार जो सरकार की मुलाजिमत करता या सरकारसे तनख्वाह पाताहो या जो खिदमत सरकारी अन्जाम देने के ओज उजरत वजरिये फीस या कमीशन के पाताहो—

(१८) "क़वायद" के लफ़्जसे वह क़वायद और नक्शे मुरादहैं जो जमीमे अव्वल में दर्ज हैं या हस्व दफा १२२ या दफा १२५ वनाये गये हैं—

(१९) "हिसिस जमाअत सनदयाफ़्ता" में स्टाक या डिबैंचर स्टाक याडिबैंचर बांड दाखिल समझे जायँगे—

(२०) "दस्तखती" में व इस्तिस्नाय तजवीज या डिगरी के मुनक़्शि होना नाम (वज़रिये स्टाम्प) शामिल है—

दफा ३—वास्ते इगराज मजमूआ हाज़ा के अदालत जिला अदालत हाईकोर्ट की मातहत है और हर अदालत दीवानी जो अदालत जिला से कम दर्जा रखती है और हर अदालत मतालिवजात खफीफा हाईकोर्ट और अदालत जिला दोनों की मातहतहै— दफा २

मातहती अदालत

दफा ४—(१) जब तक कि कोई हुक्म सरीह इसके खिलाफ में मौजूद न हो कोई क़ानून खास या मुख्तसुल्मुक़ाम जो फ़िलफेल जारी है या कोई खास इख्तियार समाअत या इख्तियार दफा ४

मुसतस्नियात

मनाशुद: या कोई जाब्ता खास मुकर्ररा हस्बदीगर कानून नाफ़िजुलवक़ मजमूआ हाजा के किसी मजमूनसे महदूद या मुतासिर नहीं होगा—

विल ख़सूस और बग़ैर इसके मज़मून मुन्दर्जे ज़िमन (१) कि उमूमियत में किसी तरह का फ़र्क आये कोई चाराजोई जो ज़मींदार या मालिक आराजी किसी क़ानून नाफ़िजुलवक़ के बमूजिब निस्बत वसूलयाबी जर लगान आराजी काश्त के आराजी मज़कूरकी पैदावार में रखताहो वह भी मजमूआहाजा के किसी मज़मून से महदूद या मुतासिर न होगी—

मजमूआका तअल्लुक अदालतहाय मालसे—

दफ़ा ५—(१) जिस हालमें कि अदालतहाय मालतायें अहकाम मजमूआ हाजाहों निस्बत उन के उमूर जाब्ते के जिनके निस्बत किसी कानून [illegible] या अदालतहाय मज़कूरा से मुतअल्लिकहो कुछ जिकर न हो तो लोकल गवर्नमेन्ट बमंज़ूरी गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौन्सिल की मंज़ूरी हासिल करके मुक़ामी गज़ट सरकारी में यह एेलान देसक्ती है कि कोई हुक्म उन अहकाम का जो सराहतके साथ मजमूआहाजा की रूसे मुतअल्लिक न करदियागया हो अदालतहाय मज़कूर से मुतअल्लिक नहीं होगा या कि सिर्फ ऐसी तरमीमों के साथ मुतअल्लिक होगा जिनको लोकल गवर्नमेन्ट बशर्ते मंज़ूरी मज़कूरेबाला तजवीज करदे—

(जब कि कोई तनाज़ुअ न हो) ज़ियादा हो जिसकी समाअत का उसे हस्ब मामूल इख़्तियार है–

दफ़ा ७–अहकाम ज़ैल उन अदालतों से मुतअल्लिक़ नहीं हैं जो ऐक्ट ९ सन् १८८७ ई० ऐक्ट अदालतहाय मतालिबात ख़फ़ीफ़ा मुफ़स्सिल सन् १८८७ ई० की रूसे क़ायम हुई हों या उन अदालतों से जो अदालत ख़फ़ीफ़ा क़ायमशुदा हस्ब ऐक्ट मज़कूर से इख़्तियारात रखती हों–याने दफ़ा ५

अदालतहाय ख़फ़ीफ़ा मुफ़स्सिल

(अलिफ़) मजमूआहाज़ा का उस क़दर हिस्सा जो–

(१) उन नालिशात से मुतअल्लिक़ है जो अदालत ख़फ़ीफ़ा की समाअत से मुस्तस्ना करदी गई हैं–

(२) इजराय डिगरी बमुक़द्दमात मज़कूर–

(३) इजराय डिगरी जायदाद ग़ैरमनक़ूला से मुतअल्लिक़ है–

(बे) और दफ़ात ज़ैल – याने

दफ़ा ९

दफ़ात ९१ और ९२

दफ़ात ९४ व ९५ जहां तक इहक़ाम इम्तिनाई और इहक़ाम दरमियानी से मुतअल्लिक़ हैं–

दफ़ात ९६ लगायत ११२ व ११५–

दफ़ा ८–बजुज़ उसके जैसा कि दफ़ात २४ और ३८ लगायत ४१ व ७५ फ़िक़रात (अलिफ़) व (बे) व (जीम) व ७६ व ७७ व १५५ लगायत १५८ और ऐक्ट अदालतहाय ख़फ़ीफ़ा मुतअल्लिक़ बलाद प्रेसीडेंसी सन् १८८२ ई० में हुक्म है इस मजमूआके इहक़ाम किसी अदालत ख़फ़ीफ़ा वाक़े शहर कलकत्ता व मदरास व बम्बई के किसी मुक़द्दमा या कारर्वाई से मुतअल्लिक़ न होंगे– दफ़ा ८ ऐक्ट १५ स[न्] १८८२ ई[०]

अदालतहाय ख़फ़ीफ़ा वाक़े बलाद प्रेसीडेंसी–

हिस्सा १

नालिशात अलल-उमूम

इख़्तियार समाअत व निज़ाअ फ़ैसलशुदह–

दफ़ा ९–बरिआयत इहक़ाम मुन्दर्जे मजमूआहाज़ा अदालतों को दफ़ा ११

सिवाय नालिशातकेमसन्नू उलअमालत के कुल नालिशात दीवानी क़ाबिल तजवीज अदालत है।

सिवाय इन नालिशातके जो सरीहन् या माने ममनूउल समाअतहों तमाम नालिशात क़िस्म दीवानीकी तजवीज का इख्तियार हासिल है—

तशरीह जिस नालिश में तनाजा दरबार हक्क मिल्कियत या हक किसी मनसबके हो वह अज क़िस्म नालिश दीवानी है बावजूदे कि वा हक़ बिल्कुल मुनहसिर ऊपर तजवीज मसायल रस्म या रिवाज मजहबीकेहो

दफ़ा १०—अदालत ऐसे मुक़द्दमे की तजवीज की कारर्वाई शुरू न करेगी जिसमें अमर मुतनाजाफियासराहतन् वो दरअसल वही हो जो किसी और पहिले रुजूअ किये हुये ऐसे मुक़द्दमे में जो फीमाबैन उनहीं अशखास के दरमियान ऐसे अशखास के मुतनाजा फ़ियहहो जिनके जरिये से अशखास मजकूर या बाज़ उनमें से दावेदार और उसी इस्तिहक़ाक़ पर खुसूमत क़ायम करतेहैं और जो ब्रिटिशइंडिया के अन्दर उसी अदालत या किसी और अदालत में जिसे दादरसी मतलूबा के अता करने का इख्तियारहो या ब्रिटिशइंडिया की हुदूद बाहर किसी ऐसी हालत में दायर हो जो नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर बइजलास कौंसिलके हुक्मसे मुक़र्रर हुई हो या क़ायम रक्खी गई हो और उसी तरहका इख्तियार रखती हो जो मजलिसमुअज्ज़म बइजलास कौंसिलके रूबरू में दायरहो—

तशरीह–(१) (इबारत पहिला मुक़द्दमा) से मफहूम है वह नालिश जो नालिश मातिहुलबहस से पहिले इजलास फैसल होचुकी हो–ख्वाह वह उससे पहिले दायर हुई हो या नहीं हुई हो––

तशरीह–(२) दफा हाजाकी इगराज़ के लिये यह अमर कि आया फलां अदालत फलां मुक़द्दमा की तजवीज़ की मजाज़ है बिला लिहाज़ किसी सवाल निस्बत हक़ इरजाअ अपील अदालत मज़कूर के तै कियाजायगा––

तशरीह–(३) ज़रूर है कि मुक़द्दमा साबिक में अमर मुतज़क्किरै सद्र को एक फ़रीक़ने बयान किया हो और दूसरे फरीक़ ने सराहतन् या मानियन् उससे इनकार या इक़रार किया हो––

तशरीह–(४) हर अमर जो उस मुक़द्दमा साबिक में जवाब या दावा की बिना क़रार दिया जासक्ता था और क़रार देना चाहिये था समझा जायेगा कि वह ऐसे मुक़द्दमे में एक अमर सरीहन् और दरअसल तनक़ीह-तलब था––

तशरीह–(५) जिस दादरसी का दावा अजादावा में कियागया हो और वह डिगरी में सराहतन् मंजूर न कीगई हो वह इस दफा की इगराज़ के लिये समझी जायगी कि मंजूर नहीं हुई––

तशरीह–(६) जिस हाल में कि अशखास बाबत किसी हक़ आम या किसी जाती हक़ के जिसका दावा वह वास्ते अपने और दीगर अश-खास के बशिरकत करते हों बनेकनीयती अदालत में निज़ाअ रुजूअ करें तो तमाम अशखास जो उस हक़ में गरज़ रखते हों वास्ते मतालिब इस दफा के दावेदार बज़रिये उन अशखास के समझे जायेंगे जिन्होंने ऐसी निजाअरुजूअकी ––

मुकद्दमा जदीदकी मम-नूअउलसमाअतहोना-

दफ़ा १२–जब कोई मुद्दई किसी क़ायदेकी रूसे कोई ताज़ामुक़द्दमा जदीद निस्बत किसी खास बिनाय मुखासमत के दायर करने से ममनूअ किया जाय तो वह कोई मुक़द्दमा निस्बत बिनाय मुखासमत मजकूर के किसी अदालत दीवानी में जिससे मजमूआ हाजा मुतअल्लिक़ है दायर नहीं करसकेगा–

दफ़ा १४ दफ़ा १३—तजवीज़ रियासत गैर ऐसे अमरकी निस्वत क़तई होगी जो सरीहन् उसकी रूसे दरमियान उन्हीं फ़रीक़ैन के या दरमियान उनके जिनके ज़रिये से मुतख़ासमीन हाल या बाज़ उनमें से दावेदार हों और इसी इस्तहक़ाक़ पर मुख़ासमत करते हों फ़ैसल होचुकाहो—सिवाय सूरतहाय मुफ़स्सिला ज़ैल याने—

किन सूरतों में तजवीज़ रियासत गैर नातिक़ नहीं है—

(अलिफ) अगर अदालत मजाज ने सुनायाहो—

(बे) अगर वह दरबाब्यदाद मुकद्दमा न कीगईहो—

(जीम) अगर मुकद्दमे से बादिउलनजर में मालूमहो कि वह तजवीज ऊपर गलत फहमी किसी ऐसे क़ानून के मुवनी है जो दरमियान मुख़्तलिफ अक़वाम बाजिबउल्तामील है या उन सूरतों में जहां क़ानून नाफिज़ा बृटिशइण्डिया से तअल्लुक़ हो तो तजवीज से क़ानून मज़कूर का तसलीम किया जाना न पाया जाताहो—

दफ़ा १६—बक़ैद तादाद मालियत या और क़ुयूद के जो किसी क़ानून की रूसे मुक़र्रर हुई हैं मुक़द्दमात अज़ क़िस्म मुफ़स्सिलः ज़ैल यानी— दफ़ा १६

नालिशात वहां दायर होंगी जहां जायदाद मुतना-ज़िया वाक़ै हो—

(अलिफ) वास्ते हुसूल जायदाद गैर मनक़ूला साथ या बग़ैर ज़र लगान या मुनाफ़े के—

(बे) वास्ते तक़सीम जायदाद गैर मनक़ूला के—

(जीम) वास्ते कराने बैनामा या नीलाम या इनफ़िकाक रहन या जायदाद गैर मनक़ूलाके—

(दाल) वास्ते तसफ़िया कराने किसी और हक़ या मुराफ़िक़ के जो जायदाद गैरमनक़ूला में या उससे मुतअल्लिक़ हों—

(हे) वास्ते पाने मुआविज़ा किसी नुक़सान के जो जायदाद गैर मनक़ूला को पहुंचाहो—

(वाव) वास्ते पाने जायदाद मनक़ूला के जो फ़िलवाक़ै तहत हिरासत या क़ुर्की हो—

उस अदालत में दायर किये जायेंगे जिसके इख़्तियार समाअत की हुदूद अरज़ी के अन्दर जायदाद वाक़ै हो मगर शर्त यह है कि जो नालिश वास्ते हुसूल दादरसी के निस्बत ऐसी जायदाद या मुआविज़ा नुक़सान गैरमनक़ूला के या मुआविज़ा नुक़सान ऐसी जायदाद गैर मनक़ूला के हो जो मुद्दआअलेह के क़ब्ज़े में हो या मुद्दआअलेह के लिये किसी और के क़ब्ज़ेमें हो और ख़ुद मुद्दआअलेह की तामील हुक्म से उस तमाम दादरसी का हुसूल मुमकिन हो तो जायज़है कि उस अदालत में रुजूअ कीजाये जिसके इलाक़ाकी हुदूद अरज़ी के अन्दर जायदाद वाक़ै हो या उस अदालत में जिसके इलाक़ेकी हुदूद अरज़ी के अन्दर मुद्दआअलेह फ़िलवाक़ै और बिलइरादा सकूनत रखताहो या कारबार करताहो या हुसूल मुनफ़अत के लिये बज़ात ख़ास काम करताहो—

तशरीह—इस दफ़ामें "जायदाद" के लफ़्ज़से वह जायदाद मुराद है जो बृटिश इण्डियामें वाक़ैहो—

फ़ा १९ दफ़ा १७—(१) अगर नालिश वास्ते हुसूल दादरसी निस्बत या मुआविज़ः ऐसी जायदाद ग़ैर मन्क़ूलाके हो जो अदालत हाय मुतअद्दिदके इलाक़े इख़्तियार में वाक़ैहो तो जायज़है कि नालिश उस अदालत में रुजूअ कीजाये जिसके इलाक़े इख़्तियार की हुदूदके अन्दर उस जायदाद का कोई जुज़ वाकैहो—

नालिश निस्बत जायदाद ग़ैर मन्क़ूला के जो मुख़्तलिफ़ अदालतों के इलाक़े इख़्तियार में वाक़ैहो—

बशर्ते कि कुल दावा बलिहाज मालियत शै मुद्दाबिहा क़ाबिल समाअत अदालत मज़कूरके हो—

(२) अगर वह जायदाद ग़ैर मन्क़ूला अन्दर हुदूद इजलास मुतअद्दिद के वाक़ै हो तो नालिशको किसी अदालत में जो दूसरे मरातिब के लिहाज से उसकी समाअत की मजाज़हो और जिसके इलाक़े के अन्दर जायदाद मज़कूर का कोई जुज़ वाक़ै हो रुजूअ करना जायज़ है—

जब जायदाद मुख़्तलिफ़ इलाक़ा में वाक़ै हो—

रुजूअ नालिश कोई माकूल वजह शक की न हो निस्बत उसके कि अदा· लत जायदाद की निस्बत इख़्तियार समाअ्त रखती थी और तावक़्ते कि उस सबब से बे इन्साफी न हुई हो—

दफ़ा १९—जात या जायदाद मन्कूला को नुक़सान पहुंचाने के मु- दफ़ा १८ आविज़: की नालिश में अगर वह नुक़सान किसी अ- दालत के इलाक़े की हुदूद अरज़ी के अन्दर पहुंचा हो और मुद्दआअ्लेह दूसरी अदालत के इलाक़े के हुदूद अरज़ी के अन्दर रहता या कारोबार करता या मुनफ़अ्त के लिये बज़ात खुद काम करता हो तो मुद्दई को इख़्तियार है कि अपनी मर्ज़ी के मुता· बिक़ दोनों अदालतों में से जिसमें चाहे नालिश रुजूअ करै

नालिशात मुआविज़ा बाबत नुक़सान जात या जायदाद मन्क़ूला-

तमसीलात ॥

(अलिफ) ज़ैद ने कि दिहली में रहता है उमरू को कलकत्ते में मारा तो जायज है कि उमरू कलकत्ते में ज़ैद पर नालिश करै या दिहली में-

(बे) ज़ैद ने कि दिहली में रहता है कलकत्ते में बयानात अज़ा- ले हैसियत उरफी निस्बत उमरू के साया किये तो जायज है कि उमरू कलकत्ते में ज़ैद पर नालिश करै या दिहली में—

दफ़ा २०—बरिआयत क़यूद मुतज़क्किरै सदर के हर नालिश उस दफ़ा १७ अदालत में रुजूअ की जायेगी जिस के इलाक़ा इ- ख़्तियार के हुदूद अरज़ी के अन्दर—

दीगर नालिशात वहां दायर होनी चाहियें जहां मुद्दआअलेह रहता हो या जहां बिनाय मुख़ा- समत पैदा हो-

(अलिफ) मुद्दआअलेह या अगर एक से ज़्यादह मुद्दआअलेहुम् हों तो उन में से हर एक बरवक़्त शुरूअ होने नालिश के फ़िल· वाक़ै और बिल इराद: रहता हो या कारोबार करता हो या हुसूल मुनफ़अ्त के लिये बज़ात खास काम करता हो या—

(बे) अगर एक से ज़्यादः मुद्दआअलेह न हों तो मिन जुमला उनके कोई मुद्दआअलेह बरवक़्त शुरूअ होने नालिश के फ़िल् वाक़ै और बिलइराद: सकूनत रखता हो या कारोबार करता हो या

मुनफअत के लिये बजात खास काम करता हो-बशर्ते कि इस सूरत में नालिश के इसतरह रुजूअ होने की अदालत इजाजत दे या वह मुद्दाअलेह जो कि हस्ब मजकूर बाला सकूनत न रखते हों या कारोबार न करते हों या मुनफअत के लिये बज़ात खास काम न करते हों इस इरजापर सकूनत इख्तियार करें-या

(जीम) बिनाय दावा कुल्ल या जुजन् पैदा हुई हो-

तशरीह १-जिस हाल में कि कोई शख्स सकूनत मुस्तकिल एक मुकामपर रखता हो और दूसरी जगह सकूनत आरजी भी रखता हो तो निस्बत किसी बिनाय दावा के जो उसके चंद रोजा रहने के मुकामपर वाके हो यह समझा जायगा कि वह दोनों मुकामपर सकूनत रखता था-

तशरीह २-किसी जमाअत सनद याफ्ता के कारोबार का होना उसके सदर या खास दफ्तर वाके बृटिश इण्डिया में समझा जायगा या निस्बत किसी बिनायदावे के जो उस जगह पैदा हो जहां जमाअत मजकूर का कोई दफ्तर मातहत हो तो उस दफ्तर मातहत में—

तमसीलात

इक़्तलतलब वाजिबुल अदा या लिखकर जैद के हवाले किया तो जायजहै कि जैद उमर और बकर पर बनारस में नालिश करै जहां बिनाय दावा पैदा हुई और यह भी जायज है कि जैद उनपर कलकत्ते में नालिश करै जहां उमर सकूनत रखताहै या दिहली में जहां कि बकर रहता है मगर उन हर दो सूरतों में अगर वह मुद्दआअलेह जो वहां सकूनत नहीं रखताहै एतराज करै तो मुक़द्दमा बिला इजाजत अदालत के चल न सकेगा—

दफ़ा २१—कोई उज़रदारी निस्वत मुक़ाम इरजाअ नालिश अज़ तरफ़ अदालत अपील या उस अदालत के जिसमें नज़रसानी पेशहो मसमूअ न होगी तावक़्ते कि यह उजरदारी अदालत इब्तिदाई में सबसे पहले मौके पर और हर हालत में क़ब्ल या वरवक़्त करारदाद अमूर तनक़ीह के पेश न कीगई हो और तावक़्ते कि इसी सबब से बेइन्साफ़ी न हुई हो— दफ़ा १६ (लिफ़जमन(

उज़रदारी निस्बत इ-
ख़्तियार समाअत—

दफ़ा २२—अगर कोई मुक़द्दमा जो दो या ज़्याद: अदालतों में से किसी एक अदालत में दायर होसक्ताहो उन में से किसी एक अदालतमें दायर कियाजाय तो कोई मुद्दआ-अलेह दूसरे फरीकों को इत्तिलाअ तहरीरी देकर और सबसे पहिले मौक़े पर और जुम्ला सूरतों में वरवक़्त या क़ब्ल करार-दाद उमूर तनक़ीह तलब के मुक़द्दमे को किसी दूसरी अदालत में मुन्त-क़िल करने की दरख़्वास्त देसक्ता है—और वह अदालत जिसमें यह दरख़्वास्त गुज़रे बाद गौर करने ऊपर उज़रदारी हाय फ़रीक़ैन के (अगर कोई उज़रदारी कीजाय) यह तैकरदेगी कि मुक़द्दमे की समाअत उन मुतअद्दिद अदालत हाय मजाज़ में से किस अदालत में कीजाये— दफ़ा २०

ऐसे मुक़द्दमातको मुन्त-
क़िल करनेका इख़्तियार
जो एकसे ज्याद अदा-
लतों में दायर होसकें-

दफ़ा २३—अगर मुतअद्दिद अदालत हाय मजाज एकही अदालत अपील की मातहत हो तो दरख़्वास्त हस्ब दफ़ा २२ अदालत अपील में गुज़रेगी— दफ़ा २३ बर

किस अदालत में दर-
ख्वास्त गुजरैगी—

(२) अगर ऐसी अदालतें मुख़्तलिफ़ अदालत हाय अपील की मातहतहों—लेकिन एकही हाईकोर्ट के तावेहों तो दरख़्वास्त हाईकोर्ट मजकूरमें गुज़रेगी—

मताल्लिकःजात सफ़ीफा ने मुन्तक़िल किया या वापस लिया जाय तो अदालत मुतअल्लिक़ मुक़द्दमा मज़कूर वास्ते इग़राज़ उस मुक़द्दमा के बमन्ज़िले अदालत मतालिक़ःजात सफ़ीफा के समझी जायगी—

दफ़ा २५—(१) जब कोई फरीक़ नालिश—अपील या दीगर कार्रवाई जो ऐसी हाईकोर्ट में ज़ेर तजवीज़ हो जिसका हाकिम वाहिद जज हो उसके समाअत करने पर उज्र करे और जजका इतमीनान होजायकि उज्र की माक़ूल वजूह है तो वह बहुज़ूर नव्वाबगवर्नरजनरल बहादुर बइजलास कौंसिल रिपोर्ट करेगा साहब ममदूह को इख़्तियार होगा कि बज़रिये ऐलान मुन्दर्जःगजट आफ़ इण्डिया ऐसी नालिश अपील या कार्रवाई को दूसरी हाईकोर्ट में मुन्तक़िल करदें— दफ़ा २०व२१

इख़्तियार नव्वाब गवर्नर जनरलबहादुर व इजला-स कौंसिल निस्बत इन्त-क़ाल मुक़द्दमात—

(२) ऐसी नालिश—अपील या कार्रवाई से जो इसतरह मुन्तक़िल कीजाये वह क़ानून मुतअल्लिक़ होगा जो क़ानून उस अदालत को जिसमें कि नालिश—अपील या कार्रवाई इब्तिदाअन् दायर कीगई थी ऐसे मुक़द्दमे से मुतअल्लिक़ करना लाज़िम होता—

इरजाअ नालिशात ॥

दफ़ा २६—मुकद्दमे की इब्तिदाअदखाल अर्ज़ीदावासे या ऐसे दूसरे तरीक़े से होगी जो मुक़र्रर कियाजाय— दफ़ा ४८

इरजाअनालिश—

सम्मन बइन्किशाफ़ ॥

दफ़ा २७—जब नालिश बज़ाब्ता तौर पर दायर होजाये तो जायज है कि सम्मन मुद्दआअलेह के नाम इस हुक्म से जारी किया जाय कि वह अदालत में हाज़िर होकर दावेकी जवाबदिही करे और तामील इस सम्मन की हस्ब तरीक़ः मुक़र्ररः कीजायेगी— दफ़ा ६४

सम्मन बनाम मुद्दआ-अलेह

दफ़ा २८—(१) जायज है कि सम्मन तामील के वास्ते किसी दूसरे सूबे की अदालत में ऐसे तरीक़े पर इरसाल कियाजाय जो बज़रिये क़वायद मुतअल्लिक़ःसूबः मज़कूर मुक़र्रर कर दिया जाये— दफ़ा ८५

तामील सम्मन जब कि मुद्दआअलेह किसी दूसरे सूबा में रहताहो—

(२) जिस अदालत में सम्मन भेजा जाय उसको लाजिम है कि सम्मन के वसूल होनेपर उसी तरह कार्रवाई करे गोया कि सम्मन खुद उसने जारी कियाथा बादअज़ां वह सम्मन अदालत जारी कुनिन्दः के पास मय इस बयान के कि उस के मुतअल्लिक क्या कार्रवाई (अगर कोई हो) कीगई वापसकरदे-

६५ (अलिफ) दफ़ा २९—जो सम्मन कोई अदालत दीवानी या माल वाके बेरून

तामील सम्मन गेर- | हुदूद बृटिशइण्डिया जारी करे वह बृटिशइण्डिया की अदालतों में भेजे जासक्ते हैं और उनकी तामील उसी तरह होसक्तीहै गोया कि उनको खुद अदालत हाय मजकूर ने जारी किया—

मगर शर्त यहहै कि वह अदालतें जिनसे ऐसे सम्मन जारी हुयेहों नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर बइजलास कौंसिल के हुक्म से कायम हुई हों या कायम रक्खी गई हों या कि नव्वाब ममदूह ने गज़ट आफइण्डिया में एलान फरमा दिया हो कि मज़मून दफाहाज़ा ऐसी अदालतों से मुतअल्लिक किया गया है—

द दफ़ा ३०—बपाबन्दी ऐसी शरायत व क़यूदके जो मुकर्रर करदी जायें

इख्तियार सुदूर हुक्म मुतअल्लिक इन्किशाफ हालात वगैर·— | अदालत किसी वक्त ख्वाह अपनी तजवीज़ से या किसी फरीक की दरख्वास्त पर उमूर ज़ेल करसक्ती है—याने

(अलिफ) असदार अहकाम ज़रूरी या मुनासिब निस्बत जुम्ला उमूर मुतअल्लिकः इबालगी व जवाबदिही बन्द सवालात बज़रिये बयानात दस्तावेजात व वाकिआत—बइन्किशाफ व मुआयना व पेशी व ज़ब्ती व वापसी दस्तावेजात या दूसरी माद्दी चीजों के जो सबूत में पेश होसकें—

(बे) इजराय सम्मन बनाम ऐसे अशखास के जिनकी हाजिरी ख्वाह अदाय शहादत के लिये या दस्तावेजात या दीगर अशियाय मजकूर पेश करने के लिये मतलूबहो—

(जीम) इसदार हुक्म निस्बत इसके कि कोई वाकै बज़रिये अफीडेविट के साबित कियाजाय—

दफ़ा ३१—अहकाम दफा २७ व २८ व २९ ऐसे सम्मनों में

मन्सब... भी मुतअल्लिक होंगे जो अदाय शहादत या पेशी

दस्तावेजात या दीगर अशियाय मादी के वास्ते जारी किये जायें—

दफ़ा ३२—अदालत उस शख्स की हाजिरी जिसके नाम सम्मन जदीद

सजा वरसूरत अदम तामील— | हस्ब दफ़ा ३० जारी किया जाय जबरन करासक्ती है और इस गरज के लिये क़ायम है कि—

(अलिफ) वारन्ट निस्वत उसकी गिरफ्तारी के जारी करे—
(बे) कुर्की और नीलाम उसकी जायदादका करे—
(जीम) उस पर जुर्माना जो पांचसौ रुपयासे ज्यादः न हो करे—
(दाल) वास्ते देने हाजिर जामिनी के उसको हुक्मदे और बसूरत अदम तामील उसको जेलखाना दीवानी में क़ैदकरे—

तजवीज़ व डिगरी

दफ़ा ३३—बादसमाअत मुक़दमे के अदालत तजवीज सुनायेगी और दफा १९८

तजवीज व डिगरी— | उस तजवीज की बिनाय पर डिगरी सादिरहोगी—

सूद

दफ़ा ३४—(१) जिसहालमें कि डिगरी रुपये की अदाय की दफा २०९

डिगरी की रूसे हुक्म होसक्ता है कि जरअसिल डिगरी पर सूद दिलायाजाय— | हो तो अदालत मजाजहोगी कि डिगरी में हुक्म सूद का बाबत उस जर असल के जिसकी डिगरी हो उस शरहसे जो कि अदालत मुनासिब तसव्वरकरै तारीख नालिश से तारीख डिगरी तक अलावा उस सूद के जिसका कि जर असल मजकूर पर तारीख रुजू नालिश तक बाबत किसी मुद्दत माक़ब्ल इरजाय नालिश के इन्फसाल कियाजाय मयसूद मजीद उस जर मजमूई के जिसका उस निहजपर इन्फसालहो उस शरहसे कि अदालत मुनासिब तसव्वरकरै मिनइब्तिदाय तारीख डिगरी लगायत योम अदा या लगायत किसी और तारीख माक़ब्ल के जोकि अदालत मुनासिब समझै सादिरकरै—

(२) जब ऐसी डिगरी में जिक्र अदाय सूद मजीद का जर मजमूई मज़कूर पर मिनइब्तिदाय तारीख डिगरी लगायत योम अदा या किसी और तारीख माक़ब्ल के कुछ न हो तो उससे समझा जायगा कि अदालत में वह सूद दिलाने से इन्कार किया और उसके वास्ते अलाहिदा नालिश रुजूअ न होसकेगी—

ख़र्चा

५ ऐक्ट
उलक चीर
१८९०ई०

दफ़ा ३५—(१) बरिआयत शरायत व कयूद मुक़र्ररा व अह
ख़र्चः | काम किसी क़ानून नाफ़िज़ुल्वक्त के जो ख़र्चःमुक़
दमा में या मुक़द्दमः के मुतअल्लिक़हुआ हो वह अदालत के सवावदी
पर मौक़ूफ़ है और अदालतको इस अमर के तै करने के पूरे इख़्तियारा
हासिल हैं कि खर्चा कौनदेगा और किस जायदाद से और किस हदतः
दिलाया जायगा—और अदालत जुम्ला ज़रूरी हिदायात निस्वत उस
सादिर करसक्ती है—और यह अमर कि अदालत को मुक़द्दमः की तजवीजव
इख़्तियार हासिल नहीं है ऐसे इख़्तियारात के निफ़ाज़ का मानै न होगा

। २३० (२) अगर अदालत हुक्म दे कि कुछ खर्चः नहीं दिलायाजायगा त
उसको उसकी वजह लिखनी पड़ेगी—

। २२२ (३) अदालतको इख़्तियारहै कि खर्चः पर सूद किसी हिसाब से दिला
जो सालाना छः रुपया फ़ीसदी से ज़्यादः न हो और यह सू
ख़र्चा में जोड़ दिया जायगा और मिस्ल खर्चः वसूलहोसकेगा-

हिस्सा २

इजराय आम

दीद

दफ़ा ३६—अहकाम मजमूअः हाजा जो इजराय डिगरी से मुतअल्लिक़
अहकाम से तअल्लुक़- | हैं जहां पर मुतअल्लिक़ होसकैंगे इजराय अहकाम से भी
मुतअल्लिक़होंगे—

ता ६४८
रीह

दफ़ा ३७—व तअल्लुक इजराय डिगरी के " अदालत सादिर कु
अदालत सादिर कुनिन्दा डिगरी की तारीफ़- | निन्दा डिगरी " या उसी मज़मून के दीगर अलफ़ाज
से बजुज़ उस सूरत के कि वह मज़मून या सियाक़ इबा-
रतके नुक़ीज़ हो—

(अलिफ) जब डिगरी इजराय तलब बनिफाज इख़्तियारात अपील
सादिर हुई हो तो अदालत मुराफ़अःऊला मुराद है—

(बे) अगर अदालत मुराफ़अःऊला मौजूद न रहै या उस के
जारी करने का इख़्तियार उसको न रहै तो वह अदालत
मुरादहै जो दरसूरत दायर होने उस नालिश के जिसमें डिगरी
सादिर हुईहो उस वक़्त जब कि दरख़्वास्त इजराय डिगरी

दाखिलहुई थी उस नालिश की समाअतकी मजाजहोती—

अदालतहाय इजरा कुनिन्दः डिगरी ॥

दफ़ा ३८—इजराय डिगरी का इख़्ताह उस अदालत के जरिये से होगा जिसने डिगरी सादिर की या उस अदालत के जरिये से जिसमें वह इजरा के वास्ते भेजीजाय— दफा २२३ फिक्रे अव्वल

कौन अदालत डिगरी का इजराकरेगी—

दफ़ा ३९—(१) जायजहै कि अदालत जिसने डिगरी सादिर की हो डिगरीदारकी दरख़्वास्त गुजरने पर डिगरी को दूसरी अदालत में जारी होने के लिये भेजदे— दफा २२३ फिक्रे दोयम व सोयम

डिगरीका मुन्तक़िल होना—

(अलिफ) अगर वह शख़्स जिसके नाम डिगरी सादिर हुई हो उस दूसरी अदालत के इलाक़े के हुदूद अरज़ी के अन्दर फिल वाक़ै और फिलइरादः सकूनत रखता या कोई कारोबार करता या मुनाफे के लिये बज़ात खास काम करताहो—या

(बे) अगर उस शख़्स के पास उस अदालत के इलाके की हुदूद अरज़ी के अन्दर जिसने डिगरी सादिरकी हो उस क़दर जायदाद न हो जो वास्ते वसूल करने जर डिगरी के काफी हो बल्कि उस दूसरी अदालत के इलाक़े की हुदूद अरज़ी के अन्दर जायदाद रखताहो—या

(जीम) अगर डिगरी में हुक्म नीलाम या हवालः करदेने ऐसी जायदाद गैरमन्कूला का हो जो अदालत सादिर कुनिन्दः डिगरी के इख़्तियार हुकूमत की हुदूद अरजी से बाहर वाक़ैहो—या

(दाल) अगर अदालत जिसने डिगरी सादिरकी हो किसी और वजह से जो उसे लिखनी चाहियें यह मुनासिब समझे कि डिगरी उस दूसरी अदालत से जारी कीजाय—

(२) अदालत सादिर कुनिन्दः डिगरी को इख़्तियारहै कि अपनी मरज़ी से डिगरी को वास्ते इजराके अपनी किसी अदालत मातहत मजाज समाअत में भेजदे—

दफ़ा ४०—अगर कोई डिगरी इजरा के वास्ते किसी दूसरे सूबः में भेजी जाय तो वह उस अदालत में भेजी जायेगी और उस तरीक़ः पर जारी कीजायेगी जैसा कि उन क़वायद में हुक्महो जो उस सूबः में नाफिज़हों— जदीद

मुन्तक़िलहोना डिगरी का किसी दूसरे सूबः की अदालत में

।२२३
करे चहारुम

दफ़ा ४१—अदालत जिसमें डिगरी इजराके लिये भेजी जाय उसके इजरा पाजानेका हाल अदालत सादिर कुनिन्दः डिगरी को तसदीक़ करैगी या अगर अदालत अव्वलुल्ज़िक्र उसका इजरा न करसकै तो उसके न जारी होसकने के हालात तसदीक़ करैगी—

कार्रवाई इजराके नतीःज की इत्तिलाअ—

।२२८

दफ़ा ४२—जिस अदालत को डिगरी इजराके लिये भेजी जाय उस को डिगरी मज़कूरके इजरामें वही इख़्तियारात हासिल होंगे कि गोया खुद उसीने डिगरी सादिर की थी—और वह सब लोग जो डिगरी के इजरा में अदूल-हुक्मी करैं या हारिज हों उसी तरह अदालत मज़कूर की तजवीज़ से सजा पानेके लायक़होंगे कि गोया उसी अदालत में डिगरी सादिर की थी और अदालत मज़कूर से जो अहकाम उस डिगरी के इजरा में सादिरहों उन्हीं क़वायद के बमूजिब क़ाबिल अपील होंगे कि गोया उसी अदालत ने डिगरी सादिर की थी—

इख़्तियारात अदालत निस्बत इजराय डिगरी मुन्तक़िल शुद

दफ़ा ४३—अगर किसी ऐसी अदालत दीवानी ने डिगरी सादिर की हो जो किसी ऐसे जुज़्व बृटिश इण्डिया में क़ायमहो जहां अहकाम मुतअ़ल्लिक़ः इजराय डिगरी तअल्लुक़ः पिज़ीर नहीं या किसी ऐसी अदालत में सादिर की हो जो बमूजिब हुक्म नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर इजलास कौंसिल किसी वाली या रईस मुमालिक गैर कलम रू के अन्दर मुक़र्रर हो या जारी रक्खीगई हो और उसका इजरा उस अदालत के इलाक़ः के अन्दर न होसके जहां से वह डिगरी सादिर हुई हो तो उसका इजरा मुताबिक़ उन अहकाम के जो उस मजमूअः में मुन्दर्ज है बृटिश इण्डिया की किसी अदालत के इलाक़े में होसकैगा—

इजराय डिगरी जो ऐसी अदालत अंगरेजी से सादिरहो जो ऐसे मुक़ाम मे वाक़े हो जहां अहकाम मुन्दर्जे हिस्सा हाज़ा तअल्लुक़ पिज़ीर नहीं या अदालत रियासत गैर से सादिर हो—

।२२६
(ये)

दफ़ा ४४—नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर इजलास कौंसिल मजाज़ हैं कि गजट आफ इण्डिया में ऐलान फ़रमावें कि डिगरियां किसी अदालत हाय दीवानी या माल की जो किसी ऐसी रियासत हिन्दोस्तानी के क़लमरू में वाक़े हों जो आला हज़रत मलिका मुअज़्ज़मा से राब्तः इत्तिहाद रखती हो

इजराय उन डिगरी का जो किसी अदालत या रियासत हिन्दोस्तानीसे सादिर हुई हो—

और नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर इजलास कौंसिल के हुक्म से मुकर्रर न हुई हों या जारी न रक्खी गई हों या ऐसी डिगरियों की कोई क़िस्म खास बृटिशइण्डिया में इसीतरह जारी होसकैगी गोया कि वह खुद अदालत हाय बृटिशइण्डिया की तरफ से सादिर हुई—

दफ़ा ४५—इस क़दर हिस्सा उन गुज़िश्तः दफ़आत हिस्साहाज़ा का जिससे अदालत को इख्तियार हासिल होताहै कि डिगरी वास्ते इजराके किसी दूसरी अदालतमें इरसाल करे किसी अदालत बृटिशइण्डियाको इख्तियार बख्शेगा कि कोई डिगरी वास्ते इजरा के किसी ऐसी अदालत में भेजे जो बहुक्म नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर इजलास कौंसिल किसी वाली या रईस मुमालिकगैर के क़लमरू में मुकर्रर हो या जारी रक्खी गई हो जिससे मुहतशिमइलैह ने बज़रिये ऐलान मुन्तशरः गजट आफ़ इण्डिया दफ़ाहाज़ा को मुतअल्लिक़ करदियाहो— दफ़ा २२९ (अलिफ)

डिगरियोंका इजराय मुमालिक गैर में

दफ़ा ४६—(१) अगर डिगरीदार अदालत सादिर कुनिन्दा डिगरी से दरख्वास्त करे तो अदालत मज़कूर अगर मुनासिब समझेगी एक प्रेसप्ट किसी दूसरी अदालत के नाम जारी करेगी जो डिगरी मज़कूर के इजरा करने की मजाज़ हो मुतज़म्मिन इसके कि वह अदालत जायदाद मामलूकः मदयूनडिगरी को जिसकी तसरीह प्रेसप्ट में हो कुर्क करले— जदीद

प्रेसप्ट

(२) वह अदालत जिसके नाम प्रेसप्ट भेजाजाय कुर्क़ी जायदाद की कार्रवाई उस तरीक़े पर करेगी जो इजराय डिगरी में कुर्क़ जायदाद के वास्ते मुकर्रर है— मगर शर्त यहहै कि प्रेसप्ट की रूसे कुर्क़ी दो महीने से ज़ियादः अरसेके लिये क़ायम न रहेगी तावक्ते कि मीआद कुर्क़ी की तौसीअ उस अदालत के हुक्म से न होजायें जिसने डिगरी सादिर कीहो या तावक्ते कि कुर्क़ी मज़कूर के खतम होनेसे पेशतर डिगरी उस अदालत में मुन्तक़िल न करदी गईहो जिसने कि कुर्क़ी की थी और डिगरीदारने ऐसी जायदाद के नीलाम के हुक्म के वास्ते दरख्वास्त न दीहो—

तनाज़िआत क़ाबिल तजवीज़ अदालत इजराकुनिन्दः डिगरी ॥

ा २४४ दफ़ा ४७—(१) जुमला अमूर निज़ाई जो माबैन फरीक़ैन उस मुकदमा के जिसमें डिगरी सादिर हुई हो या माबैन उनके कायम मुक़ामों के पैदाहों और जो डिगरी के इजरा या उसके ईफा या बेबाक़ी से तअल्लुक रखते हों इस अदालत के हुक्म से फ़ैसलहोंगे जो डिगरी का इजराकरै न बज़रिये नालिश जुदागाना के—

तनाजिआत काबिल तजवीज अदालत इजराकुनिन्द डिगरी—

(२) ब रिआयत उज़रदारी निस्बतमीआद या इख़्तियार समाअत अदालत मजाज़ है कि कार्रवाई तहत दफा हाज़ा को एक मुकदमः ख़्यालकरै या मुकद्दमः को कार्रवाई ख़्यालकरै और अगर ज़रूरीहो तो ज़ायद कोर्टफीस दाखिल करने का हुक्मदे—

(३) अगर यह सवाल पैदाहो कि कोई शख़्स किसी फरीक़ का कायम मुकाम है या नहीं तो अदालत सवाल मजकूर को इस दफाकी इगराज़ के लिये तै करदेगी—

तशरीह—इस दफा की इगराज़ के वास्ते वह मुद्दई जिसकी नालिश खारिज करदीगई हो और वह मुद्दआअलेह जिसके खिलाफ में नालिश खारिज करदीगई हो फरीक़ैन मुक़द्दमः हैं—

मीआद बिनाबर इजरा ॥

फ़ा २३० फ़िक़रा २ व ४ दफ़ा ४८—(१) अगर दरख़्वास्त वास्ते इजरा किसी ऐसी डिगरी के गुजरै जो सुदूर हुक्म इम्तिनाई की डिगरी न हो तो उसके बाद कोई हुक्म निस्बत इजरा उसी डिगरी के किसी जदीद दरख्वास्त पर सादिर नहीं कियाजायगा जो बाद गुजर जाने मुद्दत बारह साल के तारीख हाय मुफस्सिलः जैल से गुजरानी जाय—याने

डिगरी का इजरा किन सूरतों मे ममनूअ है—

(अलिफ) तारीख डिगरी से जिसका इजरा मंज़ूर हो—या

(बे) अगर डिगरी या हुक्म माबादमें यह हुक्महो कि फलां तादाद रुपये की किसी खास तारीखपर या आयंदा तारीख

हाय मुअय्यनः पर अदा कीजाये या फलां माल हवाले किया जाय तो किस्तके न अदा और मालके न हवाला करने की तारीख से जिसकी बाबत सायल वह डिगरी जारी कराना चाहताहो—

(२) इस दफा की किसी इबारत से यह नहीं समझा जायेगा कि—

(अलिफ) अदालत इजराय डिगरी का हुक्म देने से ममनूअ कीगई है किसी ऐसी दरख्वास्तपर जो बाद गुजरने मीआद बारह साल मजकूर के गुजरानीजाये जिस हालमें कि मदयून ने किसी फरेब या जबसे डिगरी के इजराय को किसी अरसे में जो दरख्वास्त की तारीख से बारह बरस माक़ब्लके अन्दर हो रोकाहो—या

(बे) आर्टिकल १८० जमीमा दोयम कानून मीआद समाअत हिन्द सन् १८७७ ई० का असर किसी तरहसे महदूद या मुतगैयर किया गयाहै— ऐक्ट १५ सन् १८७७ ई०

मुन्तक़िलइलेहम् व क़ायममुक़ामान जायज़

दफ़ा ४९—हर शख्स जिसके नाम डिगरी मुन्तक़िल कीजाये व पाबन्दी उन हक़ूक़ के (अगर कोई हों) डिगरी का मालिकहोगा जिनको मदयून असल डिगरीदार के मुक़ाबिला में नाफ़िज़ करासक्ता था— दफ़ा २३२

मुन्तक़िलइलेह—

दफ़ा ५०—(१) अगर मदयून डिगरी डिगरी की तामील कामिल होने से पहिले फौतकरै तो डिगरीदार को इख्तियार है कि मदयून मुतवफ़्फ़ा के क़ायम मुक़ाम जायज पर डिगरी जारीहोने की दरख्वास्त अदालत सादिर कुनिन्दः डिगरी को गुजरानै— दफ़ा २३४

क़ायम मुक़ाम जायज—

(२) अगर डिगरी बनाम क़ायम मुक़ाम मज़कूर जारी कराईजाये तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ उसीक़दर होगी जिसक़दर जायदाद शख्स मुतवफ़्फ़ा की उसके हाथ में आई हो और अज़राह वाजिब उसपर कोई तसर्रुफ न हुवाहो और वास्ते दरियाफ़्त मिक़दार जिम्मेदारी के अदालत इजराय कुनिन्दा डिगरी मजाज़होगी कि अपनी मर्ज़ी से या डिगरीदार की

दरख़्वास्त पर क़ायम मुक़ाम मज़कूर से ऐसे काग़ज़ात हिसाब जबरन दाखिल कराये जो अदालत को मुनासिब मालूम हों—

ज़ाब्ता इजरा

जदीद

इख़्तियारात अदालत दर इजराय डिगरी—

दफ़ा ५१—ब पाबन्दी ऐसी शरायत व कयूद के जो मुक़र्रर कर जायँ अदालत डिगरीदार की दरख़्वास्त पर डिग के इजरा का हुक्म करसक्ती है—

(अलिफ) बज़रिये हवालगी जायदाद के जिसकी तशरीह डिग में हो—या

(बे) या बज़रिये कुर्की व नीलाम या नीलाम बग़ैर कुर्की कि जायदाद के—

(जीम) या बज़रिये गिरफ़्तारी व क़ैद जेलखाना के—

(दाल) या बज़रिये मुक़र्रर करने रिसीवर के—

(हे) या किसी और तरीके पर जो दादरसी अता शुद:की ने इत के लिहाज़ से ज़रूरी समझा जाये—

ा २५२

इजरायडिगरी बनाम क़ायम मुक़ाम जायज़

दफ़ा ५२—(१) अगर किसी फ़रीक पर बहैसियत होने काय मुक़ाम कानूनी शख़्स मुतवफ़्फ़ा के डिगरी हुई हो औ डिगरी मजकूर वास्ते दिलाने जर नक़्द के जायदाद शख़्स मुतवफ़्फ़ा से हो तो इजराय डिगरी का बज़रिये कुर्की और नीलाम जायदाद मजकूर के होसक्ता है—

(२) अगर ऐसी कोई जायदाद मदयून डिगरी के कब्ज़े में बाक़ी न रहे और वह हस्ब इतमीनान अदालत यह साबित न करसके कि उसने उस जायदाद शख़्स मुतवफ़्फ़ा को जिसका उसके कब्ज़े में आना साबितहो बजासर्फ कियाहै तो मदयूनडिगरीपर डिगरी बाबत उस क़दर जायदाद के जिसकी निस्बत वह अदालत का हस्ब मज़कूर: बाला इतमीनान न करसके उसी तरीक़ से जारी होसक्ती है जैसे कि डिगरी मजकूर ख़ुद उसी की जात ख़ास पर हुईहो—

दफ़ा ५३—वास्ते अगराज दफ़ा ५० व दफ़ा ५२ के जो जायदाद जदीद
निम्मेदारी निस्बत जायदाद मौरूसी— किसी शख़्सके बेटे या दीगर औलाद के कब्जे में इस तरह आये कि जायदाद मजकूर पर शास्त्र की रूसे मुतवफ़्फ़ा के देनका बारहो तो समझाजायगा कि जायदाद मजकूर वही जायदाद शख़्स मुतवफ़्फ़ा की है जो उसके बेटे या दीगर औलाद के क़ब्जे में बहैसियत उसके कायम मुक़ाम जायज़ के आई है—

दफ़ा ५४—अगर डिगरी बाबत तक़्सीम या अलाहिदगी कब्जे दफ़ा २६५
तक़्सीम मुहाल या अलाहिदगी हिस्सा— हिस्सा मुहाल गैरमुनक़समा के कि जिसकी मालगुजारी सरकार में दीजाती हो सादिर हुई हो तो तक़्सीम मुहाल या अलाहिदगी हिस्सा की मारफत साहब कलक्टर के या किसी गजट शुदः मातहत साहब कलक्टर के जिसको उन्हों ने इस काम के वास्ते मुक़र्रर कियाहो मुताबिक़ उस क़ानून के (अगर कोई हो) अमल में आयेगी जो दरबारः तक़्सीम या क़ब्जा जुदागाना हिसिस ऐसे मुहालातके उस वक़ नाफ़िज हो—

गिरफ़्तारी व क़ैद

दफ़ा ५५—(१) जायज है कि मदयून डिगरी किसी रोज़ और दफ़ा २३६
गिरफ्तारी व क़ैद मदयून डिगरी की— किसी वक्त व इल्लत इजराय डिगरी गिरफ़्तार कियाजाये और लाजिम है कि जिसक़दर जल्द मुमकिन हो अदालत में हाज़िर कियाजाय और जायज है कि वह उस जिले के जेलखाना दीवानी में क़ैद रक्खाजाये जहां अदालत सादिरकुनिन्दः हुक्म क़ैद वाक़ै हो या अगर उस जेलखाना दीवानी में गुंजाइश मुनासिब न हो तो किसी और जगह क़ैद कियाजाय जिसे लोकल गवर्नमेन्ट वास्ते क़ैद रखने उन अशख़ास के मुक़र्रर करै जिनके निस्बत उस ज़िले की अदालतों से क़ैद रखने का हुक्महो—

मगर शर्त अव्वल यह है कि इस दफ़ा के बमूजिब गिरफ़्तारी करने की गरज़ से जायज नहीं है कि गुरूब आफ़्ताब के बाद या तुलूअ आफ़्ताब से पहिले किसी मकान सकूनत में दाखिल कियाजाय—

और दूसरी शर्त यह है कि किसी मकान सकूनत का बेरुनी दर

वाज़ा न तोड़ा जायगा इल्ला उस सूरत में जब कि ऐसा मकान सकूनत मदयून डिगरी के दखल में हो और वह उसमें दाखिल होने को इन्कार करै या किसी तरह रोके लेकिन जब ओहदःदार मजाज़ गिरफ़्तारी किसी मकान सकूनत के अन्दर बज़ाब्तः पहुँचगयाहो तो उसे इख़्तियार है कि किसी कमरे का दरवाज़ा तोड़डाले जिसमें किसी वजह से उसको यक़ीन हो कि मदयून डिगरी दस्तियाब होजायगा—

और तीसरी शर्त यह है कि अगर वह कमरा किसी ऐसी औरत के दखल वाकई में हो जो मदयून डिगरी न हो और जो हस्बरिवाज मुल्क बाहर न निकलती हो तो ओहदःदार मजाज़ गिरफ़्तारी औरत मज़कूर को जतादेगा कि उसको बाहर निकलजाने का इख़्तियार है और बाद देने मुहलत माकूल वास्ते निकलजाने औरत मज़कूर के और निकलने के लिये उसको हरतरह की सहूलियत मुनासिब देकर ओहदःदार मज़कूर मज़ाज़ होगा कि गिरफ़्तारी के लिये कमरे के अंदर जाय—

और चौथी शर्त यह है कि अगर वह डिगरी जिसके इजरामें कोई मदयून डिगरी गिरफ़्तार हुवाहो बाबत ज़र नक़्द के हो और मदयून डिगरी उसकी तादाद और खर्चा गिरफ़्तारी का ओहदःदार गिरफ़्तार करनेवाले को अदाकरदे तो ओहदःदार मज़कूर उसको फ़ौरन् रिहा करदेगा—

(२) लोकल गवर्नमेन्ट इस अम्र का ऐलान मुकामी गज़ट सरकारी में देसक्ती है कि फलांशख़्स या क़िस्मअशख़ास जिनकी गिरफ़्तारी बाइस ख़तरा या तकलीफ आमेखलायक हो इजराय डिगरी में गिरफ़्तार नहीं कियेजायँगे, सिवाय इस के कि ज़ाब्ता मुक़र्ररा गवर्नमेन्ट मज़कूर उनकी गिरफ़्तारी में मलहूज़ रक्खाजाय—

(३) जब कोई मदयून डिगरी बइल्लत इजरा किसी डिगरी ज़र नक़्द के गिरफ़्तार होकर अदालत के रोबरू हाज़िर किया जाय तो अदालत उसको मुत्तिला करैगी कि उसको इख़्तियार करैगी कि दिवालिया क़रार पाने के लिये दरख़्वास्तदे और अगर उसने कोई फेल बदनियती का निस्बत मजमून अपनी दरख़्वास्तके न किया हो और अगर वह अहकाम कानून दिवालः नाफ़िज़ुल वक़्त की तामील करैगा तो उसको रिहाई दीजायगी—

(४) अगर मद्यून डिगरी दिवालिया करार दियेजाने की दरख़्वास्त देने का इरादा जाहिरकरे और जमानत हस्ब इतमीनान अदालत व वादे इस अम्र के दाखिलकरदे कि एक महीने के अंदर दरख़्वास्त मज़कूर गुजरानेगा और यह कि दरख़्वास्त मजकूरकी या उस डिगरी की किसी कार्रवाई में कि जिसके इजरा में वह गिरफ़्तार हुआहो जिस वक्त अदालत उसे तलब करेगी हाजिरहोगा तो अदालत उसको गिरफ्तारी से रिहाई देगी और अगर वह ऐसी दरख़्वास्त न दे और अदालत में हाज़िर न हो तो अदालत हुक्म देसक्ती है कि जमानत का रुपया वसूल कियाजाय या बइल्लत इजराय डिगरी वह जेलखाने दीवानी में क़ैद कियाजाय—

दफ़ा ५६—बावजूद किसी मजमून मुन्दर्जे हिस्से हाजा के अदालत किसी औरत की गिरफ़्तारी या दीवानी जेल में क़ैद का हुक्म व इल्लत इजराय डिगरी जर नक़्द के सादिर नहीं करेगी— दफ़ा २४५ (अलिफ़)

इजराय डिगरी जरनक़्द में कोई औरत गिरफ्तार या क़ैद नहींहोसक्ती—

दफ़ा ५७—(१) लोकलगवर्नमेन्ट को इख़्तियार है कि मदारिज शरह खुराक माहवारी के जो मदयूनान डिगरी को वास्ते गुजारे के दीजायेंगी व लिहाज उनके दर्जे और क़ौम और मुल्क के मुक़र्रर करै— दफ़ा २३८

जर खुराक

दफ़ा ५८—(१) हर शख़्स जो बसीगा इजराय डिगरी जेलखाने दीवानी में क़ैद कियाजाये— दफ़ा २४२

क़ैद व रिहाई—

(अलिफ) जब कि डिगरी पचास रुपये से ज्यादे की अदा की बाबत हो तो छः महीने तक और—

(बे) किसी दूसरी सूरत में छः हफ़्तह तक क़ैद में रहैगा—मगर शर्त यह है कि सूरत हाय जैल में क़ब्ल गुज़रने छःमहीने या छः हफ़्तह की मीआद मजकूर की वह क़ैद से रिहाई पाजायगा— दफ़ा २४१

(१) जब तादाद मुन्दर्जः वारन्ट क़ैद अफ़्सर मुहतमिम जेलख़ाने को अदा करदीजाय—या

(२) जब कि उसकी डिगरी का इफाय कामिल और तौर पर होजाये—या

(३) जब वह शख़्स चाहे जिस के दरख़्वास्तपर वह कैद किया गया हो—या

(४) जब वह शख़्स जिसकी दरख़्वास्तपर वह क़ैद कियागया हो जर ख़ुराक दाख़िल न करै—

मगर शर्त यह है उन सूरतों में जो फिक़रे (२) या (३) में मजकूर हैं वह बिला हुक्म अदालत रिहा न कियाजायेगा—

(२) मदयून डिगरी जो इस दफ़ा के बमूजिब कैद से रिहाई पाये महज़ अपनी रिहाई की वजह से कर्जा से निजात नहीं पायेगा लेकिन उसी डिगरी की इल्लत में वह फिर गिरफ्तार नहीं होसक्ता है जिसकी इजरा में वह जेलखाने दीवानी में कैद कियागया था—

ऐक्ट १८८२ दफ़ा ६५३

रिहाई बवजह बीमारी के

दफ़ा ५९—(१) बाद इजराय वारन्ट गिरफ़्तारी मदयून डिगरी के किसी वक्त अदालत को इख़्तियार होगा कि वारन्ट मज़कूर बसबब उसकी सख़्त बीमारी के मन्सूख करै—

(२) अगर मदयून डिगरी गिरफ़्तार हो तो अदालत को इख़्तियार होगा कि उसे रिहा करदे अगर उसके नज़दीक ऐसा तन्दुरुस्त न हो कि दीवानी जेल में क़ैद कियाजाय—

(३) अगर कोई मदयून डिगरी किसी जेलखाने दीवानी में भेजा जाय तो वह कैद से रिहाई पासक्ता है—

(अलिफ) बहुक्म लोकल गवर्नमेन्ट इस बुनियाद पर कि वहां कोई सारी या मुतअद्दी बीमारी मौजूद है—

(बे) या बहुक्म उस अदालत के जिसने उसको जेल में भेजा हो या किसी और अदालत के जिसकी अदालत मजकूर मातहत हो उस बुनियाद पर कि वह किसी सख़्त बीमारी में मुब्तिला है—

(४) जो मदयून इस दफा के बमूजिब रिहाई पाये वह फिर गिरफ़्तार होसक्ता है लेकिन जेलखाने दीवानी में उसकी क़ैदकी मजमूई मीआद उस मीआद से ज़्यादह न होगी जो दफ़ा ५८ की रू से मुक़र्रर करदी गई है—

कुर्की

दफ़ा ६०—(१) जो जायदाद कि बइल्लत इजराय डिगरी काबिल कुर्की और नीलाम के है तफ़सील उसकी यह है याने अराज़ियात या मकानात या दीगर इमारात और असबाब और ज़र नक़्द और बंक नोट और चिक याने रुक्का और बिलआफ एक्स चेंज और हुंडियात और प्रामेसरी नोट और नोट सरकारी और तमस्सुकात या दीगर किफ़ालतनामजात ज़र नक़्द और ज़र क़र्ज़ा और हिस्सः किसी जमाअत रानदयाफ़्तः का और सिवाय उन अशियाय के जिनका जिक्र आयन्दा है तमाम दीगर जायदाद मन्कूला या ग़ैरमन्कूला क़ाबिल फ़रोख़्त जो मदयून डिगरी के हो या जिसपर या जिसके मुनाफे पर उसको ऐसा इख़्तियार तसर्रुफ का पहुँचता हो कि वह उसको अपनी मुनफअत के लिये अमल में लासके ख़्वाह वह उसके नाम से हो या बतौर उसकी अमानत के या मिन्जानिब उसके दूसरे शख़्स के पास हो— दफ़ा २६६

जायदाद क़ाबिल कुर्की व नीलाम बइल्लत इजराय डिगरी—

मगर शर्त यह है कि अशियाय मुन्दर्जे ज़ैल क़ाबिल ऐसी कुर्की या नीलाम के न होंगी—याने

(अलिफ) ज़रूरी पोशाक और पकाने के बरतन और पलंग और बिस्तर मदयून डिगरी और उसकी जौजा और अतफाल के और ऐसे जेवर जिनको कोई औरत मुताबिक अपने रिवाज मजहबी के जुदा न करसक्ती हो—

(बे) अहल हिरफ़ा के औज़ार और अगर मदयून डिगरी ज़िराअत पेशा हो तो ज़िराअत के आलात और ऐसी मवेशी और तुख़्म गल्ला जो बदानिस्त अदालत मदयून डिगरी को वजह मुआश हासिल करने के लिये ज़रूरी हों और इस कदर हिस्सा पैदावार ज़िराअत या किसी क़िस्म खास के पैदावार ज़िराअत का जो बमूजिब अहकाम दफ़ा ऐन मावाद के कुर्की व नीलाम से बरी जाहिर कर दियागया है—

(जीम) मकानात व दीगर इमारात में उनके माल मसाला और अराजी मौका के और उस अराजी के जो उनके बिलकुल

मुत्तसिलहो और उनके इस्तेमाल के लिये ज़रूरीहो (ममलूकः व मक़बूजा) ज़िराअत पेशा —

(दाल) बहीजात हिसाब—

(हे) महज़ हक रुजूअ नालिश हर्जा—

(वाव) हर हक ज़ाती ख़िदमत का—

(ज़ाल) वज़ीफा और आतायात जो पिंशनदारान सरकारी को अताहोतेहों या जो किसी सर्विस फेमिली फण्डमें से जिस का एलान नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर ब इजलास कौंसिल ने इस बारे में गज़ट आफ इण्डिया में कियाहो क़ाबिल अदाहों और पिंशन सीग़ा पुलटिकिल—

(हे) अलाउन्स याने ज़र मवाजिब जो तनख़्वाह से कमहो इसी ओहदेदार सरकारी का या किसी रेलवे कंपनी या हाकिम मुक़ामी के मुलाज़िम का जब कि अपने काम से गैरहाज़िर हो—

(तो) तनख़्वाह या अलाउन्स बराबर तनख़्वाह के किसी ऐसे ओहदेदार सरकारी या मुलाज़िम का जिसका जिक्र फिकरे (हे) में है जब कि वह कामपर हो ताहद्दमुफस्सिले जैल—याने

(१) कुल तनख़्वाह अगर बीस रुपया माहवारसे ज़ियादह न हो-

(२) बीस रुपये माहवार जब कि तनख़्वाह बीस रुपये माहवार से ज़ियादहहो मगर चालीस रुपये से जियादह न हो—

(३) और निस्फ तनख़्वाह किसी और सूरत में—

०५ सन् ८६६ ई० (ये) तनख़्वाह और अलाउन्स उन लोगों के जिनसे आईन लश्करी हिन्दोस्तानी मुतअल्लिक़ हैं—

०५ सन् ८६७ ई० (क़ाफ) जुम्ला ज़रूरी डिपाज़िट व दीगर रक़ूम जो किसी ऐसे फंड शरमाये में हों या ऐसे फंड से हासिल कियेजायें जिससे ऐक्ट मुतअल्लिक़ प्राविडेंट फंड सन् १८६७ ई० बरवक्त मुतअल्लिक़ हो जहांतक कि रक़ूम मजकूर ऐक्ट मजकूर के जरिये से गैरक़ाबिल कुर्की क़रार दीगई हों-

(लाम) उजरत मजदूरान और मुलाज़िमान खानगी की ख़्वाह वह नक़्दी में क़ाबिल अदा हुवा जिन्स में—

(मीम) उम्मीद विरासत व हालत पसमांदगी या और हक या इस्तेहकाक जो महज मौकूफ व वकूअ अमर दीगर या बिल खैर इमकान हो—

(नून) हक नान व नफका आयन्दा का—

(सीन) वह अलाउन्स जो किसी कानून मजरिये तहत ऐक्ट कौंसिलहाय हिन्द सन् १८३१ ई० व सन् १८९२ ई० की रूसे कुर्की व नीलाम वहालत इजराय डिगरी से मुस्तस्ना कर दियागयाहो— २४ व २५ विक्टोरिया बाब ६७ ५६ विक्टोरिया बाब १४

(ऐन) अगर मदयून डिगरी मालगुजार सरकार हो तो कोई जायदाद मन्कूला जो किसी क़ानून नाफिजुल वक्त मुतअल्लिक़ शख्स मजकूर की रूसे नीलाम व गरज वसूली वकायाय मालगुजारी से मुस्तस्ना करदीगई हो—

(तशरीह) तफसीलात मुतजकिरे फिक़रात (जे) व (हे) व (तो) व (ये) व (लाम) व (सीन) कुर्की व नीलाम से मुस्तस्ना हैं ख्वाह, क़ब्ल, ख्वाह बाद वाक़ई वाजबुल अदा होने के—

(२) इस दफा की किसी इबारत से ये मफहूम न होगा कि—

(अलिफ) मकानात व दीगर इमारत मय उनके माल मसाला और आराजी मौके के और उस आराज़ी के जो उनसे बिल्कुल मुत्तसिल हो और उन के इस्तअमाल के लिये जरूरी हो डिगरी जर लगान के इजरा में जो उसी मकान या इमारत या अरजी मौक़ा या आराजी की निस्बत हो कुर्की व नीलाम से बरी हैं—या

(बे) अहकाम ऐक्ट मुतअल्लिके फौज या उस क़िस्म के और क़ानून पर जो किसी वक्त निफाजपिजीर हो असर पड़ता है— ४४ व ४५ विक्टोरिया बाब ५८

दफ़ा ६१—नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसिल की इजाज़त हासिल करके लोकल गवर्नमेन्ट को इख्तियार है कि ब सुदूर हुक्म आम या खास मतबूआ गज़ट सरकारी मुक़ामी यह आलान करदे कि इस कदर हिस्सा पैदावार जिराअती या किसी क़िस्म खास पैदावार ज़िराअती का जो लोकल गवर्नमेन्ट जदीद

जुजई इस्तस्ना पैदावार जिराअती का कुर्की से—

मौसूफ के नज़दीक व ग़रज काश्त आराज़ी ताफ़स्ल आयन्दा और व ग़रज़ परवरिश मदयून और उस की अहल अयालके जरूरी हो दरसूरत जुम्ला अशखास ज़िराअत पेशा या किस्म खास अशखास जिराअत पेशाके कुर्की या नीलाम इजराय डिगरी से बरी करदियाजाय—

फ़ा २७१ दफ़ा ६२—(१) कोई शख़्स जो अहकाम मजमूआ हाजा के मुताबिक ऐसे हुक्म नामे की तामील में मसरूफहो जिसमें माल मन्क़ूला पर कब्जा करलेने का हुक्म या इख़्तियार दियागयाहो किसी मकान सकूनत में गुरूब आफ़ताब के बाद और तुलूअ आफताब से पहिले दाखिल न होसकैगा—

ज़ब्ती उस जायदाद की जो किसी मकान सकूनत में हो—

(२) कोई बेरूनी दरवाज़ा किसी मकान सकूनत का न तोड़ा जायगा इल्ला उस सूरत में जब कि ऐसा मकान सकूनत मदयून डिगरीके दखल में हो और वह उसमें दाखिल होनेको इन्कार करै या किसी तरह रोकै लेकिन जब शख़्स मज़कूर किसी मकान सकूनत के अन्दर बज़ाब्ते पहुँचजाय तो उसको इख़्तियार होगा कि किसी कमरे का दरवाज़ा जिसमें माल मज़कूर के मौजूद होनेकी बावर करने की वजहहो तोड़डाले—

(३) अगर कोई कमरा किसी मकान सकूनत में किसी ऐसी औरत के दखल वाक़ई में हो जो हस्ब रिवाज मुल्क बाहर न निकलती हो तो तामील कुनिन्दा हुक्मनामा उसको मुत्तिलाअ करैगा कि उसको निकलजाने का इख़्तियार है और कुछ अरसे माक़ूल तक उसके निकलजाने का इन्तिज़ार करके और निकलने के लिये उसको हरतरहकी सहूलियत मुनासिब देकर शख़्स मज़कूर मजाज होगा कि मालको क़ब्जे में लाने के लिये कमरे के अन्दर जाय मगर मुताबिक इन अहकाम के मालको खुफिया उठजाने से रोकने की हर तरह से इहतियातकरै—

फ़ा २८५ दफ़ा ६३—जिस हालमें कि जायदाद जो किसी अदालत के हिरासत में न हो एकसे ज़्यादे अदालतों के डिगरी से इजरा में जेर कुर्कीहो तो उस जायदादको लेना या वसूल करना और उसकी निस्बत हर दावा और उस

जो जायदाद कई अदालतों की डिगरियों के इजरा में कुर्क हो—

की कुर्की पर हर ऐतराज की बाबत तजवीज करना उस अदालत से मुतअल्लिक होगा जो सब से आला दर्जेकी हो-और अगर उन अदालतों के दर्जे में कुछ फर्क न हो तो उस अदालत से मुतअल्लिक होगा जिसकी डिगरी की इजरामें जायदाद पहिली कुर्क हुई हो-

(२) इस दफाके किसी मजमूनसे वह कार्रवाई बातिल नहीं समझी जायगी जो किसी ऐसी अदालत ने की हो जिसने उनमें से किसी एक डिगरी का इजरा कियाहो-

दफ़ा ६४—जब कोई कुर्की वकूअ में आये तो इन्तकाल खानगी या इन्तकाल खानगी जायदादका बाद उसके कुर्क होजानेके बातिल है- हवालगी जायदाद मकरूका की या उसके किसी हक़की और अदा करना मदयून डिगरी को क़र्जा या मुनाफा सरमाये का या दीगर रुपये का खिलाफ कुर्की मज़कूर के बमुक़ाबिले उन तमाम मतालिबेजात के जिनका ईफा उस कुर्की की रूसे होसक्ताहो बातिल होगा-- दफ़ा २७६

तशरीह—वास्ते अगराज दफ़ाहाज़ा के उन मतालिबेजात में जिनका ईफा कुर्कीकी रूसे होसक्ताहो वह दावा दाखिलहैं जो जायदाद की तक़सीम रसदी की निस्बत कियेजायँ-

नीलाम

दफ़ा ६५—अगर कोई जायदाद गैरमन्कूला इजराय डिगरी में नीलाम कीजाय और नीलाम मजकूर कतई होजाय तो खरीदार का इस्तहकाक जायदाद में उस वक्तसे समझा जायगा जब कि जायदाद नीलाम हुई न उस वक्त से जब कि नीलाम क़तई हुआ- जदीद दफ़ा ३१६ से मुकाबिलाकरो-

खरीदारका इस्तहकाक

दफ़ा ६६—(१) कोई नालिश किसी ऐसे शख्स के नाम समाअत न की जायगी जो किसी खरीद मुसद्दिक़के अदालत हस्ब तरीका मुकर्ररःकी रूसे किसी हक़का दावेदारहो इस बिनापर कि खरीद मुद्दई की तरफ से की गई थी या ऐसे शख्सकी तरफ से कीगई थी जिसके जरिये से मुद्दई दावा करताहै- दफ़ा ३१७

नालिश बनाम खरीदार इस बिनापर कि खरीद मुद्दई की तरफसे कीगई मम्नू न होगी-

(२) कोई इबारत इस दफेकी माने नालिश हासिल करने इस हुक्म की न होगी कि नाम खरीदार सार्टीफिकटयाफ्ता मजकूरे

वाला का सार्टीफिकेट में क़रीबन या बिला रिज़ामन्दी असिल ख़रीदार के दाखिल कियागया है और किसी शख़्स सालिस के उस हक़में मुखिल न होगी जो उसको जायदाद मज़कूर की निस्बत कार्रवाई करने का हासिल है हरचंद की जायदाद ख़रीदार सार्टीफिकटयाफ़्ते के हाथ बज़ाहिर फ़रोख़्त कीगई हो इस बिनापर की जायदाद मज़कूर शख़्स सालिस मज़कूर के दावे के ईफ़ाकी बख़िलाफ़ मालिक असली के मस्तूजिब है–

फ़ा ३२७ दफ़ा ९७—नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल की मंज़ूरी हासिल करके लोकल गवर्नमेन्ट को इख़्तियार है कि बज़रिये ऐलान मतबूये गजट सरकारी मुकामी कवाअद किसी रक़बे अरज़ी की निस्बत मुन्ज़बित व बतायुन ऐसी शरायत के जो ज़र नक़्दकी डिगरियों इजरा में और अराज़ी के किसी क़िस्म के मराफ़िक को नीलाम करने की निस्बत हों जिस हाल में कि वह मराफ़िक ऐसे ग़ैर मोअइयन व ग़ैर मुतहक़्क़िक हों कि बदामिस्त लोकल गवर्नमेन्ट उनकी मालियत का तअइयुन करना ग़ैर मुमकिन हो–

इख़्तियार लोकल गवर्नमेन्ट निस्बत वजह कवाअद मुतालिक़ नीलाम अराज़ी व इल्लत इजराय डिगरी ज़रनक़्द–

तफ़वीज़ कियाजाना इख़्तियार इजरायडिगरी–जायदाद ग़ैर मन्क़ूले का साहब कलक्टर को

फ़ा ३२० दफ़ा ९८—लोकल गवर्नमेन्ट को अख़्तियार है कि नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसलकी मंज़ूरी हासिल करके बज़रिये इश्तिहार मुन्दर्जे गज़ट सरकारी मुकामी के ऐलान दे कि फलां इलाक़ा अरज़ी में इजराय डिगरियात का उन मुक़द्दमात में जिनमें अदालत के हुक्म से कोई जायदाद ग़ैर मन्क़ूला नीलाम होनेवाली हो या इजराह किसी ख़ास क़िस्म की डिगरी का मिनजुम्ला ऐसी डिगरियों के या इजराह डिगरियात का जिनमें हुक्म नीलाम किसी ख़ास क़िस्म के जायदाद ग़ैर मन्क़ूला या हक़ीयत वाक़े जायदाद ग़ैर मन्क़ूला का दियागया हो कलक्टर के पास मुन्तक़िल कियाजावे–

अख़्तियार इन्तेज़ाम कवाअद निस्बत इन्तकाल इजराय बाज़ डिगरियात बनाहन कलक्टर–

अहकाम जमीने लो-कल या तालुका—

दफ़ा ६९—अहकाम मुन्दर्जे जमीमे सोयम उनजुम्ला सूरतों से मुताल्लिक़होंगे जिनमें इजरा किसी डिगरी का दफ़ा ऐन माक़ब्ल के बमूजिब कलक्टर के पास मुन्तक़िल कियाजाय— जदीद

कवायद मुताल्लिक जाता—

दफ़ा ७०—(१) लोकल गवर्नमेन्ट को अख्तियारहै कि मुताबिक़ अहकाम मजकूर कवायद वजह करै याने— दफ़ा ३२० फिक़रे २ व ३

(अलिफ) निस्बत मुरसिल होने डिगरी के अदालत से बख़िद्मत कलक्टर और बतक़र्रुर उस जाब्ते के जिसकी पाबन्दी बवक्त इजराय डिगरी कलक्टर और उसके मातहतों पर वाजिब होगी और निस्बत उसके कि डिगरी कलक्टर के पास से अदालत में वापिस कीजाये—

(बे) दरबाब उसके कि साहब कलक्टर या किसी गज़टशुदा मातहत साहब कलक्टर को वो जुम्ला या बाज़ अख्तियारात अदा कियेजायँ जिनको अदालत इजराय डिगरी में नाफिज करसक्ती अगर डिगरी कलक्टरके पास मुन्तक़िल न हुई होती—

(जीम) निस्बत इसके कि जो अहकाम अजतरफ़ साहब कलक्टर या किसी गजट शुदा मातहत साहब कलक्टर के सादिर कियेजायें या जो अहकाम बसीगै अपील अहकाम मजकूर पर सादिर किये जायें उनकी अपील और नज़रसानी आला हुक्काम मालके पास जहांतक मुमकिन हो इसी तरीक़े पर होगी जिस तरह उन अहकामकी अपील और नजरसानी जिनको अदालत सादिर करै या उन अहकामकी जो बसीगै अपील अहकाम मजकूर की निस्बत सादिर हों मजमूअय हाजा या किसी दूसरे कानून नाफिज़उल् वक्तके बमूजिब अदालत अपील या नजरसानी में दायर होती अगर डिगरी साहब कलक्टर के पास मुन्तक़िल न हुई होती—

३२० (२) जो अख़्तियारात क़वायद मौज़ुआ हस्बदफे तहती (१) की

करे५-४ *अख़्तियारात अदालत दीवानी का मुन्तहोना*

रू से साहब कलक्टर या किसी गजटशुदा मातहत साहब कलक्टर को या किसी हाकिम अपील या नज़रसानी को अताहुये हैं उनकी तामील अदालत या कोई अदालत जो अहकाम या डिगरियात अदालत मज़कूर की निस्बत इख़्तियारात अपील या नज़रसानी का निफाज़ करती हो नहीं करसकैगी–

३२० दफ़ा ७१–किसी ऐसी डिगरी के इजरा में जो साहब कलक्टर

रे ५– *कलक्टर की कार्रवाई अदालताना समझी जायगी*

के पास दफा ६८ के बमूजिब मुन्तक़िल कीजाय साहब कलक्टर मौसूफ और उसके मातहत कार्रवाई अदालताना करतेहुये समझे जायँगे–

३२६ दफ़ा ७२–(१) अगर किसी इलाका अरजी में जिस में हस्ब

जिस हाल में कि अदालत इलितवाय नीलाम अरजी के निस्बत कलक्टर को इजाजत दे–

मन्सा दफा ६८ के कोई आलान नाफिज न हो जायदाद मक़रूका क़िस्म आराजी या हिस्सा आराज़ी से हो और कलक्टर अदालत को ये राय लिखभेजे कि आराज़ी या हिस्सा आराजी का नीलाम करना नामुनासिबहै और वसूल करना जर डिगरी का अंदर मीआद माक़ूल के उस तरह मुमकिन है कि आराजी या हिस्सा मजकूर चंदरोज के लिये मुन्तक़िल कियाजाय तो अदालत कलक्टर को इजाजत देसक्ती है कि बजाय नीलाम आराजी या हिस्सा मजकूरके हस्ब तरीक़ा मज़कूरा अपने के जर डिगरी के वसूल करने का बन्दोबस्त करै–

(२) हरऐसी सूरत में दफाअत ६९ लिहायत ७१ और क़वायद मौज़ुआ तहत दफाअत मज़कूर के अहकाम जहांतक मुताल्लिक़ होसकें मुताल्लिक़ किये जायँगे–

तक़सीम ज़र

फा २९५ दफ़ा ७३–(१) अगर जर मुहासिल अदालत में जमाहो और

तक़सीम नक़दी मुहासिल नीलाम [illegible] डिगरीदारान

एकसे ज़ियादा अशख़ास ने उसके वसूल होनेसे पहिले दरख़्वास्तें वास्ते जारी होने अपनी अपनी डिगरियात जर नक़द के ऊपर एकही मुद्दियों डिगरी के अदालतमें दाखिल की हों मगर डिगरियान का हाथा न पायाहो तो रुपया वसूलशुदा बाद

मिनहाई खर्चा वसूल करनेके उन जुम्ला अशखास मजकूर के दरमियान बहिसाब रसदी तक़सीम कियाजायगा-मगर शर्त यह है कि:—

(अलिफ) जब कोई जायदाद ताबे रहन या मुवाफ़जे के नीलाम की जाय तो जर समल नीलाम से जो कुछ फाजिल निकले उसमें मुर्तहिन या मुवाफ़जेदार हिस्से पानेका मुस्तहक़ न होगा—

(बे) जब वह जायदाद जो सीगे इजराय डिगरी से नीलाम होनेके क़ाबिल है किसीके पास मरहूनहो या उसपर कुछ मुवाफ़्जा हो तो अदालत मजाज होगी कि बरिजामन्दी मुर्तहिन या मुवाफ़जेदारके ये हुक्म दे कि जायदाद बिला बार रिहन या मुवाफ़जे के नीलाम कीजाय और मुर्तहिन या मुवाफ़जेदार को नीलाम के जर समल पर वही इस्तेक़ाक़दे जो उसको जायदाद नीलामशुदापर हासिल था-

(जीम) जब जायदाद गैर मन्कूला ऐसी डिगरी के इजरा में नीलाम कीजाय जिसमें यह हुक्म मुन्दर्ज हो कि जायदाद किसी मुवाजे की बेबाक़ी के लिये नीलाम कीजाय तो जर सम्मन नीलाम हस्ब तरतीब मुफस्सिले ज़ैल के सर्फ किया जायगा याने—

पहिले-इखराजात नीलाम की बेबाकी में-

दूसरे-उस रक़म के अदा करने में जो डिगरी की रूसे वाजिबहो-

तीसरे-मुवाफ़जे हाय मा बाद के अगर कोई हो असिल व सूत के अदा करने में-

चौथे-तक़सीम रसदी में दरमियान उन अशखास के जो डिगरियात जरनक़द के मदयून पर रखतेहों और जिन्होंने जायदाद के नीलाम से पहिले दरख्वास्त जारी कराने अपनी डिगरियात के उस अदालत में दाखिल की हो जिसने डिगरी बहुक्म नीलाम जायदाद मजकूर सादिर की थी और जिनकी डिगरियां हनौज बेबाक़ न हुई हों-

(२) अगर वह कुल रुपया या जुज उसका जो इस दफेकी रू से तकसीम रसदी में सर्फ होना चाहिये किसी ऐसे शख्स को

दियाजाय जो उसके लेनेका मुस्तहक न हो तो वह शख़्स जो लेने का मुस्तहक़ हो उस शख़्स पर नालिश वास्ते जवरन् वापिस दिलाने ऐसे रुपये के दायर करसक्ता है—

(३) इस दफ़ेकी कोई इवारत सरकार के किसी हक़में खलल अन्दाज़ न होगी—

मुजाहमत इजराद

दफ़ा ७४—अगर अदालत को इतमीनान हो कि डिगरी कब्जे जायदाद ग़ैर मन्कूला की डिगरीदार को या जायदाद ग़ैर मन्कूला नीलामशुदा बइल्लत इजराय डिगरी के ख़रीदार को जायदादका क़ब्ज़ा हासिल करने में अजतरफ़ मदयून डिगरी या उसकी तरफसे किसी और शख़्सके ताअरुज या मुजाहमत हुई है और यह ताअरुज़ या मुजाहमत बिला वजह जायज़ थी तो अदालत मजाज है कि हस्ब इस्तदुवा डिगरीदार या ख़रीदार के मदयून डिगरी या दीगर शख़्स मजकूर को वास्ते उस कदर मियाद के जो तीस दिन तक होसक्ती है जेलखाने दीवानी में भेजने का हुक्मदे और नीज यह हिदायत करे कि डिगरीदार या खरीदार को या डिगरीदार को इस जायदाद का कब्जा दिलाया जाय—

मुजाहमत इजरा

हिस्सा ३

कार्रवाई हाय लाहक़ा मिस्ल

दफ़ा ७५—बमलहूज़ी शरायत व क़यूद मुकर्ररा के अदालत इजराजैल के लिये कमीशन जारी करसक्ती है–याने

अख्तियार निस्बत इजराय कमीशन

(अलिफ) वास्ते लेने इज़हार किसी शख़्स के—

(बे) वास्ते करने तहक़ीक़ात मौक़े के—

(जीम) वास्ते जांचने या तस्फ़िया हिसाबात के—

(दाल) या वास्ते बटवारे के—

दफ़ा ७६—(१) कमीशन वास्ते लेने इजहार किसी शख़्स के किसी अदालत में (जो हाईकोर्ट न हो) भेजाजासक्ता है जो सिवाय उस सूबे के जिसमें कि अदालतके जारी कुनिन्दा कमीशन वाक़ेहो किसी दूसरे सूबे में वाक़ेहो और उस मुक़ाममें इख़्तियारात रखतीहो जहां वह शख़्स कि जिसका इजहार लिये जाने को हो सकूनत रखताहो— दफ़ा ३६६

कमीशन का दूसरी अदालत में भेजाजाना

(२) हर अदालत जिसमें दफ़ा तहती (१) कि रूसे कमीशन वास्ते लेने इजहार किसी शख़्सके भेजाजाय मुताबिक़ उसके उसका इजहार खुद लेगी या किसी औरसे लेवायेगी और जब कमीशन बजाब्ते तामील पायाजाय तो वह मय शहादतके जो उसकी रूसे लीगईहो उस अदालत में वापिस भेजाजायगा जहांसे कि वह जारी हुवा था बशर्ते कि हुक्म मुतज़म्मिन इजराय कमीशन में कुछ और हिदायत न हो कि वह सूरत में कमीशन उसी हुक्मके मुताबिक़ वापिस कियाजायगा—

दफ़ा ७७—बजाय जारी करने कमीशनके अदालत मजाज़है कि एक चिट्ठी मुतज़म्मिन दरख़्वास्त निस्वत लेने इजहार ऐसे गवाहके जो बृटिश इण्डियाके बाहर सकूनत रखताहो जारी करे— जदीद

चिट्ठी मुतज़म्मिन दरख़्वास्त—

दफ़ा ७८—अहकाम दरबाब तामील और वापसी कमीशन निस्बत लेने इजहार गवाहों के उन कमीशन हायसे भी मुताल्लिक होंगे जो अदालत हाय मुफ़स्सिले ज़ैल से जारीहों— दफ़ा ३६१

कमीशन जो अदालत हाय गैरको जारी किये जायँ—

(अलिफ) वह अदालतें जो बृटिश इण्डियाके हुदूद से बाहरहों और बमूजिब फरमान आला हज़रत मुल्क मोअज़्ज़िम या नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर व इजलास कौंसिलके मुक़र्रर हुये हों या क़ायम रक्खे गयेहों—

(बे) या वह अदालतें जो सिवाय मुमालिक बृटिश इण्डियाके बरटिश अम्पायर के किसी और जुज़में वाक़ेहों—

(जीम) या वह अदालतें जो किसी ऐसी रियासत गैरमेंहों जो उस वक्त आला हजरत मुल्क मोअज़्ज़िमके साथ राब्ते इतहाद रखतीहो—

हिस्से ४

नालिशात व सूरत हाय ख़ास–
नालिशात अज़ जानिब या बनाम सरकार या अफसरान सरकारी व हैसियत अफसरी

। ४१६ जारज म बाब .५

दफ़ा ७९–(१) नालिशात जो अज़ तरफ़ या बनाम गवर्नमेन्टहों वह अज़ तरफ सेक्रेटरी आफ इस्टेट बहादुर हिंद व इजलास कौंसल रुजू कीजायगी–

नालिशात अज़ तरफ़ या बनाम सरकार–

(२) यह तसौव्वर न कियाजायगा कि कोई अमर दफा हाज़ा में किसी इत्तिलाको जो साहब येडोकेट जनरलने व निफाज़ इख्तियार मज़हरे हस्ब दफा १११ ऐस्ट इण्डिया कम्पनी ऐक्ट सन् १८१३ ई० ज़ाहिरकीहो महदूद या किसी दीगर नोहज़ पर असर पज़ीर करता है—

ा ४२४

दफ़ा ८०–कोई नालिश बनाम सेक्रेटरी आफ इस्टेट बहादुर हिन्द इजलास कौंसल या बनाम किसी ओहदेदार सरकारी के बाबत किसी फेलके जो ओहदेदार मज़कूरने अपने इख्तियार मन्सबी से कियाहो रुजू न कीजायगी उस वक्ततक कि जिस तारीखको इत्तिलानामा तहरीरी व इन्दराज बिनाय दावा और नाम और पता वह सकूनत मुद्दई व दादरसी मुतदाविया मुद्दईकी जिस हालमें कि नालिश बनाम सेक्रेटरी आफ इस्टेट बहादुर इजलास कौंसलके होनेवालीहो तो लोकल गवर्नमेन्टके किसी सेक्रेटरी के पास या उसके दफ्तरमें या ज़िले के साहब कलक्टरके पास या उसके दफ्तर में और जिस हालमें कि नालिश बनाम किसी ओहदेदार सरकारके होनेवालीहो तो ओहदेदार मज़कूरके पास या उसके दफ्तर में पहुँचा दियागयाहो उससे दो महीनेका अरसा न गुजरके और अरज़ीदावे में ये बयान मुन्दर्ज होना चाहिये कि ऐसा इत्तिलानामा हुब्ब इस तौरपर हवाले कियागया या पहुँचा दियागया—

इत्तिलानामा

दफा ४२७ व ४२८

दफ़ा ८१–उस मुक़दमे में जो बनाम किसी ओहदेदार सरकार के बाबत किसी ऐसे फेलके दायर कियाजाय जो उसने अपने इख्तियार मन्सबी से कियाहो–,

इस्तग्नाए गिरफ्तारी व [illegible] से–

(अलिफ) न मुद्दाअलयकी ज़ात लायक गिरफ्तारीके होगी न उसकी जायदाद काबिल कुर्कीके होगी इल्ला बहालत जारी होने डिगरीके—और

(बे) अदालत मुद्दाअलयको असालतन् हाजिर होने से बरी कर देगी अगर अदालतका इतमीनान इस अमर में होजाय कि मुद्दाअलय बिला हरज कार सरकार अपने ओहदे से गैर-हाजिर नहीं रहसकता—

दफ़ा ८२—(१) जबकि डिगरी सेक्रेटरी आफ इस्टेट बहादुर हिंद इजलास कौंसल पर या किसी ओहदेदार सरकार पर बाबत किसी फ़ेल मुज़क्किरेबाला के हो तो डिगरी में एक मियाद उसकी इफायके लिये मुन्दर्ज होगी और अगर डिगरीका इफाः उस मियाद मुअय्यन के अन्दर हो तो अदालत मुकदमेकी कैफियत लिखकर वास्ते सुदूर हुक्म के लोकल गवर्नमेन्टके गुर्सिल करैगी— दफा ४२९

इजराय डिगरी

(२) किसी ऐसी डिगरी की बाबत हुक्मनामा इजराय सादिर न कियाजायगा इल्लाः उस हालमें कि वह तीन महीनेतक जिस का शुमार कैफियत मज़कूरकी तारीखसे कियाजायगा बिला-इफाः रहै—

नालिशात अज़तरफ़ रिआयाआय मुमालिक़गैर और अज़तरफ़ या बनाम वालियानरियासत हिन्दुस्तानी और वालियान मुमालिकगैर—

दफ़ा ८३—(१) दुश्मन के मुल्ककी रिआया जो बृटिश इण्डियाके अन्दर नव्वाब गवर्नर-जनरल बहादुर-इजलास कौंसलके इजाज़त से रहतीहो और दोस्तकी मुल्ककी रिआया उसी तरह बृटिशइण्डियाके अदालतों में नालिशकर सकैगी गोया वह आला हजरत मुल्क मुअज्जमकी रियाआ है— दफा ४३०

कब रियाआय मुमालिक गैर नालिशकर सकैगी—

(२) दुश्मन के मुल्ककी कोई रैयत जो बिलाइजाज़त मजकूर बृटिश इण्डिया के अन्दर रहतीहो या किसी मुल्क गैर में रहती हो अदालत हाय मज़कूर में से किसी में नालिश न करसकैगी—

तशरीह—हरशख़्स जो किसी मुल्क गैरमें रहताहो जब कि दरमियान सरकार उस मुल्कगैर और मुमलिकत मुहद्दै गजट ग्रेटब्रिटेन और एलैन्डकी लड़ाई होरही हो वह मुल्क मजकूर में बिलाहमूल लैसंस दस्तखती किसी सेक्रेटरी आफ इस्टेट मिलजुम्ले सेक्रेटरी हाय आला हज़रत मुल्क मोवज्ज़म या दस्तखती किसी सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट हिन्दके कारबार करता हो दफा तहती (२) की गरज़ के लिये दुश्मन के मुल्क की रैयत साकिन मुल्कगैर तसौव्वर होगा—

दफ़ा ४२१

कब रियासत हाय मुल्कगैर नालिश करसकेगी—

दफ़ा ८४—(१) जायज है कि कोई रियासत मुल्कगैर वृटिश इण्डिया की किसी अदालत में नालिशकरै बशर्ते कि आला हजरत मुल्क मोवज्ज़म नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसलमें उस रियासत को तसलीम कियाहो और नीज बशर्ते कि नालिश का ये मकसूदहो कि कोई ह[क] खानगी जो उस रियासत गैरके वाली या रियासत मजकूर के किसी अफ़सर को बहेसियत अफसरी हासिलहो व दिलायाजाय—

(२) हर अदालत को इस अमर वाक़ैपर अदालतना लिहाज करना होगा कि रियासत गैरको आला हजरत मुल्क मुवज़्ज़म या नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल ने तसलीम किया या नहीं किया—

दफ़ा ४२२

अशखास जिनको वास्ते पैरवी या जवाबदिही करने अज़तरफ वालियान या रईसान के गवर्नमेन्ट ने ख़ास तौरपर मुकर्रर किया है.—

दफ़ा ८५—(१) वह अशखास जो हस्ब दरख़्वास्त किसी वाली खुद मुख्तार या रईस हुक्मराके आम इससे कि वह बतबैयत वृटिश गवर्नमेन्ट के गवर्नमेन्ट मौसूफसे इत्तहाद रखताहो या न रखता हो और वृटिश इण्डिया के अन्दर रहताहो या उससे बाहर या हस्ब दरख़्वास्त उस शख़्स के जो गवर्नमेन्ट के नजदीक उसवाली या रईस की तरफ से कार्रवाई करनेका मजाजहो वाली या रईस मज़कूरकी तरफ से नालिशकी पैरवी या जवाबदिही करने के लिये गवर्नमेन्ट के हुक्म खास के जरिये से मुकर्ररहों—बमंजिले ऐसी एजन्टान मक़बूला के समझी जायगी जिनकी मार्फत हाजिरी अदालत और का[र्रवाई]

वाई और अदखाल दरख्वास्त मिनजानिब वाली या रईस मजकूरके हस्ब मजमूअय ह्राजा अमल में आसक्ता है—

(२) जो शख्स इस दफा के बमूजिब मुकर्रर कियाजाय वह किसी एक नालिश खास या मुतादिद नालिशात खासकी गरज से या जुम्ला नालिशात मजकूर के वास्ते मुकर्रर होसक्ताहै जैसा कि मिनजानिब वाली या रईस मजकूर नालिश में पैरवी या जवाबदिही करना वक्तन् फवक्तन् जरूरीहो—

(३) जो शख्स इस दफेकी रूसे मुकर्रर किया जाय वह दूसरे अशखास को नालिश या नालिशात मजकूर में हाजिर होने और दरख्वास्तें गुजराननें और अफआल करनेका मजाज कर सक्ताहै या उनको मुकर्रर करसक्ताहै गोया कि शख्स मजकूर खुद फरीक़ नालिश है—

दफ़ा ८६—जायज है कि नालिश बनाम किसी वाली या रईस मजकूर और बनाम सफीर या ऐलची किसी रियासत गैरके बाद हसूल इजाजत नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल जिसकी तसदीक के लिये सार्टीफिकट दस्तखती किसी सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट हिन्दका जरूर होगा किसी अदालत मजाज में दायर कीजाय, मगर बिला हसूल इजाजत मजकूर के दायर न होगी— दफा ४३३

नालिश बनाम वाली या रईस या सफीर या ऐलची के—

(२) ऐसी इजाजत किसी एक या मुतादिद नालिशात खास की निस्बत या जुम्ला नालिशात किस्म या इक़साम खास की निस्बत दीजायगी और उसमें ये तअल्लुक नालिश या किस्म नालिशात के तसरीह उस अदालत की होगी जिसमें वाली या रईस या सफीर या ऐलची मजकूर के नाम नालिश दायर कीजाय लेकिन इजाजत मजकूर नहीं दीजायगी तावक्ते कि गवर्नमेन्ट को जाहिर न हो कि वाली या रईस या सफीर या ऐलची मजकूर ने—

(अलिफ) इसी अदालत में उस शख्सके नाम नालिश दायर की है जो उसपर नालिश करना चाहता है—या

(बे) वह उस अदालत के इलाके के हुदूद अरज़ी के अन्दर खुद या मारफत और शख्सके तिजारत करता है—या

(जीम) कोई जायदाद गैर मन्कूला वाक़ै हुदूद मज़कूर उसके क़ब्ज़ेमें है और उसपर नालिश इसी जायदाद की निस्बत या इस रुपये के निस्बत जिसका बार जायदाद मज़कूर पर है दायर होनेवाली है—

(३) कोई वाली या रईस या सफीर या ऐलची मजकूर अहकाम मज... अय हाज़ाकी रूसे गिरफ़तार नहीं होसकैगा और तावक्ते ... नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसलके इजाज़... मुसद्दिक़े हस्ब मजकूरे बाला हासिल न करली जाय कोई डिग... वाली या रईस, या सफीर, या ऐलची, मज़कूरकी जायदा... पर जारी नहीं की जायगी—

(४) नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल गज़ट आ... इण्डिया में इश्तिहार देकर किसी लोकल गवर्नमेन्ट को अ... किसी सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट मौसूफ को अख्तियार अता फर... सक्ते हैं कि निस्वत किसी वाली या रईस, या सफीर, ... ऐलची, मुतज़क्किरे इश्तिहार मज़कूर के वह अख्तियारात अम... में लायें जो नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंस... सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट हिन्दको इस दफाके गुजश्ते दफाआत तह... की रू से हासिल हैं—

(५) जायज है कि कोई शख्स बहैसियत आसामी जायदाद ग़ै... मन्कूलाके नालिश बगैर उस इजाज़त के जिसका ज़िकर इ... दफा में है उस वाली या रईस, या सफीर, या ऐलची, प... दायर करे जिसकी तरफ से जायदाद मजकूर उसके क़ब्ज़े... हो या वह क़ाबिल होने का दावा करता हो—

...फ़ा ४३४

वालियान व रुसा का नाम बहैसियत फ़रीक़ मुकद्दमा-

दफ़ा ८७—कोई वाली खुद मुख्तियार या रईस हुक्मरां अपने... रियासत के नाम से नालिश करसक्ता है और लाज़ि... है कि उसकी रियासत के नाम से उसपर नालिश कीजाय—

मगर इजाज़त मुतज़क्किरे दफा मज़कूरे बाला देनेमें नव्वाब गवर्नर

जनरल बहादुर बइजलास कौंसल या लोकल गवर्नमेन्ट ये हुक्म देसक्ती है कि वाली या रईस मजकूर पर किसी ऐजन्ट के नामसे या किसी और नामसे नालिश कीजाय—

ऐन्टर प्लीडर याने नालिश बमुराद तस्फ़िये वैनुल्मुताज़ईन—

दफ़ा ८८—जब दो या कई अशखास दावा मुखालिफ एक दीगर एकही ज़रक़र्जा या जरनक़द या दूसरी जायदाद मन्कूला या गैरमन्कूला के मिलने का दूसरे शख्स से रखते हों और उस दूसरे शख्सको जिसमें सिवाय मवारिजात या खर्चे के कुछ और दावा न हो और वह आमादा हो कि ज़र क़र्जा या जायदाद मज़कूर हक़दार दावेदार को अदा या हवाले करै पर जायज है कि वह दूसरा शख्स खुद नालिश तस्फिया वैनुल् मुताज़ियेन के बनाम उन तमाम दावेदारों के बग़रज तजवीज़ इस अमर के करै कि किस शख्स को वह ज़र अदा कियाजाय या जायदाद हवाले कीजाय और यह कि उसको बरियत हासिल हो— दफा ४७०

कब नालिश बमुराद तस्फ़िये वैनुल्मुताज़ेइन दायर होसक्ती है-

मगर शर्त यह है कि अगर कोई ऐसी नालिश ज़ेर तजवीज हो जिस में हुकूक़ तमाम फरीक़ों के बतौर मुनासिब तस्फ़िये पासक्ते हों तो जरूरत किसी नालिश बमुराद तस्फिये वैनुल्मुताज़ेइन दायर करने की न होगी—

हिस्सा ५

कार्रवाई हाय ख़ास—

सालसी—

दफ़ा ८६—(१) बइस्तिस्नाय अहकाम ऐक्ट सालसी हिन्द सन् १८६६ ई० या किसी दीगर क़ानून नाफिजुल वक़्त के जुम्लः मआमिलात तफवीज बसालसी, सालसीखाह अजरूय हुक्महों जो दर अस्नाय मुक़दमः सादिर हो या उसके सिवाय किसी और तरह हों और जुम्लः कार्रवाई हाय सालसी अहकाम ज़मीमः दोयम की ताव होंगी— दफा ६-५ न० ६ सन् १८६६ ई०

(२) अहकाम जमीमाः दोयम किसी ऐसे सालसीपर मवस्सर न होंगे जो इस ऐक्ट के निफाज़ के वक्त ज़ेःतजवीज़ हो मगर उस सालसी से मुतअल्लिक़ होंगे जो बाद तारीख मजकूर किसी ऐसे मवाहिदे या हवाले की रूसे अमल में आये जो क़ब्ल निफाज़ ऐक्टहाजा कियागया हो—

सूरत खास—

दफ़ा ५२७ दफ़ा ९०—अगर बाज़ अशखास इकरार तहरीरी करें कि वह कोई मुक़दमा वास्ते राय अदालत पेश करेंगे तो अदालत उस मुक़दमे की तजवीज़ और तस्फियः हस्व तरीक मुकर्रा करेगी—

अख़्तियार बयान सूरत मुक़द्दमा वास्ते राय अदालत—

नालिशात मुताल्लिक़ मावलात आम—

जदीद दफ़ा ९१—(१) दरसूरत किसी अमर बाइस तकलीफ़ आमके साथ एडोकेट जनरल या दो या ज़्यादे अशखास बा हुसूल मंजूरी तहरीरी साहब एडोकेट जनरल के नालिश वास्ते सुदूर हुक्म इम्तिनाई या किसी और दादरसी के जो हालात मुक़दमे के मुनासिब हों दायर करसक्ते हैं गोकि कोई हरजा खास न हुआहो—

अमर बाइस तकलीफ़ आम—

(२) इस दफाके किसी मज़मून से कोई ऐसा हक नालिश जो अदावे मज़मून दफा हाजा के हासिल हो महदूद नहीं होगा न किसी तरह का उसपर कुछ असर पहुँचेगा—

दफ़ा ५३९ दफ़ा ९२—(१) जो अमानत शरीहन या मानियन वास्ते अगराज़ खैरात आम या अमूर मजहबी के क़रार दीगई हो जब उसकी खिलाफ वरज़ी बयान कीजाये या ऐसी अमानत के इन्तिज़ाम के लिये अदालत की हिदायत जरूरी मुत्तसौविर हो तो एडोकेट जनरल या दो या कई अशखास जो उस अमानत में गरज रखते हों और एडोकेट जनरल की रज़ामन्दी तहरीरी हासिल करचुके हों असल अदालत दीवानी मराफयाऊला में या किसी दूसरी अदालत में जिसको

अशियाय खैरातआम

लोकल गवर्नमेन्ट ने इस बारे में इख्तियार दियाहो जिसके इख्तियार समाअत की हुदूद अरजी के अन्दर कुल या कोई जुज व शय अमानती का वाक़ै हो वास्ते हुसूल डिगरी अमूर मुफ़स्सिले जैलके नालिशरूजूअ करसक्ते हैं आम इससे कि नालिशमें शय दावा निज़ाई हो या न हो—

(अलिफ) मौकूफी किसी अमीनकी—

(बे) तकर्रुर नये अमीनका—

(जीम) हवाला किया जाना किसी जायदादका अमीनको—

(दाल) हुक्म देना तैयारी हिसाबात और तहक़ीक़ातका—

(हे) क़रार देना कि जायदाद अमानतीका किस क़दर हिस्सा या हक़ किसी खास ग़रज़ अमानत के वास्ते अलाहिदः किया जायगा—

(वाव) इस बातकी इजाज़त देना कि कुल या कोई जुज़ जायदाद अमानती किराया पट्टापर दियाजाय या बै किया जाय या रिहन रक्खाजाय या बदल लियाजाय—

(जे) क़रार देना जवाबितका—

(हे) या दादरसी मज़ीद या और किसी तरह की ऐसी दादरसी करना जो ब नज़र नौअयत मुक़द्दमे के ज़रूरीहो— नंबर २० सन् १८६३ ई०

(२) सिवाय उसके जैसा कि ऐक्ट वोक़ाफ़ मज़हबी सन् १८६३ ई० की दफा १४ में हुक्म है कोई नालिश निस्बत हसूल किसी दादरसी मिसरह दफा तहती (१) दफा हाज़ा के किसी अमानत मिसरह दफा तहती मज़कूरकी निस्बत दायर नहीं कीजायगी सिवाय बमुताबिक़त अहकाम उसी दफा तहती के—

दफ़ा ९३— इख्तियारात जो दफा ९१ वा ९२ की रूसे येडोकेट जनरल को दिये गये हैं जायज़ है कि बलाद प्रेसीडेंसी के बाहर बाद हसूल मंजूरी लोकलगवर्नमेन्ट के साहब कलक्टर भी या वह ओहदेदार जिसे लोकल गवर्नमेन्ट इस काम के लिये मुक़र्रर करै अमल में लाये— दफ़ा ५३९ फिकरे आखीर

नफाज इख्तियारात येडोकेट जनरल बेरूं बलाद प्रेसीडंसी

हिस्सा ६

कार्रवाई हाय ज़ब्ती—

दफ़ा ९४— ताकि अग़राज़ इन्साफ में किसी तरह का हर्ज व नुक़्सान न आने पाये अदालत मुक़द्दमा की किसी नौबत पर अमूर मुफ़स्सिले ज़ैल करसक्ती है अगर उनके करने का हुक्म हो—

कार्रवाई हाय ज़ब्ती—

(अलिफ) जारी करना वारन्ट गिरफ़्तारी मुद्दाअलयका और उस को अदालतके रूबरू हाज़िर करना कि वह वजह दिखाये कि उससे ज़मानत वास्ते उसकी हाज़िरी के क्यों न दाखिल कराई जाय और अगर वह किसी हुक्म मुत्तज़म्मिन अदखाल ज़मानत की खिलाफ़ वरज़ी करे तो अदालत उसको जेलखाने दीवानी में भेजे—

(बे) सादिर करना हुक्मका बनाम मुद्दाअलय बाबत अदखाल ज़मानत निस्बत उसके कि वह कोई जायदाद ममलूकःखुद अदालत में पेशकरे और उसकी निस्बत राय अदालत पर कार बन्दहो या हुक्म कुर्की निस्बत किसी जायदाद के सादिर करना—

(जीम) सदूर हुक्म इम्तिनाई चंदरोज़ा और दरसूरत न फ़रमानी हुक्म मज़कूर उस शख़्स को जो न फ़रमानी करे जेलखाने दीवानी में भेजना और हुक्म देना कि उसकी जायदाद कुर्क और नीलाम कीजाय—

(दाल) किसी जायदाद कारसयूर मुकर्रर करना और यह हुक्म देना कि अगर वह अपनी खिदमात अच्छी तरह न बजाय लायगा तो उसकी जायदाद कुर्क और नीलाम कीजायगी—

(हे) ऐसे दीगर अहकाम दरमियानी सादिर करना जो अदालत को क़रीन इन्साफ और आसान मालूमहों—

दफ़ा ९५— (१) अगर किसी मुक़द्दमे में जिसमें गिरफ़्तारी या

मिलने वजह हस्ब गिरफ्तारी या कुर्की या हुक्म इम्तिनाई व वजह गैरकाफी--

कुर्की हुई हो या कोई हुक्म इम्तिनाई चंदरोजा हस्ब दफा ऐन माकूल सादिर हुआ हो—

(अलिफ) अदालत को दरयाफ़्तहो कि दरख़्वास्त गिरफ़्तारी या कुर्की या हुक्म इम्तिनाई मजकूरकी बवजूह गैर काफी कीगई थी—

(बे) या अगर मुद्दई की नालिश साबित न हो और अदालत को दरयाफ़्त हो कि नालिश रुजूअ करने की कोई वजह माकूल या गालिबन् न थी—तो मुद्दाअलय अदालत में दरख़्वास्त गुजरां सकता है और अदालत मजाज़होगी कि दरख़्वास्त मज़कूर पर अपने हुक्म में मुद्दई के ज़िम्मे उस क़दर रुपया जो एक हजारसे ज़्यादा न हो और जो मुद्दाअलय के लिये बयवज़ उस खर्चः या नुक़्सान के जो उसके लाहक़ हाल हुआहो माविजा माकूल मालूमहो आयद करै—

मगर शर्त यह है कि अदालत इस दफ़ाके बमूजिब उस क़दर रुपया नहीं दिलासक्ती है जो उसके इख्तियारात नक़्दी से बढ़के हो—

(२) अगर किसी हुक्मकी रू से तस्फिया किसी दरख्वास्त मज़कूर का कर दियाजाय तो बाबत उसी कुर्क़ी या गिरफ़्तारी या हुक्म इम्तिनाई के फिर नालिश माविजा की नहीं होसक्ती है—

हिस्सा ७

अपील—

अपील बिनाराज़ी डिगरियात इब्तिदाई—

अपील बनाराज़ी डिगरियात इब्तिदाई—

दफ़ा ९६—सिवाय उस सूरत के कि खास मजमूअय हाज़ा या किसी और क़ानून मजरिये वक्तमें कोई और हुक्म शरीह हो और सूरतों में अपील बिनाराज़ी डिगरियात या किसी दफा ५४०

हिस्से डिगरियात अदालत हायजी इख्तियार समाअत इब्तिदाई के उन अदालतों में दाखिल होसकेगा जो अदालत हाय समाअत इब्तिदाई के फ़ैसलों की नाराज़ी से अपील सुनने की मजाज हैं—

(२) अपील बिनाराज़ी डिगरी इब्तिदाई यक तरफ़ा भी दाखिल होसकेगा—

(३) कोई अपील उस डिगरी की नाराजी से रजूअ न होगा जिस को अदालत ने बरिजामन्दी फ़रीकैन सादिर कियाहो—

अपील बनाराजी डिगरी क़तई जब कि डिगरी इब्तिदाई की कोई अपील न हो—

दफ़ा ९७—अगर कोई फरीक किसी डिगरी इब्तिदाई से अपनी हक़तलफी समझे जो बाद नफाज मजमूअः हाज़ाके सादिर कीजाय और वह उस डिगरीका अपील न करे तो किसी ऐसे अपील में जो क़तई डिगरी की नाराज़ी से रजूअ कियाजाय वह फरीक़ डिगरी इब्तिदाई और मज़कूर की सेहत में कुछ तअरज़ न करसकेगा—

तजवीज जब कि अपील की समाअत दो या ज़्यादा जजकरें—

दफ़ा ९८—(१) जब कोई अपील दो या ज़्यादा जजों की इजलास में समाअत कियाजाय तो अपीलकी तजवीज मुताबिक राय उन जजों के या मुताबिक़ कसरत राय (अगर कोई हो) उन जजों के सादिर कीजायगी—

(२) अगर तजवीज में कसरतराय का इत्तफाक़ वास्ते तब्दीली या मन्सूखी उस डिगरी के न हो जिसकी नाराज़ी से अपील दायर हुवाहो तो वह डिगरी बहाल रक्खी जायगी—

मगर शर्त यह है कि अगर अपील उस अदालत के दो जजों के इजलास में समाअत कियाजाय जिसमें दो से ज़्यादा जज हों और दोनों जज मजकूर इजलास कुनिन्दः के दरमियान किसी अम्र क़ानूनी के बाबत इख्तिलाफ रायहो तो जायज है कि जिस अम्र क़ानूनी की बाबत इख्तिलाफ़ रायहो वह उसको तहरीर करें और बाद अज़ां उस अपील को सिर्फ उसी अम्र क़ानूनी पर उस अदालत के दीगर जजों में से एक या ज़्यादा जज समाअत करेंगे और फ़ैसला अम्र मजकूर मुताबिक़ कसरत राय (अगर कोईहो) उन जजों के होगा जिन्होंने अपील की समाअत की हो मय उनकी जिन्होंने उसकी समाअत पहिले की थी—

दफ़ा ६६—कोई डिगरी इस वजह से मन्सूख या नफस्सुल अम्र में बदल न जायगी और न कोई मुक़द्दमा वसीगै अपील इस जिहत से वापिस कियाजायगा कि इस्तिमाल बेजा फरीक़ैन या बिना हाय दावा का हुआहै या मुक़द्दमा की किसी कार्रवाई में कोई ऐसी खता या सुकम या बेजाब्तगी हुई है कि जो रूयदाद मुक़द्दमा या हद्द इख़्तियार अदालत की मुखिल न हो— दफा ५७८

डिगरी बसबब ऐसी गलती या बेजाब्तगी के जो रूयदाद मुक़द्दमे या हद्द इख्तियार अदालतकी मुखिल न हो मन्सूख या बदल न जायगी—

अपील बिनाराज़ी डिगरियात अपील—

दफ़ा १००—(१) सिवाय उस सूरत के कि खास मजमूआ हाज़ा या किसी और क़ानून नाफिज़ुलवक़्त में कोई और हुक्म शरीहहो हर डिगरी जो वसीगा अपील किसी अदालत मातहत हाई-कोर्ट से सादिर हो उसका अपील अदालतुलआलिया हाईकोर्ट में वजूह मुन्दर्जेजैल से किसी वजह पर होसक्ताहै—याने दफा ५८४

अपीलसानी--

(अलिफ) यह कि तजवीज़ बरखिलाफ किसी क़ानून या ऐसे रिवाज़ के है जो हुक्म क़ानून रखती है—

(बे) यह कि तजवीज में तस्फिया फलां ज़रूरी अम्र तनक़ीह तलब मुतअल्लिक क़ानून या रिवाज़ का जो हुक्म क़ानून का रखताहै नहीं हुआ—

(जीम) यह कि कोई गलती अजीम या सिकमज़ाब्ता महकूमा मजमूआ हाजा या दीगर क़ानून नाफिज़ुल वक़्त वाक़ै हुआ जिसके सबब से मुमकिनहै कि कोई ग़लती या सुकम मुक़द्दमे की तजवीज रूयदादी में पैदाहुआ हो—

(२) इस दफ़ाके बमूजिब डिगरी अपील यकतरफाकाभी अपील दायर होसकेगा—

दफ़ा १०१—कोई अपील सानी बजुज उन वजूह के जो कि दफा १०० में मजकूर हुई किसी और वजह की बिनापर रजूअ न होगा— दफा ५८५

अपील सानी किसी और वजह की बिना पर रजूअ न होगा-

दफ़ा १०२— किसी मुक़द्दमा अज़क़िस्म क़ाबिल समाअ़त अदालत हाय मतालबा ख़फ़ीफ़ा में अपीलसानी न होगा जब तादाद या मालियत शय मुतदाविहाकी असल नालिश में पांचसौ रुपयेसे ज्यादा न हो—

मुक़द्दमात में अपीलसानी नहीं होगा

दफ़ा १०३— किसी अपील सानी में हाईकोर्ट मजाज़है कि अगर शहादत मुन्दर्जे मिस्ल काफ़ीहो तो किसी ऐसी तनक़ीह वाक़याकी तजवीज़ करदे जो अपील के फ़ैसलाके लिये ज़रूरी हो लेकिन अदालत अपील मातहतने उसको तै न कियाहो अपील बिनाराज़ी अहकाम—

इख़्तियार हाईकोर्ट निस्बत तजवीज़तनक़ीहात वाक़ि—

दफ़ा १०४— (१) सिर्फ़ अहकाम मुन्दर्जे ज़ैलका अपील दायर होसक्ताहै और सिवाय उस सूरत के कि ख़ास मजमूअ़य हाज़ा या किसी और क़ानून नाफ़िज़ुलवक़्त में कोई और हुक्म सरीह हो किसी और अहकाम अपील दायर नहीं होगा—

अहकाम जिनकी नाराज़ीसे अपील होसक्ता है—

(अलिफ़) हुक्म मुतज़म्मिन इनफ़िसाख़ कार्रवाई सालसी जबकि फ़ैसला उस मुद्दत में पूरा न हो जो अदालत की तरफ़ से मुक़र्रर हो—

(बे) हुक्म बर तरक फ़ैसला सालसी जो मुक़द्दमा या उसकी शकल में तहरीर करके दियाजाय—

(जीम) हुक्म मुतज़म्मिन तरमीम या तशरीह फ़ैसला सालसी—

(दाल) हुक्म मुतज़म्मिन मंज़ूरी या न मंज़ूरी अदख़ाल इक़रारनामा हवालगी बसालसी—

(हे) हुक्म मुतज़म्मिन मंज़ूरी या न मंज़ूरीइलतवाये नालिश जब कि कोई इक़रारनामा हवालगी बसालसी का हुवाहो—

(वाव) हुक्म मुतज़म्मिन मंज़ूरी या न मंज़ूरी फ़ैसला किसी ऐसी सालसी में जो बग़ैर दस्तन्दाज़ी अदालतके हुई हो—

(जे) हुक्म मसदरह तहत दफ़ा ९५—

(हे) हुक्म हस्ब शरायत मजमूअ़ह हाज़ा मुशअ़र इनफ़ाद करने जुर्माना या बाबत गिरफ़्तारी या क़ैद किसी शख़्स के

दीवानी जेल में सिवाय उस सूरतके कि वह क़ैद सीग़ा इजराय डिगरीसे हो—तो

(तो) कोई ऐसा हुक्म जो कवाअद के बमूजिब सादिर हुआ हो और जिस के अपील के निस्बत कवाअद मजकूर में सराहद के साथ इजाजत हो—

(२) कोई अपील किसी ऐसे हुक्म का दायर नहीं होगा जो इस दफा के बमूजिब अपील में सादिर हो— दफा ५९१

दीगर अहकाम—

दफ़ा १०५—(१) सिवाय उस सूरत के कि कोई हुक्म शरीह खिलाफ इसके पायाजाय कोई अपील बनाराज़ी ऐसे हुक्म के मसमूअ न होगा जो किसी अदालत ने बतामील अपने इख़्तियार समाअत इब्तिदाई या अपील के सादिर किया हो लेकिन जिस हालमें कि डिगरी का अपील हो तो जायज़है कि जो ग़लती या सिकम या बेजाब्तगी किसी हुक्मकी ऐसी कि मुक़द्दमे की तजवीज़ पर मुवस्सिर हो वह याद्दाश्त अपील में बतौर एक वजह उजर के बयान कीजाय—

(२) बावस्फ मजमून मुन्दर्जे दफा तहती (१) के अगर कोई फ़रीक़ जो किसी ऐसे हुक्म वापसी मुक़द्दमे से नाराज़ हो जो बाद नफ़ाज ऐक्ट हाज़ा सादिर कियाजाय और जिसका अपील दायर होसक्ताहो और फ़रीक़ मज़कूर अपील दायर न करे तो वह बाद अज़ां उसकी सेहत में तरुज़ न करसकैगा—

अपील किस अदालत में सुनाजायगा—

दफ़ा १०६—अगर अपील किसी हुक्म का जायज़हो तो वह उस अदालत में सुना जायगा जिसमें अपील बनाराज़ी डिगरी मस्दरः उस मुक़द्दमे के सुनाजाता जिस मुक़द्दमे में वह हुक्म सादिर हुआहो या अगर ऐसा हुक्म किसी अदालत ने (जो हाईकोर्ट न हो) बतामील इख़्तियार समाअत अपीलके सादिर किया हो तो अपील हाईकोर्ट में दायर होगा— दफा ५८६

अहकाम आम मुतअल्लिक़ अपील

इख़्तियारात अदालत अपील—

दफ़ा १०७—(१) बपाबन्दी शरायत व क़यूद मुक़र्ररः के अदालत अपील मजाज होगी—केः— दफा ५८२ फ़िक़रे अव्वल—

(अलिफ़) मुक़दमे को क़तई तौरपर फ़ैसलकरै—
(वे) मुक़दमे को वापिस करै—
(जीम) तनक़ीहात क़ायम करै और उनको तहक़ीक़ात के वास्ते सिपुर्दकरै—
(दाल) शहादत मजीदले—या ऐसी शहादत के लेने का हुक्मदे—
(२) वपाबन्दी मज़कूरःबाला अदालतअपीलको वही इख़्तियारात हासिलहोंगे और हत्तुल मक़दूर वही ख़िदमात अंजाम देने पड़ेंगे जो इस मजमूअय की रूसे अदालत हाय समाअत इब्तिदाई को उन मुक़दमातमें हासिलहैं और उनपर आयद कीगई हैं जो उनमें दायर हों—

५८७ दफ़ा १०८—अहकाम उस हिस्से के जो उन अपीलों से मुतअल्लिक़ हैं जो डिगरियात इब्तिदाई की नाराज़ी से दायर किये जायँ जहांतक मुमकिन होगा जैलके अपीलों से मुतअल्लिक़ होंगे—याने

९० ज़ाब्ते उन अपीलों में जो डिगरियात वअहकाम अपीलकी नाराजीसे दायर कियेजायँ

(अलिफ) अपील बनाराजी डिगरियात अपील है—और
(वे) उन अहकाम के अपील जो मजमूआ हाजा की रू से या किसी ऐसे उस कानून खास या मुखतसुल मुक़ाम की रूसे सादिर हों जिसमें कोई मुख़्तलिफ जाब्ता मुक़र्रर न हो—

अपील बहुज़ूर मुल्क मोअज़्ज़िम बइजलास कौंसल—

५९५ दफ़ा १०९—वपाबन्दी उन क़वायद के जो वक़्तन् फवक़्तन् आला हज़रतमुल्क मोअज़्ज़िम वइजलास कौंसल से दरबाब अपील अज अदालतहाय वृटिश इण्डियाके मुनज़बित हों और उन वपाबन्दी उन अहकाम के जो वादअज़ीं मुन्दर्ज हैं अपील बहुज़ूर मुल्क मोअज़्ज़िम इजलास कौंसल रजूअ होगा—

कब अपीलबहुज़ूर मुल्क मोअज़्ज़िम बइजलास कौंसल दायर होसकेंगे—

(अलिफ) बनाराज़ी हर डिगरी या हुक्म अख़ीर के जो नसीरी अपील अदालत हाईकोर्ट या और ऐसी अदालतसे सादिर हो जिसे इख़्तियार अख़ीर अपीलकी समाअतका है—

(बे) बनाराजी हर डिगरी या हुक्म अखीर के जो अदालत हाईकोर्ट से बतामील इख़्तियार समाअत इब्तिदाई सीगा दीवानी के सादिर हो—और

(जीम) बनाराजी हर डिगरी या हुक्म के उस हालमें कि जैसा बाद अर्जी बयान कियागया है यह तसदीक़ कियाजाय कि मुक़द्दमे का अपील लायक़ समाअत आला हज़रत मलिक मोअज़्ज़िम व इजलास कौंसल के हैं—

दफ़ा ११०— हर सूरत मुतज़िकरह फ़िक़रः (अलिफ) व (बे)

मालियतशय मुतनाज़आफ़िया | दफ़ा १०६ में ज़रूर है कि तादाद या मालियत से मुतनाज़आफिया की मुक़दमःमरजूआ अदालत मराफ़ियाऔला दशहज़ार रुपया या उससे ज़्यादाहो और तादाद या मालियत शय मुतनाज़आफिया की उस अपील में जो बहज़ूर आली हजरत मलिक मोअज़्ज़िम व इजलास कौंसल रजूअ कियाजाय व तादाद मजकूर या उससे ज़्यादाहो— दफ़ा ५६६

या डिगरी या हुक्म अखीर सराहतन या और निहजसे मुतज़म्मिन किसी दावा या बहस मुतअल्लिक़ःया बाबत जायदाद उसी तादाद या मालियत के हो—

और जिस हाल में कि डिगरी या हुक्म आखीर अपीलशुदः मुतज़म्मिन बहाली तजवीज़ उस अदालत के हो जो खास मातहत अदालत सादिर कुनिन्दः डिगरी या हुक्म आखीर मज़कूरके है तो ज़रूर है कि अपील मुतज़म्मिन किसी बहस अमरअहम क़ानूनीके हो—

दफ़ा १११— बावजूद किसी इबारत मुन्दर्जे दफा १०६ के कोई

कौन अपील नहीं दायर होसक्ता | अपील बहज़ूर आला हजरत मलिकमोअज़्ज़िम व इजलास कौंसल रजूअ न होगा— दफ़ा ५६७

(अलिफ) बनाराजी ऐसी डिगरी या हुक्म के जो अदालत हाईकोर्ट मुक़र्ररः हस्ब ऐक्ट अदालत हाय हाईकोर्ट हिन्द सन् १८६१ ई० के एक जज के तजवीज से या किसी ड्यूवीज़न कोर्ट के एक जजकी तजवीजसे सादिर हुवाहो या हाईकोर्ट मजकूरके दो या कई जजोंकी तजवीजसे या ऐसे डवीजन कोर्टकी तजवीज़से सादिर हुवाहो जो हाईकोर्ट २४ व २५ विक्टोरिया बाब १०४

मज़कूर के दो या कई जजों से मौजूम हो अगर वह जज बाहम बतादाद मसावी मुख़्तलिफुलरायहों और इतने न हों कि मिन्जुम्लः कुल हाकिमान वक़्त अदालत हाईकोर्ट के कसरत उनकी तरफहो—या

(बे) बनाराज़ी ऐसी डिगरी के जिसका अपीलसानी दफ़ा १०२ की रूसे न होसक्ताहो—

ा ६१६ दफ़ा ११२—(१) मजमूअःहाज़ाकी कोई इबारत ऐसी न समझी जायेगी कि—

मुस्तस्नियात्

(अलिफ) मान अमल में लाने उस इख़्तियार कुल्ली और बिला क़ैद की है जो आली हज़रत मलिकमोअज़्ज़म को दरबाब मंज़ूरी या नामंज़ूरी अपील मरजूआ हज़ूर मलिकमोअज़्ज़म इजलास कौन्सल के हासिल है या किसी और निहजपर—

(बे) या मुख़िल किसी क़वायद मरतबा जुडीशल कमेटी पिरेवी कौन्सल नाफिज़ह वक़्तकी है जो बहज़ूर मलिक मोअज़्ज़म इजलास कौन्सल अपीलों के पेश होनेके बाब में या जुडीशल कमेटी मज़कूर के हज़ूर उन अपीलोंकी कार्रवाई के बाब में हैं—

(२) मजमूअः हाज़ा की कोई इबारत किसी मामिलः मुतअल्लिक़ इख़्तियारात फौज़दारी या ऐडमरलटी या वायस ऐडमरलटीसे या अपील हाय बनाराज़ी अहकाम व डिगरियात परायज कोर्ट से मुतअल्लिक़ न होगी—

हिस्सा ८

इस्तिसवाब तजवीज़सानी व निगरानी

६१७ दफ़ा ११३—अमलहूजी उन शरायत व क़यूद के जो मुक़र्रर की जायँ कोई अदालत मुक़द्दमः की कैफियत लिखकर मुक़द्दमः को हाईकोर्टमें इस्तिसवाबन भेजसक्ती है और

इस्तिसवाब अज़ हाई-कोर्ट

उसपर हाईकोर्ट ऐसा हुक्म सादिर करैगी जो उसको मुनासिब मालूमहो—

दफ़ा ११४—बमलहूजी मजकूरःवाला जो शख़्स अपनी हकतलफी समझै— दफ़ा ६०३

दरख़्वास्त तजवीज

(अलिफ) किसी डिगरी या हुक्म से जिसका अपील अजरूये मजमूअः हाजा जायज है मगर जिसका अपील हिनोज़ दायर न हुवाहो—

(बे) किसी डिगरी या हुक्म से जिसका अपील इस मजमूअः की रूसे जायज़ नहीं है—या

(जीम) किसी फैसलह से जो अदालत मतालबा खफीफ़ाके इस्तिसवाब पर सादिर हुवाहो—

तो उसको इख़्तियारहै कि उस अदालत में जिसने डिगरी या हुक्म सादिर कियाहो तजवीजसानी की दरख़्वास्तकरै और अदालत इस पर जो हुक्म मुनासिब समझै सादिर करैगी—

दफ़ा ११५—हाईकोर्ट मजाज़ है कि मिसल किसी मुक़द्दमः की कि जिसको किसी अदालत मातहत हाईकोर्ट मज़कूरने फैसल कियाहो और जिसका अपील हाईकोर्ट में नहीं होताहै अपने पास तलब करै और अगर यह जाहिरहो कि अदालत मातहत मज़कूरने— दफ़ा ६२२

हाईकोर्ट उन मुक़द्दमातकी मिसल तलब करसक्ती है जिनका अपील हाईकोर्ट में न हो सक्ताहो

(अलिफ़) वह इख़्तियार नाफिज किया जो उसको क़ानूनन् हासिल न था—या

(बे) जो इख़्तियार उसको क़ानूनन् हासिल था उसे अमल में नहीं लाये—या

(जीम) अपने इख़्तियारातकी तामील में खिलाफ क़ानून कार्रवाई की या कोई बेजाब्तगी अजीमकी—

तो हाईकोर्ट मुक़द्दमः में ऐसा हुक्म सादिर करैगी जो मुनासिबहो—

हिस्सा ९

अहकाम ख़ास मुतअ़ल्लिक़ः अदालत हाय हाईकोर्ट-मुक़र्ररः हस्ब सनदशाही—

। ६३१ दफ़ा ११६—यह हिस्सा सिर्फ़ उन अदालत हाय हाईकोर्ट से मुत
व २५ वि- अ़ल्लिकहै कि जो हस्ब ऐक्ट हाईकोर्ट हाय हिन्द सन्
रिया वाव १८६१ ई० के मुकर्रर हैं या आयन्दः हों—

हिस्स. हाज़ाका तअ़ल्लुक़ज़रूर बाज़ हाईकोर्टों से होगा

। ६३३ दफ़ा ११७—बजुज़ उसके जिसका कि हिस्सा हाज़ा या हिस्सा १० या क़वाएद में बयान है अहकाम इस मजमूअः के अदालत हाय हाईकोर्ट मज़कूर से मुतअ़ल्लिक़ होंगे—

मजमूअ. हाज़ाका तअ़ल्लुक़ हाईकोर्ट से

क़ा ६३४ दफ़ा ११८—अगर किसी अदालत हाईकोर्ट मज़कूरकी दानिस्त में यह ज़रूरीहो कि डिगरी जो उसके मामूली इब्तिदाई इख़्तियार समाअ़त सीग़ा दीवानी की तामील में सादिर कीगईहो क़ब्ल अज़आंकि तादाद उस ख़र्चाकी जो मुक़द्दमा में आयद हुआहो अज़रूय तशख़ीस मुतहक़्क़िक़ होसके जारी होजानी चाहिये तो अदालत मौसूफ यह हुक्म देसकेगी कि वह डिगरी फ़ौरन् जारी कीजाये बजुज उस क़दरके जोकि ख़र्चा से इलाक़ा रखती हो और यह कि जिस क़दर डिगरी ख़र्चा से इलाक़ा रखतीहो वह बमुजर्द इसके कि तादाद ख़र्चाकी अज़रूय तशख़ीस मुतहक़्क़िक़हो जारी की जायेगी—

इख़्तियार इजराय डिगरी क़ब्ल मुतहक़्क़िक़ होने ख़र्चाके

६३५ दफ़ा ११९—इस मजमूअ़की किसी इबारत से यह मुतसव्वर न होगा कि वह किसी शख़्सको यह इजाज़त देतीहै कि दूसरे की तरफ से रूबरू अदालत दरहाले कि वह अपने इख़्तियार समाअ़त इब्तिदाई सीग़ा दीवानी की रूसे अमल करतीहो तक़रीर करे या गवाहों से सवाल व जवाबकरे बजुज उस सूरत के कि अदालत व तामील इख़्तियार मफ़विज़ः हस्ब सनद तक़र्रुर अपने के उस शख़्सको इजाज़त इस अमरकी दे—या हाईकोर्टके

मुख़्तार ग़ैर मजाज़ रूबरू अदालत तक़रीर न करसकेंगे

उन इख़्तियारात में जो उसको एडवोकेट और विकलाय और अटरनी के बाबमें कवाअद मुन्ज़बित करनेका हासिलहै मुखिल्ल होतीहै–

दफ़ा १२०—(१) अहकाम जैल अदालत हाईकोर्ट से जब कि वह अपने इख़्तियारात समाअत इब्तिदाई सीगा दीवानी नाफ़िज़ करती हो मुतअल्लिक़ न होंगी यानी दफ़ात १६ व १७ व और २० या दीवालियह– दफ़ा ६३८

अहकाम हाईकोर्टमें मुतअल्लिक़ नहीं है जब कि अदालतमज़कूर इख़्तियारात सीगा दीवानी समाअत इब्तिदाई नाफ़िज़ करती हो

(२) इस मजमूअः की किसी इबारत की तामीलअया तअल्लुक़ हाईकोर्ट के जज से न होगा जब वह अपने इख़्तियारात बतौर इन्साल्वेन्सी कोर्ट के नाफ़िज़ करताहो–

हिस्सा १०

क़वाअद

दफ़ा १२१— जो क़वाअद जमीमः अव्वल में दर्ज हैं और उसी तरह असरपिज़ीर होंगे कि गोया इस मजमूअःमें दाखिलहैं तावक़्ते कि इसी हिस्से के अहकाम के बमूजिब मंसूख़ न होजायँ या बदल न जायँ— जदीद

क़वाअद मुन्दर्ज जमीमा अव्वलका असर

दफ़ा १२२— वह हाईकोर्ट जो ऐक्ट हाईकोर्ट हिन्द सन् १८६१ ई० की रूसे कायम हुई हैं और चीफ़कोर्ट पंजाब दलोदर अज़्क़ा वक़्तन् फ़वक़्तन् मुश्तहर करेंगे बाद क़वाअद निस्बत खुद अपने जाब्तःके और नीज़ निस्बत जाब्तः उन अदालत हाय दीवानी के जो उनके मातहत हों बनासक्ती हैं और उन्हीं कवाअदके बमूजिब कुल या बाज़ कवाअद मुन्दर्जः जमीमःअव्वल को मंसूख़ करसक्ती हैं या बदल सक्ती हैं या उसमें इजाफ़ा करसक्तीहैं– जदीद २४ व २५ विक्टोरिया बाब १६४

बाज़ हाईकोर्ट हायको इख़्तियार वजा क़वाअद

दफ़ा १२३— (१) एक कमेटी जिसका नाम रूल कमेटी होगा बलाद कलकत्ता व मदरास व बम्बई व इलाहाबाद व लाहौर व रंगून में से हर बलदह में क़ायम की जायँगी– जदीद

रूल कमेटियोंका तक़र्रुर बाज़ मुक़ामातमें

(२) हर ऐसी कमेटी में अशख़ास जैल शामिल होंगे–यानी

(अलिफ) तीन जज उस मुक़ाम की हाईकोर्ट के जहाँ कि कमेटी क़ायमहो जिनमें से कमसे कम एक ऐसा हो जिसने ओहदा डिस्ट्रिक्ट जज़ीपर या (पंजाब या ब्रह्मा में) ओहदा डिवीज़नल जजीपर तीन सालतक काम कियाहो—

(बे) एक बैरिस्टर उसी अदालतका—

(जीम) एडोकेट (जो बैरिस्टर न हो) या वकील या प्लीडर उसी अदालत का—

(दाल) एक जज ऐसी अदालत दीवानी का जो उस हाईकोर्ट के मातहत हो—और

(हे) दरसूरत बलाद कलकत्ता व मदरास व बम्बई एक अटरनी—

(३) हर ऐसी कमेटी के मेम्बरों को साहब चीफ़ जस्टिस या चीफ जज मुक़र्रर करेंगे और वही उनमें से एक शख़्स को प्रेसीडंट नामजद करेंगे—

मगर जिस सूरत में कि खुद साहब चीफ जस्टिस या चीफ जज कमेटीके मेम्बर होना चाहें तो और जज जो मेम्बर मुक़र्रर किये जायँ तादाद में दो होंगे और साहब चीफ जस्टिस या चीफ जज कमेटी के प्रेसीडंट होंगे—

(४) हर मेम्बर ऐसी कमेटीका बहैसियत मेम्बरी उतने अर्सातक रहेगा जो साहब चीफ जस्टिस या चीफ जज की तरफ से इस बारह में मुक़र्रर करदियाजाये—और जब कभी कोई मेम्बर अपनी खिदमत से किनारहकश हो या इस्तीफा दे या फौत करे या उस मुक़ाम पर कि जहां कमेटी कायम हो न रहे या कमेटी की मेम्बरी की क़ाबिलियत उसमें बाक़ी न रहे तो साहब चीफ जस्टिस या चीफ जज मज़कूर उसकी जगह किसी दूसरे शख़्स को मेम्बर मुकर्रर करसक्ते हैं—

(५) हर ऐसी कमेटी के वास्ते एक सेक्रटरी भी मुक़र्रर किया जायगा जिसका तक़र्रुर साहब चीफ जस्टिस या चीफ जज करेंगे और उसको वह तनख़्वाह मिलेगी जो नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल या लोकल गवर्नमेन्ट के हुक्म से यानी जैसा मौक़ा हो इस बारह में मुक़र्रर कीजाय—

दफ़ा १२४— हर रूलकमेटी एक रिपोर्ट उस हाईकोर्ट की खिदमत में जो उस बलदह में क़ायम है जहां कि क़मेटी क़ायम की गई है निस्वत तजवीज मंसूखी या तब्दीली या इजाफा क़वाअ़द मुन्दर्जः जमीमा अव्वल या निस्वत बनाने नये क़वाअ़द के पेश करेगी और हाईकोर्ट उस रिपोर्टपर गौर करेगी क़ब्ल इसके कि क़वाअ़द दफ़ा १२२ के बमूजिब बनाये जायें— जदीद

रिपोर्ट कमेटी बखिदमत हाईकोर्ट

दफ़ा १२५— हाईकोर्ट सिवाय उनके जिनका जिक्र दफ़ा १२२ में है वह इख़्तियारात जो उस दफ़ाकी रूसे अता हुएहैं उस तरीक़ा व शरायत के बमूजिब अमल में लासक्ती हैं जो नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल मुक़र्रर करें— जदीद

दीगर हाईकोर्टों के इख़्तियारात निस्वत वज़ाक़वायद

मगर यह होसक्ता है कि कोई ऐसी हाईकोर्ट इश्तिहार देने के बाद ऐसा क़ायदा बनाये जिसकी रूसे वह अपने इख़्तियारातकी हदूद अर्ज़ी के अन्दर उन क़वाअ़द में से किसी की तौसीअ़ करे जो किसी दूसरी हाईकोर्टने वज़ा कियेहों—

दफ़ा १२६—जो क़वाअ़द दफ़ात मज़कूरह बालाकी रूसे बनायेजायें उनके वास्ते हुक्काम जैलकी मंजूरी लेना ज़रूरी होगी- यानी जदीद

क़वाअ़द ताबअ मंजूरी होंगे

(अलिफ) अगर क़वाअ़द किसी ऐसी हाईकोर्टकी तरफ से बनायेजायें जो ऐक्ट हाईकोर्ट हिन्द सन् १८६१ ई० की रूसे मुक़र्रर हुईहो तो मंजूरी उस हाकिमकी जिसकी तसरीह दफ़ा १५ ऐक्ट मज़कूर में इन क़वाअ़दकी निस्वतहै जो उसी दफ़ाके बमूजिब बनायेजायें— दफ़ा २४ व २५ विक्टोरिया बाब १६४

(बे) अगर क़वाअ़द किसी दूसरी हाईकोर्टकी तरफ से बनाये जायें तो लोकल गवर्नमेन्टकी मंजूरी—

दफ़ा १२७—जो क़वाअ़द इसी तरहपर वज़ा कियेजायें और मंजूर कियेजायें वह गजट आफ इण्डिया या गजट सरकारी मुक़ामी में मुश्तहर होंगे यानी जैसा मौक़ाहो—और तारीख मुश्तहरी से या किसी दीगर तारीख मखसूस से उनका असर उस हाईकोर्टके इलाक़ा जदीद

क़वाअ़दकी मुश्तहरी

अर्ज़ीके अन्दर कि जिसने उन्हें बनायाहो ऐसाही होगा गोया कि वह ज़मीमये अव्वल में दाखिल हैं—

दफ़ा १२८—(१) ऐसे क़वाअद अहकाम मजमूअः हाज़ाके खिलाफ न होंगे बल्कि बरिआयत उन्हीं अहकामके उन अमूरकी निस्बत होंगे जो ज़ाब्तः अदालत हाय दीवानी से मुतअल्लिक हैं—

मामिलात जिनकी निस्बत क़वाअद बजा हो सक्ते हैं

(२) बिल्खसूस और बग़ैर इसके कि उन इख्तियारातकी अमूमियत में कुछ फ़र्क़ आये जो दफ़ा तहती (१) की रूसे अता हुएहैं कवाअद मज़कूर निस्बत जुम्ला या बाज अमूर ज़ैलके होंगे—यानी

(अलिफ) तामील सम्मन व नोटिश व दीगर हुक्मनामों की बज़रिये डाक या किसी दूसरे तरीक:पर और ख्वाह आम तौरपरहो या बतअल्लुक रक़बात खासके-और सबूत ऐसी तामीलका·

(बे) खिलाई पिलाई और हिफाज़त बहालत कुर्की जानवरों और दीगर माल मन्कूलाकी और फीस निस्बत हिफाज़त और खिलाई पिलाई मजकूरके और नीलाम जानवरों और जायदाद मजकूरका और मुहासिल नीलाम मजकूर—

(जीम) निस्बत उन कार्रवाइयों के जो नालिशात मुकाबिल में की जायें और तख्मीन मालियत नालिशात मजकूरकी वास्ते अगराज इख्तियारात समाअतके—

(दाल) निस्बत जाब्तः मौसूमवगारनेशी और चार जंग आर्डरके जो ख्वाह अलावह कुर्की व नीलाम जर हाय क़र्ज़ाके हो या बजाय उसकेहो—

(हे) निस्बत उस ज़ाब्तःके जब कि मुद्दाअलेह दावीदार इस्तहक़ाक़ हिस्सा रसदी का हो या मुआविज़ा नुकसान का व खिलाफ किसी शख्सके ख्वाह वह शख्स फरीक़ मुक़द्दमा हो या न हो—

(वाव) निस्बत ज़ाब्तः सरसरीके उन नालिशात में जिनमें मुद्दई सिर्फ वसूलयाबी जर क़र्ज़ा या जर मतालिबा मुअय्यना

का मुद्दाअलेह से साथ या बग़ैर सूदके ख्वाहहो दरहाले कि नालिश अमूर मुफस्सिलः जैलपर मुबनीहो—

(१) बर बिना किसी मुआहिदः शरीह या मानवीके—

(२) या बर बिना एक इक़रारनामाके जब कि रक़म जो वसूल होने वालीहो एक रक़म मुक़र्ररहो या ऐसा क़र्ज़ाहो जो अज़ क़िस्म तावानके न हो—

(३) या बर बिना जमानतके जब कि दावा मालिकपर निस्बत सिर्फ ज़र क़र्ज़ा या जर मतालिबः मुअइयनाके हो—

(४) या बर बिनाय अमानत—

(५) या उन नालिशात में जिनको जिमींदार बाबत वसूलयाबी जायदाद मन्कूलःसाथ या बग़ैर दावा जर लगान (या किराया) या वासिलातके उस आसामीपर दायरकरे जिसकी मीआद कब्ज़ः गुजर गईहो या बजरिये नोटिश बेदखली खतम होगईहो या बसबब न अदा करने लगान (या लगान) के लायक़ मंसूखी होगईहो—या उन अशखासपर दायर करे जो आसामी मज़कूर के जरिये से दावीदारहों—

(जे) निस्बत ज़ाब्तः इजराय सम्मनके—

(हे) निस्बत इज्तिमाअ नालिशात व अपील व दीगर कार्रवाइयोंके—

(तो) निस्बत तफवीज़ खिदमात जुडीशल बहमशक्क जुडीशल बग़ैर जुडीशलके किसी रजिस्टरार या " प्रोथोनोटरी " या " मास्टर " या दीगर अफ़सर अदालतको—और

(ये) निस्बत जुम्ला फारम व रजिस्टर व कुतुब व दाखिलजात व हिसाबात के जो वास्ते करने कार्रवाई अदालत हाय दीवानी के ज़रूरी या मुनासिब हों—

इख्तियारात अदालत हाय हाईकोर्ट मुक़र्ररह हस्व सनद शाही निस्बत वज़ा क़वाअद मुतअल्लिक़ अपने ज़ाब्त दीवानी समाअत इब्तिदाई के

दफ़ा १२६— बाबरफ किसी मजमून मजमूअः हाजा के किसी हाईकोर्ट को जो ऐक्ट हाईकोर्ट हाय हिन्द सन् १८६१ ई० की रूसे क़ायम हुई हो इख्तियार है कि वह क़वाअद मुनासिब जो लेटर्सपेटन्टके अहकाम के नक़ीज न हों जिनके जरिये से वह क़ायम हुईहो बग़रज इन्तिज़ाम जाब्तःखुद बतामील अपने इख्तियार स-

दफ़ा ६५२ फिक़र. सोम २४ व २५ विक्टोरिया बाब १०४

माअत इब्तिदाई सीगा दीवानी के मरातिब करे—और इस मजमूअः का कोई मज़मून उन क़वाइद के जो अज़ पुर मवास्सिर नहीं होगा जो बवक़्त नाफ़िज़ होने मजमूअः हाज़ा के जारी हों—

दफ़ा ६५२ फ़िकरः २१२४ व २५ विक्टोरिया बाब १०४ — इख़्तियारात दीगर हाईकोर्ट निस्बत बना क़वाइद मुतअल्लिक़ उमूर दीगर गैर ज़ाब्ता मज़कूर

दफ़ा १३०— जो हाईकोर्ट कि ऐक्ट हाईकोर्ट हाय हिन्द सन् १८६१ ई० के मुताबिक़ न क़ायम हुई हो उसको अख़्तियार है कि बाद हुसूल मंज़ूरी लोकल गवर्नमेन्ट कोई क़ायदा निस्बत किसी मामले दीगर गैर ज़ाब्ते के बनावे जिसको कोई हाईकोर्ट मुक़र्ररः हस्ब ऐक्ट मज़कूर ऐक्ट मज़कूर की दफ़ा १५ की रूसे निस्बत उसी मामले के अपने इलाक़े इख़्तियारात के किसी हिस्से के लिये जो हुदूद बुल्दे प्रेसीडेंसी से बाहर हो बना सक्ता है—

दफ़ा ६५२ फ़िकर• ४५ — मुश्तहरी क़वाइद

दफ़ा १३१— क़वाइद जो दफ़ा १२९ या दफ़ा १३० के मुताबिक़ बनाये जायें गज़ट आफ इण्डिया या गज़ट सरकारी मुक़ामी में याने जैसी सूरत हो मुश्तहर होंगे और तारीख़ मुश्तहरी से या किसी दीगर तारीख़ मख़्सूस से हुक्म क़ानून का रक्खेंगे—

हिस्सा ११

मरातिब मुतफ़र्रिक़

दफ़ा ६४० — इस्तस्ना मस्तूरात या असालतन हाज़िरी अदालत से

दफ़ा १३२— वह मस्तूरात जो हस्बे दस्तूर व रिवाज मुल्क लोगों के सामने होनेपर मजबूर नहीं की जासक्तीं असालतन हाज़िरी अदालत से माफ़ हैं—

(२) लेकिन किसी इबारत मुन्दर्जे दफ़ा हाज़ा से यह न समझना चाहिये कि मस्तूरात मज़कूरा व इजराय हुक्मनामा दीवानी गिरफ्तारी से माफ़ हैं उस सूरत में जबकि उनकी गिरफ़्तारी की इस मजमूअः की रूसे मुमानियत नहीं है—

[illegible] — [illegible]

दफ़ा १३३— (१) लोकल गवर्नमेन्ट मजाज है कि बज़रिये इश्तिहार मुन्दर्जे गज़ट सरकारी मुक़ामी के किसी सूरतको

जो बलिहाज मरतबे के गवर्नमेन्ट मजकूरकी राय में मुस्तहक़ माफीका हो असालतन् हाजिरी अदालतसे माफ करदे—

(२) लोकल गवर्नमेन्ट उन अशख़ास के नाम और सकूनत जो हस्ब मजकूर माफ हुयेहों वक़्तन् फवक़्तन् हाईकोर्ट में इरसाल करेगी और एक फेहरिस्त ऐसे अशखास की अदालत मजकूर में रहेगी और एक फेहरिस्त उन अशखास की जो हाईकोर्ट की अदालत मातहतके इलाके में रहतेहों हर ऐसी अदालत मातहत में रहेगी—

(३) जब कोई शख़्स जो हस्ब मजकूर माफ किया गयाहो इस माफी का इस्तहक़ाक़ पेशकरे और इस वजह से उसका इजहार लेना बजरिये कमीशन के जरूरी हो तो उसे लाज़िम है कि कमीशन का खर्चा अदाकरे बजुज़ उस सूरतके कि जो फरीक उसकी शहादत दिलाना चाहै खुद खर्चा मजकूर अदा करदे—

गिरफ्तारी बजुज इजरात इजराय डिगरी

दफ़ा १३४— अहक़ाम दफआत ५५ व ५७ व ५९ जहांतक मुमकिनहो उन तमाम अशख़ास से मुतअल्लिक़ होंगे जो इस मजमूअः की बमूजिब गिरफ़्तार किये जायें—

गिरफ्तारी व तामील हुक्मनामा दीवानीसे इस्तिस्ना

दफ़ा १३५— (१) कोई जज या मजिस्ट्रेट या और ओहदेदार अदालत हुक्मनामा दीवानी की तामील में उस अदालत में गिरफ़्तार न होसकैगा जब कि वह अपनी अदालत को जाता या उसमें इजलास करता या वहां से वापस आताहो— दफा ६४२

(२) जब कोई मामला किसी ऐसी अदालत के रूबरू पेश हो जो उसपर अख़्तियार समाअत रखती हो या नेकनीयती से बावर करती हो कि उसको अख़्तियार समाअत हासिल है तो फ़रीक़ैन इस मामलेके और उनके विकलः और मुख़्तारान और रिवन्यू एजन्टान व एजन्टान मक़बूला और उनके गवाह जो सम्मनके मुताबिक़ तलब होकर हाजिरहों उस दरमियानमें हुक्मनामा दीवानी के बमूजिब सिवाय उस हुक्मनामा के जिसको अदालत मजकूरने निस्बत तौहीन अदालतके जारी

कियाहो गिरफ़्तार होने से बरी रहेंगे जब वह अदालत मज़कूर में मामला मज़कूरकी गरज़के लिये जातेहों या वहां हाज़िरहों और नीज़ जब इस अदालत से वापस आतेहों—

(३) इस दफ़ाकी दफा तहती (२) की रूसे-मदयून डिगरी उस गिरफ़्तारी से मुस्तस्ना होनेका दावा न करसकैगा जो किसी हुक्म मुतज़म्मिन इजरायफोरी के बमूजिब कीजाय या जब कि मदयून डिगरी मज़कूर इस अमरकी वजह दिखाने के लिये हाज़िरहो कि वह इजराय डिगरी में जेल क्यों न भेजाजाय—

जाना उस सूरत में कि शख़्स गिरफ्तार तलब या जायदाद कुर्की तलब ज़िले के बाहरहो

दफ़ा १३६—(१) अगर कोई दरख़्वास्त गुज़रे कि इस मजमूअः के किसी हुक्मके बमूजिब जो इजराय डिगरी से तअ़ल्लुक न रखताहो कोई शख़्स गिरफ़्तार या कोई जायदाद कुर्क करलीजाय और ऐसा शख़्स या ऐसी जायदाद उस अदालतके इलाक़े हुकूमतकी हुदूद अरज़ीके बाहर रहता या वाक़ैहो कि जिसमें दरख़्वास्त मज़कूर गुजरानी गईहो तो अदालत मजाज है कि हस्ब इख़्तियार राय अपने के वारन्ट गिरफ़्तारी जारी करे या हुक्म कुर्कीका सादिरकरे और एक नकल वारन्ट या हुक्म की मय खर्चः तख़मीनी गिरफ़्तारी या कुर्कीके उस अदालत ज़िला में भेजदे जिसके इलाक़े हुकूमतकी हुदूद अरज़ीके अन्दर वह शख़्स रहता या जायदाद वाक़ैहो—

(२) अदालत ज़िलेको लाज़िम है कि नक़ल और रक़म मज़कूर हासिल होनेपर मारफत अपने अहलकारों के या किसी अदालत मातहत अपने के गिरफ़्तारी या कुर्की अमल में लाये और उस अदालतको जहांसे वारन्ट या हुक्म जारी हुवाहो गिरफ़्तारी या कुर्कीकी इत्तलाकरे—

(३) वह अदालत जो इस दफेकी बमूजिब गिरफ़्तारीकरे शख़्स गिरफ्तार शुदः को उस अदालत में भेजदेगी जहां से वारन्ट गिरफ़्तारी जारी हुवा था इल्ला उस सूरत में कि शख़्स मज़कूर अदालत अव्वल ज़िक्रको वजह काफी इस बातकी कि वह अदालत आखिरुलज़िक्रमें क्यों न भेजाजाये दिखादे—याकि वह ज़मानत काफी अदालत आखिरुल ज़िक्रमें हाज़िर होने

की दाखिलकरे या ज़मानत काफी वास्ते ईफा उस डिगरी के जो अदालत मजकूर से उसके नाम सादिर कीजाये दाखिल करे कि इन दोनों सूरतों में वह अदालत जिसने गिरफ़तारी कीहो उसको रिहाई देगी—

(४) अगर वह शख्स जिसकी गिरफ़तारी या जायदाद मन्कूलः जिसकी कुर्की इस दफाकी रूसे मंजूरहो हाईकोर्ट आफ जो-डीकूचर वाकै फोर्ट वलियम बंगाल या वाकै मदरास या बंबई या चीफकोर्ट लोवर ब्रह्माके इख़्तियारात समाअत इब्तिदाई सीगै दीवानीके हुदूद अरज़ीके अन्दरहो तो नक़ल वारन्ट गि-रफ़तारी या हुक्म कुर्कीकी मय खर्चा तखमीनी गिरफ़तारी या कुर्की मजकूरकी अदालत मतालबे जात खफीफा वाकै कल-कत्ता या मदरास या बंबई या रंगून में भेजी जायगी याने जैसा मौकाहो—और वह अदालत नक़ल और रक़म मज़कूर वसूल होनेपर उसी तरह कार्रवाई करैगी गोया कि एक अदालत ज़िलाहै—

दफ़ा १३७—(१) जो जबान कि बवक़ नाफ़िज़ होने मजमूअः हाज़ाके किसी अदालत मातहत हाईकोर्टकी जबानहो वही उस अदालत मातहतकी जबान उस वक़्तक रहैगी कि लोकल गवर्नमेन्ट दूसरी निहजका हुक्मदे— दफ़ा ६४५

जबान अदालत हाय मातहत

(२) लोकल गवर्नमेन्ट यह क़रार देसक्ती है कि कौन जबान किसी अदालत मजकूरकी जबान समझी जायगी और दरख़्वास्तें जो अदालत मजकूर में गुज़रें और कार्रवाई अदालत किस खतमें तहरीर होगी—

(३) जबकि अहकाम मजमूअः हाज़ा की रूसे यह जरूरीहो या उसकी इजाजत हो कि सिवाय क़लमबन्द किये जाने शहा-दत के कोई चीज अदालत मज़कूर में जब्त तहरीर में आये तो यह तहरीर बज़बान अंगरेजी होगी लेकिन अगर कोई फरीक मुक़दमा उसका वकील अंगरेजी न जानता हो तो उसकी दरख़्वास्त पर उसका तर्जुमा बज़बान अदालत उस

को दिया जायगा और अदालत हुक्म मुनासिब निस्बत दाखिल करने खर्चा तर्जुमा मजकूरके सादिर करेगी—

दफा १८५ अलिफ

लोकल गवर्नमेन्ट शहादत बज़बान अंगरेज़ी क़लमबन्द किये जाने का हुक्म देसक्ती है

दफ़ा १३८—(१) लोकल गवर्नमेन्ट को इख्तियार है कि गजट सरकारी मुक़ामी मे एलान दे कि फलां जज जिसकी तसरीह एलान मज़कूर में हो या जिसपर वह तसरीह सादिक़ आती हो उन मुक़दमात में जिनमें अपील होसक्ती हो शहादत बज़बान अंगरेजी खुद बतरीके मुकर्ररह क़लमबन्द करै—

(२) अगर कोई जज किसी वजह काफी से हिदायत दफा तहती (१) की तामील न करसक्ता हो तो उसको चाहिये कि वजह मज़कूर लिखै और शहादत बरसरे इजलास अपने बयानसे लिखवादे—

दफा १९७

बयान हलफी मे हलफ कौन अशखास देसक्ते हैं

दफ़ा १३९—हर तहरीरी बयान हलफी की सूरत में जो इस मजमूअः के बमूजिबहो—

(अलिफ) हर एक अदालत या मजिस्ट्रेट—

(बे) या वह ओहदेदार दूसरा शख्स जिसको इस कामके लिये हाईकोर्ट मुकर्रर करै—

(जीम) या वह ओहदेदार जो किसी और अदालत से मुकर्रर हुवाहो जिसको लोकल गवर्नमेन्टने इस गरज से इख्तियार आम या खास दियाहो—

मजाजहै कि हलफ तहरीरकुनिन्दः बयान हलफी को दे—

दफा १८९ अलिफ

असेसर बमुकद्दमात जहाजी बहर

दफ़ा १४०—(१) जब कोई मुक़दमा बाबत हक़ बचाने माल जहाज मगरूका या उजरत पहुँचाने जहाज के समुद्र में या बाबत नुक़सान के जो जहाज के टक्कर खाने से पहुँचाहो किसी अदालत ऐडमरलटी या वाइस ऐडमरलटी में पेशहो वह अदालत आम इससे कि वह अपने इख्तियारात इब्तिदाई या इख्तियारात अपील नाफिज करती हो मजाज होगी कि अगर मुनासिब समझे तो खुद और अगर कोई फरीक दरख्वास्त करे तो उस पर लाजिम होगा कि अपनी इमदाद के वास्ते दो शख्स असेसर बाजाब्ताकार

मुताबिक उस कायदे के जो अदालतकी हिदायत से मुकर्रर कियाजाये या मुताबिक तरीके मुकर्ररह के तलब करले और ऐसे अशखास असेसर को लाजिम है कि उसके मुताबिक अयानत करने के लिये हाजिरहों—

(२) ऐसे हर असेसर को उस कदर जर फीस वयवज हाजिरी के और फरीकैन में से उस फरीक की तरफसे दिलाया जायगा जिसकी निस्बत अदालत हिदायत करै या जो मुकर्रर कर दिया जाये—

दफ़ा १४१— अदालत दीवानी के तमाम कार्रवाइयों में इतबा दफ़ा ६४७

मुतफर्रिक कार्रवाई

उस जाब्तेका जो इस मजमूआःमें नालिशात की निस्बत मुकर्रर हुआहै वहांतक होगा जहांतक कि मुमकिन हो—

दफ़ा १४२— तमाम अहकाम व इत्तिलानामाजात जो बमूजिब दफ़ा ६४

अहकाम व इत्तिलानामाजात तहरीरी होंगे

अहकाम मजमूआः हाजा किसी शख्सपर तामील हों या किसी शख्सको हवाला किये जायँ तहरीरी होंगे—

दफ़ा १४३— जब किसी इत्तिलानामा या सम्मन या चिट्ठी पर दफ़ा ६५

महसूलडाक

जो इस मजमूआःकी बमूजिब जारी होकर बसबील डाक रवानःकीजाय महसूल डाक वाजबुल्अदा हो तो वह महसूल और रसूम इसकी रजिस्टरी की रवानगी से पहिले अन्दर मीआद मुअ्इयनः के अदा करनी होगी—

मगर शर्त यह है कि लोकल गवर्नमेन्ट को इख्तियारहै कि बाद हुसूल मंजूरी जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर व इजलास कौंसिल ऐसे महसूलडाक या रसूम या दोनों को माफ करै या कोई शरह रसूम अदालत की मुकर्रर करै जो इसके बदले लीजायगी—

दफ़ा १४४—(१) अगर कोई डिगरी बदल दीजाय या मन्सूख दफ़ा ५८३

दरख्वास्त निस्बत बाजयाफ्त

करदीजाय तो अदालत मराफियःऔला किसी ऐसे फरीककी दरख्वास्तपर जो बाजयाफ्त से या किसी और तरह नफा उठानेका मुस्तहक़हो बाजयाफ्त मजकूर इसतरह करयेगी जिससे ताब इमकान फरीकैनकी वही हैसियत होजाये जो इस सूरत में होती अगर डिगरी या जुज डिगरी मजकूर जो बदला या मन्सूख किया

गयाहो सादिर न हुवा होता—और इस ग़रज़ से अदालत कोई अहकाम सादिर करसक्ती है जिनमें अहकाम निस्बत वापसी खर्चा व अहकाम निस्बत अदाय सूद व तावान व माविज़ा व वासिलात शामिल हैं—जो बवजह तबदील या मन्सूखी मजकूरके ज़रूर होजायँ—

(२) कोई नालिश वास्ते हासिल करने वाज़याफ्त या दीगर दादरसी के जो बजरिये दरख़्वास्त हस्ब दफा तहती (१) के हासिल होसक्ती थी दायर न होसकैगी—

दफ़ा २५२ दफ़ा १४५—जब कोई शख़्स बहैसियत ज़ामिन ज़िम्मेदारहो—

इजरा बनाम जामिन

(अलिफ) किसी डिगरी या उसके किसी जुज़्वोंकी तामीलके लिये—

(बे) या वास्ते वाज़याफ्त किसी जायदादके जो इजराय डिगरी में लीगईहो—

(जीम) या वास्ते अदा करने किसी रक़म या ईफा किसी शर्तके जो किसी शख़्सपर आयद कीगईहो मुताबिक़ हुक्म अदालत जो किसी मुक़द्दमा या ऐसी कार्रवाई में जो इसकी वजह से ज़रूरीहो सादिर हुवाहो—

तो जायज़ है कि डिगरी या हुक्म उसकी ज़ातपर उस हद्दतक कि वह उसका बज़ात खुद ज़िम्मेदार होगयाहै उस तरीक़ेपर जारी कियाजाये जो मजमूअः हाज़ामें इजराय डिगरीके बारे में मुक़र्ररहै—और शख़्स मज़कूर अपीलकी इग़राज़के वास्ते हस्ब मुराद दफा ४७ एक फरीक़ समझा जायगा—

मगर शर्त यहहै कि इत्तिला जिसको अदालत हर सूरतमें काफी समझे ज़ामिनको पहुँचाईजाय—

[illegible] दफ़ा १४६—सिवाय उसके जैसा कि मजमूअः हाज़ा या किसी दूसरे

कार्रवाई [illegible] बनाम [illegible] क़ानून नाफ़िज़ुल वक्तमें खिलाफ इसके हुक्महो अगर कोई कार्रवाई या दरख़्वास्त किसी शख़्सकी तरफ से या बनाम उसके कीजाये या दीजाये तो वह कार्रवाई या दरख़्वास्त ऐसे शख़्स की तरफ से या बनाम उसके कीजासक्ती है या दीजासक्ती है जो उसके ज़रिये से दावा करताहो—

दफ़ा १४७—जुम्ला मुक़द्दमात में जिनमें कोई शख्स नाक़ाबिल जदीद

रजामन्दी या इक़रार-नामा अज तरफ अश-ख़ास नाक़ाबिल—

फरीक़हो कोई रजामन्दी या इक़रार निस्बत किसी कार्रवाईके अगर अदालतकी इजाजत सरीह से रफ़ीक़ या वली दौरान मुक़द्दमः की तरफसे हुआहो इसीतरह मवस्सिर होगा गोया कि शख्स मज़कूर में कोई नाक़ाबिलियत न थी और उसने ख़ुद रज़ामन्दी मजकूरदी या इक़रार मज़कूर किया—

दफ़ा १४८—अगर कोई मुद्दत अजजानिब अदालत वास्ते करने जदीद

तौसीअ मुद्दत

किसी फेलके जो मजमूअः हाजाकी रूसे मुक़र्रर हुआहो या जायज रक्खा गयाहो मुअय्यन कीजाये या बख्शी जाये तो अदालत मजकूर अपनी सवाबदीद से वक़्तन् फवक़्तन् मुद्दत मजकूरकी तौसीअ करसक्ती है गोकि असिल वक़्त जो इब्तिदा में मुक़र्रर हुआहो गुजर चुकाहो—

दफ़ा १४९—अगर कुल फ़ीस जो कानून नाफिजुल वक़्त मुतअल्लिक़ जदीद

कोर्टफ़ीसकी कमी का पूरा कियाजाना

कोर्टफीसकी रूसे किसी दस्तावेज़के लिये मुक़र्रर हुई हो या उसका कोई हिस्सा अदा न हुवाहो तो अदालत अपनी सवाबदीद से किसी नौबतपर उस शख्सको जिसको फ़ीस मजकूर देना वाजिबहो इजाज़त देसक्ती है कि वह कुल या जुज कोर्ट फीस दाख़िल करै जैसा मौक़ा हो—और जब कोर्ट फीस दाखिल कर दीजाये तो वह दस्तावेज जिसकी निस्बत वह फीस वाजिबहो उसी तरह मवस्सिर होगा गोया कि फ़ीस मजकूर मौक़े अव्वल पर दीगई—

दफ़ा १५०—सिवाय उसके जैसा कि उसके खिलाफ हुक्म हुआ जदीद

इन्तक़ालकार्रवाई

अगर एक अदालत का काम किसी दूसरी अदालत में मुन्तक़िल कियाजाये तो उस अदालत को जिसमें काम मुन्तक़िल कियाजाये वही इख़्तियारात हासिल होंगे और वही फरायज मन्सबी बजा लावेगी जो इस ऐक्टकी रू से उस अदालतको हासिल हों या उसपर आयद किये गयेहों जहां से कि काम मुन्तकिल हुआहै—

दफ़ा १५१—इस मजमूअः के किसी मजमून से वह इख़्तियार जदीद

इस्तिस्नादरबारे इख़्तियार असली अदालत

असली किसी तरह महदूद या मुतास्सिर न होगा जो अदालत को निस्बत सादिर करने ऐसे अहकाम के

शामिल है जो वास्ते अग़राज़ इन्साफ या रोकने खराबी जाब्ता अदालत के जरूरी हों—

दफ़ा १५२— अलफाज़ या हिन्दुसों की गलतियां जो तजवीज़ या डिगरी या हुक्म में वाकै हों या ऐसी गलतियां जो किसी लग्ज़िस या तरक इत्तफाकी की वजह से उनमें वाकै हों किसी वक़्त अज़ तरफ अदालत ख्वाह तहरीक अदालत से या फरीकैन की दरख्वास्तपर दुरुस्त होसक्ती हैं—

तजवीज व डिगरी व हुक्म की तरमीम

दफ़ा १५३— अदालत को इख़्तियार है कि किसी वक़्त और व पाबन्दी शरायत निस्वत खर्चा या दीगर अमूर के जिन को वह मुनासिब समझै कोई नुकुस या गलती जो किसी कार्रवाई मुकद्दमे में रहगईहो दुरुस्त करदे और कुल्ला ज़रूरी तरमीमें इस गरज़ से कीजायेंगी कि वह असली मस्ला या तनक़ीह जो कार्रवाई मजकूर से पैदाहो या उसपर मुहवलहो तै पाजाये—

इख्तियार आम निस्वत तरमीम के

दफ़ा ३ फिक़रह ३ दफ़ा १५४— मजमूअः हाज़ाका कोई मज़मून मुख्लि किसी मौजूदह हक़ अपीलका न होगा—जो किसी फरीक़ को ववक़्त शुरूअ निफाज मजमूअः हाज़ा हासिलहो—

इन्तिना मौजूदह हक़ अपीलका

जदीद दफ़ा १५५— वह ऐक्ट जिनका हवाला चौथे ज़मीमा में है उस हद तक तरमीम कियेगये जिसकी तसरीह जमीमा मज़कूर के चौथे खाने में करदी गई है—

बाज़ ऐक्टों की तरमीम

दफ़ा २ फिक़रह मुबद्दल दफ़ा १५६— वह ऐक्ट जिनका हवाला पांचवें ज़मीमा में है उस हदतक मन्सूख किये गये जिसकी तसरीह ज़मीमा मजकूर के चौथे खाने में दरजकीगई हैं—

तन्सीख़

मुअय्यन कियेगये तैयार कियेगये और कियेगये और बख़्शेगये हैं जहां तक इस मजमूअःके मज़मून के मुवाफ़िक़हों उसी तरह मवासिर होंगे गोया कि इस मजमूअःकी रू और अजतरफ़ उस हाकिम के जो मजमूअः हाजा की रू से उनके वास्ते बाइख़्तियार कियागया हो मुश्तहर और मुरत्तिब और मुकर्रर और दाख़िल और मुअय्यन और तैयार किये गये थे और बख़्शे गयेथे—

दफ़ा १५८—और जहां किसी ऐक्ट या इश्तिहार में जो इस मजमूअः की नाफ़िज़ होनेकी तारीख़ से पहिले नाफ़िज़ या सादिर हुवाहो ऐक्ट ८ सन् १८५९ ई० या किसी मजमूअः ज़ाब्ते दीवानी या ऐक्ट तरमीम कुनिन्दः मजमूअः मज़कूर या किसी ऐक्ट मन्सूख शुदः का या उसके किसी बाब या दफ़ा का हवाला दियागयाहो तो वह हवाला जहांतक मुमकिनहो इस मजमूअः या उसके मुनासिब हिस्सः या आर्डर या दफ़ा या क़ायदा की तरफ़ समझा जायेगा— दफ़ा ३ करह २

मजमूअः ज़ाब्तादीवानी या किसी दूसरे मनसूख़ शुद ऐक्ट की तरफ़ हवाला

ज़मीमा जात

ज़मीमे अव्वल

आर्डर (१)

फ़रीक़ैन मुक़द्दमा

१—जायज़ है कि ऐसे जुम्ला अशखास एक मुक़द्दमे में बज़ुमरे मुद्दइआन शामिल कियेजायें जिनको किसी दादरसी के इस्तहक़ाक़का होना जो एकही फेल या मामला या सिलसिला अफ़आल या मामलात कि बाबतहो या उससे पैदा होताहो मुश्तर्कन् या मुन्फ़र्दन् या बाजको बजाय बाजके बयान कियाजाये—जब कि अगर अशख़ास मज़कूर अलाहिदा अलाहिदा मुक़दमा दायर करते तो कोई मुश्तरिक अमर क़ानूनी या वाक़याती पैदा होता— दफ़ा ः

कौन कौन अशख़ास बज़ुमरे मुद्दइआन शामिल किये जासक्ते हैं

२—जब अदालतको मालूमहो कि मुद्दइयों के शामिल किये जाने से जदीद

अख्तियार अदालत निस्बत देने हुक्म अलाहिदा अलाहिदाब तजवीज मुक़द्दम॰ के

मुक़द्दमे की तजवीज़में खलल या ताखीर वाकै होसक्ती है तो अदालत मज़कूर मुद्दइयों की मरज़ीपर छोड़सक्ती है या अलाहिदा तजवीज मुक़द्दमे का हुक्म देसक्ती है या और मुनासिब हुक्म सादिर करसक्ती है—

दफा २८ ३—जायज़है कि वह जुम्ला अशखास जुमरे मुद्दाअलेहुम में शामिल

कौन कौन अशख़ास व ज़ुमरे मुद्दाअलेह मे शामिल किये जासक्ते हैं

कियेजायें जिनके मुक़ाबिल किसी दादरसी के इस्तहक़ाक़का होना जो एकही फेल या मामला या सिलसिला अफ़आल या मामलातकी बाबतहो जब कि अगर अलाहिदा अलाहिदा नालिशात अशखास मजकूरके मुक़ाबिल दायर कीजायें तो कोई मुस्तरिक अमर क़ानूनी या वाक़ियाती पैदा होता मुस्तर्कन् या मुन्फ़र्दन् या बाज़को बजाय बाज के होना बयान कियाजाये—

दफा २६ और २८ ४—जायजहै कि फैसला बग़ैर क़िसी तरमीमके सादिर कियाजाये—

अदालत फैसला सादिर करसक्ती है बहक़ या बनाम एक या कई मुस्तरिक़ फ़रीक़ों के

(अलिफ) उन मुद्दइयों में से एक या कईके हक़में जोकि मुस्तहक़ दादरसी के पायेजायें बाबत उस दादरसीके जिसका इस्तहक़ाक मुद्दई या मुद्दैयान मज़कूर को पहुँचताहो—

(बे) उन मुद्दाअलेहुम् में से एक या ज्यादा मुद्दाअलेहुम् पर जिनकी ज़िम्मेदारी साबितहो मुवाफ़िक़ ज़िम्मेदारी हरएकके-

५-यह जरूर नहीं कि हरएक मुद्दाअलेह उस कुल दादरसी में जो

यह जरूर नहीं कि हर एक मुद्दाअलेह कुल दादरसी मुतदाबिया में गरज रक्खै

क़िसी नालिशमें उसके मुक़ाबिल में मुतदाबियाहो गरज रक्खै—

दफा २८ ६—मुद्दईको इख़्तियारहै कि अगर उसकी मरज़ीहो एकही मुक़द्दमे में

[illegible]

उन अशखास में से सबको या बाजको मुद्दाअलेह करै जो एकही मुआमिलः की बाबत मुन्फ़र्दन् या मुस्तर्कन् और मुन्फ़र्दन् जिम्मेदारहों और उन अशखास में वह लोगभी शामिल कियेजासक्ते हैं जो

विलआफ एक्स चेंज और हुंडियात और परामेसरी नोटोंके फरीक़हों—

७—जब मुद्दईको शक़हो कि वह किस शख़्स से दादरसी पानका मुस्त॰हक़है तो उसको इख्तियारहै कि दो या कई मुद्दाअ॰लेहु को शामिलकरै ताकि इस अमरका फ़ैसला मावैन कुल फरीक़ों के होजाये कि कौन मुद्दाअलेह ज़िम्मेदार है और किस हद्दतक—

जब मुद्दईको शकहो कि किस शख्ससे दादरसी मिलेगी

८—(१) जब बहुत से अशखास एकही मुकदमे में एकही हक़ रखते हों तो जायज़है कि उनमें से एक या चंद फरीक़ बइजाज़त अदालत जुम्ला अशखास हक़दारकी तरफ से या उनके फायदे के लिये नालिश करैं या उनपर नालिश कीजाये या ऐसी नालिश में जवाबदिही करैं लेकिन अदालत ऐसी सूरत में मुद्दई के खर्च से इत्तिलाअ रुजूअ नालिश की उन तमाम अशखास को उनकी जात पर इत्तिलानामः की तामील करने से या अगर बसबब मुत्तादिद होने अशखास के या और किसी वजह से ऐसी तामील अक़लन् मुमकिन न हो तो बज़रिये इश्तिहार आमके पहुँचाये याने जैसा कि अदालत हर सूरत में हुक्म दे— दफा ३० व ३२

एक शख्स जुम्ला अशखास हक़दारकी तरफ से नालिश या जवाबदिही करसक्ताहै

(२) जिस शख़्सकी तरफ से या जिसके फ़ायदे के लिये हस्ब क़ायदा तहती (१) नालिश रुजूअ कीजाये या जवाबदिही कीजाये वह अदालत से दरख्वास्त करसक्ताहै कि उस नालिश में वह फरीक़ मुक़द्दमा बनाया जाये— दफा ३२

९—किसी मुक़द्दमे को बसबब इस्तिमाल बेजा या अदम इस्तिमाल फरीक़ैन के कुछ नुक़सान न पहुँचैगा और अदालत को जायज़है कि हर मुक़द्दमे में जो अहाली मुक़द्दमा फिल्वाके हाजिरहों उनके हक़ूक व मराफिक़ से जिस क़दर मुक़द्दमःको तअल्लुकहो सिर्फ उसी क़दर की बाबत अमर माबउल्निजाका तस्फिया करै— दफा ३१

इस्तिमाल बेजा और अदमइस्तिमाल

१०—(१) जब मुक़द्दमा किसी ऐसे शख़्स के नाम से जो मुद्दई सही न हो रुजूअ किया जाये या इश्तिबाह हो कि आया मुक़दमा मुद्दई सहीके नाम से रुजूअ हुवाहै या नहीं अगर अदालत को इतमीनान होजाये कि मुक़द्दमा वाक़ई सहीसे इस दफा २७

नालिश जो मुद्दई गलतके नामसे हो

तौरपर दायर कियागयाहै और असल अमर निजाई के तस्फिया के लिये ज़रूरहै कि बजाय मुद्दई ग़लत के कोई और शख्स बतौर मुद्दई के क़ायम या ज़्यादा किया जाय तो अदालत मुक़द्दमः की किसी नौबत पर हुक्म देसक्ती है कि बक़ैद उन शरायत के जो उसके नज़दीक क़रीन इन्साफ हों ऐसा किया जाये—

दफा ३२

अदालत फरीक़ों का नाम ख़ारिज या शामिल करसक्ती है

(२) अदालत को इख़्तियारहै कि कार्रवाई की किसी नौबत पर किसी फरीक़ की दरख़्वास्तपर या बिदून या उसके और ऐसी शरायत से जो अदालत के नजदीक करीन इन्साफहों यह हुक्म दे कि नाम किसी फरीक़ का जो बतौर बेजा मुद्दई या मुद्दाअलेह के ज़ुमरे में दाख़िल हुवाहो खारिज कियाजाये और नाम किसी शख्स का जिसको बतौर मुद्दई या मुद्दाअलेह शरीक करना चाहिये था या जिसका अदालतमें हाजिर होना इस वजह से ज़रूरहै कि अदालत जुम्ला मरातिब मुतनाजिआ मुतअल्लिक़ः मुक़द्दमः को बखूबी और तकमील के साथ फैसल और तै करसके शामिल किया जाये—

(३) कोई शख्स बग़ैर अपनी रजामन्दी के बतौर मुद्दई जिसका मुक़द्दमा में कोई रफीक़ न हो या बतौर रफीक़ मुद्दई के जो नाक़ाबिल हो शामिल न किया जायगा—

दफा ३३

जब कोई मुद्दाअलेह शामिल किया जाये तो अर्जीदावा में तरमीम कीजायेगी

(४) जब कोई मुद्दाअलेह शामिल कियाजाये तो अरजीदावे में जिस तौर पर कि जरूरी हो तरमीम कीजायेगी इल्ला उस सूरत में कि अदालत और तरह पर हिदायत करे और सम्मन और अरजीदावा की तरमीम शुदह नक़लोंकी तामील नये मुद्दाअलेह पर और अगर अदालत के नज़दीक मुनासिब हो तो इब्तिदाई मुद्दाअलेह पर कीजायेगी—

दफा २२ नम्बर १५ सन् १८७७ ई०

(५) बरियायत अहकाम दफा २२ क़ानून तमादी हिंद सन् १८७७ ई० के किसी शख्सके मुक़ाबिले में जो बतौर मुद्दाअलेह शामिल कियाजाये मुक़द्दमः की कार्रवाई का शुरूअ होना सिर्फ उस तारीख़ से समझा जायेगा जब सम्मन की उस पर तामील हुई हो—

११–अदालत को इख्तियार है कि पैरवी मुक़द्दमे की इस मुद्दई के हवाले करै जिसे वह मुनासिब समझे– दफ़ा ३२

पैरवी मुक़द्दमा

१२–(१) जब मुक़द्दमा में एक से ज्यादे मुद्दई हों तो जायज़ है कि उनमें से एक या ज्याद: मुद्दइयों को उनमें से किसी दूसरे मुद्दई की तरफ से इजाजत दीजाये कि वह किसी कार्रवाई में उसकी तरफ से हाज़िर होकर सवाल व जवाब या अमल करैं और उसी तरह जब मुक़द्दमे में एकसे ज़्याद: मुद्दाअलेह हों जायज़ है कि उनमें से एक या ज़्याद: मुद्दाअलेहों को उनमें से किसी दूसरे मुद्दाअलेह की तरफ से इजाज़त दीजाये कि किसी कार्रवाई में उसकी तरफ से हाजिर होकर सवाल व जवाब या अमल करैं– दफ़ा ३३

चन्द मुद्दइयों या मुद्दाअलेहुम में से एक शख़्स दूसरों की जानिब से हाज़िर होसक्ता है

(२) वह इजाजत तहरीरी होगी और उसपर इजाज़त देनेवाले के दस्तखत होंगे और वह अदालत में दाखिल कीजायगी–

१३– तमाम उज़रात निस्बत अदम इस्तिमाल या इस्तिमाल बेजा फरीक़ैन जिस क़दर जल्द मुमकिन हों और हमेश: बर वक़्त या क़ब्ल अमूर तनक़ीह तलब के क़रार दिये जाने के पेश किये जायेंगे इल्ला उस सूरत में कि उज़रदारी की बिना बाद को पैदा हुई हो और अगर ऐसा उजर इस तरह न किया जाये तो समझा जायगा कि उजरदार उनसे बाज आया है – दफ़ा २४

उज़रदारी बर बिना अदम इस्तिमाल या इस्तिमाल बेजा

आर्डर २

नालिश की तरतीब

१– हर नालिश जहांतक मुमकिन हो इस तौरसे मुरत्तिब कीजायेगी कि तमाम मरातिब मुतनाज़िआ की निस्बत तजवीज क़तई करनेकी उससे वजह पाईजाये और मरातिब मज़कूर की बाबत आयन्द: फिर निज़ा अदालत न होसके– दफ़ा ४२

नालिश की तरतीब

२–(१) हर नालिश में वह तमाम दावा शामिल किया जायगा जिसके पेश करनेका इस्तहक़ाक़ बिनाय दावा मज़कूर की बाबत मुद्दई रखता हो मगर मुद्दईको यह इख्तियार दफ़ा ४३

नालिशमें तमाम दावा शामिल किया जायगा

है कि मुक़द्दमे को किसी अदालतकी समाअतके लायक करनेकी गरज से अपने दावे में से जिस क़दर जुज़ो चाहै छोड़दे—

(२) अगर मुद्दई अपने दावे में से किसी जुज़ोकी बाबत नालिश न करै या अमदन् उसके नालिश करने से बाज़आये तो आयन्दः उस जुज़ोकी बाबत जो इस तौरपर मतरूक रहाहो या जिसके दावा करने से मुद्दई बाज़ रहाहो नालिश न करसकैगा-

जुज़ोदावाकी नालिश करने से बाज आना

(३) जिस शख़्सको एकही बिनायदावा की निस्बत कई चारः जोइयोंका इस्तहक़ाकहो उसे इख़्तियारहै कि उन तमाम चारः जोइयों की या उनमे से किसी की नालिश करै लेकिन जिस हालमें कि बदून इजाज़त अदालत के उन तमाम चारः जोइयोंकी नालिश तर्क करै तो मिन्बाद बाबत किसी चारः जोई के जो तर्क कीगईहो मजाज़ नालिशका न होगा-

चन्द चारः जोइयों में से किसी एककी नालिश तर्क करना

तशरीह-इस कायदेकी इग़राज़के लिये दस्तावेज़ मुआहिदा और कफालतनामा जो उसकी तामीलके इतमीनानके लियेहो और मुतवातिर इआदी जो दस्तावेज मज़कूरकी रूसे पैदाहों यह सब बमंजिले बिनाय दावा वाहिदके मुतसव्विर होंगे-

तमसील

उनका हक़ मुस्तरिक़हो दावा पहुँचताहो उनको अख़्तियारहै ऐसी विना हाय दावाको एकही नालिशमें शामिल करें—

(२) जब चंद विना हाय दावा शामिल कीजायें तो अख़्तियार समाअत अदालतका निस्बत उस मुक़दमे के शय मुतदाविया की उस तादाद या मालियत मजमूईपर मुनहसिर होगा जो ब तारीख रुजूअ नालिशहो—

४–(१) जो नालिश वास्ते बाजयाफ्त जायदाद गैर मन्कूलाकेहो वगैर इजाजत अदालतके कोई विनाय दावा उसमें शामिल न कीजायगी बजुज— दफ़ा ४४

नालिश बाजयाफ्त जायदाद गैर मन्कूला मे सिर्फ बाजदआवी शामिल किये जासक्ते हैं

(अलिफ) दआवी वासिलात या बाक़ियात जर लगान या किराया जायदाद मुतदाविया या उसके किसी जुज़ोके—

(बे) दआवी हरजा बाबत इनहराफ किसी माहिदः के जिसकी रूसे जायदाद या उसके किसी जुजोपर क़ब्ज़ाहो—और—

(जीम) दआवी कि जिनमें दादरसी मतलूबा एकही विनाय मुखासमतपर मुबनीहो—

मगर शर्त यहहै कि उस क़ायदे के किसी मज़मून से यह मुतसव्विर न होगा कि कोई फरीक मुक़दमा वयबात या इनफ़िक़ाक रिहन में जायदाद मरहूनापर क़ब्जा पाने से रोकाजाये—

५–कोई दावा जो किसी वसी या मोहतमिम तर्का या वारिस को या उसपर उसके उस मन्सब से पहुँचताहो उस दावे में शामिल न कियाजायगा जो उसकी जात खास को या जात खासपर पहुँचताहो इल्ला उस हालमें कि दावा आखिरुलजिक्रकी निस्बत बयान कियाजाय कि वह उसी जायदाद से पैदा होताहै जिसकी बाबत मुद्दई या मुद्दाअलेह मजकूर वसी या मोहतमिम तर्का या वारिस होनेके हैसियत से नालिश करताहै या उसपर नालिश कीगई है या कि वह दावा ऐसा है जिसको वह बशिरकत शख्स मुतवफ़्फ़ीके जिसका वह क़ायम मुक़ामहै दिला पानेका मुस्तहक़ या अदा करनेका सज़ावार है— दफ़ा ४४

दावी अज तरफ़ या बनाम वसी या मोहतमिम तर्का या वारिसके

मुताबिक कर-दह दफा ४६ व ४७ व ४५

इख्तियार अदालत निस्बत हुक्म देने अलाहिदा तजवीज़ के

६—जब अदालतके नज़दीक चंद बिनाहाय दावा मुस्तमिलः का एक मुक़दमा में साथ साथ और तै करना दुश्वार मालूमहो तो अदालत मजाज़ होगी कि एक एक बिनाय मुख़ासिमतकी अलाहिदा तजवीज होनेका हुक्मदे या जो कुछ हुक्म मुक़तिज़ाय मसलहत समझे सादिरकरे—

उज़रदारी बर बिनाय इरितमाल बेजा

७—उज़र इस बातका कि चंद बिनाहाय दावा बेजा तौरपर शामिल कीगई हैं जिस क़दर जल्द मुमकिनहो और हमेशः बरवक्त माक़ब्ल क़रारदाद अमूर तनक़ीह तलबके किया जायगा इल्ला उस सूरत मे कि उजरदारी कि बिना बादको पैदाहुईहो और अगर ऐसा उजर हस्ब मुन्दर्जेबाला न कियाजाय तो समझा जायगा कि उजरदार उससे बाज आयाहै—

आर्डर ३

एजन्टान याने मुख़्तारान मक़बूला और विकलाय—

दफा ३६

हाज़िरी अदालत वगैर असालतन या मारफत एजन्ट मक़बूलाय वकीलके होसक्ती है

१—जब क़ानूनन् यह हुक्महो या इख्तियार दियागयाहो कि कोई फरीक़ अदालत उस अदालत में हाज़िरहो या दरख़्वास्तदे या कोई और अमलकरे तो बजुज़ उस सूरतके किसी क़ानून नाफ़िजा वक़्त में कुछ और हुक्म सराहतन मुन्दर्ज हुवाहो जायजहै कि फरीक मजकूर असालतन् या मारफत अपने एजन्ट मकबूला या वकील के जो हस्ब ज़ाब्ता उसकी तरफ से पैरवी करने के लिये मुक़र्रर हुवा हो हाज़िर हो या दरख़्वास्त दे या अमल करे—

मगर शर्त यह है कि अगर अदालत असालतन् हाजिर होनेका हुक्म दे तो फरीक़ मज़कूर को असालतन् हाजिर होना पड़ेगा—

२—एजन्टान मक़बूला जो फरीक़ों की तरफ से अदालत में हाजिर होसक्ते और दरख़्वास्त देसक्ते और अमल करसक्ते हैं यह हैं—

(अलिफ) अशख़ास जो मुख़्तारनामजात रखते हों और मुख़्तियारनामोंमें मज़कूरा बाला फरीक़ों की तरफ से हाजिर होने

और दरख्वास्त देने और अमल करने का इख्तियार दियागयाहो—

(बे) अश्खास जो उन फरीकों की तरफ से या उनके नाम से कुछ तिजारत या कारोबार करते हों जो उस अदालत के इलाके की हुदूद अरज़ी के अन्दर न रहतेहों जिसकी हुदूदके अन्दर हाज़िर होना या दरख्वास्त देना या अमल करना हो मगर सिर्फ़ मामिलात मुतअल्लिके तिजारतया कारोबार में और उस सूरत में जब कि कोई और एजन्ट जिसको ऐसी हाज़िरी अदालत और दरख्वास्त देने और अमल करने की इजाज़त बसराहत दीगई हो वहां मौजूद न हो—

३—(१) वह हुक्मनामजात जिनकी तामील किसी फरीक के एजन्ट मक़बूला पर कीजाये उसी क़दर मवस्सर होंगे कि गोया वह खुद फरीक़ की जातपर तामील किये गयेथे बजुज़ उस सूरत के कि अदालत से कोई और हिदायत हो— दफा ३८

तामील हुक्मनामा एजन्ट मक़बूला पर

(२) वह अहकाम जो फरीक मुक़द्दमः पर हुक्मनामा की तामील के बाबमें हैं उस सूरत से भी मुतअल्लिक़ होंगे जब उसके एजन्ट मक़बूला पर हुक्मनामा की तामील कीजाये—

४—(१) तक़र्रुर वकील का किसी शख्स की जानिबसे अदालत में हाज़िर होने या दरख्वास्त देने या कोई फेल करने के लिये बज़रिये तहरीर के होगा और उसपर शख्स मज़कूर के या उसके एजन्ट मक़बूला या किसी दूसरे शख्सके जो अज़रूय मुख्तारनामा इस बारे में कार्रवाई करने के लिये बाज़ाब्ता मजाज़ गरदाना गयाहो दस्तखत होंगे— दफा ३९

वकील का तक़र्रुर

(२) जब वकील इसको क़बूल करले तो तहरीर तक़र्रुरी मज़कूर अदालत में दाखिल कीजायगी और तावक्ते कि वह बज़रिये किसी तहरीर दस्तखती मवक्किल या वकील याने जैसा कि मौक़ा हो मदखिलः अदालत के अदालत की इजाज़त से फिस्ख न करदीजाये या तावक्ते कि वह मवक्किल या वकील फ़ौत न होजाये या तावक्ते कि मुक़द्दमः की तमाम कार्रवाइयां

जहांतक कि उस मवक्किल से इलाक़ा रखते हों इख़्तिताम को न पहुँचें नाफ़िज़ समझी जायगी—

(३) किसी हाईकोर्ट मुक़र्ररा हस्ब ऐक्ट हाईकोर्ट हाय हिन्द सन् १८६१ ई० के या किसी चीफकोर्ट के ऐडोकेट के लिये या किसी दीगर हाईकोर्ट के ऐडोकेट के लिये जो बैरिस्टर हो जरूर नहीं है कि किसी तरह का नविश्ता मुतज़म्मिन अपने इख़्तियार पैरवी मुक़द्दमः की अदालत में दाख़िल करे—

दफ़ा ४० ५–हुक्मनामजात आम इससे कि उनमें फरीक़ मुक़द्दमा के असालतन् हाज़िर होनेका हुक्म हो या न हो जो किसी फरीक़के वकील पर तामील कियेजायें या वकील के दफ़्तर या मस्कन् मामूली पर छोड़ दियेजायें उनकी निस्बत फहमायश कियाजायगा कि गोया वे मवक्किल को जिसका कि वकील क़ायम मुक़ाम है बज़ाब्ता पहुँचा दियेगये और मवक्किल को उनकी इत्तिला होगई और बजुज़ उस सूरत के कि अदालत और तरहपर हुक्मदे बजमीअ वजूह वैसेही मवस्सिर होंगे कि गोया वह असालतन् फरीक़ मज़कूर को दियेगये या ख़ुद उसपर उनकी तामील कीगई—

तामील हुक्मनामा वकील पर

दफ़ा ४१ ६–(१) अलावह एजन्टान मक़बूला के जिनका ज़िक्र क़ायदा २ में हुआहै हरशख़्स जो अदालत के इलाक़े के अन्दर रहता हो हुक्मनामा की तामील को क़बूल करने के लिये एजन्ट मुक़र्रर होसक्ता है—

एजन्ट हुक्मनामे की तामील क़बूल करने के लिये

(२) जायज़ है कि ऐसा तक़र्रुर ख़ासहो या आम मगर तहरीरी होना लाज़िम है और उसपर मुक़र्रर करनेवाले के दस्तख़त होंगे और वह तहरीर या अगर तक़र्रुर आमहो तो उसकी नक़ल तुसद्दिका अदालत में दाख़िल की जायगी—

तक़र्रुर तहरीरी होगा और अदालत में दाख़िल कियाजायगा

आर्डर ४

इरजाय नालिशात

१–(१) हर नालिश इस तरह रुजूअ कीजायगी कि अरज़ीदावा

नालिशोंकी इब्तिदा अरजीदावे से होगी

अदालत में या उस ओहदेदार के पास जो अदालत से उस कामके लिये मुक़र्रर हो दाखिल कियाजाय—

(२) हर अरजीदावा मुताबिक़ क़वाअद मुन्दर्जे आर्डर ६ व ७ के होगा जहांतक कि क़वाअद मजकूर मुतअल्लिक़ होसकें—

२—अदालत हर नालिशके मरातिबको एक किताब में जो उसी ग़रज से मुरत्तिब रहैगी और जिसका नाम दीवानी मुक़द्दमात का रजिस्टर होगा दर्ज करायेगी और जो मुक़द्दमात रजिस्टर मजकूर में दर्जहों उनपर हरसाल बतरतीब तारीख मंजूरी अरजीदावाके नम्बर चढ़ाये जायँगे— दफ़ा ५८

रजिस्टर मुक़द्दमात दीवानी

आर्डर ५

इजराय व तामील सम्मन

इजराय सम्मन

१—(१) जब नालिश बाजाब्ता रुजूअ होजाय जायजहै कि सम्मन मुद्दाअलेहके नाम इस हुक्म से जारी कियाजाय कि वह तारीख मुन्दर्जे सम्मनपर अदालत मे हाजिर होकर दावेकी जवाबदिही करै— दफ़ा ६४

मगर शर्त यहहै कि अगर अर्जीदावा दाखिल होनेके वक़्त मुद्दाअलेह अदालत में हाजिर होकर मुद्दईके दावे से अकबाल करचुकाहो तो सम्मन उसके नाम जारी न कियाजायगा—

(२) जिस मुद्दाअलेहके नाम सम्मन हस्ब मजमून क़ायदा तहती (१) जारी कियाजाये वह हाजिर होसक्ता है—

(अलिफ) असालतन्—या

(बे) मारफत किसी वकीलके जिसको बखूबी हिदायत करदीगई हो और जो तमाम सवालात जरूरी मुतअल्लिकै मुक़दमे का जवाब देसके—या

(जीम) मारफत किसी वकीलके जिसके हमराह ऐसा कोई शख़्सहो जो तमाम सवालात मजकूरका जवाब देसके—

(३) ऐसे हर सम्मनपर जज या उस ओहदेदारके दस्तखत सब्त

होंगे जिसको जज इस कामपर मुक़र्रर करे और उसपर अदालतकी मोहर कीजायगी—

दफ़ा ६५

सम्मन के साथ नक़ल अर्जीदावा या बयान मुख़्तसिर

२–हर सम्मनके साथ अर्जीदावाकी एक नक़ल या बशर्ते इजाज़त एक बयान मुख़्तसिर भेजाजायगा—

दफ़ा ६६

अदालत मुद्दाअलेह या मुद्दईके असालतन् हाजिर होनेका हुक्म देसक्तीहै

३–(१) अगर अदालतके नजदीक मुद्दाअलेहका असालतन् हाजिर होना जरूरहो तो सम्मन में उसकी निस्बत यह हुक्म होगा कि मुद्दाअलेह अदालत में बतारीख मुसर्रेह सम्मन असालतन् हाजिरहो—

२ अगर अदालतके नज़दीक मुद्दईका भी उसी रोज असालतन् हाजिर होना जरूरहो तो अदालत मजाज होगी कि मुद्दईके उस रोज असालतन् हाज़िर होनेका हुक्मदे—

दफ़ा ६७

किसी फ़रीक़के असालतन् हाजिर होनेका हुक्म न दिया जायगा इल्ला उस सूरत में कि उसकी सकूनत हद्दूद मुक़र्ररः के अन्दरहो

४–किसी फरीक़की निस्बत असालतन् हाजिर होनेका हुक्म न दिया जायगा इल्ला उस सूरत में कि—

(अलिफ) उसकी सकूनत अदालत के मामूली इख़्तियार समाअत इब्तिदाईकी हुदूद अर्जीके अन्दरहो—या

(बे) हुदूद मजकूरके बाहर मगर अदालत से पचास मील से कम फासिलेपरहो या अगर रेल या इस्टीमर या कोई और मुक़र्ररा आम सवारी उसकी जाय सकूनत से मुक़ाम अदालत तकके छटे हिस्से के पांच गुना फ़ासिलेपर चलतीहो तो मुक़ाम अदालत से दो सौ मीलसे कम फासिलेपरहो-

दफ़ा ६८

[illegible]

५–सम्मन जारी करने के वक्त अदालत ये अमर तै करेगी कि सम्मन सिर्फ़ वास्ते क़रारदाद अमूर तनक़ीह तलबके होगा या वास्ते इनफ़िसाल क़तई मुक़द्दमाके और सम्मनमें उसके मुताबिक़ हिदायत लिखी जायगी—

मगर शर्त यह है कि हर मुक़द्दमा मसमूअः अदालत मतालिबे जात ख़फ़ीफ़ामें सम्मन वास्ते तस्फ़िया कतई मुक़द्दमे के जारी किया जायगा—

तक़र्रर तारीख वास्ते हाज़िरी मुद्दाअलेहके

६—मुद्दाअलेहकी हाज़िरीके लिये तारीख मुक़र्रर करने के वक़्त अदालत मरातिब मुन्दर्जेज़ैलका ख़्याल रक्खेगी यानें क़िल्लत या कसरतकार मरजूआ अदालतकी और मुद्दाअलेह की सकूनत का मुक़ाम और मुद्दत जो सम्मन की तामील के लिये जरूर है और वह तारीख ऐसी मुक़र्रर कीजायगी कि मुद्दाअलेह को तारीख मुक़र्रर: तक हाज़िर होकर मुक़द्दमे की जवाबदिही करने की मुहलत काफ़ी मिले— दफ़ा ६६

सम्मनमें हुक्म होगा कि मुद्दाअलेह जुम्ला दस्तावेजात पेश करे कि जिनपर वह इस्तदलाल करना चाहताहो

७—सम्मन में जिसकी रू से हाज़िर होने और जवाबदिही करने का हुक्म हो मुद्दाअलेह के नाम यह हुक्म मुन्दर्ज होगा कि तमाम दस्तावेजात जो उसके क़ब्ज़ा या इख़्तियार में हों जिनपर मुद्दाअलेह को अपनी जवाबदिही की ताईद के लिये इस्तदलाल करना मंजूर हो पेशकरै— दफ़ा ७०

जब सम्मन वास्ते इनफ़िसाल कतई के हो उसमें मुद्दाअलेह को हिदायत होगी कि अपने गवाह पेशकरै

८—जब सम्मन वास्ते इनफ़िसाल कतई मुक़द्दमे के हो उसमें मुद्दाअलेह को हिदायत कीजायगी कि जो तारीख उसकी हाज़िरी के लिये मुक़र्रर हुई हो उसपर जुम्ला गवाह कि जिनपर अपनी जवाबदिही की ताईद में उस को इस्तदलाल करना मंजूर हो पेशकरै— दफ़ा ७१

तामील सम्मन

हवालगी या इरसाल सम्मन वास्ते तामीलके

९—(१) अगर मुद्दाअलेह उस अदालत के इलाक़े के अन्दर रहता हो जहां नालिश रुजूअ हुई हो या वहां उसका कोई एजन्ट रहताहो जो सम्मन लेने का मजाज़ हो तो अगर अदालत किसी दूसरी तरह का हुक्म न दे सम्मन अहलकार मजाज़को इस गरज़से हवाला किया जायगा या उसके नाम भेजा जायगा कि वह ख़ुद या मारफ़त अपने किसी मातहतके उसकी तामील करै— दफ़ा ७२

(२) अहलकार मज़कूर किसी अदालत का अहलकार होसक्ता है जो वह न हो कि जहां नालिश रुजूअ न हुई हो और अगर वह ऐसा अहलकार हो तो सम्मन बज़रीये डाक या और

होंगे जिसको जज इस कामपर मुकर्रर करे और उसपर अदालतकी मोहर कीजायगी—

दफा ६५ २—हर सम्मनके साथ अर्जीदावाकी एक नकल या बशर्ते इजाजत एक बयान मुख्तसिर भेजाजायगा—

सम्मन के साथ नकल अर्जीदावा या बयान मुख्तसिर

दफा ६६ ३—(१) अगर अदालतके नजदीक मुद्दाअलेहका असालतन् हाजिर होना जरूरहो तो सम्मन में उसकी निस्बत यह हुक्म होगा कि मुद्दाअलेह अदालत में बतारीख मुसर्रेहे सम्मन असालतन् हाजिरहो—

अदालत मुद्दाअलेह या मुद्दईके असालतन् हाजिर होनेका हुक्म देसकतीहै

२ अगर अदालतके नजदीक मुद्दईका भी उसी रोज असालतन् हाजिर होना जरूरहो तो अदालत मजाज होगी कि मुद्दईके उस रोज असालतन् हाजिर होनेका हुक्मदे—

दफा ६७ ४—किसी फरीककी निस्बत असालतन् हाजिर होनेका हुक्म न दिया जायगा इल्ला उस सूरत में कि—

किसी फरीकके असालतन् हाजिर होनेका हुक्म न दिया जायगा इल्ला उस सूरत में कि उसकी सकूनत हदूद मुकर्ररके अन्दरहो

(अलिफ) उसकी सकूनत अदालत के मामूली इख्तियार समाअत इब्तिदाईकी हुदूद अर्जीके अन्दरहो—या

(बे) हुदूद मजकूरके बाहर मगर अदालत से पचास मील से कम फासिलेपरहो या अगर रेल या इस्टीमर या कोई और मुकर्ररा आम सवारी उसकी जाय सकूनत से मुकाम अदालत तकके छटे हिस्से के पांच गुना फासिलेपर चलतीहो तो मुकाम अदालत से दो सौ मीलसे कम फासिलेपरहो—

दफा ६८ ५—सम्मन जारी करने के वक्त अदालत ये अमर तै करेगी कि सम्मन सिर्फ वास्ते करारदाद उमूर तनकीह तलबके होगा या वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमाके और सम्मनमें उसके मुताबिक हिदायत लिखी जायगी—

[illegible]

मगर शर्त यह है कि हर मुकद्दमा मस्मूअः अदालत मतालिबे जात ख-फीफामें सम्मन वास्ते तस्फिया कतई मुकद्दमे के जारी किया जायगा—

६—मुद्दाअलेहकी हाजिरीके लिये तारीख मुकर्रर करने के वक्त अदा- दफा ६६

तकर्रर तारीख वास्ते हाजिरी मुद्दाअलेहके

लत मरातिब मुन्दर्जेजैलका ख़याल रक्खेगी यानें क़िल्लत या कसरतकार मरजूआ अदालतकी और मुद्दाअलेह की सकूनत का मुकाम और मुद्दत जो सम्मन की तामील के लिये जरूरहै और वह तारीख ऐसी मुकर्रर कीजायगी कि मुद्दाअलेह को तारीख मुकर्रः तक हाजिर होकर मुकद्दमे की जवाबदिही करने की मुहलत काफ़ी मिले-

७—सम्मन में जिसकी रू से हाजिर होने और जवाबदिही करने का दफा ७०

सम्मनमें हुक्म होगा कि मुद्दाअलेह जुम्ला दस्तावेजात पेश करे कि जिनपर वह इस्तदलाल करना चाहताहो

हुक्म हो मुद्दाअलेह के नाम यह हुक्म मुन्दर्ज होगा कि तमाम दस्तावेजात जो उसके क़ब्जा या इख्तियार में हों जिनपर मुद्दाअलेह को अपनी जवाबदिही की ताईद के लिये इस्तदलाल करना मंजूरहो पेशकरे—

८—जब सम्मन वास्ते इनफिसाल क़तई मुकद्दमे के हो उसमें मुद्दा- दफा ७१

जब सम्मन वास्ते इनफिसाल कतई के हो उसमें मुद्दाअलेह को हिदायत होगी कि अपने गवाह पेशकरें

अलेह को हिदायत कीजायगी कि जो तारीख उसकी हाज़िरी के लिये मुकर्रर हुई हो उसपर जुम्ला गवाह कि जिनपर अपनी जवाबदिही की ताईद में उस को इस्तदलाल करना मंजूर हो पेशकरे—

तामील सम्मन

६—(१) अगर मुद्दाअलेह उस अदालत के इलाक़े के अन्दर रहता दफा ७२

हवालगी या इरसाल सम्मन वास्ते तामीलके

हो जहां नालिश रुजूअ हुई हो या वहां उसका कोई एजन्ट रहताहो जो सम्मन लेने का मजाज हो तो अगर अदालत किसी दूसरी तरह का हुक्म न दे सम्मन अहलकार मजाजको इस गरजसे हवाला किया जायगा या उसके नाम भेजा जायगा कि वह खुद या मारफत अपने किसी मातहतके उसकी तामील करे—

(२) अहलकार मजकूर किसी अदालत का अहलकार होसकता है जो वह न हो कि जहां नालिश रुजूअ न हुई हो और अगर वह ऐसा अहलकार हो तो सम्मन बज़रीये डाक या और

तरह जिसकी अदालत हिदायत करै उसके पास भेजा जासक्ता है–

दफ़ा ७३ तरीक़ा तामील

१०–तामील इस तरह होगी कि उसके एक परत जो दस्तख़ती जज या दस्तख़ती उस ओहदेदार के जिसको जज उस ग़रज से मुक़र्रर करै और मर्ज़ी बमोहर अदालत हो हवाले या पेश की जायगी–

दफ़ा ७४ तामील चन्द मुद्दआलेहुम्पर

११–बजुज़ इसके कि दूसरी तरह पर हुक्म हो जब एक से ज़्यादः मुद्दाअलेहुम् हों तो लाज़िम है कि हरएक मुद्दाअलेह पर सम्मन की तामील कीजाय–

दफ़ा ७५ ताबइम्कान तामील मुद्दाअलेह की जातपर होगी वरना उस के कारिन्दे पर होगी

१२–जब मुमकिन हो सम्मन की तामील मुद्दाअलेह की जातपर कीजायगी इल्ला उस हालमें कि उसका कोई कारिन्दा सम्मन लेने का मजाज़ हो कि उस वक़्त कारिन्दःको सम्मन देना काफ़ी होगा–

दफ़ा ७६ तामील कारिन्दा पर कि जिसके ज़रिये से मुद्दाअलेह कारोबार करता हो

१३–(१) अगर नालिश किसी कारोबार या कामकी बाबत ऐसे शख़्स के नामहो जो अदालत जारी कुनिन्दः सम्मन के इलाके की हुदूद अर्ज़ी के अन्दर सकूनत न रखता हो तो तामील सम्मन की किसी सरबराहकार या कारिन्दापर जो दरवक़्त तामील सम्मन बज़ात ख़ुद उस कारोबार या काम को उस शख़्स की तरफ से हुदूद मज़कूर के अन्दर करताहो तामील काफी मुतसब्विर होगी–

(२) इस क़ायदे की ग़रज़ के लिये मास्टर किसी जहाज़ का जहाज के मालिक या किराया करनेवाले का कारिन्दः समझा जायगा–

[दफ़ा] ७७ [illegible]

१४–उस नालिश में जोकि वास्ते दादरसी निस्बत जायदाद गैर मन्कूला या मुआविज़ा नुक़सान जायदाद गैर मन्कूला के हो अगर सम्मन की तामील मुद्दाअलेह की ज़ात पर न होसके और मुद्दाअलेह का कोई ऐसा कारिन्दा न हो जिस को सम्मन लेनेका इख़्तियार हो तो तामील

है कि सम्मनकी तामील मुद्दाअलेह के किसी एजन्ट मोहतमिम जायदाद मजकूर पर कीजाये—

१५—अगर किसी मुक़द्दमे में मुद्दाअलेह दस्तियाव न हो और कोई एजन्ट भी उसका न हो जो उसकी तरफ से सम्मन लेनेका मजाज़हो तो जायज़ है कि तामील सम्मन मजकूर की मुद्दाअलेह के किसी अहलखानदान वालिग अजक़िस्म जकूर पर जो उसके साथ रहताहो कीजाय— दफा ७८

तामील मुद्दाअलेह के अहल खानदान अज क़िस्म जकूर पर

तशरीह—मुलाज़िमहस्ब माने इस क़ायदे के अहलखानदान में दाखिल नहीं है—

१६—जब अहलकार तामील कुनिन्दः सम्मन की नकल मुद्दाअलेह को असालतन् या मुद्दाअलेह के लिये उसके किसी एजन्ट और शख़्स को हवाले या उसके सामने पेश करै तो तामीलकुनिन्दः सम्मन को जरूर है कि उस शख़्स से जिसको नक़ल सम्मन हवाले हो या जिसके रूबरू नक़ल मजकूर पेश कीजाये सम्मन की तामील के अकबाल पर असिल सम्मन की पुस्तपर दस्तखत कराले— दफा ७६

जिस शख्सपर तामील कीजाय उससे तामीलके इक़बाल पर दस्तखत करनाहोंगे

१७—अगर मुद्दाअलेह या उसका एजन्ट या दीगर शख़्स मजकूरे वाला तामीलके अक़बालपर दस्तखत करने से इन्कार करै या अगर अहलकार तामीलकुनिन्दः को बाद कोशिश वाजबी व माकूलके मुद्दाअलेह न मिलसकै और कोई एजन्ट उसका न हो जो उसकी तरफ से सम्मन लेनेका मजाज़हो और कोई दूसरा ऐसा शख़्स भी न हो जिसपर सम्मनकी तामील होसके तो अहलकार तामीलकुनिन्दः सम्मनकी एक नक़ल उस मकानके बेरूनी दरवाजा या किसी और मंजर आमपर चस्पां करदेगा जिसमें मुद्दाअलेह अमूमन् रहताहो या कारबार करताहो या हुसूल मुनफ़ातके लिये वजात खास कोई काम करताहो और बाद अजां असिल सम्मन जारी करने वाली अदालत को वापिस करदेगा और उसकी पुस्तपर या किसी परचा मुन्सलिका पर यह लिखदेगा कि इस तौरपर नक़ल चस्पां कीगई और चस्पां करने के हालात और नाम और पता उस शख़्सका (अगर कोई शख़्सहो) कि जिसके जरिये से मकान मजकूरकी शिनाख्त हुईहो और दफा ८०

ज़ाब्ता अगर मुद्दाअलेह सम्मन लेने से इन्कार करै या दस्तियाब न हो।

जिसके सामने नक़ल चस्पां कीगईहो इस तहरीर में दर्ज करैगा—

दफ़ा ८१ — सम्मनकी पुश्तपर वक्त और तरीक़ा तामील लिखना चाहिये

१८—कुल्ला सूरतों में जब सम्मनकी तामील बमूजिब क़ायदे १६ के कीजाय अहलकार तामील कुनिन्दः को लाज़िम है कि असिल सम्मनकी पुश्तपर या किसी परचे मुन्सलका पर यह हाल खुद लिखै या किसी और से लिखवाये कि सम्मनकी तामील किस वक्त और किस तौरपर कीगई और नीज नाम और पता उस शख़्सका दर्ज करना चाहिये (अगर कोई ऐसा शख़्सहो) जिसने उस शख़्सकी शिनाख़्त कीहो जिसपर सम्मनकी तामील हुई और जिसने यह भी देखाहो कि सम्मन उसके हवाले या पेश कियागया—

दफ़ा ८२ — अहलकार तामील कुनिन्द: का इज़हार

१९—जब कोई सम्मन बमूजिब क़ायदे १७ के वापिस आये तो अदालतको अगर वापसी मुतअ़ल्लिक़: क़ायदा मज़कूर के तसदीक़ अहलकार तामील कुनिन्दः के हलफनामे से न हुईहो—लाज़िम होगा—और अगर वापसी की तसदीक़ हस्ब मज़कूर हुईहो तो अदालतको इख़्तियार होगा कि अहलकार तामीलकुनिन्दःको हलफ देकर हाल कार्रवाईका जो उसने कीहो दरयाफ्तकरे या दूसरी अदालतकी मारफत दरयाफ्त कराये और जायज है कि उस बाबमें तहक़ीक़ात मज़ीद जो उसकी दानिस्तमें मुनासिबहो अमल में लाये और ख़्वाह यह क़रार देगी कि सम्मनकी तामील हस्ब ज़ाब्ता होगई या जिस तौरपर उसकी दानिस्तमेंहो उसके तामील करनेका हुक्म देगी—

दफ़ा ८२ कि-स्मत से — तामील बतौर तरीक़ा मामूली

२०—(१) जब हस्ब इतमीनान अदालत यक़ीन करने की वजह हो कि मुद्दाअलेह इस ग़रज़ से कि सम्मन की तामील उस पर न होने पाये रूपोस रहता है या किसी और वजहसे सम्मन की तामील मामूली तौर से नहीं होसक्ती है तो अदालत यह हुक्म सादिर करैगी कि बज़रिये चस्पां करने एक पर्चे सम्मन के अदालत की किसी नज़रगाह आम पर और नीज मुद्दाअलेह के उस मकान के मंज़र आमपर (अगर कोई ऐसा मकान हो) जिसमें आख़िर मर्तबा उसका सकूनत रखना या कारबार करना या बग़रज़ मुनफ़ाअ के लिये बज़ात ख़ास काम करना मालूम हो या किसी और तौर से जो अदालत की मुनासिब मालूम हो सम्मन की तामील कीजाय—

(२) सम्मनकी तामील उस तरीकेपर जो बजाय तरीका मामूली के अदालत के हुक्मसे मुस्तअमल किया जाय उसी तरह मुतसव्विर होगी कि गोया सम्मन की तामील मुद्दाअलेहपर असालतन् कीगईथी— दफा ८३

तामीलमजकूरकाअसर

(३) जब सम्मन की तामील किसी और तरीक़ेपर बजाय तरीके मामूली के बमूजिब हुक्म अदालत के कीजाय तो अदालत मुद्दाअलेह की हाज़िरी के लिये उस क़दर मियाद मुक़र्रर करैगी जो बनज़र हालात उस सूरत के मुनासिब मालूम हो— दफा ८४

तामील मजकूर में हाज़िरीका वक्त मुक़र्रर होना चाहिये

२१—जब सम्मन किसी अदालतकी तरफसे जारी हो तो जायज है कि अदालत जारीकुनिन्दः उसको बज़रिये डाक या अपने किसी अहलकार के हाथ किसी अदालत में (सिवाय हाईकोर्ट के) जिसके इलाक़े में मुद्दाअलेह रहताहो इरसाल करै ख़्वाह यह अदालत उस सूबे में वाक़ैहो जहां अदालत जारीकुनिन्दःहो या किसी दूसरे सूबे में— दफा ८५

तामील सम्मन जब मुद्दाअलेह किसी दूसरी अदालतके इलाक़े में सकूनत रखताहो

२२—जब कोई सम्मन ऐसी अदालतसे सादिर हुआहो जो बलाद कलकत्ता और मदरास और बम्बई और रंगूनके हुदूद के बाहर मुक़र्रर हो और उसकी तामील हुदूद मजकूर के अन्दर करानी मंजूर हो तो सम्मन मजकूर उस अदालत मतालबाजात खफीफा में मुर्सिल कियाजायगा जिसके इलाके में सम्मन मजकूरकी तामील कराना मंजूरहो— दफा ८६

तामील बलाद प्रेसीडेंसी और रगून में ऐसे सम्मनों की जिनको बाहरकी अदालतें जारी करें

२३—जिस अदालत में सम्मन बमूजिब क़ायदे २१ या क़ायदे २२ भेजा जाय वह उसके वसूल होनेपर उसी तरह कार्रवाई करैगी गोया खुद उसने सम्मन जारी कियाथा बाद अज़ां उस सम्मन को उस कार्रवाई के साथ जो उसके मुतअल्लिक़ कीगई हो (अगर कुछ कार्रवाई हुई हो) अदालत जारी कुनिन्दः के पास मुर्सिल करैगी— दफा ८५

फर्ज उस अदालतका जिस में सम्मन भेजा जाय

२४-अगर मुद्दाअलेह मुक़ैद जेलखानाहो तो लाजिमहै कि सम्मन दफा ८७ व ८८

तामील मुद्दाअलेह पर जेल में

वज़रिये डाक या और किसी तरीक़े से अफ़सर इन-चारज कैदख़ाना के पास भेजाजाय कि मुद्दाअलेह पर उसकी तामील कराये—

दफा ८६ २५—अगर मुद्दाअलेह बृटिशइण्डियाके बाहर रहताहो और बृटिशइण्डिया में ऐसा कोई एजन्ट न रखताहो जो सम्मन लेनेका मजाज़ हो तो सम्मन लिफाफे में बंद होकर मुद्दाअलेह के पास उसके घर के पते से वज़रिये डाक मुर्सिल किया जायगा अगर उसके मकान से उस मुक़ाम तक जहां अदालत वाक़ै है डाक जारीहो—

तामील जब मुद्दाअलेह बृटिशइण्डियाके बाहर रहताहो और बृटिशइण्डिया में कोई एजन्ट न रखताहो

दफ़ा ९० २६— जब—

तामील रियासतों में मारफ़त पुलिटिकल एजन्ट या अदालतके

(अलिफ) ब तामील इख़्तियारात ख़ारजिया जो आला हज़रत मलिकमोअज़्ज़म या नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर बइजलास कौंसल को हासिल हैं कोई पुलिटिकल एजन्ट मुकर्रर हुवा हो या कोई अदालत मुकर्रर हुई या कायम रक्खी गईहो मये इख़्तियार तामील ऐसे सम्मन के जिसको किसी अदालत ने हस्ब मजमूअः हाज़ा किसी रियासत ग़ैर में जहां मुद्दाअलेह रहता हो जारी कियाहो—

(बे) या जब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल ने गज़ट आफइण्डिया में यह एलान कर दियाहो कि सम्मन मज़कूर की तामील ऐसी अदालत वाक़ै रियासत मज़कूर के ज़रिये से कीजाय जो बतामील इख़्तियारात ख़ारजिया मज़कूरकी मुकर्रर न हुईहो और न क़ायम रक्खी गईहो—

तो जायज़ है कि सम्मन मुद्दाअलेहपर तामील पानेकी ग़रज़ से पुलिटिकल एजन्ट के पास या अदालत में वज़रिये डाक या और तरहपर भेजाजाय और अगर पुलिटिकल एजन्ट या अदालत सम्मन को साथ इबारत जोहरी दस्तख़ती पुलिटिकल एजन्ट मज़कूर या जज या दीगर अफ़सर अदालतके वापिस करे कि सम्मन की तामील हस्बज़ाबता हो

नक़लअर्ज़ी क़वायद हाज़ा में दर्ज है मुद्दाअलेह पर करदी गई तो वह इबारत जोहरी सम्मन की तामीलका सबूत समझी जायगी—

२७—अगर मुद्दाअलेह अफ़सर सरकारीहो (मगर आला हज़रत मलिकमोअज़्ज़मकी अफवाज वर्री या वहरी या इण्डियन् मरियन सरविससे तअल्लुक़ न रखता हो) या किसी रेलवे कम्पनी या हुक्काम मौक़ा का मुलाज़िमहो तो अदालत सम्मन को मुद्दाअलेह पर तामील होने के लिये मये एक नक़ल के जिसको मुद्दाअलेह रखलेगा उस दफ़्तर के सरदफ़्तर के पास इरसाल करैगी जिसमें कि मुद्दाअलेह मुलाज़िमहो—अगर इस तरीक़े से तामील सम्मन का वसहूलत होना पायाजाय— दफा ४२२

तामील सिविलअफ़्सर सरकारी या मुलाज़िम रेलवे कम्पनी या मुलाज़िम हुक्काम मौक़ेपर

२८—जब कि मुद्दाअलेह फौजी सिपाही है तो अदालत सम्मन की तामील के लिये मये एक नक़ल के जिसको मुद्दाअलेह रखलेगा उसके कमान अफ़्सर के पास इरसाल करैगी— दफा ४६८

तामील सिपाहीपर

२९—(१) जब सम्मन हस्ब क़ायदे २४ या क़ायदे २७ या क़ायदे २८ तामील के लिये किसी शख़्स के हवाले किया जाय या उसके पास भेजा जाय तो उसको लाज़िम होगा कि हत्तुल इमकान इसकी तामील कराये और बाद अपने दस्तख़तके और मुद्दाअलेह से रसीद लिखवाके उसको वापिस करै और उसके दस्तखत तामील का सबूत समझे जायेंगे— दफ़ा ४६८

फ़र्द उस शख़्स का जिसके हवाले सम्मन तामीलके लिये किया जाय

(२) अगर किसी वजह से तामील मुमकिन न हो तो सम्मन अदालतमें मय पूरी कैफ़ियत वजह अदम तामील और उन तदाबीर के जो तामील कराने के लिये कीगई वापिस भेजाजायगा और यह कैफ़ियत सम्मन की अदम तामील का सबूत मुतसव्विर होगी—

३०—(१) अदालत को इख़्तियार है कि बावजूद किसी इबारत मुन्दर्जै मासबक़ के सम्मन के एवज़ एक खत जिस पर जज के दस्तखत या किसी और ओहदेदारके दस्तखत सिब्तहों जिसको जज उस काम के लिये मुक़र्रर करै मुद्दाअलेह के नाम भेजै जब कि उसका रुतबा अदालत के दानिस्त में ऐसी मराआत के लायक़ हो— दफा ९१

ख़तबजाय सम्मन

(२) उस खत में जो क़ायदा तहती (१) की रू से बजाय सम्मन के भेजाजाय वह तमाम मरातिब दर्ज होंगे जो सम्मन में दर्ज होना चाहिये और बलिहाज़ अहकाम मुन्दर्जे क़ायदे तहती (३) वह बहमावजूह एक सम्मन समझा जायगा—

दफ़ा ९२ (३) जो खत बजाय सम्मन भेजा जाय वह बज़रिये डाक या मारफत क़ासिद खास मुन्तखिब कियेहुये अदालत के या और किसी तरीके से जो अदालत के नज़दीक मुनासिब हों मुद्दाअलेह के पास भेजा जायगा और जब कि मुद्दाअलेह ऐसा कोई एजन्ट रखताहो जो सम्मन लेनेका मजाज़ हो तो जायज़ है कि खत मज़कूर एजन्ट के हवाले कियाजाय या बज़रिये डाक उसके पास भेजाजाय–

आर्डर ६

प्लीडिंग अमूमन्

जदीद

१–प्लीडिंग से अर्ज़ीदावा या बयान तहरीरी मुराद है—

प्लीडिंग

२–हर प्लीडिंग में सिर्फ एक मुख्तसिर बयान उन वाक़यात नफ़्स मुक़द्दमः का दर्ज होना चाहिये जिनपर प्लीडिंग पेश करनेवाला फरीक़ अपने दावा या जवाबदिही में (जैसी सूरत हो) इस्तदलाल करना चाहताहो–लेकिन इसमें शहादत दाखिल नहीं है जो उनके सबूत में पेश कीजाय और हस्ब ज़रूरत प्लीडिंग की तक़सीम दफ़आत पर होगी जिनपर नम्बर सिल्सिलेवार पड़ना चाहिये–और तारीख और रक़म और नम्बर हिन्दुसों में लिखना चाहिये—

प्लीडिंग में वाक़यात नफ़्स मुक़द्दमा ज़ाहिर होना चाहिये और उसमें सबूत दाखिल नहीं है

३–अगर मुतअल्लिक़ हों तो वह नक़्शे जो ज़मीमा (अलिफ) में दर्ज है और अगर मुतअल्लिक़ न हो तो दूसरे नक़्शे क़रीब क़रीब उसी तरह के प्लीडिंग के वास्ते इस्तेमाल होना चाहिये–

[illegible]

४–जुमला सूरतों में जिनमें प्लीडिंग पेश करनेवाला फरीक़ किसी

दीगर जरूरीबातें भी दर्ज कीजानी हैं

खिलाफ बयानी या फरेब या खियानत या क़सूर बिल्अ-मद या दाव नाजायज़ पर इस्तदलाल करे और जुम्ला दीगर सूरतों में जिनमें सिवाय मरातिब मुन्दर्जे फार्म मजकूर के और बातोंका भी लिखना जरूरी हो यह दूसरे मरातिब भी (मये तारीख और रकूम के अगर जरूरत हो) प्लीडिंग में दर्ज होना चाहिये—

बयान या तफसीलात मज़ीद उम्दा तौर से

५-जायज है कि बहिफ़्ज़ शरायत मुनासिब निस्बत खर्चा और निहज़ दीगर के जुम्ला सूरतों में इस बातका हुक्म दियाजाय कि नौइय्यत दावा या जवाबदिही मजीद और उम्दा तौरसे बयान कीजाय या कोई अमर मुन्दर्जे प्लीडिंग ज़ियादः तफसील के साथ बयान कियाजाय—

शर्त मुक़द्दम

६-लाजिम होगा वह शर्त मुकद्दम जिसके ईफा और वकूअ का वहम तलब होना मक़सूद हो मुद्दई या मुद्दाअलेह जैसी सूरत हो-अपनी प्लीडिंग में साफ साफ सराहत के साथ दर्ज करै-और बक़ैद उस के लाजिम होगा कि जुम्ला शरायत मुकद्दम के ईफा और वकूअका एक बयान जो बमुकद्दमा मुद्दई या मुद्दाअलेह जरूरी हों उसकी प्लीडिंग से समझाजाय—

तजावीज़ करना

७-सिवाय बतौर तरमीमके किसी प्लीडिंग में कोई नई बिनायदावा मुन्दर्ज नहीं कीजायगी और न उसमें कोई अमर मुत-अल्लिक वाकिआ जो फरीक़ पेश कुनिन्दः प्लीडिंगकी साबिक़ प्लीडिंगके खिलाफ हो बयान कियाजायगा—

इन्कार निस्बत मआहिदा

८-जब किसी प्लीडिंग में किसी माहिदे का बयान हो तो महज इन्कार बतअल्लुक माहिदा मजकूर से जो मिनजानिब फरीक़ सानी हो सिर्फ वह इन्कार समझा जायगा जो फिलवाकै माहिदे सरीह

इन्कार समझा जायगा

मजहरा या उन अमूर वाक़ियातीसे मुतअल्लिक़ है जिनसे माहिदा मजकूर जाहिर होता हो और न कि माहिदा मजकूरके जो अज़्बा तुज़्स कानूनी से—

असर दस्तावेज का बयान करना चाहिये

९-जब मजमून किसी दस्तावेजका अमर नफ़्स मुक़द्दमा हो तो यह काफी होगा कि किसी प्लीडिंग मे जहांतक मुमकिन हो इख़्तिसारके साथ बगैर बयान करने कुल या किसी जुज़ो मजमून मज़कूरके सिर्फ उस मजमूनका असर बयान कियाजाय इल्ला

उस सूरत में कि जब दस्तावेज़ या उसके किसी जुज़्वके ठीक अलफ़ाज़ अमूर नफ़्स मुक़द्दमाहों—

१०—जब किसी शख़्सकी अदावत या फ़रेब आमेज़ इरादा या इल्म या उसके दिलकी और हालत बयान करना ज़रूरीहो तो सिर्फ़ अदावत या फरेब आमेज इरादा वग़ैरः को बतौर एक अमर वाक़िआके बयान करदेना काफ़ी होगा वग़ैर बयान करने उन हालातके जिनसे वह इस्तनबात होसक्ताहो—

अदावत इल्म वगैर.

११—जब यह ज़ाहिर करना ज़रूरीहो कि किसी अमर वाक़िआ या मामिला या चीज़की निस्बत किसी शख़्सको नोटिस है तो उस नोटिसको बतौर एक अमर वाक़िआके बयान करना काफ़ी होगा इल्ला उस हालमें कि जब उस नोटिसका फार्म या उसकी ठीक श- रायत या वह हालात जिनसे वह नोटिस समझा जासक्ताहो अमूर नफ़्स मुक़द्दमाहों—

नोटिस

१२—जब कोई माहिदा या तअल्लुक़ मावैन किन्हीं अशख़ासका मु- स्लसल ख़तूत या गुफ़्तगू या बनिहज दीगर मुतादिद हालात से समझना मक़सूदहो तो माहिदा या तअल्लुक़ मज़कूरको बतौर एक अमर वाक़िआके बयान करना और अमूमन् ऐसे ख़तूत या गुफ़्तगू या हालातको मजकूर करना काफ़ी होगा वग़ैर बयान मुफ़स्सिलके—और अगर ऐसी सूरत में शख़्स पेश कुनिन्दः प्लीडिंग मज़कूरको बजाय एक माहिदा या तअल्लुक़के ज़्यादा माहिदात या तअ- ल्लुक़ात पर इस्तदलाल करना मंज़ूरहों जो हालात मज़कूरसे समझे जायें तो उसको इख़्तियार होगा कि यत्तज़न् उन्हें बयान करे—

माहिदा या तअल्लुक़का मफ़्हूम होना

१३—ज़रूर नहीं कि कोई फ़रीक़ किसी प्लीडिंगमें वह अमर वाक़िआ ज़ाहिरकरै जिसका क़यास अज़रूय क़ानून बहक़ उसके हो या जिसका बार सबूत फ़रीक़ सानी पर हो इल्ला उस हाल में कि जब उनसे सब्बतन् सराहत के साथ इन्कार किया गया हो (मसलन् मा- विज़ा बाबत बिल आफ़ एक्सचेंज के जब कि मुद्दई सिर्फ़ बर बिना बिल आफ़ एक्सचेंज मज़कूर के नालिश करै और न कि वास्ते माविज़ा ब- तौर बिनाय दावा असली के)

[illegible] क़ानून का

१४—लाज़िम होगा कि हर प्लीडिंग पर फ़रीक़ और उसका वकील

प्लीडिंगपर दस्तख़त सिब्त होंगे — (अगर कोई वकील हो) दस्तख़त सिब्त करे बशर्ते कि जब फरीक़ पेशकुनिन्दः प्लीडिंग बवजह गैर हाज़िरी या और किसी वजह माकूल के प्लीडिंगपर दस्तख़त न करसके तो जायज है कि वह शख़्स उसपर दस्तख़त करे जो उसकी तरफ से प्लीडिंग मजकूर पर दस्तख़त करने या नालिश या जवाबदिही करने के वास्ते मुख़्तारजी इख़्तियार कियागया हो—

१५-(१) बजुज़ उसके कि क़ानून नाफिज़ुल वक़्त में बनिहज दीगर हुक्म हो हर प्लीडिंग के जैल में फरीक़ या मिन्जुम्ला फरीक़ैन प्लीडिंग के एक फरीक़ या कोई और शख़्स जिसका मुक़द्दमे के वाक़ियात से वाक़िफ होना हस्ब इतमीनान अदालत साबित हुआ हो उसकी तसदीक़ करेगा— दफा ५१

तसदीक़ प्लीडिंग की

(२) तसदीक़कुनिन्दः नम्बर दी हुई दफाआत प्लीडिंग का हवाला देकर इस अमर को सराहत के साथ बयान करेगा कि किस बात की तसदीक़ अपने इल्म से करता है और किस बात की तसदीक़ बर बिनाय इत्तिला के करता है जो उसको मिली है और जिसका सच होना वह यक़ीन करता है— दफा ५२

(३) इबारत तसदीक़ पर तसदीक़ करनेवाले के दस्तख़त सिब्त होंगे और दस्तख़त की तारीख और मुक़ाम लिखा जायगा—

१६—अदालत कार्रवाई की किसी नौबत पर हुक्म देसक्ती है कि फलां अमर मुन्दर्जै प्लीडिंग जो गैर जरूरी या इश्तआमेज़ हो या जिससे मुन्सिफ़ाना तजवीज मुक़द्दमे में जरर या खलल या ताख़ीर पड़े खारिज या तरमीम किया जाये—

इख़राज प्लीडिंग

१७—अदालत कार्रवाई की किसी नौबत पर इजाजत देसक्ती है कि कोई फरीक़ मुनासिब तौर और शरायत पर अपनी प्लीडिंग को बदले या उसकी तरमीम करे—और इस किस्म की सब तरमीमात अमल में आयेंगी जो बगरज तसफिया असिल अमूर मुतनाज़िआ फरीक़ैन के जरूरी हों— मुक़ाबिला करो दफा ५३

तरमीम प्लीडिंग

१८-अगर कोई फरीक़ जिसने हुक्म इजाजत तरमीम हासिल किया हो अन्दर मुद्दत मुअय्यना हुक्म मजकूर या अगर कोई मुद्दत उस हुक्म में मुअय्यन न हो तो तारीख इसदार मुक़ाबिला करो दफा ५३

बाद हुक्म के तरमीम न करना

हुक्म से चौदह रोज़ के अन्दर मुताबिक़ हुक्म मज़कूर तरमीम न करे तो उसको बाद इनक़ज़ाय मुद्दत मुअय्यना मज़कूर या मुद्दत चौदह रोज मज़कूर के याने जैसा मौक़ा हो तरमीम करने की इजाज़त न होगी इल्ला उस हाल में कि जब मुद्दत मज़कूर को अदालत बढ़ादे—

आर्डर ७

अर्ज़ीदावा

दफ़ा ५० १— अर्ज़ीदावे में मरातिब मुन्फ़सिले ज़ैल मुन्दर्ज होंगे—

मरातिब जो अर्ज़ीदावे में मुन्दर्ज होंगे

(अलिफ़) नाम उस अदालत का जिसमें नालिश रुजूअ कीजाय—

(बे) नाम और वल्दियत और क़ौम और पेशा वग़ैरा और जाय सकूनत मुद्दई की—

(जीम) नाम और वल्दियत और क़ौम और पेशा और जाय सकूनत मुद्दाअलेह की जहांतक की दरयाफ़्त होसके—

(दाल) जब कि मुद्दई या मुद्दाअलेह नाबालिग या फ़ातिरुल् अक़्ल हो तो एक बयान उस मज़मूनका—

(हे) वह वाक़िआत जो मुक़द्दमःकी बिनाय दावा हों और यह कि बिनाय दावा कब पैदा हुई—

(वाव) वह वाक़िआत जिनसे मालूमहो कि अदालतको इख़्तियार समाअत हासिलहै—

(ज़े) वह दादरसी जो मुद्दई चाहताहो—

(हे) अगर मुद्दई ने दावा में कुछ मुजरा दियाहो या दावाके किसी जुज़ो को तर्क कियाहो तो मुजरा दिये हुये या तर्क किये हुये जुज़ोकी तादाद—और

(तो) एक बयान मालियत शय मुतदाविया नालिशका बग़रज़ इख़्तियार समाअत दरसूम अदालत के जहांतक कि बलिहाज़ मुक़द्दमा मुमकिनहो—

(२) अगर मुद्दई ज़रनक़्द दिलापाने का दावीदार हो तो अर्ज़ीदावे दफा ५०
नालिशातनक़्दी में | में जरदावे की सही तादाद लिखी जायगी–

मगर जब कि मुद्दई की नालिश जर वासिलातकी हो या इस तरहकी हो कि जर याफ़्तनी मुद्दई उसके और मुद्दाअलेह के दरमियान हिसाबात गैर तैशुदः के लिये जानेपर मालूम होगा तो अर्ज़ीदावेके अंदर ज़र मुतदाविियाकी तखमीनी तादाद लिखनी होगी–

(३) जब कि शय मुद्दा वहाय नालिश जायदाद गैर मन्कूला हो तो दफा ५०
जब कि शय मुद्दा वहाय नालिश जायदाद गैर मन्कूलाहो — | अर्ज़ीदावे में जायदाद का पता व निशान दर्ज होगा कि फ़िक़रह ३
जिससे उसकी बखूबी शिनाख़्त होसके अगर जायदाद मजकूरकी शिनाख़्त चौहद्दी या नम्बर हाय मुन्दर्जे कागजात बन्दोबस्त या नक़्शा पैमायश से होसक्ती हो तो अर्ज़ीदावे में चौहद्दी व नम्बर हाय मजकूर सराहत के साथ मुन्दर्ज होंगे–

(४) जब कि मुद्दई बहैसियत क़ायम मुक़ामी के नालिश करै तो दफा ५०
जब कि मुद्दई बहैसियत क़ायम मुक़ामी के नालिश करे | अर्ज़ीदावे में न सिर्फ यह ज़ाहिर किया जायगा कि फ़िक़रह ४
मुद्दई शय मुद्दावहा में एक वाक़ई गरज़ मौजूद: रखताहै बल्कि यह भी लिखा जायगा कि उसके दिलापानेकी नालिश कर सकने के लिये जो जो कार्रवाई (अगर कोई कार्रवाई हो) ज़रूरीथी उसको मुद्दई अमल में लाचुकाहै—

५– अर्ज़ीदावे में यह ज़ाहिर करना चाहिये कि मुद्दाअलेह शय मुद्दा दफा ५०
मुद्दाअलेहकी गरज़ व जिम्मेदारी ज़ाहिर करना चाहिये | वहायें गरज़ रखताहै या गरज़ रखनेका दावा करताहै फ़िक़रह ५
और ज़िम्मेदार इस बातका है कि मुद्दई के मतालबः की जवाबदिही उससे कराईजाय–

६–अगर नालिश उस मुद्दतके मुन्क़ज़ी होजाने के बाद रुजूअ की दफा ५०
वजूह इस्तस्ना क़ानून हद्दसमाअतसे | जाय जो कानून हद समाअत में मुक़र्रर है तो अर्ज़ी- फ़िक़रह ६
दावे में वह वजह ज़ाहिर की जायेगी जिससे मुद्दई क़ानून मज़कूर से इस्तस्नाका दावा करताहै—

७– हर अर्ज़ीदावे में वह दादरसी सराहत के साथ लिखी जायेगी
दादरसी की सराहत करना चाहिये | सिर्फ जिसका मुद्दई दावा करताहै या बजाय उसके किसी और दादरसी का–और उस आम या दीगर दादरसी का दावा करना ज़रूर न होगा जो हमेशः उसी हद्दतक अता

होसक्ती है कि गोया उसका दावा किया गयाहै जैसा अदालत क़रीन इन्साफ समझे और वही क़ायदा मुद्दाअलेहकी दादरसी से मुतअल्लिक होगा जिसका वह बयान तहरीरी में दावेदारहो—

८— जब मुद्दई दादरसी निस्वत चंद मुख्तलिफ दआवी या विनाहाय दावाका मुस्तदईहो जो मुख्तलिफ व अलाहिदा वजूह पर मुवनी हों तो जहांतक मुमकिन होवे अलाहिदा अलाहिदा और साफ साफ बयान कीजायगी—

दादरसी जो अलाहिदा वजूह पर मुवनी है

९—(१) मुद्दई को लाजिम है कि एक फेहरिस्त उन तमाम दस्तावेजात की (अगर कोई हों) जो मुद्दई ने अर्जीदावे के साथ पेश की हों अर्जीदावे की पुश्तपर लिखदे या अर्जीदावे के साथ मुन्सलिक करदे और अगर अर्जीदावा मंजूर हो तो अर्जीदावा की उस क़दर नकलें सादे कागज पर पेश करे जिस क़दर मुद्दाअलेहुम् हों इल्ला उस सूरत में कि अदालत अर्जीदावे की तवालत या मुद्दाअलेहुम् की तादाद के लिहाज से या किसी और वजह काफी से मुद्दई को इजाजत दे कि उसी तादाद के मुख्तसिर बयानात नस्वत दावा या दादरसी मुतदाविया के जिसकी नालिश कीजाय दाखिल करे पस ऐसी सूरत में मुद्दई ऐसे बयानात दाखिल करेगा—

कार्रवाईबाद मंजूरी अर्जीदावाके

मुख्तसिर बयानात

(२) अगर मुद्दई बहैसियत क़ायम मुक़ामी नालिश करे या मुद्दाअलेह पर या मुद्दाअलेहुम् में से किसीपर बहैसियत क़ायम मुक़ामी नालिश कीजाय तो बयानात मजकूर से वाजेह होना चाहिये कि मुद्दई किस हैसियत से नालिश करता है या मुद्दाअलेह पर उसकी किस हैसियत से नालिश हुई है—

(३) मुद्दई को इख्तियार है कि बइजाजत अदालत बयानात मजकूर को इस ग़रज से दुरुस्त करे कि वह अर्जीदावे के मजमून के मुताबिक़ होजाये—

(४) अदालत का अहलकार अहकाम के तामील करने वाला उन फेहरिस्त और नकलों या बयानात मुतज़िकरह सदर पर उस सूरत में दस्तखत करेगा जब तक उनका मुक़ाबला करने के वक्त उनको सही पाये—

(५) अर्जीदावा मुक़दमा की किसी नौवतपर उस अदालत में

अर्ज़ीदावे की वापिसी | दाखिल होने के लिये वापिस कियाजायेगा जिस में
ह मुक़द्दमा दायर होना चाहिये था—

(२) अर्ज़ीदावा वापिस करने के वक्त जज अर्ज़ीदावा की पुश्तपर
र्रवाई अर्ज़ीदावा की पिसी पर | उसकी अद्खाल की तारीख और नीज तारीख वापिसी
की और नाम शख़्स पेश कुनिन्दः का मुख़्तसिर हाल
स अमर का कि किस वजह से वापिस कियागया लिख देगा—

११—नीचे लिखीहुई सूरतों में अर्ज़ीदावा नामंज़ूर कियाजायेगा— दफ़ा ५३ व ५४

र्ज़ीदावा की नामंज़ूरी

(अलिफ़) अगर अर्ज़ीदावे से कोई बिनाय दावा जाहिर न होतीहो—

(बे) अगर दादरसी मुतदाविया का तअय्युन मालियत कम किया गयाहो और मुद्दई उस मीयाद के अन्दर जो अदालत मुक़र्रर करेगी अदालत के हुक्म के बमूजिब कमी मालियतकी इसलाह न करे—

(जीम) अगर दादरसी मुतदाविया का तअय्युन वाजबी कियागया हो लेकिन अर्ज़ीदावा कम क़ीमत के इस्टाम पर तहरीर हुआहो और जब मुद्दई को अदालत हुक्म दे कि वह अन्दर मीयाद मुअय्यनः अदालत के इस्टाम मतलूबा को पूरा करदे और वह उसमें क़ासिर रहे—

(दाल) अगर अर्ज़ीदावे की बयान से नालिश क़ानून की रू से ममनूअउल समाअत हो—

१२—जब अर्ज़ीदावा नामंज़ूर कियाजाय तो जज को लाजिम है कि दफ़ा ५५
र्रवाई अर्ज़ीदावे की मंज़ूरीपर | हुक्म नामंज़ूरी का मये वजह उस हुक्म के तहरीर करे—

१३—नामंज़ूर होना अर्ज़ीदावे का वरबिना किसी वजह मिनजुम्ला दफ़ा ५६
कि नामंज़ूरी अर्ज़ीदावे से नई अर्ज़ीदावे गुज़रानना ममनू न हो | वजूह मरक़ूमे वाला बतौर खुद माने इसका न होगा
कि मुद्दई उसी बिनाय दावा की बाबत नया अर्ज़ीदावा
गुजराने—

होसक्ती है कि गोया उसका दावा किया गयाहै जैसा अदालत करीन
इन्साफ समझे और वही क़ायदा मुद्दाअलेहकी दादरसी से मुतअल्लिक
होगा जिसका वह बयान तहरीरी में दावेदारहो—

दादरसी जो अलाहिदा वजूह पर मुबनी है

८— जब मुद्दई दादरसी निस्बत चंद मुख़्तलिफ दआवी या बिनाहाय
दावाका मुस्तदईहो जो मुख़्तलिफ व अलाहिदा
वजूह पर मुबनी हों तो जहांतक मुमकिन होवे अला-
हिदा अलाहिदा और साफ साफ बयान कीजायगी—

कार्रवाई बाद मंज़ूरी अर्ज़ीदावाके

९—(१) मुद्दई को लाजिमहै कि एक फेहरिस्त उन तमाम दस्तावेजात
की (अगर कोई हों) जो मुद्दई ने अर्ज़ीदावे के साथ
पेश की हों अर्ज़ीदावे की पुश्तपर लिखदे या अर्ज़ी-
दावे के साथ मुन्सलिक करदे और अगर अर्ज़ीदावा मंज़ूर हो तो
अर्ज़ीदावा की उस क़दर नकलें सादे कागज पर पेश करे जिस क़दर
मुद्दाअलेहुम् हों इल्ला उस सूरत में कि अदालत अर्ज़ीदावे की तवालत
या मुद्दाअलेहुम् की तादाद के लिहाज से या किसी और वजह काफी से

मुख़्तसिर बयानात

मुद्दई को इजाज़त दे कि उसी तादाद के मुख़्तसिर
बयानात नफ़्सियत दावा या दादरसी मुतदाविया के जिसकी नालिश कीजाय
दाखिल करे पस ऐसी सूरत में मुद्दई ऐसे बयानात दाखिल करैगा—

(२) अगर मुद्दई बहैसियत कायम मुकामी नालिश करे या मुद्दाअ-
लेह पर या मुद्दाअलेहुम् में से किसीपर बहैसियत क़ायम
मुकामी नालिश कीजाय तो बयानात मजकूर से वाज़ेह होना
चाहिये कि मुद्दई किस हैसियत से नालिश करता है या मुद्दाअ-
लेह पर उसकी किस हैसियत से नालिश हुई है—

(३) मुद्दई को इख़्तियार है कि बइजाज़त अदालत बयानात मज-
कूर को इस गरज से दुरुस्त करे कि वह अर्ज़ीदावे के मज-
मून के मुताबिक होजायं—

(४) अदालत का अहलकार अहकाम के तामील करने
वाला उन फेहरिस्त और नकलों या बयानात मुतज़्किरह
सदर पर उस सूरत में दस्तख़त करैगा जब वह उनका मुका-
बला करने के वक्त उनको सही पावे—

(५) अर्ज़ीदावा मुकाबला की किसी नौबतपर उस अदालत में

अर्ज़ीदावे की वापिसी | दाखिल होने के लिये वापिस कियाजायेगा जिस में वह मुक़दमा दायर होना चाहिये था—

(२) अर्ज़ीदावा वापिस करने के वक्त जज अर्ज़ीदावा की पुश्तपर उसकी अदखाल की तारीख और नीज तारीख वापिसी की और नाम शख़्स पेश कुनिन्दः का मुख़्तसिर हाल इस अमर का कि किस वजह से वापिस कियागया लिख देगा—

कार्रवाई अर्ज़ीदावा की वापिसी पर

११—नीचे लिखीहुई सूरतों में अर्ज़ीदावा नामंज़ूर कियाजायेगा— दफ़ा ५३ व ५४

अर्ज़ीदावा की नामंज़ूरी

(अलिफ़) अगर अर्ज़ीदावे से कोई विनाय दावा ज़ाहिर न होतीहो—

(बे) अगर दादरसी मुतदाविया का तअय्युन मालियत कम किया गयाहो और मुद्दई उस मीयाद के अन्दर जो अदालत मुक़र्रर करेगी अदालत के हुक्म के बमूजिब कमी मालियतकी इसलाह न करे—

(जीम). अगर दादरसी मुतदाविया का तअय्युन वाजबी कियागया हो लेकिन अर्ज़ीदावा कम क़ीमत के इस्टाम पर तहरीर हुआहो और जब मुद्दई को अदालत हुक्म दे कि वह अन्दर मीयाद मुअय्यनः अदालत के इस्टाम मतलूबा को पूरा करदे और वह उसमें क़ासिर रहे—

(दाल) अगर अर्ज़ीदावे की बयान से नालिश क़ानून की रू से ममनूअउल समाअत हो—

१२—जब अर्ज़ीदावा नामंज़ूर कियाजाय तो जज को लाज़िम है कि हुक्म नामंज़ूरी का मये वजह उस हुक्मके तहरीर करे— दफ़ा ५५

कार्रवाई अर्ज़ीदावे की नामंज़ूरीपर

१३—नामंज़ूर होना अर्ज़ीदावे का बरबिना किसी वजह मिनजुम्ला वजूह मरक़ूमे वाला बतौर ख़ुद मानै इसका न होगा कि मुद्दई उसी विनाय दावा की बाबत नया अर्ज़ीदावा गुज़राने— दफ़ा ५६

जबकि नामंज़ूरी अर्ज़ीदावे से नई अर्ज़ीदावे का गुज़रानना ममनूअ न हो

दस्तावेज़ात जिनपर अर्ज़ीदावा में इस्त-दलाल कियागया हो—

दफ़ा ५९ १४—(१) अगर मुद्दई किसी दस्तावेज़ की रू से नालिश करे औ उसके पास या उसके इख़्तियार में हो तो उसको लाज़िम है कि दस्तावेज़ मजकूर अर्ज़ीदावा दाख़िल करने के वक्त अदालत में पेश करे और दस्तावेज़ या उसकी एक नक़ल अर्ज़ीदावा के साथ नत्थी होने के लिये उसी वक्त हवाले करे—

उन दस्तावेज़ात की पेशी जिनकी बिना पर मुद्दई नालिश करे दस्तावेज़ या नक़ल दस्तावेज़की हवालगी

(२) अगर मुद्दई किसी और दस्तावेज़ात पर अपने दावाकी ताईद में बतौर सुबूत के इस्तदलाल करे (आम इससे कि वह उसके पास या उसके इख़्तियार में हों या न हों) तो उस को लाज़िम है कि दस्तावेज़ात मजकूर को एक फ़ेहरिस्त में दर्ज करे जो अर्ज़ीदावे में शामिल या उसके साथ नत्थी कीजायगी—

फ़ेहरिस्त दीगर दस्तावेज़की

दफ़ा ६० १५—अगर कोई ऐसी दस्तावेज़ मुद्दई के पास या उसके इख़्तियार में न हो तो जहांतक मुमकिन हो मुद्दई यह ज़ाहिर करेगा कि वह किसके क़ब्ज़ा या इख़्तियार में है—

मुद्दई ज़ाहिर करेगा जब कि दस्तावेज़ात उसके क़ब्ज़ा या इख़्तियार में न हों

दफ़ा ६१ १६—जब कोई मुक़द्दमा किसी काग़ज़ क़ाबिल ख़रीद व फ़रोख़्त पर मुबनीहो और काग़ज़ मजकूरका तलफ़ होजाना साबित हो और मुद्दई इस बातका इक़रारनामा हस्ब इतमीनान अदालत लिखदे कि आयन्दः अगर कोई और शख़्स उस काग़ज़की रूसे दावा करे उसका ज़िम्मेदार मुद्दई रहेगा तो अदालत उसी तरह डिगरी सादिर करसकेगी जिसतरह उस सूरत में सादिर करती जब कि मुद्दई काग़ज़ मजकूरको अपने अर्ज़ीदावेके साथ अदालत में पेश करता और उसी वक्त काग़ज़की एक नक़ल अर्ज़ीदावे के साथ नत्थी होनेके लिये दाख़िल करदेता—

नालिशात बर बिना दस्तावेज़ात क़ाबिल ख़रीद व फ़रोख़्त

दफ़ा ६२ ऐक्ट १८८२ १८९१ ई० १७—(१) बइस्तिस्नाय सूरत हाय ख़ास मुतज़किरः ऐक्ट शहादत बही खाते बंकर्स अर्ज़ीजात सर्कारी सन् १८९१ ई० अगर दस्तावेज़

जिसकी रूसे मुद्दई नालिशीहो तहरीर मुन्दर्जा किसी वहीखाता दूकान या दूसरे हिसावकीहो जो उसके पास या उसके इख़्तियारमें हो तो मुद्दईको लाज़िमहै कि अर्ज़ीदावा दाखिल करने के वक्त वह वही और हिसाव और नकल तहरीरकी जिसपर उसको इस्तदलालहै पेशकरै—

(२) अदालत या वह अहलकार जिसको अदालत उस कामके लिये मुक़र्रर करै फौरन् उस दस्तावेज़पर शिनाख़्तके लिये कुछ निशान करैगा और नकलको मुआयना असिलके साथ मुक़ाविला करके और अगर नक़ल सही पाईजाय तो उस की सेहतकी तसदीक़ लिखकर वही मुद्दईको वापिस करैगा और उस नक़लको शामिल मिसिल करायेगा—

असिलपरनिशान होकर वापिस कीजायेगी

१८-(१) जो दस्तावेज़ कि मुद्दईको वरवक्त गुजरने अर्ज़ीदावे के अदालत में पेश करनी या जो फेहरिस्त मुन्दर्जः या मुन्सलिकः अर्ज़ीदावे में दाख़िल करनी ज़रूरहो अगर वह इसी तौरपर पेश न कीजाय या दाख़िल न कीजाय तो मुक़द्दमाकी समाअ़तके वक्त वग़ैर इजाज़त अदालत के उसकी तरफ़ से वजह सवूत में न लीजायगी— दफ़ा ६३

दस्तावेज़ जो वरवक्त गुजरने अर्ज़ीदावे के पेश न कीजाय वह न ली जा सकेगी

(२) इस कायदेकी कोई इवारत उन दस्तावेजात से मुतअल्लिक़ नहीं है जो मुद्दाअलेहके गवाहों से जिरहके सवालात करने के लिये या वजवाव किसी मुकदमे के जो मुद्दाअलेहने क़ायम कियाहो अदालत में पेशहों या जो किसी गवाह को महज़ उस की याददिहीके लिये दीजायें—

आर्डर ८

बयान तहरीरी और मुजरा होनेका ज़िक्र—

१-मुद्दाअलेह को इख़्तियारहै कि ख़ुद या अगर अदालत हुक्मदे तो उसको लाज़िम होगा कि मुक़द्दमः की समाअत अव्वलके वक्त या उससे पहिले या उस मीयादके अन्दर जिसकी अदालत इजाजतदे अपनी जवावदिहीका एक बयान तहरीरी दाखिलकरै— दफ़ा ११०

बयान तहरीरी

नये वाक़ियात की निस्बत खास तौरपर बहस कीजायगी

२—ज़रूरहै कि मुद्दाअलेह बज़रियें अपने प्लीडिंगके यह जुम्ला अमूर बयान करै जिनसे यह साबितहो कि नालिश चल नहीं सक्ती है या यह कि मामिला अज़रूय कानून बातिल या काबिल बातिल करार दिये जानेके है और जुम्ला ऐसी वजूह जवाबदिहीकी बयान करै कि जिनको बयान न करने से ग़ालिबन फ़रीक़ मुखालिफ़को परेशानी होगी या जिनसे ऐसे अमूर तनकीह तलब वाक़ियाती पैदाहों जिनका अर्ज़ीदावे मे ज़िक्र न हो मसलन् फरेब या इनक़ज़ाय मीयाद समीआत या इबराय अदायगी या अन्जामदिही या ऐसे वाक़ियात जिनसे कानूनकी ख़िलाफवर्ज़ी साबितहो—

इन्कार खासतौर पर करना चाहिये—

३—मुद्दाअलेह के लिये सिर्फ यह काफी न होगा कि अपने इज़हार तहरीरी में आमतौरपर उन वजूहात नालिशसे इन्कारकरे जो मुद्दई की तरफ से बयान कियेजायें बल्कि उसको लाजिमहै कि हरबयान वाक़िआकी निस्बत जिसकी असलियत वह तसलीम न करताहो खासतौर पर जवाबदिही करै बजुज़ हर्जेके-

इन्कार करना मुजमलन तौर पर

४—अगर कोई मुद्दाअलेह किसी बयान वाक़िआ मुन्दर्जे अर्ज़ीदावा से इन्कार करै तो उसको चाहिये कि मुजमलन तौर पर उससे इन्कार न करै बल्कि असिल अम्र की निस्बत जवाब दे मसलन् अगर यह बयान कियाजाय कि उसने कोई खास रकम वसूल पाई तो यह काफी न होगा कि वह सिर्फ उस खास रकम के वसूल पाने से इन्कार करै बल्कि उसको लाजिमहै कि रकम मज़कूर या उसके किसी जुज़के वसूल पानेसे इन्कार करै या यह लिखे कि रकम मज़कूर का किस कदर हिस्सा वसूल पाया और अगर कोई वाक़िया मुख़्तलिफ हालात के साथ बयान कियाजाय तो उन्हीं हालात के शमूल में उससे इन्कार करना काफी न होगा—

[illegible]

५—हर बयान वाक़िआ मुन्दर्जे अर्ज़ीदावा जिसमें खासकर या मुस्तलज़िमन् बतौर लाज़िमी इन्कार न कियाजाय या जिसको नातसलीम करना मुद्दाअलेह की प्लीडिंग में बयान न कियाजाय तो यह मुतसव्विर होगा कि वह मुसल्लम होगया बजुज़ उस सूरत के कि वह सिर्फ जानिब नाक़ाबिल के खिलाफ हुआ—

मगर शर्त यह है कि अदालत अपनी सवाबदीद से किसी वाकियात को इस्व मजकूर मकबूल हुये हों मकबूली मज़कूर के सिवा किसी और तरह साबित करने का हुक्म देसक्ती है– दफा ५८ एक्ट १ सन् १८७२ ई०

६–(१) अगर किसी मुक़द्दमेमें जो वास्ते दिलापाने ज़रनक़्द के हो दफा १११

बयान तहरीरी में मतालिबा मुजरातलब की तफ़सील होना चाहिये

मुद्दाअलेह बमुक़ाबिले मुतालिबा मुद्दई के दावा मुजरा दिला पाने निस्बत ऐसे जरनक़्द के करै जो मुअय्यन हो और जो उसको क़ानूनन् मुद्दई से पाना है और जो अदालत के इख़्तियारात नक़्दी से बढ़के न हो और दोनों फरीक को वही हैसियत हासिल हो जो मुद्दई के दावे में उनको हासिल है तो यह बात जायज होगी कि मुद्दाअलेह मुक़द्दमे की समाअत अव्वल के वक़्त एक बयान तहरीरी जिसमें क़र्जा मुजरा की तफसील हो दाखिल करै लेकिन उसके बाद किसी और वक़्तपर दाखिल न करसकैगा इल्ला उस सूरत में अदालत से उसकी इजाजत मिले–

(२) ऐसा बयान तहरीरी मिस्ल अर्जीदावा नालिश मुक़ाबिल के

मुजरा दिलाने का असर

मवस्सिर होगा हत्ता कि अदालत को इख़्तियार होगा कि असिल दावा और उसके मुक़ाबिल के मुजरा दिलाने के दावा दोनोंकी निस्बत एकही मुक़द्दमा में फैसला क़तई सादिरकरै लेकिन तादाद डिगरीशुदः पर जो हक़ किसी वकील का बाबत उस खर्चे के हो जो डिगरी के बमूजिब उसको पाना हो उसपर वह फैसला मवस्सिर न होगा–

(३) क़वाअद मुतअल्लिक़ बयान तहरीरी मुद्दाअलेह उस बयान तहरीरीसे भी मुतअल्लिक़ होंगे जो मुजरा दिलाने के जवाबमेंहो–

तमसीलात

(अलिफ) जैदने दो हजार रुपये वास्ते उमरू के बतौर वसीयत छोड़े और बकर को अपना वसी और मूसालः बाक़ी मांदः का क़रार दिया उमरू फौत हुवा और खालिद ने मोहतममी तर्का उमरू के हासिल की और बकरने एक हजार रुपया बाबत ज़मानत खालिदके अदा किये बाद अजां खालिद ने बकर पर बाबत ज़र वसीयती के नालिश की बकर जर वसीयती में से एक हजार रुपया बाबत क़र्जा

नये वाक़ियात की निस्बत खास तौरपर बहस कीजायगी

२—ज़रूर है कि मुद्दाअलेह बज़रिये अपने प्लीडिंगके यह जुम्ला अम्र बयान करै जिनसे यह साबितहो कि नालिश चल नहीं सक्ती है या यह कि मामिला अज़रूय क़ानून बातिल या क़ाबिल बातिल क़रार दिये जानेके है और जुम्ला ऐसी वजूह जवाबदिहीकी बयान करै कि जिनको बयान न करने से ग़ालिबन फ़रीक़ मुख़ालिफको परेशानी होगी या जिनसे ऐसे अमूर तनक़ीह तलब वाक़ियाती पैदाहों जिनका अर्जीदावे में ज़िक्र न हो मसलन् फ़रेब या इन क़ज़ाय मीयाद समाअत या इबराय अदायगी या अन्जामदिही या ऐसे वाक़ियात जिनसे क़ानूनकी खिलाफवर्ज़ी साबितहो—

इन्कार खासतौर पर करना चाहिये—

३—मुद्दाअलेह के लिये सिर्फ यह काफ़ी न होगा कि अपने बयान तहरीरी में आमतौरपर उन वजूहात नालिशसे इन्कारकरै जो मुद्दई की तरफ से बयान कियेजायें बल्कि उसको लाज़िमहै कि हरबयान वाक़िआकी निस्बत जिसकी असलियत वह तसलीम न करताहो खासतौर पर जवाबदिही करै बजुज़ हर्जेके—

इन्कार करना मुजबजब तौर पर

४—अगर कोई मुद्दाअलेह किसी बयान वाक़िआ मुन्दर्जे अर्जीदावा से इन्कार करै तो उसको चाहिये कि मुजबज़ब तौर पर उससे इन्कार न करै बल्कि असिल अम्र की निस्बत जवाब दे मसलन् अगर यह बयान कियाजाय कि उसने कोई खास रक़म वसूल पाई तो यह काफी न होगा कि वह सिर्फ उस खास रक़म के वसूल पाने से इन्कार करै बल्कि उसको लाज़िमहै कि रक़म मज़कूर या उसके किसी जुज़्वके वसूल पानेसे इन्कार करै या यह लिखै कि रक़म मज़कूर का किस क़दर हिस्सा वसूल पाया और अगर कोई वाक़िआ मुख़्तलिफ हालात के साथ बयान कियाजाय तो उन्हीं हालात के शमूल में उससे इन्कार करना काफी न होगा—

इन्कार करना खास तौरपर [illegible]

५—हर बयान वाक़िआ मुन्दर्जे अर्जीदावा जिससे साफ़तौर या बिज़्ज़िमन् बतौर लाज़िमी इन्कार न कियाजाय या जिसको तसलीम न करना मुद्दाअलेह की प्लीडिंग में बयान न कियाजाय तो यह मुतसव्विर होगा कि वह मक़बूल होगया बजुज़ उस सूरत के कि वह सिर्फ़ शख़्स नाक़ाबिल के खिलाफ़ हो—

मगर शर्त यह है कि अदालत अपनी सवाबदीद से किसी वाक़ियात को इस्व मज़कूर मक़बूल हुये हों मक़बूली मज़कूर के सिवा किसी और तरह साबित करने का हुक्म देसक्ती है— दफ़ा ५८ ऐक्ट १ सन् १८७२ ई०

६—(१) अगर किसी मुक़द्दमेमें जो वास्ते दिला पाने ज़रनक़्द के हो दफ़ा १११

बयान तहरीरी में मतालिबा मुजरातलब की तफ़सील होनी चाहिये

मुद्दाअलेह वमुक़ाबिले मुतालिबा मुद्दई के दावा मुजरा दिला पाने निस्बत ऐसे ज़रनक़्द के करै जो मुअय्यन हो और जो उसको क़ानूनन् मुद्दई से पाना है और जो अदालत के इख़्तियारात नक़्दी से बढ़के न हो और दोनों फ़रीक़ को वही हैसियत हासिल हो जो मुद्दई के दावे में उनको हासिल है तो यह बात जायज होगी कि मुद्दाअलेह मुक़द्दमे की समाअत अव्वल के वक़्त एक बयान तहरीरी जिसमें क़र्ज़ा मुजरा की तफ़सील हो दाखिल करे लेकिन उसके बाद किसी और वक़्तपर दाखिल न करसकैगा इल्ला उस सूरत में अदालत से उसकी इजाजत मिले—

(२) ऐसा बयान तहरीरी मिस्ल अर्ज़ीदावा नालिश मुक़ाबिल के

मुजरा दिलाने का असर

मवस्सिर होगा हत्ता कि अदालत को इख़्तियार होगा कि असिल दावा और उसके मुक़ाबिल के मुजरा दिलाने के दावा दोनोंकी निस्बत एकही मुक़द्दमा में फ़ैसला क़तई सादिरकरै लेकिन तादाद डिगरीशुदः पर जो हक़ किसी वकील का बाबत उस खर्चे के हो जो डिगरी के बमूजिब उसको पाना हो उसपर वह फ़ैसला मवस्सिर न होगा—

(३) क़वाअद मुतअल्लिक़ बयान तहरीरी मुद्दाअलेह उस बयान तहरीरीसे भी मुतअल्लिक़ होंगे जो मुजरा दिलाने के जवाबमेंहो—

तमसीलात

(अलिफ़) जैदने दो हजार रुपये वास्ते उमरू के बतौर वसीयत छोड़े और बकर को अपना वसी और मूसालः बाक़ी मांदः का क़रार दिया उमरू फ़ौत हुवा और खालिद ने मोहतमभी तर्का उमरू के हासिलकी और बकरने एक हज़ार रुपया बाबत जमानत खालिदके अदा किये बाद अज़ां खालिद ने बकर पर बाबत ज़र वसीयती के नालिश की बकर ज़र वसीयती में से एक हज़ार रुपया बाबत क़र्ज़ा

के मुजरा नहीं पासक्ता है क्योंकि बकर और खालिद की जो हैसियत निस्बत अदाय मुबलिग़ एक हज़ार रुपया के है वही निस्बत माल वसीयती के नहीं है—

(बे) जैद बिला वसीयत और उमरू का मक़रूज मरगया बकर ने मोहतममी तर्का जैदकी हासिल की और उमरूने कुछ उस तर्का का बकरसे खरीद किया पस जो नालिश बाबत ज़र समन मिन्‌जानिब बकर बनाम उमरू हो उसमें उमरू उस कीमत में से अपना क़र्ज़ा मुजरा नहीं पासक्ता है क्योंकि यहां बकर की दो हैसियत मुख़्तलिफ हैं एक हैसियत दावा होनेकी बमुक़ाबिले उमरू के जिसमें कि वह उमरू पर नालिश करता है और दूसरी हैसियत कायम मुक़ामी जैदकी है—

(जीम) जैदने उमरू पर बज़रिये बिल्‌आफ एक्स चैंज के नालिश की उमरू बयान करता है कि जैदने उमरू के मालके बीमा कराने में बेजा गफलत की और वह जिम्मेदार मुआविज़ा का है जिसके मुजरा होनेका उमरू दावा करता है जोकि इस मामिले में तादाद रक़म मुजराई की मुतहक़्क़िक़ नहीं है इसलिये मुजरा नहीं दिलाई जासक्ती—

(दाल) जैदने उमरूपर पांच सौ रुपये के बिल आफ एक्स चैंजके ज़रिये से नालिशकी और उमरूके पास एक डिगरी बनाम जैद बाबत मुबलिग एक हजार रुपये के है जोकि यह दोनों दआवी रक़म मुअय्यन ज़र नक़दके हैं इसलिये एक बमुक़ाबिले दूसरे के मुजरा दिलाया जासक्ता है—

(हे) जैदने उमरूपर बाबत हर्जा एक मदाखिलत बेजाके नालिश की उमरूके पास एक परामेसरी नोट एक हजार रुपये का जैदका लिखाहुआ है और वह यह दावा करता है कि जो रुपया जैदको इस नालिश में दिलाया जाय उसमें से यह रकम मुजरा दीजाय उमरू ऐसा करसक्ता है इसवास्ते कि जब जैदको रुपया दिलाया जायगा तब दोनों रक़में ज़र नक़दकी मुतअय्यन होजायगी—

(वाव) ज़ैद और बकरने मिलकर एक हजार रुपया की नालिश उमरूपर की उमरू ऐसा कर्ज़ा जो तनहा याफ़्तनी उसका ज़ैदके ज़िम्मे है मुजरा नहीं पासक्ता है—

(ज़े) ज़ैदने बकर और उमरूपर एक हजारकी नालिशकी बकर ऐसा क़र्ज़ा जो तनहा याफ़्तनी उसका ज़ैदके ज़िम्मे है मुजरा नहीं पासक्ता है—

(हे) ज़ैद बकर और उमरूकी कोठी शराकतीका बक़दर एक हजार रुपये के देनदारहै बकर उमरूको छोड़कर फ़ौत होगया ज़ैदने उमरूपर बाबत क़र्ज़ा तादादी पन्द्रहसौ रुपया के जिसका उमरू बज़ात ख़ास देनदार था नालिशकी उमरूको इख़्तियारहै कि क़र्ज़ा एक हजार रुपयेका मुजराले—

७—जब मुद्दाअलेह जवाबदिही या मुजराईकी चंद जुदागाना वजूह पर इस्तदलालकरै जो अलाहिदा व मुख़्तलिफ़ वाकियातपर मुबनीहों तो जहांतक होसके वे अलाहिदा अलाहिदा और साफ साफ बयान कीजायगी—

जवाबदिही या मुजराई जो जुदागाना वजूहपर मुबनीहो

८—कोई वजह जवाबदिही या नालिशकी जो बाद इरजाय नालिश या अदख़ाल बयान तहरीरी के जिसमें मुजरा दिलाने का दावा कियाजाय पैदाहुईहो वह मुद्दाअलेह या मुद्दई के बयान तहरीरी में याने जैसी सूरतहो—पेश कीजासक्ती है— जदीद

जवाबदिही की वजह जदीद

९—कोई प्लीडिंग बजुज़ उसके जो मुजरा दिलानेकी जवाबदिहीमें हो मुद्दाअलेहका बयान तहरीरी दाख़िल होजाने के बाद नहीं लीजायेगी सिवाय बइजाज़त अदालतके और ऐसी शरायतपर जो अदालत मुनासिब समझै लेकिन अदालतको इख़्तियारहै कि जिसवक्त चाहै किसी फरीक़से बयान तहरीरी या तितम्मा बयान तहरीरी तलबकरै और उसके दाखिल होनेके लिये एक मीयाद मुक़र्ररकरै— दफा ११२

माबादकी प्लीडिंग

१०—अगर कोई फरीक़ जिससे हस्ब मजकूरवाला बयान तहरीरी तलबहुआहो उस मीयादके अन्दर बयान तहरीर दाखिल न करै जो अदालत से मुक़र्रर हुई हो तो अदालत मजाज होगी कि उस फरीक़ के खिलाफ तजवीज सादिर करै या मुकद्दमा की निस्बत कोई हुक्मदे जो मुनासिब मालूमहो— दफा ११३

कार्रवाई अगर कोई फरीक़ जिस से बयान तहरीरी तलब हुआ हो दाखिल न करै

आर्डर ९

ज़िक्र फ़रीक़ैन की हाज़िरी का और ग़ैर हाज़िरी के नतीजे का—

दफा ९६ १– जो तारीख सम्मन में मुद्दाअलेह की हाजिरी और जवाबदिहीके लिये मुकर्ररहो चाहिये कि फ़रीक़ैन असालतन् ख्वाह मारफत अपने विकलायके उसी तारीख पर अदालत में हाज़िरहों और तब मुक़द्दमा समाअत किया जायगा बशर्ते कि मुक़द्दमाकी समाअत किसी तारीख आइन्दह पर जो अदालत मुकर्रर करै मुल्तवी न कीजाय—

फ़रीक़ैन को उसवक्त हाज़िर होना चाहिये जो सम्मन में वास्ते हाज़िरी और जवाबदिही मुद्दाअलेह के मुकर्ररहो

दफा ९७ २–अगर बतारीख मुकर्ररः यह बात दरयाफ़्तहो कि सम्मन मौसूमः मुद्दाअलेह की तामील इस वजहसे नहीं की गई कि मुद्दई ने उसकी तामील की रसूम अदालत मतलूबा या महसूल डाक (अगर कुछ हो) जो वाजिबुलवसूल था अदा नहीं किया तो अदालत मजाज होगी कि मुकद्दमेकी डिसमिसीका हुक्म दे मगर शर्त यह है कि वह हुक्म मुतज़क्किरे वाला उस सूरतमें सादिर न किया जायगा जब कि मुद्दाअलेह उस तारीख को जो उसकी हाज़िरी और जवाबदिहीके लिये मुक़र्रर हो अदालत में असालतन् या मारफत किसी एजन्ट के जब वह एजन्ट की मारफत हाजिर होनेका मजाज़हो हाजिर होजाय—

डिसमिस कियाजाना मुक़द्दमे का जब सम्मन की तामील इस वजह से न हुई हो कि मुद्दई ने फ़ीस इजराय न दाखिलकी हो

दफा ९८ ३– अगर पेशी मुक़द्दमेके वक़्त फरीक़ैन में से कोई भी अदालत में हाज़िर न आये तो अदालत मजाज़ होगी कि हुक्म सादिर करै कि मुक़द्दमा डिसमिस किया जाय—

[illegible]

[illegible] ४–जब कोई मुक़द्दमा क़ायदा २ या ३ के बमूजिब डिसमिस किया

मुद्दई एक दूसरी नालिश रुजूअ करसक्ता है या अदालत नालिश अव्वल को फिर बरक़रार रक्खेगी

जाय मुद्दई को इख़्तियार रहैगा कि बमलहूज़ी क़ानून हद्द समाअ्त के नई नालिश करै या वास्ते सदूर हुक्म मन्सूख़ी डिसमिसी के दरख़्वास्त दे और अगर मुद्दई अदालत को इस बात से मुतमय्यन करदे कि रसूम अदालत मतलूबा और महसूल डाक वाजिबुल वसूल (अगर कुछ महसूल डाक हो) अन्दर मीयाद मुक़र्ररः अदालत क़ब्ल अज़ इजराय सम्मन के न दाख़िल करने या उसके न हाज़िर होने की वजह काफ़ी थी याने जैसी सूरत हो तो अदालत उस हुक्म डिसमिसी को मन्सूख़ करके एक तारीख़ वास्ते कार्रवाई मुक़दमे के मुक़र्रर करैगी—

५–(१) अगर बाद जारी होने सम्मन बनाम मुद्दाअलेह या बनाम एक शख़्स मिनजुम्ला चन्द मुद्दाअलेहुम् के और बाद बिला तामील वापिस आने सम्मन के मुद्दई एक साल के अंदर तारीख़ वापसी से–जब सम्मन अदालत में बज़रिये उस ओहदेदार के वापिस कियाजाये जो मामूलन् अदालत में अहलकारान तामील कुनिन्दः के सम्मन वापिस लाने की तसदीक़ करता है–सम्मन जदीद जारी कराने की दरख़्वास्त न दे और हस्ब इतमीनान अदालत यह साबित न करदे कि उसने अपने मक़दूर भर उस मुद्दाअलेह की सकूनत दरयाफ़्त करने में कोशिश की है जिस पर सम्मन की तामील नहीं हुई या यह कि मुद्दाअलेह मज़कूर सम्मन की तामील से गुरेज़ कररहा है तो अदालत मजाज़ होगी कि बमुक़ाबिले ऐसे मुद्दाअलेह के दावे को डिसमिस करने का हुक्म सादिर करै— दफ़ा ९९ अलिफ़

डिसमिस किया जाना मुक़द्दमे का अगर मुद्दई बाद इसके कि सम्मन ग़ैर तामील शुदा वापिस आये एक वर्ष तक जदीद सम्मन जारी कराने की दरख़्वास्त न दे

(२) ऐसी सूरत में मुद्दई को इख़्तियार रहैगा कि बमलहूज़ी क़ानून मीयाद समाअ्त के नालिश जदीद दायर करै—

६–(१) अगर पेशी मुक़दमे के वक़्त मुद्दई हाज़िर हो और मुद्दाअलेह हाज़िर न हो तो— दफ़ा १००

कार्रवाई जब सिर्फ़ मुद्दई हाज़िर हो

(अलिफ़) अगर यह साबित होजाय कि सम्मन की तामील हस्ब ज़ाब्ता कीगई थी तो अदालत मजाज़ होगी कि मुक़द्दमे में एकतरफ़ा कार्रवाई करै—

अगर सम्मन की बज़ाब्ता तामील हुईहो

(बे) अगर सम्मन का हस्ब ज़ाब्ता तामील पाना साबित न कियाजाय तो अदालत यह हुक्म देगी कि एक दूसरा सम्मन जारी कियाजाय और मुद्दाअलेह पर उसकी तामील कीजाय—

अगर सम्मन की बज़ाब्ता तामील न हुई हो

(जीम) अगर यह साबित हो कि सम्मनकी तामील मुद्दाअलेह पर होगई मगर उस मुद्दतमें नहीं हुई जो उसके लिये तारीख मुन्दर्जे सम्मन तक हाज़िर होकर मुकदमे की जवाबदिही कर सकने के लिये काफी होती तो अदालत मुकदमा की समाअत किसी और तारीख आयन्दा पर जो अदालत की तजवीज से मुकर्रर हो मुलतवी रक्खैगी और यह हिदायत करैगी कि तारीख आखिरुल ज़िक्र की इत्तिला मुद्दाअलेह को दीजाये—

अगर सम्मन की तामील हुईहो मगर मुद्दत काफी के अन्दर न हुई हो

(२) अगर यह मुद्दई के कसूर से हो कि सम्मन बाज़ाब्ता तौरपर या मुद्दत काफी के अन्दर न तामील पाया हो तो अदालत मुद्दई को हुक्म देगी कि इलतुवा से जो खर्चा आयद हुवाहो अदाकरै—

दफा १०२ ७–अगर अदालत ने मुकदमे की समाअत यकतरफा मुलतवी रक्खी हो और मुद्दाअलेह बतारीख मजकूर को या उस से पहिले हाजिर होकर अपनी गैरहाजिरी साबिक की वजह काफी जाहिर करै तो जायज है कि मुद्दाअलेह की जवाबदिही ऐसी शरायत पर जिनकी अदालत दरबाब अदाय खर्चा या दीगर अमूर की हिदायत करै मुकदमे में उसी तरह मसमूअ हो कि गोया वह उसी तारीख को हाजिर हुआ था जो उसकी हाजिरी के लिये मुकर्रर हुई थी—

कार्रवाई जब कि मुद्दाअलेह उस रोज हाजिर हो जिसपर समाअत मुलतवी रक्खी गई हो और गैरहाजिरी साबिक की वजह काफी बयान करे

दफा १०२ ८–अगर पेशी मुकद्दमः के वक्त मुद्दाअलेह हाजिर हो और मुद्दई हाजिर न हो तो अदालत मुकदमा को बजरिये हुक्म के डिसमिस करैगी इल्ला उस सूरत में कि मुद्दाअलेह [illegible] इजादावा को कबूल करे कि उस सूरत में अदालत मुद्दाअलेह के [illegible] के मुताबिक डिगरी सादिर करैगी [illegible]

कार्रवाई जब कि [illegible] हाजिर हो

जुजोदावा का अक़्वाल हो उस क़दर मुक़द्दमा डिसमिस करैगी जो जुजो बाक़ी मांदा से मुतअल्लिक़ हो—

९—(१) जब क़ायदा ८ की बमूजिब कोई मुक़दमा कुल्लन् या जुज़न् डिसमिस कियाजाय तो मुद्दई को इख़्तियार न होगा कि उसी बिनाय दावेपर नई नालिश करै—लेकिन उस को इख़्तियार रहैगा कि वास्ते सुदूर हुक्म मन्सूखी डिसमिसी के दरख़्वास्त दे और अगर वह अदालत को इतमीनान दिलाये कि पेशी मुक़दमे के वक़्त उसकी गैरहाज़िरी की कोई वजह काफ़ी थी तो अदालत को लाजिम होगा कि हुक्म डिसमिसी को उन शरायत पर दरबाब खर्चा या दीगर अमूरके जो मुनासिब समझै मन्सूख करे और मुक़दमे में कारवाई होनेके लिये एक तारीख मुक़र्रर करै— दफ़ा १०३

डिगरी बखिलाफ़ मुद्दई बसबब अदम पैरवी माने जदीद नालिश की है—

(२) तावक़्ते कि मुद्दई अपनी दरख़्वास्त की इत्तिला फ़रीक़सानी पर तामील न कराये कोई हुक्म इस क़ायदे के बमूजिब सादिर न कियाजायगा—

१०—अगर एकसे ज़्यादः मुद्दई हों और उनमें से एक या चन्द हाज़िरहों और बाक़ी गैरहाज़िर हों तो अदालतको इख़्तियार है बमूजिब दरख़्वास्त उस मुद्दई या मुदैयान हाज़िर के मुक़दमे में उसी तरह पैरवी होने की इजाजत दे कि गोया सब मुद्दइयान हाज़िरहुये थे या जो हुक्म मुनासिब समझै सादिर करै— दफ़ा १०५

कार्रवाई जब कि चंद मुद्दइयों में से एक या ज्याद गैरहाज़िरहों

११—अगर एक से ज़्यादः मुद्दाअलेहुम् हों और एक या चन्द उनमें से हाज़िरहों और बाक़ी हाज़िर न हों तो मुक़दमे में कार्रवाई जारी रहैगी और दरवक़्त सुनाने फ़ैसलाके अदालत उन मुद्दाअलेहों की निस्बत जो हाज़िर न हों ऐसा हुक्म सादिर करैगी जो मुनासिब मालूमहो— दफ़ा १०६

कार्रवाई जब कि चंद मुद्दाअलेहुम् में से एक या ज्याद गैर हाज़िर हों—

१२—अगर कोई मुद्दई या मुद्दाअलेह जिसको असालतन् हाज़िर होनेका हुक्म दियागया हो असालतन् हाज़िर न हो या असालतन् न हाज़िर होने की वजह काफ़ी हस्ब इतमीनान अदालत जाहिर न करै तो वह क़वाअद मासबक़ के उन जुम्ला अहकाम का पाबन्द रहैगा जो उन मुदैयान और मुद्दाअलेहुम् से मुतअल्लिक़ है जो हाज़िर न हों— दफ़ा १०७

नतीजा गैर हाज़िरी का अगर कोई फ़रीक़ जिसको असालतन् हाज़िर होने का हुक्म हो बिला वजह काफ़ी गैर हाज़िर हो

दरबाब मन्सूख़ करने डिगरियात यकतर्फ़ा के-

दफ़ा १०८ १३-हर सूरत में कि डिगरी यकतर्फ़ा मुद्दाअलेह पर सादिर कीजा

मन्सूख़ी यकतर्फ़ा डिगरी की जो बख़िलाफ़ मुद्दाअलेह सादिर हुई हो

मुद्दाअलेह मजाज़ है कि जिस अदालत से डिग सादिर हुई हो उसमें इस ग़रज़ से दरख़्वास्त दे कि डिगरी की मन्सूखी का हुक्म सादिर हो और अग वह अदालत को मुतमय्यन करदे कि सम्मन की तामील हस्ब ज़ाब्ता नहीं की गई या कि वह किसी वजह काफी से उस रोज़ अदालत में हाज़िर न होसका जब कि मुक़द्दमा समाअत के लिये पेश कियागया तो अदालत हुक्म मुतज़म्मिन मन्सूखी डिगरी मये शरायत दरबाब खर्चा औ नीज़ दरबाब दाख़िल किये जाने रुपया के अदालत में या और तौरपर जो मुनासिब मालूम हो सादिर करेगी और मुक़द्दमे में कार्रवाई होने के लिये एक तारीख़ मुक़र्रर करेगी—

मगर शर्त यह है कि अगर डिगरी इस क़िस्म की है कि वह सिर्फ़ ब मुक़ाबिले मुद्दाअलेह मज़कूर मन्सूख नहीं होसक्ती है तो यह जायज़ होगा कि वह बमुक़ाबिले जुम्ला मुद्दाअलेहुम् के या मिन्जुम्ला मुद्दाअलेहुम् के किसी मुद्दाअलेह के मुक़ाबिले में भी मन्सूख़ कीजाय-

दफ़ा १०९ १४-कोई डिगरी बवजह गुज़रने दरख़्वास्त क़िस्म मज़कूर के मन्सूख़

डिगरी बगैर इत्तिला तरफ़सानी के मन्सूख़ नहीं कीजायगी

न कीजायगी इल्ला उस सूरत में कि दरख़्वास्त गुज़रने की इत्तिला तरफ़सानी को पहुँचाई गई हो—

आर्डर १०

फ़रीक़ैन की ज़बानबन्दी अदालत की मारफ़त-

दफ़ा ११

उनसे इन्कार नहीं किया हो इस्तिफ़सार करेगी कि तुम उनको तसलीम करते हो या उनसे इन्कार करते हो और उस तसलीम या इन्कार को अदालत कलमबन्द करेगी—

२–मुक़द्दमे की समाअत अव्वल या किसी समाअत मावाद के वक्त दफा ११८

जवानबन्दी फरीक की या किसी शख्स की जिसको फरीक अपने साथ लाया हो

अदालत को इख़्तियार है कि जवानबन्दी किसी फरीक़ की जो अदालत में असालतन् हाजिर आये या मौजूद हो या किसी शख़्स की जो मुक़दमा के मरातिब ज़रूरी का जवाब दे सके और जिसको फरीक़ मजकूर या उसका वकील अपने साथ अदालत में लाया हो क़लमबन्द करले और अदालत मजाज़ है कि अगर मुनासिब समझै जवानबन्दी लिखे जाने के दरमियान उससे जो कुछ किसी फरीक़ को इस्तिफ़सार करना मंजूर हो इस्तिफ़सार करै—

३–जवानबंदी का खुलासा जज के हाथ से लिखा जायगा और शा- दफा ११९

जवानबंदी का खुलासा लिखा जायगा

मिल मिसिल रहैगा—

४–(१) अगर वकील किसी फरीक़ का जो विकालतन् हाजिर हो दफा १२०

अगर वकील जवाब देने से इन्कार करै या जवाब न देसकै

या कोई शख़्स मुतजिकरे कायदा २ जो वकील के साथ हो किसी सवाल ज़रूरी मुतअल्लिकः मुक़द्दमः के जवाब देनेसे मुन्किर या माज़ूर हो और अदालत के नज़दीक उस फरीक़ पर जिसका वह क़ायम मुक़ाम है उसका जवाब देना वाजिब हो और वदानिस्त अदालत मुमकिन् हो कि अगर उससे असालतन् इस्तिफ़सार कियाजाय वह जवाब उसका देसकैगा तो अदालतमजाज़ होगी कि मुक़द्दमे को किसी तारीख़ आयन्दातक मुलतवी करके हुक्म दे कि वह फरीक़ बतारीख़ असालतन् हाज़िर हो—

(२) अगर फ़रीक़ मजकूर बतारीख मोअय्यना विला उज़्र जायज असालतन् हाजिर न हो तो अदालत को इख़्तियार होगा कि उसके खिलाफ तजवीज़ या ऐसा हुक्म मुक़द्दमे की निस्बत जो उस के नजदीक मुनासिब हो सादिर करै—

आर्डर ११

इन्किशाफ़ हाल और मुआयना—

दफ़ा १२१

१—किसी मुक़दमे में मुद्दई या मुद्दाअलेह को इख़्तियार है कि बहुसूल

इन्किशाफ हाल बज़रिये बंद सवालात के

इजाजत अदालत के तहरीरी बंद सवालात जिनके जवाबात तरफसानी या उनमें से एक या ज़्याद: से लेने मंज़ूर हों अदालत की मारफत हवाले करे और सवालात हवाले शुद: के जैल में यह सराहत करदीजायगी कि हरशख़्स से किस किस सवाल का जवाब तलब है-मगर शर्त यह है कि किसी फरीक़ को इख़्तियार न होगा कि एकही फरीक़ को एक से ज़्याद: बंद सवालात के हवाले करे जबतक कि इस बारेमें अदालत से हुक्म न हो—

और नीज़शर्त यह है कि जिन सवालात का तअल्लुक़ अमूर मुतनाजिआ नालिश से न हो वह गैर मुतअल्लिक़ मुतसव्वर होंगे बावजूदे कि वह गवाह से ज़बानी जिरहके करने में क़ाबिल अदख़ाल हों—

२—जब दरख़्वास्त निस्बत इजाज़त हवालगी सवालात के गुजरे तो

ख़ास ख़ास सवालात पेश कियेजायेंगे

ख़ास ख़ास सवालात जिनका हवाला कियाजाना मंज़ूर हो अदालत में पेश किये जायँगे और उस दरख़्वास्त के फैसल करने के वक्त अदालत को लाजिम होगा कि जिस फरीक़ से जवाब लेना मंज़ूर हो उसकी उस तजवीज़ पर लिहाज़ करे जो निस्बत हवाले करने तफसीलात के या करने अक़बाल के या पेश करने दस्तावेज़ात मुतअल्लिक़ अमर मुतनाजिआ या उनमें से एक बात के कीजाय और लाज़िम है कि इजाजत सिर्फ उसी सवाल पेशकरद: की बाबत दीजाय जो अदालत के नजदीक वास्ते इन्फिसाल मुक़द्दमा बतर्ज़ मुनासिब के वास्ते महफ़ूज़ी ख़र्चे के जरूरी हो—

लत वेजाके साथ हवाला कियागया हो तो खर्चा जो बन्द सवालात मज़कूर और उसके जवाब लेनेमें पड़ाहो फरीक़ क़सूरवार पर बहरसूरत आयद कियाजायगा—

फार्म बन्द सवालातका

४—बन्द सवालात मुताबिक फार्म नम्बर २ एन्दर्जे इयन्डिक्स (जीम) के होगा साथ उस रद्दोबदल के जो यक्तिज़ाए हालात ज़रूरी हो—

कारपुरेशन् याने जमाअत सनदयाफ्ता

५—अगर मुक़द्दमः में अहदुल फरीक़ैन कोई कारपुरेशन् याने कोई जमाअत सनदयाफ्ता हो या जमाअत मुश्तरिका हो (आम इस से कि उसको कारपुरेशन् की सनद मिली हो या नहीं) जिसको क़ानूनन् अपने नामसे या अपने किसी ओहदेदार या और शख्स के नामसे नालिश या जवाबदिही करने का इख्तियार हासिल हो तो हर फरीक़ सानी को इस मजमून की दरख्वास्त देने का इख्तियार है कि उसको इजाज़त मिले कि ऐसे कारपुरेशन् या जमाअत के किसी मेम्बर या ओहदेदार को बंद सवालात हवाले करै और जायज़ है कि हुक्म मुताबिक़ मजमून दरख्वास्त के दियाजाय— दफा १३४

उज़र निस्बत देने जवाब किसी सवालके

६—अगर उज़र निस्बत जवाब देने बन्द सवाल के इस वजह से हो कि वह सवाल हतक आमेज या गैर मुतअल्लिक़ मुक़द्दमा है या नेकनीयती से मुकदमे का मक़सूद हासिल करने के लिये नहीं पूंछागया है या वह अम्र जिसकी बाबत इस्तिफ़सार हुआहै मुकद्दमे की उस नौबत पर मुक़दमे में बक़दर काफी मवस्सिर नहीं है या किसी और वजह से हो तो वह उज़र जवाब में बतौर बयान हलफी दाखिल कियाजासकेगा— दफा १३५

सवालातको मन्सूख या खारिज करना

७—कोई सवालात इस वजह से मन्सूख किये जासक्ते हैं कि वह विलावजह या बराह ईजारसानी पूंछे गये हैं या इस वजह से खारिज किये जासक्ते हैं कि वह तूल तवील या तकलीफदे या गैर ज़रूरी या हतकआमेज़ है और जो दरख्वास्त इस गरज के लिये गुजरानी जाय जायजहै कि हवालगी सवालात से सातदिन के अन्दर गुज़रे—

८—बन्द सवालात के जवाबात बज़रिये बयान हलफी दियेजायँगे दफा १३६

बयान हलफी जवाब में और उसका अद-खाल

और दसरोज़ के अन्दर या किसी और मियाद के अन्दर जिसकी इजाज़त अदालत से हासिलहो दाखिल कियेजायँगे—

९—बयान हलफी जो बन्द सवालात के जवाब में दियाजाय मुताबिक़ फार्म नम्बर २ इयन्डिक्स (जीम) के होगा साथ उस रद्दोबदल के जो बलिहाज़ हालात ज़रूरी हो—

बयान हलफी का फार्म जो जवाबन् दियाजाय

१०—जवाबमें किसी बयान हलफी की निस्बत एतराज नहीं कियाजायगा लेकिन अगर बयान हलफी मज़कूर की निस्बत ना काफी होने का एतराज कियागया हो तो अदालत उसके ग़ैर मुकतफी होनेया न होने की बाबत तजवीज करदेगी—

एतराज नहीं किया जायगा

दफा १२७ ११—अगर कोई शख़्स जिसके पास बन्द सवाल पहुँचाहो जवाब न दे या जवाब ग़ैर मुकम्मिल दे तो सवाल करनेवाला अदालत में दरख़्वास्त इस मजमून की देसक्ता है कि शख़्स मजकूर के नाम हुक्म भेजा जाय कि वह सवाल का जवाब या जवाब मजीददे जैसी सूरतहो और उसके नाम हुक्म सादिर होसक्ताहै कि वह बजरिये तहरीरी बयान हलफी या बयान जबानीके जिस तौर पर अदालत हिदायत करे सवाल का जवाब या जवाब मजीद दे—

हुक्म निस्बत देने जवाब या जवाब मजीद के

१३-जिस फरीक के नाम हुक्म मुतज़िकरः क़ायदः अख़ीर मा- दफा १३२
दस्तावेजात की निस्वत बयान हलफी- | सबक़ सादिर हुआहो उसके तहरीरी बयान हलफी में सराहत के साथ यह लिखा जायगा कि किस किस दस्तावेज के पेश करने में अगर कोई ऐसी हों उसको उज्र है और वह मुताबिक़ फार्म नम्बर ५ मुन्दर्जे इयन्डिक्स (जीम) के होगा साथ उस रद्दोबदल के जो बलिहाज हालात जरूरी हों—

१४-मुक़द्दमे के दौरानमें हरवक्त अदालत को जायज होगा कि किसी दफा १३०
पेशी दस्तावेजात की | फरीक को मिन्जुम्ला उन दस्तावेजात के जो नालिश के किसी अम्र निजाई से मुतअल्लिक़ हो और उसके क़ब्जे या इख़्तियार में हों जिस क़दर दस्तावेज़ात का पेश करना अदालत की दानिस्त में मुनासिब हो उनके हलफन् पेश करने को हुक्म दे और जब वह दस्तावेजात पेश होजायें अदालत उनकी निस्वत हस्ब मुक्तिज़ाय इन्साफ अमल करैगी—

१५-हर फरीक़ मुक़द्दमे को इख़्तियार है कि किसी वक्त बज़रिये दफा १३१
दस्तावेज़ात मुतज़िकरै प्लीडिङ्ग या बयानात हलफी का माभिला | इत्तिलानामा किसी और फरीक़ को जिसकी प्लीडिंग या तहरीरी बयानात हलफी में किसी दस्तावेजात का ज़िक्रहो इस मजमून की इत्तिला दे कि वह दस्तावेज मज़कूर को वास्ते मुआइना फरीक़ इत्तिलादिहन्दा या उसके वकील के पेशकरै और उसको या उनको इस दस्तावेज़की नकल लेनेदे और कोई फरीक़ जो ऐसी इत्तिला की तामील न करै दस्तावेज मजकूर को उस मुक़दमे में आइन्दा अपनी तरफसे बतौर सबूत के दाखिल न कर सकैगा इल्ला उस सूरतमें कि वह अदालत को इतमीनान करदे कि दस्तावेज़ मजकूर सिर्फ उसीके हक़से मुतअल्लिक़ थी क्योंकि वह इस मुक़द्दमे में मुद्दाअलेह था या कि उसके इत्तिला की तामील न करनेकी कोई और वजह बदानिस्त अदालत काफ़ी हासिल थी कि उस सूरत में अदालत इजाजत देसकैगी कि बक़ैद शरायत ख़र्चा वगैराके जो अदालत के नजदीक मुनासिबहो दस्तावेज मजकूरको बतौर सबूतके पेश करै—

१६-जो इत्तिला किसी फरीकको निस्वत पेश करने किसी दस्तावे-
इत्तिला निस्वत पेश करने के | जात मुतज़्किराः प्लीडिंग या बयानात हलफ़ी फरीकैन मजकूरके दीजाये वह मुताबिक़ फार्म नम्बर ७ मुन्दर्जे

इयन्डिक्स (जीम) के होगी साथ उस रद्दो बदलके जो बलिहाज़ हालात ज़रूरीहो—

दफ़ा १३३ १७—जिस फरीक़को ऐसी इत्तिला दीजाय उसको लाज़िम है कि इत्तिला पाने से दस रोज़के अन्दर उस फरीक़को जिसने इत्तिला दीहो अपनी तरफ से इस मजमूनकी इत्तिलादे कि फलां वक्तपर जो उस इत्तिला देनेकी तारीख से तीनरोजके अन्दर हो दस्तावेज़ात मतलूबा या उनमें से उस क़दर दस्तावेज़ात जिनके पेश करने में उसको उज़र न हो उसके वकीलके दफ़्तर में या वहीजात सर्राफ़ी या और वहीखाता या और कुतुबकी सूरत में जिनका हमेशा तिजारत या कारबार में काम पड़ताहै—उनके मामूली मुकाम हिफाज़तपर मोआयना होसकैंगी और इत्तिला में यह भी लिखाजायगा कि किस किस दस्तावेज़ के पेश करने में अगर कोई ऐसीहों उसको उज़र है और किस वजह से उज़र है—इत्तिला मज़कूर मुताबिक़ नम्बर ८ मुन्दर्जे इयन्डिक्स (जीम) के होगी साथ उस रद्दोबदलके जो बलिहाज़ हालात ज़रूरीहो—

वक्त वास्ते मोआयनाके जब इत्तिला दीजाये

दफ़ा १३३ १८—(१) अगर वह फरीक़ जिसपर क़ायदे १५ की बमूजिब इत्तिला की तामीलहो इत्तिला इस बातकी कि दस्तावेज़ात किस वक्त मोआयना होसकैंगी न भेजे या मोआयना कराने से इन्कार करे या मोआयनाके लिये कोई और मुकाम सिवाय दफ्तर वकीलके मुक़र्रर करे तो अदालत उस फरीक़की दरख़्वास्त पर जिसको मोआयना मंज़ूरहै हुक्म सादिर फरमावेगी कि मोआयना किसी मुनासिब मुक़ाम और तरीक़ेपर करायाजाये—मगर शर्त यहहै कि हुक्म सादिर नहीं कियाजायगा जब और जहांतक बदानिस्त अदालत मुकद्दमे के इन्फिसाल बतर्ज़ मुनासिबके लिये और वास्ते मह्फ़ूज़ी ख़र्चाके मोआयने की ज़रूरत न हो—

हुक्म निस्बत मोआयने के

रातिबके दाखिल कियाजायगा कि किस किस दस्तावेजका मोआयना मंजूर है यह कि फरीक दरख़्वास्तकुनिन्दः मोआयना करने का मुस्तहक़ है और यह कि वह दस्तावेज़ात फरीक सानी के क़ब्जे या इख़्तियार में हैं—अदालत ऐसा हुक्म दस्तावेज़ात मजकूर के मोआयनेकी निस्वत सादिर नहीं करैगी जब और जहांतक वदानिस्त अदालत मजकूर बगरज इन्फिसाल मुक़द्दमा वतर्ज मुनासिब के या महफ़ूज़ी खर्चा के उस की जरूरत न हो—

१६–(१) अगर दरख़्वास्त वास्ते मोआयना किसी वहीखाते के

नक़ल मुसद्दिक़ा | गुजरानी जाय तो अदालत अगर मुनासिब समझै-बजाय हुक्म देने मोआयना असल वहीखाते के हुक्म देसकैगी कि उस वहीखाता की किसी रक़मों या इबारतों की एक नक़ल उस शख़्स के तहरीरी वयान हलफी से मुसद्दिक़ होकर दीजाय जिसने असिल रक़मों या इबारतों से नकल मजकूर को मुक़ाबिला कर लिया हो और वयान हलफी मज़कूर में लिखा जायगा कि आया असिल कुतुब में काटकूट या तहरीर बयनुलसतूर या तगैयुर व तब्दुल है या नहीं अगरहो तो वह भी–मगर शर्त यह है कि वावस्फ देने नक़ल मज़कूर के अदालत को इख़्तियार है कि जिस किताब की वह नक़लहो—

(२) अगर उस दरख़्वास्त में जो वास्ते सादिर कराने हुक्म मोआयना के गुजरे किसी दस्तावेज की निस्बत इस्तहक़ाक़ रिआयती का दावा हो तो अदालत को लाजिम है कि वास्ते तय कराने जो अज दावा इस्तहक़ाक रिआयती के इस दस्तावेज़ का मोआयना करै—

(३) अदालत को इख़्तियार है कि किसी फरीक़ मुक़द्दमा की दरख़्वास्त पर किसी वक्त और आम इससे कि हुक्म तहरीरी वयान हलफी मुतअल्लिक़ दस्तावेजात का सादिर कियागया हो या नहीं या ऐसा वयान हलफी दाखिल कियागया हो या नहीं इस मजमून का हुक्म सादिर करै कि और कोई फरीक अपने वयान हलफी में लिखे कि एक या एक से ज़ियादह दस्तावेजात मसरूम जो सराहत के साथ दरख़्वास्त मजकूर में

लिखी जायेंगी उसके कब्जे या इख्तियार में हैं या नहीं य किसी वक्त में थीं या नहीं और अगर उसके क़ब्जे में उस वक़ न हों तो कब दस्तावेजात मजकूर उसके क़ब्जे या इख्तिया से निकल गईं और क्या हुईं दरख्वास्त मजकूर अजरूय त हरीरी बयान हल्फी इस मजमून से गुजरानी जायगी कि ताह यक़ीन मजहिर उस फरीक के कब्जे या इख्तियार में जिसके खिलाफ दरख्वास्त मजकूर गुजरानी गई हो दस्तावेजात य दस्तावेज़ात मुसर्रः दरख्वास्त है या किसी वक्त थीं और म सूर मुतनाजिया मुकद्दमासे या उनमें से बाजसे मुतअल्लिकहैं—

दफा १३५ २०—अगर वह फरीक़ जिससे किसी क़िस्म का अफ़शाय हाल या किसी

अफशाय हाल कब्ल अजवक़्त

शय का मोआयना कराना मतलब हो उसके या उस के किसी जुजो के अफ़शाया मोआयना कराने से इन्कार करे और अदालत को इतमीनान हो कि इस्तहक़ाक़ ऐसे अफ़शाया मोआयना कराने का मुक़दमे के क़िसी अम्र तनक़ीही या बहस तलब की तजवीज पर मुनहसिर है या किसी और वजह से ऐसे अफ़शाया मोआयना कराने का इस्तहक़ाक़ तय करने से पहिले उस अम्र तनक़ीही या बहस तलब की तजवीज करनी जरूर है तो अदालत यह हुक्म सादिर कर सकेगी कि उस अम्रतनकीही या बहस तलब की तजवीज पहिले हो जाय और अफ़शाया मोआयना कराने का अम्र पीछे से तय किया जावे—

२२—किसी फरीक़ को इख्तियार है कि बवक्त तजवीज मुक़द्दमा फ़रीक़ सानी के एक या एक से ज़्यादा जवाबात या जुज़्व जवाब को जो चंद सवालात की निस्बत हो बग़ैर अदख़ाल बक़ीया या कुल जवाब मज़कूर के बतौर वजह सुबूत के इस्तेमाल करे मगर हमेशा शर्त यह है कि सूरत मज़कूर में अदालत को इख्तियार है कि कुल जवाब को मोआयना करे और अगर बदानिस्त उसके बक़ीया जवाब मज़कूर जवाब दाखिल शुदः के साथ इस क़दर रब्त रखते हों कि जवाब आखिरुल् ज़िक्र बग़ैर उनके मुस्तअमल नहीं होसक्ते हों तो अदालत मजाज़ है कि उनके अदख़ाल का हुक्म सादिर करे—

चंद सवालात के जवाबात बवक्त तजवीज मुक़द्दमा इस्तेमाल होंगे

२३—आर्डर हाज़ा नाबालिग मुद्दइयान और मुद्दाअलेहुम् से और अशखास नाक़ाबिल के रफ़ीक़ और वली दौरान मुक़द्दमा से मुतअल्लिक़ होगा—

हुक्म नाबालिगों से मुतअल्लिक़ होगा।

आर्डर १२

अक़बाल

१—कोई फ़रीक़ बज़रिये अपने प्लीडिंग के या और निहजपर इत्तिला तहरीरी इस मज़मून की देसक्ता है कि उसको हक़ीक़त कुल या जुज़्व मुक़द्दमा फ़रीक़सानी का अक़बाल है—

इत्तिला अक़बाल मुक़द्दमा

२—कोई फ़रीक़ निस्बत मक़बूली किसी दस्तावेज के दूसरे फ़रीक़ से कहसक्ता है सिवाय उनके जो बतौर मुनासिब मुस्तसना हैं—और अगर बाद इत्तिला मज़कूर के मक़बूली से इन्कार या उनमें से ग़फ़लत कीजाय तो जो खर्चा किसी दस्तावेज मजकूर के असबात में आयद हो वह फ़रीक़ गफ़लत या इन्कारकुनिन्दः के ज़िम्मे होगा गो मुक़द्दमे का नतीजा कुछही हो इल्ला उस सूरत में कि अदालत और तरह पर हुक्म दे और किसी दस्तावेज़ के असबात का खर्चा दिलाया नहीं जायगा इल्ला उस हाल में कि इत्तिला मजकूर देदीगई हो बजुज उस सूरत के कि जब बदानिस्त अदालत अदम इत्तिलादिही से खर्चेका बचाव हो— दफ़ा १२८

इत्तिला अक़बाल दस्तावेजात

इत्तिला का फ़ार्म

३—इत्तिला मक़बूली दस्तावेजात मुताबिक़ फ़ार्म नम्बर ९ इयन्डिक्स (जीम) के होगी मय उन तग़य्युरात के जिनकी अज़रूय मौक़ा ज़रूरत हो—

इत्तिला अहवाल वाक़िआत

४—कोई फरीक़ इत्तिला तहरीरी के ज़रिये से किसी वक़्त जो तारीख समाअत मोअय्यना से ९ रोजसे कम न हो किसी मख़सूस वाक़िआ या वाक़ियात मुन्दर्जे इत्तिला मज़कूर के तसलीम करने के लिये सिर्फ़ वास्ते अग़राज़ मुक़द्दमा के दूसरे फरीक़ से कहसकता है—और अगर तामील इत्तिला मज़कूर से छः रोज़ के अन्दर या अन्दर मुद्दत मज़ीद मुक़र्ररा अदालत के वाक़िआ या वाक़ियात मज़कूर के तसलीम करने से इन्कार या उसमें ग़फ़लत कीजाय तो असबात वाक़िआ या वाक़ियात मज़कूर का ख़र्चा फ़रीक़ ग़फ़लत या इन्कारकुनिन्दः के जिम्मे होगा गो मुक़द्दमे का नतीजा कुछही हो इल्ला उस सूरत में कि अदालत और निहजका हुक्म सादिर करै—मगर शर्त यह है कि उस मक़बूली से जो मुताबिक़ इत्तिला मज़कूर के अमल में आये यह समझा जायगा कि सिर्फ़ मुक़द्दमा खासकी निस्बत अमल में आती है और मक़बूली मज़कूर से वह मक़बूली नहीं समझी जायगी जो बमुक़ाबिले फरीक़ मज़कूर के किसी और मौक़ेपर या बहक़ किसी शख़्स गैर सिवाय फरीक़ इत्तिलादिहन्दः के मुस्तअमिल हो—और नीज शर्त यह है कि अदालत को इख़्तियार है कि किसी वक़्त किसी फरीक़ को बशरायत मुनासिब किसी मक़बूली को जो हस्ब मज़कूरेबाला कीगई हो तरमीम करने या उसको वापिस लेनेकी इजाज़त दे—

५—इत्तिला मक़बूली वाक़ियात मुताबिक़ फार्म नम्बर १० इयन्डिक्स (जीम) के होगी और मक़बूली वाक़ियात मुताबिक़ फार्म नम्बर ११ इयन्डिक्स (जीम) मय उन तग़य्युरात के जिनकी ज़रूरत अज़रूय हालात पड़े—

६—कोई फरीक़ मुक़द्दमा की किसी नौबतपर अगर मक़बूली वाक़ियात की प्लीडिंग में या और निहजपर वक़्त में आई हो अदालत में वास्ते उस तजवीज़ या हुक्म के जिसका वह अज़रूय मक़बूली मज़कूर के मुस्तहक़ हो सवाल देसकता है बग़ैर इन्तिज़ार करने तजवीज़ निज़ाअ दीगर के जो माबैन फरीक़ैन के हो—और अदा-

लतको इख्तियार है कि सवाल मजकूर पर वह हुक्म या तजवीज सादिर करै जो उसके नजदीक मुनासिब हो—

७—तहरीरी बयान हलफी वकील या उसके मोहर्रिर का निस्बत दस्तखत बाजाब्ता उस मकबूली के जो मुताबिक इत्तिला मकबूली दस्तावेजात या वाकियात के वकूअ में आये मकबूली मजकूर का सबूत कामिल समझा जायगा अगर उसके सबूतका हुक्म हो—

तहरीरी बयान हलफी निस्बत दस्तखत के

८—इत्तिला निस्बत दरपेशी दस्तावेजात मुताबिक फार्म नम्बर १२ इयन्डिक्स (जीम) के होगी मय उन तग़य्युरात के जिनकी हस्बमौका जरूरत हो—और तहरीरी बयान हलफी वकील या उसके मोहर्रिर का निस्बत तामील इत्तिला दरपेशी और निस्बत वक्त तामील इत्तिला मजकूर मय नकल इत्तिला दरपेशी के जुम्ला सूरतों में तामील इत्तिला और वक्त तामील इत्तिला मजकूर का सबूत कामिल होगा—

इत्तिला निस्बत पेशी दस्तावेजात

९—अगर इत्तिला मकबूली या दरपेशी में तसरीह उन दस्तावेजात की हो जो ग़ैर जरूरी हों तो खर्चा जो उस सबब से आयद हो फरीक इत्तिलादिहन्दा के जिम्मे होगा—

खर्चा

आर्डर १३

पेशी और जब्ती और वापसी दस्तावेजात—

१—(१) फरीकैन या उनके वकला को लाजिम है कि मुकदमे की समाअत अव्वल के वक्त हर किस्म की दस्तावेजात वजह सुबूत जो उनके कब्जे या इख्तियार में हों जिन पर उनको इस्तदलाल करना मंजूर हो और जो उसके पेशतर अदालत में दाखिल न होचुकी हों और ऐसी कुल दस्तावेजात जिनकी निस्बत अदालत ने पेश करने का हुक्म दिया हो पेश करें— दफा १३८ व १४०

दस्तावेजात वजह सबूत वरवक्त समाअत अव्वल पेश होना चाहिये

(२) जो दस्तावेजात हस्ब मजकूर पेश कीजायेंगी अदालत उनको लेलेगी मगर शर्त यह है कि दस्तावेजातके साथ एक सही फेहरिस्त उस नमूने की हो जिसकी अदालत हाईकोर्ट हिदायत करे—

दफा १३६ २—कोई दस्तावेज़ी सुबूत जो किसी फ़रीक के क़ब्ज़े या इख़्तियार में हो और जिसको मुताबिक़ शरायत क़ायदा १ पेश करना ज़रूर था मगर जो पेश न हुआ हो मुक़द्दमे की कार्रवाई की किसी नौबत आयन्दा पर शामिलमिसिल न किया जायगा इल्ला उस सूरतमें कि उसके पेश न करनेकी वजह माकूल हस्ब इतमीनान अदालत ज़ाहिर कीजाय और अगर अदालत उसको शामिल मिसिल करले तो उसको शामिल मिसिल करने की वजूह लिखना ज़रूर होगा—

नतीजा अदमपेशी दस्तावेजात

दफ़ा १४० ३—अदालत मजाज़है कि मुक़द्दमे के किसी नौबत पर किसी दस्तावेज को नामंजूरकरे जो बदानिस्त उसके मुक़द्दमे से गैर मुतअल्लिक़हो या और तरह पर लेने के लायक़ न हो और अदालत उसकी नामंजूरी की वजह लिखेगी—

नामंज़ूरी दस्तावेजात गैर मुतअल्लिक़ या नाक़ाबिल अदख़ाल

दफा १४१ ४—(१) हस्ब शरायत क़ायदा तहती ज़ैल के हर दस्तावेज की पुश्त पर जो मुक़द्दमे में बतौर वजह सबूत के लेलीगई हो मुफस्सिले ज़ैल तफसील लिखीजायगी याने—

तहरीर ज़ोहरी उस दस्तावेज पर जो वजह सबूत में लीगई हो

(अलिफ़) मुक़द्दमे का नम्बर और फरीक़ैन के नाम वगैरह—

(बे) दाख़िल करनेवाले का नाम—

(जीम) दाख़िल करने की तारीख़— और

(दाल) एक बयान इस मज़मून का कि दस्तावेज़ इस तरह दाख़िल की गई—

और इबारत ज़ोहरीपर जज अपने दस्तख़त या मुख़्तसर दस्तख़त सब्त करेगा—

५-(१) वरिआयत सूरत हाय खास मुतजिकरे ऐक्ट शहादत वही जात सर्राफ़ी सन् १८९१ ई० अगर कोई दस्तावेज जो मुकदमे में बतौर वजह सबूत दाखिल कीगई हो किसी किताब खतूत और वही खाता दूकान या रोज़मर्रा के दीगर हिसाब किताब का इन्दराजहो तो वह फरीक मुक़दमा जिसकी जानिब से किताब या वहीखाता मज़कूर पेश किया गया हो मजाज़ है कि एक नकल इन्दराज मजकूर की दाखिल करै- दफा १४१ (अलिफ) ऐक्ट नम्बर १८ सन् १८९१ ई०

तहरीर जोहरी नक़ल इन्दराजात कुतुब वहिसाबात व कागजातपर

(२) अगर दस्तावेज़ मजकूर किसी ऐसे सरकारी कागजात का इन्दराजहो जो किसी सरकारी दफ़्तर से या बज़रिये किसी सरकारी ओहदेदार के पेशहुवाहो या ऐसी किताब या हिसाब का इन्दराज हो जो उस शख़्स की मिल्क न हो जिसकी जानिब से किताब या हिसाब मज़कूर पेश हुवाहो बल्कि किसी शख़्स ग़ैर की हो तो अदालत मजाज़ है कि इन्दराज मज़कूर की एक नक़ल तलब करै-

(अलिफ) अगर कागजात या किताब या हिसाब किसी फरीक़मुक़द्दमा की जानिबसे पेश कियागयाहो तो उस फरीक़से-या

(बे) अगर काग़ज़ात या किताब या हिसाब उस हुक्म के मुताबिक़ पेश किया गयाहो जो अदालत ने अपनी मर्जी से सादिर किया हो तो फरीक़ैन मेंसे एक फरीक़से या किसी फ़रीक़ से-

(३) अगर किसी इन्दराज की नक़ल क़ायदे हाज़ाके अहकाम मज़कूरेबाला की रूसे दाखिल कीजाय तो अदालतको लाजिम है कि तरीक़े मुतज़िकरे क़ायदा १७ आर्डर ७ के बमूजिब नक़ल मजकूर की जांच और मुक़ाबिला और तस्दीक़ कराने के बाद इन्दराज मज़कूर पर निशान कर के किताब या हिसाब या कागजात मज़कूर जिनमें वह इन्दराज हो शख़्स पेशकुनिन्दः को वापिस देदे-

६-जब अदालत उस दस्तावेज़ को ग़ैर क़ाबिल अदखाल सबूत स- दफा १४२

तहरीर जोहरी उन दस्तावेजात पर जो बवजह होने गैर क़ाबिल अदखाल सबूत नामंजूर कीजायँ

मुझे जिसपर एक फरीक़ ने बतौर वजह सबूत इस्तदलाल कियाहो तो उसकी पुश्तपर अमूर ज़िम्नहाय (अलिफ) व (बे) व (जीम) क़ायदा ४ क़ायदा तहती (१) मये एक तहरीर के जो दस्तावेज मज़कूर के नामंजूर होने की बाबतहो लिखदियेजायँगे और जज उस तहरीर जोहरीपर अपने दस्तख़त या मुख्तिसर दस्तख़त सिब्त करेगा—

(अलिफ) दफा १४२

दस्तावेजात दाखिल शुदः का शामिल मिसिल कियाजाना और दस्तावेजात नामंजूर शुदः का वापिसहोना

७—(१) हर दस्तावेज जो वजह सबूत में दाख़िल कीगई हो या उस की एक नक़ल अगर बसूब क़ायदा ५ कोई नक़ल बजाय असिल के क़ायम कीगई हो मिसिल मुक़द्दमे का एक जुज़ो होजायगी—

(२) दस्तावेजात वजह सबूत में दाखिल न कीजायँ वह जुज़ो मिसिल मुक़द्दमा न होंगी और अशख़ास दाख़िलकुनिन्दः को वापिस करदीजायँगी—

दफा १४३

अदालत किसी दस्तावेज के जब्त करने का हुक्म देसक्ती है

८—बावजूद किसी हुक्म क़ायदा ५ या क़ायदा ७ आर्डर हाज़ा या क़ायदा ७ आर्डर ७के अदालतको इख़्तियार है कि अगर वजह काफी देखे तो हिदायत करे कि कोई दस्तावेज या किताब जो उसके रूबरू मुक़द्दमे में पेशकीगई हो जब्त होकर अदालत के किसी ओहदेदार की हिरासत में उस मुद्दततक और उन शरायतके साथ रक्खीजाय जो अदालतको मुनासिब मालूम हों—

दफा १४४

दस्तावेजात दाखिल शुदः का वापिसहोना

९—(१) कोई शख़्स आम इससे कि फरीक़ मुक़द्दमा हो या न हो किसी दस्तावेज को जो उसकी तरफ से मुक़द्दमे में दाखिल और शामिल मिसिल हुई हो वापिस लेना चाहता हो उसके वापिस पानेका मुस्तहक़ होगा इल्ला उस सूरत में कि दस्तावेज क़ायदा ८ के बमूजिब जब्त होगई हो—

(अलिफ) अगर मुक़द्दमे का अपील न होसकता हो तो बाद तस्फ़िया मुक़द्दमा के—और

(बे) अगर मुक़द्दमे का अपील होसक्ता हो तो जब अदालत को इतमीनान होजाय कि वक्त इजराय अपील गुज़रगया

और अपील दायर नहीं हुवा और अगर अपील दायर होगयाहो तो बाद तस्फिया अपील के—

मगर शर्त यह है कि दस्तावेज वक्त मुकर्ररा क़ायदाहाज़ा से पहिले भी किसी वक्त वापिस होसक्ती है दरहाले कि वह शख्स जो उसकी वापिसी की दरख़्वास्त करै दस्तावेज मज़कूर की एक नक़ल मुसद्दिक़ै असिल की जगह पर रक्खेजाने के लिये अदालत के अहलकार मुनासिब के हवाले करदे और असिल के पेश करने का ज़िम्मेदार होजाय अगर उस तरह का हुक्म हो—

और यह भी शर्त है कि कोई दस्तावेज जो डिगरी की रू से रद्द या बेकार होगई हो वापिस न कीजायगी—

(२) जब कोई दस्तावेज जो वजह सबूत में लीगई हो वापिस की जाय तो दस्तावेज का लेनेवाला उसके वापिस पाने की रसीद लिखदेगा—

१०—(१) अदालत मजाज है कि अपनी खुशी से और अगर फ़रीक़ैन में से किसी फरीक़ की तरफ़ से दरख़्वास्त गुजरे तो बशर्त मुनासिब समझने के किसी और मुक़द्दमे या कार्रवाई की मिसिल को अपने या किसी और अदालत के दफ़्तर से तलब करके इसका मोआयना करै— दफा १२७

अदालत कागज़ात अपने या और अदालतोंके दफ़्तरसे तलब करसक्ती है

(२) बताईद हर दरख़्वास्त जो इस क़ायदेके बमूजिब गुजरै (अगर अदालत और तरह का हुक्म न दे तो) लाज़िम है कि दरख़्वास्त कुनिन्दः या उसका वकील एक तहरीरी बयान हलफ़ी बसराहत इस अमर के दाखिल करै कि मिसिल मतलूबा उस मुक़द्दमे में जिसमें दरख़्वास्त गुजरी हो क्योंकर मुतअल्लिक़ है और यह कि नक़ल मुसद्दिक़ा हस्ब जाब्ता कागजात मशमूला मिसिल की या उस जुज़ोकी जो सायल को दरकार है बिला तवक्कुफ़ या सिर्फ़ नामुनासिब के नहीं मिलसक्ती है या यह कि पेशहोना असिल कागजात का वास्ते इगराज मुआदिलत के ज़रूरी है—

(३) इस कायदे की किसी इबारत से यह न समझा जायगा कि

अदालत किसी ऐसे काग़ज़ात को शहादत में मुस्तअमल करसक्ती है जो हस्ब क़ानून शहादत उस मुक़द्दमे में दाखिल न होसक्ता—

दफ़ा १४५ ११—अहकाम जो इस में दस्तावेजात की निस्वत दर्ज कियेगये हैं जहांतक होसकै तमाम और अशियाय माद्दी से भी मुतअल्लिक़ होंगे जो बतौर शहादत पेश होसक्ती हैं—

अहकाम बाबत दस्तावेजात दीगर अशियायमाद्दी से भी मुतअल्लिक होंगे

आर्डर १४

क़रारदाद अमूर तनक़ीहतलब का और तस्फ़िया मुक़द्दमे का ऊपर अमूर तनक़ीह तलब क़ानूनी या अमूर तनक़ीह तलब जिनपर बाहम इत्तिफ़ाक़ कियाजाय

दफ़ा १४६ १—(१) अमूर तनक़ीह तलब उस वक्त पैदा होते हैं जब कि कोई फरीक़ किसी अमर नफ़स मुक़द्दमा मुतअल्लिक़ै वाक़ियात या क़ानून को बयान करे और फरीक़सानी उस से इन्कार करे—

क़रार दियाजाना अमूर तनक़ीह तलबका

(२) अमूर नफ़स मुक़द्दमा वह अमूर क़ानूनी या वाक़ियाती हैं जो मुद्दई को वास्ते ज़ाहिर करने हक़ नालिश के बयान करने लाज़िम हैं या जो मुद्दाअलेहको वास्ते क़ायम करने अपनी जवाबदिही के बयान करने लाज़िम हैं—

(३) हर अम्र नफ़स मुक़द्दमा जिसे एक फरीक़ बयान करे और दूसरा उससे इन्कार करे एक अलाहिदा अम्र तनक़ीह तलब क़रार दियाजायगा—

(४) अमूर तनक़ीह तलब दो क़िस्म के हैं (अलिफ़) अमूर तनक़ीहतलब मुतअल्लिक़ वाक़ियात (बे) अमूर तनक़ीह तलब मुतअल्लिक़ क़ानून—

(५) [illegible] लाज़िम है कि

बाद पढ़ने अर्जीदावा और बयानात तहरीरी के अगर हो और फरीक़ैन की उस ज़बानबन्दी के बाद जो जरूरी मालूम हो यह दरयाफ़्त करै कि किस अम्र वाक़ियाती या क़ानूनी नफ़्स मुक़द्दमे की बाबत फरीक़ैन के दरमियान निज़ा है उसके बाद अदालत उन अमूर तनक़ीह तलब को जिनपर बदानिस्त अदालत मुक़द्दमे की सही तजवीज़ का मदार है क़रार देकर क़लमबन्द करैगी—

(६) इस क़ायदे की किसी इबारत से अदालत पर उस हालत में अमूर तनक़ीह तलब का क़रार देना और क़लम बन्द करना लाज़िम नहीं है जब कि मुक़द्दमा की समाअ्त अव्वल के वक़्त मुद्दाअलेह की तरफ़ से कुछ जवाबदिही न हो—

२—अगर अमूर तनक़ीह तलब क़ानूनी और वाक़ियाती दोनों एकही मुक़द्दमे में पैदा हों और अदालत की राय में सिर्फ़ अमूर तनक़ीह तलब क़ानूनी की बिनाबर मुक़द्दमा या उसका कोई जुज़ो तै होसक्ता है तो अदालत को लाज़िम है कि पहिले उन्हीं अमूर की तजवीज़ करे और उस गरज के लिये अगर मुनासिब जाने तो उसको जायज़ है कि क़रार देना अमूर तनक़ीह तलब वाक़ियाती का उस वक़्ततक मुल्तवी रक्खै कि अमूर तनक़ीह तलब क़ानूनी तजवीज़ होजायें— दफ़ा १४६ फ़िक़रह ६

अमूर तनक़ीह तलब क़ानूनी और वाक़ियाती

३—अदालत को इख़्तियार है कि अमूर तनक़ीह तलब तमाम या बाज़ मवाद मुफस्सिले जैलसे मुरत्तिब करै— दफ़ा १४७

मवाद जिससे अमूर तनक़ीह तलब मुरत्तिब किये जासक्ते हैं

(अलिफ) उन बयानात से जो फरीक़ैन ने या किसी अशख़ास ने जो उनकी तरफ से हाजिर थे हलफ़न् कियेहों या उन फरीक़ के विकलाने किये हों—

(बे) उन बयानात से जो प्लीडिंग में या उन चंद सवालात के जवाबात में कियेगये हों जो मुक़द्दमे में दियेजायें—

(जीम) उन दस्तावेजात के मजमून से जो फरीक़ैन में से किसीने पेश की हों—

दफ़ा १४८ ४–अगर अदालत की रायमें बिला इज़हार किसी शख़्सके जो अदालत में हाज़िर न हो या बिला मोआयना किसी दस्तावेज़ के जो मुक़द्दमे में पेश न हुईहो अमूर तनक़ीह तलब सही तौरपर क़ायम नहीं होसक्ते तो उसे इख़्तियार होगा कि क़ायम करना अमूर तनक़ीह तलब का किसी तारीख़ आयन्दा तक मुल्तवी रक्खे और बरियायत क़ानून मजरिया वक़्त बज़रिये इजराय सम्मन या और हुक्मनामे के जबरन् किसी शख़्स को हाज़िर कराये या कोई दस्तावेज़ किसी शख़्स से जिसके क़ब्ज़े या इख़्तियार में हो पेश कराये–

अदालत क़ब्ल क़रार देने अमूर तनक़ीह तलबके गवाहों या इज़हार लेसक्ती है और दस्तावेज़ात मोआयना करसक्ती है

दफ़ा १४९ ५–(१) अदालत को इख़्तियार है कि डिगरी सादिर करने से पहिले किसी वक़्त अमूर तनक़ीह तलबको उन शरायत से जो मुनासिब मालूमहों तरमीम करे या और अमूर तनक़ीह तलब इज़ाफ़ा करे और इसी तरह वास्ते तस्फ़िया अमूर निज़ाई मावैन फ़रीक़ैन के जो तरमीम या इज़ाफ़ा अमूर तनक़ीह तलब का ज़रूरी हो अमल में आयेगा—

इख़्तियार दरबाब तरमीम और ख़ारिज करने अमूर तनक़ीहतलबके

(२) अदालतको यह भी इख़्तियारहै कि डिगरी सादिर करने से पहिले किसी वक़्त किसी अमूर तनक़ीह तलबको जो बराह ग़लती क़रारदिये या बढ़ायेहुये मालूमहो ख़ारिजकरदे–

दफ़ा १५० ६–अगर फ़रीक़ैन मुक़द्दमा बाहम इत्तिफ़ाक़करें कि फ़लां अमूर वाक़ियाती या क़ानूनी का तस्फ़िया फ़ी मावैन उनके होना चाहिये तो उनको इख़्तियार है कि अमर मज़कूर को बतौर अमूर तनक़ीह तलब के क़लमबन्द करके एक क़रारनामा तहरीरी कि जब अदालत निस्बत अमर तनक़ीह तलब मज़कूर के अपनी राय मुतज़म्मिन असबात या नफ़ी के क़ायम करे—

अमूर वाक़ियाती या क़ानूनी बज़रिये इक़रारनामा के बतौर अमूर तनक़ीह तलब क़रार [illegible]

का मुस्तहक़ या ऐसी ज़िम्मेदारी का पाबन्द क़रारदिया जाय जिसकी सराहत इक़रारनामा में मुन्दर्ज हो—

(बे) कोई जायदाद जो इक़रारनामा में मुन्दर्ज और मुक़द्दमे में मुतनाज़िआफ़ियाहो एक फ़रीक़ दूसरे फ़रीक़ के या हस्ब हिदायत दूसरे फ़रीक़ के हवाले करै—या

(जीम) फ़रीक़ैन में से एक या ज़्यादा फ़रीक़ कोई ख़ास फ़ेल जो इक़रारनामे में मज़कूरहो और अम्र निज़ाई से मुतअल्लिक़हो अमल में लायें या उससे बाज रहें—

७—अगर बाद करने उस क़दर तहक़ीक़ात के जो मुनासिब मालूमहो अदालतको इस अम्रका इतमीनान हो— दफ़ा १५१

अदालत फ़ैसला कर सक्ती है मगर उसको इतमीनानहोजाय कि इक़रारनामा नेकनीयती से कियागया

(अलिफ) इक़रारनामा मुतख़ासमीन की तरफ से बाज़ाब्ता मुकम्मिल हुआ—

(बे) कि उनको अम्र तस्फ़िया तलब मज़कूर के इन्फ़िसाल में हक़ीक़ी ग़रज़है और

(जीम) अमर मजकूर क़ाबिल तजवीज व इन्फ़िसाल है तो उस को लाज़िम है कि अमर तनक़ीह को क़लमबन्द कर के उसकी तहक़ीक़ातकरै और अपना फ़ैसला या तजवीज बनिस्बत उसके उसी तरहसे लिखे कि गोया अदालतमें खुद उसको अम्र तनक़ीह तलब क़रार दियाथा—

और अदालतको लाज़िमहै कि उस फ़ैसला या तजवीज़ की बिनापर निस्बत अम्र मजकूर के बमूजिब शरायत इक़रारनामा अपनी तजवीज सादिरकरै और बमूजिब तजवीज़ सादिरशुदा के डिगरी सादिर होगी—

आर्डर १५

ज़िक्र उस सूरत का जब मुक़द्दमा समाअत अव्वलपर फ़ैसल कियाजाय—

दफ़ा १५२ १—अगर मुक़द्दमा की समाअत अव्वल के वक़्त मालूमहो कि फ़रीक़ैन में निस्बत किसी मसलै क़ानूनी या अम्र वाक़िआ के बहस नहीं है तो अदालतको जायज होगा कि फ़ैसला उसीवक़्त सादिर करै—

अगर फ़रीक़ैन में बहस न हो

दफ़ा १५३ २—जिस हालमें कि एक से ज़्यादा मुद्दाअलेह हों और उनमें से किसी एक को किसी अम्र क़ानूनी या वाक़ियाती में मुद्दई के साथ इख़्तिलाफ़ न हो तो अदालतको इख़्तियारहै कि उस मुद्दाअलेह के हक़में या उसके ख़िलाफ़ मुराद फ़ौरन फैसला सादिरकरै और मुक़द्दमे की कार्रवाई सिर्फ़ दीगर मुद्दाअलेहुम्के मुक़ाबिले में जारी रहैगी—

अगर चन्द मुद्दाअलेहुम्में से किसी एक को इख़्तिलाफ़ न हो

दफ़ा १५४ ३—(१) जब फ़रीक़ैन मुतख़ासमीन की बहस किसी अम्र क़ानूनी या वाक़ियाती की हो और अमूर तनक़ीह तलब हस्ब तरीक़ा मुनज़िकरे बाला अदालत ने मुक़र्रर किये हों और अदालत को इतमीनान हासिल हो कि निस्बत किसी अमूर तनक़ीह तलब के जो मुक़द्दमे के फ़ैसले के लिये काफ़ी हों कोई और दलील या सबूत सिवाय इसके जो फ़रीक़ैन फ़िलफ़ौर पेश करसक्ते हैं ज़रूर नहीं है और मुक़द्दमे में फ़ौरन् कार्रवाई करने से कुछ बेइन्साफ़ी न होगी तो अदालत को इख़्तियार होगा कि उन अमूर तनक़ीहतलब की तजवीज़ शुरूअ करै और अगर तजवीज़ अमूर मज़कूर की वास्ते इन्फ़िसाल मुक़द्दमा के काफ़ी हो तो मुताबिक़ उसके तजवीज़ सादिर करे बाद इसके कि सम्मन सिर्फ़ बगरज़ क़रार देने अमूर तनक़ीह तलब के जारी हुआ हो या वास्ते इन्फ़िसाल क़तई मुक़द्दमे के—

अगर फ़रीक़ैन मुतख़ासमीन बहस हो

मगर शर्त यह है कि जब सम्मन सिर्फ़ बगरज़ क़रार देने अमूर तनक़ीह तलब के सादिर हो तो फ़रीक़ैन मुक़द्दमा या उनके वकील हाज़िर हों और कोई उनमें से एतराज़ न करे—

(२) अगर वह तजवीज़ न वास्ते इन्फ़िसाल मुक़द्दमे के काफ़ी न हो

तो अदालत मुक़द्दमे की समाअ़त मज़ीद मुल्तवी करके कोई तारीख़ वास्ते पेश करने सबूत मजीद या और दलायल के जो बलिहाज़ हालात मुक़द्दमा जरूरी हों–मोअय्यन करैगी–

४–अगर सम्मन बगरज इन्फ़िसाल क़तई मुक़द्दमे के जारी हुआ हो और कोई फरीक़ बिला वजह काफी उस सबूत को जिसपर उसको इस्तदलाल हो पेश न करै तो अदालत को इख़्तियार होगा कि फौरन् तजवीज़ सादिर करदे या अगर उसकी दानिस्त में मुनासिब हो तो तनक़ीहात क़रार देने और उनको क़लमबन्द करने के बाद मुक़द्दमे को वास्ते पेश होने उस शहादत के जो बर बिनाय तनक़ीहात मज़कूर उसको फैसल करने के लिये ज़रूरी हो मुल्तवी रक्खै– दफ़ा १५५

अदम पेशी सबूत

आर्डर १६

गवाहों की तलबी और हाज़िरी

१–किसी वक्त बाद इजराय नालिश के फरीक़ैन को इख़्तियार है कि अदालत में या उस ओहदेदार के रूबरू जो इस काम के लिये मुक़र्रर हो दरख़्वास्त देकर सम्मन उनलोगों के नाम हासिल करलें जिनकी हाज़िरी अदाय शहादत या दस्तावेज़ पेश करने के लिये ज़रूरी हो– दफ़ा १५६

सम्मन हाज़िरी वास्ते अदाय शहादत या दर पेशी दस्तावेज

२–(१) जो शख़्स इजराय सम्मन की दरख़्वास्त करै उसको लाज़िम है कि सम्मन के दियेजाने से पहिले और उस मियाद के अन्दर जो अदालत ने मुक़र्रर की हो बाबत ज़ादराह वगैरह इख़राजात उस शख़्स के जिसपर सम्मन भेजा जाय जिसक़दर रुपया उस अदालत के आमदरफ़्त के लिये जिसमें तलबी उसकी कीगई और नीज़ बाबत एक रोज़ की हाज़िरी के अदालत काफी समझे अदालत में दाखिल करै– दफ़ा १६०

बवक्त दरख़्वास्त इजराय सम्मन ख़र्चा गवाहान अदालत में दाख़िल करना चाहिये

(२) उस रुपये की तादाद तजवीज़ करने में जो इस क़ायदे की रू से दियाजाय अदालत को इख़्तियार हासिल है कि दर सूरत उन लोगों के जो बहैसियत माहिरानफ़न् गवाही में तलब हुये हों एक मावज़ा माक़ूल दिलाये निस्बत उस वक्त के जो अदाय शहादत

माहिरानफ़न्

में और जो किसी अमल खास मुतअल्लिक़ वफ़न के करने में कि जो उस मुक़द्दमे के लिये ज़रूरी हो सर्फ़ हुआ हो—

(३) अगर वह अदालत मुहकमा हाईकोर्ट के मातहत हो तो शरह इख़राजात का तक़र्रर — रह इख़राजात मजकूर के मुक़र्रर करने में उन क़वाअद का लिहाज़ रहैगा जो उस बारे में मुक़र्रर हों—

दफ़ा १६१ — ३—मुबलिग जो बाबत-ख़र्चा मजकूर के अदालत में जमा किया जाय ख़र्चा गवाह को पेश किया जाना — वरवक्त तामील होने सम्मन के उस शख़्स के रूबरू हाज़िर किया जायगा जिसके नाम का वह सम्मन हो अगर उसकी तामील उसकी जात पर मुमकिन हो—

दफ़ा १६२ — ४—(१) अगर अदालत को या उस ओहदेदार को जो इस काम अगर ग़ैर काफ़ी रक़म दाख़िल कीजाय — के लिये अदालत से मुक़र्रर हुआ हो यह दरयाफ़्त हो कि जो मुबलिग अदालत में दाखिल किया गया वह इख़राजात मज़कूर या मुआविज़ा माक़ूल के अदा के लिये काफ़ी नहीं है तो अदालत यह हिदायत करसक्ती है कि शख़्स तलवशुदः को उस क़दर ज़र मज़ीद दियाजाय जो बाबत इख़राजात मजकूर के ज़रूरी मालूम हो और अगर ज़र मजकूर अदा न कियाजाय तो अदालत यह हुक्म देसक्ती है कि ज़र मज़ीद मतलूबा उस शख़्सकी जायदाद मन्क़ूला की क़ुर्क़ी और नीलाम से वसूल कियाजाय जिसने सम्मन हासिल कियाहो या अदालत शख़्स तलवशुदः को बग़ैर लेने उसके इज़हारके रुख़सत करे या ज़र मजकूर के वसूल करने और उस शख़्स को रुख़सत करने याने दोनों बातोंका जैसा कि ऊपर बयान कियागया हुक्म दे—

वसूल करने और उस शख्स को रुख्सत करने याने दोनों बातोंका जैसा कि ऊपर बयान कियागया हुक्मदे—

५—हर सम्मन में जो बहुक्म हाजिर होने शख्स तलबशुदः के वास्ते दफा १६३

हाजिरी के वक्त और मुकाम और गरज की सम्मन में सराहत होगी

अदाय शहादत या पेश करने दस्तावेज के हो सराहत उस वक्त और मौक़ा की होगी जिस वक्त और जहां उसको हाजिर होना जरूर है और नीज इसके कि हाजिरी बगरज अदाय शहादत या दरपेशी दस्तावेज या दोनों अम्रके लिये मतलूब है और अगर शख्स तलबशुदः को किसी दस्तावेज़ खास के पेशकरने का हुक्म हुवाहो तो कैफियत उस दस्तावेज़ की सेहत मुनासिब के साथ सम्मन में लिखी जायगी—

६—हर शख्स दस्तावेज के पेश करने के लिये बिदून इसके कि वास्ते दफा १६४

सम्मन निस्बत पेश करने दस्तावेज के

देने इज़हार के तलबहो तलब होसक्ता है और अगर कोई शख्स जो सिर्फ वास्ते दरपेशी दस्तावेज के तलब हुआहो दस्तावेज़ पेश करने के लिये असालतन् हाज़िर न हो बल्कि किसी और शख्स से दस्तावेज़ को पेश कराये तो उसकी निस्बत यह समझा जायगा कि उसने सम्मन की तामील की—

७—अदालत को इख्तियार है कि किसी शख्स हाज़िर अदालत को दफा १६५

अशखास हाजिर अदालत की निस्बत अदाय शहादत या दर पेशी दस्तावेजके हुक्म देने का इख़्तियार

हुक्म दे कि वह अदाय शहादत करै या ऐसी कोई दस्तावेज़ पेश करै जो उस वक्त और वहीं उसके क़ब्ज़े या इख्तियार में हो—

८—जो सम्मन इस आर्डरके बमूजिब जारी कियाजाय उसकी तामील दफा १६६

सम्मनकी तामील किस तरहहोगी

हत्तुलइमकान क़रीब क़रीब उसी तौर से कीजायगी जिस तरह मुद्दाअलेह पर सम्मन के तामील करनेका हुक्म है और वह क़वाअद जो आर्डर ५ में दरबाब सबूत तामील सम्मन के मुन्दर्ज हैं हर सम्मन से मुतअल्लिक़ होंगे जिसकी इस क़ायदे के बमूजिब तामील कीजाय—

९—हरएक सूरत में सम्मन की तामील इतने अर्से पहिले उस वक्त दफा १६७

तामील सम्मन का वक्त

के जो शख्स मतलूब की हाजिरी के लिये सम्मन में

मुन्दर्जहो कीजायेगी कि इसको बगरज तहय्या और तयमनाजिल के उस मुक़ामतक जहां उसका हाजिर होना जरूर है मुहलत काफी मिले-

दफ़ा १६८ १०-(१) अगर वह शख्स जिसके नाम सम्मन वास्ते हाजिरी बगरज अदाय शहादत या बगरज दरपेशी किसी दस्तावेज के जारी हुआहो मुताबिक सम्मन मजकूर के हाजिर न हो या दस्तावेज पेश न करे और अगर तामीलकुनिन्दः ने तामील की कैफियत अजरूय हलफ तहरीर न की हो तो अदालत को लाज़िमहै-वरना दरसूरतेकि तामील की तसदीक़ अजरूय हलफ होगई हो इख़्तियार है कि तामीलकुनिन्दः का इजहार दरबाब तामील या अदम तामील सम्मन के खुदले या किसी और अदालत से लिवाये-

कार्रवाई अगर गवाह सम्मनकी तामील न करे

(२) अगर अदालत इस बात के बावर करने की वजह रखती हो कि ऐसी शहादत का अदा या दस्तावेज का पेशहोना जरूरी है और शख़्स मज़कूर बग़ैर उजर जायज़ के मुताबिक़ सम्मन मजकूर हाजिर नहीं हुवा या उसने दस्तावेज़ पेश नहीं की या क़स्दन् तामील सम्मन से गुरेज़ किया तो अदालत मजाज होगी कि इश्तहार इस हुक्म के साथ मुश्तहर कराये कि वह उसवक़्त और मौक़े पर जो इश्तहार में मुन्दर्ज हो हाजिर होकर अदाय शहादत न करे या दस्तावेज़ पेशकरे और एक पर्त उस इश्तहारकी उस मकान के दरवाजे बेरूनी पर या उसके किसी नुमायां मुकाम पर आवेज़ां कीजायगी जिसमें शख़्स मजकूर मामूलन् रहताहो-

(३) बवक्त या बवक्त इजराय इश्तहार मजकूर या उसके बाद किसी वक़्त अदालत मजाज होगी कि अगर मुनासिब समझे एक किता वारन्ट साथ या बगैर जमानत के वास्ते गिरफ्तारी शख्स मजकूर के जारी करे और यह हुक्मदे कि जायदाद उस शख्स की उस मिक्दार तक जो अदालत मुनासिब समझे और जो खर्चा के कुल खर्चा और उस जुर्माने की तादाद से ज्यादा न हो जो क़ायदे १२ के बमूजिब उसपर आयद होसक्ता है कुर्क कीजाये —

मगर शर्त यह है कि कोई अदालत मतालिबा खफ़ीफा जायदाद ग़ैर मन्कूला की कुर्की का हुक्म न देसकेगी—

११—अगर शख़्स मज़कूर उसकी जायदादकी कुर्की के बाद किसी वक़्त हाज़िर होकर अदालत को इस बातसे मुतमइयन करदे— दफ़ा १६९

अगर गवाह हाज़िरहो तो कुर्की वागुजाश्त होसक्ती है

(अलिफ) कि उसने बग़ैर उज़्र जायज सम्मनकी तामील नहीं की और न क़सदन् सम्मन की तामील से गुरेज किया—और

(बे) अगर वह उस वक़्त और मौक़ेपर जो इश्तहार तहत क़ायदा अख़ीर मज़कूरे बाला में मुन्दर्ज है हाज़िर न हो तो यह कि उसको इस क़दर मुद्दत पेश्तर से इश्तहार की इत्तिला नहीं हुई थी कि हाज़िर होसक्ता—

तो अदालत यह हुक्म देगी कि जायदाद कुर्की से वागुजाश्त कीजाय और कुर्की के इख़राजात की निस्बत जो हुक्म मुनासिब समझै सादिर करैगी—

१२—अगर शख़्स मज़कूर हाज़िर न हो या हाज़िर आये मगर अदालत को इसतौर से मुतमइयन न करै तो अदालत मजाज़होगी कि उसपर उसकी हैसियत के मुताबिक और जुम्ला हालात मुक़द्दमा पर लिहाज़ करके अपनी राय से किसी क़दर जुर्माना आयद करै जो पांच सौ रुपये से ज़्यादा न हो और यह हुक्म दे कि उसकी जायदाद या जुज़ो उसका कुर्क होकर नीलाम कियाजाये या अगर क़ायदा १० के बमूजिब कुर्क होगया हो तो वास्ते अदाय जुम्ला इख़राजात मुतअल्लिक़ा कुर्की मज़कूर और जर जुर्माना मुतज़िकरे बाला के—अगर कुछ जुर्माना हो—नीलाम कियाजाय— दफ़ा १७०

कार्रवाई अगर गवाह हाज़िर न हो

मगर शर्त यहहै कि अगर वह शख़्स जिसकी हाज़िरी मतलूबहै खर्चा और जुर्माना मज़कूरे बाला अदालत में अदाकरदे तो अदालत जायदाद की कुर्की से वागुजाश्त होनेका हुक्म सादिर करैगी—

१३—यहहुक्म कुर्की और नीलाम जायदाद बतामील इजराय डिगरी जहांतक मुतअल्लिक़ होसकें कुर्की और नीलाम तहत आ- जदीद

कुर्की का तरीक़ा

डिर हाज़ा से मुतअल्लिक़ समझे जायेंगे गोया कि वह शख़्स जिसकी जायदाद हस्ब मज़कूर कुर्क हुई एक मद्यून डिगरी है—

दफ़ा १७१ १४—बपाबन्दी अहकाम इस मजमूअः के जो अदालत में हाज़िर रहने और हाज़िर होने के बाब में हैं या बपाबन्दी किसी क़ानून नाफ़िज़ुल वक़्त के अगर अदालत को किसी वक़्त ऐसे शख़्स का इज़हार लेना ज़रूरी मालूम हो जो फ़रीक़ मुक़द्दमा न हो और जिसको किसी फ़रीक़ ने बतौर गवाह के नामज़द न किया हो तो अदालत मजाज़ होगी कि ख़ुद अपनी मर्ज़ी से शख़्स मज़कूर के नाम सम्मन इस हुक्म के साथ जारी कराये कि वह तारीख़ मुक़र्ररः पर बतौर गवाह के अदाय शहादत करे या कोई दस्तावेज़ मक़्बूज़ा अपनी पेश करे और अदालत मजाज़ होगी कि उसका इज़हार बतौर गवाह के ले या उससे दस्तावेज़ मज़कूर पेश कराये—

अदालत अपनी मर्ज़ी से अशख़ास ग़ैर को बतौर गवाह तलब कर सक्ती है

दफ़ा १७२ १५—बपाबन्दी मुतज़क्करे क़ायदा मुत्तसिले बालाके जिस शख़्स के नाम सम्मन किसी मुक़द्दमे में हाज़िर होकर शहादत देने के लिये जारी हुआ हो उसको लाज़िम है कि उस वक़्त और मौक़े पर हाज़िर हो जो सम्मन में इस ग़रज़ से मुक़र्रर हुवा हो और जिस शख़्स के नाम सम्मन दस्तावेज़ पेश करने के लिये जारी हो उसको लाज़िम है कि उस वक़्त और मौक़े पर ख़ुद हाज़िर होकर दस्तावेज़ पेश करे या दूसरे से पेश कराये—

अशख़ास जिनके नाम सम्मन जारी हुए हों चाहिये कि शहादत दें या दस्तावेज़ पेश करें

अगर वह हाज़िर ज़ामिनी मज़कूर दाखिल न करै तो अदालत उसकी निस्बत हुक्म देसक्ती है कि वह दीवानी जेल में क़ैद किया जाय—

क़वाइद १० लगायत १३ का तअल्लुक

१७—अहकाम क़वाइद १० लगायत १३ जहांतक मुतअल्लिक़ होसकैं उस शख़्स से मुतअल्लिक़ समझे जायेंगे जो सम्मन के हुक्म के बमूजिब हाज़िर होकर बिला वजह जायज़ खिलाफ़ अहकाम क़ायदा १६ के अदालत से चलाजाय— दफ़ा १७२ फ़िक़रह अव्वल और दफ़ा १७

कार्रवाई अगर गवाह गिरफ्तारशुद शहादत अदाया दस्तावेज़ पेश न करसकै

१८—अगर कोई शख़्स जो वारन्ट के बमूजिब गिरफ्तार होकर अदालत के रूबरू बहिरासत हाज़िर कियाजाय फ़रीक़ैन मुक़द्दमा या उनमें से किसीकी ग़ैर हाज़िरी के सबब से वह शहादत अदा न करसकै या वह दस्तावेज़ पेश न करसकै जिसके अदाया पेश करने के लिये उसकी तलबी हुईथी तो अदालत मजाज़ होगी कि उससे हाज़िर ज़ामिनी माकूल या और ज़मानत उस वक़्त और मौक़ेपर हाज़िर होने के लिये जो मुनासिब मुतसव्विर हो तलब करै और बाद दाखिल होने ऐसी हाज़िर ज़ामिनी या ज़मानत के उसको रिहाकरै और अगर वह हाज़िर ज़ामिनी या ज़मानत मज़कूर दाखिल न करै तो अदालत मज़कूर उसकी निस्बत यह हुक्म देसक्ती है कि वह दीवानी जेलमें क़ैद कियाजाय— दफ़ा १७८

किसी शख़्सको असालतन् हाज़िरी का हुक्म न देना चाहिये इल्ला उस सूरत में कि वह हदूद मुक़र्रर के अन्दर रहताहो

१९—किसी शख़्सको अदालत में अदाय शहादत के लिये असालतन् हाज़िर होनेका हुक्म नहीं दिया जायेगा इल्ला उस सूरतमें कि उसकी सकूनत— दफ़ा १७३

(अलिफ) अदालत के इख़्तियार समाअत इब्तिदाई मामूली की हदूद अर्ज़ी के अन्दर हो—या

(बे) हदूद अर्ज़ी मज़कूर के बाहर मगर ऐसी जगह पर हो जो मुक़ाम अदालत से पचास मील से कम फ़ासिला पर हो या (अगर दरमियान मुक़ाम सकूनत शख़्स मज़कूर और मुक़ाम अदालत के रेल या स्टीमर की राह या और सवारी आम मुक़र्ररा कुल फ़ासिला के ष्टमें हिस्सा के

किसी और रोज मुल्तवी करना किसी वजूह से जो लिखी जायँगी जरूरी हो—

२-अगर उस तारीखपर जो बाद इल्तुवाय के समाअत के लिये मुक़र्रर हुई हो फरीकैन या उनमें से कोई हाजिर होने से क़ासिर रहै तो अदालत को इख्तियार होगा कि मुक़द्दमा को उन तरीक़ों में से किसी एकके बमूजिब फैसल करै जो अ-जरूय आर्डर नौके मुक़र्रर हुये हैं या ऐसा और हुक्म सादिर करै जो उसके नजदीक मुनासिब हो— दफ़ा १५७

अगर फरीक़ैन बरोज मुक़र्ररा हाजिर न हो

३-अगर फरीक़ मुक़द्दमा जिसको मोहलत मिली हो अपना वजह सबूत पेश न करै या अपने गवाहों को हाजिर न कराये या और कोई अम्र जो वास्ते जारी रहने कार्रवाई मुक़दमे के जरूरी हो और जिसके लिये मोहलत मिली हो बजा न लाये तो अदालत बाबस्फ उस अदम पैरवी के मु-क़दमे को उसी वक्त फैसल करने की मजाज होगी—

अदालत मुक़द्दमा फ़ैसल करसक्ती है गो कि कोई फरीक़ वजह सबूत वग़ैरह पेश न करै

आर्डर-१८

बाबत समाअत मुक़द्दमा और लेने इजहारात गवाहों के

१-शुरूअ करने का इस्तहक़ाक मुद्दई को है इल्ला उस सूरत में कि मु-द्दाअलेह मुद्दई के बयान किये हुये वाक़ियात को तस-लीम करके यह इसरार करता हो अजरूये क़ानून या बरबिनाय उन वाकिआत मज़ीद के जो खुद मुद्दाअलेह बयान करै मु-द्दई उस दादरसी के किसी जुज़ो का मुस्तहक़ नहीं है जिसका वह दावा करता है ऐसी सूरत में शुरूअ करने का इस्तहक़ाक मुद्दाअलेह को होगा— तशरीह दफ़ा १७९

शुरूअ करने का इस्तह-क़ाक़

२-(१) मुक़दमे की समाअत के लिये जो रोज़ मुक़र्रर हुआ हो उस रोज या जिस रोज पर मुक़दमे की समाअत मुल्तवी की गई हो उस रोज वह फरीक़ जो शुरूअ करने का इस्तहक़ाक़ रखता है अपने मुक़दमे के हालात बयान दफ़ा १७९

हालात मुक़द्दमा का बयान और वजह सबूत पेश करना

करने शुरूअ करैगा और बताईद उन अमूर तनक़ीही के जिनका साबित करना उसके ज़िम्मे है अपना वजह सबूत पेश करैगा—

दफ़ा १८० (२) तब फ़रीक़सानी अपने मुक़द्दमे के हालात बयान करके जो कुछ सबूत रखता हो पेश करैगा और उसवक्त उसको इख़्तियार है कि तमाम मुक़द्दमे की निस्बत आम तौरपर अदालत में गुज़ारिश हाल करै—

(३) जिस फ़रीक़ ने शुरूअ किया हो बाद अज़ां वह तमाम मुक़द्दमे की निस्बत आम तौर पर जवाबुल्जवाब देनेका मुस्तहक़ होगा—

दफ़ा १८० ३—जब चंद अमूर तनक़ीह तलब हों और उनमें से बाज़ अमूर का सबूत फ़रीक़सानीपर हो तो शुरूअ करनेवाले फ़रीक़ को इख़्तियार है कि अगर चाहै उन अमूर का सबूत उसी वक्त दाखिल करै या पीछे से बतौर जवाब सबूत गुज़रानीदा फ़रीक़सानी के पेश करै और पिछली सूरत में शुरूअ करनेवाला फ़रीक मजाज होगा कि जब फ़रीक़सानी अपना कुल सबूत दाखिल कर चुके अपनी तरफ से उन बाज़ अमूर की बाबत सबूत दे और उसवक्त फ़रीक़सानी को इख़्तियार होगा कि शुरूअ करनेवाले फ़रीक़ ने जो शहादत इसतौर पर पेश की हो ख़ास उसी का जवाब दे लेकिन उसवक्त शुरूअ करनेवाला फ़रीक़ तमाम मुक़द्दमे की निस्बत एक जवाब आम देने का मुस्तहक़ होगा—

सबूत अगर चंद अमूर तनक़ीह तलब हों

४—इज़हारात गवाहान हाज़िरके ज़बानी सरे इजलास जज के रूबरू और ज़ेर हिदायत और इहतमाम ज़ातीजजकेलिये जायँगे—

गवाहों का इज़हार लेना इजलास होगा

तो वह इजहार जो क़लमबंद किया जाय गवाह को उस ज़बान में तर्जुमा होकर समझा दिया जायगा जिस ज़बान में उसने इजहार दिया हो–

७–इज़हार जो हस्ब दफा १३८ क़लमबन्द किया जाय वह मुताबिक़ फार्म मुक़र्ररा कायदा ५ के होगा और लाजिमहै कि वह पढ़कर सुनादिया जाये और उसपर दस्तखत कियेजायें और अगर ज़रूरतहो तो उसका तर्जुमा समझा दियाजाय और उसकी इसलाह करदीजाय गोया कि वह इज़हार हस्ब क़ायदा मज़कूर क़लमबन्द हुआ– दफा १८५ अलिफ फ़िक़रह २

इज़हार हस्ब दफा १३८

८–अगर इजहार गवाह का जजके हाथ से न लिखाजाय जज को लाजिम है कि जैसे हर गवाह का इजहार होताजाय हर गवाह के इज़हार का खुलासा बतौर यादाश्त के लिखता जाय और लाजिमहै कि जज (ऐसी) यादाश्त अपने हाथ से लिखे और उस पर दस्तखत करे और वह मिसिल में शामिल कीजायेगी— दफा १८४

इजहार का खुलासा अगर जज खुद इजहार न लिखे–

९–जहां कि ज़बान अंगरेजी अदालत की ज़बान नहीं है लेकिन तमाम फरीक़ मुक़द्दमा जो असालतन् हाज़िर हों और विकला उनके जो विकालतन् हाज़िर हों उस शहादत को जो अंगरेज़ी में अदा कीजाय अंगरेज़ी में लिखने पर एतराज़ न करैं तो जज़ उसको अपने हाथ से अंगरेज़ीमें लिख लेगा— दफा १८५

इजहार ज़बान अंगरेज़ी में किससूरत में लिखा जायगा

१०–अदालत को इख़्तियारहै कि खुद अपनी खुशी से या किसी फरीक़ या उसके वकील की दरख़्वास्त पर किसी खास सवाल और उसके जवाब को या किसी एतराज को जो किसी सवाल पर कियाजाय क़लमबन्द करै बशर्तेकि इस बातकी कोई वजह खास पाई जाय– दफा १८६

कोईख़ास सवाल व जवाब क़लमबन्द होसक्ताहै

११–अगर किसी सवाल पर जो किसी गवाह से किसी फरीक़ या उसके वकील को एतराज हो और अदालत उस सवाल का पूछना जायज़ रक्खै तो जजको लाज़िमहै कि सवाल और उसका जवाब और एतराज एतराज़ करनेवाले का नाम और उस की बाबत अपनी तजवीज़ क़लमबन्द करै —

सवालात जिनपर एतराज हो और अदालत उनका पूछना जायज रक्खै

दफ़ा १८८ — १२—अदालत को इख़्तियार है कि निस्बत वजा किसी गवाह जो इज़हार देने के वक़्त पाई जाय जो कुछ लिखना जरूर समझे लिखे

रायनिस्बत वजा गवाहान

दफ़ा १८९ — १३—जिन मुक़द्दमात में, कि अपील जायज न हो यह बात जरूर न होगी कि इजहारात गवाहोंके लफ़्ज बलफ़्ज़ लिखेजावें बल्कि जज को लाजिम होगा कि जैसे हर गवाह का इजहार होताजाय हरगवाह के इज़हार का खुलासा बतौर याद्दाश्त लिखता जाय और लाजिमहै कि जज ऐसी याद्दाश्त अपने हाथ से लिखकर उसपर अपने दस्तखत करें और वह याद्दाश्त मिसिल में शामिल कीजायगी—

इजहार का खुलासा मुक़द्दमात गैर क़ाबिल अपील में

दफ़ा १९० — १४—(१) अगर जज उस याद्दाश्त के लिखने से जो इस आर्डर की बमूजिब लिखनी चाहिये माज़ूर हो तो वह अपनी माज़ूरी की वजह क़लमबन्द करायेगा और याद्दाश्त अपनी ज़बान से सरे इजलास लिखवादेगा—

अगर जज खुलासा इज़हार लिखने से माज़ूर हो तो माज़ूरी की वजह लिखेगा

(२) ऐसी हर याद्दाश्त मिसिल में शामिल कीजायगी—

दफ़ा १९१ — १५—(१) अगर कोई जज बसबब फौत करने या बदल जानेके या किसी और सबब से मुक़द्दमे की तहक़ीक़ात खतम न करसके तो उस हाकिम को जो उसकी जगह मुक़र्रर हो इख़्तियारहै कि उस इज़हार या याद्दाश्त की निस्बत जो क़वायद गुजिश्ते के बमूजिब लिखा या मुरत्तिब कीगई हो उसी तरह अमल करे कि गोया खुद उसीने इजहार या याद्दाश्त मज़कूर को लिखा या मुरत्तिब किया था या अपने इहतमाम में इस क़वायद मज़कूर लिखवाया या मुरत्तिब कराया था और मुक़द्दमे में कार्रवाई उस मुक़ाम से शुरू करे कि जहां पर पहिले हाकिम ने उसको छोड़ा हो—

जज का इख़्तियार निस्बत कार्रवाई मुतअल्लिक़ उस इज़हार के जो किसी दूसरे जज ने क़लमबन्द किया।

(२) क़ायदा तहती (१) के अहकाम जहां तक मुतअल्लिक़ हों सके उन मुआमलात में मुतअल्लिक़ समझे जायेंगे जो किसी ऐसे मुक़द्दमे में लीजाय जो दफ़ा २४ की रूसे मुन्तक़िल हुआ हो—

१६-(१) अगर कोई गवाह अनक़रीब अदालत के इलाक़े इख़्तियार से बाहर जानेवाला हो या बइज़हार दीगर वजह काफ़ी के अदालत का इतमीनान किया जाय कि उस का फ़ौरन् इजहार लेना जरूर है तो अदालत को इख़्तियार है कि किसी फरीक़ या खुद गवाह की दरख़्वास्त पर बाद रुजूअ होने मुक़द्दमे के किसी वक्त गवाह मज़कूर का इज़हार उसीतरह ले जिसतरह क़ब्ल अज़ीं हुक्म है— दफ़ा १९२

गवाहका इज़हार फ़ौरन् लिया जासक्ता है

(२) अगर ऐसे गवाह का इजहार फ़ौरन् रूबरू फरीक़ैन के न लिया जाय तो उसका इज़हार लेने के लिये जो तारीख़ मुक़र्रर हो उसकी ऐसी इत्तिला जो अदालत काफ़ी समझे फ़रीक़ैन को दीजायगी—

(३) इज़हार जो इसतौर से लियाजाय गवाह को पढ़कर सुना दिया जायगा और अगर वह उसकी सेहतको क़बूल करै तो उसपर उसके दस्तख़त किये जायँगे और अगर ज़रूरत समझी जाय तो जज उसकी इसलाह करके उसपर दस्तख़त करैगा और वह इज़हार मुक़द्दमा की किसी समाअत के वक्त पढ़ेजाने के लायक़ होगा—

१७-अदालत को इख़्तियार है कि मुक़द्दमा की किसी नौबत पर किसी गवाह को जिसका इज़हार होचुका हो अपने हुज़ूर फिर तलब करै और बरिआयत अहकाम मुन्दर्जे क़ानून शहादत मजरिया वक्त उससे ऐसे सवालात करै जो अदालत को मुनासिब मालूमहों— दफ़ा १९३

अदालत गवाह को फिर तलब करसक्ती और इज़हार लेसक्तीहै

१८-अदालत को इख़्तियार है कि मुक़द्दमे की किसी नौबत पर मोआयना किसी जायदाद या शय का करै जिस के मुतअल्लिक़ मुक़द्दमे में कोई सवाल पैदाहो— जदीद

इख़्तियार अदालत निस्बत मुआयनाके

आर्डर-१९

तहरीरी बयान हलफ़ी

१-हर अदालत हरवक्त मजाज है कि अगर वजह काफ़ी पाईजाय दफ़ा १३४

इख्तियार तलब हुक्म निस्बत इसके कि कोई खास अम्र तहरीरी बयान हलफ़ी की रूसे साबित कियाजाय

तो हुक्म दे कि उन शरायत पर जो बदानिस्त अदालत माकूल हों कोई खास अम्र या अमूर वाक़ियाती तहरीरी बयान हलफी की रु से साबित कियेजायें या किसी गवाह का तहरीरी बयान हलफी मुक़द्दमे की समाअत के वक्त पढाजाय—

मगर शर्त यह है कि अगर अदालत को दरयाफ़्त हो कि कोई फरीक़ वराय नेकनीयती किसी गवाहको इस गरज़ से इज़हार के लिये हाज़िर कराया चाहताहै कि उससे जिरहके सवालात कियेजायें और उस गवाह का हाज़िर करना मुमकिन हो तो हुक्म इस मजमून का न दियाजायगा कि ऐसे गवाह का इज़हार बज़रिये तहरीरी बयान हलफी के लियाजाय—

ना १६५ २—(१) जायज है किसी दरख़्वास्त पर शहादत बज़रिये तहरीरी

हुक्म निस्बत हाज़िरी तहरीरकुनिन्द: बयान हलफ़ी के सवालात जिरह के लिये

बयान हलफी के लीजाय लेकिन अदालत मजाज़ है कि फरीक़ैनमें से किसी फरीक़ की दरख़्वास्त पर तहरीर कुनिन्द: बयान हलफी को जिरहके सवालात के लिये हाज़िर होनेका हुक्म दे—

(२) ऐसी हाज़िरी अदालत में होनी चाहिये इल्ला उस हाल में कि तहरीरकुनिन्द: बयान हलफी अदालत में असालतन् हाज़िर होने से माफ़हो या अदालत और तरह की हिदायत करे—

ना १६६ ३—(१) तहरीरी बयानात हलफी में सिर्फ वही वाक़ियात ज़ाहिर

तहरीरी बयानात हलफ़ी किन अमूर पर महदूद हैं

किये जायँगे जिनको तहरीरकुनिन्द: अपने इल्म खास से साबित करसक्ताहो बजुज़ उस सूरतके कि दरख़्वास्त हाय दरमियानी की निस्बत हों कि उस वक्त नामवुर्दह के बयानात जिनपर वह यक़ीन रखता हो मक़बूल होसक्ते हैं बशर्ते कि यक़ीनकी वजूह ज़ाहिर कीजाय—

आर्डर-२०

तजवीज़ और डिगरी

१—अदालत को लाज़िम है कि मुक़द्दमे की समाअत होचुकने के बाद तजवीज उसी वक्त या किसी तारीख आयन्दा पर जिसकी इत्तिला हस्बज़ाब्ता फ़रीक़ैन या उनके विकला को दीजायगी सरे इजलास सुनादे— दफा १६८

तजवीज़ कब सुनाई जायगी

२—जायज़ है कि जज ऐसी तजवीज़ सुनाये जो जज साबिक़ने जिस का वह क़ायम मुक़ाम है लिखीहो मगर सुनाई न हो— दफा १६६

इख्तियार ऐसी तजवीज सुनाने का जो जज साबिक़ने लिखीहो

३—जब तजवीज सुनाई जाय उसी वक्त जज सरे इजलास उसपर अपने दस्तखत और तारीख लिखैगा और जब एक मरतबे दस्तखत होजायँ तो तजवीज़में कुछ फ़िर बदला या बढ़ाया न जायगा इल्ला हस्ब शरायत दफा १५२ या बवक्त तजवीज सानी— दफा २०२

तजवीज पर दस्तखत किये जायँगे

४—(१) अदालत मताल्बिा खफ़ीफा की तजवीज़ में सिवाय अमूर तस्फिया तलब और फैसला बाबत अमूर मज़कूर के कुछ और लिखना ज़रूर नहीं है— दफा २०३

अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ा की तजवीज

(२) बाक़ी जुम्ला अदालतों की तजवीज़ में बयान मुख्तसर मुक़द्दमे का और अमूर तस्फ़िया तलब और तस्फिया अमूर मज़कूर का और तस्फिया की वजूह लिखनी ज़रूर हैं—

दीगर अदालतों की तजवीज

५—जिन मुक़द्दमात में अमूर तनक़ीह तलब क़रार दियेगये हों अदालत अपनी तनक़ीह या तस्फ़िया हरअम्र तनक़ीह तलब जुदागाना की निस्बत मये वजूह लिखैगी इल्ला उस हालत में कि मिनजुम्ला अमूर तनक़ीह तलब के एक या चन्द अमूर की तनकीह वास्ते इन्फ़िसाल मुक़द्दमे के काफीहो— दफा २०४

अदालत अपना तस्फ़िया हर अम्र तनक़ीह तलब की निस्बत लिखैगी

६—(१) चाहिये कि डिगरी मुताबिक़ तजवीज के हो—डिगरी में मिम्बर मुक़द्दमा और फरीक़ैन के नाम और वल्दियत और क़ौम और पेशा और दावा की तफ्सील और दफा २०६ व २२१

डिगरी में क्या क्या बातें दर्ज होंगी

बयान साफ़ उस दादरसी का जो कीगई हो या और इन्फ़िसाल मुक़द्दमाका लिखा जायगा—

(२) हर डिगरी में तसरीह मिक़दार खर्चे की होगी जो मुक़द्दमे में पड़ाहो और यह कि किस क़दर खर्चा किस हिसाब से किस किस फ़रीक़ के ज़िम्मे और किस जायदाद पर होगा लिखा जायगा—

(३) अदालत मजाज़है कि इस अम्रकी हिदायत करे कि मुक़द्दमे का खर्चा जो एक फ़रीक़ को दूसरे से पानाहो उस रक़म से मुजरा दियाजाय जिसको खुद फ़रीक़ तसलीम करे या जो उस के जिम्मे हिसाब से निकले—

दफ़ा २०५

डिगरीकी तारीख़

७—डिगरी पर तारीख़ तजवीज सुनाने की लिखी जायगी और जब जजको इतमीनान होजाये कि डिगरी मुताबिक़ तजवीज के लिखी गई है तो वह डिगरी पर दस्तख़त करेगा—

जदीद

कार्रवाई उस सूरत में कि जब जज डिगरी पर दस्तख़त करने से पहिले अपने ओहदेसे अलाहिदा होजाय

८—अगर तजवीज़ सुनाने के बाद मगर डिगरी पर दस्तख़त करने से पहिले जज अपने ओहदे से अलाहिदा होजाय तो जो डिगरी मुताबिक़ तजवीज मज़कूर के तैयार कीजाय उसपर दस्तख़त उसका जानशीन ओहदा करसक्ता है या अगर अदालत का वजूदही न रहाहो तो उस अदालतका जज दस्तख़त करसक्ताहै जिसके मातहत अदालत मज़कूर रहीहो—

मजकूर के बिल्यवज उसके वाजिबुल अदा होगा लिखी जायगी—

११—(१) जब और जिस हद्दतक कोई डिगरी वास्ते अदाय ज़र नक़्द के हो तो अदालत को इख़्तियार है कि दरसूरत होने वजह काफी के बरवक्त सादिर करने डिगरी के हुक्म दे कि जर मजकूर की अदाई मुलतवी कीजाय या कि वह बसबील क़िस्तबन्दी मयसूद या बिलासूद अदा किया जाय बाबस्फ शरायत इक़रारनामा के जिसकी रूसे जर मतालिबा वाजिबुल अदाहो— दफ़ा २१०

डिगरीमें हुक्म होसक्ता है कि रुपयेकी अदाई बसबील क़िस्तबन्दी कीजाय

(२) बाद सादिर होने ऐसी डिगरी के अगर मदयून डिगरी दरख़्वास्त करे और डिगरीदार राज़ीहो तो अदालत यह हुक्म सादिर करसक्ती है कि बरिआयत शरायत अदाय सूद या कुर्की जायदाद मदयून डिगरी या लेने जमानत के मदयून डिगरी से या और तौरके जो अदालत मुनासिब समझै तादाद डिगरी शुदः की अदाई मुलतवी कीजाय या कि वह बइक़सात अदा कीजाय—

डिगरी के बाद क़िस्तवार अदायकी निस्बत हुक्म सादिर होसक्ताहै

१२—(१) अगर मुक़दमा वास्ते दिलापाने क़ब्ज़ा ऊपर जायदाद गैरमन्क़ूला या ज़र लगान (या किराया या जर वासिलातके हों तो अदालत एक डिगरी सादिर करसक्ती है)— दफ़ा २११ व २१२

डिगरी मुतअल्लिक क़ब्ज़ा व ज़र वासिलात

(अलिफ) वास्ते दिलापाने क़ब्ज़ा जायदाद मज़कूर पर—

(बे) वास्ते ज़र लगान (या किराया) या ज़र वासिलात के जो जायदाद मज़कूर पर मुक़द्दमे के रुजूअ होनेसे पेशतर बाबत किसी मुद्दतके वाजिबुल वसूल होगयाहो—या वास्ते होने तहक़ीक़ात बाबत ज़रलगान (या किराया) या ज़र वासिलात मज़कूर के—

(जीम) वास्ते होने तहक़ीक़ात बाबत ज़र लगान (या किराया) या ज़र वासिलातके तारीख़ रुजूअ नालिश से उस तारीख़तक—

(१) जब तक कि डिगरीदारको क़ब्ज़ा मिलै—या

(२) जब तक मदयून डिगरी क़ब्ज़ा छोड़े और उसकी इत्तिला बज़रिये अदालत डिगरीदारको दे—या

(१) जब तक कि तारीख़ डिगरी से तीन वर्ष गुज़रजायें-वाने इन में से जो अम्र पहिले वाक़ैहो-

(२) अगर वमूजिब अहकाम फिकरह (बे) या (जीम) तहक़ीक़ात का हुक्म दियाजाय तो एक क़तई डिगरी बाबत ज़र लगान (या किराया) और ज़र वासिलातके नतीजा तहक़ीक़ात मजकूर के मुताबिक़ सादिर कीजायगी-

दफ़ा २१२ १३-(१) जब नालिश इसलिये हो कि जायदाद का हिसाब लिया जाय और उसका इन्तिजाम क़रार वाक़ई अदालतकी डिगरी के वमूजिब कियाजाय तो अदालत को लाज़िम है कि डिगरी क़तई सादिर करने से पहिले एक इब्तिदाई डिगरी वास्ते लियेजाने हिसाब और होने तहक़ीक़ात के सादिर करे और उसके अलावा ऐसी और हिदायत करे जो मुनासिब मालूमहो-

डिगरी नालिशात इन्तिजाम जायदाद में

(२) जब किसी शख़्स मुतवफ़्फ़ीकी जायदाद का इन्तिजाम अदालत की मार्फत हो तो अगर वह जायदाद इस क़दर गुंजाइश न रखती हो कि उसके तमाम देयन और जिम्मेदारियां उससे बेवाक़ होजायें तो निस्वत इस्तहक़ाक़ दायनान कफालतदार और गैर कफालतदारके और निस्वत उन देयन और जिम्मेदारियों के जो क़ाबिल सबूत के हों और निस्बत तख़्मीन मालियत ज़रहाय सालाना और जिम्मेदारी हाय आयन्दा और लाहक़ाके वही क़वाअद मद्दनज़र रहेंगे जो उस अदालत के हदूद इख़्तियारात के अन्दर कि जिसमें नालिश मुतअल्लिक़ इन्तिजाम जायदाद ज़ेर तजवीज़हो निस्बत तरक़ाहाय अश्ख़ास इन्सालोनियट याने दीवालिया मुजरिफ़ा या क़रारयाफ़्ता के उस वक़्त नफ़ाज़पिज़ीर हों और जुम्ला अश्ख़ास जो ऐसी

डिगरी नालिश हक़ शफ़ामें

वाजिब हो और अदालत डिगरी सादिर करे और जर सम्मन अदालत में न दाखिल कर दिया गया हो तो डिगरी में—

(अलिफ़) उस तारीख की सराहत होगी जिसमें या जिससे पहिले जर सम्मन अदालत में दाखिल किया जाय—और

(बे) अदालत यह हुक्म देगी कि बतारीख मुतज़िकिरे फ़िक़रह (अलिफ़) या उससे पहिले जर सम्मन् मज़कूर मये खर्चा जो डिगरी में मुद्दई पर आयद किया गया हो (अगर कुछ खर्चा पड़ा हो) अदालत में दाखिल होनेपर मुदाअलेह जायदादपर मुद्दईको क़ब्ज़ादे और मुद्दईका हक़ तारीख अदाय जर सम्मन् से शुरूअ होना मुतसव्वर होगा, लेकिन जिस हालमें कि जर सम्मन् और खर्चा (अगर कुछ खर्चा हो) इस तौरपर न दाखिल कियाजाय तो नालिश मये खर्चा डिसमिस होजायगी—

(२) अगर अदालत ने दो मुक़ाबिल के दआवी सफ़ाका तस्फ़िया कियाहो तो डिगरी में क़रार दियाजायगा कि—

(अलिफ) अगर दोनों डिगरी शुदः दावा दर्जे में मसावी हों—तो हर दावा सफ़ीअ का जो शरायत क़ायदे तहती (१) की पैरवी करे, जायदाद के एक जुज़ो मुतनासिब की निस्बत असर पिज़ीर होगा जिस में कोई ऐसा जुज़ो मुतनासिब दाखिल है जिसकी निस्बत किसी ऐसे सफ़ीअका दावा जोकि शरायत मज़कूर की पैरवी में क़सूर करे मवस्सर होता मगर बसबब क़सूर मज़कूर के मवस्सर न हुवा—और

(बे) अगर डिगरी शुदः दावा दर्जे में गैर मसावी हों तो सफ़ीअ अदना का दावा मवस्सर न होगा तावक़्ते कि सफ़ीअ आला शरायत मज़कूरकी तामील में क़सूर न करे—

१५— जब मुक़द्दमा वास्ते फ़िस्ख करने किसी शराकत के या वास्ते समझाने हिसाब शराकत के हो तो अदालत मजाज़ है कि क़तई डिगरी सादिर करने से पहिले एक इब्तिदाई डिगरी सादिर करे जिसमें फ़रीक़ैन के अलाहिदा अलाहिदा हिस्से दफ़ा २१५

डिगरी नालिश फ़िस्ख शराकत में

क़ायम करै और ऐसी तारीख़ मुक़र्रर करै जिस तारीख़को शराकत फ़िस्ख़ होजायगी या फ़िस्ख़ समझी जायगी और वास्ते लेने ऐसे हिसाब के और अमल में आने ऐसे फेलों के जो मुनासिब मालूम हों हिदायत करै-

दफ़ा २१५ अलिफ़

डिगरी नालिश हिसाब फ़हमी में जो दरमियान मालिक और एजन्टके हो

१६-जब मुक़द्दमा वास्ते समझा पाने हिसाब दाद व सितद नक़्दी माबैन मालिक और एजन्ट के हो और बाक़ी कुल मुक़द्दमात में जिनकी बाबत क़वायद बाला में हुक्म अहकाम सादिर नहीं हुयेहैं और वास्ते दरियाफ़्त इस अम्र के कि किस फ़रीक़ को किस कदर मुबलिग़ लेना या देना है यह अम्र ज़रूर हो कि हिसाब दाखिल करायाजाये तो अदालत को लाज़िम है कि डिगरी क़तई सादिर करने से पहिले एक इब्तिदाई डिगरी दरबाब लेने हिसाब के जिस तौर से मुनासिब समझै सादिर करै—

जदीद

हिदायात ख़ास निस्बत हिसाब के

१७-अदालत मजाज़ है कि ख़्वाह बज़रिये डिगरी जिसमें हिसाब लेने की हिदायत कीगई हो ख़्वाह बज़रिये हुक्म माबाद के हिदायात ख़ास दरबारे तरीक़ा लेने हिसाब या तसदीक़ हिसाब के सादिर करै और बिलख़सूस यह हिदायत करै कि हिसाब लेने में बहीजात जिनमें कि हिसाबात मुतनाज़िआ दर्ज हैं मुन्दर्जे बहीजात की सचहोने की शहादत बादउल नज़री मुतसव्वर हों और फ़रीक़ों को जो गरज रखते हों हिसाबात के बाबत उन उज़रात के करने का इख़्तियार होगा जिनका उनको मशविरा दियाजाय—

जदीद

डिगरी उन नालिशमें जो तक़सीम जायदाद या क़ब्ज़ा जुदागाना हिस्से की बाबत हो

१८-अगर अदालत कोई डिगरी निस्बत तक़सीम जायदाद के या निस्बत क़ब्ज़ा जुदागाना हिस्सा जायदाद मज़कूर के सादिर करै-

(१) तो और अगर जहांतक कि डिगरी ऐसी जायदाद से मुतअल्लिक़ हो जिसकी बाबत सरकारी मालगुज़ारी अदा कीजाती हो तो डिगरीमें उन मुतादिद फ़रीक़ों के हुक़ूक़ क़रार दियेजायं जो जायदाद में हक़ रखते हों लेकिन यह हुक्म होगा कि

तक़सीम या अलाहिदगी हिस्सा बज़रिये कलक्टर के या किसी गज़टशुदः मातहत कलक्टर के जिसको कलक्टर ने इस बारह खास में मुक़र्रर कियाहो मुताबिक़ इस्तक़रार मज़कूर और अहकाम दफ़ा ५४ के अमल में आये—

(२) और अगर जहांतक कि—डिगरी किसी दीगर जायदाद गैर मन्कूला से या किसी जायदाद मन्क़ूला से मुतअल्लिक़ हो—

तो अदालत को इख़्तियार है कि तक़सीम या अलाहिदगी बग़ैर तहक़ीक़ात मज़ीद के बसहूलत न होसक्ती हो एक इब्तिदाई डिगरी मस-आर इस्तक़रार हक़ूक़ उन मुताद्दिद फ़रीक़ों के जो जायदाद में हक़ रखतेहों सादिर करै और डिगरी में ज़रूरी मज़ीद हिदायतें तहरीर करै—

१९-(१) अगर मुद्दाअलेह को कोई मतालिबा बमुक़ाबिले मुद्दई के दावे में मुजरा दिलायागयाहो तो डिगरी में यह लिखाजा-यगा कि किस क़दर तादाद याफ़्तनी मुद्दई है और किस क़दर याफ़्तनी मुद्दाअलेह और डिगरी की रू से वह तादाद दि-लाई जायगी जो एक फ़रीक़ को दूसरे फ़रीक़ से याफ़्तनी मालूमहो— दफ़ा २१६

डिगरी अगर कुछ मुजरा दिलायाजाय

(२) डिगरी जो ऐसे मुक़द्दमे में सादिरहो जिसमें मतालिबा मुजरा दियेजाने की इस्तदुआ कीगई हो निस्बत अपील के उन्हीं शरायत की पाबन्द होगी जिनकी पाबन्दी दर सूरत न होने दावा मज़कूर के लाज़िम होती—

अपील डिगरी का जिसमें कुछ मुजरा दिलायाजाय

(३) अहकाम क़ायदे हाज़ा असर पिज़ीर होंगे आम इससे कि मुजरा दिलाना क़ायदे ६ आर्डर ८ की रू से जायज़ हो या न हो—

२०-तजवीज़ और डिगरी की नक़्ल मुसद्दिक़ा फ़रीक़ैन को अदालत में दरख़्वास्त करने पर और उन्हीं के सर्फ़ से दी जायँगी— दफ़ा २१७

तजवीज और डिगरी की तसदीक़शुद नक़लें मिलसकैंगी

आर्डर २१

इजराय डिगरी और इजराय अहकाम अदाय ज़र डिगरी

दफ़ा २५७ १—(१) कुल रुपया जो डिगरी के बमूजिब वाजिबुल अदा हो

तरीक़ा अदाय ज़र डिगरी

हस्ब तफसील मुन्दर्जे जैल अदा कियाजायगा याने

(अलिफ) उस अदालत में जिससे डिगरी जारी करना मुतअल्लिक़ हो—या

(बे) डिगरीदार को अदालत के बाहर—या

(जीम) जिसतरह अदालत सादिर कुनिन्दः डिगरी हिदायत करे—

(२) जब कोई अदा हस्ब फ़िक़रह अलिफ क़ायदे तहती (१) के अमल में आये तो अदा मज़कूर की इत्तिला डिगरीदार को दीजायगी—

दफ़ा २५८ २—(१) अगर कोई मुबलिग़ जो किसी क़िस्म की डिगरी की रूसे

अदाय ज़र डिगरी बेरून अदालत

वाजिबुल अदा हो अदालत के बाहर अदा कियाजाय या शय डिगरीशुदः कुल या जुज़ो का तस्फ़िया हस्ब रज़ामन्दी डिगरीदार के और तौर पर होजाय तो डिगरीदार को लाज़िम है कि ऐसे मुबलिग़ के अदा होने या ऐसे तस्फ़िये के वक़ूअ में आने की इत्तिला उस अदालत में करदे जिससे डिगरी का इजरा मुतअल्लिक़ है और अदालत मुताबिक़ उसके उसको क़लमबन्द करलेगी—

(२) मदयून डिगरी को नीज़ इख़्तियार है कि ऐसे मुबलिग़ के अदाया तस्फ़िये के वक़ूअ से अदालत को मुत्तिला करे और अदालत से दरख़्वास्त वास्ते जारी होने नोटिस बनाम डिगरीदार शिर्दी मज़मून करे कि नामबुर्दः एक तारीख़ मुक़र्ररः अदालत पर हाज़िर होकर इस बातकी वजह ज़ाहिर करे कि ऐसा अदाया तस्फ़िया क्यों बतफ़सील तसदीक़ शुदः क़लमबन्द न किया जावे और अगर बाद तामील ऐसे नोटिस के डिगरीदार वजह उसकी ज़ाहिर न करे कि ऐसा अदाया तस्फ़िया

क्यों बलफ़्ज़ तसदीक़ शुदः क़लमबन्द न किया जाये तो अदालत उसको क़लमबन्द करलेगी—

(३) कोई अदाय ज़र या तस्फ़िया जिसकी तसदीक़ या इन्दराज हस्ब मुतज़िकरे बाला न हुआहो अदालत जारीकुनिन्दःडिगरी में तसलीम न किया जायगा—

अदालत जारीकुनिन्दः डिगरी

३—अगर जायदाद ग़ैरमन्क़ूला ऐसी एक जायदाद या मक़बूज़ा हो जो दो या ज़्यादा अदालतों के इलाक़े के हदूद अर्ज़ी के अन्दर वाक़ैहो तो उन अदालतों में से किसी एक को इख़्तियार है कि कुल जायदाद या मक़बूज़ा को कुर्क़ या नीलाम करे— जदीद

अराज़ी जो एकसे ज़्यादा इलाक़े में हो

४—अगर डिगरी किसी ऐसे मुक़द्दमे में सादिर हुई हो जिसकी मालियत हस्ब अर्ज़ीदावा दो हज़ार रुपये से ज़्यादा न हो और बलिहाज़ शयं मुतानिहा क़ानून नाफ़िज़ुल वक़्त के मुताबिक़ समाअत अदालत मतालिबाजात ख़फ़ीफ़ा प्रेसीडेंसी या मुफ़स्सिलात से मुस्तस्ना न कर दिया गयाहो और अदालत सादिर कुनिन्दः डिगरी यह चाहे कि उसकी तामील कलकत्ता, या मद्रास, या बम्बई, या रंगून में हो तो अदालत मज़कूर को इख़्तियार होगा कि नक़ूल और सार्टीफिकट मुतज़िकरे क़ायदा ६ अदालत मतालिबेजात ख़फ़ीफ़ा कलकत्ता या मद्रास या बम्बई या रंगूनमें भेजदे याने जैसा मौक़ा हो और वह अदालत मतालिबाजात ख़फ़ीफ़ा इसीतरह डिगरी की तामील करैगी कि गोया उसने डिगरी सादिर की थी— दफ़ा २२३ फ़िक़रह ५

इन्तिक़ाल अदालत मतालिबाजात ख़फ़ीफ़ा में

५—अगर वह अदालत जिसमें डिगरी का वास्ते इजरा के भेजना मंज़ूर है उसी ज़िले में वाक़ैहो जिसमें कि अदालत सादिर कुनिन्दः डिगरी है तो यह अदालत डिगरी को बिला वसातत अदालत अव्वलुल ज़िक्रमें भेज देगी लेकिन जिस हालमें कि वह अदालत जिसके पास डिगरी बग़रज़ इजरा भेजीजाय ग़ैर ज़िले में हो तो अदालत सादिर कुनिन्दः डिगरी को उस ज़िलेकी अदालत ज़िला के पास भेजेगी जिस ज़िले में डिगरी का इजरा होनेवाला हो— दफ़ा २२३ फ़िक़रह ६

तरीक़ा इन्तिक़ाल

दफा २२८

कार्रवाई अगर अदालत अपनी डिगरीका इजरा दूसरी अदालतसे करना चाहे

६—जो अदालत कि डिगरी को इजराके लिये भेजे उसे लाज़िमहै कि कागज़ात मुफस्सिले ज़ैल भी मुर्सिल करे—

(अलिफ) डिगरी की नक़ल—

(बे) सार्टीफिकट इस मज़मूनका कि अदालत सादिर कुनिन्दः डिगरी के इलाक़े के अन्दर सीगा इजरासे डिगरी का ईफ़ा नहीं हुआहै या अगर डिगरी का जुज़न् इजरा हुआ हो तो यह लिखा जायगा कि किस क़दर ईफा हुआ और डिगरी के किस क़दर जुज़ो का ईफा बाक़ी है—और—

(जीम) नक़ल किसी हुक्म की वास्ते जारी होने डिगरी के सादिर हुआहो और अगर ऐसा हुक्म सादिर न हुआ हो तो सार्टीफिकट इस मज़मून का भेजे—

अदालत यावन्दा नक़ल डिगरी बिला सबूत उन्हें नत्थी करलेगी

७—अदालत जिसमें डिगरी इजराके लिये इसतरह भेजीजाय नक़ल और सार्टीफिकट मज़कूरको बिला सबूत मज़ीद सेहत डिगरी या हुक्म इजराके या उनकी नक़ूलके नत्थी करलेगी इल्ला उस सूरत में कि अदालत किसी ख़ास वजूहसे जिन्हें जजको अपने हाथसे लिखना चाहिये ऐसा सबूत तलब करे—

दरख़्वास्त इजराय डिगरी

१०–जब डिगरीदार अपनी डिगरी जारी कराना चाहै तो अदालत दफ़ा २३०
दरख़्वास्त इजरा | सादिर कुनिन्दः डिगरी में दरख़्वास्त देगा या उस फ़िक़रह १
ओहदेदारके पास (अगर कोईहो) जो उस कामपर मुक़र्ररहो या अगर डिगरी हस्ब अहकाम मुन्दर्जे सदर किसी और अदालत में भेजीगईहो तो दरख़्वास्त उस अदालत में या उसके ओहदेदार मुनासिबको दीजायगी–

११–(१) अगर डिगरी सिर्फ़ बाबत दिलाने ज़र नक़्दके हो तो जा- दफ़ा २५६
दरख़्वास्त ज़बानी | यज़है कि अदालत बरवक़्त सादिर करने डिगरी के डिगरीदारकी दरख़्वास्त ज़बानीपर क़ब्ल तैयारी वारन्टके डिगरीके फ़ौरन् जारी किये जानेका हुक्म बज़रिये गिरफ़्तारी मदयून डिगरीके सादिर करै अगर वह अदालतके अहाते के अन्दरहो—

(२) बइस्तस्नाय सूरत हाय ख़ास मुतज़क्किरे क़ायदा तहती (१) दफ़ा २३५
दरख़्वास्त तहरीरी | हर दरख़्वास्त इजराय डिगरी तहरीरी होगी और उस पर दस्तखत और तसदीक़की इबारत तरफ से दरख़्वास्त कुनिन्दः के या किसी और शख़्सकी तरफ से लिखी जायगी जिसकी निस्बत अदालत को सबूत क़ाबिल इतमीनान गुज़रै कि वह हालात मुक़द्दमासे वाक़िफ है और उसमें तफ़सील मरातिब मुफ़स्सिलै ज़ैल बतौर नक़्शा दर्ज होगी याने—

(अलिफ़) नम्बर मुक़द्दमा–
(बे) नाम फ़रीक़ैन–
(जीम) तारीख़ डिगरी—
(दाल) आया बनाराज़ी डिगरीके अपील हुआहै–
(हे) आया कोई अदाई या किसी दीगर तरहका तस्फ़िया शय मुतनाज़िआकी बाबत दरमियान फ़रीक़ैन बाद सदूर डिगरी के अमल में आया और अगर अमल में आया तो क्या–
(वाव) आया उससे पहिले डिगरीके इजराके लिये कोई दरख़्वास्तें गुज़रीं और अगर गुज़रीं तो किस मज़मूनकी और दरख़्वा- स्त हाय मज़कूरकी तारीख़ और उनका नतीजा–
(ज़े) तादाद ज़र मयेसूदके (अगर कुछहो) जो डिगरी की रूसे वाजिबुलअदाहो या और दादरसी जो डिगरीके रूसे हुईहो मय

तफसील किसी डिगरी क़ाबिल मुजराईके जो क़बल या बाद तारीख उस डिगरीके सादिर हुईहो कि जिसको जारी कराना मंजूरहो—

(है) तादाद जर खर्चा अगर कुछ दिलाया गयाहो—

(तो) नाम उस शख़्स का जिसके ऊपर डिगरी जारी कराना मंजूरहो—और

(ऐ) यह कि किसतरह से अदालतकी अयानत मतलूबहै—याने

(१) बज़रिये दिलाये जाने उस खास मालके जिसकी डिगरी हुईहो

(२) बज़रिये कुर्क़ी व नीलाम या कुर्क़ी बिला नीलाम किसी जायदादके—या

(३) बज़रिये गिरफ़्तारी और क़ैद जेलखानामें किसी शख़्सके—या

(४) बज़रिये मुक़र्रर करने रिसीवरके—या

(५) और तरहपर जैसा कि बनज़र नौइय्यत दादरसी अताशुदह के जरूरीहो—

(३) जब अदालत में दरख़्वास्त क़ायदा तहती (२) के रूसे गुजरे वह मजाजहै कि दरख़्वास्त कुनिन्दः को डिगरी की एक नक़ल मुसद्दिक़ा पेश करनेका हुक्मदे—

दफ़ा २३६ — दरख़्वास्त निस्बत कुर्क़ी माल मन्क़ूला जो मदयून डिगरी के क़ब्ज़े में न हो

१२—जब दरख़्वास्त वास्ते कुर्क़ी किसी माल मन्क़ूला अज़ां मदयून डिगरी के गुजरे और वह उसके क़ब्ज़े में न हो तो डिगरीदार को लाज़िम है कि दरख़्वास्त के साथ एक फ़र्द तालीक़ा उस माल की जो कुर्क़ कराना हो मस्मार उसके ऐसे बयान के जो बवजूह माक़ूल सही हो मुन्सलिक करे—

दफ़ा २३७ — दरख़्वास्त कुर्क़ी माल ग़ैर मन्क़ूला में किन उमूर की सराहत होगी

१३—जब दरख़्वास्त वास्ते कुर्क़ी माल ग़ैर मन्क़ूला अज़ां मदयून डिगरी के गुजरे उसके ज़ैलमें अमूर ज़ैल की तसरीह होगी—

(अलिफ़) बयान जायदाद मज़कूर का जिससे उसके क़रार वाक़ई शिनाख़्त होसके और अगर जायदाद मज़कूर की हद या

उसकी अराज़ी के नम्बर किसी काग़ज़ बन्दोबस्त या नक़्शा पैमायश में मुन्दर्ज हों तो उन हुदूद या नम्बर हाय अराज़ी की सराहत—और

(बे) सराहत हिस्सा या इस्तहक़ाक़ मदयून डिगरी की जायदाद मज़कूर में जहांतक कि सायल को ताहद यक़ीन मालूम हो और जहांतक सायल तहक़ीक़ करसकाहो—

१४—अगर दरख़्वास्त वास्ते कुर्क करने किसी ऐसी अराज़ी के गुज़रै जो दफ़्तर कलक्टरी में दर्ज रजिस्टर हो तो अदालत सायलको हुक्म देसक्ती है कि दफ़्तर मज़कूर के रजिस्टर का इन्तखाब मुसद्दिक़ा बतफ़सील इसके कि कौन २ अशखास रजिस्टर में अराज़ी या उसकी मालगुज़ारी के मालिक या उसमें किसी हक़ीयत क़ाबिल इन्तिक़ालके क़ाबिज़ या उस अराजी की मालगुज़ारी अदा करने के ज़िम्मेदार मुन्दर्ज हैं और बतफसील हसिस मालकान मुन्दर्जा रजिस्टर के पेश करै— दफ़ा २३०

अदालत बाज़ सूरतों मे दफ्तर कलक्टरी के रजिस्टर का इन्तिखाब मुसद्दिक़ा पेश करने का हुक्म देसक्ती है

१५—(१) अगर डिगरी एक से ज़्यादा अशखास के हक़में बिल इस्तराक़ सादिर हुई हो तो उनमें से कोई एक या ज़्यादा अशखास सबके फ़ायदे के लिये कुल डिगरी के इजरा की दरख़्वास्त करसक्ते हैं इल्ला उस सूरत में कि डिगरीमें उसके खिलाफ कोई शर्त हो या जिस हाल में कि उनमें से कोई मरगया हो तो बाक़ी मादगान और क़ायम मुक़ामान जायज़ मुतवफ़्फ़ीके फ़ायदे के लिये दरख़्वास्त करसक्ते हैं— दफ़ा २३१

दरख्वास्त इजरा अज तरफ़ डिगरीदार मुश्तरिक

(२) अगर अदालत को बरूय वजह काफी मालूम हो कि इस क़ायदे के मुताबिक़ दरख़्वास्त के गुज़रने पर इजराय डिगरी मंज़ूर कीजाय तो वह ऐसा हुक्म सादिर करैगी जो वास्ते हिफ़्ज़ हुक़ूक़ उन अशखास के कि उस दरख़्वास्त में शरीक न हुयेहों ज़रूरी हों—

१६—अगर इन्तक़ाल किसी डिगरीका या अगर डिगरी दो या ज़्यादा अशखास के हक़ में बिल इस्तराक़ सादिर हुई हो इन्तक़ाल इस्तहक़ाक़ किसी डिगरीदार का निस्बत डिगरी मज़कूर के बज़रिये इन्तक़ाल तहरीरी या ब- दफ़ा २३२

दरख्वास्त इजराय डिगरी अज़तरफ़ मुन्तक़िलअलेह

वजह असर क़ानूनके अमल में आये तो मुन्तक़िलअलैह को जायज होगा कि उसके इजरा की दरख़्वास्त अदालत सादिरकुनिन्दः डिगरी में करे और डिगरी का इजरा उसी तौरपर और बक़ैद उन्हीं शरायत के अमल में आयेगा कि गोया दरख़्वास्त डिगरीदार मज़कूर की तरफ़ से गुज़री थी-

मगर शर्त यह है कि जब डिगरी या इस्तहक़ाक़ मुतज़िकरै सदर बज़रिये इन्तक़ाल के मुन्तक़िल हुवाहो तो दरख़्वास्त मज़कूर की इत्तिला इन्तक़ाल करनेवाले और मदयून डिगरी को दीजायगी और जबतक कि अदालत उनके उज़रात को (अगर कोई हों) न सुनले तबतक डिगरी जारी न कीजायगी-

नीज शर्त यह है कि अगर डिगरी वास्ते दिलाने ज़र नक़्द के दो या ज़्यादा अशख़ास के ऊपर सादिर हुई हो और वह उनमें से एक शख़्स के नाम मुन्तक़िल कीगईहो तो वह डिगरी उन बाक़ी अशख़ास पर जारी न कीजायगी—

दफ़ा २४५ १७-(१) हस्ब क़ायदा ११ क़ायदे तहती (२) वक्त गुज़रने दरख़्वास्त इजराय डिगरी के अदालत को यह दरयाफ़्त करना चाहिये कि आया तामील उन अहकाम क़वायद ११ लगायत १४ की जो मुक़द्दमे से मुतअल्लिक़ हैं हुई हैं या नहीं और अगर उनकी तामील न हुईहो तो अदालत को इख़्तियार है कि दरख़्वास्त नामंज़ूर करे या उसी वक्त ख़्वाह अन्दर किसी मीआद मुक़र्ररा अदालत के उस नुक़्स की तसहीह होने की इजाज़त दे—

कार्रवाई वक्त गुज़रने दरख़्वास्त इजराय डिगरी

(२) अगर दरख़्वास्त हस्ब शरायत क़ायदा तहती (१) तसहीह पाये तो उसका क़ानून के मुताबिक़ तहरीर होकर उसी तारीख़ पर गुज़रना समझा जायगा जब कि पहिले गुज़री थी-

(३) हर तसहीह पर जो उस क़ायदे के बमूजिब कीजाय जज के दस्तख़त या मुख़्तसर दस्तख़त सब्त होंगे—

(४) जब दरख़्वास्त मंज़ूर कीजाय तो अदालत को लाज़िम है कि रजिस्टर मुनासिब में एक याददाश्त दरख़्वास्त की मये तारीख़ के जब कि दरख़्वास्त गुज़री थी दर्ज करे और [illegible]

मुन्दर्जे मावाद दरख्वास्त के मज़मून के मुताबिक डिगरी के जारी होने का हुक्मदे—

पर शर्त यहहै कि अगर डिगरी बावत ज़र नक़्दकेहो तो उसी क़दर मालियतकी जायदाद कुर्क़ कीजायगी जो क़रीब क़रीब उसी तादादके बराबरहो जो डिगरी की रूसे दिलाई गईहो—

१८-(१) अगर दरख्वास्तैं अदालत में वास्ते इजरा करने ऐसी डिगरियों के गुज़रैं जो अलग अलग मुक़द्दमों में बावत अदा करने दो रक़मोंके माबैन उन्हीं फरीक़ैनके सादिर हुईहों और जिनका इजरा एकही वक्तमें अदालत मज़कूर करसक्तीहो तो- दफा २४३

काबिल मुजराई डिगरी का इजरा

(अलिफ) अगर दोनों रक़म बराबरहों तो दोनों, डिगरियों, पर ईफा उनका दर्ज कियाजायगा—और

(बे) अगर दोनों रकम बराबर न हों तो इजरा सिर्फ उस डिगरीदारकी तरफ से अमल में आयेगा जिसका ज़र डिगरी कसीरहो और सिर्फ़ उस क़दर ज़रकी बाबत जो बाद मुजरा देने ज़र क़लीलकी डिगरीके बाक़ी रहै—और ज़र कसीरकी डिगरीपर ईफा ज़र क़लीलका दर्ज होगा और भी ज़र क़लीलकी डिगरीपर ईफा मुन्दर्ज होगा—

(२) यह कायदा उस सूरत से भी मुतअल्लिक़ समझा जायगा जिस में कि कोई फ़रीक़ उन डिगरियों में से एक डिगरीका मुन्तकिलअलेह हो और नीज बाबत क़र्ज़ाजात डिगरीशुदह के जो असिल मुन्तकिल करनेवाले से पानाहो उसी तरह मुतअल्लिक़ होगी जिसतरह कि खुद मुन्तकिलअलेह के जिम्मे के क़र्ज़ा डिगरीशुदह से मुतअल्लिक़है—

(३) यह क़ायदा बजुज सूरत हाय मुफस्सिले जैलके और सूरतों से मुतअल्लिक़ नहीं समझा जायगा—

(अलिफ) जब कि डिगरीदार एक मुक़द्दमेका उन मुक़द्दमों में से जिन में डिगरियां सादिर हुईहों मदयून डिगरी दूसरे मुक़द्दमेका हो और हर फरीक़ एकही हैसियत दोनों मुक़द्दमों में रखताहो—और

(बे) जब कि ज़रयाफ्तनी डिगरियोंका मोअय्यनहो—

(४) डिगरीदार किसी ऐसी डिगरी को जो चंद अशखासके ऊपर मुश्तरकन् और मुन्फरदन् सादिर हुईहो बाबत उस डिगरी के क़ाबिल मुजराई करार देसक्ताहै जो बहक एक या ज्याद: अशखास मज़कूरके उसके ऊपर मुन्फरदन् सादिर हुईहो–

तमसीलात

(अलिफ) ज़ैदके पास डिगरी बनाम उमरू एक हज़ार रुपये की है और उमरूके पास एक डिगरी बनाम ज़ैदके वास्ते अदाय एक हज़ार रुपयाके इस शर्त से है कि अगर ज़ैद एक ज़माना आयन्दा में फलां माल न हवाला करे तो वह रुपया दियाजाय उमरू हस्ब कायदा हाज़ा अपनी डिगरी को क़ाबिल मुजराई नहीं करार देसक्ताहै–

(बे) ज़ैद और उमरू शराकती मुद्दैयान में एक डिगरी हज़ार रुपये की बकरपर हासिलकी और बकरने एक डिगरी हज़ार रुपयेकी उमरूपर हासिलकी बकर हस्ब कायदा हाजा अपनी डिगरी क़ाबिल मुजराई नहीं क़रार देसक्ताहै–

(जीम) ज़ैदने एक डिगरी उमरूपर हज़ार रुपयेकी पाई और बकर ने जो कि उमरूका अमानतदारहै ज़ैदपर एक डिगरी हजार रुपये की उमरूकी तरफ से हासिल की—उमरू हस्ब क़ायदा बकर की डिगरी को क़ाबिल मुजराई नहीं करार देसक्ता है—

काबिल मुजराई दुआवी का इजरा जो एकही डिगरी के बमूजिब हो

गुज़रे जिसके बमूजिब दो फरीक़ में से हरएक दूसरे से जरनक्द पाने का मुस्तहक़ हो तो—

(अलिफ) अगर दोनों रक़म बराबर हों तो डिगरी पर ईफा दोनों का दर्ज कियाजायगा—और

(बे) अगर दोनों रक़म बराबर न हों तो इजरा सिर्फ उस फरीक़ की डिगरी अमल में आयेगा जो जर कसीर का मुस्तहक़ हो और सिर्फ उस क़दर ज़रकी बाबत जो बाद मुजरा देने जर क़लील के बाक़ी रहे और डिगरी पर ईफा जर क़लील का दर्ज होगा—

डिगरियात व दुआवी बाहम दीगरी नालिशात रहेन हैं

२०—अहकाम मुन्दर्जे क़ायदा १८ व १९ उन डिगरियात से मुतअल्लिक़ होंगे जो वास्ते नीलाम के निफाज रहेन या बारके हों—

एकही वक्त डिगरी का इजरा करना

२१—अदालत मजाज है कि अगर मुनासिब समझे मदयून की जात और उसकी जायदाद दोनों पर एकही वक्त डिगरी के इजरा से इन्कार करे— दफा २३ फिक़रह २५

इत्तिलाअनामा बाबत दिखाने वजह निस्बत इजराके बाज सूरतोंमें

२२—(१) अगर दरख्वास्त वास्ते इजरा के— दफा २४८

(अलिफ) तारीख डिगरी से अर्सा जियादह एक साल से गुज़रजाने पर गुज़रे—या

(बे) बमुक़ाबिले क़ायम मुक़ाम जायज़ फरीक़ डिगरी के गुज़रे—

तो अदालत जारी कुनिंदा डिगरी को लाजिम है कि उस शख्स के नाम जिसपर इजरा कराने की दरख्वास्त हो एक इत्तिलाअनामा बिदीं हुक्म जारी करे कि तारीख मुकर्ररा पर इस बातकी वजह पेश करे कि उसपर डिगरी का इजरा क्यों न कियाजाये—

मगर शर्त यहहै कि सूरत हाय मुफस्सिले जैलमें किसी ऐसे इत्तिलाअनामा की जरूरत न होगी जब तारीख डिगरी और दरख्वास्त इजराय डिगरी के माबैन गो कि अर्सा जियादह एक साल से गुजर गया हो लेकिन उस दफा २४८

हुक्म अख़ीर की तारीख से जो खिलाफ मुरादहो उस फ़रीक़ के जिस पर इजरा कराने की दरख़्वास्त है किसी पहिली दरख़्वास्त इजराय डिगरी मज़कूर पर सादिर हुआहो एक साल के अन्दर दरख़्वास्त गुज़रे या जब कि दरख़्वास्त अगर्चि बमुक़ाबिले क़ायम मुक़ाम जायज़ मदयून डिगरी के गुज़रे लेकिन उसी शख़्स पर उससे पेश्तर की दरख़्वास्त इजरा पर डिगरी के जारी होनेका हुक्म अदालत ने दिया हो-

(२) क़ायदा तहती मज़कूरावाला के किसी मज़मून से अदालत बग़ैर जारी करने इत्तिलाअनामा मुतज़क्किरह क़ायदा तहती मज़कूर के हुक्मनामा इजराय डिगरी जारी करने से ममनूअ नहीं समझी जायेगी अगर बवजूह तहरीरी बदानिश्त उसके ऐसा इत्तिलाअनामा जारी करने से तवक़्क़ुफ़ नामुनासिब वाक़े हो या ग़रज़ इन्साफ़ फ़ौत होजाये-

दफा २४८ २३-(१) अगर वह शख़्स जिसके नाम इत्तिलाअनामा हस्ब क़ायदा मुलहक़ा वालाके जारी कियाजाये हाज़िर न आये या वजह हस्ब इतमीनान अदालत वास्ते जारी न किये जाने डिगरी के पेश न करे तो अदालत हुक्म इजराय डिगरी का सादिर करेगी-

कार्रवाई बाद जारीहोने इत्तिलाअनामा के

(२) अगर निस्बत इजराय डिगरी के कुछ ऐतराज़ पेशकरे तो अदालत उस ऐतराज पर ग़ौर करके वह हुक्म सादिर करेगी जो उसके नज़दीक मुनासिब हो-

हुक्मनामा इजराय डिगरी

दफा २५० २४-(१) बाद तकमील मरातिब इब्तिदाई के (अगर कुछहों) जो अज़रूय क़वाइद मरक़ूमावाला के मतलूब हों अदालतको लाज़िम होगा कि हुक्मनामा बगरज़ इजराय डिगरी जारी करे इल्ला उस सूरत में कि उसके नज़दीक कोई वजह उसके खिलाफ हो-

हुक्मनामा बगरज़ इजराय डिगरी

[illegible] (२) इजराय डिगरी के हर हुक्मनामा पर हुक्मनामा के सादिर होनेकी तारीख और दस्तख़त जज या और उहदेदार के जिस को अदालत इस बाबके लिये मुक़र्रर करे सब्त होंगे और

मुहर अदालत सब्त होकर हुक्मनामा मज़कूर मुनासिब उहदेदारको इजरा के लिये हवाले किया जायेगा—

(३) हर हुक्मनामा मजकूर में वह खास तारीख लिख दीजायेगी जिसमें या जिससे पहिले उसका इज़रा होना चाहिये—

इन्दराज कैफ़ियत हुक्मनामेपर

२५–(१) उहदेदार जिसको हुक्मनामा तामील के लिये सिपुर्द हुआ हो उसकी पुश्तपर लिखेगा कि उसकी तामील किस तारीख को और क्योंकर हुई और अगर तामील उस रोज़ के बाद हुई हो जो तामील का आखिर दिन मुक़र्रर किया गयाथा तो तवक़ुफ़ की वजह लिखी जायेगी और अगर तामील न हुईहो तो तामील न होनेकी वजह लिखी जायेगी और उहदेदार मज़कूर ऐसी इबारत ज़ुहरी लिखकर हुक्मनामा को अदालत में वापस करेगा— दफ़ा २४३ और मजमून जुज़्व अख़ीर दफ़ा २५१

(२) अगर कैफ़ियत ज़ुहरी इस मजमून की हो कि उहदेदार मज़कूर हुक्मनामा की तामील करने के नाक़ाबिलहै तो अदालत उसकी वजह माज़ूरी की बाबत उसका इज़हार करलेगी और अगर मुनासिब समझे तो उसकी माज़ूरी की निस्बत गवाहों को तलब करके उनके इज़हार ले और नतीजा क़लमबन्द करे— दफ़ा २४३

इल्तवाय इजराय डिगरी

कब अदालत इजरा मुल्तवी करसक्ती है

२६–(१) उस अदालत को जिसमें डिगरी इजराके लिये मुरसिल कीजाये लाज़िमहै कि अगर वजह काफी ज़ाहिर की जाये डिगरी के इजरा को एक मीआद माकूल के लिये इस ग़रज से मुल्तवी रक्खे कि मदयून डिगरी उस अदालत में जिसने डिगरी सादिर की हो या किसी और अदालत में जो इख़्तियार समाअत अपील निस्बत डिगरी मजकूर या उसके इजरा की रखतीहो वास्ते हुक्म इल्तवाय इजराय डिगरी के दरख़्वास्त करे या वास्ते किसी और हुक्म मुतअल्लिक़ा डिगरी या इजराय डिगरी के जो अदालत मुराफ़ेऊला मजकूर या अदालत अपील उस हाल में सादिर करनेकी मजाज होती जब कि डिगरी उसी अदालत से जारी कीजाती या जब कि दरख़्वास्त इजराय की उसी अदालत में गुजरती— दफ़ा २४६

(२) अगर जायदाद या ज़ात मदयून डिगरी की इजराय डिगरी में हिरासत में लीगईहो तो वह अदालत जिसने इजरा कियाहो उस

हुक्म के सादिर करने की मजाज़ होगी कि ताटरियाफ़्त होने नतीजा द‑र्ख्वास्त मज़कूर के जायदाद मज़कूर वापस दीजाये या ज़ातमदयून की रिहा कीजाये—

दफ़ा २४०

मदयून डिगरी से ज़मानत तलब करने या उसको पाबन्द‑शरायत करनेका इख्तियार

(३) कब्ल इसके कि हुक्म इल्तवाय इजरा का या हुक्म वास्ते वापस देने जायदाद या रिहाकरने ज़ात मदयून के सादिर किया जाये अदालत मजाज़ होगी कि मदयून डिगरी से उस क़दर ज़मानत तलब करे या उसको ऐसी शरायत का पाबन्द करे जो अदालत को मुनासिब मालूम हो—

दफ़ा २४१

गिरफ़्तारी मुकर्रर मदयून डिगरी रिहाई याफ़्तह की

(२७) मदयून डिगरी की जायदाद या ज़ातकी रिहाई का हुक्म हस्ब क़ायदा २६५ मानअ उसका न होगा कि वो जायदाद या ज़ात मदयून की फिर बइल्लत इजराय डिगरी के जो इजरा के लिये भेजीगई हो माख़ूज़ कीजाये—

दफ़ा २४१

पाबन्दी हुक्म अदालत सादिर कुनिन्दा डिगरी या अदालत अपीलकी उस अदालत पर जिसमें दरख्वास्त गुज़रे

(२८) हर हुक्म उस अदालत का जिसने डिगरी सादिर की हो या उस अदालत अपील का जिसका ऊपर मज़कूर हुआहै दरबाबे इजराय डिगरी मज़कूर के उस अदालत पर वाजिबुल तामील होगा जिसमें डिगरी इजरा के लिये मुरसिल कीगई हो—

दफ़ा २४३

इल्तवाय इजरा तारीफ़िसाम नालिश माबैन डिगरीदार और मदयून डिगरी

२६—अगर किसी अदालत में कोई नालिश उस शख़्सकी तरफ़ से जिसपर उसी अदालतकी डिगरी हुईहो डिगरीदारके नाम दायरहो तो अदालतको इख्तियार है कि अगर मुनासिब समझे नालिश मुतदायराके फ़ैसला होनेतक डिगरी मज़कूरका इजरा बपाबन्दी शरायत ज़मानत तारीख दीगरके मुल्तवी रक्खे—

डिगरी दीवानी जेलमें क़ैद कियाजाय या उसकी जायदाद कुर्क़ और नीलाम कीजाय या दोनों तरीक़ों से—

३१-(१) अगर डिगरी किसी खास शै मन्क़ूला या किसी खास शै मन्क़ूलाके हिस्सा पानेकी बाबतहो तो उसका ईफाय इस तौरपर होगा कि शै मन्क़ूला या हिस्सा मज़कूरपर कब्ज़ा कियाजायेगा अगर मुमकिनहो और उस फ़रीक़के सिपुर्द किया जायेगा कि जिसके हक़में डिगरी हुईहो या उस शख़्सको दियाजायेगा जिसको डिगरीदारने अपनी तरफसे उसके लेनेके वास्ते मुक़र्रर कियाहो या मदयून डिगरी दीवानी जेलमें क़ैद कियाजायेगा या जायदाद उसकी कुर्क़ कीजायेगी या दोनों तरीक़ों से— दफ़ा ४५५

डिगरी बाबत किसी शै मन्क़ूलाके

(२) जब कोई कुर्क़ी जो क़ायदा तहती (१) के बमूजिब हुईहो छः महीनेतक क़ायम रहीहो, अगर मदयून डिगरीने उस वक्त तक डिगरी की तामील न की हो और डिगरीदारने वास्ते नीलाम कराने जायदाद मक़रूक़ा के सवाल दियाहो तो जायज़है कि वह जायदाद नीलाम कीजाय और अदालत को इख़्तियार है कि ज़र समन नीलाम से डिगरीदारको इस क़दर मुबलिग दिलाये जो बतौर बदल किसी शै मन्क़ूलाके अज़रूय डिगरी मुक़र्रर हुआहो और और सूरतों में उस क़दर मुआविज़ा दिलाये जो अदालतको मुनासिब मालूमहो और बाकी रुपया (अगर कुछ हो) मदयून को उसकी दरख़्वास्तपर हवाले करे—

(३) अगर मदयून डिगरीने डिगरी की तामील करदीहो और इजराय डिगरी मज़कूरका कुलख़र्च अदा करदियाहो जो उसके ज़िम्मे देना वाजिब था या अगर वक्त इन्क़ज़ाय छः महीने के तारीख़ कुर्क़ीसे कोई दरख़्वास्त वास्ते नीलाम कराने जायदाद के न गुज़रीहो या गुज़र करना मंज़ूर हुईहोतो कुर्क़ी ख़तम होजावेगी—

३२-(१) अगर वह फ़रीक़ जिसके नाम डिगरी वास्ते तामील ख़ास किसी मुआहिदहके या वास्ते दिलाये जाने हुक़ूक़ इज़दवाजके या वास्ते हुक्म इम्तिनाईके सादिर हुईहो डिगरीकी तामील करनेका मौक़ा पाचुकाहो और अम्दन उसको तामील करने से बाज़ रहाहो तो जा- दफ़ा २६०

डिगरी वास्ते तामील ख़ास या दिलाये जाने हक़ूक़ इज़दवाजके या हुक्म इम्तिनाईके

अजहै कि उसपर डिगरी की तामील इस तौरसे हो कि वह दीवानी
में क़ैद कियाजाय या उसकी जायदाद कुर्क कीजाय या दोनों तरीक़ों

(२) अगर वह फरीक़ जिसके नाम डिगरी वास्ते तामील ख़ास हुक्म इम्तिनाई के सादिर हुईहो जमाअत सनदयाफ़्ता तो डिगरी की तामील बजरिये कुर्की जायदाद जमाअत सनदयाफ़्ता मज़कूर के कराई जासकती है या बइजाज़त अदालत उसके डायरेक्टरान या दीगर आला अफ़सरान जेलखाना दीवानीमें क़ैद करनेसे या कुर्की और क़ैद दोनों

(३) जब कोई कुर्की हस्ब क़ायदा ज़िमनी (१) या क़ायदा ज़िमनी (२) एक बरसतक क़ायम रही हो अगर मदयून डिगरी डिगरीकी तामील न की हो और डिगरीदारने जायदाद मकरूक के नीलाम होनेकी दरख़्वास्त दी हो तो जायज है कि वह जायदाद नीलाम कीजाय और अदालत को इख़्तियार है कि ज़रसमन नीलाम से उस क़दर मुआविज़ा जो अदालत को मुनासिब मालूमहो डिगरीदार को दिलाये और ज़र फाज़िल (अगर कुछ हो), मदयून डिगरी को उसकी दरख़्वास्त पर दे दे-

(४) अगर मदयून डिगरी ने डिगरी की तामील करदी हो और इजरा डिगरी मजकूर का कुल खर्च अदा करदिया हो जो उसके जिम्मे देना वाजिब था या अगर बक्त इनक़ज़ाय एक बरस के तारीख कुर्की से कोई दरख़्वास्त वास्ते नीलाम कराने जायदाद के न गुज़री हो या गुज़र करना मंज़ूर हुआ तो कुर्की खतम होजायेगी-

(५) अगर डिगरी वास्ते तामील खास किसी मुआहिदहके या वास्ते हुक्म इम्तिनाई के सादिर हुई हो और उसकी तामील न हुई हो तो अदालत को इख़्तियारहै कि बएवज़ या अलावह हुक्म या बाज हुक्मनामजात मुतज़क्किरह बाला के हुक्म दे कि वह फ़ेल जिसका किया जाना मतलूब हो डिगरीदार या और कोई शख़्स मुकर्रिरह अदालत मदयून डिगरी के ख़र्चे से करे और जायज है कि फ़ेल मज़कूर किये जाने पर

खर्चा आयद हो वह उस तरीक़ा पर तहक़ीक़ किया जाये जिसका अदालत हुक्म दे और इस तरहपर वसूल कियाजाय कि गोया डिगरी में दाखिल है–

तमसील

जैदने जो एक गरीब आदमी है एक मकान बनाया जिसके सबब से अमरू की खानदानी इमारत काबिल रहनेके न रही ज़ैद ने बातरफ क़ैद और कुर्क़ी जायदाद के उस डिगरी की तामील न की जो अमरू ने जैद पर उसका मकान गिरा देनेकी निस्बत हासिल की अदालत के नज़दीक ज़ैद की जायदाद की फरोख्त से अमरू की इमारत की कमी मालियत का पूरा मुआविजा नहीं होसक्ता पस अमरू अदालत में सवाल देसक्ता है कि जैद का मकान गिरा दिया जाय और जैद से बसीगा इजराय डिगरी खर्चा मकान गिराने का पासक्ता है–

३३–(१) बातरफ किसी मज़मून क़ायदा ३२ के अदालत बवक्त सादिर करने डिगरी वास्ते दिलाये-जाने हक़ूक़ इज़दिवाज के या बाद उसके किसी वक्त मजाज़ हुक्म देनेकी होगी कि डिगरी का इजरा इसतरह न हो कि मदयून जेलखाना में कैद कियाजाय–

इख्तियार अदालत निस्बत इजराय डिगरी के जो वास्ते दिलाये जाने हक़ूक़ इजदिवाज के हों—

मुक़ाबिला करो ४७,४८ विक्टोरिया बाब ६ दफ़ा २ लगायत ४

(२) अगर अदालत ने क़ायदा तहती (१) के बमूजिब हुक्म सादिर किया हो और डिगरीदार जौजा हो तो अदालत हुक्म देनेकी मजाज है कि अन्दर मुद्दत मुक़र्ररह डिगरी न होनेकी सूरतमें मदयून डिगरी, डिगरीदार को वक्त मुअय्यना पर एक मुनासिब रक़म दिया करे और अगर मुनासिब समझे नीज़ यह हुक्म दे कि मदयून डिगरी हस्ब इतमीनान अदालत डिगरीदार को ऐसी रक़म मुअय्यना के अदा की जमानत करदे–

(३) अदालत को इख्तियार है कि वक्त अदाको बदलकर या रक़म घटा बढ़ाकर उस हुक्म को वक्तन् फवक्तन् बदलती या उसमें तरमीम करती रहे जो क़ायदा तहती (२) के बमूजिब अदाय रक़म मुअय्यनः की बाबत सादिर हुआ हो या यह

भी इख़्तियारहै कि हुक्म मज़कूरको जो निस्बत अदाय कुल या जुज़्व रक़म मज़कूर के हो जिसकी अदायगी का हस्ब मज़कूरा बाला हुक्म हुआ है कि चन्दरोज़ के लिये मुल्तवी रक्खे और फिर कुल्लन् या जुज़्वन् उसकी तजदीद करे जैसा कि वह मुनासिब समझे—

(४) जिस रक़मके अदा करनेका हुक्म इस क़ायदे के बमूजिब दिया जावे वह इसतरह क़ाबिल वसूल होगी कि गोया वह बमूजिब डिगरी ज़रनक़्दके क़ाबिल अदाहै—

न २३१ ३४—(१) अगर डिगरी वास्ते तकमील किसी दस्तावेज़ या वास्ते तहरीर इबारत फरोख़्त और पुश्त किसी दस्तावेज़ क़ाबिल बैयशिरायके हो और मदयून डिगरी की तामील न करे या तामील करने से इन्कार करे तो डिगरीदार मजाज़ होगा कि डिगरीके शरायत मुताबिक़ मुसव्विदा व दस्तावेज़ या फरोख़्तकी इबारतका तय्यार करके अदालतके हवाले करे—

डिगरी वास्ते तकमील दस्तावेज़ात या तहरीर इबारत फरोख़्त ऊपर पुश्त दस्तावेज़ात क़ाबिल बैयशिराके

(२) उस वक़्त अदालत मसव्विदा मज़कूरकी तामील मदयून डिगरीपर करायेगी और उसके साथ एक इत्तिलानामा मुशअ़्‌र इस अमरके होगा कि अगर मदयूनको कुछ उज़रहो तो अपने उज़रात उस मुद्दत मुन्दर्जे इत्तिलानामाके अन्दर पेश करे जो अदालत उस ग़रज़के लिये मुक़र्रर करे—

(३) अगर मदयून डिगरी मसव्विदा मज़कूर पर ऐतराज़ रखताहो तो लाज़िम है कि उसके उज़रात तहरीरी मीआद मुक़र्रराके अन्दर पेशहों और अदालत उस मसव्विदाकी मंज़ूरी या तबदीलकी निस्बत जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर करेगी—

[illegible] (४) डिगरीदारको यह भी इख़्तियारहै कि मसव्विदाकी नक़ल मय उन तब्दीलातके (अगर कोई हों) अदालतके हुक्मसे कीगई हों काग़ज़ इस्टाम्पबमिक़्दार क़ीमतपर अगर इस्टाम्प क़ानून मनाज़िया वक़्तकी रूसे दरकारहो लिखकर अदालतमें पेशकरे और जज या वह ओहदेदार जिसको उस कामपर मुक़र्रर किया गयाहो नक़्ल मज़कूर की तकमील करेगा—

(५) जायज़है कि किसी दस्तावेज़की तकमील या किसी दस्तावेज़ क़ाबिल बैवशिशराकी इबारत फरोख्तकी तहरीर हस्ब क़ायदा हाज़ा इस नमूना से कीजाये यानी "(जीम, दाल) जज अदालत मुक़ाम—(या जैसी सूरत हो) तरफ से (अलिफ़,बे) के बमुक़द्दमा (दाल, वाव) बनाम (अलिफ़,बे)" और उसका वही असर होगा कि गोया उसी फरीक़ने जिसको दस्तावेज़ की तकमील या इबारत फरोख्तकी तहरीरका हुक्म हुआ था दस्तावेज़की तकमीलकी या दस्तावेज़ क़ाबिल बैवशिशरा की जुहरपर फरोख्तकी इबारत लिखी— दफा २६२

(६) अदालत या वह उहदेदार जिसको अदालत ने इस कामपर मुक़र्रर कियाहो दस्तावेज मज़कूरकी रजिस्टरी करायेगा अगर उसकी रजिस्टरी क़ानूनी मजारिया वक्त की रूसे ज़रूरीहो या अगर डिगरीदार रजिस्टरी करानेकी दरख्वास्त करे और अदालत जो हुक्म मुनासिब समझे निस्बत अदाय इख़राजात रजिस्टरीके सादिर करसक्ती है—

३५-(१) अगर डिगरी वास्ते दिलाने जायदाद गैर मन्क़ूलाकेहो तो उसपर उस फरीक़को क़ब्ज़ा दिलाया जायेगा जिस के हक़में डिगरी हुईहो या जिस शख्सको वह अपनी तरफ से क़ब्ज़ा लेनेके वास्ते मुक़र्रर करे उसको क़ब्ज़ा दिया जायेगा और अगर कोई शख्स जिसपर डिगरीकी पाबन्दी लाज़िमहै जायदादको खाली करने से इन्कारकरे तो बशर्त ज़रूरत वह निकाल दियाजायेगा— दफा २६३

डिगरी निस्बत जायदाद गैरमन्क़ूला

(२) अगर डिगरी वास्ते दिलाने मुश्तरक क़ब्ज़ा जायदाद गैर मन्क़ूलाके हो तो क़ब्ज़ा इसतरह दिलाया जायगा कि हुक्मनामा मौसूमा ववारंटकी एक नकल उस जायदादके किसी नजरगाह आमपर चस्पां कीजायेगी और मुक़ाम मुनासिबपर मज़मून डिगरीका खुलासा बजर्व दुहल या किसी दूसरे मुरव्विजा तरीक़ापर मुश्तहर करा दियाजायेगा— जदीद

(३) अगर क़ब्ज़ा किसी इमारत या अहाता का दिलाना मक़सूद हो और क़ाबिज जायदाद जो डिगरी की रू से क़ब्ज़ा देने पर मजबूरहो चिता रोकटोक अन्दर जाने न देताहो तो अदा- जदीद

लत मजाज है कि बाद देने इत्तिला और माकूल सहूलियत किसी औरतको जो मुताबिक रिवाज मुल्क के बाहर न निकलती हो कि वह वहां से चलीजाये मारफत अपने अहलकारों के कोई कुफल खोले या सिटकिनी खोले या तोड़डाले या कोई दरवाज़ा तोड़डाले या कोई और ऐसा फेल करे जो डिगरीदार को कब्ज़ा दिलाने के वास्ते जरूरी हो—

ना २६८ २६६—अगर डिगरी वास्ते दिलाने किसी ऐसी जायदाद ग़ैर मन्कूला के हो जो बक़ब्ज़े आसामी या दीगर शख़्स मुस्तहक़ दखल के हो और डिगरी की रूसे उसपर वाजिब न हो कि वह दखल छोड़दे तो अदालत को लाज़िम होगा कि जायदाद मज़कूर के किसी मंजर आमपर हुक्मनामा मौसूमा वारंट की एक नकल आवेज़ां कराके दखल दिलाये और बज़रिये मुनादी बज़र्बे दुहुल बमौका मुनासिब या और तौरपर हस्ब रिवाज के खुलासा मज़मून डिगरी का निस्बत जायदाद मज़कूर के दखील की आगाही के लिये मुश्तहर करादे—

डिगरी वास्ते दिलाने जायदाद ग़ैर मन्कूला के जो बक़ब्ज़े आसामी हो

गिरफ़्तारी और क़ैद जेलखाना दीवानी में

वारंट गिरफ़्तारी मदयून डिगरी बहिदायत इसके कि वह हाज़िर लायाजाय

उहदेदार को जो उसकी तामील के लिये मुक़र्रर हो यह हिदायत होगी कि मदयून डिगरी को अदालत के रूबरू जिस क़दर जल्द कि सहूलियत होसके हाज़िर करे इल्ला उस हालमें कि रुपया जिसके अदा करने का उसको हुक्म दियागया था मयसूद और खर्चा के अगर कुछ उस पर आयद हुआहो गिरफ़्तारी से पहिले अदा होजाय–

३६–(१) अगर डिगरीदार उस क़दर मुबलिग़ अदालतमें जमा न करे जो बलिहाज़ शरह मुक़र्ररा वाला वास्ते खुराक मदयून डिगरी के वक्त गिरफ़्तारी से तारोज़ हाज़िर कियेजाने बहुज़ूर अदालत के बदानिस्त जज काफी हो और तावक्ते कि दाखिल न करे कोई मदयून डिगरी सीग़ा इजराय डिगरी से गिरफ़्तार न किया जायेगा—

ज़रखुराक

(२) अगर मदयून डिगरी सीग़ा इजराय डिगरी से जेलख़ाना दीवानी में भेजाजाय अदालत उसकी खुराक के लिये उस क़दर ज़र माहाना मुक़र्रर करेगी जिसका वह शरह मज़कूर की रू से मुस्तहक़ हो या जहां कहीं ऐसी शरह मुक़र्रर न हो तो अदालत जिस क़दर उसके दर्जे के लिहाज़ से दिलाना काफी समझे—

(३) खुराक माहवारी जो अदालत से मुक़र्रर कीजाय बतौर पेशगी हर महीने की पहिली तारीखसे पेश्तर माहबमाह उस फरीक़को दाखिल करनी लाज़िम है जिसके दरख्वास्त पर मदयून डिगरी गिरफ़्तार हुआहो या जेलख़ाना दीवानी में क़ैद कियागयाहो–

(४) ज़र खुराक पहिली मर्तबा माहरवां के उस क़दर अय्याम के बाबत जो मदयून डिगरी के जेलख़ाना दीवानी के भेजे जानेके वक्त से बाक़ीरहें अदालत के अहलकार मुनासिब को अदा करना होगा और आयंदा रुपया खुराक का (अगर कुछ वाजिबहो) अफ़्सर मुहतमिम जेलख़ाना को अदा किया जायेगा—

(५) रुपया जो डिगरीदार ने मदयून डिगरी की खुराक के लिये बाबत उन अय्याम के जिनमें कि वह जेलख़ाना दीवानी में रहे दियाहो मुक़द्दमा का खर्चा मुतसव्विर होगा— दफ़ा ३४०

मगर शर्त यह है कि मदयून डिगरी किसी ऐसे रुपयाके लिये जेल-

। २५५ ४२—अगर डिगरी में हुक्म तहक़ीक़ात निस्वत ज़र लगान (या किराया) या ज़र वासिलात या किसी और मुआमिला के हो तो जायदाद मदयून डिगरी की क़ब्ल अज़ां कि वह तादाद ज़र जो उसके ज़िम्मेदादनी हो मुनहक़्क़िक़ कीजाये उसी तरह कुर्क कीजासक्ती है जिस तरह कि दर सूरत मामूली डिगरी अदाय ज़रनक़द के कीजातीहै—

कुर्की दरसूरत डिगरी ज़रलगान या ज़र वासिलात या मुआमिले दीगरके जिनकी तादाद बादको मुनहक़्क़िक़ हो

। २६६ ४३—अगर शै कुर्की तलब ऐसी जायदाद मन्कूलाहो जो पैदावार ज़िराअत न हो और जिसपर मदयून डिगरी क़ाबिज़ हो तो उसकी कुर्की बज़रिये वाक़ई क़ब्ज़ा करलेने के होगी और अहलकार कुर्की उस जायदाद को अपनी हिरासत में या अपने किसी मातहत की हिरासत में रक्खेगा और उसकी हिफ़ाज़त करार वाक़ई का ज़िम्मेदार होगा—

कुर्की जायदाद मन्कूला ग़ैर पैदावार ज़िराअत जिसपर मदयून डिगरी क़ाबिज़ हो

पर शर्त यह है कि जब शै मक़रूक़ा उस क़िस्म की हो जो जल्द और अज़खुद खराब होजाती है या जिसकी हिफ़ाज़त का खर्च उसकी मालियतसे ज़ियादा होजाये तो अहलकार कुर्की को इख़्तियार होगा कि फ़ौरन् उसको फ़रोख़्त करडाले—

जदीद ४४—अगर जायदाद कुर्की तलब पैदावार ज़िराअत हो तो उसकी कुर्की बज़रिये आवेज़ां करने एक नक़ल वारंट कुर्की के होगी—

कुर्की पैदावार ज़िराअत

(अलिफ़) अगर पैदावार मज़कूर फ़सल इस्तादह हो तो उस आराज़ी पर जहां वह फ़सल उगी हुई हो—

(बे) या अगर पैदावार मज़कूर कटगई हो या जमा कीगई हो खलियानपर जहां गल्ला वग़ैरः या चारा जमा कियागयाहो और एक और नक़ल उस मकान के दरवाज़ा बेरूनी या उसके किसी और नुमायां मुक़ाम पर जहां मदयून डिगरी मामूलन रहताहो या बइजाज़त अदालत उस मकान के दरवाज़े बेरूनी या उसके किसी और मुक़ाम नुमायांपर जहां वह आख़िरकार रहता हो या मुनतकिल के लिये दस्तकारी काम करताहो या जहां उसका अदालत में रहना या मुन-

मतके लिये बजात खास काम करता मालूमहो—और बाद उसके पैदावारपर अदालतका कब्जा समझा जायेगा—

सहकाम दरबारे पैदावार जिराअत मकरूका

४५—(१) अगर ज़िराअती पैदावार कुर्क कीजाय तो अदालत को लाज़िम होगा कि उसकी हिफाज़तके लिये ऐसा इन्तिज़ामकरे जिसको अदालत काफी समझे और अदालत से इन्तिजाम मज़कूर कराने के लिये हर दरख़्वास्त कुर्की फसल वगैरह में वह वक्त दर्ज करना चाहिये कि फसल मज़कूरके काटने या जमा होने के लायक होनी अग़लब है—

(२) बकैद इन शरायतके जो अदालत इस गरज से हुक्म कुर्की या किसी हुक्म मावादकी रूसे लगाये मदयून डिगरी पैदावारकी निगरानी करसक्ता है और उसको काटकर जमा करसक्ता है और कोई और काम करसक्ताहै जो उसकी पुख़्तगी या हिफ़ाज़तके लिये ज़रूरहो और अगर मदयून डिगरी जुम्ला या बाज़ अफ़आल मज़कूर न करे तो डिगरीदारको इख़्तियार होगा कि बइजाजत अदालत और बक़ैद उन्हीं शरायतके जो जुम्ला या बाज़ अफआल मज़कूर खुदकरे या मारफत किसी शख़्स मुकर्रेरा अपने के कराये और जो खर्चा डिगरीदारका पड़ेगा वह मदयून डिगरी से उसी तरह से वसूल होसकेगा कि गोया वह डिगरी में दाखिल या जुज़्व डिगरी है—

(३) जो पैदावार जिराअत बतौर फसल इस्तादहके कुर्क कीजाये उसकी निस्बत यह नहीं समझा जायगा कि कुर्की से छूटगई या उसको दुबारा कुर्क करने की जरूरतहै महज़ इस वजह से कि वह जमीनसे अलग करदीजाये—

(४) अगर हुक्म कुर्की करने फसल इस्तादहका बहुत दिन कब्ल इसके कि फसल मज़कूर काटने या जमा करने के लायक हो सादिर कियाजाय तो अदालतको इख़्तियार होगा कि हुक्म मज़कूरका इजरा एक मुद्दततक जिसको अदालत मुनासिब समझे मुलतवी रक्खे नीज़ उसको इख़्तियारहै कि हुक्म मज़ीद दिर्दी मज़मून सादिर करे कि ताइजराय हुक्म कुर्कीके वह फसल हटाई न जाय—

(५) जो फसल इस्तादह इस किस्मकीहो कि जमा न होसकतीहो वह बीस दिनसे कब्ल उस वक्तके जब कि वह कटने या जमा होनेके लायकहो इस कायदे के बमूजिब कुर्की नहीं होसकेगी–

२२८ ४६–(१) दरसूरत–

कुर्की कर्जा और हिस्सा और दीगर जायदादकी जो मदयून डिगरीके कब्जे मे न हो

(अलिफ) ऐसे क़र्जाके जिसकी बाबत इतमीनानके लिये कोई दस्तावेज काबिल बैनशिरा न लिखीगईहो–

(बे) या किसी जमाअत सनदयाफ्ताके सरमायाके हिस्से के–

(जीम) या किसी और जायदाद मन्कूलाके जो मदयून डिगरीके कब्जा मेंन हो बजुज ऐसी जायदादके जो किसी अदालतमें अमानतन् जमा या अदालतकी हिफाजतमें हो–कुर्की बज़रिये हुक्म तहरीरी मशअर मुमानिअत उन अमूरके होगी–

(१) क़र्जाकी सूरतमें क़र्जख्वाहको यह मुमानियत होगी कि तासदूर हुक्मसानी अदालतके वह क़र्जा वसूल न करे और क़र्जादारको यह कि वह तासदूर हुक्म मजकूर क़र्जा अदा न करे–

(२) दरसूरत हिस्साके जिसके नामसे हिस्सा दर्ज रजिस्टरहो उस को यह मुमानियत होगी कि उसको मुन्तकिल और उसका मुनाफा वसूल न करे—

(३) क़र्ज़दारको जिसको क़ायदा तहतीकी (१) के फ़िकरा (१) के बमूजिब मुमानियत हुईहो इख़्तियारहै कि ज़र क़र्ज़ा जिम्मगी अपना अदालत में जमा करदे और उसके जमा करने से वह उसी क़दर बरीउज़्ज़िमा होजायेगा कि गोया उसने शख़्स मुस्तहक़ वसूल क़र्ज़ाको अदा कियाथा—

४७—अगर जायदाद कुर्क़ी तलब हिस्सा या इस्तेहक़ाक़ मदयून डिगरी उस जायदाद मन्कूलाका हो जिसके मुश्तरक मालिक मदयून डिगरी और शख़्स दीगरहों तो उसकी कुर्क़ी बज़रिये इत्तिलानामाके होगी जो मदयून डिगरीके पास भेजा जायगा कि हिस्सा या इस्तेहक़ाक़को मुन्तक़िल या उसको किसी नौअके मतालबाकी जेरबार न करे— जदीद

कुर्क़ी हिस्सा माल मन्कूला

४८—(१) अगर जायदाद कुर्क़ी तलब तनख़्वाह या अलाउंस अफ़सर सर्कारी या मुलाजिम रेलवे कम्पनी या मुलाजिम हाकिम मौक़ाकाहो तो अदालतको आम इससे कि मदयून डिगरी या अफ़सर तक़सीमकुनिंदा तनख़्वाह या अलाउंस मजकूर अदालतके हुदूद अरजीके अन्दरहो या न हो इख़्तियार होगा कि तादाद बक़ैद शरायत दफ़ा ६०—एकही तनख़्वाह या अलाउंस से या माहाना अक़सातके जरिये से यानी जैसा कि अदालत हुक्मदे वज़अ करनेका हुक्मदे और हुक्मकी इत्तिला उस उहदेदारके पास पहुँचनेपर जिसको गवर्नमेंटगजटआफ़इण्डिया गजट सर्कारी मुक़ामी में जैसा कि मौक़ाहो बजरिये इश्तिहारके इस ग़रज से मुक़र्ररकरे वह अफ़सर या शख़्स दीगर जिससे तनख़्वाह या अलाउंस मजकूर की तक़सीम मुतअल्लिक़हो वह तादाद ज़र जो अजरूय हुक्म याफ़्तनी हो या अक़सात माहाना जैसी सूरतहो वज़अ करके अदालतमें मुरसिल करेगा— जदीद

कुर्क़ी तनख़्वाह या अलाउंस अफ़सर सर्कारी मुलाजिम रेलवे कंपनी मुलाजिम हाकिम मौक़ा

(२) अगर हिस्सा कुर्क़ी तलब तनख़्वाह या अलाउंस मजकूर का बमूजिब हुक्म कुर्क़ी साबिक़ और ग़ैर तामील शुदहके पहिलेही वज़अ करके अदालत में मुरसिल होगयाहो तो अफ़सर मुक़र्ररह गवर्नमेन्ट फ़िलफ़ौर हुक्म माबादको मय पूरी कैफ़ियत मरातिब कुर्क़ी मौजूदहके अदालत जारी कुनिन्दा हुक्म मजकूर में वापस करेगा—

(३) हर हुक्म क़ायदा हाज़ाका इल्ला उस सूरतमें कि बमूजिब शरायत क़ायदा हाज़ा (२) वापस किया जाये व ग़ैर मज़ीद इत्तिलाअ या दीगर हुक्म के गवर्नमेंट या रेलवे कम्पनी या हाकिम मौक़ा पर जैसी सूरतहो वाजिबुल् तामील होगा जबकि मदयून डिगरी उन हदूद आराज़ी के अन्दरहो जहां मजमूआ हाज़ा दरवक़्त नाफ़िज़हो और जबकि हदूद मज़कूर के बाहरहो अगर आला हज़रत मलिक मुअज़्ज़म की मालगुज़ारी हिन्द से या सरमाया रेलवे कम्पनी से जो बृटिश इंडिया के किसी हिस्से में कारोबार करती हो या सरमाया हाकिम मौक़ा से जो बृटिश इंडिया में हो तनख़्वाह या अलाउंस पाताहो और गवर्नमेंट या रेलवे कम्पनी या हाकिम मौक़ा यानी जैसी सूरतहो उस रक़म का ज़िम्मेदार होगा जो बख़िलाफ़वर्ज़ी इस क़ायदा के दीजाये—

[illegible] दफ़ा ४९—(१) बजुज़ इसके कि हस्ब क़ायदा हाज़ा दीगर तरह पर हुक्महो जायदाद शिराकत कुर्क और नीलाम न होगी बसीग़े इजराय ऐसी किसी डिगरी के जो ग़ैर उस डिगरी के हो जो फ़र्म या फ़र्मके शुरका के ऊपर बहैसियत उनकी शिरकत के सादिरहो—

अगर शरीक मज़कूर वहक़ डिगरीदार इस्तेहक़ाक़ मज़कूर को किसी नोअके मतालिवा का जेरवार करता या जैसा कि हालात मुक़्तजी हों—

(३) दूसरे शरीक या शुरका को इख़्तियार होगा कि किसी वक़्त इस्तेहक़ाक़ ज़ेरवार मतालिवा का इनफ़िकाक करालें या नीलाम की सूरत में उसे ख़रीद लें—

(४) हर दरख़्वास्त वावत हुक्म हस्व क़ायदा तहती (२) की तामील मदयून डिगरी और उसके शुरका या उनमें से ऐसे लोगोंपर कीजायेंगी बृटिश इंडिया में हो—

(५) हरदरख़्वास्तकी तामील जो शरीक मदयून डिगरी क़ायदा तहती—

(३) के बमजिब गुज़राने डिगरीदार और मदयून डिगरी और दीगर शुरकाय में से ऐसे लोगों पर होगी जो दरख़्वास्त में शामिल न हुये हों और बृटिश इंडिया में मौजूद हों—

(६) तामील ज़िमनी क़ायदा तहती (४) या ज़िमनी क़ायदा तहती (५) के निस्बत समझा जायेगा कि जुमला शुरकाय पर हुई और जुमला अहकाम की तामील जो ऐसी दरख़्वास्तों पर सादिर कियेजायें और इसी तरह कीजायेंगी—

५०—(१) जबकि डिगरी बमुक़ाबिले दूकान शिराकती के सादिर हुई हो तो उसका इजरा होसक्ताहै—

इजरायडिगरी बमुक़ाबिले दूकान शिराकती

(अलिफ) बमुक़ाबिले किसी जायदाद शिराकत के—

(वे) बमुक़ाबिले उस शख़्स के जो हस्व क़ायदा ६ या क़ायदा ७—आर्डर ३० के अपने नामसे हाज़िर हुआ है या जिसने प्लीडिंग में शरीक होना तसलीम करलियाहै या जो शरीक तजवीज़ होचुकाहै—

(जीम) बमुक़ाबिले उस शख़्स के जिसपर बज़ात ख़ुद बहैसियत शरीक के सम्मन की तामील हुई है और जो हाज़िर नहीं हुआ है—

नंबर ९ सन् १८७२ ई० मगर शर्त यहहै कि ज़िमनी क़ायदा हाज़ा में कोई अमर अहकाम दफ़ा २४७-क़ानून मुआहिदा हिन्द सन् १८७२ ई० को महदूद या दीगर निहजपर मुतासिर न करेगा-

(२) जब कि डिगरीदार यह दावा करे कि वह मुस्तहक़ इजरा करने डिगरी का बमुक़ाबिले किसी शख़्स के सिवाय शख़्स मुतज़किरै क़ायदा तहती (१) फ़िक़राजात (बे) व (जीम) के बहैसियत शरीक फरम के है तो वह अदालत सादिरकुनिन्दा डिगरी की दरख़्वास्त बगरज़ हुसूल इजाज़त देसक्ता है और जिस सूरत में कि ज़िम्मेदारी की निस्बत निज़ाअ न हो तो अदालत इजाज़त देनेकी मजाज़ होगी या जिस सूरत में कि ज़िम्मेदारी की निस्बत निज़ाअ हो तो मजाज़ होगी कि हुक्म दे कि शख़्स मज़कूर की ज़िम्मेदारी की इसीतरह तहक़ीक़ात व तजवीज़ कीजाये जिस तरह कि नालिश में अमर तनक़ीह तलब की तहक़ीक़ात व तजवीज़ कीजाती है-

(३) जिस सूरतमें किसी शख़्सकी ज़िम्मेदारीकी तहक़ीक़ात व तजवीज़ हस्ब क़ायदा तहती (२) हुईहो तो हुक्म ममदूह का वही असर होगा और दरबारे अपील वग़ैरः के उन्हीं शरायत का ताबे होगा कि गोया वह डिगरी है-

(४) बदस्तसनाय जायदाद शिराकतीके डिगरी जो फरमके ऊपरहो किसी शरीक फरमको बरी या ज़िम्मेदार न करेगी न दीगर निहजपर मुतासिर करेगी इल्ला उस सूरत में जब कि उसपर सम्मन बगरज़ हाज़िरी व जवाबदिहीकी तामील होगईहो-

५१-अगर शै कुर्क़ी तलब कोई दस्तावेज़ क़ाबिल बैदरियाफ़्तहो जो अ- [illegible] दालत में दाखिल न हुईहो और न किसी अहलकार सरकारी की हिफ़ाज़त में हो तो उसकी कुर्क़ी उसपर क़ब्ज़ा वाक़ई करने के ज़रिये से होगी और दस्तावेज़ मज़कूर अदालतमें दाखिल कीजायेगी और ताबे हुक्म मज़ीद अदालत क़ब्ज़ा में रहेगी—

५२-अगर माल कुर्क़ी तलब अदालत या उहदेदार सरकारी कि-

कुर्की जायदाद की जो अदालत या अहलकार सरकारकी हिफ़ाजतमेंहो

फ़ाजतमेंहो उसकी कुर्की इसतरह होगी कि अदालत या उहदेदार मज़कूरके पास इत्तिलाअनामा इस दरख़्वास्तके साथ भेजा जायगा कि माल मजकूर और उसका सूद या हिस्सा मुनाफा जो वाजिबुल् अदा हो तावे हुक्म मज़ीद अदालत सादिर कुनिंदा इत्तिलाअनामाके रहेगा—

मगर शर्त यहहै कि अगर माल मज़कूर किसी अदालतकी हिफाजत में हो तो निज़ाअ इस्तेहक़ाक़ मिल्कियत या वसूल मुक़द्दम की जो माबैन डिगरीदार और किसी ऐसे शख़्स ग़ैरके पैदाहो जो मदयून डिगरी नहीं है और जो वज़रिये किसी इन्तक़ाल या कुर्क़ीके या और तरीक़ से माल मजकूर में हक़ रखने का दावेदार हो अदालत मजकूरसे तै कीजायेगी—

५३—अगर शै कुर्क़ी तलब ऐसी डिगरी हो जो वास्ते अदाय जर नक़्द या वास्ते नीलाम बनिफाज़ रहन या मुवाख़िज़ा के हो— दफा २७२

कुर्क़ी डिगरी

(अलिफ) अगर डिगरी मुसदिरह उसी अदालत की हो तो उसकी कुर्क़ी उसी अदालत के हुक्म से कीजायेगी—और

(बे) अगर डिगरी कुर्क़ी तलब मुसदिरह किसी दूसरी अदालत की हो तो उसकी कुर्क़ी इस तरह होगी कि इत्तलाअनामा उस अदालत का जिसने डिगरी इजरा तलब सादिर की हो इस दरख़्वास्त के साथ उस दूसरी अदालत में मुरसिल किया जायेगा कि वह अपनी डिगरी का इजरा मुल्तवी रक्खे इस शर्त से और उस वक्ततक कि—

(१) अदालत सादिर कुनिन्दा डिगरी इजरा तलब उस इत्तलाअनामाको फ़िस्ख करे—या

(२) डिगरी इजरा तलब का डिगरीदार या उसका मदयून डिगरी अदालत वसूल कुनिन्दा इत्तलाअनामा मजकूरको दरख़्वास्त दे कि वह अदालत अपनी डिगरी को जारी करे—

(२) अगर अदालत क़ायदा तहती (१) के फ़िक़रा (अलिफ) के बमूजिब हुक्म सादिर करे या बमूजिब फिकरा तहती (२) फिक़रा (बे) कायदा तहती मज़कूर के दरख़्वास्त ले तो उस को लाज़िमहोगा कि क़र्ज़ख़्वाह कुर्क़कुनिन्दा डिगरी या उसके मदयून की दरख़्वास्त पर डिगरी मक़रूका का इजरा शुरू

करके जर मुहासिल डिगरी इजरा तलबकी बेबाकीमें लगाये-

(३) जिस डिगरी का इजरा बज़रिये कुर्की उस दूसरी क़िस्म की डिगरी के जो क़ायदा तहती (१) में मज़कूर है मंज़ूर हो उसकी डिगरीदार की निस्बत समझा जायेगा कि डिगरी मक़रूक़ा के डिगरीदार का क़ायममुक़ाम है और डिगरी मक़रूक़ा मज़कूर का इजरा उस तरीक़ा में करने का मुस्तहक़ होगा जो डिगरी मक़रूक़ा मज़कूर के डिगरीदार के लिये जायज़ हो-

(४) अगर माल कुर्की तलब बइल्लत इजराय डिगरी ऐसी डिगरी हो जो किस्म मुतज़क्किरह तहती (१) की डिगरी न हो तो उसकी कुर्की इस तरह होगी कि अदालत सादिरकुनिन्दा डिगरी इजरा तलब इत्तलाअनामा डिगरी कुर्की तलब के डिगरीदार के नाम इस इस्तदुआ से भेजेगी कि वह उस डिगरी को मुन्तकिल या किसी नोअ के मनालिबा का जेरबार न करे और जिस हालमें कि यह डिगरी किसी और अदालत की सादिर कीहुई हो तो उस दूसरी अदालत के पास भी इत्तलानामा इस मज़मून से भेजेगी कि वह डिगरी कुर्की तलब का इजरा न करे तावक्ते कि यह इत्तलानामा बहुक्म अदालत मुरसिलकुनिन्दा के फ़िस्ख न कियाजाय-

(५) जो डिगरी कि इस क़ायदा के बमूजिब कुर्कहो उसके क़ाबिज़ को लाज़िम है कि अदालत इजराय कुनिन्दा डिगरी मज़कूर को वह इत्तलाअ और मदद दे जो बवजह माकूल तलब कीजाये-

५४-(१) अगर जायदाद जायदाद गैर मन्कूला हो तो उसकी कुर्की इस तरह होगी कि हुक्म के ज़रिये से मद्यून डिगरी को इम्तिनाअ कीजायेगी कि वह जायदाद मजकूर को किसी तौर से मुन्तक़िल या किसी नोअ से ज़ेरबार मतालिबा न करे और जुमला शख़्स उस इन्तक़ाल या मतालबा से फ़ायदा न उठावें— दफ़ा २५

कुर्की जायदाद गैर मन्कूला

(२) वह हुक्म किसी जगह जायदाद मज़कूर के ऊपर या उसके मुत्तसिल बज़र्ब दुहल या किसी और तरीक़ा मुरव्विजा से मुश्तहर किया जायेगा और उसी हुक्म की एक एक नक़ल जायदाद कचहरी के मंजर आमपर आवेज़ां कीजायगी और जब कि जायदाद आराज़ी मालगुजारी सरकारहो तो उस ज़िला के कलक्टर की कचहरी में भी चस्पां होगी जिसमें वह आराज़ी वाक़ै हो—

५५—अगर— दफ़ा २५

वागुज़ाश्त कुर्की बाद ईफ़ाय डिगरी

(अलिफ) तादाद डिगरी शुदह मय खर्चा और जुमला मतालिबे जात और मसारिफके जो किसी जायदादकी कुर्कीमें आयद हुये हों अदालतमें दाखिल करदीजाये—या

(बे) डिगरीका ईफा अदालतकी मारफत और तरह होजाये—या उसकी तसदीक़ अदालत में कीजाये—या

(जीम) डिगरी मुस्तरद या मंसूख कीजाये—

तो वागुज़ाश्त कुर्कीकी समझी जायेगी और दरसूरत जायदाद गैर मन्कूलाके वागुज़ाश्त अगर मद्यून डिगरी चाहे उसके सर्फ़से मुश्तहर कीजायेगी और एक नक़ल इश्तिहारकी बमूजिब तरीक़ा मुक़र्ररह क़ायदा अख़ीर मुतज़क्किरह वालाके चस्पां कीजायेगी—

५६—अगर जायदाद मक़रूका सिक्का रायजुलवक्त या करंसीनोटहों तो अदालतको इख़्तियारहै कि किसी वक्त अय्याम क़याम कुर्कीमें यह हिदायतकरे कि वह सिक्का या नोट या कोई जुज्व उसका जो डिगरीके ईफाके लिये काफ़ीहो उस फ़रीक़को अदा कियाजाये जो डिगरी की रूसे उसके पानेका मुस्तहक़हो— दफ़ा २७

हुक्म बाबत इसके कि सिक्का या करंसी नोट फ़रीक़ मुस्तहक़ डिगरी को दियाजाये

मज़ीद इख़्तिताम कुर्की — ५७-अगर कोई जायदाद बइल्लत इजराय डिगरी कुर्क हुईहो मगर बवजह क़ुसूर डिगरीदारके अदालत दरख़्वास्त इजरा की निस्बत कोई मज़ीद कार्रवाई न करसके तो अदालतको लाज़िम होगा कि दरख़्वास्त नामंज़ूरकरे या किसी तारीख़ आयन्दा तक बवजह काफ़ी कार्रवाई मुल्तवी रक्खे—और दरख़्वास्त मज़कूरकी नामंज़ूरीपर कुर्की साक़ित होजायेगी—

दुआवी और उज़रात की तहक़ीक़ात

५८—(१) अगर कोई जायदाद बइल्लत इजराय डिगरी कुर्की कीजाय और कोई दावा निस्बत उस जायदाद के या उज़र निस्बत कुर्की के इस बिना पर कियाजाये कि वह जायदाद कुर्की के लायक़ नहीं है तो अदालत को लाज़िमहै कि दावा या उज़र की तहक़ीक़ात करे और बजवाब लेने इज़हार शख़्स दावेदार या उज़रदार के और नीज़ जुमला दीगर उमूर में वही इख़्तियार अमल में लाये कि गोया वह फ़रीक़ मुक़द्दमा था—

तहक़ीक़ात दुआवी व उज़रात निस्बत कुर्की जायदाद मक़रूक़ा

लेकिन अगर अदालत के नज़दीक ऐसे दावा या उज़र के पेशकरने में क़स्दन् या बिला ज़रूरत तवक़्क़ुफ़ हुआ हो तो उसकी तहक़ीक़ात न कीजायेगी—

(२) अगर जायदाद जिसमे दावा या उज़र मुतअल्लिक़ हो क़ब्ल दरख़्वास्त नीलाम इसके कि दावा पेशहो बनीलाम होचुकीहो तो जायज़है कि अदालत जिसने नीलाम का हुक्म दियाहो तादौरान तहक़ीक़ात दावा या उज़र नीलाम मुल्तवी रक्खे—

उसकी तरफ से अमानतन् किसी और शख़्स के क़ब्ज़े में न थी या किसी काश्तकार या और शख़्स के दखल में न थी जो मदयून डिगरी को लगान देताहो या यह कि वह जायदाद गो कुर्क़ी के वक्त मदयून डिगरी के क़ब्ज़े में रहीहो मगर वह अपने लिये या बतौर अपनी मिल्कियत के उसपर क़ाबिज़ न था बल्कि किसी गैर शख़्स के लिये बतौर अमानतदार दूसरे शख़्स के या जुज़न् अपने लिये और जुज़न् दूसरे शख़्सकी तरफ से क़ब्ज़ा रखता था तो अदालतको लाज़िम होगा कि जायदाद मज़कूरके कुल्लन् या जुज़न् जिस क़दर मुनासिब मालूमहो कुर्क़ी से वागुज़ाश्त होनेका हुक्म सादिर करे—

६१—अगर अदालतका इतमीनान होजाये कि मदयून डिगरी जाय- दफ़ा २८१

दावाकी नामञ्ज़ूरी

दाद मकरूक़ापर कुर्क़ीके वक्त बतौर मालिकके क़ाबिज़ था न कि किसी दूसरे शख़्सकी तरफ से या कि कोई और शख़्स उसपर मदयून डिगरी की तरफ से अमानतन् क़ाबिज़ था या कि वह किसी काश्तकार या और शख़्सके दखल में थी जो मदयून डिगरीको लगान देता है तो अदालतको लाज़िमहै कि उस दावाको नामंज़ूरकरे—

६२—अगर अदालतका इतमीनान होजाये कि जायदाद मकरूक़ा किसी दफ़ा २८२

बहिफ्ज़ हक़ देनदार कुर्क़ी बहाल रहना

ऐसे शख़्सके पास रहन या ज़ेर मतालिबाहै जो उसपर क़ब्ज़ा नहीं रखताहै और अदालत कुर्क़ी क़ायम रखना मुनासिब समझे तो अदालत मजाज़ होगी कि बहिफ्ज़ रहन या मतालिबा कुर्क़ी क़ायम रक्खे—

६३—अगर दावा या उज़रदारी दायर कीजाय तो जिस फरीक़के ख़ि- दफ़ा २८३

हिफाज़त उन दावाकी जो जायदाद मकरूक़ा में इस्तेहक़ाक़ क़ायम करने के बाबतहों—

लाफ़ हुक्म सादिर कियाजाय उसे इख़्तियार है कि नालिश नम्बरी वास्ते साबित कराने उस हक़के जो उसे जायदाद मुतनाज़ा में पहुँचता है रुजूअ करे मगर सिवाय पाबन्दी नतीजा ऐसी नालिशके (अगर कोई हो) वह हुक्म क़तई होगा—

नीलाम अमूमन् ॥

६४—हर अदालत जो डिगरीका इजराकरे उस हुक्म के सादिर करनेकी दफ़ा २८४

इख्तियार ऐलदार हुक्म निस्वत इसके कि जायदाद मकरूका नीलाम कीजाये और जर समन शख्स मुस्तहक्को दिया जाये

मजाज़ होगी कि जायदाद जो उसके हुक्मसे कुर्क हुई हो और काबिल नीलामहो या जुज़्व जायदाद मजकूर जो डिगरीके ईफाके लिये जरूरी मालूमहो नीलाम कियाजाये और जरसमन नीलाम मजकूरका या उसका जुज़्व काफी उस फरीकको दियाजाये जो डिगरी की रूसे उसके पानेका मुस्तहक्कहो—

फा २८६ ६५—सिवाय इसके कि दीगर निहजपर हुक्महो हर नीलाम बइल्लत

नीलाम किसके जरिये से और क्योंकर हुआ करेगा—

इजराय डिगरी मारफत किसी अहलकार अदालत या और शख्स के जिसको अदालत इस कारखास के लिये मुकर्रर करे अमल में आवेगा और नीलामआम हस्ब तरीका मुअय्यनः हुआ करेगा—

फा २८७ ६६—(१) अगर बइल्लत इजराय डिगरी किसी जायदाद के नीलाम

इश्तिहार नीलामआम

होनेका हुक्म दिया जाये तो अदालत को लाजिम है कि नीलाम मक़सूदहका इश्तिहार अदालत की जबान में मुश्तहर कराये—

(२) इश्तिहार मजकूर डिगरीदार और मदयून डिगरी को नोटिस दिये जाने के बाद तैयार कियाजायेगा और उसमें नीलामकी तारीख और मुकाम दर्ज होगा और नीज मरातिब जैल मुफस्सिलै जैल हत्तुल्मक़दूर सेहत और सिदाकत के साथ लिखे जायेंगे—

(३) हर ऐसी दरख़्वास्त के साथ जो हस्ब क़ायदा हाजा वास्ते नीलाम के गुज़रे एक बयान का मुन्सलिक होना लाज़िम है जिसपर दस्तख़त और जिसकी तसदीक़ उसी तरह होगी जैसे कि प्लीडिंगपर दस्तख़त और उसके तसदीक़ के लिये इस मजमूत्रा में पेश्तर हुक्महै और बयान मज़कूर में मरातिब जो हस्बक़ायदा तहती (२) इश्तिहार में दर्ज होने चाहियें जहांतक सायल को मालूम हैं या जहांतक सायलको तहक़ीक़ होसक्ते हैं दर्ज होंगे—

(४) बग़रज़ तहक़ीक़ करने उन मरातिब के जो इश्तिहार में लिखेजायेंगे अदालत को जायजहै कि जिस शख़्स को तलब करना ज़रूरी समझे उसे तलब करे और उन मरातिब में से किसी की बाबत उस से इज़हारले और जो दस्तावेज़ उनके मुतअल्लिक़ उसके क़ब्ज़े या इख़्तियार में हो वह उस से हाज़िर कराये— दफ़ा २८८ फ़िक़रा अख़ीर

६७—(१) हर इश्तिहार हस्बुल्नवसअ मुताबिक़ तरीक़े मुअय्यनः क़ायदा ५४ क़ायदे तहती (२) मुरत्तिब व मुश्तहर किया जायेगा— दफ़ा २८९

मुश्तहर करनेकातरीक़ा

(२) अगर अदालत हिदायत करे तो ऐसा इश्तिहार मुक़ाम के सरकारी गज़ट या मुक़ाम के किसी अख़बार में या दोनों में मुश्तहर किया जायेगा—और ख़र्चा उस मुश्तहरीका मिनजुमला ख़र्चा नीलाम के मुतसव्विर होगा—

(३) अगर अलहिदा अलहिदा नीलाम की ग़रज से जायदाद लाटबन्दी में तक़सीम कीजाये तो यह ज़रूर नहीं है कि हर लाटके वास्ते एक अलहिदा इश्तिहार दियाजाये इल्ला उस सूरत में कि अदालतकी राय में किसी और तौरपर नीलामकी मुनासब इत्तिलाअ न होसके—

६८—बजुज़ बसूरत जायदाद मुतज़क्किरै इबारत शर्ती क़ायदा ४३ के कोई नीलाम महकूमे आर्डर हाज़ा इश्तिहारजारीशुदी तहरीरी मदयून डिगरी के उस वक्त तक न होना चाहिये कि जिस तारीख़ दफ़ा २९०

वक़्तनीलाम

को नक़ल इश्तिहारकी जब आमिर नीलाम की अदालत में आवेज़ां कीगईहो उससे दर सूरत जायदाद ग़ैर मन्कूलाके अर्से अक़ल दर्जा ३० योम का और दर सूरत जायदाद मन्कूलाके अक़ल दर्जा अर्सा १५ रोज का न गुज़रजाये—

फ़ा २९१ ६९—अदालत मजाज़है कि अगर मुनासिब समझे तो इस आर्डर के

इलतवा और मौक़ूफ़ी नीलाम—

मुताबिक़ नीलाम को किसी और तारीख़ और सायत तक मुल्तवी करदे और आमिल नीलाम अगर मुनासिब समझे इलतवाकी वजूह क़लमबन्द करके नीलाम मुल्तवी करे—

मगर शर्त यहहै कि जब नीलाम कचहरी में या कचहरीके अहाते के अन्दरहो तो बग़ैर इजाज़त अदालतके इलतवा नहीं होगा—

(२) अगर नीलाम हस्ब क़ायदा तहती (१) सात रोज़से ज़ियादह अर्सेतक मुल्तवी कियाजाये तो एक इश्तिहार जदीद मुताबिक़ क़ायदा ६७ मुश्तहर कियाजायेगा इल्ला उस सूरत में कि मदयून डिगरी उससे दर गुज़र करनेपर राज़ीहो—

(३) अगर लाटकी बोली ख़तम होने से पहिले कुल रुपया मतालिबा और ख़र्चा (बशमूल ख़र्चा नीलाम) आमिल नीलामके रूबरू हाज़िर कियाजाये या सबूत इस बातका हस्ब इतमीनान उहदेदार मज़कूर दियाजाये कि वह मतालिबा मय ख़र्चा हाय मज़कूर उस अदालत में दाख़िल होचुकाहै जिसने नीलामका हुक्म दियाथा तो लाज़िमहै कि नीलाम मौक़ूफ़ कियाजाये—

फ़ा २८७ ७०—क़वायद ६६ लगायत ६९ कोई इबारत उन सूरतों से मुताल्लिक़
[illegible] ६

नीलाम उन सूरतों से मुतअल्लिक़ है—

न होगी जिनमें डिगरीका इजरा कलक्टरके पास मुन्तक़िल होगयाहो—

मद्यून डिगरी की दरख़्वास्त पर शख़्स क़ासिरसे उहदेदार या शख़्स दीगर शामिल नीलाम उन अहकाम के बमूजिब वसूल करेगा जो वास्ते इजराय डिगरी अदायज़र नक़द के मुक़र्रर हैं—

७२—(१) वह डिगरीदार जिसकी डिगरी के ईफ़ा के लिये जायदाद नीलाम कीजाये मजाज़ नहीं है कि बिला हुसूल इजाज़त सरीह अदालत जायदाद नीलामी के लिये बोली बोले या उसको ख़रीद करे— दफ़ा २६४

डिगरीदार बिलाहुसूल इजाज़त नीलाम मे बोली नहीं बोल सक्ता और न ख़रीद सक्ताहै

(२) अगर डिगरीदार इजाज़त मज़कूर हासिल करके जायदाद ख़रीद करे तो जायज़है कि वह मतालिबा जो डिगरी की रूसे वाजिबुल अदा हो और ज़र समन नीलाम ब मुक़ाबिले एक दूसरे के बरिआयत अहकाम दफ़ा ७३ मुजरा होजाये और अदालत इजरा कुनिंदा डिगरी कुल या जुज़्व ईफ़ा डिगरी का उसके मुताबिक़ उसपर लिखदे—

डिगरीदारकी ख़रीदारी ज़र डिगरी की अदाई समझी जायेगी

(३) अगर डिगरीदार ख़ुद या मारफ़त किसी और शख़्स के बिला हुसूल ऐसी इजाज़त के जायदाद ख़रीद करे तो अदालत मजाज़है कि अगर मुनासिब समझे बरतबक़ दरख़्वास्त मद्यून या किसी और शख़्स के जिसके हुक़ूक़ पर नीलामका असर पड़ाहो हुक्म वास्ते इनफ़िसाख़ नीलाम सादिर करे और ख़र्चा ऐसी दरख़्वास्त और हुक्म और कमी क़ीमत की जो नीलाम सानीके बायस वक़ूअ में आये और कुल इख़राजात मुतअल्लिक़े नीलाम सानी डिगरीदारसे अदा कराये जायेंगे—

७३—कोई उहदेदार या दूसरा शख़्स जो किसी नीलाम के मुतअल्लिक़ कोई ख़िदमत अंजाम देताहो उसे लाज़िमहै कि हीलतन् या सराहतन् जायदाद के लिये नीलाममें बोली न बोले या ऐसी जायदाद में कोई इस्तहक़ाक़ हासिल न करे और न हासिल करनेका अक़दाम करे— दफ़ा २६२

उहदेदार नीलाम मे न बोली बोल सक्ते हैं न जायदाद ख़रीद सक्तेहैं

जायदाद मन्कूलाका नीलाम

नीलाम पैदावार ज़िराअती

७४– (१) अगर जायदाद नीलाम होनेवाली अज़ क़िस्म पैदावार ज़िराअत हो तो नीलाम—

(अलिफ) दर सूरत फस्ल इस्तादह उस जमीन पर या क़रीब उसके किया जायेगा जहां फस्ल उगीहो–या

(बे) अगर फस्ल काटलीगई या जमा करलीगईहो तो खलियान में या उसके क़रीब जहां दांने वगैरः के लिये जमाकी गईहो और दर सूरत चारा उस जगह जहां उसका अम्बार किया गयाहो—

मगर शर्त यह है कि अगर अदालतकी रायमें ज़ियादह मुनफअत पर फरोख्त होनेकी उम्मेदहो तो मजाज़है कि नीलाम ऐसे मौक़ापर किये जाने की हिदायत करे जो गुज़रगाह आमहो—

(२) अगर बरवक़्त नीलाम—

(अलिफ) फस्लकी क़ीमत आमिल नीलामके अंदाजा में काफी न लगे–और

(बे) मालिक पैदावार या मिन्जानिब उसके कोई शख़्स मजाज़ दरख़्वास्त करे कि तारीख आयंदा या बाज़ार के दूसरे रोज़तक अगर जाय नीलाम पर बाज़ार लगताहो नीलाम मुल्तवी कियाजाये--

(२) अगर फस्ल इस क़िस्मकी हो कि जमा नहीं कीजासकी हो तो कटने और जमाकियेजाने से पेश्तर नीलाम होसक्ती है और लाज़िम है कि ऐसी फस्ल के खरीदार को ज़मीनपर जाने और जुमला फेल ज़रूरी मुतअल्लिक़ निगरानी और काटने और जमा करने के अमल में लाने का इख़्तियार दियाजाये—

दस्तावेजात काबिल बैयशिरा और हिस्सा जमाअत सनदयाफ्ता—

७६—अगर जायदाद नीलाम होनेवाली अज़ क़िस्म दस्तावेज काबिल बैयशिरा हो या हिस्सा किसी जमाअत सनदयाफ़्ता का हो तो अदालत मजाज़ होगी कि बजाय सादिर करने हुक्म नीलाम आम के दस्तावेज या हिस्सा मज़कूरहबाला को मारफत दलाल के फ़रोख़्त करने की इजाज़त दे— दफा २९६

नीलाम आम—

७७—(१) जब कि जायदाद मनक़ूला बज़रिये नीलाम आम के फरोख़्त की जाये तो कीमत हरलाट की वक़्त नीलाम या जिस क़दर जल्द बादनीलामके अलहकार या शख़्स दीगर आमिल नीलाम हुक्म दे दाखिल करनी होगी और दरसूरत न दाखिल करने के वह शै फ़ौरन् दुबारा नीलाम की जायेगी— दफा २९७

(२) बाद अदाय ज़रसमन के अलहकार या शख़्स दीगर आमिल नीलाम एक रसीद उसकी बाबत देगा और नीलाम क़तई होजायेगा—

(३) अगर नीलाम होनेवाली जायदाद मनक़ूला हिस्से माल मग़लूका मदयून डिगरी और जमाअत सनदयाफ़्ता हो और दो या कई अशख़ास जिनमें से एक मालिक मुश्तरक उस जायदाद का हो जायदाद मज़कूर या उसके किसी लाटके लिये एकही तादाद की बोली बोलें तो वह बोली मालिक मुश्तरक की बोली समझी जायेगी— जदीद

बेज़ाब्तगी से नीलाम जायदाद मनक़ूला नाजायज न होगा लेकिन शख़्स ज़रररसीदह नालिश करसक्ता है—

७८—जायदाद मनक़ूला का नीलाम उसकी मुश्तहरी या तामील में बेज़ाब्तगी होने के सबब से नाजायज न होजायेगा लेकिन अगर किसी शख़्स को ऐसी बेज़ाब्तगी से जो किसी और शख़्सकी जानिब से वाक़े हुई हो ज़रर पहुंचे तो उसको इख़्तियार है कि वह वास्ते वसूलयाबी हर्जा- निजा या (अगर वह शख़्स खरीदार हो) बाबत विक्रने उस खास दफा २९८

जायदाद के और दरसूरत उसके न मिलने के बाबत मुआविज़ा के उसके नाम नालिश दायर करे—

सिपुर्दगी जायदाद मनकूला देन और लिया नी—

२६६ ७२–अगर जायदाद नीलाम शुदह जायदाद मनकूला हो और कब्ज़ा वाक़ई उसका अमल में आया हो तो ऐसी जायदाद खरीदार के हवाला करनी होगी—

३०० (२) जब जायदाद नीलामशुदह अज क़िस्म जायदाद मनकूला के हो जिसपर सिवाय मदयून डिगरी के किसी और शख्स का कब्ज़ा हो तो खरीदार को जायदाद मज़कूर इस तौर से दिलाई जायेगी कि शख्स क़ाबिज़ जायदाद मज़कूर को इत्तिलाअ दीजाये कि जायदाद पर किसी शख्स को सिवाय खरीदार नीलाम के दख्ल न दे—

वेज काबिल बैयशिरा या हिस्साके मतलूब हो तो जायजहै कि जज या वह उहदेदार जिसको वह इस गरज से मुकर्रर करे ऐसी दस्तावेज की तकमील करे या ऐसी इबारत इन्तिक़ाली लिखदे जो जरूरी हो और ऐसी तकमील या इबारत इन्तिक़ाली का वही असर होगा जैसा कि तकमील या इबारत इन्तिक़ाली मिन्जानिब फरीक़ का है—

(२) नमूना इबारत इन्तिक़ाली या तकमील का हस्ब मुन्दर्जेज़ैल होगा—यानी जैद मारफ़त खालिद अदालत फलां का जज (या जैसी सूरत हो) मुकद्दमा बकर बनाम जैद—

(३) जबतक कि दस्तावेज या हिस्सा मजकूर का इन्तिक़ाल न हो अदालत को इख़्तियार होगा कि किसी शख़्स को वास्ते वसूल सूद या हिस्सा मुनाफा के जो बाबत उसके याफ़्तनी हो और उसकी रसीद पर दस्तखत का देने के लिये बज़रिये हुक्म के मुकर्रर करे और इसतरह की रसीद दस्तखती कुल उमूर की निस्बत मिस्ल दस्तखती खुद उसी फरीक़ के जायज़ और नातिक़ होगी—

८१—दरसूरत किसी जायदाद मन्क़ूला के जिसका जिक्र ऊपर नहीं किया गया अदालत को जायजहै कि मुश्तरी को या जिसे वह बतलाये उस जायदाद के मिलने का हुक्म दे और उसी के मुताबिक़ वह जायदाद मिलैगी— दफा २०३

हुक्म हवालगी दरसूरत जायदाद दीगर—

नीलाम जायदाद गैरमन्क़ूला।

८२—नीलाम जायदाद गैरमन्क़ूला का बवक़्त इजराय डिगरी बजुज़ अदालत मतालिबजात खफीफा के हर अदालत के हुक्म होसक्ताहै— दफा २०४

कौन अदालतें नीलाम का हुक्म देसक्ती हैं—

८३—(१) जब हुक्म वास्ते नीलाम जायदाद गैरमन्क़ूला के सादिरहो अगर मदयून डिगरी अदालत को मुतमय्यन करसके कि वजह इस अमर के बावर करनेकी है कि डिगरी का मतालिबा बज़रिये रहन या मुस्ताजरी या बैयबानगी जायदाद मजकूर या उसके किसी जुज़्व के या मदयून डिगरी की किसी और जायदाद गैरमन्क़ू- दफा २०५

इल्तवाय नीलाम जायदाद गैरमन्क़ूला ताकि मदयून डिगरी दार डिगरीशुदह का इन्तिज़ाम करसके—

ला के वसूल होसक्ताहै तो अदालत मजाजहै कि वरवक्त गुजरने दरख्वास्त मदयून डिगरी की उस जायदाद के नीलाम जो नीलामके हुक्म में मुन्दर्ज हो ऐसी शरायतपर और उस अर्सेतक जो अदालत को मुनासिब मालूमहो मुल्तवी रक्खे ताकि मदयून डिगरी रुपया की सबील करसके—

(२) ऐसी सूरत में मदयून डिगरी को एक सार्टीफिकट अदालत से मिलेगा जिसमें उसको इख्तियार दिया जायेगा कि वह बावस्फ किसी और हुक्म मुन्दर्जे दफा ६४ के एक मीआद मुअय्यन के अन्दर जो सार्टीफिकट में दर्ज होगी रहन या मुस्ताजरी या बैबुजव्विजा अमलमें लाये—

मगर शर्त यह है कि जो रुपया ऐसी रहन या मुस्ताजरी या बै की बाबत वाजिबुल् अदाहो वह मदयून डिगरी को न मिलेगा बल्कि अदालतमें दाखिल किया जायेगा बइस्तिसनाय उस रकम के जिसकी मुनर्हई का डिगरीदार अज़रूय क़ायदा ७२ मुस्तहक़हो—

और यहभी शर्त है कि कोई रहन या मुस्ताजरी या बै जो हस्ब क़ायदा हाजा अमल में आये नातिक़ न होगा ता वक्ते कि अदालत से उसकी मंज़ूरी न हो—

(३) क़ायदा हाजाका कोई मजमून उस जायदाद के नीलाम से मुतअल्लिक़ न होगा जिसे ऐसी डिगरीके इजरा में नीलाम करनेका हुक्म दियाजाय कि जो जायदाद मज़कूरके रहन या मनालिया के मोजर गरदानने के लिये हो—

जर समन का अजरूय क़ायदा ७२ के हो तो अदालत को इख़्तियार है कि इस क़ायदे की शरायत को नजरअंदाज करे

८५—खरीदार नीलाम को लाजिम है कि रोज़ नीलाम जायदाद से पन्दरहवें दिन क़ब्ल बरखास्त अदालत कुल जर समन वाजिबुल् अदा अदालत में दाखिल करे— दफ़ा २०७

मीआद बिनावर अदाय क़ाबिल जर समन के—

मगर शर्त यह है कि उस तादाद के शुमार करने में जो हस्ब मज़कूरह बाला अदालत में दाखिल होनेवाली हो खरीदार नीलाम किसी मुजराई से फायदा उठा सकेगा जिसका वह अजरूय क़ायदा ७२ मुस्तहक हो—

८६—अगर रुपया मीआद मुतज़क्किरह क़ायदा अखीर मुतज़क्किरह बालाके अन्दर दाखिल न किया जाय तो जर अमानत बाद अदाकरने खर्चा नीलाम के सर्कार में जब्त होगा अगर अदालत ऐसा करना मुनासिब समझे और वह जायदाद दुबारा नीलाम कीजायेगी और खरीदार क़ासिरका इस्तेहक़ाक़ निस्बत जायदाद या किसी जुज़्व जर समन नीलाम माबाद के बाक़ी न रहेगा— दफ़ा २०८

कार्रवाई दरसूरत अदम अदाय जर समन—

८७—जबकि जर समन उस मीआद के अंदर जो उसके अदा के लिये मुक़र्रर है अदा नहो तो लाजिम है कि हर नीलाम मुकर्रर मगर जायदाद ग़ैर मन्कूलाका बाद इजराय इश्तिहार जदीद के जो उसी तरीके और व तकर्रुर उसी मीआद के हो कि दफआत मासबक़ में नीलाम के लिये मुक़र्रर है अमल में आये— दफ़ा २०९

इश्तिहार दर सूरत नीलाम मुकर्रर—

८८—अगर वह जायदादजो नीलाम कीजाये हिस्सा किसी जायदाद ग़ैर मन्कूला या ग़ैर मुनकसमा काहो और दो या कई अशखास जिनमें से एक हिस्सेदार उस जायदाद काहो जायदाद मज़कूर या उसके किसी लाट के लिये एकही तादादकी बोली बोलें तो वह बोली हिस्सेदारकी बोली समझी जायेगी— दफ़ा २१०

हिस्सेदारकी बोली को तरजीह होगी—

८९—(१) अगर जायदाद ग़ैर मन्कूला किसी डिगरी के इजरा में नीलाम कीगई हो तो कोई शख़्स जो उस जायदाद का मालिकहो या अजरूय किसी हक के जो नीलाम मज़कूर के क़ब्ल हासिल किया गयाहो उसमें कुछ इस्तेहक़ाक रखताहो इनफिसाख नीलाम की दरख्वास्त देसक्ता है बशर्ते कि वह अदालत में रक़म मुन्दर्जे जैल दाखिल करदे— दफ़ा ३१० (अलिफ़)

रुपया दाखिल करने परदरख्वास्त इनफ़िसाख नीलाम—

(अलिफ) एक ऐसी रकम जो पांच रुपया फीसदी जर समन के बराबर हो-खरीदार को अदा करने के लिये और-

(बे) वह रकम जो इश्तिहार नीलाम में मजकूर हो और जिसकी वसूलयाबी के लिये हुक्म नीलाम सादिर हुआ हो बाद मिनहाई उस रकम के जो इश्तिहार मजकूरकी तारीख से डिगरीदार को वसूल हुई हो-डिगरीदार को अदा करने के लिये-

(२) अगर कोई शख्स कायदा ९० की रूसे अपनी जायदाद गैर मनकूला का नीलाम फिस्ख किये जाने की दरख्वास्त दे तो वह उस कायदे की रूसे कोई दरख्वास्त देने या उसके मुतअल्लिक पैरवी करनेका मुस्तहक न होगा ता वक्ते कि ऐसी दरख्वास्त वापस न ले—

(३) अगर मदयून खर्चा और हरजा जिम्मेदार हो जो इश्तिहार नीलाम के तहत में आता हो तो वह उस जिम्मेदारी से इस कायदे की रूसे बरी नहीं होगा-

दरख्वास्त ख़रीदार निस्बत इस्तरदाद नीलाम बरबिनाय न रखने हक़ क़ाबिल नीलाम मदयून के—

अदालत में दरख़्वास्त इस्तरदाद नीलाम की इस बुनियाद पर गुजराने कि मदयून जायदाद नीलामशुदह में कोई हक़ क़ाबिल नीलाम नहीं रखता था—

दफ़ा ३१२ व ३१४

कब नीलामनातिक या मसूख़होगा—

९२-(१) अगर अज़रूय क़ायदा ८९ या क़ायदा ९० या क़ायदा ९१ कोई दरख़्वास्त गुजरानी न जाये या अगर ऐसी दरख़्वास्त गुजारना मंजूरहो तो अदालत हुक्म मंजूरी नीलाम सादिर करेगी और बादज़ां नीलाम नातिक़ होजायेगा—

(२) अगर ऐसी दरख़्वास्त गुज़रानी गई हो और वह मंजूर होजाये और किसी दरख़्वास्त तहत क़ायदा ८९ की सूरत में अगर वह रक़म जो क़ायदा मजकूर की रू से अदालत में दाखिल करना चाहे तारीख़ नीलामसे ३० दिनके अन्दर दाखिल करदी जाये तो अदालत हुक्म मंसूखी नीलाम सादिर करेगी—

मगर शर्त यह है कि कोई हुक्म सादिर न होगा तावक्ते कि दरख़्वास्त की इत्तिलाअ जुमला ऐसे अशख़ास को न दीजाये कि जिनके हुक़ूक़ पर उसका असर पड़े—

(३) कोई नालिश वास्ते मंसूखी किसी हुक्म मुसदिरह तहत क़ायदा हाजा के उस शख़्स की तरफ से रजूअ न होसकेगी जिस के खिलाफ हुक्म मजकूर सादिर हुआहो—

दफ़ा ३१५

ज़र समनकी वापसी बाज़ सूरतों में—

९३—अगर नीलाम किसी जायदाद मन्क़ूला का क़ायदा ९२ के बमूजिब मुस्तरद कियाजाय तो ख़रीदार मुस्तहक़ होगा कि अजरूय हुक्म अपना ज़र समन नीलाम मय सूद या बिला सूद जैसा अदालत हिदायत करे उस शख़्स से वापस पाये जिसे ज़र समन मजकूर अदा कर दियागया हो—

दफ़ा ३१६

ख़रीदार को सार्टीफिकट मिलेगा—

९४-अगर नीलाम जायदाद ग़ैर मनकूला का नातिक़ होजाये तो अदालत को लाजिम है कि कितअ सार्टीफिकट मुशअर सराहत जायदाद नीलामशुदह और नाम उस शख़्स के जो वक्त नीलाम उसका ख़रीदार करार पाया था अदा करे और सार्टीफिकट मजकूर में वह तारीख़ दर्ज होगी कि जिस तारीख को नीलाम नातिक हुआ हो—

दफा ३१८ ९५—अगर नीलाम शुदह जायदाद गैर मनकूला मदयून डिगरी या मिन् जानिब उसके किसी और शख़्स के क़ब्ज़े में या बक़ब्ज़े शख़्स दीगर के हो जो बज़रिये ऐसे अशख़ास के उस जायदाद की निस्बत दावीदारहो कि बाद कुर्की जायदाद मज़कूरके मदयून डिगरी से हासिल हुआ हो और क़ायदा ९४ के बमूजिब उस जायदाद की बाबत सार्टीफिकट दियागयाहो तो अदालत खरीदार की दरख़्वास्त पर यह हुक्म देगी कि खरीदार मजकूरको या औरशख़्स को जिसको कि उसने अपनी तरफ से क़ब्ज़ा लेनेके लिये मुक़र्रर किया हो जायदाद मज़कूर पर क़ब्ज़ा दिलाया जाय और अगर ज़रूरत होतो जो शख़्स दखल देने से इंकार करे वह उसमें से निकाल दियाजाये—

हवालगी जायदाद जो बक़ब्ज़े मदयून हो—

दफा ३११ ९६—अगर जायदाद नीलाम शुदह आसामी या किसी और शख़्स के दखल में हो जिसको उसके दखल का इस्तेहक़ाक़ हासिल हो और उस जायदाद की बाबत सार्टीफिकट हस्ब क़ायदा ९४ दियागया हो तो अदालत खरीदार की दरख़्वास्त पर वह जायदाद उसको इस तरह से दिलाने का हुक्म देगी कि नक़ल सार्टीफिकट नीलाम को जायदाद मज़कूर के किसी मंजर आम पर आवेज़ां करायेगी और बजर्ये डुग्गी या बज़रिये दीगर तरीक़ा मुरव्विजा के मुनासिब मुक़ाममें वास्ते इत्तिलाअ क़ाबिज़ जायदादके यह मशहूर करायेगी कि उसमें हक़ीयत मदयून डिगरीकी खरीदार नीलामके हाथ मुन्तक़िल कीगई है—

हवालगी जायदाद जो बक़ब्ज़े आसामी हो—

(२) अदालत मुआमिला मज़कूरकी तहक़ीक़ातके लिये एक दिन मुक़र्रर करेगी और उस शख़्सको जिसके ख़िलाफ़ दरख़्वास्त दीगईहो हाज़िर होने और उसका जवाब देने के लिये तलब करेगी—

९८—अगर अदालतको इतमीनानहो कि मदयून डिगरी या कोई और शख़्स बइगवा उसके मुअतरिज़ या मुज़ाहिम बिला वजह जायज हुआ हो तो अदालत हिदायत करेगी कि सायलको जायदादका क़ब्ज़ा दिलायाजाये और अगर मदयून डिगरी या दीगर शख़्स उसके इगवा से जायदादका क़ब्ज़ा मिलने में हर्ज या मुज़ाहिमत अबतक कररहाहै तो अदालत मजाजहै कि हस्ब इस्तदुआय सायलके मदयून डिगरी या दीगर शख़्सको जो उसके इगवा से ऐसा कररहाहै वास्ते उस क़दर मीआदके जो बीस दिनतक होसक्ती है जेलखाना दीवानी में क़ैद रखनेका हुक्मदे— दफ़ा ३२९ व ३३०

तअर्रुज़ या मज़ाहिमत मिन्जानिब मदयून डिगरी—

९९—अगर अदालतको इतमीनानहो कि तअर्रुज़ या मज़ाहिमत मिन्जानिब किसी और शख़्स अलावा मदयून डिगरी के सरज़द हुई और वह बनेकनीयती यह दावा करताहो कि वह अपनी तरफ़ से मिन्जानिब किसी और शख़्स अलावह मदयून डिगरीके जायदाद मज़कूर पर क़ाविज़है तो अदालत दरख़्वास्तको ख़ारिज करनेका हुक्मदेगी— दफ़ा ३३१ व ३३५

तअर्रुज़ या मज़ाहिमत मिन्जानिब दावीदार नेक नीयत—

१००—(१) अगर किसी शख़्स अलावह मदयून डिगरी को जायदाय गैर मनक़ूला से ऐसा शख़्स बेदख़ल करदे जो क़ाविज डिगरी दख़ल बाबत जायदाद मज़कूर के हो या अगर जायदाद मज़कूर इजराय डिगरी में नीलाम होगई हो और जायदाद मज़कूर का ख़रीदार बेदख़ल करदे तो वह अदालत में ऐसी बेदख़ली का इस्तग़ासा बज़रिये दरख़्वास्त करसक्ता है—

बेदख़ली मिन्जानिब डिगरीदार या ख़रीदार—

(२) अदालत इस मुआमिले की तहक़ीक़ात के लिये एक तारीख़ मुक़र्रर करेगी और जिस फ़रीक़के ख़िलाफ़ दरख़्वास्त गुज़री है उसको वास्ते हाज़िर होने व जवाबदिही दरख़्वास्त के तलब करेगी—

१०१—अगर अदालत को इतमीनान हो कि सायल जायदाद पर

ा ३३२ दावीदारनेक्नीयत को कब्ज़ा वापस दिलायाजायेगा—

। ३३५

अपनी तरफ से या मिनजानिब किसी और शख़्स अलावह मदयून डिगरी के क़ाबिज़ था तो वह हिदायत करेगी कि सायल को जायदाद पर क़ब्ज़ा दिलायाजाय—

ा ३३३ १०२—कोई अमर मुन्दर्जे कवायद ९९ व १०१ उस तअर्रुज या

कवायद मुन्तकिल अलेह दौरान नालिशसे मुतअल्लिक नहीं है—

मज़ाहिमत से मुतअल्लिक न होगा जो दर असनाय इजराय डिगरी बाबत दख़ल जायदाद गैर मनक़ूला में ऐसे शख़्सने की हो जिसके नाम मदयून डिगरी ने बाद रुजूअ होने उस नालिश के जिसमें डिगरी सादिर हुई है जायदाद मज़कूर मुन्तक़िल करदी हो और न ऐसे शख़्स की बेदख़ली से मुतअल्लिक होगा—

२—अगर मुक़द्दमा में एकसे जियादह मुद्दई या मुद्दआअलेह हों और दफा ३६२
मिनजुमला उनके कोई मरजाय और इस्तेहक़ाक़ ना-
लिश सिर्फ मुद्दई या मुद्दइयान जिन्दाके लिये या सिर्फ
मुद्दआअलेह या मुद्दआअलेहुम् जिन्दा के नाम पर
कायम रहे तो अदालत को लाजिम होगा कि उस
मज़मून की एक इबारत मुक़द्दमा की मिसल में लिखवाये और, मुक़द्दमा
की कार्रवाई मुद्दई या मुद्दइयान जिन्दाकी तरफसे या बमुक़ाबिले मुद्दआ-
अलेह या मुद्दआअलेहुम् जिन्दा के बदस्तूर क़ायम रहेगी—

जाब्ता जब कि मुद्दइयान या मुद्दआअलेहुम्में से कोई मरजाये और इस्तेहक़ाक़ नालिश क़ायमरहे—

३—(१) अगर दो या ज़ियादह मुद्दई हों और कोई उन में से फौत दफा ३६३ व ३६५ व ३६६
हो और इस्तेहक़ाक़ नालिश सिर्फ मुद्दई या मुद्दइयान
ज़िन्दा के लिये कायम न रहे या अगर मुद्दई वाहिद
जिन्दा फौतहो और इस्तेहक़ाक़ नालिश क़ायम रहे तो
इस बारे में दरख्वास्त गुजरने पर अदालत को ला-
ज़िम होगा कि मुद्दई मुतवफ़्फ़ा के कायम मुक़ाम जायज को (अगर कोई
हो) फरीक़ मुक़द्दमा क़रार दे और मुक़द्दमा की कार्रवाई शुरूअ करे—

जाब्ता जब कि चन्द मुद्दइयान में से कोई मुद्दई या मुद्दई वाहिद फ़ौत होजाये —

(२) अगर अन्दर मीआद मुअय्यना क़ानूनी कोई दरख्वास्त हस्ब
क़ायदा तहती (१) न गुजरे तो जहांतक मुद्दई मुतव-
फ़्फ़ा का तअल्लुक़ था मुक़दमा साक़ित होजायेगा
और अदालत को इख्तियार होगा कि मुद्दआअलेह
को उसकी दरख्वास्त पर वह खर्चा जो जवाबदिही
मुक़द्दमा में उस पर आयद हुआहो दिलाये और वह खर्चा मुद्दई मुत-
वफ़्फ़ा मजकूर की जायदाद मतरूका से वसूल किया जायेगा—

साक़ित होना मुक़द्दमे का अगर कोई दरख्वास्त मुद्दई मुतवफ्फा के कायम मुक़ाम की तरफ़से न गुजरे—

४—(१) अगर मुक़द्दमा में दो या जियादह मुद्दआअलेह हों उनमें दफा ३६८
से एक फौत होजाये और इस्तेहक़ाक़ नालिश तनहा
बमुक़ाबिले मुद्दआअलेह या मुद्दआअलेहुम् जिन्दा
के क़ायम न रहे और नीज उस हालमें कि मुक़द्दमा
में जो एकही मुद्दआअलेह हो या एकही मुद्दआअलेह
जिन्दा रहा हुआहो वह मरजाये और इस्तेहक़ाक़ ना-
लिश का कायम रहे तो इस बारेमें दरख्वास्त गुजरने पर अदालत को

जाब्ता जब कि चन्द मुद्दआअलेहुम् में से एक या एकही मुद्दआअलेह या एकही जिंदा रहाहुआ मुद्दआअलेह फ़ौतहोजाये-

लाज़िम होगा कि मुद्दआअलेह मुतवफ़्फ़ा के क़ायम मुक़ाम जायज़ को फ़रीक़ मुक़द्दमा क़रार दे और मुक़द्दमा की कार्रवाई शुरूअ करे—

(२) जो शख़्स इसतौर पर फरीक बनायाजाये कि वह किसी तरह की उज़रदारी मुनासिब हाल अपनी हैसियत इस क़ायम मुक़ामी मुद्दआअलेह मुतवफ़्फ़ाके पेश करसक्ताहै—

(३) अगर अन्दर मुद्दत मुअय्यनः क़ानूनीके दरख़्वास्त हस्ब क़ायदा तहती (१) न गुज़रे तो मुक़द्दमा बमुक़ाबिले मुद्दआअलेह मुतवफ़्फ़ाके साक़ित होजायेगा—

ना २६७ ५—अगर कोई सवाल इस बारे में पैदाहो कि कोई शख़्स क़ायम मुक़ाम जायज़ मुद्दई मुतवफ़्फ़ा या मुद्दआअलेह मुतवफ़्फ़ा काहै या नहीं तो अदालतको लाज़िम होगा कि सवाल मज़कूरको तै करदे—

ज़ाब्ता जब कि इस अमरकी निस्बत निज़ाअ हो कि मुद्दई मुतवफ़्फ़ा का क़ायम मुक़ाम जायज़ कौनहै—

जदीद ६—बावस्फ़ किसी अमर मुन्दर्जे अहकाम मज़कूर बाला आम इससे कि बिनायदावा क़ायमरहे या न रहे कोई मुक़द्दमा बसबब वफ़ात किसी फ़रीक़के जो दर्मियान इख़्तिताम समाअत और असदार फ़ैसला वाक़ैहो साक़ित न होगा मगर इस सूरतमें बावस्फ़ वफ़ात मज़कूरके फ़ैसला सुनाया जायेगा और फ़ैसला मज़कूर वही हुक्म और असर रक्खेगा कि गोया वह वफ़ात वाक़ै होने से क़ब्ल सुनायागया था—

अगर बाद इख़्तिताम समाअत मुक़द्दमा कोई फ़रीक़ फ़ौत होजावे तो मुक़द्दमा साक़ित नहीं होगा—

ना २६८ ७-(१) बवाइस शादी करने मुद्दइया या मुद्दआअलेहाके मुक़द्दमा साक़ित न होगा बल्कि बावजूद शादीके मुक़द्दमा की कार्रवाई तामदूर फ़ैसला जारी रहेगी और जब कि डिगरी मुद्दआअलेहाके ऊपरहो तो उसका इजरा सिर्फ उसीके ऊपर कियाजायेगा—

औरत फ़रीक़की शादी होने से मुक़द्दमा साक़ित नहीं होता—

(२) अगर ऐसी सूरतहो कि क़ानूनन् हक़ शौहर अपनी ज़ौजाके [illegible] का तिर्केदारहो तो बादइन्तिक़ाल [illegible] पर भी जारी रखना जायज़ होगा और अगर फ़ैसला ज़ौजाके

हक़में सादिरहो तो बशर्ते कि शौहर क़ानूनके बमूजिब शैडिगरी-शुदहके पानेका मुस्तहक़हो वह डिगरी बइजाज़त अदालत शौ--हरकी दरख़्वास्त गुज़रनेपर जारी होसक्ती है—

८—(१) जिस मुद्दईके मुक़द्दमाको उसका असायनी यानी तफ़्वीज-दार या रिसीवर यानी मुहतमिम बग़रज फायदा उसके क़र्ज़ख़्वाहों के क़ायम रखसक्ताहो उसका दीवाला निकलना उस मुक़द्दमाको साक़ित न करेगा-इल्ला उस हालत में कि तफ़्वीजदार या मुहतमिम मुक़द्दमाको जारी रखने या ज़मानत खर्चा अन्दर उस मीआदके जिसका अदालत हुक्मदे दाखिल करने से इन्कारकरे (सिवाय उसके कि अदालत किसी खास वजहसे उसके खिलाफ हुक्मदे)— दफ़ा ३७०

किस सूरत में मुद्दईका दीवाला निकलना हारिज मुक़द्दमा होगा—

(२) अगर तफ़्वीजदार या मुहतमिम उस मुक़द्दमाको जारी रखने और अन्दर मीआद मुअय्यनः हुक्मके अदखाल ज़मानतमें तग़ाफुल या इन्कारकरे तो मुद्दआअलेह मजाज़ है कि बग़रज डिसमिस होने मुक़द्दमाके मुद्दईके दीवाला निकलनेकी बिनायपर दरख़्वास्तदे और अदालत को जायज़ होगा कि मुक़द्दमा डिसमिस करके मुद्दआअलेहको इस क़दर खर्चा दिलाये जो मुक़द्दमाकी जवाबदिही में उसपर आयद हुआहो और खर्चा मज़कूरको बतौर क़र्ज़ा ज़िम्मगी जायदाद मुद्दई साबित करना होगा—

जाब्ता जब कि तफवीजदार मुकद्दमाको जारी रखने या जमानत देने से क़ासिररहे—

९—(१) जब कोई मुक़द्दमा इस आर्डरके बमूजिब साक़ित होजाये या डिसमिस कियाजाये तो कोई नालिश जदीद उसी बिनायदावा पर रुजूअ न होसकेगी—

मुक़द्दमाके साक़ित या डिसमिस कियेजाने का असर—

(२) मुद्दई या जो शख़्स मुद्दई मुतवफ़्फ़ाका क़ायम मुक़ाम जायज होनेका दावा करताहो या असायनी या रिसीवर मुद्दई दीवालियाकी सूरतमें मजाज होगा कि वास्ते सदूर हुक्म मंसूखी सकूत या डिसमिसी मुक़द्दमाके दरख़्वास्तदे—और अगर साबित कियाजाये कि वह किसी वजह काफ़ीके सबब से मुक़द्दमा को जारी न रखसका तो अदालत हुक्म सकूत मुक़द्दमा या हुक्म डिसमिसी को मंसूखकरे ऐसी शरायतपर जो उसको खर्चाकी निस्बत या दीगर तौरपर मुनासिब मालूमहों—

दफ़ा २७२ न० १५ अलिफ़ सन् १८७७ई० (३) अहकाम दफ़ा ५ क़ानून मीआद समाअ्त हिन्द सन् १८७७ई० दरख़्वास्त हाय क़ायदा तहती (२) से मुतअल्लिक़ होंगे—

जारी रखना जब कि किसी हक़का इन्तिक़ाल क़ब्ल सुनाने हुक्म क़तई के कियाजाये—

दफ़ा २७२ १०—(१) और सूरतों में जो मुक़द्दमाके दौरानमें किसी हक़के मुन्तक़िल या पैदा या विरासतन् हासिल होनेकीहो जायज़ है कि अदालतकी इजाज़तसे मुक़द्दमा मज़कूर उस शख़्सकी तरफ़ से या उसके मुक़ाबिले में जिसको हक़ मज़कूर पहुंचाहो या विरासतन् हासिल हुआहो जारी रक्खाजाये—

(२) किसी डिगरीका दर असनाय अपील क़ुर्क़ किया जाना एक हक़ समझा जायेगा जिसकी रूसे वह शख़्स जो डिगरी मज़कूर क़ुर्क़ कराये क़ायदा तहती (१) से फ़ायदा उठानेका मुस्तहक़ होसक्ताहै—

इस आर्डरका तअल्लुक़ अपील से—

दफ़ा ५८२ हिस्सा अख़ीर ११—जहां इस आर्डरका तअल्लुक़ अपील सेहो तो जहांतक मुमकिन हो लफ़्ज़ "मुद्दई" में अपीलांट और लफ़्ज़ "मुद्दआअलेह" में रस्पांडेंट और लफ़्ज़ "नालिश" में अपील दाख़िल समझे जायेंगे—

इस आर्डरका तअल्लुक़ कार्रवाई इजरायडिगरी से—

जदीद १२—क़ायदा ३ व ४ व ८ कार्रवाई इजरायडिगरी या हुक्म से मुतअल्लिक़ न होंगे—

(बे) इस बात के दीगर वजूह काफी हैं कि मुद्दई को इजाज़त एक जदीद नालिश दायर करनेकी बाबत शै दावा मुकदमा, या जुज्व दावा मज़कूरके दीजाये तो अदालत मजाज़ है कि बक़ैद ऐसी शरायत के जो मुनासिब मालूमहों मुद्दई को मुक़द्दमा मज़कूरमें बाज़दावा देनेकी या जुज्व दावा मजकूर से बाज आने की इजाज़त वा इख़्तियार एक जदीद नालिश दायर करने के बावत शै दावा मुक़द्दमा मज़कूर या जुज्वदावा मज़कूर के दे—

(३) अगर मुद्दई बिलाहुसूल इजाज़त मुतज़क्किरै क़ायदा तहती

(२) मुकद्दमा से दस्तबरदार हो या जुज्वदावा से बाज आये तो वह उस खर्चा का जिम्मेदार होगा जो अदालत दिलाये और उसको बाबत शै दावा मज़कूर या जुज्व दावा मज़कूर के जदीद नालिश करनेका इख़्तियार नहीं रहैगा—

(४) इस क़ायदाकी किसी इबारत से अदालत को यह इजाज़त देनेका इख़्तियार नहीं है कि चन्द, मुद्दइयों में से एक बिला मर्जी दूसरों के बाजदावा दे—

(२) हर जदीद नालिश में जो ब इजाजत क़ायदा अख़ीर मुलहका वाला के दायरहो मुद्दई पाबंद क़वानीन तमादी ऐय्याम का उसी तरह होगा कि गोया नालिश अव्वल दायर न हुई थी— दफ़ा ३७४

नालिशात साबिक़ का क़ानून तमादी अय्याम में ग़ैर मुअस्सर होना—

(३) अगर बइतमीनान अदालत यह साबित करदिया जाय कि तस्फ़िया किसी मुक़द्दमें का किसी तौर के जायज़ मसालहत या तस्फिया बाहमी से कुल्लन् या जुज़अन् होगयाहै या मुद्दआअलैह ने मुद्दई को निस्बत कुल या जुज्वशै मुतनाज़ा मुकद्दमा से राजी करदिया है तो अदालत को लाज़िम है कि इसतरहकी मसालहत या तस्फिया बाहमी या राजीनामा के तहरीर करने का हुक्मदे और उसके मुताबिक़ जहांतक कि उस मुक़द्दमा से इलाक़ाहो डिगरी सादिरकरे— दफ़ा ३७५

तस्फ़िया बाहमी नालिश का—

(४)–इस आर्डर की किसी इबारत को तअल्लुक इजराय डिगरी की कार्रवाइयों से नहीं होगा— दफ़ा ३७५ अलिफ़

कार्रवाई इजराय डिगरी ग़ैर मुअस्सिर रहेगी—

आर्डर २४

अदालत में रुपया दाखिल करना॥

दफ़ा ३७६ — ईफ़ायदावा में मुद्दआ अलेह रुपया बतौर अमानत दाखिलकर सक्ता है—

१-जिसनालिश में कि दावा क़र्ज़ा या हर्जा का हो मुद्दआअलेह मुक़दमा की किसी नौबतपर मजाज़ है कि अदालत में उसक़दर रुपया अमानत दाखिलकरे जो पूरे दावा के ईफायके लिये उसकी दानिश्तमें काफी मुतसव्विरहो—

दफ़ा ३७७ — इत्तिलाअ ज़र अमानत दाखिल करने की—

(२)-लाज़िमहै कि मुद्दआअलेह उस अमानत की इत्तिलाअ अदालत की मारफत मुद्दई को दे और ज़र अमानत मुद्दई की दरख़्वास्तपर मुद्दई को दियाजाये इल्ला उस सूरत में कि अदालत और तरहपर हिदायत करे—

दफ़ा ३७८ — सूदज़र अमानत पर मुद्दई को बाद इत्तिलाअ के न दियाजायेगा—

३-जो रुपया कि मुद्दई ने अमानत रक्खाहो उसका सूद मुद्दई को इत्तिलाअ मज़कूर के पहुंचने की तारीख से न दिलायाजायेगा ख़्वाह ज़र अमानत बक़दर कुलदावा हो या उससे कम—

दफ़ा ३७९ — कार्रवाई अगर मुद्दई ज़र अमानत या बईफाय जुज़्वदावा के मंज़ूरकरे—

४-(१)-अगर मुद्दई उसज़र अमानत को सिर्फ़ बतौर ईफाय जुज़्वदावा क़बूल करले तो वह मजाज़ है कि बाक़ी की बाबत नालिश में पैरवीकरे और अगर अदालत यह तजवीज़करे कि रुपया दाखिल कियाहुआ मुद्दआअलेह का बईफाय कुलदावा मुद्दई के है तो मुद्दई को उसक़दर खर्चा नालिशका जो बाद दाखिलहोने ज़र अमानत के पड़ाहो और खर्चा क़ब्ल अज़दाखिल अमानत का जिसक़दर कि बवजह ज़ियादती मतालिबा मुद्दई के लाज़िम आयाहो अदा करनाहोगा—

[illegible] —

(२)-अगर मुद्दई ज़र अमानत को बईफाय अपने कुलदावा के मंज़ूर करले तो उसको लाज़िमहोगा कि बयान इस मज़मून का अदालत में गुज़राने और वह बयान शामिल मिसिल कियाजायेगा और अदालत को लाज़िमहै कि उसके मुताबिक़ फ़ैसला सादिरकरे और मतजवीज़ इस अमर के कि खर्चा हर फ़रीक़ का किसक़दर [illegible] होना चाहिये अदालत इस अमर

गौर करेगी कि किस फरीक़ पर निज़ाअ अदालत का इल्ज़ाम ज़ियादह आयद होताहै—

तमसीलात ॥

(अलिफ) ज़ैद पर उमरू के सौ रुपया आते हैं उमरू ने ज़ैद पर उस रुपया की नालिशकी और पहिले कुछ तक़ाज़ा नहीं किया और कोई वजह इस अमर के यक़ीन करने की भी न थी कि तक़ाज़ा से जो देरहोगी वह किसी निहजसे उसके हक़ में मुज़िर पड़ेगी और अर्ज़ीदावा गुज़रने पर ज़ैद ने अदालत में रुपया दाखिल किया और उमरू ने अपने कुल दावा के ईफ़ाय में उसको मंज़ूर करलिया तो अदालतको लाज़िमहै कि उसको खर्चा न दिलाये इसवास्ते कि निज़ाअ अदालत उसकी तरफ से क़यासन बेबुनियाद थी—

(बे) उमरूने ज़ैदपर बहालत मुतज़क्किरह तमसील (अलिफ) नालिश की और जब अर्ज़ीदावा गुज़रा ज़ैदने दावा की जवाबदिही की बादज़ां ज़ैदने अदालत में रुपया अमानत दाखिल किया और उमरू ने बईफ़ाय अपने कुलदावा के उसको मंज़ूर करलिया तो इस सूरत में अदालत को लाज़िम है कि उमरू को खर्चा मुक़द्दमे का भी दिलाये क्योंकि ज़ैदके अमल से साबित है कि निज़ाअ अदालत ज़रूरी थी—

(जीम) ज़ैदपर उमरू के सौ रुपया आते हैं और चाहता है कि बगैर रुजूअ नालिश रुपया अदा करदे उमरू डेढ़सौ रुपया का दावा रखता है और उस रुपया की नालिश उसने ज़ैदपर की जब अर्ज़ीदावा गुज़रा तो सौ रुपया उसने अदालत में दाखिल करके बाक़ी पचास रुपयाकी निस्बत जवाबदिही की बादज़ां उमरू ने सौ रुपया या बईफ़ाय अपने कुल दावा के मंज़ूर करलिये अदालत को लाज़िम है कि उसे ज़ैदका खर्चा अदा करने का हुक्म दे—

वास्ते सदूर हुक्म मशअर मन्सूखी हुक्म डिसमिसी के दरख़्वास्त देसक्ताहै और अगर हस्ब इतमीनान अदालत यह साबित करदियाजाये कि मुद्दई किसी काफी वजह से मीआद मुक़र्रराके अन्दर जमानत न दाखिल करसका तो अदालत बलिहाज़ ऐसी शरायत दरबाब ज़मानत या खर्चः वग़ैरः के कि जो उसको मुनासिब मालूमहों हुक्म डिसमिसी मन्सूख करदेगी और कार्रवाई मुक़द्दमः करने के वास्ते एक दिन मुक़र्रर करेगी—

(३) हुक्म डिसमिसी मन्सूख नहीं किया जायेगा तावक्ते कि दरख़्वास्तकी एक इत्तिला मुद्दआअलेहको न पहुंचाई जाये—

आर्डर २६

कमीशन

कमीशन वास्ते लेने इज़हार गवाहों के

१—हर अदालतको हर नालिश में इख़्तियारहै कि वास्ते लेने इज़हार उन अशखासके जो अदालतके इलाक़ः इख़्तियारकी हदूद अरज़ीके अन्दर रहतेहों मगर उस मजमूअः के अहकाम के बमूजिब अदालत में हाज़िर होने से माफ़ हैं या जो किसी बीमारी या जईफ़ीकी वजह से हाज़िर नहीं होसक्ते हैं कमीशन सादिरकरै कि बमूजिब वन्द सवालातके या और तौरपर उनका इज़हार लियाजाये— दफ़ा ३८३

किन सूरतों में अदालत कमीशन वास्ते लेने इज़हार गवाहानके जारी करसक्ती है

२—जायज़है कि अदालत ऐसा हुक्म अपनी मर्ज़ी से या वरतवक्त गुज़रने दरख़्वास्तके जिसकी ताईद तहरीरी बयान हल्फ़ी से या बतौर दीगर होतीहो मिन्जानिब किसी फ़रीक़ मुक़द्दमः के या अज़ तरफ़ उस गवाहके जिसकी शहादत मतलूबहै सादिरकरै— दफ़ा ३८४

हुक्म निस्वत इजराय कमीशन

३—अगर कमीशन वास्ते इज़हार ऐसे शख़्स के हो जो अन्दर हदूद अरज़ी इलाक़ः अदालत जारी कुनिन्दः कमीशन के के रहताहो तो जायज़है कि कमीशन किसी ऐसे शख़्स दफ़ा ३८५

अगर गवाह अदालत के इलाके में रहताहो—

के नाम सादिर कियाजाये जिसे अदालत उसकी तामील के लायक़ समझै—

दफ़ा ३८६ ४—(१) हर अदालत को हर नालिश से इख़्तियार है कि कमीशन वास्ते लेने इजहार अशख़ास मुफस्सिलः जैलके सादिर करै—

किन लोगों के वास्ते कमीशन जारी हो सक्ती है

(अलिफ़) कोई शख़्स जो अदालत के इलाक़ः की हदूद अरजी से बाहर रहताहो—

(बे) कोई शख़्स जो उस तारीख़से पहिले हदूद अरजी मजकूर से बाहर जानेवालाहो जो उसके वास्ते अदालत में इजहार लिये जाने के लिये मुक़र्रर हुई हो—

(जीम) कोई सर्कारी ओहदेदार मुल्की या जंगी जिसका अदालत में हाज़िर होना उसकी दानिस्त में मूजिब हर्ज कारसर्कारहो—

(२) जायज़ है कि ऐसा कमीशन किसी ऐसी अदालत में भेजा जाये जो अदालत हाईकोर्ट न हो जिसके इलाक़ः हकूमत की हदूद अरज़ी के अन्दर वह शख़्स रहता हो या किसी वकील या शख़्स दीगर के नाम भेजाजाये जिसको अदालत जारी कुनिन्दः कमीशन मुक़र्रर करै—

(३) जब अदालत इस क़ायदः के बमूजिब कोई कमीशन जारी करै तो यह हिदायत की जायेगी कि आया कमीशन उसी अदालत में वापस कियाजायेगा या किसी अदालत मातहतमें—

दफ़ा ३८७ ५—जब किसी अदालत में दरख़्वास्त वास्ते जारी करने कमीशन के बगरज लियेजाने इजहार किसी ऐसे शख़्सके दीजाये जो बृटिश इण्डिया से बाहर किसी जगहका रहनेवालाहो और उस अदालतको इतमीनानहो कि उसकी शहादत जरूरी है तो उसे जायजहै कि ऐसा कमीशन या एक लेटर आफ रिक्वेस्ट जारीकरै—

कमीशन या रिक्वेस्ट बिनापर लेने इजहार गवाह जो बृटिश इण्डिया से बाहर रहताहो

दफ़ा ३८८ ६—हर अदालतको जिसमें कमीशन वगरज तहरीर इजहार किसी

जिस अदालत में कमीशन जाये उसको चाहिये कि कमीशनके मुताबिक़ गवाहका इज़हारले

शख़्सके पहुंचे लाज़िमहै कि कमीशनके मुताबिक़ उसका इज़हारले या किसी औरसे लिवाये—

७—जब कमीशनकी तामील हस्ब ज़ा०ते होजाये तो वह मये उस शहा- दफ़ा ३८९

वापसी कमीशन मये बयान गवाह

दतके जो उसके बमूजिब लीगईहो अदालत जारी कुनिन्दः कमीशनमें वापिस कियाजायगा मगर जिस हाल में कि हुक्म मशअर इजराय कमीशन में और तरहकी हिदायतहो तो मुताबिक़ उसके कमीशन वापिस कियाजायगा और कमीशन और कैफियत उसकी तामीलकी और शहादत जो कमीशनके बमूजिब लीगईहो वरिआयत अहकाम क़ायदः मुलहकुल्ज़ैल शामिल मिसिल मुक़द्दमा रहैगी—

८—शहादत जो बज़रिये कमीशन लीगईहो वह उस मुक़द्दमः में बतौर दफ़ा ३९०

किस सूरतमें गवाह का बयान सबूत में लिया जासक्ता है

शहादत बिला रज़ामन्दी उस फ़रीक़के जिसके ख़िलाफ़ वह दीगईहो पढ़ी न जायगी—इल्ला—

(अलिफ) जब कि वह शख़्स जिसने शहादतदीहो अदालतके इलाक़ः से बाहर रहताहो या मरगयाहो या बसबब बीमारी या ज़ईफ़ीके असालतन् इजहार देनेके वास्ते हाजिर नहीं होसक्ता हो या अदालत में असालतन् हाजिर होने से माफहो या सर्कारी ओहदःदार मुल्की या जंगीहो जिसका अदालत में हाजिर होना अदालत की दानिस्त में मूजिब हर्जकार सर्कारहो—या—

(बे) जब कि अदालत अपनी रायके मुवाफिक मरातिब मुन्दर्जः फ़िक़रः (अलिफ) में से किसीके सबूतके लेने से दरगुज़र करै और मुक़द्दमः में किसी शख़्सकी शहादतको बतौर शहादत पढ़ेजानेकी इजाजतदे बावस्फ़ सबूत इस बातके कि दरवक़्त उसके पढ़ेजानेके वह वजह जिसके लिहाजसे शहादत बज़रिये कमीशन लीगई थी बाक़ी नहीं रही—

कमीशन बगरज़ तहक़ीक़ात मौक़ा

हा २६२ ९—अगर किसी मुक़द्दमः में अदालत वास्ते इन्कशाफ़ असलियत

कमीशन बगरज़ तहक़ीक़ात मौक़ा

किसी अम्र मायः उलनिज़ाअ या वास्ते दर्याफ़्त मालियत बाज़ारी किसी मालके या मिक़दार वासिलात या हर्जा या नुक़सानः ख़ालिस मुनाफ़ः के तहक़ीक़ात मौक़ा ज़रूर या मुनासिब समझै तो अदालत को इख़्तियार होगा कि किसी शख़्सके नाम जिसको वह लायक समझै कमीशन जारीकरै और उसको यह हुक्मदे कि तहक़ीक़ात मज़कूर करके अपनी कैफ़ियत उसकी बाबत अदालत में गुज़रानै—

पर शर्त यह है कि जिस हालमें लोकल गवर्नमेन्ट से इस बाब में कवाअद मुरत्तिब हुये हों कि कमीशन किस २ शख़्स के नाम जारी करना चाहिये तो अदालत को उन कवाअदका पाबन्द रहना लाज़िम होगा—

हा २६३ १०—अहल कमीशन बाद मुआयना मौक़ाके जो ज़रूरी मुतसव्वर

ज़ाब्ता अहलकमीशन—

हो और क़लमबन्द करने शहादतके जो उसकी मार्फ़त लीजाय उस शहादत को मये अपनी कैफ़ियत तहरीरी के जिसपर वह अपने दस्तख़त भी सिब्त करै अदालतमें भेजदेगा—

(२) कैफ़ियत अहल कमीशन की और जो शहादत कि उसनेली

रपोर्ट बहैसियत मुक़द्दमःकी शहादत होगी

अहल कमीशनका इम्तहान लिया जासकता है

हो (लेकिन न वह शहादत जिसके साथ ऐसी कैफ़ियत न हो) मुक़द्दमः की शहादतहोगी और शामिल मिसिल रहेगी लेकिन अदालत या मुतख़ासमीन मुक़द्दमः में से कोई फ़रीक़ बइजाज़त अदालत मजाज़ होगा कि ख़ुद अहल कमीशन से बनिस्बत किसी मरातिबके जिनकी तहक़ीक़ात के वास्ते वह मामूर हुआहो या जिसका तज़किरः उसकी कैफ़ियत में हो या निस्बत उसकी कैफ़ियत या तर्ज़ तहक़ीक़ात के सरे इजलास इस्तिफ़सार करै—

(३) अगर कमीशन की कार्रवाई किसी वजह से अदालत के हस्ब दिलख़्वाह न हुईहो तो अदालत को इख़्तियार है कि जो मज़ीद तहक़ीक़ात मुनासिब समझै उसकी निस्बत हुक्म सादिर करै—

कमीशन वास्ते जांच हिसाबात के

११— हर मुक़द्दमा में जिसमें जांच या तस्फ़िया हिसाबात जरूर हो अदालत को इख़्तियार होगा कि जिस शख़्स को मुनासिब समझै उसके नाम कमीशन इस हिदायत से सादिर करे कि वह जांच या तस्फ़िया मज़कूर करदे— दफ़ा ३९४

कमीशन बग़रज जांच या तस्फ़िया हिसाबात

१२— (१) अदालत को लाज़िम होगा कि अहल कमीशन के पास उस क़दर काग़ज़ात मिसिल और हिदायात जो जरूरी हों भेजदे और हिदायात में बसराहत हुक्म होगा कि अहल कमीशन सिर्फ़ अपनी रूबकारात जो दौरान तहक़ीक़ात के तहरीर हों अदालत में भेजेगा या अपनी रायभी निस्बत उस अम्र के जिसकी जांचका उसको हुक्म है तहरीर करेगा— दफ़ा ३९५

अदालत बनाम कमिश्नर हिदायात जरूरी सादिर करेगी

(२) अहल कमीशन के रूबकारात और कैफ़ियत (अगर कोई हों) बमंज़िलै शहादत के मुक़द्दमः में लेलीजायगी इल्ला उस सूरत में कि अदालत के नज़दीक कोई वजह उनकी निस्बत बे इतमीनानी की पाईजाये ऐसी सूरत में अदालत उस तहक़ीक़ात मज़ीद का हुक्म देगी जो मुनासिब हो—

रूबकारात व कैफ़ियत बमंज़िलै शहादत होगी अदालत मज़ीद तहक़ीक़ात हुक्म देसक्ती है

कमीशन बटवारह

१३— अगर कोई डिगरी इब्तिदाई निस्बत बटवारह के सादिर हुई हो तो किसी सूरत में जिसका ज़िक्र दफ़ा ५४ में नहीं है अदालत मजाज़ है कि कमीशन बनाम ऐसे शख़्स के जिसको मुनासिब जानै उन हक़ूक़ के मुवाफ़िक तक़सीम या अलाहिदा करदेने के लिये जो डिगरी मज़कूर की रू से क़रार दिये गये हों सादिर करै— दफ़ा ३९६

कमीशन बटवारह जायदाद ग़ैरमन्क़ूला

१४— (१) लाज़िम है कि अहल कमीशन बाद तहक़ीक़ात जरूरी के जायदाद को उतने हिस्सों में जिनको हिदायत उस हुक्म में हो जिसके बमूजिब कमीशन जारी किया गया हो तक़सीम करदे और उन हिस्सों को उन अशख़ास के वास्ते मुक़र्रर करे— और अगर दफ़ा ३९६ फ़िक़रह २ व ३

ज़ाब्ता अहलकमीशन

उस हुक्म में ऐसी इजाज़तहो तो हिसिसकी मालियत के मसावी करने के लिये जो रुपया देना वाजिबहो उसकी तजवीज़ भी करदे—

(२) बाद अज़ां अहल कमीशन एक कैफ़ियत मुरत्तिबकरके उसपर दस्तखत करें या अहाली कमीशन (जिस हालमें कि कमीशन एकसेज़्याद:अशखासके नाम जारीहुआहो और उनका इत्तिफ़ाक़ राय न होसके) तो कैफ़ियतहाय जुदागाना मुरत्तिबकरें और उनपर दस्तखतकरें और उस कैफ़ियत में हर शख़्सका हिस्सा मुक़र्रर करदें और (अगर उस हुक्ममें हिदायतहो तो) हर हिस्स: की शिनाख़्त पैमाइश और हदूदसे क़ायम करदें और वह कैफ़ियत या कैफ़ियात कमीशनके साथ मुनसलिक करके अदालत में भेजदीजायेंगी और अदालतको लाज़िमहै कि उन उजरातको जो फरीकैन निस्बत कैफ़ियत या कैफ़ियातके करें समाअत करके कैफ़ियत या कैफ़ियात मज़कूर बहाल रक्खे या बदलदे या मुस्तरद करदे—

(३) अगर अदालत कैफ़ियत या कैफ़ियात मज़कूरको बहाल रक्खे या उनमें कुछ तग़य्युर तबद्दुल करे तो उसको लाज़िमहै कि उसी बहाल रक्खीहुई या बदलीहुई कैफ़ियतके मुताबिक़ डिगरी सादिरकरे—लेकिन जिस हालमें कि अदालत कैफ़ियत या कैफ़ियात मज़कूरको मुस्तरद करदे तो उसको लाज़िमहै कि ख़्वाह एक जदीद कमीशन जारीकरे वरना जो हुक्म मुनासिब समझे सादिरकरे—

अहकाम आम

दफ़ा २६७ १५—जब कोई कमीशन बमूजिब इस आर्डरके जारीहो तो अदालत मजाज होगी कि उससे क़ब्ल जिसक़दर रुपया वास्ते इख़राजात कमीशनके मुनासिब समझे उस क़दर के दाखिल करने के लिये अन्दर मीआद मुक़र्ररः अदालतके उस फ़रीक़को जिसकी दरख़्वास्तके मुवाफ़िक़ या जिसके फ़ायद: के वास्ते कमीशन जारीहो हुक्मदे—

कमीशनका खर्चा अदालतमें दाखिल होना चाहिये

१६—हर अहल कमीशन जो इस आर्डरके बमूजिब मुक़र्रर हुआहो दफ़ा ३९८

इख़्तियारात कमिश्नरान

अगर उसको हुक्म तक़र्रुरकी रूसे और निहज की हिदायत न हो तो मजाज़ होगा कि—

(अलिफ़) इजहार ख़ुद फ़रीक़ैन और किसी गवाहका जिसको वह या उनमें से कोई पेशकरै और किसी और शख़्सका ले जिसे अहल कमीशन मज़कूर उस मुआमिलामें जो उसको सिपुर्द हुआहो शहादत देनेके लिये तलब करना मुनासिब समझे

(बे) दस्तावेज़ात और दीगर अशियाय जो अम्र तहक़ीक़ात तलब से मुतअल्लिक़हों उनको तलब करके मुआयना करे—

(जीम) किसी वक़्त मुनासिब में उस अराज़ी या इमारतके अन्दर जिसका ज़िक्र उस हुक्ममें हो दाख़िलहो—

१७—(१) अहकाम मजमूआ हाज़ा दरबाब तलब करने और हाज़िर होने और लेने इजहारात गवाहानके और निस्बत ख़र्च गवाहों और उन तावानातके जो गवाहों पर होसकते हैं उन अशख़ास से भी मुतअल्लिक़ होंगे जिनको इस आर्डरके बमूजिब शहादत देने या दस्तावेज़ पेश करनेका हुक्म दिया गयाहो आम इससे कि वह कमीशन जिसकी तामीलमें उनको ऐसा हुक्महो ऐसी अदालत से जारी हुआहो जो बृटिश इण्डियाकी हदूदके अन्दर वाक़ै है या किसी और अदालत से जो हदूद मज़कूरके बाहर वाक़ैहो और इस क़ायदः की अग़राज़के लिये कमिश्नर अदालत दीवानी समझा जायेगा— दफ़ा ३९९

अहकामनिस्बत हाज़िरी और इजहार गवाहान रूबरू कमिश्नरके

(२) कमिश्नरको इख़्तियार है कि किसी अदालतमें (जो हाईकोर्ट न हो) जिसके इलाक़ः में कोई गवाह रहताहो इस मज़मूनकी दरख़्वास्तदे कि हुक्मनामः जो कमिश्नर की रायमें ज़रूरी हो बनाम गवाह मज़कूर जारी कियाजाय—और उस अदालत को इख़्तियारहै कि जो हुक्मनामः माक़ूल व मुनासिब समझे अपनी सवाबदीद से सादिरकरै—

१८—(१) जब कमीशन इस आर्डरके मुताबिक़ जारी कियाजाये दफ़ा ४००

फ़रीक़ैन को कमिश्नर के सामने हाज़िर होना चाहिये

अदालत हिदायत करेगी कि फ़रीक़ैन मुक़द्दमः रूबरू अहल कमीशनके असालतन या बज़रिये एजन्ट या वुकलाके हाज़िरहों—

(२) अगर मुअम्ला या कोई फरीक कमिश्नरके रूबरू हाजिर न हो तो उसको इख्तियारहै कि उसकी गैरहाजिरीमें कार्रवाईकरे-

आर्डर २७

नालिशात अज़जानिब या बनाम सर्कार या ओहदेदारान सर्कार बहैसियत ओहदेदार

जदीद — नालिशात अज़ तरफ या बनाम सर्कार

१-किसी नालिश में जो अज़ तरफ़ या बनाम सेक्रेटरी आफ इस्टेट बहादुर हिन्द इजलास कौन्सिलहो अर्जीदावा या बयान तहरीरीपर उस शख़्सके दस्तखत होंगे जिसको गवर्नमेन्ट इस बारः खासमें हुक्म आम या खासके जरिये से मुकर्रर करदे और तसदीक उस शख़्सकी होगी जिसको गवर्नमेन्ट हस्ब मजकूर मुकर्ररकरै और जो वाकिआत मुकद्दमे से वाकिफहो-

दफा ४१७ — अशख़ास जो अज़ जानिब गवर्नमेन्ट पैरवी करेंगे मजाजहोंगे

२-जो अशखास कि एक्स आफीशियो या और निहज से मजाज पैरवी के मिन्जानिब गवर्नमेन्ट निस्बत किसी कार्रवाई अदालत के हों वह ऐसे एजन्ट मकबूला मुतसव्वर होंगे जो हस्ब अहकाम मजमूआ हाजा मिन्जानिब गवर्नमेन्ट हाजिर होकर पैरवी कर सकते हैं और दरख़्वास्तें गुजरान सक्ते हैं-

दफा ४१८ — अर्जीदावा नालिशात अज़तरफ या बनाम सर्कार

३-जो नालिशात कि मिन्जानिब या बनाम सेक्रेटरी आफइस्टेट बहादुर हिन्द इजलास कौन्सिलके हों उनमें अर्जीदावा के अन्दर बजाय लिखने नाम और पता और मुकाम सकूनत मुद्दई या मुद्दाअलेह के इन अल्फाज का दाखिल करना काफी होगा-

" जनाब सेक्रेटरी आफ इस्टेट बहादुर हिन्द इजलास कौन्सिल-

दफा ४१९ — [illegible]

४-वकील सर्कार हर अदालत में या कोई और शख़्स जिसको लोकल गवर्नमेन्ट इस बारः में किसी अदालतके लिये मुकर्ररकरै वास्ते हसूल हुक्मनामजात मौसूमः सेक्रेटरी आफ इस्टेट बहादुर हिन्द बइजलास कौन्सिलके जो किसी अदालत मजकूर से नालिशों सर्कारके तरफसे एजन्ट होगा —

५—अदालत बरवक्त तक़र्रर-तारीख़ अदख़ाल जवाब अर्ज़ीदावाके मिन्जानिब सेक्रेटरी आफ़ इस्टेट बहादुर हिन्द इजलास कौन्सिल मुहलत जो वास्ते करने ख़त किताबत ज़रूरी साथ गवर्नमेन्ट के बतवस्सुत सरिश्तः हाय मुनासिब और सदूर हिदायातके बनाम वकील सर्कार बिनाबर हाज़िरी व जवाबदिही मुक़दमा अज़ जानिब सेक्रेटरी आफ इस्टेट बहादुर इजलास कौन्सिल या अज जानिब सर्कारके माकूल हो जायज़ रक्खेगी और इक़्तिजाय राय अपने उस मुहलतको बढ़ासक्ती है— दफ़ा ४२०

तक़र्रर तारीख़ बाबते हाज़िरी अज़ जानिब सर्कार

६—जिस मुक़द्दमा में वकील सर्कारके साथ कोई और शख़्स मिन्जानिब सेक्रेटरी आफ इस्टेट बहादुर हिन्द इजलास कौन्सिल ऐसा न हो जो मुक़द्दमाके मरातिब नफ़सुल अमरीका जवाब देसके उससे अदालतको ऐसे शख़्सकी हाज़िरीका हुक्म देना भी जायज़है— दफ़ा ४२१

हाज़िरी उस शख़्सकी जो मुक़द्दमात बनाम सर्कार में सवालात का जवाब देसके

७-(१) अगर मुद्दआअलेह ओहदेदार सर्कारहो और उसको क़ब्ल वसूल सम्मनके अर्ज़ीदावाका जवाब दाखिल करनेसे पहले गवर्नमेन्ट से इस्तसवाब करना मुनासिब मालूम हो तो वह अदालत से इस्तदुआ करसक्ता है कि मीआद मुअय्यना सम्मन इस क़द्र बढ़ा दीजाये जो इस्तसवाब करने और बतवस्सुत सरिश्ते हाय मुनासिब उसकी बाबत हुक्मके वसूल होनेके लिये ज़रूरीहो— दफ़ा ४२२

तौसीअ मुद्दत ता कि ओहदेदार सर्कार गवर्नमेन्टसे इस्तसवाब करसकै

(२) अदालतको लाजिमहै कि ऐसी दरख़्वास्तपर मीआद मज़कूरको जिसक़दर उसको ज़रूरी मालूमहो बढ़ादे—

८—(१) अगर सर्कार जवाबदिही नालिशकी जो किसी ओहदेदार सर्कारीपरहो अपने ज़िम्मे क़बूलकरे तो वकील सर्कार जब कि उसको इजाज़त हाज़िरी व जवाबदिही अर्ज़ीदावाकी दीजाय अदालत में दरख़्वास्त गुज़रानेगा और उस दरख़्वास्तपर अदालतको लाज़िम होगा कि एक याददाश्त उस इजाज़तकी रजिस्टर मुक़द्दमात दीवानी में दर्ज कराये— दफ़ा ४२३

ज़ाब्ता उन नालिशोंमें जो बनाम ओहदेदार सर्कारहों

(२) अगर क़ायदा ज़िमनी (१) की रूसे वकील सर्कार उस नालिशपर जो इख़्तिलाफ़ात में बाबते हाज़िरी मुद्दआअलेह व न- दफ़ा ४२३

बाबदिही अर्ज़ीदावाके मुक़र्ररहो या उससे पहिले दरख़्वास्त न गुज़राने तो मुक़द्दमाकी तरतीब मिस्ल उन मुक़द्दमोंके होगी जिनमें सर्कार अहदुल्फ़रीक़ैन न हो—

मगर न मुद्दआअलेहकी ज़ात लायक़ गिरफ़्तारीके न उसकी जायदाद क़ाबिल कुर्क़ीके होगी इल्ला बहालत जारी होने डिगरीके—

आर्डर २८

नालिशात अज़ तरफ़ और बनाम मुलाज़िमान फ़ौज

दफ़ा ४६५

(१) अगर कोई अफ़सर या सिपाही जो फ़िलहक़ीक़त सीग़ै फ़ौज में मुलाज़िम सर्कारहो किसी मुक़द्दमाका फ़रीक़हो और मुक़द्दमाकी पैरवी या जवाबदिही असालतन् करने के लिये रुख़सत न पासक्ताहो तो वह मजाज़ होगा कि किसी शख़्सको मुक़द्दमाकी पैरवी या जवाबदिही करने के लिये अपनी तरफ से मुख़्तार मुक़र्ररकरे—

अफ़सर या सिपाही जो रुख़सत न पासक्ताहो किसी शख़्सको मुक़द्दमा की पैरवी या जवाबदिही करने के लिये मुख़्तार मुक़र्रर करसक्ताहै

(२) तक़र्रर शख़्स मज़कूरका तहरीरी होगा और अफ़सर या सिपाही मज़कूर उसपर अपने दस्तख़त करेगा (अलिफ) रूबरू अपने कमानअफ़सर के या अगर दस्तख़त करनेवाला ख़ुद कमानअफ़सरहो तो रूबरू उस अफ़सर के जो ऐन उसका मातहतहो या (बे) अगर अफ़सर या सिपाही मज़कूर फ़ौजके सीग़ै इस्टाफका मुलाज़िमहो तो रूबरू सरदफ़्तर या किसी अफ़सर बालादस्त उस दफ़्तरके जिसमें वह मुलाज़िमहो ऐसा कमान अफ़सर या और अफ़सर उस मुख़्तारनामापर अपने दस्तख़त करेगा और वह मुख़्तारनामा अदालत में दाख़िल किया जायेगा—

(३) जब वह मुख़्तारनामा अदालतमें दाख़िल होजाये तो कमान अफ़सर वग़ैरहके दस्तख़त काफी सबूत इस अमर के होंगे कि मुख़्तारनामा हस्बज़ाब्ता तहरीर पायाहै और यह कि वह अफ़सर या सिपाही जिसकी तरफ से वह मुख़्तारनामा लिखागर

मुक़द्दमाकी पैरवी या जवाबदिही असालतन् करने के लिये रुखसत हासिल न करसकता था—

तशरीह—इस आर्डर में लफ़्ज़ "कमान अफसर" से वह अफ़्सर मुरादहै जो किसी वक़्त पर किसी ऐसी रेजीमेन्ट या पल्टन या जुज़्व पल्टन या डिपोका कमानियरहो जिससे अफ़्सर या सिपाही मजकूर इलाक़ा रखता हो—

२—जिस शख़्स को कोई अफ़सर या सिपाही वास्ते करने पैरवी या जवाबदिही मुक़द्दमा के मुख़्तार करे उसे इख़्तियार होगा कि उसी तरह मुक़द्दमा में असालतन् पैरवी या जवाबदिही करै जैसा कि अफ़्सर या सिपाही दरहालत खुद हाज़िर होने के करता या वास्ते पैरवी या जवाबदिही मुक़द्दमा के तरफ से उस अफ़्सर या सिपाही के किसी वकील को मुक़र्रर करै— दफ़ा ४६६

अफ़सरइख़्तियार याफ़्ता असालतन् काम कर सक्ताहै या वकील मुक़र्रर करसक्ता है

३—हुक्मनामजात जिनकी तामील किसी शख़्स पर जिसको अफ़सर या सिपाही की तरफ से हस्ब क़ायदः १ मुख़्तारनामा हासिल हो या किसी वकील पर जिसे अफ़्सर या सिपाही के मुख़्तार ने मुक़र्रर कियाहो कीजाये उसी तरह मुवस्सर होंगे कि गोया वे ज़ात खास फरीक़ मुक़द्दमा पर तामील किये गये थे— दफ़ा ४६६

जो तामील शख़्स इख़्तियार याफ़्ता या उसके वकील परहो वह मुअस्सर होगी

आर्डर २९

नालिशात अज़तरफ़ और बनाम जमाअत हाय सनदयाफ़्ता—

(१) उन नालिशात में जो अज़ तरफ या बनाम जमाअत सनदयाफ़्ता हों जायज़ है कि सेक्रेटरी या डाइरेक्टर या और कोई अफ़्सर आला जमाअत मजकूर का जो निस्बत वाक़िआत मुक़द्दमा के अदाय शहादत करसके तरफ से जमाअत मजकूर के प्लीडिंग पर दस्तखत और तसदीक़ करै— दफ़ा

दस्तख़त और तसदीक़ प्लीडिंग

दफा ४३६ (२) बकैद अहकाम कानून निस्बत तामील हुक्मनामा के अगर मुक़द्दमः बनाम किसी जमाअत सनदयाफ़्ता के हो उसमें सम्मन की तामील इस तरह होसक्ती है कि—

तामील जमाअत सनद याफ्ता पर

(अलिफ) जमाअत सनदयाफ़्ता के सेक्रेटरी या किसी डाइरेक्टर या और किसी ओहदेदार आला को हवाले किया जाये—या

(बे) जमाअत सनदयाफ़्ता के दफ़्तर रजिस्टरी शुदः में पहुँचा दियाजाये या वहां बज़रीये डाक भेज दियाजाये या अगर कोई दफ़्तर रजिस्टरीशुदः नहो तो जमाअत सनदयाफ़्ता मज़कूर के मुक़ाम कारोबार पर—

दफा ४३६ (३) अदालत को इख़्तियार है कि मुक़द्दमा की किसी नौबत पर उस जमाअत सनदयाफ़्ता के किसी सेक्रेटरी या किसी डाइरेक्टर या और आला ओहदेदार को जो अमूरात नफ़्स मुक़द्दमा का जवाब देसकता हो असालतन् हाज़िर होनेका हुक्मदे—

हुक्म निस्बत असालतन् हाज़िरी अफ़सर जमाअत सनद याफ्ता

आर्डर ३०

नालिशात अज़ तरफ़ या बनाम कारख़ानजात और उनअशख़ास के जो अपने नामके सिवा किसी और नामसे कारोबार करतेहों

१—(१) कोई दो या ज़ियादः अशख़ास जो बहैसियत शरीक दावेदार या ज़िम्मेदार हों और बृटिश इण्डिया में कारोबार करते हों उस कारख़ाना के नाम से (अगर कोई हो) कि जिसके वह वजह नालिश पैदा होने बिनाय मुतालबात के शरीक थे नालिश कर सकते हैं या उनपर नालिश कीजासक्ती है— और ऐसी सूरत में कोई फरीक मुक़द्दमा अदालत में दरख़्वास्त देसक्ता है कि नाम और पता उन लोगों का जो वक़्त पैदा होने बिनाय मुतालबात के उस कारख़ाना के शरीक थे नवश्तःशुदः [illegible] तरीक़ः मुक़र्ररः अदालत उसको दियाजाय—

शुरका कारख़ाना के नाम से नालिश कर सकते हैं

(२) अगर अशखास बहैसियत शुर्काय अपने कारखाना के नाम से क़ायदा तहती (१) की रू से नालिश करें या उसी हैसियत से उनपर नालिश कीजाये तो दर सूरत प्लीडिंग या दीगर कागज़के जिसपर मजमूआ हाज़ाकी रू से दस्तखत या इबारत तसदीक़ का लिखा जाना या मुसद्दिक़ होना अज़ तरफ मुद्दई या मुद्दाअलेह के ज़रूरी है इस क़दर काफी होगा कि उस प्लीडिंग या दीगर कागज पर अशखास मज़कूर में से कोई एक दस्तखत या इबारत तसदीक़ लिखकरे या उसको मुसद्दिक़ करे—

२— (१) अगर कोई नालिश अज तरफ शुर्काय कारखाना के उनके कारखानः के नाम से दायर कीजाये तो मुद्दइआन या उनके वकील को लाज़िम है कि अगर कोई मुद्दाअलेह दरख्वास्त तहरीरी करे या उसकी तरफ से दरख्वास्त कीजाये तो जुमला शुर्काय कारखाना के नाम और मुक़ाम सकूनत कि जिनकी तरफ से नालिश रुजूअ हुई हो बिलातवक्कुफ़ तहरीर के ज़रिये से बतलावें—

शुर्काय के नाम ज़ाहिर करना,

(२) अगर मुद्दइआन या उनका वकील मज़मून दरख्वास्त मुतज़क्किरह क़ायदा तहती (१) की तामील नकरे तो दरख्वास्त गुजरने पर मुक़दमा में जुमला कार्रवाई मुताबिक़ शरायत मुक़र्ररः अज़तरफ़ अदालत के मुलतवी होसकी है—

(३) अगर शुर्काय के नाम मुताबिक़ क़ायदा तहती (१) के जाहिर कर दिये जायें तो मुक़द्दमा उसी तरह चलेगा और जुमला अमूर में वही नतायज लाज़िम आयेंगे कि गोया शुर्काय मजकूर के नाम अर्जीदावा में बहैसियत मुद्दई दर्ज थे—

मगर यह शर्त है कि बावस्फ इसके जुमला कार्रवाई कारखाना के नाम से जारी रहेगी—

(३) अगर लोगों पर बतौर शुर्काय कारखाना उनके कारखाना के नाम से नालिश दायर की जाये तो सम्मन की तामील इस तरह होगी—याने

तामील सम्मन

(अलिफ) ख्वाह एक या ज़ियादः शुर्काय पर—या

(बे) उस सदर मुक़ाम वाके बृटिश इण्डिया में कि जहां कारवार किया जाताहो किसी शख़्स पर जो बर वक़्त तामील सम्मन उस जगह कारोवार शराकत का इख़्तियार रखता हो या उसका मुन्तज़िम हो—

यानी जैसा कि अदालत हुक्मदे और ऐसी तामील कारखाना पर तामील मुअस्सर समझीजायेगी कि जिसके नाम नालिश कीजाये ख़्वाह कुल या बाज़ शुर्काय बृटिशइण्डिया के बाहर रहतेहों या न रहतेहों—

मगर शर्त यह है कि दरसूरत कारखाना के जो मुद्दई के इल्म में क़ब्ल दायरहोने नालिश के टूटचुकाहो सम्मन हरशख़्सपर तामील कराना चाहिये कि जो बृटिश इण्डिया में रहताहो और जिसको ज़िम्मेदार बनाना मंजूर हो—

जदीद नं० ९ सन १८७२ ई०

हक़ नालिश बाद वफात शरीक के

४—(१) बावस्फ अहकाम दफा ४५ ऐक्ट मुआहिद: हिन्द सन १८७२ ई० के अगर दो या ज़्याद: अशख़ास कारखानाके ना[illegible] से अ[illegible] सबक़की रूसे नालिश करें या उनपर नालिश कीजाये थ[illegible], उनमें से कोई शख़्स इरजाअ नालिश से पहले या दौरान मुक़द्दमा में मरजाये तो यह ज़रूर न होगा कि मुतवफ़्फ़ी का क़ायम मुक़ाम क़ानूनी फरीक़ मुक़द्दमा बनायाजाये—

(२) क़ायदा तहती (१) का कोई मज़मून किसी हक़ मुफस्सिलै ज़ैल को जो मुतवफ़्फ़ी के क़ायममुक़ाम क़ानूनी को हासिलहै महदूद नहीं करेगा और न उसपर निहज से मुअस्सर होगा—

(अलिफ) हक़गुज़राननें दरख़्वास्त का बेगरज़ बनाये जाने फरीक़ मुक़द्दमा के—या—

(बे) निस्वतदायर करने किसी दावा के बनाम शख़्स या अशख़ास बाक़ी मांदा के—

५—अगर कोई सम्मन किसी कारख़ाना के नामजारी हो और हस्ब तरीक़ा मुक़र्रर: क़ायदा ३ तामीलपाये तो हरशख़्सको जिसपर सम्मन की तामील हो एक इत्तिला तहरीरी बवक़्त तामील सम्मन दीजायेगी इस मज़मून से कि सम्मन की तामील उसपर किस हैसियत से हुई यानी आया बहैसियत

इत्तिला इस मज़मून की कि तामील सम्मन किस हैसियत से हुई

शरीक या बहैसियत ऐसे शख़्सके कि जिसके इख़्तियार या इन्तिज़ाम में वह कारख़ाना हो या दोनों हैसियतों से—

और अगर ऐसी कोई इत्तिला न दीजाये तो समझा जायेगा कि सम्मन की तामील उसपर बहैसियत शरीक के हुई—

६—अगर लोगों के नाम बहैसियत शरीक कारख़ाना के कारख़ाना के नाम से नालिश की जाये तो हरशख़्स अपने अपने नाम से हाज़िर होगा मगर इसके बादकी कुल कार्रवाई कारख़ाना के नाम से जारी रहेगी—

शुर्कायकी हाज़िरी

७—अगर सम्मन हस्ब तरीक़े मुक़र्ररः क़ायदा ३ किसी ऐसे शख़्सपर तामील कियाजाये जिसके इख़्तियार या इन्तिज़ाम में कारोबार शराकती हो तो उसकी हाज़िरी की ज़रूरत नहीं है तावक़्ते कि वह ख़ुदशरीक कारख़ाना न हो जिसपर नालिश की गई है—

शुर्कायके सिवा किसी और शख़्सकी हाज़िरी न होगी

८—कोई शख़्स जिसपर कोई हुक्मनामा बतौर शरीक के हस्बतरीक़ा मुक़र्ररह क़ायदा ३ तामील कियाजाये अदालत में उज़र के साथ हाज़िरहोकर शरीक होने से इन्कार करसक्ता है—

हाज़िरी उज़रदारी के साथ

मगर यह हाज़िरी मानअ इसकी न होगी कि मुद्दई और तरहपर कारख़ाना पर हुक्मनामा की तामील न कराये और अगर कोई शरीक हाज़िर नहो तो अदम हाज़िरी में बनाम कारख़ाना डिगरी हासिल न करे—

९—यह आर्डर उन नालिशात से भी मुतअल्लिक़ होगा जो दर्मियान किसी कारख़ाना और उसके एक या ज़्यादा शुर्कायके हों नीज उन नालिशात से जो दर्मियान ऐसे कारख़ानों के हों जिनके एक या ज़्यादा शुर्काय दोनों कारख़ानों में मुशतरक हों—

नालिशात माबैन शुर्काय के

मगर ऐसी नालिशों में कोई कार्रवाई इजराय डिगरी न होसकेगी सिवाय इसके कि अदालत से इजाज़त हासिलकीजाये और जब दर्ख़्वास्त हसूल इजाज़त वास्ते इजराय डिगरी के गुज़रै तो जुम्ला तस्फ़िया हिसाबहोगा और तहक़ीक़ात कीजायेगी और हिदायतें सादिरहोंगी जैसा कि क़रीन इन्साफ होगा—

१०—जो शख़्स अपने नाम के सिवा किसी और नाम या लक़ब से

नालिश बनाम ऐसे शख्स के जो अपने नाम के सिवा किसी और नाम से कारोबार करताहो

कारोबार करताहो उसपर उसी नाम या लक़ब से नालिशहोसकेगी गोया कि वह एक कारखाना का नाम है और जिसहदतक कि नोइअत मुक़दमा मुक़्तज़ी हो जुमला क़वाअद इस आर्डर के ऐसी नालिश से मुतअल्लिक़ होंगे-

---

आर्डर ३१

नालिशात मिन्जानिब और बनाम अमनाय और औसियाय और मोहतमिमानतर्का के

दफा ४२७ (१) जुम्ला मुक़दमात में जो ऐसी जायदाद से मुतअल्लिक़हों जो किसी अमीन या वसी या मुहतमिम तर्का की सिपुर्दगी में हों जबकि झगड़ा उसजायदाद का माबैन उन अशखास के जो जायदाद मज़कूर में इस्तहक़ाक़ हसूल इन्तकाल रखते हों और किसीशख्स सालिस के हो तो ऐसा अमीन या वसी मुहतमिम तर्का ऐसे अशखास गर्जदार का क़ायम मुक़ाम समझाजायेगा और अललअमूम उन अशखासको फरीक़ मुक़दमा करना जरूर न होगा लेकिन अगर अदालत मुनासिब जाने तो हुक्मदेसक्ती है कि वह सब या उनमें से कोई फरीककिया जाये-

क़ायम मुक़ामी अशखास मुस्तहक़ इन्तफ़ाअ मुक़दमा जायदादमें जो अमनाय वगैर:की सिपुर्दगी में हो--

४२८ २-जिसहाल में कि कई अमनाय या औसियाय या मुहतमिमानतर्का हों अगर कोई नालिश उनमें से एक या कई के नाम रुजूअ कीजाये तो वह सब फरीक़ मुक़दमा कियेजायेंगे-

इस्तमाल अमीन और वसी और मुहतमिमानतर्का

मगर शर्त यह है कि जिन औसियाय ने कि अपने मवसी के वसीयतनामा को साबित न कियाहो और जो अमनाय और औसियाय और मुहतमिमानतर्का बृटिश इण्डियाके बाहरहों उनको फरीक करनाजरूरनहीं है-

३-अगर अदालत और तरह का हुक्म न दे तो शौहर किसी औरत मनकूहः अमीना मुहतमिमा तर्का या वसीया का फरीक़ रहैसियत शौहर उस मुक़दमा का न कियाजायेगा जो उस औरत की तरफ से या उसके नामहो-

[illegible]

आर्डर ३२

नालिशात मिन्जानिब और बनाम अशखास नाबालिग और फ़ातिरुलअक्ल के

नाबालिग की तरफ़ से नालिश मार्फ़त उसके रफ़ीक़के होगी

१–जो नालिश कि किसी नाबालिगकी तरफ से हो वह नाबालिगके नामसे किसी शख़्सकी मार्फत जोकि उस नालिश में रफ़ीक़ नाबालिगका कहा जायेगा रुजूअ होगी— दफ़ा ४४०

अगर नालिश बिला तवस्सुत रफ़ीक़के दायर कीजाये तो अर्ज़ी दावा फ़ेहरिस्त से खारिज किया जायेगा

२–(१) अगर कोई नालिश बिला तवस्सुत रफ़ीक़के कोई नाबालिग खुद या मार्फत किसी औरके दायरकरै तो जायज़ है कि मुद्दआअलेह इस अम्रकी दरख़्वास्तकरै कि अर्ज़ी दावा फेहरिस्तसे खारिज कियाजाये और उसका खर्चा वकील या और शख़्स जिसने कि नालिशको पेश कियाहो अदाकरै— दफ़ा ४४२

(२) शख़्स पेशकुनिन्दः नालिशको ऐसी दरख़्वास्तकी इत्तिला दीजायगी और अदालत उसके उज़रात सुनकर (अगर कुछ हों) जो हुक्म उस मामिले में मुनासिब समझै सादिर करैगी—

नाबालिग मुद्दआअलेह के लिये वली दौरान मुक़द्दमा अदालत की तरफ़ से मुक़र्रर होगा

३–(१) जिस हालमें कि मुद्दआअलेह नाबालिगहो अदालत को लाज़िमहै कि अगर उसकी नाबालगी वाक़ईका इतमीनानहो तो किसी शख़्स मुनासिबको उस नाबालिगके वास्ते वली दौरान मुक़द्दमा मुक़र्ररकरै— दफ़ा ४४३

(२) हुक्म वास्ते तक़र्रुर वली दौरान मुक़द्दमाके उस सवालपर जो नाबालिगके नामसे या उसकी तरफ से या मुद्दईकी तरफ से गुज़रै होसक्ताहै— दफ़ा ४५६

(३) उस सवालकी ताईदमें बज़रिये तहरीरी बयानहलफी के इस बातकी तसदीक़ कीजायेगी कि वली मुजव्विज़ाको मामिलात मुतनाज़िआफिया नालिश मजकूर में कुछ हक़ मुखालिफ़ नाबालिगके नहीं है और वह शख़्स मुक़र्रर होनेके लायक़है–

(४) दरख़्वास्त तहत क़ायदाहाजा पर कोई हुक्म सादिर न होगा

सिवाय इसके कि इत्तिला नाबालिग और उसके किसी वली को जिसको हाकिम मजाज़ने मुक़र्रर किया या क़रार दियाहो दीजाये या अगर कोई ऐसा वली न हो तो इत्तिला नाबालिग के बाप या दीगर वली हक़ीक़ीको दीजाये या अगर बाप या कोई और वली हक़ीक़ी भी न हो तो इत्तिला उस शख़्स को दीजाये कि जिसकी खबरगीरी और हिफाजत में नाबालिगहो और नीज़ बाद समाअत उन उज़रातके जो किसी ऐसे शख़्स की तरफ़ से पेश कियेजायें जिसको इस क़ायदा तहतीकी रूसे इत्तिला दीगईहो—

४४५ ४-(१) जो शख़्स कि सहीहउलअक़्ल और बालिगहो जायज़ है कि वह बतौर रफीक़ या वली दौरान मुक़द्दमा किसी नाबालिगके कारपरदाज़ हो—

कौन शख़्स बतौर रफ़ीक़ कार्रवाई करेगा या वली दौरान मुक़द्दमा मुक़र्रर होगा

बशर्ते कि उसका हक़ मुखालिफ हक़ उस नाबालिगके न हो और यह कि रफ़ीक़ होनेकी सूरतमें वह उस मुक़द्दमामें मुद्दआअलेह न हो और वली दौरान मुक़द्दमा होनेकी सूरत में मुद्दई न हो—

४४० (२) अगर किसी नाबालिगका कोई ऐसा वली मौजूदहो जिसे किसी
४२ हाकिम मजाज़ने मुक़र्रर किया या क़रार दिया हो तो सिवाय वली मज़कूरके कोई शख़्स बतौर रफ़ीक़ नाबालिग कार्रवाई न करसकेगा और न उसका वली दौरान मुक़द्दमा मुक़र्रर होगा इल्ला उस हालमें कि अदालत बवजूहात क़लमबन्द शुदा यह मुनासिब समझे कि किसी दूसरे शख़्सको बतौर रफ़ीक़ कार्रवाई करनेकी इजाजत देना या उसका वली दौरान मुक़द्दमा मुक़र्रर करना यानी जैसा मौक़ाहो नाबालिगके हक़में मुफीद होगा—

(३) कोई शख़्स अपनी मर्ज़ीके खिलाफ वली दौरान मुक़द्दमा मुक़र्रर न कियाजायेगा—

(४) जब कोई और शख़्स बतौर वली दौरान मुक़द्दमा मुक़र्रर होने के लायक़ और वली होनेपर राज़ी न हो तो अदालतको

इख़्तियाररहै कि अपने किसी ओहदेदारको वली मुक़र्ररकरै और यह हिदायतकरै कि जिसक़दर रुपया उस ओहदेदारका खिद-मात बहैसियत वलीकी बजाआवरी में सर्फ होनेवालाहो उसकी अदाई बज़िम्मे जुम्लः फ़रीक़ैनके होगी या फरीक़ैन मुक़द्दमामें से एक या ज़्यादा फरीक़ों के ज़िम्मे या कि उसकी अदाई किस सरमाया से होगी कि जो अदालतमें दाखिलहो और जिसमें नाबालिग़ गरज़ रखताहो-और नीज़ हिदायात मुत-अल्लिक़ अदाई ऐसे खर्चोंके कि जो मुक़्तिज़ाय इन्साफ़ और हालात मुक़द्दमा केहो सादिर करसक्ती है-

५-(१) हर दरख़्वास्त बइस्तनाय दरख़्वास्त मुतज़क्किरह क़ायदा तहती (२) क़ायदा १० के जो अदालत में किसी ना-बालिग की तरफ से गुज़रै लाज़िमहै कि वह उसके रफीक़ या उसके वली दौरान मुक़द्दमाकी तरफसेहो- दफ़ा ४४१

(हाशिया: ...यम मुक़ामी नाबा-...गा बज़रिये रफ़ीक़ या ...ली दौरान मुक़द्दमा)

(२) जो हुक्म कि किसी नालिश में या किसी दरख़्वास्तपर जो अदालतके हुज़ूर गुज़रीहो दियाजाये और उसमें किसी नाबा-लिगको किसी तौरका सरोकारहो या किसी तौरपर उसको उससे असर पहुंचताहो और उसमें उस नाबालिगकी तरफसे कोई उसका रफीक़ या वली दौरान मुक़द्दमा यानी जैसी सू-रतहो क़ायम मुक़ाम उसका न हो तो जायज है कि वह हुक्म फ़िस्ख़ करदियाजाये और अगर वकील उस फरीक़का जिसने हुक्म हासिलकिया नाबालगीका हाल जानता था या अक़्लन् क़रीने से जानसक्ता था तो खर्चा उसी वकीलके ज़िम्मे रक्खा जायेगा- दफ़ा ४४४

६-(१) कोई रफीक़ या वली दौरान मुक़द्दमा बिला इजाज़त अदा-लत कोई रुपया या दीगर जायदाद मन्कूलः किसी नाबालिगकी तरफसे वसूल न करेगा- दफ़ा ४६१

(हाशिया: ...मूली जायदाद डिगरी ...गुद बहक़ नाबालिगकी ...मेन्जानिब रफ़ीक़ या ...ली दौरान मुक़द्दमाके)

(अलिफ़) ख़्वाह बतरीक़ मसालहत क़ब्ल सदूर डिगरी या हुक्मके था-

(बे) अज़रूय किसी डिगरी या हुक्मके जो बहक़ नाबालिगके सादिरहुआहो-

(२) अगर हाकिम मजाजने रफीक या वली दौरान मुकद्दमा को नाबालिग मज़कूरकी जायदादका वली मुकर्रर न किया या क़रार न दियाहो याकि वह इसतरह मुकर्रर हुआ या करार दियागयाहो मगर किसी नाक़ाबिलियतकी वजहसे जो अदालत को मालूमहो वह रुपया या दीगर जायदाद मनकूला वसूल न करसक्ताहो तो अदालतको लाजिमहै कि अगर उसको जायदाद मज़कूर वसूल करनेकी इजाजतदे उससे ऐसी जमानत ले और उसको ऐसी हिदायतें करे जो अदालत को जायदाद मज़कूरको तलफ होने से काफ़ी तौरसे बचाने के लिये और उसके मुनासिब इस्तेमालके वास्ते जरूरी मालूमहों—

दफ़ा ४६२

मुआहिदा या सुलहनामा अज तरफ़ रफ़ीक या वली दौरान मुकद्दमा

७—(१) कोई रफीक़ या वली दौरान मुकद्दमा मजाज न होगा कि बिला इजाज़त अदालतके जो साफतौर पर कार्रवाई में लिखी जायगी नाबालिग़की तरफ से कोई मुआहिदा या सुलहनामा दरबाब उस नालिशके करे जिसमें कि वह बहैसियत रफीक या वलीके कारपरदाज़ हो—

(२) जो मुआहिदा या सुलहनामा कि बिदून ऐसी इजाजत अदालतके कियागयाहो कि जो हस्ब मजकूर कार्रवाई में लिखीजावे वह नाबालिग़के सिवाय और जितने फरीकहों सबके मुक़ाबिले में फ़िस्ख़ होनेके क़ाबिल होगा—

दफ़ा ४४७

रफ़ीककी दस्तबरदारी

८—(१) अगर अदालत और निहज का हुक्म न दे तो नाबालिगका रफीक़ बग़ैर इसके कि पेश्तर से अपनी क़ायम मुक़ामी के वास्ते किसी शख़्स लायकको पैदाकरे और जो खर्चा कि होचुकाहो उसकी जमानत दाखिल करदे दस्तबरदार नहीं होसक्ता—

(२) लाज़िम है कि जो दरख़्वास्त ब गर्ज तक़र्रुर नये रफीक के गुजरे उसके साथ तहरीरी बयान हलफी इस मज़मून का कि शख़्स मुजव्विज़ा लायकहै और नीज यह कि वह हक़ मुख़ालिफ़ हक़ नाबालिगके नहीं रखताहै मुन्सलिक हो—

दफ़ा ४४६

रफ़ीक की मौकूफी

९—(१) अगर हक़ नाबालिगके रफीकका मुख़ालिफहक़ नाबालिग के हो या वह किसी ऐसे मुद्दाआलेह से जिसका हक़ मुख़ालिफ़ हक़ नाबालिग के हो इस क़दर लगाव रखताहो जिससे मुनासिब

कि वह बतौर मुनासिब हिफाज़त हक़ीयत उस नाबालिगकी न करेगा या वह अपने कार लाज़िमी को अदा न करै या दर असनाय दौरान मुक़दमा के बृटिश इण्डियाकी सकूनत तर्क करदे या कोई और वजह काफीहो तो जायज़ है कि उस नाबालिग या मुद्दआअलेहकी जानिबसे दरख़्वास्त उसकी मौकूफीकी कीजाये और अदालत मजाज़है कि अगर वजहपेशशुदः को काफी समझे तो उस दरख़्वास्त के मुताबिक़ उस रफीक़ के मौक़ूफ किये जानेका हुक्मदे और खर्चा की निस्वत कोई और हुक्म सादिरकरै जो उसके नज़दीक मुनासिबहो—

(२) अगर रफ़ीक ऐसा वली न हो जिसको किसी हाकिम मजाज़ने मुक़र्रर किया या क़रारदियाहो और दरख़्वास्त वलीमज़कूरकी तरफ से गुज़रै और उसकी यह ख़्वाहिशहो कि वह ख़ुद बजाय रफीक़ के मुक़र्रर किया जावे तो अदालत रफीक़ साबिक़ को मौक़ूफ करेगी इल्ला उस हालमें कि अदालत ब वजूहात क़लमबन्द शुदः मुनासिब समझै कि उस वलीको उस नाबालिगका रफीक़ न बनाना चाहिये और अदालत को लाज़िम होगा कि बाद अर्ज़ा दरख़्वास्तकुनिन्दः को रफीक़ साबिक़ के एवज़ मुक़र्रर करै ऐसी शरायतपर जो दरबाब खर्चा आयदशुदः मुक़द्दमाके उसके नज़दीक मुनासिब हो—

१०—(१) जबकि रफीक़ नाबालिगका दस्तबरदार हो या मौक़ूफ किया जाये या फौत हो तो कार्रवाई मज़ीद मुल्तवी रहेगी तावक़्ते कि उसके बजाय तक़र्रुर दूसरे रफीक़ का हो— दफा ४४

इल्तवाय कार्रवाई अगर रफ़ीक़ मौक़ूफ वग़ैरह कियाजाये

(२) अगर नाबालिगका वकील एक मीयाद मुनासिब के अन्दर रफीक़ जदीद के मुक़र्रर कराने की तदबीर न करै तो हर शख़्स जो नाबालिग से या शै मुतनाज़िआ से गर्ज़ रखताहो अदालत से दरख़्वास्त करसक्ताहै कि कोई रफ़ीक़ मुक़र्रर करदिया जाये और अदालत जिसको मुनासिब तसव्वर करै मुक़र्रर करदे— दफा ४८

११—(१) अगर वली दौरान मुक़दमा दस्तबर्दार होना चाहे या दफा ४५

वलीदौरान मुक़द्दमा की दस्तबर्दारी या मौक़ूफ़ी या वफ़ात

अपने ज़िम्मेकी ख़िदमत को न अंजाम दे या और कोई वजह काफ़ी नज़र आये तो अदालत मजाज़है कि उसे दस्तबर्दार होनेकी इजाज़तदे या उसे मौक़ूफ़ करदे और दरबाब खर्चाके जो हुक्म मुनासिब समझै सादिर करै—

दफ़ा ४५६ (२) अगर वली दौरान मुक़द्दमा बअय्याम दौरान मुक़द्दमा दस्तबर्दार हो या फौत होजाये या अदालत के हुक्मसे मौक़ूफ़ किया जाये तो अदालत को लाज़िमहै कि नयावली उसकी जगह मुक़र्रर करदे—

दफ़ा ४५० १२—(१) जब मुद्दई नाबालिग या वह नाबालिग जो कि फ़रीक़ मुक़द्दमा नहो और जिसकी तरफ़से कोई दरख़्वास्त दायर हो हद बलूग़ को पहुंचे तो उसको चाहिये कि अपनी राय इस बाब में क़ायम करै कि वह मुक़द्दमा या दरख़्वास्त की पैरवी में खुद मसरूफ़ होगा या नहीं—

तरीक़ा जो मुद्दई या दरख़्वास्त कुनिन्दा बालिग होनेपर इख़्तियार करेगा

दफ़ा ४५१ (२) अगर वह पैरवी मुक़द्दमा या दरख़्वास्त में मसरूफ़ होना पसन्द करै तो उसे लाज़िम है कि हुक्म मौक़ूफ़ी उस रफ़ीक़का और इजाज़त अपने नाम से पैरवी करने की हासिल करै—

(३) बाद अज़ां उस नालिश या दरख़्वास्त के उनवान में इसलाह की जायगी और वह इस तरह पढ़ा जायेगा—

(अलिफ बे) साबिक़ नाबालिग मारफ़त (जीम दाल) अपने रफ़ीक़ के मगर बालिग हाल—

दफ़ा ४५२ (४) अगर वह नालिश या दरख़्वास्त से दस्तबर्दार होना पसन्द करै तो उसको लाज़िमहै कि अगर मुद्दई बज़ात वाहिद या सायल बज़ात वाहिद हो तो जो खर्चा मुद्दआअलेह या फ़रीक़ मुख़ालिफ़का हुआहो या जो कुछ कि उसके रफ़ीक़ ने अदा किया हो दाख़िल करके उस नालिश या दरख़्वास्त के ख़ारिज किये जानेके लिये हुक्म हासिल करै—

दफ़ा ४५३ (५) हर दरख़्वास्त इस क़ायदा हाज़ा यकतरफ़ी गुज़रेगी लेकिन बिदून इत्तिलाददिही रफ़ीक़के कोई ऐसा हुक्म सादिर न होगा कि जिसकी रूसे रफ़ीक़ मौक़ूफ़ करदिया जाये और नाबालिग मुद्दई को अपने नाम से पैरवी करने की इजाज़त दीजाये—

१३—(१) अगर नाबालिग शराकती मुद्दई हद्द बलूग को पहुंचकर दफ़ा ४५४

अगर कोई शरीक मुद्दई बाद सिन बलूग को पहुचने के मुक़द्दमा से दस्तबर्दार होना चाहे

नालिश से दस्तबर्दार होना चाहे तो उसको लाज़िम है कि जुमरै मुद्दइयान से अपना नाम खारिज कराने की इस्तदुआ करै और अदालत को लाज़िम है कि अगर उसको फरीक़ मुक़द्दमा करना ज़रूरी न समझै तो मुक़द्दमा में से उसको ऐसी शरायत पर दरबाब दिलाने खर्चा या दरबाब दीगर अमूर के जो अदालत की दानिस्त में मुनासिबहो निकालदे—

(२) दरख़्वास्त गुज़रने के इत्तिलानामा की तामील रफ़ीक़ और किसी शराकती मुद्दईपर और नीज मुद्दआअलेह पर की जायेगी—

(३) खर्चा तमाम फरीक़ैन दरख़्वास्त मजकूरका और तमाम कार्रवाइयों का या किसी कार्रवाइयोंका जो क़ब्ल उसके उस नालिश में हुई हों उन अशखास को अदा करना होगा जिनको कि अदालत हुक्मदे—

(४) अगर सायल मुक़द्दमेका फरीक़ जरूरीहो तो अदालत हिदायत करसक्ती है कि वह मुद्दआअलेह गर्दाना जाये—

१४—(१) अगर कोई नाबालिग हदबलूग को पहुंचकर अगर दफ़ा ४५५

नालिश जो बवजह माक़ूल नहो या नामुनासिबहो

वह मुद्दई बज़ात वाहिदहो तो यह दरख़्वास्त देसक्ताहै कि नालिश जो उसके नामसे उसके रफ़ीक़ ने रुजूअ की थी खारिज करदीजाये इस बिना पर कि वह बवजह माक़ूल नथी या नामुनासिबथी—

(२) इस दरख़्वास्त के गुज़रने के इत्तिलानामा की तामील बनाम तमाम फरीक़ों के जिनको तअल्लुकहो कीजायेगी और जायज़है कि जब अदालत को उस नालिश के नामाक़ूल या नामुनासिब होनेपर इतमीनानहो तो उसकी दरख़्वास्त को मंज़ूर करै और हुक्मदे कि रफ़ीक़ खर्चा तमाम फरीक़ोंका निस्बत उस दरख़्वास्त के और उस पैरवी का जो उस मुक़द्दमा में की गईहो अदाकरै या कोई और हुक्म सादिरकरै जो उसके नज़दीक मुनासिबहो—

दफ़ा ४६० व ४६३ १५–अहकाम क़वाअ़द १ लग़ायत १४ जिसहद्दतक कि वह मुतअ़ल्लिक होसक्तेहों उन अशख़ास से मुतअ़ल्लिकहोंगे कि जिनको फ़ातिरुल्‌अ़क़्ल करारदियाहो और नीज उन अशख़ास से जो गो फ़ातिरुल्‌अ़क़्ल न ठहराये गयेहों लेकिन जिनको अदालत ने बाद तहक़ीक़ात के बवजह फ़ातिरुल्‌अ़क़्ली या खलल दिमाग़ बहैसियत मुद्दई या मुद्दआ़अ़लेह अपने हकूक़ की हिफ़ाज़तकरने के नाक़ाबिल पायाहो—

तअ़ल्लुक़ क़वाअ़द का अशख़ास फ़ातिरुल्‌ अ़क़्ल से

दफ़ा ४६४ १६–इस आर्डर का कोई मजमून किसी वाली खुदमुख़्तार या रईस हुक्मरान से मुतअ़ल्लिक नहीं है जो अपनी सल्तनत या रियासत के नाम से नालिशकरै या जिसपर उसी नाम से नालिश की जाये या जिसपर हस्बुल्‌ हुक्म नव्वाबगवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौन्सिल या किसी लोकल गवर्नमेन्ट के किसी एजन्ट के नाम से या किसी और नाम से नालिश कीजाये न उसके ऐसे मानी लगाये जायेंगे कि वह किसी ऐसे क़ानून मुल्तसुल्‌ मुक़ाम नाफिज़ुलवक़्त के अहकाम पर जो उन नालिशात से मुतअ़ल्लिकहैं जो मिन्‌जानिब या बनाम अशख़ास नाबालिग या मजनून या दीगर अशख़ास फ़ातिरुल्‌अ़क़्ल दायरकी जायें किसी तरहमवस्सरहो या उनके खिलाफ़हो—

इस्तसना वालियान खुदमुख़्तार और रईसाकी सूरत में

आर्डर ३३

नालिशात मुफ़लिसी

दफ़ा ४०१ १–बपाबन्दी अहकाम मुन्दर्जे जैलके मुफ़लिस की तरफ़ से हर नालिशहोसक्ती है—

नालिशात बतौर मुफ़लिसी रुजूअहोसक्ती है।

तशरीह–वह शख़्स मुफ़लिस कहलायेगा जिसको इसक़दर इस्तताअ़त न हो कि वह मुक़द्दमाके अर्ज़ीदावा की फ़ीस जो क़ानून में मुक़र्रर है अदा करसके या जिस हालत में कि ऐसी फ़ीस मुक़र्रर न हो सिवाय अपने पार्चा पोशीदनी जरूरी और शै मुतदाविया मुक़द्दमा के किसी और ना·

बदाद मालियती एकसौ रुपया का इस्तेहक़ाक़ न रखताहो—

२—हर दरख़्वास्त इस्तिजाजत नालिश मुफलिसाना में वह मरातिब दफा ४०२

मजमून दरख़्वास्त | मुन्दर्ज करने होंगे जो अशयज दावा में दर्जहोने चाहियें और एक फेहरिस्त हर जायदाद मन्कूला या ग़ैर मनकूला ममलूका सायल की बतफ़सील मालियत तखमीनी दरख़्वास्त के साथ मुन्सलिक करनाहोगी और दरख़्वास्तके ज़ैलमें दस्तखत और इबारत तस्दीक़ उसी तरह लिखी जायेगी जिसतरह प्लीडिंगके ज़ैल में दस्तखत और इबारत तस्दीक़ लिखने का हुक्महोचुका है—

३—गो इन क़वाअद में कोई हुक्महो दरख़्वास्त मजकूर को सायल दफा ४०४

दरपेशी दरख़्वास्त | असालतन् अदालत में पेशकरेगा बजुज़ उस सूरतके कि वह अदालत में हाज़िर होने से माफ़हो उस सूरत में दरख़्वास्त मार्फ़त ऐसे एजन्ट के पेशहोसक्ती है जो हस्ब जाब्ता मजाज़हो और जवाब हरसवाल ज़रूरी का जो दरख़्वास्त से मुतअल्लिक़हो देसक्ताहो और जो उसीतरह इज़हार लिये जाने का मुस्तौजिब होगा जिसतरह वह शख़्स जिसका वह मुख़्तारहो अदालत में असालतन् हाजिरहोने की सूरत में इज़हार देने के लायक़होता—

४—(१) अगर दरख़्वास्त तरीक़ा मुनासिबपर मुरत्तिब और हस्ब जाब्ता दफा ४०६

सायल का इजहार | पेशकीजाये तो अदालत इज़हार सायल या उसके एजन्ट का जब उसको मार्फत एजन्ट के हाज़िर होने की इजाजतहो सायल के इस्तहक़ाक़ दावा और जायदाद की निस्बत अगर मुनासिब समझै कलम्बन्द करेगी—

(२) अगर सायल की दरख़्वास्त मार्फत एजन्ट के गुजरै तो अदालतको इख़्तियार है कि अगर मुनासिब समझै हुक्मदे कि सायल का इज़हार ज़रिये कमीशन के उस तौरपर लियाजाये जैसा कि इजहार गवाह गैर हाज़िर का लिया जासक्ता है—

अगर दरख़्वास्त बजरिये एजन्ट गुजरै तो अदालत सायल का इजहार बजरिये कमीशनलेस-क्ती है

५—अदालतको लाजिमहै कि दरख़्वास्त इस्तजाजत नालिश मुफलिसाना नामंज़ूरकरै— दफा ४०७

दरख़्वास्तकी नामंजूरी

(अलिफ़) अगर वह उस तरीक़ापर मुरत्तिब और पेश न कीजाये जो दफा ४०७ क़वायद २ और ३ में मुक़र्ररहै—या

(बे) अगर सायल मुफ़लिस न हो—या

(जीम) अगर सायलने दरख़्वास्त गुज़राननेसे पहले दो महीनेके अन्दर फ़रेबन् या इस नियतसे कि वह इस क़ाबिल होजाये कि दरख़्वास्त इस्तजाज़त नालिश मुफ़लिसाना गुज़रान सकै कोई जायदाद मुन्तक़िल करदीहो—या

(दाल) अगर उसके बयानात से विनाय मुख़ासिमत पाई न जातीहो—या

(हे) अगर उसने निस्बत शैमुद्दाबिहा नालिश मुजव्विज़ाके कोई ऐसा इक़रार कियाहो जिसकी रूसे किसी और शख़्सको शै मज़कूरमें हक़ीयत हासिल होगईहो—

दफा ४०८ ६—अगर अदालतके नज़दीक कोई वजह नामंज़ूरी सवालकी मिन्जुम्ला वजूह मुन्दर्जा क़ायदा ५ के न पाईजाये तो उसको लाज़िमहै कि एक तारीख़ (जिसकी इत्तिला कम से कम दस रोज पहले फ़रीक़सानी और वकील सर्कार को देनी होगी) वास्ते लेने शहादतके जो सायल व सबूत अपनी मुफ़लिसीके गुज़रानसके और वास्ते समाअत शहादतके जो बतरदीद मुफ़लिसीके पेश कीजाये मुक़र्ररकरै—

इत्तिला तारीख़की जो वास्ते लेने शहादत के निस्बत मुफ़लिसी सा-यलके मुक़र्रर कीजावे

दफा ४०९ ७—(१) उस तारीख़पर जो इस ग़रज़से मुक़र्रर कीजाये या उसके बाद जिसक़दर जल्द बसहूलत मुमकिनहो अदालतको लाज़िमहै कि गवाहान फ़रीक़ैनका इज़हारले (अगर कोईहो) और अगर चाहे सायल या उसके एजन्टका इज़हारले और उनकी शहादतका ख़ुलासा बतौर याद्दाश्तके लिखना होगा—

कार्रवाई बवक़्त समाअत

(२) बाबत इस अम्रके कि आया महज़ मतलब दरख़्वास्त और उस शहादतके (अगर कुछहो) जोकि अदालत में हस्ब मन्शा क़ायदा हाज़ा लीगईहो सायलका पाबन्द होना किसी मुमानिअतका मन्दर्जा मुन्दर्जे क़ायदा ५ में पाया जाताहै या नहीं जो दलील फ़रीक़ैन पेश कियाचाहैं उसे भी अदालतको समाअत करना लाज़िमहै—

(३) बाद अज़ां अदालत सायलको मुफ़लिसी में नालिश करनेकी इजाज़त देगी या न देगी—

८—अगर दरख़्वास्त मंज़ूर कीजाये तो उसपर नम्बर डाला जायेगा दफ़ा ४१०
कार्रवाई अगर दरख़्वास्त मंज़ूर कीजाये
और वह दाख़िल रजिस्टर कीजायेगी और वमंज़िलै अर्ज़ीदावा मुक़द्दमाके मुतसव्वर होगी और मुक़द्दमाकी कार्रवाई वजमीउल्वजूह मिस्ल मुक़द्दमा मुतदायरः हस्व मामूलके कीजायेगी वइस्तस्नाय इस वातके कि मुद्दई वावत किसी दरख़्वास्त या वकालतनामा या दीगर कार्रवाई मुतअल्लिक़ै मुक़द्दमाके तुस्तौजिव अदाय किसी रसूम अदालतका न होगा सिवाय उन रसूमके जो वास्ते इजराय हुक्म नामजातके वाजिवुल् अदाहों—

९—अदालतको इख़्तियारहै कि मुद्दआअलेह या वकील सर्कार की दफ़ा ४१०
ईफ़िस्ख मुफ़लिसी
दरख़्वास्तपर जिसकी इत्तिला तहरीरी कमसे कम एक हफ़्ता पहले मुद्दईको दीगईहो मुद्दईको मुफ़लिसी फ़िस्ख होनेका हुक्मदे—

(अलिफ) अगर वह दर असनाय मुक़द्दमा क़सूरवार ईजारसानी या तरीक़ ना मुनासिवकाहो—या

(वे) अगर यह जाहिरहो कि उसकी माली हालत ऐसी है कि उसकी नालिश मुफलिसानाका क़ायम रहना मुनासिव नहीं है—या

(जीम) अगर उसने दरवाव शै मुतनाज़िआ मुक़द्दमाके कोई ऐसा इक़रार कियाहो जिसके एतवार से किसी और शख़्सने उसी शै मजकूरमें कोई हक़ हासिल कियाहो—

१०—अगर मुद्दई मुक़द्दमा में कामयाव हो तो अदालत को लाज़िम दफ़ा ४११
ख़र्चा अगर मुफ़लिस कामयाव हो
है कि तादाद रसूम अदालत की जो वहालत न मिलने इजाजत इरजाअ नालिश मुफलिसाना मुद्दई के ज़िम्मे वाजिवुल् अदा होती महसूव करै और वावत उस तादाद के शैमुतदाविया मुक़द्दमा पर मतालिवा मुक़द्दमहोगा और गवर्नमेन्ट को इख़्तियार होगा कि तादाद मजकूर उस शख़्स से जिसको डिगरी की रू से अदा करने का हुक्म दियागया हो वसूल भी करले—

११—अगर मुद्दई मुक़द्दमा में कामयाव न हो या उसकी मुफलिसी दफ़ा ४१२
कार्रवाई अगर मुफ़लिस कामयाव न हो
फ़िस्ख होजाये या अगर मुक़द्दमा उठालियाजाये या मुक़द्दमा डिसमिस होजाये—

(अलिफ) इस वजह से कि सम्मन वास्ते हाजिरी और जवावदिही

मुद्दआअलेह के तामील न पाया हो ववजह इसके कि मुद्दई ने उसकी तामीलकी रसूम अदालत या महसूल डाक वाजिबुल् अदा (अगर कुछ हो) अदा न कियाहो–

(बे) इस वजह से कि मुद्दई उस वक्त जब मुक़द्दमा समाअत के लिये पुकारा जाये हाजिर न हो–

तो अदालत को लाजिम है कि मुद्दई या किसी और शख़्स को जो मुक़द्दमा में मुद्दई का शरीक हुआहो यह हुक्मदे कि वह उस क़दर रसूम अदालत अदाकरे जो दरसूरत न मिलने इजाज़त इरजाअ नालिश मुफलिसाना के मुद्दई को अदा करनी वाजिब होती–

जदीद

गवर्नमेन्ट वास्ते अदाय रसूम अदालत के दरख़्वास्त करसक्तीहै

१२–गवर्नमेन्ट को हक़ हासिल है कि अदालत से किसी वक़्त दरख़्वास्त करे कि वास्ते अदाय रसूम अदालत के क़ायदा १० या ११ की रूसे हुक्म सादिर कियाजाये–

जदीद

गवर्नमेन्ट फ़रीक़ मुक़द्दमा समझी जासक्ती है

१३–जुमला अमूर जो हस्व क़वाअद १० व ११ व १२ माबैन गवर्नमेन्ट व किसी फरीक़ मुक़द्दमा के पैदाहों लाज़िम है कि वह हस्व मन्शाय दफा ४७ अमूर माबैन फरीक़ मुक़द्दमा समझे जायें–

जदीद

नक़ल डिगरीकी साहब कलक्टर के पास भेजीजाय

१४–अगर कोई हुक्म अजरूय क़ायदा १० या ११ या १२ सादिर किया जाये तो लाज़िम है कि अदालत फ़ौरन् एक नक़ल डिगरी की साहब कलक्टर के पास मुरसिल करायें–

दफा ४१३

अगर दरख़्वास्त इस्तजाज़त नालिश मुफ़लिसाना नामंज़ूर की जाये तो उस क़िस्म की दरख़्वास्त माबाद नामंज़ूरहोगी।

१५–अगर सायल की दरख़्वास्त मुतज़म्मिन इस्तजाज़त इरजाअ नालिश मुफलिसी पर हुक्म नामंज़ूरी का सादिर हो तो उसकी हर दरख़्वास्त माबाद जो उसी क़िस्म की हो निस्बत उसी हक़ नालिश के मसमूअ न होगी–मगर सायल को इख़्तियार होगा कि हस्ब तरीक़ा मामूली निस्बत हक़ मज़कूर के नालिश दायर करे–पर शर्त यह है कि अगर कुछ खर्चा उसकी दरख़्वास्त इजाज़त नालिश मुफलिसी के ख़िलाफ पैरवी करने में सरकार या फ़रीक़सानी पर आयद हुआहो तो वह पहले अदा करदे–

१६–खर्चा उस दरख़्वास्तका जिसमें नालिश मुफलिसाना दायर करने दफ़ा ४१५
खर्चा | की इजाज़त मांगीजाये और खर्चा तहक़ीक़ात मुफलिसी
का खर्चा मुक़द्दमा में दाखिल है—

आर्डर ३४

नालिश बाबत रेहन जायदाद गैरमन्कूला

१६–बमलहूजी शरायत मुन्दर्जा मजमूआहाज़ा के ज़रूरी है कि जुम्ला नम्बर ४ सन् १८८२ ई०
फ़रीक़ नालिश बाबत बैनात व नीलाम व इन्फ़िक़ाक़ रेहनके | अशखास जिनको कफालत रेहन या हक़ इन्फ़िक़ाक़ रेहन से तअल्लुक़हो हर नालिश में फरीक़ कियेजायें जो रेहनके बाबत रुजूअ कीजाये—

तशरीह–मुर्तहिन माबाद को इख़्तियार होगा कि मुर्तहिन मुक़द्दमा को बग़ैर करने फरीक नालिश के बैनात या नीलाम की बाबत नालिश रुजूअ करे और ज़रूर नहीं कि मुर्तहिन मुक़द्दम नालिश इन्फ़िक़ाक रेहन माबाद में फरीक कियाजाये— दफ़ा ८५

२–जिस नालिशमें बैनात का दावा हो अगर मुद्दई कामयाब होजाये ऐज़न दफ़ा ८६
डिगरी इब्तिदाई नालिश बैनात में | तो अदालत डिगरी सादिर करैगी—

(अलिफ) और हुक्म देगी कि उस तारीखतक जो ज़ैलमें मज़कूर है मुद्दई को रेहन की रू से बाबत असल व सूद और खर्चा मुक़द्दमा के (अगर कुछहो) उसको दिलाया गयाहो जिस क़दर पाना है उसका हिसाब लियाजाये—या—

(बे) जो रक़म हस्ब मज़कूरै बाला तारीख डिगरीतक वाजिबुल् अदाहो उसको ज़ाहिर करेगी और हिदायत करैगी–

(जीम) कि अगर मुद्दआअलेह रक़म मजकूर याफ़्तनी मुद्दई को उस रोजपर जोकि अदालत से मुकर्रर हो और जो तारीख ज़ाहिर करने रक़म वाजिबुल्अदा मज़कूरै बाला से छः महीने के अन्दर हो अदालत में जमा करदे तो मुद्दई को लाज़िम है कि कुल्ला दस्तावेज़ात मुतअल्लिक़ः जायदाद मरहूना जो उसके क़ब्ज़ा या इख़्तियारमें हों मुद्दआअलेह को या उस शख़्स को जो उसकी तरफ़ से मुक़र्रर हो

हवाले करे और अगर ऐसी जरूरत हो तो जायदाद मरहूना को बरी उस रेहन और उन तमाम मवाज़खाजात से जो मुद्दई ने या किसी और शख़सने जो उसकी तरफ़ से दावेदारहो उस पर क़ायम कियेहों या अगर मुद्दई और लोगों के ज़रिये से दावेदारहो तो बरी उन मतालिबाजात से जो उन लोगों ने उस पर क़ायम किये हों मुद्दआअलेह के नाम दुबारा मुन्तक़िल करदे और नीज़ अगर ज़रूरत हो मुद्दआअलेह को जायदाद पर क़ाबिज़ करादे-इल्ला-

(दाल) अगर मुबल्ग़ि मज़कूर रोज़ मुक़र्ररः अदालत पर या उस के क़ब्ल अदा न कियाजाये तो मुद्दआअलेह जायदाद मज़कूर के तमाम हक़ूक़ फ़क्कुलरेहन से मुमतिनाअ हो जायेगा—

ऐज़न् दफ़ा ८७ डिगरी अख़ीर नालिश बेबात में

३-(१) अगर ज़र याफ़्तनी मज़कूरूलसदर करार याफ़्ता मय ख़र्चा माबाद जिसका ज़िक्र क़ायदा १० में हुआहै मुद्दआअलेह रोज़ मुक़र्ररः पर या उसके क़ब्ल अदालत में जमा करदे तो अदालत डिगरी सादिर करेगी-

(अलिफ़) और हुक्म देगी कि मुद्दई दस्तावेजात को हवाले करदे जिनका हवाला करना उसपर बमूजिब शरायत डिगरी इब्तिदाई के फर्ज़ है और अगर ऐसी ज़रूरत हो तो-

(बे) हुक्म देगी कि मुद्दई हस्ब हिदायत मुन्दर्जे डिगरी मज़कूर जायदाद मरहूना को दुबारह मुन्तक़िल करदे और नीज़ (अगर जरूरी हो)—

(जीम) हुक्म देगी कि मुद्दई मुद्दआअलेह को जायदाद पर क़ाबिज़ करादे-

(२) अगर ज़र याफ़्तनी मज़कूर हस्ब मज़कूर बाला अदा न किया जाये तो मुद्दईकी दरख़्वास्त पर अदालत एक डिगरी अख़ीर मशअर इसके सादिर करेगी कि मुद्दआअलेह और वह तमाम लोग जो मुद्दआअलेह के ज़रिये से या उसकी मातहती में दावेदार हैं जायदाद मरहूना के तमाम हक़ूक़ फ़क्केरेहन से

मुसतिनाअ होजायेंगे और नीज (अगर जरूरतहो) यह हुक्म देगी कि मुद्दआअलेह मुद्दई को जायदाद पर क़ाबिज़ करादे—

पर शर्त यह है कि इन्दुल् इजहार वजह काफी और बपावन्दी उन शरायत के (अगर कुछहो) जो अदालत मुनासिब समझे अदालत मजाज़ होगी कि वक्तन् फवक्तन् अदा मजकूर की तारीख मुक़र्ररः को मुलतवी करती रहै—

मीयादके बढादेने का इख्तियार

(३) जब डिगरी क़ायदा तहती (२) के मुताबिक़ सादिरहो तो यह समझा जायेगा कि वह कर्जा जिसके लिये जायदाद मरहून हुईथी बेवाक होगया—

बेबाक़ी कर्जा

४-(१) अगर नालिश वास्ते नीलामकेहो और मुद्दई कामयाव हो- जाये तो अदालतको लाजिमहै कि डिगरी मुतज़म्मिन उस हुक्मके सादिरकरै जो क़ायदा २ के फिक़रात (अलिफ) और (बे) और (जीम) में मुन्दर्ज है और उसमें यह भी हुक्मदे कि दरसूरत न अदा होने ज़रयाफ़्तनी हस्व मुन्दर्जा क़ायदा मज़कूर मिनजानिब मुद्दआअलेहके जायदाद मरहूना या उसका जुज़ व ब क़द्र काफी नीलाम कियाजाये और ज़रसम्मन नीलाम (बादवज़ा करने इख़राजात नीलामके ज़रसम्मन मजकूर से) अदालतमें जमा कियाजाये और अदा उस रक़म में जो याफ़्तनी मुद्दई करार पाईहो मये सूद वो खर्चा माबादके सर्फ कियाजाय और जो बाक़ीरहै (अगर कुछहो) वह मुद्दआ-अलेहको या और लोगों को दियाजाये जो उसके पानेके मुस्तहकहों—

नम्बर ४ सन १८८२ ई० दफ़ा ८८

डिगरी इब्तिदाई नालिश नीलाम में

(२) अगर नालिश वास्ते बैबातकेहो और मुद्दई कामयावहो और उसमें रेहन क़िस्म बैबिल्वफा से न हो तो अदालतको इख़्तियारहै कि बरवक्त दरख़्वास्त मुद्दई या किसी और शख़्सके जिसको ज़ररेहन या हक़ इन्फिकाक रेहन से तअल्लुकहो उसी क़िस्मकी डिगरी (बजाय डिगरी बैबातके) बइन्दराज उन शरायतके जो मुनासिब मालूमहों सादिरकरे जिस में यह शर्त भी शामिल होसकती है कि शख़्स मजकूर एक तादाद माकूल जो अदालत मुकर्रर करदे और जो वास्ते अदाय इख़राजात नीलाम और मसारिफ तामील शरायत डिगरीके काफीहो अदालतमें दाखिलकरे—

इख़्तियार सिम्बत सादिर करने डिगरी मुतज़म्मिन नीलामके नालिश बैबातमें

-बर ४ सन्
८८२ ई०
ा: ८६

डिगरी अख़ीर नालिश नीलाम मे

५-(१) रोज़ मुक़र्ररः पर या उसके क़ब्ल अगर मुद्दआअलेह जायदाद मजकूरुल्सदर क़रारयाफ़्तः मय ख़र्चा माबाद जो कायदा १० में मजकूर है अदालत में जमा करदे तो अदालत डिगरी सादिर करेगी-

(अलिफ़) और हुक्मदेगी कि मुद्दई दस्तावेज़ातको हवाले करदे जिनका हवाला करना उसपर बमूजिब शरायत डिगरी इब्तिदाईके फर्ज है और (अगर ऐसी ज़रूरतहो)-

(बे) हुक्मदेगी कि मुद्दई हस्ब हिदायत मुन्दर्जे डिगरी मज़कूर जायदाद मरहूनाको दुबारा मुन्तकिल करदे और नीज़ (अगर जरूरीहो)-

(जीम) हुक्मदेगी कि मुद्दई मुद्दआअलहको जायदादपर काबिज़ कराहे-

(२) अगर ज़र वाजिब हस्ब मजकूरै बाला अदा न कियाजाये तो मुद्दईके इस बातकी दरख़्वास्त गुज़राननेपर अदालत एक डिगरी इस मजमूनकी सादिर करेगी कि जायदाद मरहूना या जुज़्व उसका बक़दर काफी नीलाम कियाजाये और उसके ज़र सम्मनकी निस्बत वैसाही अमल कियाजाये जैसा कि क़ायदा ४ में मज़कूरहै-

अमल बाक़ी ज़रयाफ़्तनी रेहनका

६-जब ऐसे नीलामका ख़ालिस ज़र सम्मन उस तादादकी अदाके लिये काफी न हो जो मुद्दईको वाजिबुल अदाहो तो जिस क़दर बाक़ीरहे अगर वह बाक़ी मुद्दआअलेह से और तरह़ पर सिवाय जायदाद नीलाम शुदः के क़ानूनन वसूल होसकतीहो तो जायज है कि अदालत उस ज़र बाक़ी बाबत डिगरी सादिरकरे—

डिगरी इब्तिदाई इनफ़िकाक रेहनकी नालिशमें

७-इनफिकाक रेहनकी नालिश में अगर मुद्दई कामयाबहो तो अदालत डिगरी सादिर करेगी-

(अलिफ) और हुक्मदेगी कि हिसाब उस मुतालिबका जो बाबत असल ज़ररेहन व सूद व ख़र्चा मुक़दमा (अगर कुछ) उसको दिलाया गयाहो उस रोज़तक जिसका जिक्र आयन्दः आताहै याफ़्तनी मुद्दआअलेहहो तय्यार कियाजाये-या

८२

(बे) जो रक़म तारीख डिगरीतक हस्ब मज़कूरै वाला वाजिबुल् अदाहो उसको जाहिर करैगी और हिदायत करेगी–

(जीम) कि अगर मुद्दई रक़म वाजिबुल अदा मज़कूरै वालाको उस तारीखपर जो अदालत से मुक़र्ररहो और जो तारीख जाहिर करने रक़म वाजिबुल् अदा मज़कूरै वालासे छःमहीने के अन्दरहो अदालत में जमा करदे तो मुद्दआअलेह को लाजिम होगा कि जुम्ला दस्तावेजात मुतअल्लिकै जायदाद मरहूना जो उसके क़ब्ज़ा या इख्तियारमेंहों मुद्दई को या उस शख्सको जो उसकी तरफ़ से मुक़र्ररहो हवालेकरै और अगर ऐसी ज़रूरतहो तो जायदाद मर्हूनाको बरी उस रेहन और उन तमाम मवाखिजाजात से जो मुद्दआअलेह या किसी और शख्सने जो उसकी तर्फ़दार से दावेदारहो उस पर क़ायम कियेहों या अगर मुद्दआअलेह और लोगोंके ज़रिये से दावादारहो तो बरी उन मतालिबाजात से जो उन लोगों ने उसपर क़ायम कियेहों मुद्दईके नाम दुबारा मुन्तक़िल करदे और अगर जरूरतहो मुद्दई को जायदाद मर्हूनापर क़ाबिज करादे–लेकिन

(दाल) अगर मुबलिग़ मजकूर रोज़ मुक़र्ररः अदालतपर या उसके क़ब्ल अदा न कियाजाये तो मुद्दई जायदाद मज़कूरके तमाम हकूक़ फकुल्रेहनसे मुमतिनाअ होजायेगा (इल्ला उस सूरतमें कि रेहनसादा या अजक़िस्म भोगबन्धकके रहाहो) या यह कि जायदाद मर्हूनाका नीलाम कियाजाये (बजुज़ उस सूरतके कि रेहन अजक़िस्म बैबिलवफ़ा हो)

८–(१) अगर मुद्दई तारीख मुक़र्ररः पर या उसके क़ब्ल ज़र या फ़तनी मजकूर करारयाफ़्ता मय खर्चा मावाद जिसका जिक्र क़ायदा १० में है अदालत में जमा करदे तो अदालत डिगरी सादिर करेगी– नम्बर ४ सन् १८८२ ई० दफ़ा ९८

डिगरी अख़ीर नालिश इनुफ़िकाक रेहनमें

(अलिफ) और हुक्मदेगी कि मुद्दआअलेह दस्तावेजातको हवाले करदे जिनका हवाला करना उसपर बमूजिब शरायत डिगरी इन्तिदाईके फ़र्जहै और (अगर ऐसी ज़रूरतहो)

(बे) हुक्मदेगी कि मुद्दआअलेह हस्ब हिदायत मुन्दर्जा डिगरी मज़कूर जायदाद मर्हूनाको दुबारा मुन्तक़िल करदे और नीज़ (अगर ज़रूरतहो)

(जीम) हुक्मदेगी कि मुद्दईको जायदादपर काबिज कराद—

(२) अगर अदाय मजकूर हस्ब मज़कूरे बाला न कियाजाये और रेहनसादा या भोगबन्धक न हो तो अदालतको लाजिम है कि मुद्दआअलेहके इस बारे में दरख़्वास्त गुजराननेपर एक डिगरी सादिरकरै कि मुद्दई और तमाम अशख़ास जो उसके जरिये से या उसकी मातहती में दावेदारहों कि तमाम हक़ूक़ इन्फिकाक रेहनसे मुमतिनअ होजायेंगे और नीज (अगर जरूरतहो) यह हुक्मदे कि मुद्दई मुद्दआअलेहको जायदादपर काबिज कराद-

(३) जब बमूजिब क़ायदा तहती (२) के डिगरी सादिरहो तो यह समझा जायेगा कि वह क़र्ज़ा जिसके लिये जायदाद मर्हूनहुई थी बेबाक़ होगया—

(४) अगर अदाय मज़कूर हस्ब मज़कूरे बाला न कियाजाये और रेहन अज़ क़िस्म बैविलवफा न हो तो मुद्दआअलेहके इस बारे में दरख़्वास्त गुजराननेपर अदालतको लाजिम है कि डिगरी सादिरकरै कि जायदाद मर्हूना या उसका जुज़्व काफी नीलाम करदियाजाये और ज़रसम्मन नीलाम (बाद वज़अ करने अख़राजातनीलाम के ज़रसम्मन से) अदालत में दाखिल किया जाये और उस तादादकी बेबाक़ी में लगायाजाये जो मुद्दआअलेहकी याफ़तनी निकले और जो ज़र बाक़ीरहे (अगर कुछहो) वह मुद्दईको या दीगर अशख़ासको जो उसके पानेके मुस्तहक़हों देदियाजाये—

[illegible]

पर शर्त यहहै कि अदालत मजाज़ है कि इन्दुलइज़हार वजह माकूल और बपाबन्दी उन शरायतके (अगर कुछहों) जो मुनासिब मालूमहो वक़्तन फवक़्तन उस तारीखको मुल्तवी करतीरहे जो अदाके लिये मुक़र्रर हुईहो—

नोट ६-बावस्फ किसी मजमून मुन्दर्जे क़वायद मजकूरे बाला के ...

डिगरी अगर कुछ याफ़्तनी न निकले या रेहन से जायद रक़म अदा होगई हो

हिसाब मुतज़क्किरः क़ायदा ७ मुरत्तिब कियेजाने पर मालूमहो कि मुद्दआअलेह को कुछ पाना नहीं है या उसको जायद रक़म दीगई तो अदालत को लाज़िम होगा कि डिगरी इस हुक्म के साथ सादिर करे कि (अगर ज़रूरत हो) मुद्दआअलेह जायदाद को दुबारा मुन्तक़िल करदे और मुद्दई को वह मुबलिग अदा करदे जो उसकी याफ़्तनी निकले और (अगर ज़रूरत हो) मुद्दई जायदाद मरहूना पर क़ाबिज करा दिया जावेगा—

ख़र्चा मुर्तहन माबाद डिगरी

१०—दरवक्त तस्फिया अखीर उस तादादके जो दरसूरत अमल में आये बैबात या नीलाम या इन्फिकाक रेहन मुर्तहनको और होनी चाहिये अदालत को लाज़िम है कि अगर मुर्तहन से कोई ऐसा फ़ेल न हुआहो जिसके बायस उसको, ख़र्चा से महरूम रखना लाज़िम आये ज़र रेहनके साथ उस क़दर ख़र्चा मुक़द्दमा शामिलकरै जो बतरीक वाजिब तारीख डिगरी बैबात या नीलाम इन्फिकाक रेहन से अदाय बाक़ई की तारीख तक मुर्तहन के जिम्मे आयद हुआ हो— नम्बर ४ सन १८८२ ई० दफ़ा ९४

इस्तहक़ाक़ मुर्तहन दरमियानी निस्बत फ़क्कुल रेहन और बैबात

११—अगर जायदाद मुतवातिर मुर्तहनों के हाथ मुतवातिर क़र्ज़ों बाबत रेहन कीजाये तो किसी दरमियानी मुर्तहन को इख़्तियार होगा कि नालिश बाबत फ़क्कुलरेहन हक़ूक़ मुर्तहनान मुक़द्दम और बैबात हक़ूक़ उन अशख़ास के रुजूअ करे जिनके हक़ूक़ खुद उसके और राहिन के हक़ूक़ के माबाद के हों— जदीद

नीलाम जायदाद व हिफ़्ज़ रेहन माक़ब्ल

१२—अगर कोई जायदाद जिसके नीलाम के लिये इस आर्डर के मुताबिक़हुक्म दियाजाय जेर मवाखिज़ा रहैं माक़ब्ल के हो तो अदालत को इख़्तियार है कि मुर्तहन माक़ब्ल की मंज़ूरी से जायदाद के बिला मवाखिज़ा रेहन नीलाम होनेका हुक्म दे और मुर्तहन माक़ब्ल को दरसम्मन नीलाम में वही हक़ दिलाये जो उसको जायदाद नीलाम शुदः में हासिल था— नम्बर ४ सन १८८२ ई० दफ़ा ९६

मसर्फ़ ज़र नीलाम

१३—ज़र सम्मन अदालत में जमा होकर हस्ब मुफ़स्सिलै ज़ैल सर्फ़ कियाजावेगाः— जदीद

अव्वलन्—उन तमाम इख़राजात के अदा करने में जो नीलाम से मुतअल्लिक़ या किसी नीलाम मक़सूदा की कार्रवाई में बतौर जायज़ आयद हुये हैं—

सानियन्—उस रुपया के अदा करने में जो रेहन माक़ब्ल की बाबत मुर्तहन माक़ब्ल को वाजिबुल् वसूल हो और नीज उस ख़र्चा के जो ब-तरीक़ जायज़ उसके मुतअल्लिक़ आयद हुआ हो—

सालसन्—उस ज़र रेहन के कुल सूद के अदा करने में जिसके वसूल के लिये नीलाम का हुक्म हुआ हो और उस मुक़द्दमा के ख़र्चों की बेबाक़ी में जिसमें डिगरी मशअर हिदायत नीलाम सादिर हुई थी—

राबअन्—रेहन मज़कूर की बाबत जिस क़दर ज़र असल वाजिबुल् वसूल हो उसके अदा करने में—और

बिल् आख़िर—ज़र बाक़ीमांदा (अगर कुछ हो) उस शख़्स को दिया जायेगा जो जायदाद नीलामशुदः में अपना इस्तहक़ाक़ रखना साबित करे—

या अगर ऐसे अशख़ास एक से ज्यादा हों तो वह बाक़ी उन लोगों को बलिहाज़ उन के हक़ूक़ मुख़्तलिफ़ के या बाद लेने उनकी रसीद मुश्तर्के के दी जायेगी—

नम्बर ४ सन् १८८२ ई० (२) कोई इबारत क़ायदा हाज़ा या क़ायदा १२ की मुख़िल उन इख़्तियारात की न समझी जायेगी जो अज़रूय दफ़ा ५७ ऐक्ट इन्तिक़ाल जायदाद सन् १८८२ ई० अता हुये हैं—

जायदाद मरहूना के नीलाम कराने के वास्ते नालिश नीलाम लाज़िमी है

१४—(१) जिस सूरत में मुर्तहन बईफ़ाय उस दावा के जो रेहन से पैदा होता हो डिगरी अदाय ज़र नक़्द हासिल करे मुर्तहन मुस्तहक़ नीलाम कराने जायदाद मरहूना का न होगा बजुज़ उसके कि रेहन मज़कूर के निफ़ाज़ में नालिश नीलाम दायर करे और मुर्तहन को इख़्तियार है कि बावस्फ़ किसी अम्र मुन्दर्जे आर्डर (२) क़ायदा (२) के नालिश मज़कूरा दायर करे—

(२) कोई अम्र मुन्दर्जे क़ायदा तहती (१) उन इलाक़ेजात में मुतअल्लिक़ न होगा जिनमें ऐक्ट क़ानून इन्तिक़ाल जायदाद सन् १८८२ ई० की तामील नहीं हुई है—

मनाफ़िजाजात — १५–तमाम शरायत जो इस आर्डर में निस्बत नीलाम या फ़कुल् रेहन जायदाद मरहूना के दर्ज हैं जहांतक मुमकिन हो उस जायदादसे मुतअल्लिक़ होंगे जिसपर हस्ब मन्शाय दफा १०० ऐक्ट इन्तिक़ाल जायदाद सन् १८८२ ई० कोई बारहो— नम्बर ४ १८८२ ई दफा १०

आर्डर ३५

इन्टर पिलीडर यानी नालिश बमुराद तस्फ़िया बैनुल् मुतनाज़ईन

अर्जीदावा नालिश बमुराद तस्फिया वैनुल् मुतनाज़ईन में — १–अमीनकी ऐसी हर नालिश में जो बमुराद तस्फिया वैनुल् मुतनाजईनहो जरूरहै कि अर्ज़ीदावा में सिवाय दीगर बयानातके जोकि अरायज़ दावाके वास्ते ज़रूरी हैं यह मरातिब भी दर्ज कियेजायें — दफ़ा ४७१

(अलिफ) यह कि मुद्दईको कुछ गरज शै मुतदावियामें बजुज मतालिबा या खर्चाके नहीं है—

(बे) दआवी जो मुद्दआअलेहुम् जुदागाना रखतेहों और

(जीम) यह कि दरमियान मुद्दई और किसी मुद्दआअलेहके साज़िश नहीं है—

शै मुतदावियाका अदालतकी तहवील में रक्खाजाना — २–जब कि शै मुतदाविया अदालत में अदा कियेजाने या अदालत की तहवील में रक्खे जाने के क़ाबिलहो तो जायज है कि हुक्मदे कि मुद्दई क़ब्ल अजां कि उसको नालिश में किसी हुक्मके मिलनेका इस्तहक़ाक हासिलहो शै मजकूरको अदालत में अदा करदे या तहवेल में रखदे— दफ़ा ४७२

कार्रवाई अगर मुद्दआअलेह मुद्दईपर नालिश करे — ३–अगर किसी नालिश तस्फिया वैनुल् मुतनाज़ईनमें मिन्जुम्ला मुद्दआअलेहुमके किसीने बाबत शै मुतनाज़िआ मुक़द्दमाके मुद्दईपर फिल्वाक़ै कोई नालिशकीहो तो जिस अदालत में कि वह नालिश बनाम मुद्दई दायरहो उसे लाजिमहै कि जब उसको इस बातकी इत्तिला मिन्जानिब उस अदालतके दीजाय जिसमें नालिश तस्फिया वैनुल्मुतनाज़ईन दायरहो कार्रवाई दफ़ा ४७६

मुक़द्दमाकी बमुक़ाबिले मुद्दई मज़कूर मौकूफ रक्खे और उस मुक़द्दमा मौकूफ शुदः में जो खर्चा उस मुद्दईका हुआहो उसके वास्ते उसी मुक़द्दमा मौकूफ शुदः में तदबीर कराये लेकिन जिस हालमें और जिसहदतक कि उस मुकद्दमा में खर्चाकी तदबीर न कीगई हो तो वह खर्चा नालिश तस्फिया बैनुल मुतनाज़ईनके खर्चा जानिब मुद्दई मज़कूर में वज़ा लियाजाये—

खर्चा

दफा ४७२ ४-(१) बरवक़्त समाअत अव्वलके अदालतको जायजहै कि—

कार्रवाई व समाअत अव्वल

(अलिफ) यह क़रारदे कि मुद्दई मुद्दआअलेहुम्के तमाम मतालिबा से निस्बत शै मुतदाविया से बरीहै—

और उसको खर्चा दिलवाये और मुक़द्दमासे उसको सुबुकदोश करे—या

(बे) जिस हालमें कि बमुक्तिज़ाय इन्साफ या सहूलत जरूरहो तमाम अशखास फरीक मुक़द्दमाको ता अखीर फैसला मुक़द्दमाके क़ायम रक्खे—

(२) अगर अदालत यह तजवीज़करे कि बएतबार अक़वाल फरीक़ैन या और शहादतके ऐसा करना मुमकिनहो तो शै मुतदाविया के इस्तहक़ाक़का तस्फिया करदे—

(३) अगर बएतबार अक़वाल फरीक़ैन अदालत हस्ब मज़कूर फैसला न करसके तो वह मजाज़है कि यह हिदायतकरे—

(अलिफ) कि अम्र या अमूर तनक़ीह तलब मावैन फरीक़ैन मुरत्तिब होकर फैसल कियेजायें—और

(बे) यह कि कोई शख्स दावेदार बएवज या बइज़ाफ़ा मुद्दई मामलेके मुद्दई बनाया जाय और अदालतको लाज़िमहै कि मामूली तरीक़ापर मुक़द्दमाकी तजवीजमें मसरूफहो—

तमसीलात

(अलिफ) जैदने एक सन्दूक़ जेवरातका अपने एजन्ट उमरूके पास रक्खा बकरने बयानकिया कि जेवरात बतौर बेजा मुझसे जैदने लेलिये हैं और उमरूसे उनके दिला पानेका दावा किया उमरू बमुक़ाबिले जैद और बकरके नालिश तस्फ़िया बैनुल् मुतनाजईन रुजूअ नहीं करसक्ताहै–

(बे) जैदने एक सन्दूक़ जेवरातका अपने एजन्ट उमरूके पास रक्खा व दअजां उसने बकरको लिखा कि जो कर्ज़ा कि उससे बकरको पानाथा उसकी जमानतमें जेवरात मज़कूर मक़फूलरहै जैदने बादअजां बयानकिया कि बकर का क़र्ज़ा अदा होगया और बकरका बयान इसके खिलाफ़है अब दोनों उमरूसे जेवरातके लेनेका दावा करते हैं जायज़ है कि उमरू नालिश तस्फ़िया बैनुल् मुतनाजईन जैद और बकरके नाम रुजूअकरै–

६–अगर नालिश बतौर मुनासिब रुजूअ कीजाये तो अदालत वास्ते खर्चा मुद्दई असलके यह तदबीर करेगी कि उसका शै मुतदाविआपर मवाखिज़ा क़ायम करेगी या कोई और तदबीर मयस्सर करदेगी – दफ़ा ४७०

मुद्दईके खर्चोका मवाखिज़ा

आर्डर ३६

सूरत खास

१–(१) जिन अशखास को किसी अम्र वाकिआ या क़ानूनी के इन्फ़िसाल में ग़रज़ रखने का दावाहो वह मजाज़ होंगे कि बाहम इक़रारनामा तहरीरी करके उसमें अम्र मज़कूर को बतौर एक मुक़द्दमा के वास्ते राय अदालत के लिखें और यह शर्त करें कि जब तजवीज अदालत निस्बत उस अम्र के सादिर हो तो– दफ़ा ४७०

इख्तियार निस्बत पेश करने कोई अम्र बतौर मुक़द्दमा वास्ते राय अदालत के

(अलिफ) यह तादाद ज़र जो बाहम फरीकैन मुक़र्रर करें या जिसे

अदालत तजवीज़ करदे उनमें एक फरीक़ दूसरे फरीक़ को अदाकरेगा—या

(वे) एक फरीक़ दूसरे फ़रीक को कुछ जायदाद मन्कूला या ग़ैर मन्कूला मुसर्रहे इकरारनामा हवाले करेगा—या

(जीम) मिन् जुमला फरीक़ैन के एक या कई अश्ख़ास किसी ख़ास अम्र मुफ़स्सिलै इक़रारनामा की तामील करेंगे या उसके करने से बाज रहेंगे—

(२) हर मुक़द्दमा जो बमूजिब इस क़वाअद ५ के क़लमबन्द किया जाये चंद दफ़ात पर मुनक़सिम होगा जिनपर नम्बर मुसलसल् लिखा किया जायेगा और उसमें मुख़्तसिर कैफियत ऐसे वाक़ियात और तशरीह ऐसी दस्तावेज़ की लिखी जायेगी जो वास्ते इस अम्र के जरूरी हो कि अदालत उस बहस को जो उन से पैदा होती है तै करसके—

१८८८ २—अगर इक़रारनामा बाबत हवालगी किसी जायदाद के हो या बाबत करने या बाज़ रखने के किसी फेल ख़ास से हो तो इस इक़रारनामा में मालियत तख़मीनी उस जायदाद की जिसके हवाले करने का इक़रार है या जिससे वह फेल मुन्दर्जै इक़रारनामा मुतअल्लिक़ हो दर्ज कीजायेगी—

अगर मालियत शै मुतनाज़िया की दर्ज कीजावे

१५=१ ३—(१) इक़रारनामा बशर्ते कि वह मुताबिक़ क़वायद मुन्दर्जे सदर के मुरत्तिब हुआहो किसी ऐसी अदालत में दाख़िल होसक्ता है जिसको इख़्तियार समाअत उसी तादाद या मालियत की शै मुतनाज़िया के मुक़द्दमा का हासिल हो जो तादाद या मालियत शै मुन्दर्जै इक़रार-

इक़रारनामा दाख़िल होगा और उसका नम्बर मुक़द्दमा डाला जायगा

४—बाद अद्खाल इक़रारनामा के नवीसिंदगान इक़रारनामा तहत इख़्तियार अदालत के होंगे और उनपर पाबन्दी ययानात मुन्दर्जे इक़रारनामा की लाज़िम होगी— दफ़ा ५३

फ़रीक़ैन तहत इख़्तियार अदालतहोंगे

५—(१) ऐसा मुक़द्दमा समाअ़त के वास्ते मिस्ल मुक़द्दमा मामूली दाख़िल होगा और इस मजमूआ के अहकाम जहांतक वे मुतअ़ल्लिक़ होसकैं मुक़द्दमा मज़कूर से मुतअ़ल्लिक़ होंगे— दफ़ा ५२

समाअ़त और इन्फ़िसाल मुक़द्दमा

(२) अगर बाद जवाबदन्दी फ़रीक़ैन या बाद लेने शहादत मुनासिबके अदालतको इतमीनानहो कि—

(अलिफ) इक़रारनामा मज़कूरकी तकमील उन्होंने हस्ब ज़ाब्ताकी है-और

(बे) यह कि अज़राह नेकनीयती ग़रज उन फ़रीक़ैनकी निज़ाअ़ मुन्दर्जे इक़रारनामासे मुतअ़ल्लिक़है—और

(जीम) यह कि निज़ाअ़ क़ाबिल तजवीज़के है—

तो अदालत ऐसे अम्रमें उसी तरह फ़ैसला सादिर करैगी जैसे मामूली मुक़द्दमों में करती है और जो फ़ैसला हस्ब मज़कूरवाला सादिरहो उसके मुताबिक़ डिगरी सादिर होगी—

आर्डर ३७

ज़ाब्ता सरसरी निस्बत दस्तावेज़ात क़ाबिल ख़रीद व फ़रोख़्त

१—आर्डर हाज़ा सिर्फ़ अदालत हाय मुफ़स्सिलै ज़ैलसे मुतअ़ल्लिक़है:— दफ़ा

तअ़ल्लुक़ आर्डर हाज़ा

(अलिफ़) अदालत हाय हाईकोर्ट मुक़ाम फ़ोर्ट विलियम और मदरास और बम्बई—

(बे) अदालत चीफ़कोर्ट व दरबला—

(जीम) अदालत जुडीशल कमिश्नर सिन्ध—और

(दाल) दीगर अदालतों से जिनसे दफ़ात ५३२ लग़ायत ५३७ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी सन् १८८२ ई० मुतअ़ल्लिक़ की गई हैं—

४ मन २ ई० .३६ २-(१) जुम्ला नालिशात बरबिनाय बिल्आफ एक्स चेंज या हुण्डी या परामेसरी नोट जिनमें मुद्दई इस आर्डरके बमूजिब कार्रवाई होना चाहताहै इसतरह दायर कीजासक्तीहैं कि अर्ज़ीदावा नमूना मुक़र्रराके मुताबिक़ दाखिल कियाजाये मगर सम्मन उस नमूनाके मुताबिक़ होना चाहिये जो इपन्डिक्स (वे) के नम्बर ४ में मुन्दर्ज है या किसी और नमूनाके मुताबिक़ जो वक़्तन् फवक़्तन् तजवीज़ कियाजाये-

इजराय नालिशात सरसरी बरबिनाय बिलआफ एक्स चेंज वगैरह

(२) जिस मुक़द्दमा में अर्ज़ीदावा और सम्मन मुताबिक़ नमूनाजात मुतज़िकरै बालाकेहों मुद्दआअलेहको हाज़िर होने या जवाबदिही करनेका इस्तहक़ाक़ न होगा तावक़्ते कि वह इजाज़त हाज़िरी और जवाबदिही की हस्ब मुतज़िकरै आयन्दा किसी जजसे हासिल न करे और अगर मुद्दआअलेह ऐसी इजाज़त हासिल न करे या इजाज़त लेकर उसके बमूजिब हाज़िर और जवाबदिह न हो तो यह समझा जायगा कि उसने बयानात अर्ज़ीदावा तसलीम करलिये और मुद्दई मुस्तहक़ होगा कि बाबत उस क़दर मुबलिगके जो तादाद मुन्दर्जे सम्मन से ज्यादा न हो मयेसूद ब शरह मुसर्रहे (अगर कुछहो) लगायत तारीख डिगरी और नीज उस क़दर ज़र खर्चाके जो मुक़र्रर करदियाजाये-डिगरी हासिलकरे बजुज़ उस सूरतके कि मुद्दई उस तादाद मुक़र्ररा से ज्यादाका दावेदारहो इस सूरत में ज़र खर्चा बतौर मामूली मुतअय्यन कियाजायगा और जायज़है कि ऐसी डिगरी फौरन जारी कराईजाये-

(२) जायज़है कि इजाज़त मज़कूर बिलापाबन्दी शरायतके दीजाये या बपाबन्दी शरायत निस्बत अदखाल जरके अदालत में य निस्बत अदखाल जमानत और तरतीब वतहरीर वाक़ियात तनक़ीह तलबके या निस्बत दीगर अमूरके जो अदालतको मुनासिब मालूमहों—

४—अदालतको इख़्तियारहै कि बाद सदूर डिगरीके डिगरीको सूरत हायखास में मुस्तर्द करदे और अगर जरूरतहो उसके इजराको मुल्तवी रक्खे या खारिजकरै—और अगर अदालतकी दानिस्तमें ऐसा करना माकूलहो तो मुद्दआअलेहको इजाजत वास्ते अहजार दरुजिब हुक्म सम्मन और करने जवाबदिही मुक़दमाके व पाबन्दी ऐसी शरायतके अताकरे जो अदालतको मुनासिब मालूमहों— दफ़ा ५३४

इख़्तियार निस्बत मुस्तर्द करने डिगरीके

५—हर कार्रवाई मज़कूरै आर्डर हाज़ामें अदालतको ऐसा हुक्म सादिर करना जायज़ होगा कि बिल्आफ एक्स चेंज या हुण्डी या नोट जिसपर मुक़दमा मुबनीहो फ़ौरन् अदालतके किसी अहलकारकी तहवीलमें रक्खाजाये और नीज़ यह हुक्म सादिर करना जायजहै कि जबतक मुद्दई मुक़द्दमाके खर्चोंकी बाबत जमानत दाखिल न करै मुक़द्दमाकी तमाम कार्रवाई मुलतवी रक्खीजाये— दफ़ा ५३५

इख़्तियार निस्बत हुक्म सादिर करनेके कि बिलआफ़ एक्स चेंज वग़ैरह अदालतके किसी अहलकारकी तहवील में रक्खा जाय

६—क़ाबिज हर बिल्आफ एक्स चेंज या परामेसरी नोटका जिसके सकारने या अदा करने से इन्कार हुआहो वास्ते दिलापाने उन इखराजातके जो उसके न सकारे जाने या न अदा कियेजाने को लिखा देने में या और तौरपर बवजह न सकारने या न अदा करनेके आयद हुयेहों उसी सबील से वसूल करसकेगा जिस सबील से तादाद बिल या नोट मजकूरकी आर्डर हाज़ाके मुताबिक़ वह वसूल करसक्ताहै— दफ़ा ५३६

वसूलयाबी उस खर्चा की जो किसी बिलआफ़ एक्स चेंज या परामेसरी नोटके मुतअल्लिक़ इस प्रकी तहरीरमें आयद हुआहो कि वह सकारा नहीं गया या अदा नहीं कियागया

७—बइस्तस्नाय उन शरायतके जो आर्डर हाज़ामें मुन्दर्ज हैं उन नालिशात में जो इस आर्डरके मुताबिक रुजूअ कीजायें वही कार्रवाई होगी जो उन नालिशात में होती है जोकि मामूली तरीक़ेपर दायर होतीहैं— दफ़ा ५३७

कार्रवाई नालिशात

आर्डर ३८

गिरफ़्तारी और कुर्क़ी क़ब्ल फ़ैसला

गिरफ़्तारी क़ब्ल फ़ैसला

दफ़ा ४७७

वह सूरत जिसमें मुद्दआअलेह से हाज़िरी की ज़मानत तलब हो सक्ती है

१—अगर मुक़द्दमा की किसी नौबत में बशर्ते कि वह मुक़द्दमा अज़ किस्म मुक़द्दमात मुतज़क्किरे फ़िक़रह (अलिफ) लगायत (दाल) दफ़ा १६ के न हो—अदालत को अज़रूय तहरीरी बयान हलफ़ी या बतौर दीगर इस बात का इतमीनान होजाय कि—(अलिफ) मुद्दआअलेह बइरादा मुद्दई को देर लगाने के या किसी हुक्मनामा अदालत की तामीलसे गुरेज़ करने के लिये या बग़रज़ होने मज़ाहिमत या तवक़्क़ुफ़ के किसी डिगरी के इजरा में जो आयन्दा उस पर सादिर हो—

(१) रूपोश होगया है या अदालत के इलाक़े की हदूद अरज़ी से चलागया है—या

(२) यह कि रूपोश होनेको या अदालत के इलाक़े की हदूद अरज़ी से चलेजाने को है—या

(३) यह कि उसने अपने मालको या उसके किसी जुज़्व को मुन्तक़िल करदिया है या अदालत के इलाक़े की हदूद अरज़ी से निकाल दिया है—या

(बे) यह कि मुद्दआअलेह बृटिश इण्डिया से ऐसे हालात में चलेजानेको है जिस से बवजह माक़ूल यह गुमान ग़ालिब होताहै कि मुद्दई को उस डिगरी के इजराय में जोकि मुद्दआअलेह पर उस मुक़द्दमा में सादिर कीजाय मज़ाहिमत होगी या उसमें तवक़्क़ुफ़ पड़ेगा या मज़ाहिमत हो या तवक़्क़ुफ़ पड़े—

तो अदालत मजाज़ होगी कि एक वारन्ट इस मज़मून से सादिर करे कि मुद्दआअलेह गिरफ़्तार होकर अदालत में हाज़िर लायाजावे ताकि वह वजह इस बातकी ज़ाहिर करे कि उससे हाज़िर आनेकी ज़मानत क्यों न लीजावे—

मगर शर्त यह है कि मुद्दआअलेह गिरफ़्तार न किया जायेगा अगर ओहदेदार तामील कुनिन्दा वारन्ट को कोई रक़म मुसर्रहे वारन्ट जो मुद्दई के दावेकी बेबाकी के लिये काफ़ी हो अदा करदे—और रक़म मज़कूर अदालत में अमानतन् जमा रहेगी जबतक कि नालिश फ़ैसल न होजाये या अदालत कोई हुक्म मज़ीद सादिर न करै—

जमानत

२—(१) अगर मुद्दआअलेह वजह काफ़ी पेश न करसके तो अदालत को लाज़िम होगा कि उसे इस अम्रका हुक्म दे कि वह अदालत में ज़र नक़्द या और जायदाद उस दावा के ईफ़ाय के लायक़ जो उस पर कियागया है दाख़िल करै या ज़ामिनी इस बात की दे कि वह किसी वक़्त अय्याम दौरान मुक़द्दमा में तारीख़ ईफ़ाय डिगरी के उसपर उस मुक़द्दमा में सादिरहो इन्दुल् तलब हाज़िर होगा या उस रक़म की निस्बत जो मुद्दआअलेह ने अज़रूय इबारत शर्तिया क़ायदा अख़ीर मुतहक़ा बाला अदा की हो ऐसा हुक्म सादिर करै जो उसके नज़दीक मुनासिबहो— दफ़ा ४७९

(२) मुद्दाअलेह का हर हाज़िर ज़ामिन ज़िम्मेदार इस बातका होगा कि दरसूरत अदम हाज़िरी उसके उस क़दर रुपया दाख़िल करै जिस क़दर मुक़द्दमा में मुद्दआअलेह को अदा करने का हुक्महो—

कार्रवाई जब हाज़िर ज़ामिन अपनी बरीउल् ज़िम्मगी के लिये दरख़्वास्त दे

३—(१) मुद्दआअलेह के हाज़िर ज़ामिन को इख़्तियार होगा कि जिस वक़्त चाहे उस अदालत में जिसमें उसका जमानतनामा दाख़िल हुआहो अपने बरीउल् ज़िम्मा होने की दरख़्वास्त दे— दफ़ा ४८०

(२) जब ऐसी दरख़्वास्त गुज़रै तो अदालत को लाज़िम होगा कि मुद्दआअलेह के इहज़ार के लिये सम्मन या अगर मुनासिब समझै पहिलेही से वारन्ट गिरफ़्तारी सादिर करै—

(३) जब मुद्दआअलेह सम्मन या वारन्ट के बमूजिब या अज ख़ुद हाज़िरहो अदालत यह हुक्म सादिर करेगी कि ज़ामिन ज़मानतसे बरीउल्ज़िम्मा कियाजाये और मुद्दआअलेह से जमानत जदीद तलबहो—

दफ़ा ४८१

कार्रवाई जब मुद्दआअलेह हाज़िर ज़ामिनी या ज़मानत ज़र्दाद न देसके

४–जो हुक्म बमूजिब क़ायदा २ या ३ के सादिर हो अगर उस की बजाआवरी में मुद्दआअलेह क़ासिर रहे तो अदालत मजाज़ होगी कि मुद्दआअलेह को ता इन्फ़िसाल मुक़द्दमा या अगर डिगरी खिलाफ़ मुद्दआअलेह सदूर पाये तो इजराय डिगरी तक जेलखाना दीवानी में भेजदे—

मगर शर्त यह है कि इस क़ायदा के बमूजिब कोई शख़्स किसी हाल में छः महीने से ज़्यादा अर्से के लिये क़ैद न किया जायेगा और न छः हफ़्ता से ज़्यादा अर्से के लिये उस हाल में कि तादाद या मालियत शै मुतदाविया की पचास रुपया से ज़्यादा न हो–

नीज़ शर्त यह है कि कोई शख़्स इस क़ायदा के बमूजिब बाद इसके कि वह हुक्म की तामील करदे क़ैद में रक्खा जायगा–

क़ुर्क़ी क़ब्ल फ़ैसला

दफ़ा ४८२

दफ़ा ४८४

किस सूरत में मुद्दआअलेह से ज़मानत वास्ते पेश करने जायदाद के तलब हो सकती है

५-(१) अगर मुक़द्दमा की किसी नौबत में अदालत को तहरीरी बयान हल्फ़ी से या बतौर दीगर इसबात का इतमीनान होजाय कि मुद्दआअलेह हर्ज डालने या तवक़्क़ुफ़ की नीयत से किसी डिगरी के इजराय में जो उस पर सादिर हो–

(अलिफ़) अपनी कुल जायदाद या उसके किसी जुज़्व को मुन्तक़िल करने को है–या

(२) दरख्वास्त में तफ़सील जायदाद कुर्की तलब और क़ीमत तख-मीनी जायदाद मज़कूरकी दर्ज कीजायेगी इल्ला उस सूरत में कि अदालत उसके खिलाफ़ हिदायतकरे—

(३) नीज़ अदालत उस हुक्ममें कुर्की शर्तिया कुल या जुज़्व जाय-दाद मुसर्रहे दरख्वास्तकी हिदायत करसक्ती है—

६—(१) अगर मुद्दआअलेह अन्दर मीयाद मुअय्यना अदालतके वजह न दाखिल करने ज़मानतकी ज़ाहिर न करसके या ज़मानत मतलूबा दाखिल करने से क़ासिररहै तो अदालतको इख्तियार इसदार इसहुक्मका हासिलहै कि जायदाद मुसर्रहे दरख्वास्त या किसी क़दर मिन्जुम्ला उसके जो वास्ते ईफाय डिगरीके जो मुक़द्दमा में सादिरहो काफ़ी मुतसव्वरहो कुर्क कीजाये— दफ़ा ४८५

कुर्की अगर वजह न दिखाईजाये या ज़मानत न दाखिल कीजाये

(२) अगर मुद्दआअलेह ऐसी वजह ज़ाहिरकरै या ज़मानत मतलूबा दाखिलकरै और जायदाद मुसर्रहे दरख्वास्त या किसी क़दर मिन्जुम्ला उसके कुर्क हुईहो तो अदालतको लाज़िम है कि हुक्म बरखास्तगी कुर्की या कोई और हुक्म जो उसके नज़-दीक मुनासिबहो सादिरकरै—

७—बजुज़ इस सूरतके कि साफ़ तौरपर बनिहज दीगर हुक्महो कुर्की उस तरह होगी जिसतरह बइल्लत इजराय डिगरीके जा-यदादकी कुर्कीके लिये हुक्म है— दफ़ा ४८६

तरीक़ा कुर्क करने का

८-अगर कोई दावा निस्बत किसी जायदादके जो क़ब्ल फ़ैसलाके कुर्कहो पेशहो तो तहक़ीक़ात ऐसे दावाकी बमूजिब उस क़ायदाके जो क़ब्ल अर्ज़ी इस मजमूआमें बाबत तहक़ी-क़ात दआवी मुतअल्लिक़ा जायदाद मक़रूका बइल्लत इजराय डिगरी ज़रनक़दके मुक़र्ररहै अमलमें आयेगी— दफ़ा ४८७

तहक़ीक़ातदावा निस्बत उस जायदादके जो क़ब्ल सदूर फ़ैसला कुर्क हुईहो

९—जब हुक्म कुर्कीका क़ब्ल सदूर फ़ैसला सादिरहो अदालतको ला-ज़िमहै कि जब ज़मानत मतलूबा मये ज़मानत खर्चा कुर्की मिनजानिब मुद्दआअलेह दाखिलहो या मुक़द्दमा डिसमिस कियाजाये कुर्की बरखास्त करे— दफ़ा ४८८

बरखास्तगी कुर्की जब ज़मानत दाखिल की-जाये या मुक़द्दमा खा-रिजहो

१०—कुर्की क़ब्ल फ़ैसला उन हक़ूक़पर मवस्सर न होगी जो कुर्कीसे दफ़ा ४८९

कुर्की कब्ल फ़ैसला मुकद्दमा अशखास गैर फ़रीक़ मुकद्दमाके हक़ूक़को मुखिल न होगी और न डिगरीदारको दरख्वास्त नीलाम देनेसे बाज़ रक्खेगी।

पहले उन अशखासकेहों जो फ़रीक़ मुक़द्दमा नहीं हैं और न मानअ इस बातकी होगी कि कोई शख्स जिस को डिगरी बनाम मुद्दआअलेह हासिल हुईहो बज़रिअत इजरा उस डिगरीके उस जायदाद मकरूक़ाको नीलाम करानेकी दरख्वास्तकरे—

दफ़ा ४९० ११—जब जायदाद इस आर्डरके अहकामके बमूजिब जेर कुर्कीहो और

जो जायदाद कब्ल फ़ैसला कुर्क हुईहो फिर इजराय डिगरीमें कुर्क न होगी

बिनाबाद डिगरी मुद्दईके हक़में सादिर कीजाये तो दरख्वास्त इजराय डिगरी मज़कूर में उस जायदाद को दुबारा कुर्क करनेकी इस्तदुआ करना ज़रूर न होगा—

नया १२—इस आर्डरके किसी मज़मून से यह समझना चाहिये कि मुद्दई

पैदावार जराअत कब्ल कटनेके कुर्क न होसकेगी।

उस पैदावार ज़राअतकी कुर्कीके लिये दरख्वास्त दे सकता है कि जो किसी शख्स ज़राअत पेशाके क़ब्ज़ेमें हो या कि अदालतको यह इख्तियार है कि पैदावार मज़कूरकी कुर्की या उसको हाज़िर करनेका हुक्मदे—

आर्डर ३९

अहकाम इम्तिनाई चंदरोज़ह और अहकाम दरमियानी

अहकाम इम्तिनाई चंदरोज़ह

के लिये अपनी जायदाद हटा देने या इन्तिक़ाल करनेकी धमकी देताहै या नीयत रखताहै—

तो अदालत मजाजहै कि हुक्म इम्तिनाई चंदरोजह वास्ते बाज़ रहने मुद्दआअलेहके उस फेलसे सादिरकरे या जायदादकी बरबादी या नुक़सान या इन्तिक़ाल या नीलाम या हटादेने या अलाहिदगीके इन्सदाद और मौक़ूफ करने के लिये तावक़्ते कि मुक़द्दमा फैसल न हो या कोई हुक्म मज़ीद सादिर न हो जो हुक्म मुनासिब समझै सादिरकरे—

२-(१) जिस मुक़द्दमा में कि मुद्दआअलेहको इरतिकाब अहद शिकनी या और मुज़र्रत से बाज़ रखने की इस्तदुआहो आम इससे कि उसमें दावा किसी क़दर मआविज़ा का हो या न हो उसमें जायज होगा कि मुद्दई किसी वक़्त बाद शुरूअ होने नालिशके और फैसलाके क़ब्ल या बाद अदालत में दरख़्वास्त गुज़रानै कि हुक्म-इम्तिनाई चंदरोज़ह मशअर इस मज़मूनके सादिरहो कि मुद्दआअलेह इरतिकाब अहद शिकनी या उस ज़ररसे जिसका इस्तगासा है या इरतिकाब किसी अहद शिकनी या ज़रर उसी क़िस्म से जो उस मआहिदा से पैदाहो या उसी जायदाद या हक़से मुतअल्लिक़हो बाज़ रक्खाजाये— दफ़ा ४६२

हुक्म इम्तिनाई निस्बत दरबारे इरतिकाब या जारी रखने इरतिकाब अहद शिकनी

(२) अदालत इस बातकी मजाजहोगी कि हुक्म इम्तिनाई मज़कूर ऐसी शरायतके साथ सादिरकरे जो उसको इस बाबमें कि हुक्म इम्तिनाई किस मीयादतक होना चाहिये और हिसाब मुरत्तिब रक्खाजाये या जमानत दाख़िल करलीजाये या दो बाब दीगर अमूर मुनासिब मुतसव्वरहों—

(३) दरसूरत अदूल हुक्मी या ख़िलाफवर्ज़ी शरायत मजकूरके अदालत सादिरकुनिन्दा हुक्म इम्तिनाई यह हुक्म देसक्ती है कि शख़्स क़सूरवार अदूलहुक्मी या ख़िलाफवर्ज़ी मज़कूरकी जायदाद कुर्क़ कीजाये और नीज यह हुक्म देसक्ती है कि वह दीवानी जेलख़ाना में उस मीयादतक क़ैद कियाजाये जो छः महीने से ज़्यादा न हो इल्ला जब कि उस अर्से में अदालत उसकी रिहाईका हुक्मदे—

(४) कोई कुर्क़ी जो इस क़ायदाकी बमूजिबहो एक सालसे ज़्यादा

बव फ़रीक़ मुक़द्दमा अराज़ी मुद्दाअलहाय नालिश पर क़ब्ज़ा पासका है

मुक़द्दमा में मुतनाज़िआफ़िया हो अगर वह शख़्स जो अराज़ी या हक़ीयत मज़कूर पर क़ाबिज़ हो मालगुज़ारी सर्कार अदा न करे या हक़ीयत के मालिक को लगान वाजिब न दे यानी जैसी सूरत हो और उस अराज़ी या हक़ीयत के नीलाम का इस सबब से हुक्म होजाये तो जायज़ है कि कोई और फ़रीक़ मुक़द्दमा जो अराज़ी या हक़ीयत मज़कूर में कुछ इस्तहक़ाक रखने का दावेदार हो ज़र मालगुज़ारी या ज़र लगान जिस क़दर नीलाम से पहले वाजिबुल अदा हो अदाकरके (बअदख़ाल या बिला अदख़ाल ज़मानत यानी जैसा कि अदालत तजवीज़ करे) फ़ौरन् अराज़ी या हक़ीयत मज़कूर पर क़ब्ज़ा दिलापाये—

और अदालत को इख़्तियार है कि अपनी डिगरी में तादाद ज़रअदाशुदः मज़कूर बाक़ीदार के ज़िम्मे डाले मयसूद बमूजिब उस शरह के जो अदालत को मुनासिब मालूम हो या तस्फ़िया हिसाब के वक़्त जिसके तस्फ़िये का हुक्म डिगरी में जो मुक़द्दमा में सादिर हो दर्ज हुआ हो रक़म अदाशुदः हस्ब मज़कूर बाक़ीको मये उस क़दर सूद के जो अदालत को दिलाना मंज़ूर हो हिसाब में मुजरा दे—

(अलिफ) कोई मोहतमिम किसी जायदादके लिये ख्वाह क़ब्ल या बाद डिगरी मुक़र्ररकरै—

(बे) किसी शख़्सको क़ब्ज़ा या हिरासत जायदाद मज़कूर से बरतरफ करदे—

(जीम) और जायदाद मजकूर को वास्ते क़ब्ज़ा या हिरासत या इन्तिज़ामके मोहतमिम मज़कूरके सिपुर्दकरै—और

(दाल) उस मोहतमिमको वह तमाम इख़्तियारात दरबाब रुजूअ और जवाबदिही नालिशात और बग़रज दस्तयाबी और इन्तिज़ाम और हिरासत और क़याम और तरक़्क़ी जायदाद और तहसील जर किराया या लगान और मुनाफा जायदाद और उसके सर्फ करने और किसी काममें लगाने के और दरबाब तहरीर दस्तावेज़ातके जो ख़ुद मालिक को हासिलहों या उनमें से वह इख़्तियारात जो अदालतके नज़दीक मुनासिब मालूमहों अताकरै—

(२) इस क़ायदाकी किसी इबारत से अदालतको यह इजाज़त नहीं है जिस शख़्सको कोई फरीक़ मुक़द्दमा बिल्फेल जायदाद से अलाहिदा करनेका हक नहीं रखताहै उसे जायदादके क़ब्ज़े या हिरासत से अलाहिदा करदे—

हक़्क़ुल ख़िदमत | २—अदालत आम या ख़ास हुक्मके ज़रिये से वह तादाद ज़र मुक़र्रर करसकती है जो मोहतमिमको बतौर हक़्क़ुल ख़िदमत दीजायेगी— दफा ५०३

ख़िदमत | ३—हर मोहतमिमको जो इस तौरपर मुक़र्रर कियाजाये लाज़िमहै कि— दफा ५०३

(अलिफ) ऐसी जमानत (अगर कोईहो) दाख़िलकरे जो अदालत इस गरजके लिये मुनासिब समझै कि जायदादकी बाबत उसको जो कुछ वसूलहो उसका हिसाब हस्ब ज़ाब्तादे—

(बे) अपना हिसाब ऐसे औक़ातपर और मुवाफिक ऐसे नमूनों के मुरत्तिब करके दाख़िलकरै जिस तरह अदालत हिदायत करै—

(जीम) जो बाक़ी हिसाबकी रूसे बज़िम्मे उसके बरामदहो हस्ब हिदायत अदालत हवाले करदे—

(दाल) अगर कुछ नुक़सान जायदादको उसके कसूर बिल्अमद या गफलत अशदसे पहुंचे उसका ज़िम्मेदारहै—

जदीद ४—

तामील ज़िम्मेदारी मोहतमिम

अगर मोहतमिम

(अलिफ) औक़ात मज़कूरपर और नमूनाजात मज़कूरके मुताबिक़ हस्ब हिदायत अदालत अपना हिसाब पेश न करे—

(बे) तादाद ज़र जो उसके ज़िम्मेहो हस्बुल्हुक्म अदालत जमा न करे—या

(जीम) क़सूर बिल्अमद या गफलत अशदसे जायदादको नुक़सान पहुंचाये—

तो अदालत उसकी जायदाद की कुर्की का हुक्म देसक्ती है और जायदाद मज़कूर को नीलाम करसक्ती है और हासिल नीलाम से तादाद ज़िम्मगी मोहतमिम या कोई और नुक़सान पूरा करसक्ती है जो उसके सबब से आयद हुआहो और अगर कुछ बाक़ी बचेगा वह मोहतमिम को देदेगी—

दफ़ा ५०४

जब साहब कलक्टर मोहतमिम मुक़र्रर होसक्ता है

५—अगर जायदाद मज़कूर अराज़ी मालगुज़ार सर्कार या ऐसी अराज़ी हो जिसकी मालगुज़ारी मुन्तक़िल कीगई हो या बग़रज़ मुआफ़िज़ा के छोड़ दीगई हो और अदालत के नज़दीक साहब कलक्टर के इहतिमाम में रहने से उन अशख़ास का फ़ायदा मुतसव्वर हो जिनको उससे तअल्लुक़ है तो अदालत मजाज़ होगी कि बरज़ामन्दी साहब कलक्टर उसको जायदाद मज़कूर का मोहतमिम मुक़र्रर करे—

नमूना अपील-याद-दाश्त अपील के साथ क्या क्या दाखिल होगा

कियाजाये जिसपर अपीलांट या उसके वकील के दस्तखत सिब्त हों और अदालत या ओहदादार मुकर्रेरा अदालत के रूबरू गुज़राना जाये और याददाश्त मज़कूरके साथ नक़्ल डिगरी जिसकी नाराजी से अपील हो और (अगर अदालत अपील उससे दरगुज़र न करे) तो नक़्ल तजवीज़ की जिसपर वह मुबनी हो दाखिल करनी होगी—

(२) उस याददाश्त में वजूहात नाराजी उस डिगरी की जिसकी

मजमून याददाश्त

निस्बत अपील हो इबारत मुख़्तसिर और दफावार बिला तहरीर किसी हुज्जत या हिकायत के लिखी जायेंगी और वजूहात मज़कूर पर नम्बर सिलसिलावार सिब्त होगा—

२—अपीलांट को लाज़िम है कि सिवाय बइजाजत अदालत कोई ऐसी दफा ५४२

वजूहात जो अपील में पेश कीजासक्ती हैं

वजह नाराज़ीकी बयान न करै न किसी ऐसी वजहकी ताईद में उसका बयान समाअत किया जायेगा जो याददाश्त अपील में दर्ज न कीगई हो—मगर अदालत अपील अपील के फ़ैसल करने में उन्हीं वजूह नाराजी की पाबन्द न होगी जो याददाश्त अपील में दर्ज कीजायें या जो इस कायदा की रू से अदालत की इजाज़त से पेशकीजायें—

नीज शर्त यह है कि अदालत अपील अपनी तजवीज़ किसी दूसरी वजह पर न क़ायम करेगी इल्ला उस हालमें कि उस फरीक़को जिसके खिलाफ में फैसलाहो मौक़ा काफी मुकद्दमाकी निस्बत उस वजहपर जवाब देनेका मिलचुकाहो—

३—(१) अगर याददाश्त अपील उस तौरपर जोकि क़ब्ल अर्जी ब- दफा ५४३

याददाश्त अपील की नामञ्जूरी या तरमीम

यान कियागयाहै मुरत्तिब न हो तो जायजहै कि वह नामंजूर कीजाये या अपीलांटको इसवास्ते वापस कीजाये कि उसकी तरमीम मीयाद मुअय्यना अदालतके अन्दरहो या उसीजगह और उसी वक्त उसकी तरमीम कीजाये—

(२) जब कि अदालत किसी याददाश्तको ना मंजूरकरै तो उसको वजूह नामंजूर की क़लमबन्द करनी होगी—

(३) जब कोई याददाश्त अपील तरमीम कीजाये तो जज या वह

ओहदादार जिसको जज उस कामके लिये मुकर्ररकरे इबारत तरमीमीपर अपने दस्तख़त या मुख़्तसिर दस्तखत सिब्तकरेगा—

दफ़ा ५४४ ४— अगर किसी मुक़द्दमा में एक से ज़्यादा मुद्दई या मुद्दआअलेहहों

कोई शख़्स मिन्जुम्ला चंद मुद्दइयान या मुद्दआअलेहुम् कुल डिगरी मन्सूख़ करासक्ताहै अगर डिगरी किसी ऐसी वजह पर मुबनीहो जो उनसब पर यकसां मवस्सरहो।

और डिगरी जिसका कि अपीलहो ऐसी वजहपर मुबनीहो जो तमाम मुद्दइयान या तमाम मुद्दआअलेहुम् पर यकसां मवस्सरहो तो कोई शख़्स मिन्जुम्ला मुद्दइयान या मुद्दआअलेहुम् के कुल डिगरी की निस्बत अपील करसक्ताहै और वरतवक़ उसके अदालत अपील मजाज होगी कि डिगरीको कुल मुद्दइयान या मुद्दआअलेहुम् के हक़में यानी जैसी कि सूरतहो मन्सूख या मुबद्दलकरे—

कार्रवाई व इजराय डिगरीका इल्तुवा

५-(१) कार्रवाई डिगरी या हुक्मकी जिसकी नाराजी से अपील

इल्तुवा मन तरफ़ अदालत मातहत

दायर हुआहो अपीलकी वजहसे मुलतवी नहीं कीजायेगी बजुज उस क़दरके जिसकी बाबत अदालत हुक्म दे और न इजरा किसी डिगरीका सिर्फ उस वजह से कि उसकी नाराजी से अपील दायरहुआ मुल्तवी कियाजायेगा मगर अदालत अपील मजाज होगी कि दरसूरत पाये जाने वजह काफीके हुक्म मुल्तवी करने इजराय डिगरी मज़कूरका सादिरकरे—

(बे) दरख़्वास्त बिलादिरङ्ग ना मुनासिबके गुजरी है-और
(जीम) सायलने वास्ते तामील क़रार वाक़ई उस डिगरी या हुक्म के जो बिल्आख़िर उसके जिम्मे वाजिबुल् तामील होसक्ता है ज़मानत दाख़िल करदी है-

(४) बातरफ़ मज़मून क़ायदा तहती (३) अदालत मजाज होगी कि दौरान समाअत दरख़्वास्तमें हुक्म यकतर्फ़ा वास्ते इलतुवा इजरा सादिरकरै—

जमानत वास्ते इजराय डिगरी जेर अपीलके

६-(१) अगर कोई हुक्म वास्ते इजरा ऐसी डिगरीके सादिरहो जिसकी नाराज़ी से अपील दायरहो और अपीलांट वजह काफी जाहिरकरै तो अदालत सादिर कुनिन्दा डिगरी को लाज़िम होगा कि बमुराद इतमीनान वापसी उस जायदादके जो सीगा इजराय डिगरी में लेलीजाये या लेलीगईहो या इतमीनान अदाय मालियत जायदाद मजकूरके और नीज वास्ते तामील क़रार वाक़ई डिगरी या हुक्म अदालत अपीलके जमानतले या अदालत अपील मजाज होगी कि वैसीही वजह से अदालत सादिर कुनिन्दा डिगरीको ज़मानत लेनेकी हिदायतकरै- दफा ५४

(२) जिस हालमें कि बइल्लत इजराय डिगरी हुक्म नीलाम जायदाद गैर मन्कूलाका होचुकाहो और बनाराज़ी उस डिगरीके अपील दायरहो तो ताफ़ैसला अपील मद्यून डिगरीकी दरख़्वास्त अदालत सादिर कुनिन्दा हुक्ममें गुज़रनेपर नीलाम उन शरायतपर मुलतवी रहेगा जो दरबाब अदख़ाल जमानत या दीगर तौरपर अदालत सादिर कुनिन्दा डिगरीकी दानिस्तमें मुनासिबहों-

जमानत सर्कार या ओहदेदार सर्कार से बाज सूरतों में तलब न की जायेगी

७-ऐसी कोई जमानत जिसका जिक्र क़वायद ५ व ६ में मुन्दर्ज है जनाब सेक्रेटरी आफ इस्टेट बहादुर हिन्द इजलास कौंसिलसे या जब गवर्नमेन्टने जवाबदिही मुकद्दमा की अपने ज़िम्मेलीहो किसी ओहदेदार सर्कारसे जिसपर नालिश दरबिनाय किसी फेलके दायरहो जो उसकी खिदमत मन्सबीके अंजाम देने में वाके होना जाहिर कियागयाहो तलब न कीजायेगी-

ओहदादार जिसको जज उस कामके लिये मुक़र्ररकरे इबारत तरमीमीपर अपने दस्तख़त या मुख़्तसिर दस्तख़त सब्तकरेगा—

दफ़ा ५४४ ४— अगर किसी मुक़द्दमा में एक से ज़्यादा मुद्दई या मुद्दआअलेहहों और डिगरी जिसका कि अपीलहो ऐसी वजहपर मुबनीहो जो तमाम मुद्दइयान या तमाम मुद्दआअलेहुम् पर यकसां मवस्सरहो तो कोई शख़्स मिनजुम्ला मुद्दइयान या मुद्दआअलेहुम् के कुल डिगरी की निस्बत अपील करसक्ताहै और वरतवक़ उसके अदालत अपील मजाज होगी कि डिगरीको कुल मुद्दइयान या मुद्दआअलेहुम् के हक़में यानी जैसी कि सूरतहो मन्सूख़ या मुबद्दलकरे—

कोई शख़्स मिनजुम्ला चंद मुद्दइयान या मुद्दआअलेहुम कुल डिगरी मन्सूख़ करासक्ताहै अगर डिगरी किसी ऐसी वजह पर मुबनीहो जो उनसब पर यकसां मवस्सरहो।

कार्रवाई व इजराय डिगरीका इल्तवा

५—(१) कार्रवाई डिगरी या हुक्मकी जिसकी नाराज़ी से अपील दायर हुआहो अपीलकी वजहसे मुलतवी नहीं कीजायेगी बजुज़ उस क़दरके जिसकी बाबत अदालत हुक्म दे और न इजरा किसी डिगरीका सिर्फ़ उस वजह से कि उसकी नाराज़ी से अपील दायरहुआ मुल्तवी कियाजायेगा मगर अदालत अपील मजाज़ होगी कि दरसूरत पाये जाने वजह काफ़ीके हुक्म मुल्तवी करने इजराय डिगरी मज़कूरका सादिरकरे—

मुराफ़ा बतरफ़ ना-ज़ाब्ता नहीं

(बे) दरख़्वास्त बिलादिरङ्ग ना मुनासिबके गुजरी है—और

(जीम) सायलने वास्ते तामील क़रार वाक़ई उस डिगरी या हुक्म के जो बिलूआखिर उसके जिम्मे वाजिबुल् तामील होसक्ता है ज़मानत दाखिल करदी है—

(४) बावस्फ मज़मून क़ायदा तहती (३) अदालत मजाज़ होगी कि दौरान समाअत दरख़्वास्तमें हुक्म यकतर्फा वास्ते इलतुवा इजरा सादिरकरै—

६—(१) अगर कोई हुक्म वास्ते इजरा ऐसी डिगरीके सादिरहो दफ़ा ५४६

ज़मानत वास्ते इजराय डिगरी ज़ेर अपीलके

जिसकी नाराजी से अपील दायरहो और अपीलांट वजह काफी जाहिरकरै तो अदालत सादिर कुनिन्दा डिगरी को लाजिम होगा कि बमुराद इतमीनान वापसी उस जायदादके जो सीगा इजराय डिगरी में लेलीजाये या लेलीगईहो या इतमीनान अदाय मालियत जायदाद मज़कूरके और नीज़ वास्ते तामील क़रार वाक़ई डिगरी या हुक्म अदालत अपीलके जमानतले या अदालत अपील मजाज़ होगी कि वैसीही वजह से अदालत सादिर कुनिन्दा डिगरीको ज़मानत लेनेकी हिदायतकरै—

(२) जिस हालमें कि बइल्लत इजराय डिगरी हुक्म नीलाम जायदाद गैर मन्कूलाका होचुकाहो और बनाराजी उस डिगरीके अपील दायरहो तो ताफैसला अपील मदयून डिगरीकी दरख़्वास्त अदालत सादिर कुनिन्दा हुक्ममें गुज़रनेपर नीलाम उन शरायतपर मुलतवी रहेगा जो दरबाब अदखाल जमानत या दीगर तौरपर अदालत सादिर कुनिन्दा डिगरीकी दानिस्तमें मुनासिबहों—

७—ऐसी कोई जमानत जिसका जिक्र क़वायद ५ व ६ में मुन्दर्ज है

जमानत सर्कार या ओहदेदार सर्कार से बाज़ सूरतों में तलब न की जायेगी

जनाब सेक्रेटरी आफ इस्टेट बहादुर हिन्द इजलास कौंसिलसे या जब गवर्नमेन्टने जवाबदिही मुक़द्दमा की अपने जिम्मेलीहो किसी ओहदेदार सर्कारसे जिसपर नालिश दरबिनाय किसी फेलके दायरहो जो उसकी खिदमत मन्सबीके अंजाम देने में वाक़ै होना जाहिर कियागयाहो तलब न कीजायेगी—

जदीद ८—इख़्तियारात मुन्दर्जा क़वायद ५ व ६ लायक़ निफ़ाज़ हैं अगर अपील

इजराय डिगरीमें कार्रवाईके हुक्मके अपीलमें इख़्तियारातका निफ़ाज़

बनाराज़ी डिगरीके नहीं मगर बनाराज़ी उस हुक्मके दायर हो या दायर होचुकाहो जो डिगरी मज़कूरके इजराय में सादिर कियागयाहो—

कार्रवाई बरमंज़ूरी अपील

दफ़ा ५४८ ९—(१) अगर याददाश्त अपील दाख़िल होकर मंज़ूर होजाये तो

याददाश्त अपीलका दर्ज रजिस्टर होना

अदालत अपील या ओहदेदार मजाज़ उस अदालत का तारीख़ दाख़िला उसकी ज़ोहरपर सब्त करेगा और अपील मज़कूरको किताब रजिस्टर में जो इस अम्रके वास्ते मुरत्तिब रहेगी दाख़िल करेगा—

(२) किताब मज़कूर रजिस्टर अपील कहलायेगी—

रजिस्टर अपील

उस अदालत में जिसकी डिगरी से अपील कियागयाहै और बगैर जारी करने इत्तिलानामा बनाम रस्पांडन्ट या उसके वकीलके अपील खारिज करदे-

(२) अगर तारीख मुक़र्ररा या किसी और तारीखपर जिसपर समाअत मुल्तवी कीगईहो अपीलांट उस वक्त जब कि अपील समाअतके वास्ते पुकाराजाये हाजिर न हो तो अदालत को इख़्तियारहै कि अपीलके खारिज करनेका हुक्मदे-

(३) इस क़ायदाके बमूजिब अपील खारिज कियेजाने की इत्तिला उस अदालतको भेजी जायेगी जिसकी डिगरी की नाराजीसे अपील हुआहो-

१२-(१) अदालत अपील बजुज उस सूरत के कि हस्ब क़ायदा ११-अपील खारिज किया जाय वास्ते समाअत अपील के एक तारीख मुक़र्रर करेगी— दफ़ा ५५१

तारीख वास्ते समाअत अपील के

(२) वह तारीख बलिहाज काररोजमर्रः अदालत और मसकन रस्पांडन्ट और उस मुद्दतके जो वास्ते इजरा इत्तिलानामा अपीलके ज़रूरहो मुक़र्रर होगी ताकि रस्पांडन्ट को बतारीख मुअय्यना हाजिर होने और अपीलकी ज़बावदिही करने के लिये मुहलत काफी मिले—

१३-(१) अगर रसीद हस्ब क़ायदा ११ खारिज न हो तब अदालत अपील को लाजिम है कि उस अदालत को इत्तिला अपीलकी करे जिसकी डिगरीकी नाराज़ी से अपील हुआहो— दफ़ा ५५०

अदालत अपील उस अदालत को इत्तिला देगी जिसकी डिगरी से अपील हुआहो

(२) अगर अपील किसी ऐसी अदालत की डिगरी की नाराजी से हो जिसके कागजात अदालत अपील में न रहतेहों तो उस अदालत को जिसमें कि इत्तिला मजकूर भेजी गई हो लाजिम है कि जहांतक जल्द मुमकिनहो कुल कागजात ज़रूरी मुक़द्दमा या ऐसे कागज़ात जिनकी निस्बत अदालत अपीलसे तलबी खास हुईहो अदालत अपील में मुरसिल करे—

इरसाल करना कागजात का अदालत अपीलमें

(३) फरीकैन में से कोई फ़रीक़ दरख़्वास्त तहरीरी उस अदालत

नक्ल काग़ज़ात की जो उस अदालत में हो जिसकी डिगरी से अपील हुआहो

में जिसकी डिगरी की नाराज़ी से अपील हुआहो ब-इन्दराज तसरीह उन काग़ज़ात मौजूदा अदालत मज़कूर के जिनकी वह नक़ल कराना चाहताहै पेश करसक्ता है और नक़ूल उन काग़जात की बशर्त सायल मुरत्तिब होकर उसको दीजायेंगी—

दफ़ा ५५३ १४-(१) इत्तिलानामा तारीख़ मुक़र्ररा हस्ब क़ायदा १२ कचहरी

ऐलान और तामील इत्तिलानामा तअय्युन रोज की वास्ते समाअत अपील के

अदालत अपील में आवेज़ां किया जायगा और उसी मजमून का इत्तिलानामा अदालत अपील से उस अदालत में मुरसिल होगा जिसकी डिगरी की नाराज़ी से अपील हुआहो और इत्तिलानामा मज़कूर रस्पांडन्ट या उस के वकील मुतअल्लिक़ा अदालत अपील पर बतरीक़ मुन्दर्जा मजमूआ हाज़ा जो दरबाब तामील सम्मन ऊपर मुद्दआअलेह बग़रज़ इज़हार और जवाबदिही उसकेही जारी होगा और कुल क़वाइद जो सम्मन मज़कूर और कार्रवाई मुतअल्लिक़ा तामील सम्मन से मुतअल्लिक़ हैं इत्तिलानामा मज़कूर की तामील से मुतअल्लिक़ होंगे—

(२) बजाय इसके कि इत्तिलानामा उस अदालत में मुरसिल है

अदालत अपील खुद इत्तिलानामा जारी करसक्ती है

जिसकी डिगरी की नाराज़ी से अपील हुआहो अदालत अपील मजाज़ है कि इत्तिलानामा खुद रस्पांडन्ट या उसके वकील पर बग़ैर अहकाम मुनजिर्रै दाना के जारी कराये—

दफ़ा ५५४ १५-इत्तिलानामा बनाम रस्पांडन्ट मशअर इस बात के होगा कि अगर

मज़मून इत्तिलानामा

वह बतारीख़ मुअय्यना समाअत अपील के अदालत अपील में हाज़िर न होगा तो अपील यकतर्फ़ा सुना जायगा—

कार्रवाई वक़्त समाअत

साअत करेगी और इस सूरतमें अपीलांट तरदीदके जवाब देने का मुस्तहक़ होगा—

१७-(१) अगर तारीख मुक़र्रेरा मज़कूरापर या किसी दूसरी तारीखपर जिसतक मुक़द्दमाकी समाअत मुलतवी रक्खी गईहो अपीलांट जब कि अपील समाअतके वास्ते पुकाराजाये हाजिर न हो तो अदालतको इख़्तियारहै कि अपीलके खारिज करनेका हुक्मदे— दफ़ा ५५६

ख़ारिज कियाजाना अपीलका अदम पैरवीमें

(२) अगर अपीलांट हाजिरहो और रस्पांडन्ट हाजिर न हो तो अपीलकी समाअत यकतर्फ़ा होगी—

अपीलकी समाअत यकतर्फ़ा

१८-अगर तारीख मुक़र्रेरा मज़कूरपर या किसी दूसरी तारीखपर जिसतक मुक़द्दमाकी समाअत मुलतवी रक्खी गईहो यह दरियाफ़्तहो कि इत्तिलानामाकी तामील बनाम रस्पांडन्ट इस वजह से नहीं हुई कि अपीलांटने मीयाद मुअय्यना अदालतके अन्दर तामील इत्तिलानामा का ख़र्चा मतलूबा दाखिल नहीं किया तो अदालत को यह हुक्म देना जायजहै कि अपील खारिजहो— दफ़ा ५५७

खारिज कियाजाना अपीलका अगर इत्तिलानामाकी तामील इस वजह से न हुई हो कि अपीलाटने ख़र्चा नहीं दाखिलकिया

मगर शर्त यह है कि बावजूद इसके कि इत्तिलानामा रस्पांडन्टपर तामील न हुआहो ऐसा हुक्म उस सूरत में सादिर न होगा कि समाअत अपीलके रोज़ मुअय्यनपर रस्पांडन्ट उस वक़्त हाजिरहो जब कि अपील समाअतके लिये पुकाराजाये—

१९-अगर क़ायदा ११ क़ायदा तहती (२) या क़ायदा १७ या १८ के बमूजिब अपील डिसमिसहो अपीलांट मजाज होगा कि वास्ते अदख़ालसानी अपीलके अदालत अपीलमें दरख़्वास्त गुजराने और अगर साबितहो कि जब अपील वास्ते समाअत के पेश हुआ था उसवक़्त वह हाज़िर होने या जो खर्चा कि हस्ब मरकूमा वाला मतलूब था कि उसके दाखिल करने से ब वजह काफ़ी माज़ूर था तो जायज है कि अदालत मज़कूर अदख़ालसानी अपील का ऐसी शरायत पर दरबाब खर्चा के या दीगर तौरपर जो अदालत मुनासिब जानै मंज़ूर करे— दफ़ा ५५८

अदख़ालसानी उस अपीलका जो अदम पैरवी में ख़ारिज हुआहो

दफा ५५६

इख्तियार इल्तवाय तमाअत का और यह हुक्म देनेका कि जो अशखास नतीजा अपील से गरज रखतेहों रस्पान्डेन्ट बनाये जायें

२०—अगर अपील की समाअत के वक्त अदालतको दरियाफ्त हो कि कोई शख्स जो उस अदालत में फरीक मुकद्दमा था जिसकी डिगरी की नाराजीसे अपील हुआ है लेकिन उस अपील में फरीक नहीं किया गया है व अपील के नतीजामें कुछ गरज रखता है तो अदालत मजाज़ होगी कि अपीलकी समाअत एकतारीख आयन्दा पर मुतलवी रक्खै जो अदालत की रायसे मुकर्रर होगी और शख्स मजकूर के रस्पांडन्ट किये जाने का हुक्मदे—

उज्रदारी किस नमूने पर होगी और उस से कौन अहकाम मुतअल्लिक होंगे

अहकाम क़ायदा १ जहांतक कि वह याददाश्त अपील के नमूना और मज़मून से मुतअल्लिक हैं उस उज्र से भी मुतअल्लिक होंगे—

(३) अगर रस्पांडण्ट उज़रदारी के साथ एक तहरीरी इकरार उस फ़रीक़ का जिसके ऊपर उजरदारी का असर पड़ताहो या उसके वकील वा मशअर इसके कि उजरदारी मजकूरकी एक नक़्ल उसको पहुंचगई न दाखिल करे तो अदालत अपील एक नक़्ल मजकूर बाद अदखाल उजरदारी के जिसक़दर जल्द मुमकिनहो अपीलाण्ट या उसके वकील पर रस्पांडन्टके खर्च से तामील करायेगी—

(४) अगर किसी सूरतमें जिसमें किसी रस्पांडन्ट ने इस क़ायदा के बमूजिब एक इत्तिला उजरदारी की दाखिल कीहो मगर अपील उठा लिया गयाहो या अदम पैरवी में खारिज होगया हो तो उज़रदारी मजकूर मसमूअ और फैसल होसक्ती है फरीकसानी को ऐसी इत्तिला देने के बाद जो अदालत के नज़दीक मुनासिबहो—

(५) अहकाम मजमूआहाजा जो अपील बसीगा मुफलिसी से मुतअल्लिक हैं जहांतक कि मुतअल्लिक होसकें उज़रदारी तहत क़ायदा हाजा से भी मुतअल्लिक होंगे—

२३—अगर उस अदालतने जिसकी डिगरी की नाराज़ी से अपील दफ़ा ५६२

अज़ तरफ़ अदालत अपील मुक़द्दमा का दुबारा तजवीज के लिये वापस भेजाजाना

दायर हुआहो नालिशको किसी अम्र इब्तिदाईपर फैसल कियाहो और डिगरी अपील में मंसूखहो तो अदालत अपील मजाजहै कि अगर मुनासिब समझै मुक़द्दमाकी वापसीका हुक्मसादिरकरै नीज यह कि कौन कौन अमूर तनक़ीह तलबकी तजवीज़ मुक़द्दमा वापसशुदः में कीजायगी और उसको लाजिमहै कि एक नक़्ल अपनी तजवीज और हुक्मकी उस अदालत में कि जिसकी डिगरीकी नाराजी से अपील हुआहो इस हिदायत के साथ मुरसिलकरै कि वह मुक़द्दमाको बाज बनम्बर साबिक़ रजिस्टर नालिशात दीवानी में क़ायमकरै और उसके तस्फियाकी कार्रवाई में मसरूफहो—और अगर कोई शहादत दरअस्नाय तहक़ीक़ात इब्तिदाई क़लमबन्द

कीगईहो तो वह बरिआयत मुस्तस्नियात जायज़के शहादत दरअसनाय तजवीज बाद वापसी समझी जायेगी—

दफा ५६५ २४—जब कि शहादत मौजूदा मिसिल इस बातके वास्ते काफीहो कि अदालत अपील फैसला सादिर करसके तो अदालत अपील बाद अजसरनौ क़रार देने अमूर तनक़ीहीके अगर जरूरीहों मुक़द्दमाकी निस्बत तजवीज नातिक़ सादिर करसक्ती है गो फैसल उस अदालतका जिसकी डिगरी की नाराज़ी से अपील हुआहो बिल्कुल किसी और बुनियादपर बजुज उसके जिसपर कि अदालत अपीलने फैसला कियाहो मुबनीहो—

अगर शहादत मौजूदा मिसिल काफीहो तो अदालत अपील मुक़द्दमाकी निस्बत तजवीज क़तई सादिर करसक्ती है

दफा ५६६ २५—अगर उस अदालतने जिसकी डिगरी की नाराजी से अपील हुआहो किसी ऐसे अम्रको तनक़ीह तलब क़रार न दियाहो या तस्फिया उसका न कियाहो या तजवीज किसी ऐसे अम्र वाक़िमाकी न कीहो जो अदालत अपीलके नजदीक वास्ते इन्फ़सार फैसला मुनासिब निस्बत रूयदाद मुक़द्दमाके जरूरीहो तो अदालत अपील मजाजहै कि अगर जरूरतहो अमूर तनक़ीह तलब मुरत्तिब करके उनको उस अदालतमें तजवीजके लिये मुन्सलिककर जिसकी डिगरी की नाराजी से अपील हुआहो और ऐसी सूरत में उस अदालतको शहादत जायद मतलूबा लेनेकी हिदायत करेगी—

कब अदालत अपील अमूर तनक़ीह तलब क़रार देसक्ती है और उनको तजवीजके वास्ते उस अदालत में भेजसक्ती है जिसकी डिगरी की नाराजी से अपील हुआहो

और अदालत मज़कूरको अमूर तनक़ीह तलबकी तजवीजमें मसरूफ़ होगी और उनकी निस्बत अपनी तजवीज मये वजूह और शहादत मज़कूरके अदालत अपीलमें इरसाल करेगी—

फ़ैसला अपील | करने के लिये मुक़र्ररहो अदालत अपील को लाज़िमहै कि अपीलकी तजवीज़के लिये कार्रवाईकरै—

२७-(१) फरीक़ैन अपील मजाज़ न होंगे कि अदालत अपील में शहादत जदीद ख़्वाह ज़बानी हो ख़्वाह दस्तावेज़ी पेश करैं लेकिन— दफ़ा ५६८

अदालत अपील में शहादत मज़ीद पेश करना

(अलिफ) अगर उस अदालत ने जिसकी डिगरी की नाराज़ी से अपील हुआहो ऐसी शहादत लेने से इन्कार कियाहो जो लेनी चाहिये थी—या

(बे) अगर अदालत अपील वास्ते सादिर करने फैसला या किसी और वजह मयजहसे पेश होना किसी दस्तावेज़ का या लियाजाना इज़हार किसी गवाह का ज़रूरी समझै—

तो अदालत अपील मजाज़ होगी कि ऐसी शहादत या दस्तावेज लियेजाने या गवाह के इज़हार लियेजाने की इजाज़त दे—

(२) जब शहादत मज़ीद को अदालत अपील मंज़ूर करै तो वजह मंज़ूरी की अदालत क़लमबंद करेगी—

२८—जब शहादत ज़ायद लेने की इजाज़त हो तो अदालत अपीलको इख़्तियार है कि वह ख़ुद शहादत मजकूर के या उस अदालत को जिसकी डिगरी का अपील हुआहो या किसी और अदालत मातहत को हुक्म दे कि वह उस शहादत को ले और जब लीजाये तो अदालत अपील में भेजदे— दफ़ा ५६९

शहादत मजीद लेने का तरीक़ा

२९—अगर हुक्म या इजाज़त वास्ते लियेजाने शहादत जदीद के दीजाये तो अदालत अपील तशख़ीस उन अमूर की करेगी जिनपर शहादत महदूद की जायेगी और उन अमूर मुशख़िसा को अदालत अपनी कार्रवाई में क़लमबंद करैगी— दफ़ा ५७०

अमूरकी तशख़ीस और उनका क़लमबंद किया जाना

ज़िक्र तजवीज़ अपील

३०—अदालत अपीलको लाज़िम है बाद समाअत उज़रात फरीक़ैन दफ़ा ५७१

तजवीज किस वक्त और किस मुकाम पर सुनाई जायगी

या उनके वुकलाय के और मुलाहिज़ा किसी कुल कार्रवाई के जोकि वसीगा अपील या उस अदालत में हुई हो जिसकी डिगरी का अपील कियागया और जिसका मुलाहिज़ा ज़रूरी मुतसव्वर हो अपनी तजवीज़-सर इजलास उसी वक्त या किसी तारीख माबाद में जिसकी इत्तिला फ़रीक़ैन या उन के वुकलाय को दी जायेगी सुनाये—

दफा ५७४ ३१—अदालत अपील की तजवीज़ तहरीरी होगी और उसमें अमूर ज़ैल मुन्दर्ज होना चाहिये—

तजवीज का मज़मून और उस पर तारीख और दस्तखततसब्तहोना

(अलिफ) अमूर तजवीज़ तलब—
(बे) तजवीज़ निस्बत अमूर तजवीज़ तलब के—
(जीम) वजूहात तजवीज़—और
(दाल) जिस हाल में कि डिगरी अदालत मातहत की अपील में मंसूख या तरमीम कीजाय तो वह दादरसी जिसका कि अपीलांट मुस्तहक़ है—

और जिस वक्त कि तजवीज सुनाई जाये उसपर तारीख और दस्तखत जज या जजों के जो उसमें मुत्तफ़िकुलराय हों सब्तहोंगे—

दफा ५७७ ३२—जायज है कि तजवीज़ वास्ते बहाली या तब्दीली या तन्सीख

अक़साम तजवीज़

उस डिगरी के हो जिसका अपील कियागया हो या जिस हालमें कि फ़रीक़ैन अपील इस अमरपर इत्तिफ़ाक़ करें कि डिगरी अपील की किस तौरपर होना चाहिये या क्या हुक्म वसीगा अपील सादिर होना चाहिये तो अदालत अपील उसीके मुताबिक़ डिगरी या हुक्म सादिर करेगी—

जदीद ३३—अदालत अपीलको लाज़िम होगा कि कोई डिगरी या हुक्म

इख्तियार अदालत अपील

सादिरकरे जो सादिर होना चाहिये था और मज़ीद डिगरी या हुक्म सादिरकरे जो बलिहाज हालत मुक़द्दमा ज़रूरी हो और अदालत मजाज होगी कि यह इख्तियार अमल में लाये गो अपील सिर्फ़ जुज़्व डिगरी की निस्बत हो और जायज़ है कि यह इख्तियार बहक़ जुम्ला या बाज़ रिस्पांडेन्ट या फ़रीक़ैन के नाफ़िज़ कियाजाये

गो रस्पांडन्ट या फरीक़ मज़कूरने कोई अपील या उज़रदारी दाखिल न की हो–

तमसील

ज़ैदने जरनक़्दका दावाकिया जो उसको उमरू या बकरसे पानाहै और नालिश उन दोनोंके नाम दायरकरके उमरूपर डिगरी हासिलकी उमरूने ज़ैद और बकरको रस्पांडन्ट क़रार देकर अपील रुजूअकिया अदालत अपीलने डिगरी वहक़ उमरू सादिरकी पस अदालतको इख़्तियारहै कि बकरपर भी डिगरी सादिरकरे–

३४–जब अपीलकी समाअ़त एकसे ज्यादा जजोंके जलसामें हो तो दफ़ा ५७६

जो जज तजवीज से इत्तिफाक़ न करे वह अपनी तजवीज या हुक्म अलाहिदा लिखेगा

वह जज जो अदालतकी तजवीज़पर इत्तिफाक़ न करै तजवीज़ या हुक्म जो बदानिस्त उसके अपीलमें सादिर होना चाहिये क़लमबन्द करेगा और मजाज होगा कि उसकी वजूह लिखै–

डिगरी बसीगा अपील

३५—(१) अदालत अपील की डिगरी में तारीख सुनाये जाने दफ़ा ५७८

तारीख़ और मजमून डिगरी

तजवीज की लिखी जायेगी—

(२) डिगरी में नम्बर अपील का और नाम व निशान वगैरह अपीलांट और रस्पांडन्ट का मुन्दर्ज होगा और उसमें जिक्र दादरसी या दीगर तजवीज का जो सीगा अपील से हुईहो वसराहत लिखा जायगा–

(३) नीज डिगरी में तजकिरा तादाद खर्चा अपील और यह कि किस किस फरीक के ज़िम्मे और किस जायदाद से और किस हिसाब से खर्चा अपील और खर्चा नालिश का आयद होना चाहिये दर्ज होगा–

(४) डिगरी पर जज या साहबान जज सादिर कुनिन्दा डिगरी के दस्तख़त सिब्त होंगे और तारीख मरक़ूम होगी–

मगर शर्त यह है कि अगर एक से ज़्यादा जज हों और उनमें

जरूर नहीं है कि जो जज तजवीज से इख़्तिलाफ़ रखे वह डिगरी पर दस्तख़त करे

इख़्तिलाफ़ राय हो तो उस जज को जो तजवीज़ अदालत से इख़्तिलाफ़ रखता हो डिगरी पर दस्तख़त करना ज़रूर न होगा—

दफ़ा ५८०

फ़रीकैन को तजवीज और डिगरीकी नक़लें मिल सकेंगी

३६— तजवीज और डिगरी अपील की नक़ूल मुसद्दिक़ा फ़रीक़ैनकी तरफ़ से अदालत अपील में दरख़्वास्त गुज़रने पर उनके सर्फ़ से उनको दीजायेंगी—

दफ़ा ५८१

डिगरी अपील की नक़ल मुसद्दिक़ा उस अदालत में भेजीजायगी जिसकी डिगरीकी नाराज़ीसे अपील हुआहो

३७—नक़ूल तजवीज और डिगरीकी बाद तसदीक़ अदालत अपील या उस ओहदेदार के जिसको अदालत अपील इस काम के लिये मुक़र्रर करे उस अदालत में मुरसिल होंगी जिसने डिगरी अपील शुदः सादिरकी हो और असिल काग़ज़ात मुक़द्दमे के साथ शामिलकी जायेंगी और फ़ैसला अदालत अपील का मुक़द्दमात दीवानीके रजिस्टरमें दर्ज किया जायेगा—

आर्डर ४२

अपील बनाराज़ी डिगरियात अपील

१—क़वायद आर्डर ५१ जहांतक मुमकिन हो उन अपीलों से मुतअल्लिक़ होंगे जो बनाराज़ी डिगरियात अपील दायर हों—

ज़ाब्ता

आर्डर ४३

अपील बनाराज़ी अहकाम

दफ़ा ५८८

अपील बनाराज़ी अहकाम

१—अपील बनाराज़ी अहकाम जैसा मज़कूर दफ़ा १०४ नाफ़िज़ होगा—यानी—

(अलिफ़) हुक्म बमूजिब क़ायदा १०—आर्डर ७ मशअर वापसी अर्ज़ीदावा बग़रज़ पेश किये जानेके रूबरू अदालत मजाज़के—

(बे) हुक्म बमूजिब क़ायदा १०—आर्डर ८ मशअर सादिर करने तजवीज़ खिलाफ किसी फरीक़ के—

(जीम) हुक्म बमूजिब क़ायदा ९—आर्डर ९ मशअर नामंज़ूरी दरख्वास्त (मुक़द्दमात लायक़ अपील) निस्बत सदूर हुक्म मंसूखी डिसमिसी नालिश—

(दाल) हुक्म बमूजिब क़ायदा १३—आर्डर ९—मशअर नामंज़ूरी दरख्वास्त (बमुक़द्दमात लायक अपील) निस्बत सदूर हुक्म मंसूखी डिगरी यकतर्फा—

(हे) हुक्म बमूजिब क़ायदा ४—आर्डर १०—मशअर सादिर करने तजवीज़ खिलाफ किसी फरीक़के—

(वाव) हुक्म बमूजिब क़ायदा २१—आर्डर ११—

(ज़े) हुक्म मुतअल्लिक़ा क़ायदा १०—आर्डर १६ निस्बत कुर्क़ी जायदाद—

(हे) हुक्म बमूजिब क़ायदा २०—आर्डर १६ मशअर सादिर करने तजवीज़ खिलाफ किसी फरीक़ के—

(तो) हुक्म हस्ब क़ायदा ३४—आर्डर २१ मुतअल्लिक़ा एतराज़ निस्बत लिखने मसविदा दस्तावेज़ या इबारत फरोख्तके—

(ये) हुक्म बमूजिब क़ायदा ७२ या क़ायदा ९२—आर्डर २१—मशअर मंसूख करने या न-मंसूख करने नीलाम—

(काफ) हुक्म बमूजिब क़ायदा ९—आर्डर २२ मशअर इनकार मंसूखी सक़ूत या डिसमिसी मुक़द्दमा—

(लाम) हुक्म बमूजिब क़ायदा १०—आर्डर २२ मशअर मंज़ूरी या ना मंज़ूरी इजाज़त—

(मीम) हुक्म बमूजिब क़ायदा ३—आर्डर २३ मशअर तहरीर या इनकार तहरीर इक़रारनामा या मसालहत बाहमी या ईफा—

(नून) हुक्म बमूजिब क़ायदा २—आर्डर २५ मशअर ना मंज़ूरी दरख्वास्त (बमुक़द्दमा लायक़ अपील) निस्बत सदूर हुक्म मंसूखी डिसमिसी मुक़द्दमा—

(सीन) हुक्म बमूजिब क़ायदा ३ या क़ायदा ८—आर्डर ३४ मशअर इनकार तौसीअ मुद्दत अदाय ज़र रेहन—

(ऐन) हुक्म मुतअल्लिक़ा नालिशात अमीन बमुराद तस्फ़िया हिसाब मुतनाज़ईन हस्ब क़ायदा ३ या ४ या ६—आर्डर ३५

(फ़े) हुक्म बमूजिब क़ायदा २—३ या ६ आर्डर ३८—

(स्वाद) हुक्म बमूजिब क़ायदा १—२ या ४ या १०—आर्डर ३९—

(क़ाफ़) हुक्म बमूजिब क़ायदा १ या ४—आर्डर ४०—

(रे) हुक्म मशअर इन्कार हस्ब क़ायदा १९—आर्डर ४१ निस्बत अदखालसानी या हस्ब क़ायदा २१—आर्डर मज़कूर निस्बत अज़सर नौ समाअत अपीलके—

(शीन) हुक्म बमूजिब क़ायदा २३—आर्डर ४१ मशअर वापस भेजने मुक़द्दमाके जिस सूरतमें कि अपील डिगरी अदालत अपीलकी नाराज़ीसे होताहो—

(ते) हुक्म मसदरै अदालत गैर अदालत हाईकोर्ट मशअर इन्कार अताय सार्टीफ़िकट हस्ब क़ायदा ६—आर्डर ४५—

(से) हुक्म बमूजिब क़ायदा ४—आर्डर ४७ मशअर मंज़ूरी दरख़्वास्त तजवीजसानी—

दफ़ा ५९० २—क़वायद आर्डर ४१ जहांतक मुमकिनहो उन अपीलों से मुतअल्लिक होंगे जो अहकामकी नाराज़ी सेहों—

कार्रवाई

आर्डर ४४

अपील मुफ़लिसाना

दफ़ा ५९२ १—जो शख़्स मुस्तहक़ रुजूअ अपीलकाहो और रसूम मुतअय्यना याददाश्त अपील न अदा करसक्ताहो तो जायज़है कि वह दरख़्वास्त मये क़िता याददाश्त अपीलके गुज़राने और उसको अपील मुफ़लिसानाकी इजाज़त जुम्ला उमूरमें बशर्त गुज़रानने दरख़्वास्त मज़कूरके पाबन्दी अहकाम मुतअल्लिक़ा नालिशात मुफ़लिसी जहांतक कि वह अहकाम उसमें मुतअल्लिक़हों दीजाये—

कौन अपील मुफ़लिसाना करसकता है

पर शर्त यह है कि अदालत दरख़्वास्त को नामंज़ूर करैगी इल्ला उस सूरत में जब कि अदालत को बरतवक़्त मुलाहिज़ा दरख़्वास्त और तजवीज़ और डिगरीके जिसकी नाराज़ी से अपील हो यह ख़्याल करने की वजह नजर आये कि डिगरी खिलाफ क़ानून या खिलाफ़ किसी रवाजके है जो क़ानून का हुक्म रखता है या और निहज पर ग़लत या खिलाफ इन्साफ है–

कार्रवाई अगर दरख्वास्त वास्ते अदालत अपीलके गुजरै

२–जायज है कि तहक़ीक़ात मुफलिसी सायल की अदालत अपील ख़ुद करे या बहुक्म अदालत अपील वह अदालत करे जिसकी तजवीज की नाराज़ी से अपील हो– दफा ५९३

तहक़ीक़ात मुफलिसी

पर शर्त यहहै कि अगर सायल को उस अदालतमें जिसकी डिगरी की नाराजी से अपील हो नालिश या अपील मुफलिसाना की इजाज़त हुईथी तो उसकी मुफलिसी की बाबत फिर तहक़ीक़ात करनेकी ज़रूरत न होगी इल्ला उस सूरत में कि अदालत अपील को कोई वजह तहक़ीक़ात की हिदायत करने की नजर आये–

आर्डर ४५

अपील बहज़ूरआला हज़रत मलिकमुअज़्ज़म इजलास कौंसिल

१—इस आर्डर में लफ़्ज़ "डिगरी" में हुक्म क़तई भी दाखिल है इल्ला उस हाल में कि यह मफहूम उसके किसी मजमून या सियाक़ इबारत के खिलाफ पायाजाये— दफा ५९४

तारीफ डिगरी

२–जो शख़्स व हज़ूरआला हजरत मलिक मुअज़्ज़म इजलास कौंसिल अपील करना चाहे उसे लाजिमहै कि जिस अदालत की डिगरी की शिकायत हो उस अदालत में सवाल गुजराने– दफा ५९८

दरख्वास्त उसी अदालत में कीजाये जिसकी डिगरी की नाराज़ी से अपील करनाहो

३–(१) हर सवाल में मौजिबात अपील और यह दरख्वास्त दर्ज दफा ६००

सार्टीफ़िकेट दरबारह मालियत या काबिल अपील होने के

होनी चाहिये कि सार्टीफ़िकट इस मज़मून का मरहमत हो कि मुक़द्दमा बलिहाज़ तादाद या मालियत और नौय्यत के शरायत मुन्दर्जे दफ़ा ११० को पूरी करता है या और निहज से लायक़ उसके है कि अपील उसका बहज़ूरआला हज़रत मलिक मुअज़्ज़म बइजलास कौंसलहो—

(२) जब ऐसा सवाल पहुंचे तो अदालत को लाज़िमहै कि हिदायत करे कि फ़रीक़ सानी पर इत्तिलानामा की तामील की जाये कि वह फ़रीक़ सार्टीफ़िकट के न मरहत होने की अगर कोई वजह रखताहो पेशकरे—

जदीद

४—वह मुक़द्दमात जिनमें अमूर तस्फ़िया तलब दरअसल एकही रहेहों

मुक़द्दमात का शामिल कियाजाना

और उनका फ़ैसला एकही तजवीज़ से हुआहो बगरज़ तअय्युन मालियत शामिल किये जासक्ते हैं लेकिन वह मुक़द्दमात जिनका फ़ैसला एक तजवीज़ से नहीं हुआहै वह नहीं शामिल किये जासक्ते हैं गो उनमें अमूर तस्फ़िया तलब दर असल एकही रहेहों—

जदीद

५—अगर निज़ाअ फ़ीमाबैन फ़रीक़ैन निस्बत तादाद या मालियत शै·

निज़ाअ का अदालत मराफ़िया औला में भेजाजाना

मुतदाबहाय नालिश अदालत मराफ़ियाऔला के या निस्बत तादाद या मालियत शै मुतदाबहा बाबतअपील बहज़ूरआला हज़रत मलिक मुअज़्ज़म इजलास कौंसल के पैदाहो तो अदालत जिसमें दरख़्वास्त हस्ब क़ायदा २ वास्ते मरहमत होने सार्टीफ़िकट के गुज़रे मजाज़ है कि अगर मुनासिब समझे तो ऐसी निज़ाअ को बग़रज़ कैफ़ियत अदालत मराफ़ियाऔला में भेजे—अदालत मराफ़िया औला मासिबुल् ज़िक्र तादाद या मालियत मज़कूरका तस्फ़िया करके अपनी कैफ़ियतमय शहादत के उस अदालतमें वापस भेजेगी जहां से इस्तिसवाब हुआहो—

दफ़ा ६०१ ६—अगर ऐसे सार्टीफ़िकट के देनेसे इन्कार कियाजाये तो वह सवाल

सार्टीफ़िकट न मिलने का असर

ख़ारिज होगा—

६४, ६०२ ७–(१) दर सूरत मन्ज़ूरी सार्टीफ़िकट के अदालत को लाज़िम है

सार्टीफिकट मिलने पर जमानत और रुपया दाखिल करना

कि डिगरी शिकायती की तारीख से छः महीने के अन्दर या सार्टीफिकट के अता होने की तारीख से छः हफ़्ते के अन्दर यानी इन दोनों में से जो तारीख पीछे गुज़रे—

(अलिफ) खर्चा रस्पांडन्ट की ज़मानत दाखिल करै—और

(बे) उस क़दर रुपया दाखिलकरै जोकि बजुज़ कागज़ात मुफस्सिलै ज़ैलके मुकद्दमा की कुल मिसिल के तर्जुमा और नक़्ल और तरतीब फेहरिस्त और बहुजूरआला हजरत मलिक मुअज़्ज़म इजलास कौंसल एक सही नक़्ल के भेजने के सर्फ के वास्ते ज़रूरी हो—

(१) ज़ाब्ता के कागजात जिनके खारिज करने की हिदायत अज़रूय किसी हुक्म नाफिज़ा वक्त मसदिरह आला हज़रत मलिक मुअज़्ज़म इजलास-कौंसल के हुई हो—

(२) कागजात जिनके खारिज करनेके लिये फरीकैन इत्तिफाककरें—

(३) हिसाबात या हिसाबात के हिस्से जिनको वह ओहदेदार जिसे अदालत ने इस बाब में इख़्तियार दियाहो गैर ज़रूरी तसव्वर करे और जिनके शामिल करने के लिये अहाली मुकद्दमा ने बिल् खसूस दरख्वास्त न की हो—और

(४) वह दीगर कागज़ात जिनके खारिज करने का अदालत हाई-कोर्ट हुक्म दे—

(५) अगर सायल मिसिल की नक़्ल बजुज़ कागजात मुतज़िकरै बाला के हिन्दुस्तान में छपवाना पसन्द करै तो उसको लाज़िम है कि उसी मीयाद के अन्दर जो क़ायदा हाज़ा के क़ायदा तहती (१) में मरक़ूमहै उस नक़्ल के छापने के सर्फ के लिये जिस कदर रुपया कि मतलूब हो दाखिल करे—

८—अगर ज़मानत मज़कूर और दाखिला रुपयाका हस्ब इतमीनान अदालत तकमील पाजुके तो अदालतको लाज़िमहै कि— दफ़ा ६०३

अपीलका मंज़ूर होना और उसके मुताबिक कर्रवाई

(अलिफ) अपीलका मंज़ूर होना ज़ाहिरकरै—

(बे) उसकी इत्तिला रस्पांडन्टको पहुंचाये—

(जीम) बहजूर आला हज़रत मलिक मुअज़्ज़म इजलास कौंसल एक नक़्ल सही मिसिल मज़कूरकी मअ़ कागज़ात मुतअल्लिकेवाला बमुहर अदालत बन्दकरके इरसालकरै—और

(दाल) मुकद्दमाके किसी कागजातकी एक या कई नक़ूल मुसद्दिक़ा किसी फरीकको जो उसकी दरख्वास्तकरै और इख़राजात मुनासिब जो उसकी तय्यारी में आयद हुयेहों अदाकरै हवाले करदे—

दफा ६०४ ९—अपीलकी मंजूरी से पहले किसी वक़्त अदालत को जायज है कि अगर वजह ज़ाहिर कीजाये तो उस जमानतकी मंजूरी मंसूख करदे और इस बाबमें हिदायात जदीद सादिर करै—

मन्ज़ूरी जमानत की मन्सूखी

दफा ६०५ १०—अगर किसी वक़्त बाद मंजूरी अपीलके लेकिन मिसिलकी नक़्ल सिवाय कागज़ात मजकूरके बहजूर आला हजरत मलिक मुअज़्ज़म इजलास कौंसिल इरसाल करने से पहले ज़मानत ग़ैर मुक्तफी मालूमहो —

इख़्तियार निस्वत हुक्म बाबत मज़ीद ज़मानत या मज़ीद रुपया दाखिल करने के

या मिसिलको सिवाय कागज़ात मजकूरैवालाके तर्जुमा करने या नक़्ल करने या छापने या उसकी फेहरिस्त मुरत्तिब करने या उसकी नक़्ल इरसाल करने के लिये ज़्यादा रुपया मतलूबहो—

तो अदालतको बनाम अपीलांट यह हुक्म सादिर करना जायजहै कि वह उस मीयादके अन्दर जोकि अदालत मुक़र्ररकरै दूसरी जमानत काफी गुज़राने या उसी क़दर मीयादके अन्दर ज़र मतलूब दाखिलकरै—

दफा ६०६ ११—अगर अपीलांट उस हुक्मकी तामील में क़सूरकरै तो कार्रवाई मौक़ूफ कीजायेगी—

हुक्मके न तामील करने का असर

और बग़ैर इसके कि इस बाबमें हुक्म आला हजरत मलिक मुअज़्ज़म इजलास कौंसलका सादिरहो अपीलकी कार्रवाई आगे न चलेगी—

और इस अर्से में इजरा उस डिगरीका जिसका अपील कियागया है मुल्तवी न रहेगा—

१२-अगर मिसिलकी नक़ल मअ़ज कागजात गुज़रिज़ करे वाला बहज़ूर दफा ६०७
फाज़िल रुपया की वापसी
आला हज़रत मलिक मुअज़्ज़म इजलास कौंसल मुरसिल होचुके और उस रुपया में से जोकि अपीलांटने हस्ब क़ायदा ७ दाखिल कियाहो कुछ रुपया फ़ाज़िलरहै तो वह उसको वापस पासक्ताहै-

१३-(१) बावजूदे कि किसी अपीलकी मंज़ूरीका सार्टीफिकट अताहो दफा ६०८
दौरान अपील में अदालतके इख़्तियारात
इजरा उस डिगरीका जिसका अपीलहो बग़ैर किसी शर्तके अमल में आयेगा इल्ला उस हालमें कि अदालत और निहजकी हिदायतकरै-

(२) अदालत अगर मुनासिब समझै तो किसी वजह ख़ाससे जो किसी ऐसे फरीक़की तरफ़ से ज़ाहिर कीजाये जो मुक़द्दमा से गरज़ रखताहो या जो और निहजसे अदालतको मालूमहो उसे जायजहै कि—

(अलिफ) किसी जायदाद मन्क़ूला मुतनाज़अफिया या उसके किसी जुज़्व को जब्त रक्खै-या

(बे) रस्पांडन्ट से ऐसी ज़मानत लेकर जो कि अदालत के नज़दीक वास्ते तामील क़रार वाक़ई उस हुक्मके मुनासिब हो जोकि आला हज़रत मलिक मुअज़्ज़म इजलास कौंसल के हज़ूरसे बसीग़ै अपील सादिरहो उस डिगरीके इजराकी इजाजतदे जिसका अपीलहो—या

(जीम) अपीलांट से ऐसी ज़मानत लेकर जोकि अदालतके नज़दीक वास्ते तामील क़रार वाक़ई उस डिगरीके मुनासिबहो जिसका अपीलहो या वास्ते तामील उस हुक्मके जोकि आला हज़रत मलिक मुअज़्ज़म इजलास कौंसल ब सीगै अपील सादिरकरैं उस डिगरी का इजरा मुल्तवी रक्खै जिसका अपीलहो-या

(दाल) जो फरीक़ कि अदालतकी मदद चाहे उसको निस्बत शै मुतनाज़अ अपीलके ऐसी शरायतका पाबन्दकरै या निस्बत शै मज़कूर ऐसी और हिदायत दरबाब तक़र्रुर [illegible] या निहज दीगरके सादिरकरै जो उसके नज़दीक मुनासिबहो—

(बे) उसकी इत्तिला रस्पांडन्टको पहुंचाये-

(जीम) बहुज़ूर आला हज़रत मलिक मुअज़्ज़म इजलास कौंसल एक नक़ल सही मिसिल मजकूरकी मजुम्अ़ कागजात मुन्तख़िबेवाला बमुहर अदालत बन्दकरके इरसालकरें-और

(दाल) मुकद्दमाके किसी कागज़ातकी एक या कई नकूल मुसद्दिक़ा किसी फरीकको जो उसकी दरख़्वास्तकरे और इख़राजात मुनासिब जो उसकी तय्यारी में आयद हुयेहों अदाकरे हवाले करदे—

दफ़ा ६०४ ९—अपीलकी मंज़ूरी से पहले किसी वक़्त अदालत को जायज है

मन्ज़ूरी जमानत की मंसूख़ी

कि अगर वजह ज़ाहिर कीजाये तो उस जमानतकी मंज़ूरी मंसूख करदे और इस बाबमें हिदायात मज़ीद सादिर करे—

दफ़ा ६०५ १०—अगर किसी वक्त बाद मंज़ूरी अपीलके लेकिन मिसिलकी नक़ल

इख़्तियार निस्बत हुक्म बाबत मज़ीद जमानत या मज़ीद रुपया दाख़िल करने के

सिवाय कागज़ात मजकूरके बहुज़ूर आला हज़रत मलिक मुअज़्ज़म इजलास कौंसिल इरसाल करने से पहले जमानत गैर मुक्तफी मालूमहो —

या मिसिलको सिवाय काग़ज़ात मजकूरेवालाके तर्जुमा करने या नक़ल करने या छापने या उसकी फेहरिस्त मुरत्तिब करने या उसकी नक़ल इरसाल करने के लिये ज़्यादा रुपया मतलूबहो-

तो अदालतको बनाम अपीलांट यह हुक्म सादिर करना जायजहै कि वह उस मीयादके अन्दर जोकि अदालत मुक़र्ररकरे दूसरी जमानत काफी गुज़राने या उसी क़दर मीयादके अन्दर जर मतलूब दाख़िलकरे—

११—अगर अपीलांट उस हुक्मकी तामील में क़सूरकरे तो कार्रवाई

१२-अगर मिसिलकी नक़्ल बजुज कागज़ात मुतजिकरे वाला वहजूर दफा ६०

फाजिल रुपया की वापसी

आला हजरत मलिक मुअज़्ज़म इजलास कौंसल मुरसिल होचुके और उस रुपया में से जोकि अपीलांटने हस्व कायदा ७ दाखिल कियाहो कुछ रुपया फ़ाजिलरहै तो वह उसको वापस पासक्ताहै-

१३-(१) बावजूदे कि किसी अपीलकी मंज़ूरीका सार्टीफिकट अताहो दफा ६०

दौरान अपील में अदालतके इख्तियारात

इजरा उस डिगरीका जिसका अपीलहो बग़ैर किसी शर्तके अमल में आयेगा इल्ला उस हालमें कि अदालत और निहजकी हिदायतकरे-

(२) अदालत अगर मुनासिब समझै तो किसी वजह ख़ाससे जो किसी ऐसे फरीक़की तरफ से ज़ाहिर कीजाये जो मुक़द्दमा से गरज रखताहो या जो और निहजसे अदालतको मालूमहो उसे जायजहै कि—

(अलिफ) किसी जायदाद मन्कूला मुतनाज़अफिया या उसके किसी जुज़्व को जब्त रक्खै—या

(वे) रस्पांडन्ट से ऐसी जमानत लेकर जो कि अदालत के नजदीक वास्ते तामील क़रार वाक़ई उस हुक्मके मुनासिव हो जोकि आला हज़रत मलिक मुअज़्जम इजलास कौंसल के हजूरसे वसीगै अपील सादिरहो उस डिगरीके इजराकी इजाजतदे जिसका अपीलहो—या

(जीम) अपीलांट से ऐसी जमानत लेकर जोकि अदालतके नज़दीक वास्ते तामील क़रार वाक़ई उस डिगरीके मुनासिवहो जिसका अपीलहो या वास्ते तामील उस हुक्मके जोकि आला हज़रत मलिक मुअज़्ज़म इजलास कौंसल व सीगै अपील सादिरकरैं उस डिगरी का इजरा मुलतवी रक्खै जिसका अपीलहो-या

(दाल) जो फरीक़ कि अदालतकी मदद चाहे उसको निस्बत शै मुतनाजअ अपीलके ऐसी शरायतका पावन्दकरै या निस्बत शै मज़कूर ऐसी और हिदायत दरबाब तकर्रुर रिसीवर या निहज दीगरके सादिरकरै जो उसके नज़दीक मुनासिबहो—

दफ़ा ६०१

जमानत अगर ग़ैरकाफ़ी हो तो बढ़ाई जासक्ती है

१४-(१) अगर दर अस्नाय दौरान अपील किसी वक़्त वह ज़मानत जो किसी फ़रीक़ने दाख़िलकीहो ग़ैर मुक्तफ़ी मालूमहो तो अदालतको जायज़है कि दूसरे फ़रीक़की दरख़्वास्तपर ज़मानत मज़ीद तलबकरै—

(२) दरसूरत न दाख़िल होने ज़मानत मज़ीदके जोकि अदालत तलबकरै—

(अलिफ़) अगर असिल ज़मानत अपीलांट ने दाख़िल की हो तो अदालत को इख़्तियार है कि रस्पांडन्ट की दरख़्वास्त पर डिगरी अपीलशुद: के इजराका हुक्म उसी तरह सादिर करै कि गोया अपीलांट ने कोई ज़मानत दाख़िल नहीं की थी—

(बे) अगर असिल ज़मानत रस्पांडन्ट ने दाख़िल की हो तो अदालत को लाज़िम है कि जहांतक मुमकिन हो डिगरी का इजराय मज़ीद मुल्तवी रक्खै और फ़रीक़ैन को फिर उसी हालत पर लेआये जो उस ज़मानत ग़ैर मुक्तफ़ी के देने के वक़्त उन दोनों की थी या निस्बत शै मुतनाज़अ़ फ़िया अपील के ऐसी हिदायत सादिर करै जो उसकी दानिस्त में मुनासिब हो—

दफ़ा ६१०

कार्रवाई मुतअ़ल्लिक़ इजराय अहकाम मुन्दरह आला हज़रत मलिक मुअ़ज़्ज़म ज. लास कौंसल

१५-(१) जो शख़्स किसी हुक्म मुन्दरह आला हज़रत मलिक मुअ़ज़्ज़म इजलास कौंसलका इजरा कराना चाहे उसे लाज़िम है कि सवालमय नक़ल मुसद्दिक़ उस डिगरी या हुक्म के जोकि अपील में सादिर हुआहो और जिसका इजरा कराना मतलूब हो उसी अदालत में गुज़राने जिसके हुक्म की नाराज़ी से अपील बहुज़ूर आला हज़रत मलिक मुअ़ज़्ज़म पेश कियागया हो—

और (फरीकैन में से किसी की दरख्वास्त पर) ऐसी हिदायतें सादिर करै जो कि उसके इजरा के वास्ते जरूरी हों और जिस अदालत से कि वह हुक्म इस तौर पर भेजाजाये वह उसका इजरा उसी के मुताबिक उस तरीक़ से और बमूजिब उन शरायत के करे जो कि उसकी इब्तिदाई डिगरियों के इजरा से मुतअल्लिक़ हैं—

(३) जब किसी ऐसे हुक्मकी रूसे कोई जर नक़्द जिसके दिलाने के लिये उसमें सिक्का मुरव्विजा इङ्गलिस्तान लिखा गया हो हिन्दुस्तान में वाजिबुल्अदा हो तो जर नक़्द मजकूर का हिसाब बमूजिब उस निर्ख मुस्तअमला वक्त के किया जायेगा जो साहब सेक्रेट्री आफस्टेट हिन्द इजलास कौंसल ने बइत्तिफ़ाक़ रायसाहबान लार्ड कमिश्नर खजाना शाही बगरज तस्फिया मामिलात खजाना माबैन गवर्नमेन्ट इङ्गलिस्तान और गवर्नमेन्ट हिन्द के बरोज सदूर हुक्म मजकूर मुक़र्रर कर रक्खा हो—

इजराके हुक्मका अपील

१६—जो अदालत कि हुक्म मसदरह आला हजरत मलिकमुअज़्ज़म इजलास कौंसल का इजरा करै उसका हुक्म दरबाब उस इजरा के लायक़ अपील उसी तौर पर और बपाबन्दी उन्हीं क़वाअद के होगा जैसे कि उसी अदालत की डिगरियों के इजरा की बाबत उस अदालत के अहकाम हैं— दफ़ा ६११

आर्डर ४६

इस्तिसवाब

इस्तिसवाब बहस कानूनी बहजूर हाईकोर्ट

१—अगर क़ब्ल या बरवक्त समाअत किसी मुकद्दमा या अपीलके कि जिसमें डिगरीका अपील न होसके या दरअस्नाय इजरा किसी ऐसी डिगरीके कोई बहस क़ानूनी या ऐसे रवाज की जो कानूनका हुक्म रखताहो पैदाहो और अदालत मुजव्विज मुक़द्दमा या अपील को या इजराकुनिन्दा डिगरी को शुबहा मालूमहो तो दफ़ा ६१७

अदालत मजाज होगी कि खुद अपनी मर्जी से या वक्त दरख्वास्त अहदुल्-फरीकैन के वाकियात मुकद्दमा की कैफियत और वह अम्र जिसकी बाबत शुबहाहो तजवीज करके मय अपनी रायके जो उस अम्रकी बाबतहो इन्फिसाल के लिये अदालत हाईकोर्ट में इस्तिसवाबन् मुरसिल करै-

दफा ६१८ २-बाबजूद इस्तिसवाब मजकूराके अदालत को इख्तियार होगा कि कार्रवाई मुकद्दमा की मुल्तवी करै या जारी रक्खै और जो कुछ फैसला अदालत हाईकोर्ट का निस्बत उस अम्र के जिसकी बाबत इस्तिसवाब किया गयाहो करार पाये उसकी पाबन्दी की शर्त पर डिगरी या हुक्म सादिर करै लेकिन जिस मुकद्दमा में ऐसा इस्तिसवाब हुआहो उसमें ता वसूल नक्ल तजवीज अदालत हाईकोर्ट के जो इस्तिसवाबपर सादिरहो कोई डिगरी या हुक्म जारी नहीं किया जायेगा-

अदालत डिगरी सादिर करसकी है फैसला हाईकोर्ट की पाबन्दी की शर्तपर

दफा ६१९ ३-हाईकोर्ट को लाजिमहै कि उन उजरात की समाअत करके जो फरीकैन हाजिर होकर पेश करना चाहैं तजवीज उस अम्र की करै जिसकी निस्बत इस्तिसवाब किया गया हो और अपनी तजवीज की नक्ल बदस्तखत साहब रजिस्टरार के उस अदालत में मुरसिल फर्माये जिसने इस्तिसवाब कियाहो और उस अदालत को लाजिम होगा इन्दुल् वसूल नक्ल मजकूरा हाईकोर्ट के तजवीज के मुताबिक मुकद्दमा को फैसलकरै-

तजवीज हाईकोर्ट मुरसिल कीजायेगी और उसी के मुताबिक मुकद्दमा फैसल होगा

दफा ६२० ४-जो कुछ खर्चा बवजह इस्तिसवाब बगरज तजवीज अदालत हाईकोर्टके पड़ाहो वह मुकद्दमा के खर्चा का जुज्व मसझा जायगा-

खर्चा बवजह इस्तिसवाब हाईकोर्ट

दफा ६२१ ५-जब कोई मुकद्दमा क़ायदा (१) के बमूजिब हाईकोर्ट में बइस्तिसवाबन् भेजाजाये तो हाईकोर्ट को इख्तियार है कि मुकद्दमा को तरमीम के लिये वापस भेजे और डिगरी या हुक्म की तब्दील या तरमीम या तर्दीद करे जो अदालत इस्तिसवाबकुनिन्दा ने उस मुकद्दमा में सादिर कियाहै जिसमें इस्तिसवाब की जरूरत पड़ीगई और जो कुछ हुक्म मुनासिब नजरआवे सादिर करै—

[illegible]

६—अगर किसी वक्त क़ब्ल तजवीज अदालत को जिसमें कोई ना- दफा ६४९ (अलिफ)

इख्तियार इस्तिसवाब हाईकोर्ट निस्वत इख्तियार अदालत मतालिबा जात ख़फ़ीफा

लिश रुजूअ कीगई हो यह शुबहाहो कि आया नालिश मजकूर लायक़ समाअत अदालत मतालिबाजात ख़फ़ीफाहै या नहीं तो अदालत मजाजहोगी कि अदालत हाईकोर्ट में मिसिल मये कैफ़ियत वजूह शुबहा दरबाब नौय्यत नालिश मज़कूर के मुरसिलकरे--

(२) मिसिल और कैफ़ियत पहुंचने पर अदालत हाईकोर्ट हुक्म सादिर करसक्ती है कि यातो अदालत नालिश की कार्रवाई अमल में लाये या अर्ज़ीदावा को वापस करे कि वह किसी दूसरी अदालत में दाखिल किया जाये जो बजरिये हुक्म हाईकोर्ट उस नालिश की समाअत करने की मजाज़ ठहराई जाये—

७-(१) अगर अदालत जिलअको मालूम हो कि उसके मातहतकी दफा ६४९ (बे)

इख्तियार अदालत जिलअ निस्वत मुरसिल करने वास्ते नजरसानी उस कार्रवाई के जिसमें गलती दरबाब इख्तियार समाअत मतालिबात ख़फ़ीफ़ाके हुईहो

अदालत बवजह ग़लत समझने इस अम्र के कि फलां नालिश लायक़ समाअत अदालत मतालिबात ख़फ़ीफा है या नहीं उस इख़्तियार को अमल नहीं लाई है जो क़ानूनन् उसको हासिलहै या उस इख़्तियार को अमल में लाई है जो उसको हासिल नहीं है तो अदालत जिलअ मजाज़ होगी और अगर कोई फरीक़ दरख़्वास्तदे तो उसको लाजिम होगा कि अदालत हाईकोर्ट में मिसिल मज़कूर मय कैफ़ियत वजूह इस अम्रके समझने के कि अदालत मातहतकी राय निस्वत नौय्यत नालिशके गलतहै मुरसिलकरे—

(२) मिसिल और कैफ़ियत पहुंचनेपर अदालत हाईकोर्ट मज़कूर मजाज़ होगी कि जो हुक्म मुनासिब समझै सादिरकरै—

(३) निस्वत कार्रवाई माबाद डिगरीके उस मुकद्दमामें जो अजरूय क़ायदा हाजा अदालत हाईकोर्ट में मुरसिल कियागयाहो अदालत हाईकोर्टको इख़्तियार होगा कि बनजर हालात मुक़द्दमा जो हुक्म करीन् इन्साफ और मुनासिब समझै सादिरकरे—

(४) अदालत मातहत अदालत जिलअको लाजिम होगा कि उन

हुक्मकी तामीलकरै जो अदालत ज़िलअ बाबत किसी मिसिल या इत्तिलाके वास्ते इग़राज़ क़ायदा हाजाके सादिरकरै—

आर्डर ४७

तजवीज़सानी

दफ़ा ६२३ १–(१) जो शख़्स अपनी हकतलफी समझै—

दरख्वास्त तजवीज सानी

(अलिफ) किसी डिगरी या हुक्म से जिसका अपील जायज़है मगर उसका अपील हिनोज दायर न हुआहो—या

(बे) किसी डिगरी या हुक्म से, जिसका अपील जायज नहीं है—या

(जीम) किसी फैसला से जो अदालत मतालिबा खफ़ीफाके इस्तिसाबपर सादिर हुआहो—

और जो कुछ बवजह दर्याफ़्त होने किसी अम्र या शहादत जदीद और अहमके जो बावजूदह सई क़ाराब्लाकईके बवक्त सादिरहोने उस डिगरी या हुक्मके उसको मालूम न थी याकि वह उसको पेश न करसक्ता था या बवजह किसी गलती या सहोके जो बिल बदाहत मिसिल से साबित होताहो या किसी और वजह काफीसे तजवीजसानी उस डिगरी या हुक्म की चाहताहो जो उसके खिलाफ मुराद सादिर हुआहो तो उसको इख्तियारहै कि उस अदालतमें जिसने डिगरी या हुक्म सादिर कियाहो तजवीजसानीकी दरख्वास्तकरै—

(२) जो फरीक कि किसी डिगरी या हुक्मकी नाराजी से अपील न करै वह बावजूद दायर होने अपील मिनजानिब किसी और फरीकके तजवीजसानी की दरख्वास्त करसक्ता है बजुज उस सूरतके उजर मुन्दर्जे अपील मायल और अपीलांट दोनों में मुश्तरक मुतअल्लिकहो या जब कि वह रस्पांडन्टहो और अदालत

अपील में उस मुक़दमाको जिसमें कि दरख़्वास्त तजवीज़सानी की करताहै पेश करसक्ताहो—

दरख्वास्त तजवीज सानी किसके पास दी जायेगी

२—दरख़्वास्त तजवीजसानी किसी ऐसी डिगरी या हुक्मके जो किसी अदालत ग़ैर अदालत हाईकोर्ट से सादिर हुआहो किसी बिनापर ग़ैर उसके जो बवजह दरियाफ़्त होने ऐसे अम्र या शहादत जदीद या अहमकेंहो जो क़ायदा १ में मजकूरहै या बरबिना किसी गलती अलफाज़ या हिन्दुसेके जो बादि-उल् नजरमें डिगरी से वाज़ेहहो सिर्फ़ बहज़ूर उस जजके कीजायेगी कि जिसने वह डिगरी या हुक्म सादिर कियाहो कि जिसकी तजवीज़सानी कीगई लेकिन अगर उस जज ने कि जिसने डिगरी या हुक्म सादिर कियाहो अज़रूय फ़िक़रह (अलिफ) क़ायदा तहती (२) क़ायदा (४) इत्तिलानामा जारीहोने का हुक्म दियाहो तो ऐसी दरख़्वास्त का तस्फिया उसका जानशीन ओहदा करसकेगा— दफा ६२

तरीक़ा दरख़्वास्त हाय तजवीजसानी

३—अहकाम जो दरबाब तरीक़ा अपील करने के हैं वह तब्दील अल्फ़ाज़ तब्दील तलब दरख़्वास्त हाय तजवीज़सानी से भी मुतअल्लिक़ होंगे— दफा ६२५

किस सूरतमें दरख्वास्त ना मज़ूर होगी

४-(१) अगर अदालत को दरियाफ़्त होकि तजवीज़सानी की कोई वजह काफी नहीं है तो वह दरख़्वास्तको ना मंज़ूर करेगी— दफा ६२६

किस सूरतमें दरख्वास्त मज़ूर होगी

(२) अगर अदालत की राय में तजवीजसानी की दरख़्वास्त मंज़ूरी के लायक़ हो तो वह तजवीजसानी मंज़ूर करेगी—

मगर शर्त यह है कि—

(अलिफ) ऐसी दरख़्वास्त मंज़ूर न होगी बग़ैर इसके कि पेश्तर फ़रीक़सानी को इत्तिला दीजाये ताकि वह हाजिर होकर वताईद उस डिगरी या हुक्म के जिसकी तजवीज़सानी की दरख़्वास्त गुज़री हो उज़रात पेश करसके—और

(बे) ऐसी दरख़्वास्त बरबिनाय और दरियाफ़्त होने अम्र या शहादत जदीद के जिसकी निस्बत सायल बयान करे कि

सायल को दरवक्त सदूर डिगरी या हुक्म मज़कूर के उस का इल्म न था या जिसको वह पेश नहीं करसक्ता था बिदून इसके मंजूर न की जायेगी कि बयान मज़कूर का सबूत क़वी हो—

दफ़ा ६२७

दरख़्वास्त तजवीज़सानी बहुजूर उन अदालत के जिनमें दो या ज़्यादा जज हों

५—अगर वह जज या कई जज या उनमें से कोई एक जज जिसने कि वह डिगरी या हुक्म सादिर कियाहो जिसकी तजवीज़सानी की दरख़्वास्त कीजाय बरवक़्त गुजरने दरख़्वास्त तजवीज़सानी के अदालत में कारफ़रमां हो और बसबब ग़ैरहाज़िरी या और किसी वजहके सवाल के गुजरने से छः महीने बादतक इस बात से ममनूअ न हो कि डिगरी या हुक्म पर जिसकी निस्बत दरख़्वास्त हो ग़ौर करे तो उस जज या उन जजोंको या उनमें से किसी जज को इख़्तियार होगा कि दरख़्वास्त की समाअत करे और अदालत के किसी दूसरे जज या जजोंको इख़्तियार न होगा कि उसकी समाअत करें—

दफ़ा ६२८

कब दरख़्वास्त नामंज़ूर होगी

६—(१) अगर दरख़्वास्त तजवीज़सानी की समाअत एकसे ज़्यादा जज करें और दोनों जानिब रायमसावी हो तो वह दरख़्वास्त [illegible]ज़ूर की जाये[illegible]

२—अगर दरख़्वास्त तजवीजसानी बवजह अदम इज़हार सायल के के ना मंजूर हुई हो तो सायल को इख़्तियार है कि इस मज़मून की दरख़्वास्त दे कि दरख़्वास्त ना मंजूरशुदः को बाज़ बनम्बर साबिक क़ायम करने का हुक्म हो और अगर हस्ब इतमीनान अदालत साबित हो कि जिस वक्त दरख़्वास्त मज़कूर वास्ते समाअत के पुकारीगई थी सायल किसी वजह काफी के बायस हाजिर होनेसे मुतअज़्ज़िर था तो अदालत यह हुक्म सादिर करेगी कि दरख़्वास्त मज़कूर बपाबन्दी ऐसी क़यूद दरबाब खर्चा के या दीगर तौरपर जो मुनासिब मालूम हों बाज़ बनम्बर साबिक क़ायम कीजाय और अदालत उसकी समाअत के लिये एक तारीख मुक़र्रर करेगी—

(३) कोई हुक्म क़ायदा तहती २ के बमूजिब सादिर न किया जायेगा तावक़्ते कि दरख़्वास्त की इत्तिला की तामील फ़रीक़सानी पर न होगईहो—

८—जब दरख़्वास्त तजवीज़सानी की मंज़ूर कीजाये लाज़िम है कि उसकी याददाश्त किताब रजिस्टर में लिखी जाय और अदालत मजाज होगी कि फौरन् मुक़द्दमा की समाअत मुकर्रर में मसरूफ हो या निस्बत समाअत मुकर्रर के जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर करे— दफ़ा ६३०

दरख़्वास्त मन्ज़ूरशुद दर्ज रजिस्टर होगी और हुक्म निस्बत समाअत मुकर्रर के

९—कोई दरख़्वास्त वास्ते तजवीज़ सानी ऐसे हुक्म के जो किसी दरख़्वास्त तजवीज़सानी पर हुआहो या वास्ते तजवीज़ सानी ऐसी डिगरी या हुक्म के जो सीगा तजवीज़सानी में सादिर हुआहो मंज़ूर न होगी— दफ़ा ६२९ फ़िक़रह अख़ीर

इम्तिनाअ बाज़ दरख़्वास्तों का

आर्डर ४८

मुतफ़र्रिक़ात

१—(१) हर हुक्मनामा जो इस मजमूआ की रू से जारी कियाजाये उसकी तामील बतर्फ़ उस फ़रीक़ के कीजायेगी जिस की दरख़्वास्त पर वह जारी हुआथा उस सूरत में कि अदालत और तिरह की हिदायत करे— दफ़ा ६२

तामील हुक्मनामा बतर्फ़ फ़रीक़ जारी कुनिन्दा

(२) रसूम अदालत बाबत तामील मज़कूरके जारी होने से पहले अन्दर मीयाद मुअय्यिना अदालत वसूल करली जायेगी—

तामीलका ख़र्चा

दफ़ा ९४ २—तमाम अहकाम और इत्तिलानामजात और दस्तावेजात जो इस मजमूआके मुताबिक़ किसी शख़्सपर तामील करने या उसको देने या उसपर तामील करने मंज़ूरहों उसीतरह तामील कियेजायेंगे जिसतरह हस्ब मरकूमावाला सम्मन की तामील होनी चाहिये—

इत्तिलानामा या हुक्म तहरीरी की तामील क्योंकर होगी

दफ़ा ९४४ ३—वह नमूनजात जो इपन्डिक्स में मुन्दर्ज हैं मये उस क़दर तग़य्युर और तबद्दुलके जो हर मुक़द्दमाके हालातके मुनासिबहो उन इग़राज़के लिये मुस्तअमल कियेजायेंगे जो उनमें बयान कीगई हैं—

इस्तेमाल नमूनजात मुन्दर्जे इपन्डिक्स

आर्डर ४९

अदालत हाय हाईकोर्ट मुक़र्ररा हस्ब सनदशाही

इस्तिस्नाय निस्बत अदालत हाईकोर्ट मुकर्ररा सनदशाहीके

वह क़वायद महदूद होंगे या उसका असर उन क़वायद पर पड़ेगा जो बरवक्त आगाज़ मजमूआ हाज़ा निस्वत क़लमबन्दी शहादत या तहरीर तजवीज या अहकाम अदालत हाईकोर्ट मुकर्ररा सनदशाहीके जारीहों—

३—यह क़वायद मुफस्सिलै जैल किसी अदालत हाईकोर्ट मुक़र्ररा हस्व सनदशाही से जब कि वह अपने इख़्तियारात मामूली या गैरमामूली समाअत इब्तिदाई सीग़ा दीवानी नाफ़िज़ करतीहो मुतअल्लिक़ न होंगे—यानी दफा ६२८

तअल्लुक़ क़वायद

(१) क़ायदा १०—और क़ायदा ११—फ़िक़रह (बे) व (जीम) आर्डर ७

(२) कायदा ३—आर्डर १०

(३) कायदा ४—आर्डर १६

(४) क़ायदा ५ व ६ व ८ व ९ व १० व ११ व १३ व १४ व १५ व १६ (जहांतक तरीका लेने शहादत से मुतअल्लिकहै) आर्डर १८—और

(५) कायदा—१—लगायत ८—आर्डर २०—और

(६) कायदा ७—आर्डर ३३ (जहांतक याददारत लिखने से मुतअल्लिकहै) और कायदा—३५—आर्डर ४१ हाईकोर्ट मजकूर से मुतअल्लिक़ न होगा जब कि वह इख़्तियारात अपील नाफिज करतीहो—

आर्डर ५०

अदालत मतालिबाजातख़फ़ीफ़ामुफ़स्सिल

अदालत मतालिबा जात ख़फ़ीफ़ा मुफ़स्सिल

१—अहकाम मुसरहे जैल उन अदालतों से मुतअल्लिक़ न होंगे जो बजरूय कानून मतालिबा जात ख़फ़ीफ़ा सन् १८८७ ई० कायम कीगई हों और न उन अदालतोंसे जोकि इख़्ति- ऐक्ट ९ सन १८८७ ई०

यारात अदालत मतालिबा जात खफ़ीफ़ा हस्ब कानून मजकूर अमल मे लायें—यानी

(अलिफ) उस क़दर हिस्सा ज़मीमा हाज़ा का जो मुतअल्लिक़ हो—

(१) ऐसे मुकद्दमा से जो समाअत अदालत खफ़ीफ़ा से मुस्तस्ना हों या ऐसे मुकदमात की इजराय डिगरी से—

(२) इजराय डिगरी निस्वत जायदाद गैरमन्कूला या निस्वत हक़ूक़ शरीक जायदाद शिराकत से—

(३) करारदाद अमूर तनकीह तलब से—और

(बे) मुफस्सिलै जैल क़वायद व आर्डर यानी—

आर्डर २ क़ायदा १—(तरतीब मुक़दमा)

आर्डर १० कायदा ३ (इजहार फरीक़ैन मुकदमा)

आर्डर १५ (बइस्तिस्नाय उस क़दर जुज़्व कायदा ४ जो निस्बत फौरन् सुनाने फैसला के है)

आर्डर १८ कवायद ५ लग़ायत १२ (शहादत)

आर्डर ४१ लगायत ४५ (अपील)

आर्डर ४७ कवायद २ व ३ व ५ व ६ व ७ (तजवीज़सानी)

आर्डर ५१

आर्डर ५१

अदालत मतालिबाजात खफ़ीफ़ा बलाद प्रेसीडेंसी

जदीद ऐक्ट १५ सन १८८२ ई० अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ा बलाद प्रेसीडेंसी

१—बइस्तिस्नाय हुक्म कायदा २२ व २३—आर्डर ५ व कवायद ४ व ७—आर्डर २१—और क़ायदा ४—आर्डर २६ अदालत मतालिबाजात खफ़ीफ़ा बलाद प्रेसीडेंसी सन १८८२ ई० के बज़मीमा उस अदालत खफ़ीफ़ा के मुक़दमात और कार्रवाई मे मुतअल्लिक़ न होगा जोकि बलाद कलकत्ता व मदरास और बम्बई में क़ायम है—

ज़मीमा अव्वल

नमूना जात

इपन्डिक्स (अलिफ़)

प्लीडिंग

(१) उनवान मुक़द्दमा

बअदालत

(अलिफ बे) (यहां वल्दियत क़ौम व पेशा वग़ैरह और जाय सकूनत लिखना चाहिये)........मुद्दई

(जीम दाल) (यहां वल्दियत क़ौम व पेशा वग़ैरह और जाय सकूनत लिखना चाहिये)....मुद्दआअलेह

२ कैफ़ियत फ़रीक़ैन बमुक़द्दमात ख़ास

सेक्रेटरी आफ स्टेट बहादुर हिंद बइजलास कौंसल ऐडवोकेट जनरल बहादुर मुक़ाम

कलक्टर ज़िलअ

स्टेट

(अलिफ बे) कम्पनी लिमिटेड जिसका रजिस्टरीशुदः दफ़्तर बमुक़ाम   है

(अलिफ बे) पब्लिक अफ़सर (जीम दाल) कम्पनी का

(अलिफ बे) (मय वल्दियत क़ौम व पेशा व सकूनत) अज़ जानिब अपने और जुम्ला दीगर क़र्ज़ख़्वाहान (जीम दाल) मुतवफ़्फ़ी (मय वल्दियत कौम व पेशा व सकूनत) के

(अलिफ बे) (मय वल्दियत क़ौम व पेशा व सकूनत) अज जानिब अपने और दीगर काबिज़ान डेब्बर के जिनको   कम्पनी लिमिटेड ने जारी किया,

अफीशल रिसीवर

(अलिफ़ बे) नाबालिग़ (मय वल्दियत व सकूनत वग़ैरह) बज़रिये (जीम दाल) (या कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स) अपने रफ़ीक़ के

(अलिफ़ बे) (मय वल्दियत व सकूनत वग़ैरह) फ़ातिरुल्‌अक़्ल या मुख़्तल बज़रिये (जीम दाल) अपने रफ़ीक़ के

(अलिफ़ बे) कोठी जो शराकती कारोबार बमुक़ाम करती है

(अलिफ़ बे) (मय वल्दियत व सकूनत वग़ैरह) बज़रिये (जीम दाल) (मय वल्दियत व सकूनत वग़ैरह) अपने अटरनी बाज़ाब्ता के

(अलिफ़ बे) (मय वल्दियत व सकूनत वग़ैरह) शबीत ठाकुर

(अलिफ़ बे) (मय वल्दियत व सकूनत वग़ैरह) वसी (जीम दाल) मुतवफ़्फ़ी का

(अलिफ़ बे) (मय वल्दियत व सकूनत वग़ैरह) वारिस (जीम दाल) मुतवफ़्फ़ी का

(३) अरायज़ दावा

नम्बर १

बाबत रुपया के जो क़र्ज़ दियागया

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है

१–बतारीख़ माह सन् मुद्दई ने मुद्दआअलेह को मुब्लिग़ क़र्ज़ दिये जो बतारीख़ फ़लां वाजिबुल अदा थे–

२–मुद्दआअलेह ने ज़र मज़कूर नहीं अदाकिया बजुज़ मुब्लिग़ के जो बतारीख़ माह सन् दिये—

[अगर मुद्दई किसी क़ानून तमादी से मुक़द्दमा के मुस्तस्ना होने का मुद्दई हो तो बयान करें]

३–मुद्दई तारीख़ माह सन् से तातारीख़ माह सन् नाबालिग़ (या फ़ातिरुल्‌अक़्ल था)

४–(यहां लिखना चाहिये कि बिनाय मुख़ासिमत कब पैदाहुई और यह कि अदालत को मुक़द्दमा में इख़्तियार हासिल है)

५–मालियत मुक़द्दमा नालिश की बग़रज़ इख़्तियार अदालत रुपया है और बग़रज़ कोर्टफ़ीस रुपया है—

६—यह कि मुद्दई दावेदार मुबलिग का यम सूद फ़ीसदी के तारीख माह सन् से है—

नम्बर २

बाबत रुपया के जो ज़ायद दियागया

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है—

१—बतारीख माह सन् मुद्दई सिलाखचांदी की बहिसाब आना फीतोला चांदी खालिस के ख़रीदने पर और मुद्दआअलेह उसके बेचने पर राज़ी हुआ था)

२—मुद्दईने सिलाख मज़कूर मुसम्मै (हे वाव) से जचवाई और उस की उजरत मुद्दआअलेहने अदाकी और (हे वाव) मज़कूरने जाहिरकिया कि उन सिलाखों में से हरएक १५०० तोला खालिस चांदीकी है चुनांच मुद्दईने मुद्दआअलेहको मुबलिग उसकी बाबत अदाकिया,

३—हरएक उन सिलाखों में से सिर्फ १२०० तोला खालिस चांदी की निकली और जब मुद्दईने रुपया दिया तो वह यह बात नहीं जानताथा,

४—मुद्दआअलेहने वह रुपया जोकि उसको जायद दियागया नहीं वापस कियाहै,

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर १—और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर ३

बाबत मालके जो क़ीमत मुअय्यनपर बेचागया और हवाले कियागया

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करताहै—

१—बतारीख माह सन् (हे वाव) ने

हाथ एक सौ बोरे आटेके (या माल मुन्दर्जा फेहरिस्त मुन्सलका या मुतफर्रिक माल) बेचा और हवाले किया,

२–मुद्दआअलेहने मुबलिग़ बाबत माल मज़कूर बतारीख हवालगी (या बतारीख माह सन् किसी दिन क़ब्ल गुज़रने अर्जी दावे के) अदा करनेका इक़रार कियाथा,

३–ज़र मज़कूर उसने नहीं अदा कियाहै,

४–बतारीख माह सन् (हे बाव) फौत होगया और अपने अख़ीरी वसीयतनामाके ज़रिये से अपने भाई याने मुद्दईको अपना वसी मुक़र्ररकिया,

(मज़मून फिक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर १–लिखना चाहिये)

७–मुद्दई बमन्सब वसी (हे बाव) दावा करताहै.

(दादरसी मतलूबा)

नम्बर ४

बाबत मालके जो क़ीमत मुनासिबपर फ़रोख़्त और हवाले कियागया

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज करताहै—

१–बतारीख माह सन् मुद्दईने (मुतफर्रिक़ असबाब खानादारी) मुद्दआअलेहके हाथ फरोख़्त और हवाले किया लेकिन उसकी क़ीमतके बाबत कुछ सरीह क़रार व मदार नहीं हुआ था,

२–असबाब मज़कूरकी क़ीमत मुनासिब मुबलिग़ थी,

३–मुद्दआअलेहने ज़र मज़कूर नहीं अदाकिया,

(मज़मून फिक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर १–और दादरसी मतलूब लिखना चाहिये)

नम्बर ५

बाबत अशियायके जोकि मुद्दआअलेह की दरख़्वास्तसे बनाई गई और उसने नहीं लीं

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करताहै—

१—यह कि बतारीख माह सन् (हे वाव) ने मुद्दई से यह इकरारकिया कि मुद्दई उसके वास्ते (छः मेज़ और पचास कुरसियां) बनादे और बरवक़्त हवाले करने इन चीज़ोंके (हे वाव) मज़कूर उनकी क़ीमत मुबालिग़ अदाकरै,

२—यह कि मुद्दईने वह चीज़ें बनाकर बतारीख माह सन् (हे वाव) मज़कूर से बयानकिया कि वह चीज़ें तयारहैं लेलो और उस वक़्त से हवाले करनेपर आमादह और राज़ी है—

३—यह कि (हे वाव) मज़कूरने उन अशियायको नहीं लिया और न उनकी क़ीमत अदाकी,

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर १—और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर ६

बाबत कमी नीलामसानी (उस मालके जोकि नीलाम में फ़रोख़्त कियागया था)

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करताहै—

१—बतारीख माह सन् मुद्दईने कुछ (माल मुतफ़र्रिक़) इस शर्त से नीलामपर चढाया था कि तमाम माल जिसको ख़रीदार नीलामके बाद (१० रोज़के अन्दर कीमत अदाकरके न उठा ले

जाये वह उसकी तरफसे फिर नीलाम कियाजाये और इस शर्तसे मुद्दआ-अलेह मुत्तिला था,

२-मुद्दआअलेहने (चीनीके वर्तनोंकी एक टोकरी) नीलाममें बक़ीमत मुबलिग़ खरीद्की,

३-मुद्दई मुद्दआअलेहको टोकरी मज़कूर बरोज नीलाम और उसके बाद दस दिनतक हवाले करनेपर आमादह और राज़ी था,

४-मुद्दआअलेह (१० दिनके अन्दर) बाद नीलामके या मिन्बाद उसके खरीद कियेहुये मालको नहीं लेगया और न उसकी क़ीमत अदाकी,

५-बतारीख माह सन् मुद्दईने (बरतनों की टोकरी मज़कूर) मुद्दआअलेहकी तरफ से मुबलिग पर दुबारा नीलामकी,

६-खर्च नीलामसानीका बतादाद हुआ,

७-मुद्दआअलेहने वह कमी जो इस निहजपर बाक़ैहुई यानी मुब-लिग़ नहीं अदाकिये,

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर १-और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर ७

बाबत अदाय ख़िदमत बउजरत मुनासिब

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करताहै—

१-माबैन तारीख माह सन् बतारीख माह सन् मुद्दईने (चन्द तसवीरात और नक़शःजात और अशकाल) मुद्दआअलेहके वास्ते उसकी दरख्वास्त से बनाई लेकिन कोई इक़रार सरीह इस बाब में नहीं हुआ कि उस कामके वास्ते कितना रुपया दिया जायेगा,

२-वह काम वाजिबी मालियती मुबलिग का था,

३-मुद्दआअलेह ने ज़र मज़कूर को नहीं अदा किया है,

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर १-और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर ८

बाबत उजरत ख़िदमत और मसालह बक़ीमत वाजिबी

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज करता है—

१-बतारीख़ माह सन् बमुक़ाम मुद्दईने एक मकान (जो नम्बर से मुक़ाम में मशहूर है) मुद्दआअलेह के वास्ते और उसकी दरख़्वास्त पर तामीर किया और उसका मसालह भी अपने पास से लगाया लेकिन कोई तसरीह मआहिदा इस बाब में नहीं हुआ था कि उस काम और उस मसालह की क्या क़ीमत अदा की जायेगी,

२—वह काम और मसालह अज़रूय मालियत वाजिब मुबलिग़ का था,

३-मुद्दआअलेह ने ज़र मजकूर नहीं अदा किया है—

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर १-और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर ९

बाबत इस्तेमाल और दख़ल के

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर वसी (काफ ये) मुतवफ़्फी का हस्ब ज़ैल अर्ज करता है—

१-मुद्दआअलेह ने (मकान नम्बर वाके सड़क वइजाजत (काफ ये) मजकूर के तारीख़ माह सन् से तातारीख़ माह सन् अपने दख़ल में रक्खा और मकान मजकूर में रहने के लिये दरबाब अदाय किराया कुछ इक़रार नहीं हुआथा,

२-किराया मकान मज़कूरका बाबत मुद्दत मजकूर के बक़यास माकूल बतादाद मुबलिग होताहै,

३-मुद्दआअलेह ने मुबलिग़ मजकूर अदा नहीं किया,
(मज़मून फिकरह ४ व ५ नमूना नम्बर १-लिखना चाहिये)
४-मुद्दई बवजह होने वसी (काफ ये) के दावा करता है—
(दादरसी मतलूबा)

नम्बर १०

बरबिनाय फ़ैसले सालसी

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है-

१-बतारीख माह सन् मुद्दई और मुद्दआअलेह में निज़ाअ दरबाब (मतालिबा मुद्दई बाबत क़ीमत दस कुप्पे तेलके जिसके अदाय करने से मुद्दआअलेह ने इन्कार किया) वाक़ै हुई और तरफ़ैन उस निज़ाअ को बग़रज होने फ़ैसला सालसी मारफत (हे वाव) और (जे हे) के उनके सिपुर्द करने के लिये बज़रिये तहरीर राज़ी हुये और असल दस्तावेज उसके साथ मुन्सलिक है,

२-बतारीख माह सन् सालसान मज़कूर ने यह फ़ैसला किया कि मुद्दाअलेह (मुद्दई को मुबलिग अदा करे)

३-मुद्दआअलेह ने ज़र मजकूर नहीं अदा किया है,
(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नंबर १-और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर ११

बरबिनाय फ़ैसले मुल्क ग़ैर

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्बज़ैल अर्ज़ करता है—

१-बतारीख माह सन् बमुक़ाम रियासत या (अमलदारी) में अदालत रियासत या (अमलदारी)

मजकूरने बमुकदमै मुदई और मुद्दआअलेह जो अदालत मज़कूरमें दायर था यह फैसला बाजाब्ता सादिरकिया कि मुद्दआअलेह मुबलिग मुदई को मये सूद तारीख मज़कूर से अदाकरे,

२–मुद्दआअलेहने जर मज़कूर नहीं अदा कियाहै,

(मजमून फिक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर १–और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये).

नम्बर १२

नालिश बनाम ज़ामिनान अदाय किराया मकान

(उनवान)

(अलिफ बे) मुदई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करताहै—

१–बतारीख   माह   सन्   (हे वाव) ने मुदई से बाबत मुद्दत   सालके (मकान नम्बर वाक़ै सड़क   (मुबलिग सालानापर जोकि (माहाना) वाजिबुल्अदा था किरायापर लिया,

२–मुद्दआअलेहने बयवज इसके कि मकान मजकूर (हे वाव) को किरायापर दियागया उस किरायाके माह बमाह अदा करने के लिये अपनी जमानतकी—

३–किराया बाबत माह   सन्   तादादी मुबलिग   अदा नहीं कियागया (अगर अजरूय शरायत इकरारनामा जमानतके ज़ामिन को इत्तिलादिहीकी जरूरतहो तो यह इबारत अदा करनी चाहिये,

४–बतारीख   माह   सन्   मुदईने मुद्दआअलेह को कि· राया न अदा होनेकी इत्तिलादी और उसके अदा करनेका तक़ाजायकिया,

५–मुद्दआअलेहने जर मज़कूर नहीं अदा कियाहै—

(मजमून फिक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर १–और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर १३

बाबत खिलाफ़वरज़ी मुआहिदा खरीद अराज़ी

(उनवान)

(अलिफ बे) मुदई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज करता है—

१—बतारीख माह सन् माबैन मुद्दई और मुद्दआअलेह के एक इक़रारनामा हुआ और असल दस्तावेज़ उसके साथ मुन्सलिक है (या बतारीख माह सन् मुद्दई और मुद्दआअलेह ने बाहम यह इक़रार किया कि मुद्दई मुद्दआअलेह के हाथ ४० बीघा अराज़ी वाक़ै मौज़ा बयवज़ मुबलिग बयकरै और मुद्दआअलेह उसको मुद्दई से खरीद करै)

२—यह कि बतारीख माह सन् बमुक़ाम मुद्दई ने जो उस वक़्त मालिक बिला शिरकत जायदाद मज़कूर का था (और जायदाद मज़कूर तमाम बारसे बरीथी जैसा कि मुद्दआअलेह पर ज़ाहिर कर दियागया था) मुद्दआअलेह के रूबरू एक वसीक़ा कामिल इन्तिक़ाल जायदाद मज़कूर का इस शर्तपर देनेके लिये पेश किया कि मुद्दआअलेह मुबलिग क़रारयाफ़्ता अदाकरै (या मुद्दआअलेह के नाम बज़रिये वसीक़ै कामिल के उसका इन्तिक़ाल करने के लिये मुस्तैद और राज़ी था और अबतक मुस्तैद और राज़ी है) और इस अम्र के वास्ते उस से कहाथा—

३—यह कि मुद्दआअलेह ने वह रुपया नहीं अदा किया—

(मज़मून फ़िकरह ४ व ५ नमूना नम्बर १—और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर १४

बाबत न हवालेकरने फ़रोख़्त कियेहुये माल के

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है—

१—बतारीख माह सन् मुद्दई और मुद्दआअलेहने बाहम यह इक़रार किया कि मुद्दआअलेह (बतारीख माह सन्) मुद्दई को (एकसौ बोरे आटे के) हवाले करे और मुद्दई बर-वक़्त हवालगी मालके उसकी बाबत मुबलिग अदाकरे,

२—बतारीख (मज़कूर) मुद्दई दरवक़्त हवालगी माल मज़कूर नर्ख़ मज़कूर मुद्दआअलेह को अदा करने पर आमादह और राज़ी था और उसके लेलेने को उसने कहा था—

३—मुद्दआअलेह ने माल मजकूर नहीं हवाले किया जिसके सबब से मुद्दई उस मुनाफा से महरूमरहा जोकि माल मज़कूर की हवालगी से उसको होता—

(मज़मून फिक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर १—और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर १५

नालिश बाबत बेजा मौक़ूफ़ी के

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है—

१—बतारीख माह सन् माबैन मुद्दई और मुद्दआअलेह बाहम यह इक़रारहुआ कि मुद्दई बतौर (मुहासिब या पेशदस्तके या जैसी कि सूरतहो) मुद्दआअलेहकी मुलाज़िमतकरै और मुद्दआअलेह खिदमत मज़कूरपर मुद्दईको वास्ते मुद्दत (एक साल) के मुलाज़िम रक्खै और उसको मुबलिग़ तनख़्वाह माहाना दियाकरै—

२—बतारीख माह सन् मुद्दई मुद्दआअलेहकी नौकरी पर गया और जबसे नौकरहै और ता इख़्तिताम साल मजकूर हिनोज उसी खिदमतपर मामूर रहने के लिये आमादह और राजी है और इस अम्रकी मुद्दआअलेहको हमेशा इत्तिला रहीहै—

३—बतारीख माह सन् मुद्दआअलेहने बेजा तौरपर मुद्दईको मौक़ूफ करदिया और खिदमत मजकूरके अदा करने से मना किया और नौकरीकी तनख़्वाह देने से भी इन्कार किया—

(मज़मून फिक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर १—और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर १६

खिलाफवरज़ी मुआहिदा मुलाज़िमत

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज करताहै—

१—बतारीख माह सन् माबैन मुद्दई और मुद्दआअ-

लेहके यह इक़रार हुआ कि मुदई तनख़्वाह सालाना मुबलिग़ पर मुद्दआअलेहको मुलाज़िम रक्खै और मुद्दआअलेह बतौर (नक़्क़ाशके) वास्ते मुद्दत (एक साल) के मुदईका मुलाज़िमरहै-

२-मुदई हमेशा इक़रार मज़कूरकी तामील अपनी तर्फसे करनेपर आमादह और राज़ी है और (बतारीख़ माह सन् इस बात का इज़्हार किया-)

३-मुद्दआअलेह (मुदई की मुलाज़िमत में बतारीख़ मज़कूर दाख़िल हुआ लेकिन मिन्बाद बतारीख़ माह सन्) उसने की हस्ब मज़कूरेबाला ख़िदमत करने से इन्कार किया-

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर १-और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर १७

नालिश बनाम मेमार के ख़राब काम बनाने की बाबत

(उनवान)

(अलिफ बे) मुदई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करताहै-

१-बतारीख़ माह सन् मुदई और मुद्दआअलेह के दरमियान बाहम एक इक़रारनामा लिखागया और असल दस्तावेज़ इसके साथ मुन[illegible]—

[illegible] .मून लिखाजाये)

[illegible]-(मुदईने [illegible] की [illegible] मसाला करार ना-)

[illegible] मज़कूर हुई तौर

[illegible]

[illegible] दादरसी

नम्बर १८

नालिश बाबत इक़रारनामा दियानतदारी क्लार्क यानी मुहर्रिरके

(उनवान)

(अलिफ बे) मुदई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज करताहै—

१—बतारीख   माह   सन्   मुदईने (हे वाव) को बतौर क्लार्क के नौकर रक्खा—

२—इसके एवज़में बतारीख   माह   सन्   मुदआअलेह ने मुदई से इक़रारकिया कि अगर (हे वाव) मज़कूर अपना काम ओहदा क्लार्क का दियानत से न करै और तमाम रुपयाकी बावत या क़र्जाकी दस्तावेजात या और माल जोकि मुदईके इस्तेमालके वास्ते उसको मिलै उसका हिसाब न देसकै तो जो कुछ कि मुदईको उसकी वजहसे नुक़सान हो उसकी बावत मुदआअलेह उस क़दर रुपया जो मुबलिग़   से ज़्यादा न हो अदाकरै—

[या २—इसके एवज में मुदआअलेहने बज़रिये इक़रारनामा मुवर्रिखै तारीख मजकूर मुदई से बक़रारदाद जुर्माना मुबलिग   के इक़रार कियाथा इस शर्तपर कि अगर (हे वाव) अपनी खिदमात ओहदा क्लार्क और खज़ानचीगरी मुदईको वदियानत अंजामदे और तमाम रुपया और दस्तावेजात क़र्जा या और जायदाद जो किसी वक़्त उसके क़ब्जामें मुदई के वास्ते अमानतन् आये उस सबका हिसाब वाजिबी मुदई को दे तो इक़रारनामा मजकूर फिस्ख होजायेगा—]

(या २—इसके एवजमें उसी तारीखको मुदआअलेहने मुदईको एक इकरारनामा लिखदिया और असल दस्तावेज इसके साथ मुन्सलिकहै)

३—माबैन तारीख   माह   सन्   और तारीख   माह   सन्   (हे वाव) ने रुपया और माल मालियती मुबलिग   वास्ते इस्तेमाल मुदई के वसूल किया और इसका हिसाब उसने मुदई को नहीं दिया है और वह अबतक याफ़्तनी और ग़ैर मुवद्दा है—

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर १९

नालिश किरायादार की बनाम मालिक मकान बाबत खास हर्जा के

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है—

१-बतारीख माह सन् मुद्दआअलेह ने बज़रिये रजिस्टरी शुदः दस्तावेज के मुद्दई को (मकान नम्बर वाक़ै सड़क) वास्ते साल के मीयाद के किराया पर दिया और मुद्दई से यह इक़रार किया कि मुद्दई और उसके कायम मुक़ाम जायज बिला तअर्रुज मीयाद मज़कूर तक उस पर काबिज़ रहैं—

२-तमाम शरायत का ईफा कियागया और तमाम अमूर वक़ूअ में आये जो वास्ते इस्तहक़ाक़ मुद्दई के जरूरी थे—

३-बतारीख माह सन् अन्दर मीयाद मज़कूर के (हे वाव) मालिक जायज़ मकान मजकूर ने मुद्दई को जबाज़न् उस मकान से खारिज किया और अबतक उसका क़ब्ज़ा मुद्दई को नहीं देताहै—

४-इस सबब से मुद्दई बमकान मजकूर पेशा दर्जीका कारोबार करने से ममनूअ हुआ और वहां से निकल जाने में बतादाद मुबलिग खर्च पड़ा और (ज़े हे) और (तो ये) का काम वहां से निकल जाने के सबब उसके हाथ से जातारहा—

(मजमून फ़िकरह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर २०

नालिश बरबिनाय इक़रारनामा बरियत

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है—

१-बतारीख माह सन मुद्दई और मुद्दआअलेह ने जो कोठी (अलिफ बे) और (जीम दाल) के नाम से बशराकत ब्योपार करते थे शराकत फ़िस्ख़ करके बाहम यह इक़रार किया कि मुद्दआ-

अ़लेह तमाम माल शराकती लेकर अपने पास रक्खे और कोठी का तमाम कर्ज़ा अदाकरै और जो दआवी कि मुद्दई पर उस कोठी के मक़रूज होनेकी बाबत क़ायम कियेजायें उन सब से मुद्दई को बरी करदे—

२—यह कि मुद्दई ने तमाम शरायत जो बमूजिब इक़रारनामा मज़कूर उसकी तरफ़ से पूरी होनी चाहिये थीं क़रार वाक़ई पूरी कीं—

३—यह कि बतारीख माह सन् (एक फ़ैसला बनाम मुद्दई और मुद्दआअ़लेह के (हे वाव) ने अदालत हाईकोर्ट मुक़ाम से बाबत क़र्ज़ा के जोकि (हे वाव) मजकूर को कोठी मजकूर से याफ़्तनी था हासिल किया और तारीख माह सन्) मुद्दई ने मुबलिग (बाबत मतालिबै मजकूर) अदा किया—

४—यह कि मुबलिग मजकूर मुद्दआअ़लेहने मुद्दईको नहीं अदा किया—

(मजमून फ़िकरह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर २१

फ़रोख्त लेना माल का

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है—

१—बतारीख माह सन् मुद्दआअ़लेह ने मुद्दई को कुछ माल मुद्दआअ़लेह के हाथ बेचनेपर रागिब करने के लिये मुद्दई से यह जाहिर किया कि (मुद्दआअ़लेह मुस्तती़अ़ है और अपने तमाम दयून से ज़्यादा मुबलिग की अस्तताअ़त रखता है—

२—मुद्दई इस वजह से (खुश्कमाल) मालियती मुबलिग मुद्दआअ़लेह के हाथ बेचने (और हवाले करने) पर रागिब हुआ—

३—उसके बयानात मजकूर गलत थे (या दरोगगोई की तफ़सील बयान करनी चाहिये और उस वक़्त मुद्दआअ़लेह ख़ुद जानता था कि उसका बयान गलत है—

४—यह कि मुद्दआअ़लेहने माल मजकूर की बाबत रुपया नहीं अदा किया है (या अगर माल न हवाले कियागया हो तो) यह कि मुद्दई परमाल

मज़कूर की तय्यारी और उसको जहाज पर लादने और उसको फिर वापस लेनेमें खर्च बकदर मुबलिग़ आयद हुआ—

(मज़मून फ़िकरह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर २२

फ़रेबन् दूसरे शख़्सको माल क़र्ज़ दिलाना

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है—

१—बतारीख माह सन् मुद्दआअलेह ने मुद्दई से बयान किया कि (हे वाव) मुस्ततीय और खूब मुअतबर शख़्स है और अपने तमाम दयूनसे ज़्यादा मालियत बकदर मुबलिग़ के रखता है (या यह कि (हे वाव) इस वक्त एक ओहदा जिम्मेदारीका और अच्छी हैसियत रखताहै और उसको क़र्ज माल देने में कुछ अन्देशा नहीं है)

२—इस वजह से मुद्दई (हे वाव) के हाथ (चावल) मालियती मुबलिग़ का (महीने के वादापर) वेचने पर राजीहुआ—

३—बयानात मजकूर दरोग थे और मुद्दआअलेह खुद उस दरोग से उस वक्त वाक़िफ था और वह बयानात बनियत मुग़ालता और फरेबदिही मुद्दई के कियेगये थे (या मुद्दई को धोका देने और ज़रर पहुंचाने के वास्ते)

४—(हे वाव) ने (बाबत माल मजकूर के बाद गुज़रने वादा मज़कूर वाला के रुपया नहीं अदाकिया) या बाबत उस चावल के रुपया नहीं दिया और मुद्दई उस मालको बिलकुल हाथ से खो बैठा—

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर २३

मुद्दई की ज़मीन के नीचे पानी नजिस करने की बाबत

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है—

१–मुद्दई जमीन मौसूमा वाक़ै पर और एक कुयें पर जो उसमें है और उस पानी पर जो उस कुयेंमें है क़ाबिज है और हमेशा उस मुद्दततक जिसका जिक्र जैलमें किया जायगा क़ाबिज रहाहै और उस कुयें और उसके पानी को इस्तेमाल में लाने और उससे फ़ायदा उठाने का मुस्तहक़ है और नीज इस बातका इस्तहक़ाक़ रखता है कि चंद सोते और चश्मे पानी के जो इस कुयें में बहकर आते हैं और गिरते हैं वह इस तौर से बहकर आयें और गिरें कि पानी गन्दा या नजिस न हो–

२–बतारीख माह सन् मुद्दआअलेह ने जो बेजातौर पर उस कुयें और उसके पानी को और उन चश्मों और सोतों को जो उस कुयें में गिरते हैं गन्दा और नजिस किया–

३–बवजह मरकूमेवाला पानी कुयें मजकूर का नापाक होकर खर्च खानादारी और दीगर अगराज़ ज़रूरी के लायक़ नहीं रहा और मुद्दई और उसका खानदान उस कुयें और उसके पानीके इस्तेमाल और इस्त फादह से महरूम रहे–

(मज़मून फिक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर २४

बाबत जारी रखने कारख़ाना तकलीफ़दिहके

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करताहै—

१–मुद्दई अराज़ी मौसूमा वाक़ै पर क़ाबिजहै और उस तमाम अर्सा से जो इस अर्ज़ी नालिश में बाद अर्जी मरकूम है क़ाबिज रहाहै—

२–तारीख माह सन् से मुद्दआअलेहके कारखान फलजात से धुआं और दीगर बुखारात बदबूदार और मुजिर तन्दुरुस्ती और मवाद फासिद बकसरत निकलताहै और अराज़ी मजकूरपर फैलता है और वहांकी हवामें मिलकर उसको बिगाड़ताहै और अराजीकी सतह पर बैठकर जम जाताहै—

३–उस वजह से दरख़्त और झाड़ी और नबातात और फ़स्ल ज़राअत मुद्दईको जो उस ज़मीनपर होतीहै मुज़र्रत पहुंचती है उनकी मालियतमें कमीहुई और मवेशी और जानवर मुद्दईके जो उस ज़मीनपर रहतेहैं वह उससे बीमार होगये और चन्द उनमें से मसमूम होकर मरगये–

४–बवजह मरक़ूमैवाला मुद्दई अराज़ी मज़कूर में अपने मवेशी और भेड़ों को नहीं चरासका और अगर ऐसा न होता तो चरासक्ता और मुद्दईको अपने मवेशी और भेड़ियां और पेशै ज़राअतके जानवर वहां से लेजानेपड़े और अराज़ी मज़कूरके उस फ़ायदाबख़्श और सेहतआवर इस्तेमाल और दख़लसे जोकि दरसूरत न होने वजह मज़कूरके हासिल होता महरूम रहा—

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर २५

बाबत मज़ाहिमत इस्तहक़ाक़ राह

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करताहै–

१–मुद्दई क़ाबिज़ (एक मकान वाके मौज़ा का) है और उस वक़्त जिसका ज़िक्र बाद अर्ज़ी मरक़ूमहै क़ाबिज़ था–

२–मुद्दई मुस्तहक़ था कि सालके हरमौसिम में ख़ुद और बहमराही अपने नौकरों के (मये सवारीके या पयादो पा) अपने मकान मज़कूरसे फलां खेतके ऊपर होकर एक शारेआमतक जायाकरे और फिर शारेआम से उसी खेतपर होकर अपने मकानको लौटआये—

३–बतारीख़ माह सन मुद्दआअलैहने उस राहको बतौरीक़ नाजायज़ रोकदिया उस वजह से मुद्दई (सवारीपर या पैदल या किसी तरह) आमद व रफ़्त नहीं करसका (और उस वक़्त से उस राह को बतौरीक़ नाजायज़ रोक रक्खाहै)

४–अगर कोई ख़ास नुक़्सान हुआहो तो वह बयान कियाजाये,

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर २६

बाबत मज़ाहिमत शारेआम

(उनवान)

१-मुद्दआअलेहने बेजा तौरपर एक खाई खोदकर मिट्टी और पत्थर शारे आमपर जो से तकहै इस तौरपर जमाकर रक्खाहै कि रास्ता बन्द होगया—

२-इस ववजहसे मुद्दई उस वक़्त कि जायज़ तौरपर उस रास्तासे गुज़रता था उस मिट्टी और पत्थरके ढेरपर (या खाईमें) गिरपड़ा और मुद्दई का हाथ टूटगया और बड़ी तकलीफ उठाई और मुद्दततक अपना काम न करसका और मआलिजा करनेका सर्फ भी आयद हालहुआ—

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर २७

बाबत फेरने पानीकी नालीके

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करताहै—

१-मुद्दई क़ाबिज़ एक पनचक्की वाक़ै चश्मा मअरूफ व वाक़ै मौज़ा ज़िलअ काहै और उस वक़्त जोकि वाद अर्ज़ी मरकूम है क़ाबिज़ था—

२-बवजह उस क़ब्ज़ाके मुद्दई मुस्तहक़ इसका था कि चश्मा मज़कूर उस पनचक्कीके चलाने के लिये बहती रहै—

३-बतारीख माह सन् मुद्दआअलेहने उस चश्माका किनारा काटकर उसके पानीको बतरीक़ नाजायज़ इसतरह फेरदिया कि मुद्दईकी पनचक्की की तरफ पानी कम आया—

४-इस वजह से मुद्दई फी योम बोरे ग़ल्ला योमिया से ज़्यादा नहीं पीससक्ताहै हालांकि उस पानी के फेरदेने से पहले मुद्दई फ़ी योम बोरे ग़ल्ला पीससक्ता था—

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर २८

बाबत मज़ाहिमत इस्तहक़ाक़ लेने पानीके आबपाशी के लिये

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज करताहै—

१—मुद्दई अराजी वाक़ै का काबिजहै और उस वक़्त जिसका ज़िक्र बाद अर्ज़ी मरकूमहै काबिजथा और इस्तहकाक रखताथा कि फलां चश्माके पानीका हिस्सा अराजी मज़कूरकी आबपाशीके लिये ले और मुस्तअमल करै—

२—बतारीख माह सन् मुद्दआअलेहने उस पानीके हिस्से मजकूरको हस्ब मरकूमै बाला लेने और उसका इस्तेमाल करने से मुद्दईको इसतरह बाज रक्खा कि चश्माको बतरीक नाजायज़ रोककर दूसरी तरफ फेरदिया—

(मजमून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर २९

बाबत ज़ररके जो रेलकी सड़कपर मुदआअलेह की ग़फ़लत से हुआ

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज करताहै—

१—बतारीख माह सन् मुद्दाअलेहम् मालकान मुसाफिरोंको बजरीये रेल माबैन मुकाम और मुकाम के पहुंचाया करते थे—

२—बतारीख मजकूर मुद्दई रेल मजकूरपर मुद्दाअलेहुमकी गाड़ियों में से जो सड़क मजकूरपर थीं एक गाड़ीपर सवार था—

३–दर असनाय सफर मज़कूर वमुक़ाम [या क़रीब स्टेशन के या माबैन स्टेशन और स्टेशन] रेलवे मज़कूर पर बवजह गफलत और नाकर्दहकारी मुलाज़िमान मुद्दआअलेहुम् के अंजन लड़गया जिसके सबब से मुद्दई को बहुत ज़रर पहुंचा (मुद्दई की टांग टूटगई सिर में ज़ख्म लगा और जो कुछ कि खास नुक़सान पहुंचाहो बयान किया जाये) और मआलिजा में सर्फ पड़ा और हमेशा के वास्ते अपने रोज़-गार साबिका याने (फरोख्त के लिये फेरी करने से) माज़ूर होगया–

(मज़मून फिक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

(या इस तौरपर २–बतारीख मज़कूर मुद्दआअलेहुम् के नौकरों ने ऐसी गफलत और बेतमीज़ी से अंजन और गाड़ियों को जो उससे लगी हुईथीं मुद्दआअलेहुम् की रेलवेपर जिस से पार होकर मुद्दई उस वक्त बतौर जायज़ गुज़रता था हांका और चलाया कि वह अंजन और गाड़ी मुद्दई की तरफ आई और मुद्दई को टक्कर लगी जिससे इलाआखिरह जैसा कि फिक़रह ३ में है)

नम्बर ३०

नालिश बाबत उस नुक़सान के जो बेइहति-यातों के साथ हांकने से हो

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है—

१–मुद्दई मोची है और अपना कारखाना मुक़ाम में चलाता है और मुद्दआअलेह मुक़ाम का सौदागर है–

२–तारीख माह सन् को मुद्दई शहर कलकत्ता में दोपहर पर तीन बजने के अमल पर चौरंगी की सड़क होकर जानिब दक्खिन पयादह पा जारहाथा नागुज़ीर मुद्दई को सड़क मौसूमा मिडलटन स्ट्रीटके इस पारसे उस पारजाना पड़ा उस सड़क और सड़क चौरंगी का तक़ातअ जवायाय क़ायमा पर होताहै–जब मुद्दई सड़क के इस पार से उस पार जाता था और कब्ल इसके कि वह उस पार के रास्ता गुजर गुमा-

फिरान पयादह तक पहुंचने पाये एक गाड़ी मुद्दआअलेह की जिस में दो घोड़े जुते थे और जो बसिपुर्दगी और इहतिमाम मुलाज़िमान मुद्दआअलेहके चलती थी दफ़अतन और बराह गफलत और बिला होशियार करने राहगीरोंके तुन्दी और तेज़ी खतरनाक के साथ मिडलटन स्ट्रीटसे निकल कर सड़क चौरंगी में दाखिल होगई गाड़ी मज़कूर की बमसे मुद्दई को चोटलगी और उसके सदमा से मुद्दई गिरपड़ा और घोड़ों के पांवों के तले बहुत रौंदागया—

३—उस सदमा और गिरपड़ने और रौंदेजाने से मुद्दई का बायां हाथ टूटगया और उसके पहलुओं और पीठपर रगड़ पहुंची और जिस्म के अन्दर भी सदमा पहुंचा और उन जरबात और सदमात के सबब से मुद्दई चार महीनेतक बीमार और बहुत तकलीफ उठातारहा और अपना कारोबार न करसका और डाक्टरों के हक़्क़ुलखिदमत और दीगर इख़राजात में मुद्दई का बहुत रुपया सर्फ़हुआ और उसके कारोबार और मुनाफा में बहुत कमीहुई—

(मजमून फिक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर ३१

बाबत नालिश फ़ौजदारी मुबनीबर अदावत

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है—

१—बतारीख माह सन मुद्दआअलेह ने वारन्ट गिरफ़्तारी का (मजिस्ट्रेट शहर मज़कूर या जो कुछ कि सूरत हो) रूबरू बइल्ज़ाम जारी कराया जिसपर मुद्दई गिरफ़्तार कियागया और तारीख़ (दिन या घंटा) क़ैदरहा और उसको हाज़िरज़ामिनी बतादाद मुबलिग़ अपनी रिहाई हासिल करने के लिये देनी पड़ी—

२—यह शख़्स मुद्दआअलेह ने अदावतन और बिला वजह माक़ूल व क़रीन क़यास के किया—

३—बतारीख माह सन मजिस्ट्रेट मौसूफ़ ने मुद्दआअलेह की नालिश को ख़ारिज करके मुद्दई को बरी किया—

४—यह कि बहुत अशखास ने जिनके नाम मुद्दई को मालूम नहीं हैं गिरफ़्तारी का हाल सुनकर और मुद्दई को मुजरिम खयाल करके मुद्दई के साथ कारोबार करना छोड़ दिया है या बवजह इसी गिरफ़्तारी के मुद्दई का ओहदा क्लार्क या मोहर्रिर का बमुलाज़िमत (हे बाव) जाता रहा या यह कि बवजह मरकूमै बाला मुद्दई के जिस्म की तकलीफ और दिलको रंज पहुंचा और अपना कारोबार करने से माज़ूर रहा और उस के एतबार में भी खलल पड़ा और क़ैद मज़कूरसे रिहाई हासिल करने और उस नालिश की जवाबदिही में खर्चभी करना पड़ा—

(मज़मून फिक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) और दादरसी मतलूबा लिखना चाहिये)

नम्बर ३२

बाबत माल मन्कूला जो बेजा तौरपर लेलिया गयाहो

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज़ करता है—

१—बतारीख माह सन् मुद्दई मालिक (या वह वाक़ियात बयान कियेजायें जिनसे इस्तहक़ाक़ क़ब्ज़ा ज़ाहिर होताहो माल मुन्दर्जे फेहरिस्त मुन्सलकः का (या तफ़्सील माल बयान कीजाये) था जिसकी तखमीनी मालियत मुबलिग़ है—

२—तारीख मज़कूरसे तारीख शुरूअ होने नालिश तक मुद्दआअलेह ने माल मज़कूर को मुद्दई के क़ब्जा से रोकरक्खा है—

३—नालिश शुरूअ होनेसे पहले यानी बतारीख माह सन् मुद्दई ने माल मज़कूर को मुद्दआअलेह से तलब किया मगर उस ने मालको हवाले करने से इन्कार करदिया—

(मजमून फिक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) लिखना चाहिये)

५—बिनाबरान मुद्दई दादख्वाह है—

अव्वल—वास्ते दिला पाने क़ब्जा माल मज़कूर के या जिस हाल में

कि उस मालका कब्ज़ा न मिल सके तो वास्ते दिला पाने मुबलिग के,

दोम—बाबत मुबलिग हर्जा रोक रखने माल मज़कूर के,

(फेहरिस्त)

नम्बर ३३

नालिश बनाम उस शख़्स के जो फ़रेबन् ख़रीदार हुआ और बनाम उसके जिसके नाम उसने मुन्तक़िल किया दरहाले कि मुन्तक़िल अलेह को इस फ़रेबका इल्मथा

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है—

१—बतारीख माह सन् मुद्दआअलेह (जीम दाल) ने मुद्दई को इस बातकी रग़बत दिलाने के लिये कि कुछ माल उसके हाथ फरोख़्त कियाजाये मुद्दई से यह ज़ाहिर किया कि (मुद्दआअलेह मुस्तनीअ और अपने तमाम दयून से ज़्यादा मुबलिग का मक़दूर रखता है)—

२—मुद्दई इस वजह से (जीम दाल) के हाथ (एक सौ सन्दूक चाय के) जिनकी तख़मीनी मालियत बतादाद मुबलिग है बेचने और हवाले करदेने पर राग़िब हुआ—

३—बयानात मज़कूर दरोग थे और उस वक़्त (जीम दाल) उनको दरोग जानता था (या बयानात मज़कूर के वक़्त (जीम दाल) मफ़्लूस दिवालिया था और अपना दिवालिया होना जानता था—)

४ (जीम दाल) ने मिनबाद वह माल बिला क़ीमत (हे वाव) मुद्दआअलेह के हाथ (या जिसको उस बयान के झूठ होनेका इल्मथा मुन्तक़िल किया—

२–माल मज़कूरको रोक रखनेकी बाबत हर्जा मुब्लिग दिलायाजाये–

नम्बर ३४

वास्ते मंसूख़ी मआहिदाके जो ग़लती की बिनायपर हुआहो

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करताहै–

१–बतारीख माह सन् मुद्दआअलेहनें मुद्दई से बयान किया कि एक क़ितआ अराज़ी अर्ज़ां मुद्दआअलेह वाक़ै मुक़ाम (दस बीघाहै–)

२–मुद्दईको उस बातसे उस अराज़ीको बक़ीमत मुब्लिग खरीदने के लिये बड़ी एतबार रग़बत दिलाईगई कि वह बयान रास्तथा और मुद्दईने एक इक़रारनामा खरीदारीपर दस्तखत करदिये असल इसके साथ मुन्सलिकहै लेकिन वह अराज़ी मुद्दईके नाम मुन्तक़िल नहीं कीगई–

३–बतारीख माह सन् मुद्दईने मुद्दआअलेहको मुब्लिग मिन्जुम्ला ज़र समनके अदा करदे–

४–क़ितआ अराज़ी मजकूर फ़िल् हक़ीक़त सिर्फ (पांच बीघा) है–

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) लिखना चाहिये)

७–बिनाबरान मुद्दई दादख़्वाहहै कि—

अव्वल–मुब्लिग मयेसूद तारीख माह सन् से दिला दियेजायें–

दोम–इक़रारनामै मजकूर वापस होकर मन्सूख कियाजाये—

नम्बर ३५

बमुराद सदूर हुक्म मुमानिअत ज़ियान

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करताहै–

१–मुद्दई मालिक कामिल (यहां जायदादको बयान करना चाहिये) का है—

२—मुद्दआअलेह उसपर बमजिब पट्टाके काबिज़है जिसको मुद्दईने दियाहै

३—मुद्दआअलेहने बिला रज़ामन्दी मुद्दई (चन्द कीमती दरख़्त काट डाले हैं और चन्द और दरख़्त बेचने के लिये काट डालनेकी—धमकी देताहै)—

(मजमून फ़िकरह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) लिखना चाहिये)

बिनाबरान मुद्दई दादख़्वाह होकर मुस्तदई है कि मुद्दआअलेह उस अराजी में कोई और जियान करने-या जियान करनेकी इजाजत देने से बज़रिये हुक्म इम्तिनाईके बाज़ रक्खाजाये—

(जायज़है कि मआविज़ा ज़र नक़्द दिलानेकी दरख़्वास्त भी कीजाये)

नम्बर ३८

नालिश अम्र तकलीफ़दिहके मौकूफ़ करने के लिये

(उनवान)

हुक्म दियाजाये कि आयन्दह अम्र तकलीफदिह के इर्तिकाबसे या इर्तिकाबकी इजाजत देने से बाजरहै—

नम्बर ३७

नालिश बाबत अम्र बायस तकलीफ़ आम

१—मुद्दआअलेहने शारअ आम वाक़ै   पर जो स्ट्रीटके नामसे मशहूरहै बतरीक़ नाजायज़ मिट्टी और पत्थर इस तौरपर जमाकर रक्खेहैं कि अवामका रास्ता उस सड़कपर बन्द होगया और अगर ऐसा करने से बाज़ न रक्खा जायगा तो फेल नाजायज मज़कूरको जारी रखने और बार बार करनेकी धमकी देताहै और इरादह रखताहै—

२—नालिश हाज़ा रुजूअ करनेकी बाबत मुद्दइयानने ऐडवोकेट जनरल (या कलक्टर या दीगर अफ़सर जो इस ग़रज़के लिये मुक़र्रर हुआहो) की इजाज़त हासिल करली—

(मज़मून फिकरह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) लिखना चाहिये)

बिनाबरान मुद्दई दादख़्वाहहै—

अव्वल—कि हुक्म बनाम मुद्दआअलेह सादिरहो कि मुद्दआअलेहको कोई हक़ सड़क मजकूरपर अवामका रास्ता रोकनेका नहीं है—

दोम—और एक हुक्म इम्तिनाई बनाम मुद्दआअलेह सादिरहो कि मुद्दआअलेह शारअ आम मज़कूरपर अवामके रास्तामें मज़ाहिमतसे बाज रक्खाजाये और उसको हुक्महो कि जो मिट्टी और पत्थर उसने बतरीक़ नाजायज़ जमा कियेहैं उनको उठा लेजाये—

नम्बर ३८

पानीकी नालीके फेरदेने की मुमानिअतका हुक्म हासिल करने के लिये

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करताहै—

(मिस्ल नमूना नम्बर २७)

मुद्दई दादख़्वाह होकर मुस्तदईहै कि मुद्दआअलेह बज़रिये हुक्म इम्तिनाईके उस पानीको फेर देने से बाज रक्खाजाये—

नम्बर ३९

बमुराद दिला पाने माल मन्कूलाके जिसके तलफ़ करडालने की मुद्दआअलेह धमकी देता है और बग़रज़ सदूर हुक्म इम्तिनाई के

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करताहै-

१-मुद्दई (अपने दादाकी एक शबीहका जिसे एक नामी मुसव्विरने तयार कियाथा) मालिकहै और उन तमाम औक़ातपर जिनका ज़ैलमें ज़िक्रहै मालिक था और उस शबीहकी कोई नक़्ल मौजूद नहीं (या कोई ऐसा अम्र बयान कियाजाये जिससे ज़ाहिरहो कि माल इस क़िस्मका है कि बसर्फ़ ज़र फिर मयस्सर नहीं होसक्ता)-

२-बतारीख़ माह सन् मुद्दईने उसको बहिफ़ाज़त रखने के लिये मुद्दआअलेहके पास रखवा दियाथा-

३-बतारीख़ माह सन् मुद्दईने वह शबीह मुद्दआअलेहसे मांगी और जो ख़र्च वाजिबी उसको बहिफ़ाज़त रखनेका हुआहो उसके अदा करनेको कहा-

४-मुद्दईको उसके हवाले करदेने से मुद्दआअलेहने इन्कारकिया और धमकी देताहै कि अगर उसके हवाले करनेको कहा जायेगा तो वह उसे छिपा डालेगा या बेच डालेगा या काट डालेगा या उसको ज़रर पहुंचायेगा-

नम्बर ४०

नालिश अमीन बमुराद तस्फ़िया बैनुल् मुतनाज़ईन

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज करता है—

१—क़ब्ल उन दआवी के जिनका ज़िक्र ज़ैलमें कियाजाता है (ज़े हे) ने मुद्दई के पास (यहां तसरीह मालकी करनी चाहिये) बहिफाज़त रखने के लिये) अमानत रक्खा था—

२—मुद्दआअलेह (जीम दाल) उसी माल का दावा करता है (इस बयानसे कि (ज़े हे) ने वह माल उसके नाम मुन्तक़िल करदिया है—

३—मुद्दआअलेह (हे वाव) उसी माल पर (बज़रिये तहरीर इस मज़मून के कि (ज़े हे) ने वह माल उसके नाम मुन्तक़िल किया है) दावेदार है—

४—मुद्दई इन दोनों मुद्दआअलेहों के हकूक़ के हालसे नावाकिफ है—

५—मुद्दई को उस मालपर सिवाय मतालिबा व खर्चा के कुछ दावा नहीं है और उस माल को उन अशखास के हाथ जिनकी अदालत हिदायत करे हवाले करदेने पर आमादह और राज़ी है—

६—मुद्दआअलेहुम् में से किसी के साथ साज़िश करके यह नालिश रुजूअ नहीं की गई है—

(मजमून फ़िकरह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) लिखना चाहिये)

६—बिनाबरान मुद्दई दादख्वाह है कि—

अव्वल—बज़रिये हुक्म इम्तिनाई के मुद्दआअलेहुम् को मुमानिअत हो कि उस मालकी निस्बत मुद्दई पर कोई मुक़दमा क़ायम न करें—

दोम—उनको हुक्म हो कि उस मालियतकी निस्बत अपने अपने दावा का तस्फ़िया अदालतसे करालें—

सोम—किसी शख्सको दरअस्नाय निज़ाअ अदालत उस मालके दाखिल करनेकी इजाज़त दीजाये—

चहारुम–जब उस (शख़्स) को माल मज़कूर हवाले कियाजाये तो मुद्दई बरी करदिया जाये कि उस मालकी निस्बत मुद्दआअलेहुम्‌मेंसे किसी का मवाख़िज़ह मुद्दईसे न रहै–

नम्बर ४१

नालिश बमुराद और इहतिमाम मार्फ़त क़र्ज़-ख़्वाह अज़ जानिब खुद व दीगर क़र्ज़ ख़्वाहान

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज करता है–

१–(हे वाव) मुतवफ़्फ़ी साकिन बरवक़्त अपनी वफातके क़र्ज़-दार मुद्दईका बक़द्र मुबलिग (यहां नौय्यत क़र्जा और हाल उस की जमानत या किफालतका अगर कुछहो बयान करना चाहिये) के था और उसकी जायदाद अबतक मक़रूजहै–

२–(हे वाव) मजकूर बतारीख या क़रीब तारीख के फौतहुआ और अपने अख़ीरी वसीयतनामा मुवर्रिख़े की रूसे (जीम दाल) को अपना वसी मुक़र्रर किया (या अपनी जायदाद अमानत वग़ैरहमें रखगी या बिला वसीयत मरगया याने जैसी कि सूरतहो–

३–वसीयत मजकूरको (जीम दाल) ने साबित किया (या चिट्ठियात मुहतममी तरका उसको मनाहुई है) जैसी सूरतहो–

नम्बर ४२

बमुराद इहतिमाम जायदाद मुतवफ़्फ़ी माफ़त ख़ास मूसालहूके

(उनवान)

(नमूना ४१ को इसतौर पर वदलदो)-

(फ़िकरह अव्वलको मतरूक-करो और फ़िकरह दोसे शुरूअकरो इस तरहपर कि (हे वाव) मुतवफ़्फ़ी साकिन साबिक़ ने बतारीख या करीब तारीख के फ़ौतकिया और अपने अखीरी वसीयतनामा मुवर्रिखे की रूसे (जीम दाल) को अपना वसी मुकर्ररकिया और उस वसीयतनामाकी रूसे मुद्दईके-हक़में (यहां खासशै वसीयतशुदः लिखनी चाहिये) वसीयतकिया—

बजाय फ़िकरह ४ के यह इबारत क़ायमकरो-

मुद्दआअलेह (हे वाव) की जायदाद मनकूलापर-क़ाबिज़है और मिन्जुम्ला-दीगर अशियायके (यहां नाम खासशै वसीयत शुदःका लिखना चाहिये) शै मज़कूरपर भी काबिज़है—

बजाय शुरूअ फ़िकरह ७ के यह इबारत-क़ायमकरो-

मुद्दई मुस्तदई है कि मुद्दआअलेहको हुक्महो कि (यहां नाम खासशै वसीयतीका लिखा जायगा) मज़कूर मुद्दईके हवालेकरै या यह कि अलख़

नम्बर ४३

वास्ते इहतिमाम जायदाद मुतवफ़्फ़ीके बज़रिये मूसालहू नक़्द पानेवालेके

(उनवान)

(नमूने ४१ में इस तौरपर तब्दील करनी चाहिये)

(फ़िक़रह अव्वल मतरूक कियाजाये और बजाय फ़िकरह २ के यह इबारत क़ायम कीजाये (हे वाव) मुतवफ़्फ़ी साकिन साबिक़ नेब तारीख या क़रीब तारीख के फ़ौतकिया और अपने अख़ीरी वसी-

यतनामा मुवर्रिखै की रूसे (जीम दाल) को वसी मुक़र्ररकिया और मुद्दईने नाम माल वसीयती मुवल्लिग़ छोड़ा—

फ़िक़रह ४ में वजाय लफ़्ज़ कर्ज़ोंके शै वसीयत शुदः लिखनी चाहिये,

दूसरा नमूना

(उनवान)

(हे वाव) मुद्दई मज़कूर यह अर्ज़ करताहै—

१—(अलिफ वे) साकिन वाक़ै ने वतारीख या क़रीव तारीख के फ़ौतकिया और अपने अखीरी वसीयतनामा मुवर्रिखे (माह सन्) की रूसे मुद्दआअलेह और (मीम नू) (जो मूसाकी हयातमें मरगया) वसियां तरका मुक़र्ररके और अपनी जायदाद मन्कूला और ग़ैर मन्कूला अमानतन् अपने औसियाको इस गर्ज़ से तफवीज़की कि वह लोग ज़र हाय किराया या लगान और आमदनी जायदाद मज़कूर मुद्दईको उसकी हयाततक देतेरहैं और मुद्दईकी वफातके वाद और दरसूरत न होने किसी ऐसे पिसर मुद्दईके जो इक्कीस वरसकी उम्रको पहुंचे या न होने किसी दुख्तरके जो इक्कीस वरसकी उम्रको पहुंचे या जिसकी शादी होजाये जायदाद ग़ैरमन्कूला अमानतन् उस शख़्सके लियेरहे जो मूसाका वारिस जायज़हो और जायदाद मन्कूला अमानतन् उन अशख़ासके लियेरहै जो मूसाके करावतदार करीवहों उस सूरतमें कि मुद्दईकी वफ़ातके वक्त मूसा विला वसीयत मरगयाहो और कोई औलाद मुद्दईकी हस्व मज़कूरैवाला वाक़ी न रहीहो—

२—मुद्दआअलेहने वसीयतनामा (वतारीख माह सन्) को सावितकिया—मुद्दईकी शादी नहीं हुईहै—

३—मूसा अपनी वफ़ातके वक्त जायदाद मन्कूला और ग़ैरमन्कूलाका मुस्तहक़ था और मुद्दआअलेहने जायदाद ग़ैरमन्कूलाके ज़र किराया या लगानका तहसील करना शुरूअकिया और जायदाद मन्कूला को भी हासिल करलिया और मुद्दआअलेहने जायदाद ग़ैर मन्कूला में से कुछ जायदाद वै की है—

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) लिखना चाहिये)

६—लिहाज़ा मुद्दई दावेदारहै—

(१) यह कि (अलिफ वे) की जायदाद मन्कूला और गैरमन्कूला का इहतिमाम इस अदालतमेंहो और उस मुरादसे हिदायात मुनासिब जारीहों और हिसाव लियाजाये-

(२) ऐसी दादरसी मजीद या दीगर दारसी कीजाये जो वलिहाज़ हालात मुक़दमा ज़रूरी हो-

नम्बर ४४

बग़रज़ तामील अमानत

(अलिफ वे) मुद्दई मज़कूर हस्व ज़ैल अर्ज़ करता है-

१-मुद्दई मिन्जुम्ला उमनाय के एक अमीन बमूजिब एक तमलीक़-नामा के है जो बतारीख या उसके क़रीब किसी तारीख पर बर-वक्त अज़ दुवाज़ (हे वाव) और (ज़े हे) यानी वालिद व वालदह मुद्दआअलेह के लिखागया (या बमूजिब दस्तावेज़ इन्तिक़ाल जायदाद और अमवाल (हे वाव) के जो (जीम दाल) मुद्दआअलेह और दीगर कर्ज़रूवाहान (हे वाव) की मुनफात के वास्ते लिखीगई)

२-(अलिफ वे) ने अपने ज़िम्मेकार (अमानत मज़कूर का लिया और माल मन्कूला और गैर मन्कूला पर जो बज़रिये दस्तावेज़ मज़कूरै वाला के मुन्तकिल कियागया) (या माल मज़कूर की आमदनी पर) क़ाविज़ है—

३-(जीम दाल) मज़कूर दस्तावेज मज़कूरै वाला के बमूजिब दावा इस्तहकाक इन्तिफाअ का रखता है-

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) लिखना चाहिये)

६-मुद्दई चाहता है कि हिसाब तमाम लगान (या किराया) और मुनफात जायदाद गैर मन्कूला मजकूर का (और जर समन जायदाद गैर मन्कूला या मन्कूला मजकूर का या उसके हिस्साका या जर समन जायदाद मन्कूला मजकूर या उसके हिस्साका या मुनाफा का जोकि मुद्दई को बमन्सब इनसराम कार अमानत मजकूर के हुआ) समझा दे पस मुद्दई मुस्तदई है कि अदालत रूबरू (जीम दाल) मजकूर और ऐसे दीगर अशखास के जिनको गरजहो और जिनको अदालत हिदायत करै अमानत मजकूर का हिसाब लेले और कुल जायदाद अमानती

मज़कूर का इहतिमाम वास्ते मुनफ़ात (जीम दाल) मुद्दआअलेह और तमाम दीगर अशखास के जिनको इहतिमाम मज़कूर में ग़रज़ हो अमल में लाये या (जीम दाल) इस अम्र के अमल में न आनेकी वजह माकूल बयान करै—

(तम्बीह) जब कि नालिश मिन्जानिब शख्स मूतमनलहू के हो तो अर्ज़ी नालिश तब्दील अलफाज़ बतब्दीलतलब मिस्ल अर्ज़ीदावा मूसालहू के हो—

नम्बर ४५

बैबात या नीलाम

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है—

१—यह कि मुद्दई अराज़ियात ममलूका मुद्दआअलेह का मुर्तहिन है—

२—तफ़सील रेहन मज़कूर की यह है—

(अलिफ) तारीख रेहन—

(बे) नाम राहिन और मुर्तहिन के—

(जीम) किस क़दर रुपया रेहन पर लियागया—

(दाल) शरह सूद—

(हे) जायदाद मरहूना—

(वाव) रक़म जो बिलफ़ैल देना वाजिब है—

(ज़े) अगर मुद्दई ने हक़ किसी और से हासिल कियाहो तो उन इन्तिकालात या तबलीग़ को मुख्तसिर लिखना चाहिये जिनके जरिये से वह दावेदारहै (अगर मुद्दई मुर्तहिन बाक़ब्ज़ा हो तो यह इबारत इज़ाफा होना चाहिये—)

३—बतारीख माह सन् मुद्दई ने जायदाद मरहूना का क़ब्ज़ा हासिल किया और तारीख मजकूर से बहैसियत मुर्तहिन के हिसाब देनेके वास्ते आमादह है—

(यह मज़मून फिक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) लिखना चाहिये)

६—बिनाबरान मुद्दई दादख्वाह है—

(१) कि ज़र याफ़्तनी दिलाया जाये वरना जायदाद मरहूना

नीलाम कीजाये या मुद्दई के हक़में इसका बय कामिल करदिया जाये (और उस पर क़ब्ज़ा दिलाया जाये)

(अगर क़ायदा ६-आर्डर ३४ मुतअल्लिक़ हो तो इबारत ज़ैल इज़ाफ़ा होगी)

(२) अगर नीलाम से उस क़दर कुल रुपया जो मुद्दई को याफ़्तनी है वसूल न हो तो मुद्दई को इख़्तियार है कि ज़र बाक़ी की निस्बत डिगरी कराने की दरख़्वास्त देसके—

नम्बर ४६

इन्फ़िकाक रेहन

(उनवान)

(अलिफ़ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है—

१-यह कि मुद्दई राहिन उस जायदाद का है जिसका मुद्दआअलेह मुर्तहिन है—

२-तफ़सील रेहन मज़कूर की यह है—

(अलिफ़) तारीख़ रेहन—

(बे) नाम राहिन और मुर्तहिन के—

(जीम) किस क़दर रुपया रेहनपर लियागया—

(दाल) शरह सूद—

(हे) जायदाद मरहूना—

(वाव) अगर मुद्दई ने हक़ किसी और से हासिल कियाहो तो उन इन्तिक़ालात या तबदीलात को मुख़्तसिर लिखना चाहिये कि जिनके ज़रिये से वह दावेदार है (अगर मुद्दआअलेह मुर्तहिन क़ाबिज़ हो तो यह इबारत इज़ाफ़ा होना चाहिये—

३-मुद्दआअलेह जायदाद मरहूना पर क़ाबिज़ है (या उसका ज़र लगान (या किराया) वसूल करता है)—

(यहां मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) लिखना चाहिये)

६-बिनाबरान मुद्दई ख़्वाहा है कि जायदाद मज़कूर इन्फ़िकाक कराले और बज़रिये तहरीर उसे वापस ले (और उस पर क़ब्ज़ा हासिल करै)—

नम्बर ४७

तामील ख़ास (नम्बर १)

(उनवान)

(अलिफ बे) मुदई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करता है-

१-बज़रिये एक इक़रारनामा मुवर्रिखै तारीख माह सन् दस्तखती (जीम दाल) मुद्दआअलेह के उसने मुदई से एक जायदाद ग़ैर मन्क़ूला जिसका बयान और ज़िक्र इकरारनामा मज़कूर में है बयबज़ मुबलिग़ खरीद करने (या फरोख्त करने) का इक़रार किया-

२-मुदई ने मुद्दआअलेह से दरख़्वास्त की कि वह अपनी तरफ से उस इक़रारनामा की तकमील खास करै लेकिन उसने नहीं की-

३-मुदई अपनी तरफ़से खास तकमील इक़रारनामाकी करनेपर मुस्तैद और राज़ीहै और इस अम्रकी इत्तिला मुद्दआअलेहको है—

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) लिखना चाहिये)

६-बिनाबरान मुदई दादख़्वाह विर्दी मुरादहै कि अदालत मुद्दआअलेहको इक़रारनामाकी तामील खास करने और उन तमाम अफआलके अमल में लानेका हुक्मदे जोकि जायदाद मज़कूरपर मुदई को क़ब्ज़ा क़ामिल देने के लिये ज़रूरी हैं (या जायदाद मज़कूरका इन्तिक़ाल और क़ब्ज़ा हासिल करने के लिये ज़रूरीहों) और नीज़ यह कि खर्चा उस नालिशका अदाकरै—

नम्बर ४८

तामील ख़ास (नम्बर २)

(उनवान)

(अलिफ बे) मुदई मजकूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करताहै—

१-बतारीख माह सन् माबैन मुदई और मुद्दआअलेहके एक इक़रारनामा लिखागया और असल दस्तावेज़ इसके साथ मुन्सलिक है—

यह कि मुद्दआअलेह कतअन मुस्तहक़ जायदाद ग़ैरमन्क़ूला मुतज़िकरह इक़रारनामाका था—

२–बतारीख माह सन् मुद्दईने मुबलिग़ मुद्दआ-अलेहको देने के लिये कहा और बयवज उसके क़बाला कामिल जायदाद मज़कूरका चाहा—

३–बतारीख माह सन् मुद्दईने फिर तकाजा उस इन्तिक़ालका किया (या मुद्दआअलेहने मुद्दईके नाम उसका इन्तिक़ाल करने से इन्कार किया)—

४–मुद्दआअलेहने कोई क़बाला इन्तिक़ाल नहीं किया—

५–मुद्दई हिनोज़ ज़रसमन जायदाद मज़कूर मुद्दआअलेहको अदा करनेपर आमादह और राज़ीहै–

(मजमून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) लिखना चाहिये)

बिनावरान मुद्दई दादख़्वाह है–

अव्वल–यह कि मुद्दआअलेह बनाम मुद्दई बज़रिये क़बाला कामिल जायदाद मज़कूरको मुन्तक़िल करदे (मुताबिक़ शरायत मुन्दर्जै इक़रार नामा मज़कूर)

दोम–मुबलिग़ बाबत हर्जा हिनोज़ न लिखने क़बाला मज़कूरके दिलायेजायें–

नम्बर ४९

शराकत

(उनवान)

(अलिफ बे) मुद्दई मज़कूर हस्ब ज़ैल अर्ज़ करताहै–

१–मुद्दई और मुद्दआअलेह (जीम दाल) अर्सा सालसे (या महीने से) बाहम बमूजिब शरायत तहरीरी दरबाब शराकत (या बमूजिब दस्तावेज़ या इक़रार ज़बानी) कारोबार करते हैं–

२–दरबाब शराकत अनवाय अनवायके तनाज़आत और इख़्तिलाफ़ात माबैन मुद्दई व मुद्दआअलेह पैदाहुई जिनके सबब से उस कारोबार को इस तौरपर कि तरफ़ैनको फायदाहो जारी रखना मुमकिन नहीं है (या मुद्दआअलेहने हस्ब ज़ैल शरायत शराकतकी खिलाफवरज़ीकी–यानी–

(१)
(२)
(३)

(मज़मून फ़िक़रह ४ व ५ नमूना नम्बर (१) लिखना चाहिये)

९–बिनाबरान मुद्दई दादख़्वाहहै–

(१) यह कि शराकत फ़िस्ख़ करदीजाये–

(२) हिसाब कारोबार शराकतका लियाजाये–

(३) एक रिसीवर मुक़र्रर कियाजाये–

(तम्बीह)–उन नालिशातमें जो वास्ते तैकरने हिसाब व किताब शराकतकेहों इस्तदुआ मौकूफी शराकतकी न लिखीजाये लेकिन बजाय उसके एक फ़िकरह इस बयानसे दाख़िल कियाजाये कि शराकत मौकूफ होगईहै–

४ बयान तहरीरी

जवाब दावा

जवाबदिही आम

इन्कार — मुद्दआअलेह (फलां अम्रसे) इन्कार करताहै–

मुद्दआअलेह (फलां अम्रको) तसलीम नहीं करता–

मुद्दआअलेह (फलां अम्र) तसलीम करता है मगर यह कहताहै–

उजर — मुद्दआअलेह इससे इन्कार करताहै कि कोठी मुद्दआअलेह में शरीकथा—

मुद्दआअलेह इससे इन्कार करता है कि उसने मुद्दईके साथ मआहिदा मज़कूर या किसी क़िस्मका कोई मआहिदा किया—

मुद्दआअलेह इससे इन्कार करताहै कि उसने मुद्दईके साथ हस्ब बयान मुद्दई मआहिदा किया या कोई मआहिदा किया—

मुद्दआअलेह सरमायाको तसलीम करताहै मगर मुद्दईके दावाको तसलीम नहीं करता—

मुद्दआअलेह इस बातसे इन्कार करताहै कि मुद्दईने माल मुतज़िकरह अर्ज़ीदावा उसमें से कोई माल उसके हाथ फरोख़्तकिया—

मीयाद समाअत	नालिशमें आरटिकल या आरटिकल जमीमा दोम ऐक्ट मीयाद समाअत हिन्द सन् १८७७ ई० आरिज़है—
इख़्तियार समाअतमुक़द्दमा	अदालतको मुक़द्दमा सुननेका इख़्तियार नहींहै इसवजह से (कि यहां वजह लिखना चाहिये)—
	बतारीख मुद्दआअलेहने एक हीरेकी अँगूठी मुद्दई को दी और मुद्दईने अपने दावाकी बेबाक़ीमें उसे क़बूल करलिया—
दीवाला	मुद्दआअलेहको अदालतने दीवालिया क़रार दियाहै—क़ब्ल रुजूअ नालिश हाज़ा अदालतने मुद्दईको दीवालिया करार दियाथा लिहाज़ा नालिश दायर करनेका हक़ रिसीवरको था—
नाबालिगी	मुद्दआअलेह मआहिदह करते वक़्त नाबालिग था—
रुपयाका अदालत में दाखिल करना	मुद्दआअलेहने कुल दावाकी बाबत (या मुबलिग़ जुज़्व ज़र मुतदावियाकी बाबत या जैसी सूरतहो) अदालतमें मुबलिग दाखिलकिया और अर्ज़ करताहै कि मुबलिग मज़कूर से मुद्दईका कुल दावा (या जुज़्व मज़कूर) बेबाक़ होगया—
दस्तबरदारी	बतारीख तामील मआहिदासे दस्तबरदारी कीगई—
फिस्खमआहिदा	मआहिदा अज़रूय इक़रारनामा माबैन मुद्दई और मुद्दआअलेह के फिस्ख होगया था—
रसजुडीकीटा	मुद्दई का दावा बसबब डिगरी मुक़द्दमा (यहां हवाला देना चाहिये) के दायर नहीं होसकता—
इस्टापल	मुद्दई (यहां उस बयान को लिखना चाहिये जिसकी बाबत इस्टापालका दावा कियाजाताहै) की सचाई से इन्कार करने से ममनूअहै क्योंकि (यहां वह वाक़ियात लिखनी चाहियें) जिनपर यह भरोसा कियाजाताहै कि उनसे इस्टापल पैदा होतीहै—
बिनाय जवाब दावा बाद दायर	बाद दायर होने मुक़द्दमाके यानी बतारीख (यहां वाक़ियात लिखने चाहियें)—

होने मुक़दमाके

नम्बर १

जवाब दावा नालिश बाबत मालके जो फ़रोख़्त करके हवाले कियागया

१–मुद्दआअलेहने मालका हुक्म नहीं दिया—

२–माल मुद्दआअलेहके हवाले नहीं कियागया—

३–क़ीमत मुबलिग़   रुपया न थी–

या

४– }
५– } बइस्तिस्नाय मुबलिग़   रुपयाके   हस्ब मज़मून { –१ –२ –३
६– }

७–मुद्दआअलेह या (अलिफ बे) मुद्दआअलेहके एजन्ट) ने क़ब्ल नालिश बतारीख   माह   सन्   मुद्दई या (जीम दाल) मुद्दईके एजन्ट) को रुपया अदाकरके दावाकी बेबाक़ी करदी–

८–मुद्दआअलेहने बाद नालिश बतारीख   माह   सन्   मुद्दईको रुपया अदाकरके दावाकी बेबाक़ी करदी–

नम्बर २

जवाब दावा नालिशात बरबिनाय तमस्सुक

१–तमस्सुक मुद्दआअलेहका तकमील करदह तमस्सुक नहीं है—

२–मुद्दआअलेहने तारीख पर हस्ब शरायत तमस्सुक मुद्दई को रुपया अदा करदिया–

३–मुद्दआअलेह ने तारीख़ मुअय्यना के बाद मगर क़ब्ल नालिशज़र असल व सूद मुन्दर्जे तमस्सुक मुद्दई को अदा करदिया–

नम्बर ३

जवाबदावा नालिशात बर बिनाय ज़मानत

१–असल क़र्ज़दारने क़ब्ल नालिश रुपया अदा करके दावाकी बेबाक़ी करदी—

२—मुद्दई ने बमूजिब एक मुआहिदा क़ाबिल पाबन्दी के असल क़र्ज़दार को मुहलत देकर मुद्दआअलेह को बरी करदिया—

नम्बर ४

जवाबदावा नालिश वास्ते दिलापाने क़र्ज़ा के

१—मिनजुम्ला ज़र मुतदाविया के मुबलिग़ दो सौ रुपया के मुक़ाबिले में मुद्दआअलेह क़ीमत माल जो मुद्दआअलेह ने मुद्दई के हाथ फ़रोख़्त करके हवाले किया मुजरा दिलापाने का मुस्तहक़है—

तफसील ज़ैल है—

बतारीख २५ जनवरी सन् १९०७ ई०	१५०)
बतारीख यकुम फरवरी सन् १९०७ ई०	५०)
मीज़ान	२००)

२—मुद्दआअलेह ने क़ब्ल नालिश बाबत कुल ज़र मुतदावियाके (या बाबत मुबलिग़ रुपया जुज़ ज़र मुतदावियाके) मुबलिग़ रुपया देने के लिये पेश किये और मुद्दआअलेह ने ज़र मज़कूर अदालत में दाखिल कर दिया है—

नम्बर ५

जवाबदावा नालिशात बाबत ज़रर्के जो ग़फ़लत से हांकने के बायस पहुँचा

१—मुद्दआअलेह इससे इन्कार करताहै कि गाड़ी मुन्दर्जै अर्ज़ीदावा मुद्दआअलेह की गाड़ी थी और वह बसिपुर्दगी व इहतिमाम मुलाज़िमान मुद्दआअलेह के थी—गाड़ी साकिन मुहल्ला शहर कलकत्ताकी थी जो गाड़ियां किराया पर चलाते हैं और जिनको मुद्दआअलेह ने गाड़ियां और घोड़े मुहय्या करने के लिये मामूर किया था और जिस शख़्स की सिपुर्दगी व इहतिमाम में गाड़ी मज़कूरथी वह मजकूर का मुलाज़िम था—

२—मुद्दआअलेह यह तसलीम नहीं करता कि गाड़ी मजकूर मिडलटन स्ट्रीट से बराह ग़फ़लत या दफतन या बिला होशियार करने के या तुन्दी या तेजी खतरनाक के साथ निकली—

३-मुद्दआअलेह यह उज़र करता है कि माकूल इहतियात और होशियारी को काम में लानेसे मुद्दई गाड़ी मज़कूर को अपने नज़दीक आता हुआ देख सक्ता था और उससे टकराने से बच सक्ताथा—

४-मुद्दआअलेह बयानात मुन्दर्जे दफा ३ अर्ज़ीदावा को तसलीम नहीं करता—

नम्बर ६

जवाबदावा नालिशात बाबत अफ़आल बेजाके

१-अफ़आल (या मुआमिलात) शिकायती से इन्कार-

नम्बर ७

जवाबदावा नालिशात बाबत रोक रखने मालके

१-माल ममलूका मुद्दई न था—

२-माल ब यवज़ एकबारके रोकरक्खा गया था जिसका मुद्दआअलेह मुस्तहक़ था तफ़सील हस्बज़ैल है—

बतारीख ३-मई सन् १९०७ ई० बाबत किराया लेजाने माल मुतदाविया अज़देहली ता कलकत्ता ४५ मन बहिसाब २) फ़ी मन....९०)

नम्बर ८

जवाबदावा नालिशात बाबत ख़लल अन्दाज़ी हक़ मुसन्निफ़ी

१-मुद्दई मुसन्निफ (या मुन्तक़िलअलैह वग़ैरह) नहीं है—

२-किताब की रजिस्टरी नहीं कराई गई थी—

३-मुद्दआअलेह खलल अन्दाज़ नहीं हुआ-

नम्बर ९

जवाबदावा नालिशात बाबत ख़लल अन्दाज़ी निशान तिजारतीके

१-निशान तिजारती मुद्दईका नहीं है-

२-निशान तिजारती बीना निशान तिजारती नहीं है—

३–मुद्दआअलेह खलल अन्दाज़ नहीं हुआ–

नम्बर १०

जवाबदावा नालिशात मुतअल्लिक़ अमूर तकलीफ़दिह के

१–मुद्दई के रोशनदान पुराने नहीं हैं (या मुद्दई के दीगर हक़ूक़ से इनकार होना चाहिये जिनको पुराना होना बयान किया गया हो–

२–मुद्दआअलेह की तामीरात मुद्दई के रोशनदानों में किसी अहम दर्जा तक खलल अन्दाज़ न होगी–

३–मुद्दआअलेह इन्कार करताहै कि वह खुद या उसके मुलाज़िमान पानी को नजिस करते हैं (या कोई फेल शिकायती करते हैं–) (अगर मुद्दआअलेह अफआल शिकायती के करनेका व वजह इस्तहक़ाक़ क़दामत या दीगर निहज पर दावा करताहो तो उसको यह उज़र करना चाहिये और अपने दावा की वजूह दर्ज करनी चाहियें मसलन् इस्तहक़ाक़ क़दामत या अतीया या जो और वजहहो-

४–मुद्दई ग़फलतका मुर्तकिब हुआ है जिसकी तफसील हस्बज़ैलहै–
सन् १८७० ई० मुद्दई की चक्की ने काम करना शुरूअ किया—
सन् १८७१ ई० मुद्दई क़ाबिज़ हुवा—
सन् १८८३ ई० अव्वल मर्तबा शिकायत की गई—

५–मुद्दईके दावा हर्जा के बाबत मुद्दआअलेह जवाबदावाके वजूह मुन्दर्जै सदर पर भरोसा करताहै और यह उज़र करताहै कि अफआल शिकायती से मुद्दई का कोई हर्जा नहीं हुआ (अगर दीगर वजूह पर भरोसा कियाजाये तो उनको दर्ज करना चाहिये मसलन् तमादी बाबत हर्जा साबिक़ के)

नम्बर ११

जवाबदावा बमुक़द्दमा बैवात

१–यह कि मुद्दआअलेह ने रेहन की तकमील नहीं की—

२–यह कि मुद्दई के हक़ में रेहन मुन्तक़िल नहीं हुआ (अगर एक से

ज़्यादा इन्तिक़ाल बयान किये जायें तो यह लिखना चाहिये कि किस इन्तिक़ाल से इन्कार है)

३-नालिश अज़रूय आर्टिकल ज़मीमा दोम ऐक्ट मीयाद समाअत हिंद सन् १८७७ ई० दायर नहीं होसक्ती—

४-रक़ूम मुन्दर्जा ज़ैल अदा कीगई-यानी

तारीख लिखनी चाहिये .... १०००) रुपया

बतारीख लिखनी चाहिये .... ५००) दर

५-बतारीख मुद्दईने जायदाद पर क़ब्ज़ा हासिल किया और तारीख मज़कूर से उसका ज़र लगान (या किराया) पाता रहा—

६-बतारीख मुद्दई ने ज़र क़र्ज़ा छोड़दिया—

७-अज़रूय दस्तावेज़ मुवर्रिख़ै मुद्दआअलेह ने अपना कुलहक़ (अलिफ बे) के नाम मुन्तक़िल करदिया—

नम्बर १२

जवाबदावा व मुक़द्दमा इनफ़िकाक रेहन

१-मुद्दईका हक़ इनफ़िकाक़ अज़रूय आरटिकल ज़मीमा दोम ऐक्ट मीयाद समाअत हिन्द सन् १८७७ ई० साक़ित होगया—

२-मुद्दईने अपना कुल हक़ मुतअल्लिक़ जायदाद (अलिफ बे) के नाके नाम मुन्तक़िल करदिया—

३-मुद्दआअलेहने अज़रूय दस्तावेज़ मुवर्रिख़ै अपना कुल हक़ मुतअल्लिक़ै ज़ररेहन और मुतअल्लिक़ै जायदाद मरहूना (अलिफ बे) के नाम मुन्तक़िल करदिया—

४-मुद्दआअलेहने जायदाद मरहूनापर किसी वक्त क़ब्ज़ा हासिल नहीं किया और न उसका ज़रलगान (या किराया) पाया (अगर मुद्दई सिर्फ क़ब्ज़ा चन्द रोज़का तसलीमकरै तो उसको चाहिये कि वह मुद्दत लिखे और मुद्दत माबादके क़ब्ज़ासे इनकारकरै)—

नम्बर १३

जवाबदावा व मुक़द्दमा तामील ख़ास

१-मुद्दआअलेहने इक़रारनामा नहीं किया—

२–यह कि (अलिफ़ बे) मुद्दआअलेहका अजन्ट नहीं था (अगर मुद्दई उसका अजन्ट होना बयान करै)

३–मुद्दईने शरायत ज़ैलकी तामील नहीं की (शरायत)

४–मुद्दआअलेहोंने फलां फलां फेल नहीं किया (अफआल मुतय्यना निस्बत जुज्व तामील)

५–यह कि मुद्दईका हक़ निस्बत उस जायदादके जिसकी फ़रोख़्तका इक़रार कियागया बवजूह मुन्दर्जै ज़ैल ऐसा नहीं है कि मुद्दआअलेहको उसे कबूल करना लाज़िम है (यहां वजूह लिखना चाहिये)

६–इक़रारनामा अमूर मुन्दर्जै ज़ैलकी निस्बत मजबज़बहै (यहां वह अमूर लिखना चाहिये)

७–(या) मुद्दई ताख़ैरका कसूरवारहै—

८–(या) मुद्दई फरेब या (खिलाफ़ बयानी) का कसूरवार है—

९–(या) इक़रारनामा मुनासिब है—

१०–(या) इक़रारनामा ग़लती से लिखा गया—

११–तफ़सीलात फ़िक़रह ७ व ८ व ९ व १० की (या जैसी कि सूरत हो) यह हैं–

१२–इक़रारनामा अज़रूय शरायत वै नम्बर ११ (या इक़रार वाहमी) मंसूख होगया—

(जिन सूरतों में कि हर्जा का दावा किया जाये और मुद्दआअलेह हर्जा की जिम्मेदारी की निस्बत उज़रदारी करै तो उसको चाहिये कि इक़रारनामा से या इक़रारनामा की उन शर्तों से इन्कार करै जिनकी खिलाफवरज़ी बयान कीजाये या कोई और विनाय जवाबदावा जिसपर वह इस्तदलाल करना चाहता हो बयान करै मसलन इनक़ज़ाय मीयाद समाअत या बेबाकी या सुबुकदोशी या फरेब वग़ैरह)

नम्बर १४

जवाबदावा नालिशात बाबत इहतिमाम मिनजानिब मूसालहू ज़र नक़द के

१–(अलिफ़ बे) की वसीयत में क़र्जाजात का बार था–वह दीवालिया फ़ौत हुआ–अपनी वफात के वक़्त वह बाज जायदाद ग़ैर

मन्क़ूलाका मुस्तहक़ था जिसको मुद्दआअलेहने फरोख़्त किया और उससे खालिस रक़म मुबलिग़ रुपया की हासिलहुई और मूसाके पास बाज़ जायदाद मन्क़ूला थी जिसको मुद्दआअलेह ने हासिल किया और उससे खालिस रक़म मुबलिग़ रुपयाकी हासिल हुई—

२–मुद्दआअलेह ने रक़ूम मज़कूर मुबलिग़ रुपयाको जो मुद्दआअलेह को किराया जायदाद ग़ैर मन्क़ूला से वसूल हुई इखराजात तजहीज़ व तकफीन व इखराजात मुतअल्लिक़ वसीयत व अदायगी बाज़क़र्ज़ाजात ज़िम्मगी मूसा में सर्फ किया—

३–मुद्दआअलेह ने अपना हिसाब मुरत्तिब करके उसकी नक़ल व तारीख माह सन् मुद्दई के पास भेजी और उसको इख़्तियार दिया कि असनाद को जिनसे हिसाब मज़कूर की तसदीक़होती है मुलाहिज़ा करै मगर उसने मुद्दई की दरख़्वास्त से फ़ायदा उठाने से इन्कार करदिया—

४–मुद्दआअलैह इल्तिमास करता है कि मुद्दई को नालिश हाज़ाका ख़र्चा अदा करना चाहिये—

नम्बर १५

पुरोबेट वसीयत बतरीक़ सालह

१–मुतवफ़्फ़ी की वसीयत नामा व ज़मीमा मज़कूरके मुताबिक़ इहक क़ानून वरासत हिन्द सन् १८६५ ई० (या क़ानून वसीयतना अहल हिनूद सन् १८७० ई० के बाज़ाब्ता तकमील नहीं हुईथीं,

२–जिसवक़्त कि वसीयतनामा व ज़मीमा मज़कूरका तकमील पा बयान कियाजाता है उस वक़्त मुतवफ़्फ़ीके अक़्ल व हाफिज़ा समझ बूझ दुरुस्त न थे—

३–वसीयतनामा व ज़मीमा मजकूरकी तकमील बवजह रसूख ना जायज़ मुद्दई के और दीगर अशख़ास के हुई थी जिनके नाम इ वक़्त मुद्दआअलैह को मालूम नहीं हैं—

४–वसीयतनामा व ज़मीमा मज़कूर की तकमील व वजह फरेब मुद्दई के हुई थी–फरेब मज़कूर की तफ़सील जहांतक मुद्दई को इस वक़्त मालूमहै यह है (यहां फरेबकी नौय्यत दर्ज करनी चाहिये)

५–मुतवफ़्फी वर वक़्त तकमिलह वसीयतनामा व ज़मीमा मज़कूर के मज़मून से वाक़िफ न था और न उसने मज़मून मज़कूर को मंजूर किया (या) वसीयतनामा मज़कूर के फिक़रह दरबाव बाक़ी मांदह के मज़मून से वाक़िफ न था और न उसने मज़मून मज़कूर को मंजूर किया—

६–मुतवफ़्फी ने अपनी अखीरी और सही वसीयत यकुम जनवरी सन् १८७३ ई० को की और उसकी रूसे मुद्दआअलेह को तनहा वसी मुक़र्रर किया—

मुद्दआअलेह दावेदार है कि—

(१) अदालत वसीयतनामा व ज़मीमा मज़कूर पेशकर्दह मुद्दई के ख़िलाफ तजवीज़ सादिर करै—

(२) अदालत मुतवफ़्फी की वसीयत मुवर्रिख़ै यकुम जनवरी सन् १८७३ ई० की पुरोबीट की बाबत हस्ब मंशाय क़ानूनी व तरीक़ सालह डिगरी सादिर करै—

नम्बर १६

तफ़सीलात (आर्डर ६–क़ायदा ५)

(उनवान नालिश)

तफ़सीलातब मूजिब हुक्म मुवर्रिख़ै माह सन् तफ़सीलात मुन्दर्जै ज़ैल हवाले कीजाती है (यहां उन मामिलात की तफसील दर्ज होनी चाहिये जिनकी बाबत हुक्म हुआ है)—

(यहां तफसीलात को जिनकी बाबत हुक्म हुआ है दफ़ावार दर्ज करना चाहिये अगर ज़रूरतहो)—

इपनडिक्स (बे)

परोस

नम्बर १

सम्मन बग़रज़ इन्फ़िसाल मुक़द्दमा

(आर्डर ५ क़ायदा १ व ५)

(उनवान)

बनाम— (नाम व पता व जाय सकूनत)

हरगाह कि ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत के दायर की है लिहाज़ा तुमको हुक्म होता है कि तुम बतारीख माह सन् वक़्त पर असालतन् (या मार्फ़त वकील के जो मुक़द्दमा के हाल से क़रार वाक़ई वाक़िफ किया गयाहो और जो कुल अमूर अहम मुतअल्लिके मुक़द्दमा का जवाब देसके या जिसके साथ कोई और शख़्स हो कि जवाब ऐसे सवालातका देसके) हाजिर हो और जवाबदिही दावा मुद्दई मज़कूरकी करो और हरगाह वही तारीख जो तुम्हारे इज़हारके लिये मुक़र्रर है वास्ते इनफिसाल क़तई मुक़द्दमा के तजवीज़ हुई है पस तुमको लाज़िम है कि अपने जवाबदावा की ताईदमें जिन गवाहों की शहादत पर या जिन दस्तावेज़ात पर तुम भरोसा करना चाहते हो उसी रोज़ उनको पेशकरो—

मुत्तिलारहो कि अगर बरोज़ मजकूर तुम हाज़िर न होगे तो मुक़द्दमा बग़ैर हाज़िरी तुम्हारी मसमूअ और फ़ैसल होगा—

इत्तिला—अगर तुमको यह अंदेशाहो कि तुम्हारे गवाह अपनी मर्ज़ी से हाज़िर नहोंगे तो तुम अदालत हाज़ासे सम्मन बईं मुराद जारी करासक्ते हो कि जो गवाह न हाज़िर हो वह जबरन हाज़िर कराया जाये और जिस दस्तावेज को किसी गवाह से पेश करानेका तुम इस्तहक़ाक़ रखते हो उससे पेश कराई जाये यह शर्त कि तुम उसके वास्ते ज़र ख़ूराक जो ज़रूरी हो अदालत में दाख़िल करके इस अम्र की दरख़्वास्त गुज़रानो।—

—(✓)—

२—अगर तुम मतालिबा मुद्दई को तसलीम करते हो तो तुमको लाज़िम है कि रुपया मये ख़र्चा

नालिश अदालत में दाख़िल करो ताकि इजराय डिगरी का जो तुम्हारी जात या मालपर या दोनोंपर हो करना न पड़े --

व सिब्त दस्तखत और मुहर अदालतके आज तारीख माह सन् को जारी किया गया--

दस्तखत जज

नम्बर २

सम्मन बग़रज़ क़रारदाद अमूर तनक़ीहतलब

(आर्डर ५ क़ायदा १ व ५)

(उनवान)

इत्तिला--अगर तुमको यह अंदेशा हो कि तुम्हारे गवाह अपनी मर्ज़ी से हाजिर न होंगे तो तुम अदालतहाज़ा से सम्मन बई मुराद जारी करासक्ते हो किजो गवाह न हाजिर हो वह जबरन हाजिर करायाजाये और जिस दस्तावेज़ को किसी गवाह से पेश कराने का तुम इस्तहक़ाक रखते हो वह उससे पेश कराई जाये बशर्तें कि तुम उसके वास्ते जर खूराक जो जरूरी हो अदालत में दाख़िल करके इस अम्रकी दरख्वास्त गुजरानो --

बनाम (नाम व पता व जाय सकूनत)

वाज़ेह हो कि ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत के दायर की है लिहाज़ा तुमको हुक्म होताहै कि तुम बतारीख माह सन् वक्त पर असालतन (या मार्फत वकील अदालत मजाज़ हस्ब ज़ाब्ता के जो मुक़द्दमा के हाल से करार वाक़ई वाक़िफ कियागया हो और कुल अमूरात अहम मुतअल्लिक़े मुक़द्दमा का जवाब दे सकै या जिसके साथ कोई और शख़्सहो कि जवाब ऐसे सवालात का देसकै) हाज़िर हो और जवाबदिही दावा मुद्दई मज़कूर की करो और तुमको हिदायत की जाती है कि जुम्ला दस्तावेज़ात को जिनपर तुम बताईद अपनी जवाबदिही के इस्तदलाल करना चाहते हो पेश करो--

२—अगर तुम मतालिबा मुद्दई को तसलीम करते हो तो तुमको लाजिम है कि रुपया मये खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करो ताकि इजराय डिगरी का जो तुम्हारी जात या माल पर या दोनों पर हो करना न पड़े—

मुत्तिला रहो कि अगर बरोज़ मज़कूर तुम हाज़िर न होगे तो मुक़द्दमा तुम्हारी ग़ैरहाज़िरी में मसमूअ और फ़ैसल होगा—

बसब्त मेरे दस्तख़त और मोहर अदालत के आज तारीख माह सन् को जारी कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ३

सम्मन बग़रज़ हाज़िरी असालतन

(आर्डर ५ क़ायदा २५)

(उनवान)

बनाम नाम वल्दियत व क़ौमियत व पेशा व जाय सकूनत हरगाह मुसम्मै ने तुम्हारे नाम एक नालिश वास्ते दायर की है तुमको बज़रिये तहरीर हाज़ा हुक्म दिया जाताहै कि तुम बतारीख माह सन् बवक़्त बजे दिन के अदालत हाज़ा में असालतन् हाज़िर हो और दावा की जवाबदिही करो और तुमको यह भी हिदायत कीजाती है कि बतारीख़ मज़कूर तमाम दस्तावेज़ातको जिन पर तुम अपने जवाबदिही की ताईद में इस्तदलाल करना चाहते हो पेशकरो—

१—मुत्तिलारहो कि अगर तुम तारीख़ मज़कूरेबालापर हाज़िर न होगे तो मुक़द्दमा तुम्हारी ग़ैर हाज़िरी में मसमूअ और फैसल होगा—

आज तारीख माह सन् मेरे दस्तख़त और मोहर अदालत से हवाले किया गया—

दस्तख़त जज

नम्बर ४

सम्मन बमुक़द्दमे सरसरी बर बिनाय दस्तावेज़ क़ाबिल बैवशिशरा

(आर्डर ३७ क़ायदा २)

(उनवान)

बनाम (यहां मुद्दआअलेह का नाम और वल्दियत और पेशा और सकूनत लिखना चाहिये)

हरगाह (यहां मुद्दई का नाम और वल्दियत वगैरह और सकूनत लिखना चाहिये) ने एक नालिश इस अदालत में तुम्हारे नाम बमूजिब आर्डर ३७ मुन्दर्जै जमीमा मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी बाबत मुबलिग़— बक़ीया असल व सूद जो उसको इस मन्सब से कि बिल आफ एक्सचैंज (या हुंडी या परामेसरी नोट) का रुपया उसको अदा किया जाना लिखा है (या उसके नाम बेजा लिखा है) याफ़्तनी है और उस बिल या हुंडी या परामेसरी नोट की नक़ल मुन्सलिक कीजाती है रुजूअकी है लिहाज़ा तुम्हारे नाम सम्मन बईं मुराद भेजा जाता है कि तुम इस हुक्मकी तामील की तारीख से दस दिन के अन्दर वास्ते हाज़िर होने और करने जवाबदिही मुक़द्दमा के इजाज़त हासिल करो और अर्सा मजकूर के अन्दर अपने हाज़िर होने का दाखिला कराओ दरसूरत अदम तामील इस हुक्म के मुद्दई बाद मुनक़ज़ी होने मीयाद दस योम मजकूर के मुस्तहक़ होगा कि डिगरी उस कदर रुपया जो मुबलिग—से ज़्यादा न हो (यहां तादाद मुतदाविया लिखी जायेगी और मुबलिग—बाबत खर्चा के हासिल करे—

हाजिर होने की इजाज़त अदालत से बज़रिये एक दरख्वास्त के हासिल होसक्ती है जिसके साथ तहरीरी बयान हल्फी या इक़रार बईं मज़मून होना चाहिये कि मुक़द्दमा अज़राह हक़ वाजिब काबिल जवाबदिही है या कोई वजह माक़ूल इस बात की है कि तुमको मुक़द्दमा में हाज़िर होने की इजाज़त दीजाये—

आज तारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से हवाले किया गया–

दस्तखत जज

नम्बर ५

इत्तिला बनाम उस शख़्स के जिसको अदालत बज़ुमरे मुद्दइआन शामिल करना मुनासिब समझे

(आर्डर १ क़ायदा १०)

(उनवान)

बनाम (नाम व वल्दियत व क़ौमियत व पेशा व जाय सकूनत

हरगाह मुसम्मै ने नालिश मज़कूरै वाला बनाम वास्ते दायर की है और हरगाह यह जरूरी मालूम होता है कि तुम नालिश मज़कूर में बज़ुमरे मुद्दइआन शामिल किये जावो ताकि अदालत तमाम अमूर मुतअल्लिक़ै को बखूबी और तकमील के साथ फैसल और तै करसकै–

मुत्तिला रहो कि तुमको लाज़िम है कि बतारीख माह सन् या क़ब्ल इसके अदालत हाज़ा में ज़ाहिर करो कि तुम बज़ुमरह मुद्दइआन शामिल होने से रज़ामन्द हो या नहीं–

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया–

दस्तखत जज

नम्बर ६

सम्मन बनाम क़ायम मुक़ाम क़ानूनी मुद्दआअलेह मुतवफ़्फ़ी के

(आर्डर २२ क़ायदा ४)

(उनवान)

बनाम————————

हरगाह कि मुद्दई मुसम्मै ने अदालत हाज़ा में एक नालिश

बतारीख माह सन् बनाम मुद्दआअलेह के दायर की थी जो बाद नालिश के फौत होगया है और हर गाह कि मुद्दई मजकूर ने अदालत हाज़ा में इस बयान से दरख्वास्त गुज़रानी है कि तुम—मुतवफ़्फ़ी मज़कूर क़ायम मुक़ाम क़ानूनी हो और यह इस्तदुआ की है कि तुम उसके बजाय मुद्दआअलेह क़ायम किये जाओ—

लिहाजा तुमको बजरिये तहरीर हाज़ा हुक्म होताहै कि तुम अदालत हाज़ा में बतारीख माह सन् बवक़्त क़ब्ल दोपहर नालिश मजकूर की जवाबदिही के लिये हाज़िर आवो और अगर तुम बतारीख मुसरहे वाला हाज़िर न आवोगे तो नालिश मज़कूर तुम्हारी गैरहाजिरी में मसमूअ और फैसल होगी—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से इजाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ७

हुक्म इरसाल सम्मन दूसरी अदालत के इलाक़ा में जारी होने के लिये

(आर्डर ५ क़ायदा २१)

(उनवान)

हरगाह बयान कियागया है $\frac{\text{मुद्दआअलैह}}{\text{गवाह}}$ बमुकदमा मुतज़क्किरह वाला विलफैल बमुक़ाम सकूनत रखता है लिहाजा हुक्म हुआ कि सम्मन जो बतारीख माह सन् वापस होना चाहिये बनाम $\frac{\text{मुद्दआअलैह}}{\text{गवाह}}$ मजकूर वास्ते तामील के अदालत में मये मुसन्ना इस हुक्म के भेजा जाये—

रसूम अदालत बक़दर मुबालिग़ के इस्टाम्प निस्बत सम्मन मजकूर इस अ़दालत में वसूल होगये—

मवर्रुखे

दस्तखत जज

नम्बर ८

हुक्म इरसाल सम्मन क़ैदीपर तामील होनेके लिये

(आर्डर ५ क़ायदा २४)

(उनवान)

वनाम सिपुरन्टेन्डेन्ट जेल वाक़ै

बमूजिब कायदा २४ आर्डर ५ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी एक सम्मन मये मुसन्ना के इस हुक्म के साथ मुद्दआअलैह मौसूमा पर तामील होने के लिये जो जेल में है भेजा जाताहै और तुमसे दरख्वास्त कीजाती है कि सम्मन मज़कूर की नक़ल मुद्दआअलैह मज़कूर पर तामील कराओ और असल को मुद्दआअलैह मज़कूर से दस्तखत कराके और तामील का वयान और अपने दस्तखत करके इस अदालत में वापस करो—

दस्तख़त जज

नम्बर ९

हुक्म इरसाल सम्मन मुलाज़िम सर्कारी या फ़ौजी सिपाही पर तामील होने के लिये

(आर्डर ५ क़वाअ़द २७ व २८)

(उनवान)

वनाम————

बमूजिब आर्डर ५ क़ायदा २७ व २८ यानी जैसा मौक़ा हो मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी एक सम्मन मये मुसन्नाके इस हुक्म के साथ मुद्दआअलैह मौसूमा—पर तामील होने के लिये जो तुम्हारी मातहती में काम करताहै भेजा जाताहै और तुमसे दरख्वास्त कीजातीहै कि सम्मन मज़कूरकी नक़ल मुद्दआअलैह मज़कूर पर तामील कराओ और असल को मुद्दआअलैह मज़कूर से दस्तखत कराके और तामील का वयान और अपने दस्तखत करके इस अदालत में वापस करो—

दस्तखत जज

नम्बर १०

रूबकार जो दूसरी अदालत के सम्मन के जवाब के साथ मुर्सिल होगा

(आर्डर ५ क़ायदा २३)

(उनवान)

रूबकार मुर्सिलै मश्अर इरसाल बगरज़ तामील ऊपर बमुक़द्दमा दीवानी नम्बर मरजूआ अदालत मज़कूर मुलाहिज़ा हुवा—

नीज़ अफ़सर तामील कुनिन्दाकी तहरीर ज़ोहरी वई बयान कि मुलाहिज़ा हुई और उसका सबूत हस्व ज़ाब्ता हमारे रूबरू (बहल्फ) और के लिया गया लिहाज़ा हुक्म हुवा कि व अदालत मये नक़ल रूबकार हाजा वापस भेजा जाये—

दस्तखत जज

(तन्बीह) व नमूना सिवाय सम्मन के हर हुक्मनामासे मुतअल्लिक होगा जिसकी तामील उसी तौरपर करानी मंज़ूर हो—

नम्बर ११

बयान हलफ़ी तामील करनेवालेका जो सम्मन या इत्तिलानामाके वापस होनेपर उसके शामिल रहेगा

(आर्डर ५ क़ायदा १८)

(उनवान)

बयान हलफी वल्द का

मैं $\frac{\text{वहल्फ}}{\text{वइक़रार सालह}}$ कहताहूं कि

(१) मैं इस अदालत के हुक्मनामों की तामील करताहूं—

(२) व तारीख माह सन् मैंने एक $\frac{\text{सम्मन}}{\text{इत्तिलानामा}}$

जिसको अदालत ने व मुकद्दमा दीवानी नम्बर सन् मरजूआ अदालत मज़कूर मौरखै तारीख़ माह सन् फलां शख़्स पर तामील होने के लिये जारी किया था वसूल पाया—

(२) मज़कूर को मैं उस वक़्त ख़ुद जानता था और मैंने $\frac{\text{सम्मन}}{\text{इत्तिलानामा}}$ की तामील उस पर व तारीख़ माह सन् क़रीब बजे दिनके व मुकाम इस तरह की कि $\frac{\text{सम्मन}}{\text{इत्तिलानामा}}$ की एक नकल उसके हवाले करदी और असल पर उसके दस्तख़त करा लिये—

(अलिफ़) (इस जगह बयान करना चाहिये कि जिस शख़्स पर तामील हुई उसने आया दस्तखत किये या दस्तख़त करने से इन्कार किया और किसके सामने)—

(बे) (यहां तामील करनेवाले के दस्तख़त होना चाहिये)—

या दफ़ा २--इस नमूना की इस तरह लिखीजाये

(२) चूंकि मैं खुद मज़कूर को नहीं जानता था इस लिये एक शख़्स मुसम्मै मेरे साथ तक गया और वहां मुझको एक शख़्स को दिखलाया जिसका नाम उसने मजकूर बयान किया और मैंने $\frac{\text{सम्मन}}{\text{इत्तिलानामा}}$ की तामील उसपर अलख मिसिल नम्बर २ मुन्दर्जैवालाकी—

या दफ़ा २--इस नमूनाकी इस तरह लिखीजाये

(२) चूंकि मज़कूर और उस मकान को जिसमें वह मामूलन रहता है मै खुद जानताथा लिहाज़ा मैं मकान मजकूर पर व मुक़ाम व तारीख़ माह सन् क़रीब बजे दिनके गया मगर मजकूरको वहां न पाया—

(अलिफ) इस जगह पूरी तरह और ठीक ठीक लिखना चाहिये कि

सम्मन या इत्तिलानामा की तामील बहवाला खास (आर्डर ५ क़ायदा १५ व १७) के क्योंकर हुई—

(बे) यहां तामील करनेवाले के दस्तखत होना चाहिये—

या इस तरह लिखी जाये

(३) एक शख़्स मुसम्मै मेरेसाथ तक गया और वहां एक मकान मुझको दिखलाया और कहा कि इसी मकान में मज़कूर मामूलन रहताहै मगर मैंने मज़कूर को वहां न पाया—

(अलिफ़) इस जगह पूरी तरह और ठीक ठीक लिखना चाहिये कि सम्मन या इत्तिलानामा की तामील बहवालाखास (आर्डर ५ क़ायदा १५ व १७) के क्योंकर हुई—

(बे) यहां तामील करनेवाले के दस्तखत होना चाहिये—

या इस तरह लिखी जाये

अगर तामील सिवाय तरीक़ा मामूली के किसी और तरह की जाने की हो तो पूरी तरह और ठीक ठीक बयान किया जाये कि सम्मन बहवाला खास मजमून हुक्म तामील खास के सम्मनकी तामील किस तरीक़ापर हुई—

आज बतारीख़ माह सन् फ़लां मज़कूर ने मेरे रूबरू

हलफ़किया / इक़रार सालह किया — दस्तखत उस शख़्स के जो दफ़ा १३७ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी की रूसे बयानात हलफी करनेवालों से हलफ लेने के लिये मुक़र्रर किया जाये—

नम्बर १२

इत्तिलानामा बनाम मुद्दआअलैह

(आर्डर ९ क़ायदा ६)

(उनवान)

बनाम—(नाम व वल्दियत क़ौमियत व पेशा व जाय सकूनत) हर गाह कि मुक़द्दमा मजकूर में तारीख हाजा वास्ते समाअत के मुक़र्रर की

गई थी और सम्मन बनाम तुम्हारे जारी कियागया था और मुद्दआअलैह अदालत हाज़ा में हाज़िर हुआ और तुम हाज़िर नहीं हुये लेकिन कैफियत वापसी नाज़िर से हस्ब इतमीनान अदालत यह साबित हुआहै कि सम्मन मज़कूरकी तुमपर तामील होगई मगर इस क़दर काफी अर्सा में नहीं हुई कि तुम तारीख मुक़र्ररा सम्मन मज़कूरपर हाज़िर होकर जवाबदिही करसक्के–

लिहाज़ा नोटिस हाज़ा बनाम तुम्हारे जारी कियाजाताहै कि नालिश की समाअत आज मुल्तवी करदीगई है और अब उसकी समाअत के लिये तारीख माह सन् मुक़र्रर कीगई है अगर तुम तारीख आखिरुल्ज़िक्र पर हाज़िर न होगे तो नालिश तुम्हारी ग़ैरहाज़िरी में मसमूअ और फ़ैसल होगी–

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से हवाले कियागया–

दस्तखत जज

नम्बर १३

सम्मन वास्ते हाज़िरी गवाह के

(आर्डर १६ क़ायदा १ व ५)

(उनवान)

बनाम

हरगाह तुम्हारा हाज़िर होना वास्ते के मिनजानिब मुकद्दमा मज़कूरै बाला में ज़रूरी है लिहाज़ा तुमको हुक्म दियाजाताहै कि बतारीख माह सन् बरवक़्त बजे दिनके क़ब्ल दो पहर (असालतन) इस अदालत में हाज़िर हो (या) अपने साथ इस अदालत में लेते आओ या भेज दो—

मुबलिग बाबत तुम्हारे सफर खर्च वग़ैरह और खूराक एक योम की इस सम्मन के साथ भेजाजाता है अगर तुम इस हुक्म की तामील में बग़ैर उजर जायज़ क़सूर करोगे तो तुमपर न हाज़िर होने का वह नतीजा जो मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर १६ क़ायदा १२ में मरक़ूम है आयद होगा–

इत्तिला—अगर तुम सिर्फ दस्तावेज़ पेश करने के लिये तलब किये गये हो और शहादत देने के वास्ते नहीं तलब किये गये तो तुम्हारी तरफ से तामील सम्मन की इसी में मुतसव्वर होगी कि तुम दस्तावेज़ मजकूर को इस अदालत में बतारीख और बरवक्त मरकूमैबाला पेश करा दो—

इत्तिला २—अगर तारीख मजकूरै बाला से ज़्यादा तुमको ठहरना पड़े तो मुबलिग ( ) तुमको सिवाय तारीख़ मज़कूरैबाला के हरतारीख़ हाज़िरी अदालत की बाबत दिया जायेगा—

मेरे दस्तख़त और मोहर अदालतसे आज तारीख माह सन् को जारी कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर १४

इश्तहार बहुक्म हाज़िरी गवाह

(आर्डर १६ क़ायदा १०)

(उनवान)

बनाम

हरगाह अहलकार तामील कुनिन्दा के इज़हार हलफ़ी से मालूम हुआ कि सम्मन की तामील गवाह मज़कूर पर बतरीक़ा मुक़र्ररा क़ानून न हो सकी और हरगाह मालूम होताहै कि गवाह मज़कूर का इज़हार ज़रूरी है और तामील सम्मन से बचने के लिये वह फ़रारहै और रूपोश रहता है लिहाजा यह इश्तहार अज़रूये आर्डर १६ क़ायदा १० मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी जारी कियाजाताहै कि गवाह मज़कूर इस अदालत में बतारीख माह सन् ईसवी बरवक़्त बजे क़ब्ल दो पहर हाज़िर हो और रोज़ रोज़ हाज़िर हुआ करै जब तक कि उसको जाने की इजाज़त न मिलै और अगर गवाह मज़कूर तारीख और वक़्त मज़कूरह पर हाज़िर न होगा तो उस उसकी निस्बत क़ानून के मुताबिक़ कार्रवाई कीजायगी—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर १५

इश्तहार बहुक्म हाज़िरी गवाह

(आर्डर १६ क़ायदा १०)

(उनवान)

बनाम

हरगाह अहलकार तामील कुनिन्दा के इज़हार हलफी से मालूम हुआ कि सम्मन की तामील गवाह मज़कूर पर हस्ब ज़ाब्ता होगई और हरगाह मालूम होताहै कि गवाह मज़कूर का इज़हार जरूरी है और वह बतामील सम्मन हाज़िर नहीं हुआ है लिहाज़ा यह इश्तहार बजरूय आर्डर १६ क़ायदा १० मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी जारी कियाजाता है कि गवाह मज़कूर इस अदालत में बतारीख माह सन् ईसवी बरवक़्त बजे क़ब्ल दोपहर हाज़िर हो और रोज़ रोज़ हाज़िरहुआ करै जब तक कि उसको जाने की इजाज़त न मिलै और अगर गवाह मज़कूर तारीख और वक़्त मज़कूरह पर हाज़िर न होगा तो उसकी निस्बत क़ानून के मुताबिक़ कार्रवाई कीजायेगी—

आज बतारीख माह सन मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से जारी कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर १६

वारन्ट कुर्क़ी जायदाद गवाह

(उनवान)

बनाम बेलिफ़ अदालत

चूंकि गवाह जो की तरफ़ तलब कियागया था बाद गुज़र जाने मुद्दत मुन्दर्जा इश्तहार के जो बग़रज़ हाज़िरी गवाह मज़कूर जारी

कियागया था–अदालत में हाज़िर नहीं हुआ लिहाज़ा तुमको हुक्म होता है कि जायदाद ममलूका गवाह मज़कूर मालियती की कुर्क करलो और एक कैफियत मये फ़ेहरिस्त जायदाद कुर्क शुदः के योम के अन्दर पेश करो–

आज बतारीख़ माह सन् मेरे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया–

दस्तखत जज

नम्बर १७

(आर्डर १६ क़ायदा १०)

वारन्ट गिरफ़्तारी गवाह

(उनवान)

बनाम बेलिफ अदालत—

हरगाह जिसपर सम्मन वास्ते के बा ज़ाब्ता तामील पाया हाज़िर न हुवा (या तामील सम्मन से बचने के लिये रूपोश होगया या फिरार होगया) लिहाज़ा तुमको हुक्म होताहै कि मज़कूर को गिरफ़्तार करके अदालत के रूबरू हाज़िर करो—

तुम को यह भी हुक्म दियाजाताहै कि वारन्ट हाज़ाको तारीख़ माह सन् को या उससे क़ब्ल उसपर यह इबारत तसदीक लिखकर कि उसकी तामील किस तारीख़ पर और किस तरह हुई और अगर नहीं हुई तो क्यों वापस भेजदो—

आज बतारीख़ माह सन् मेरे दस्तख़त और अदालत की मोहर से जारी किया गया—

दस्तख़त जज

नम्बर १८

वारन्ट हिरासत में रखनेका

(आर्डर १६ क़ायदा १६)

(उनवान)

बनाम अफ़्सर मोहतमिम जेलखाने

हरगाह (मुद्दई या मुद्दआअलैह) ने मुक़द्दमा मज़कूरे बाला में इस अदालत में दरख्वास्त गुज़रानी है कि (फलां शख्स) से बतारीख माह सन् वास्ते अदाय शहादत (या पेश करने दस्तावेज़ के यानी जैसी कि सूरतहो) हाजिर होने की ज़मानत लीजाये और हरगाह अदालतने मज़कूरसे ज़मानत मज़कूर तलबकी मगर वहन देसका लिहाजा तुम को हुक्म होताहै कि मज़कूर को दीवानीजेल में हिरासत में रक्खो और बतारीख बक़्त और ऐसी तारीख या तारीखों पर जिसकी निस्वत आयिन्दा हुक्म हो उसको इस अदालत में हाज़िर करो—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी कियागया—

(निशान) दस्तखत जज

नम्बर १६

वारन्ट हिरासत में रखनेका

(आर्डर १६ क़ायदा १८)

(उनवान)

बनाम अफ़्सर मोहतमिम जेल—

हरगाह जिसकी हाजिरी इस अदालत में बमुक़द्दमे मज़कूरेबाला वास्ते अदाय शहादत (या पेश करने दस्तावेज़ के यानी जैसी कि सूरत हो) मतलूबहै गिरफ़्तार होकर इस अदालत के रूबरू जेर हिरासत हाज़िर कियागया और चूंकि मुद्दई या (मुद्दआअलैह) के ग़ैरहाज़िर होने के सबब से मज़कूर शहादत नहीं देसक्ता (या दस्तावेज नहीं पेश करसकता) और चूंकि अदालतने से ब बक़्त तारीख माह सन् हाज़िर होने की जमानत तलब की और वह ज़मानत न दाखिल करसका लिहाज़ा तुम को हुक्म होताहै कि मज़कूर को दीवानीजेल में हिरासत में रक्खो और ब वक़्त तारीख माह सन् उसको इस अदालत में हाजिर करो—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से जारी किया गया—

दस्तखत जज

इपनडिक्स (जीम)

इनकिशाफ़ हाल और मक़बूली और दरपेशी दस्तावेज़ात

नम्बर १

हुक्म निस्बत हवाला करने बंद सवालात के

(आर्डर ११-क़ायदा-१)

व अदालत—

मुक़द्दमा दीवानी नम्बर बाबत सन्

अलिफ वे .... मुदई

बनाम

(जीम दाल) (हे वाव) (ज़े हे) .... मुद्दाअलेहुम्

मुसम्मै को समाअत करने और मुसम्मै के तहरीरी बयान-हल्फ़ी मदखिला तारीख माह सन् को पढ़ने बाद के यह हुक्म दियाजाता है कि मुसम्मै को इजाज़त है कि तहरीरी बंद सवालात मुसम्मै को हवाले करे और मुसम्मै मजकूर बंद सवालातका जवाब बमूजिब तरीका मुक़र्ररा आर्डर ११-क़ायदा ८ के दे और दरख्वास्त हाज़ाका खर्चा—

नम्बर २

बंद सवालात

(आर्डर ११ क़ायदा ४)

(उनवान हस्ब नम्बर १ मज़कूर हवाला)

सवालात-अज तरफ़ (मुदई) या (जीम दाल) मुद्दआअलेह मजकूर बगरज कलमबन्दी जवाब (हे वाव) और (जे हे) मुद्दआअलेह या (मुदई) मजकूर के—

१-आया ने वग़ैरह-

२-आया ने वग़ैरह-

(हे वाव) मुद्दआअलैह को चाहिये कि सवालात नम्बर फ़लां व फ़लां का जवाब दे—

(जे हे) मुद्दआअलैह को चाहिये कि सवालात नम्बर फ़लां व फ़लां का जवाब दे-

नम्बर ३

जवाब बंद सवालात

(आर्डर ११ क़ायदा ८)

उनवान मुताबिक़ नम्बर १ मुन्दर्जह सदर

जवाब मिनजानिब (हे वाव) मुद्दआअलैह मज़कूर के उन बंद सवालात का जो मुद्दई मज़कूर ने हवाले किये—

बजवाब बंद सवालात मज़कूर के मैं (हे वाव) मुद्दआअलैह हलफ़

१ खाताहूं और कहताहूं कि बंद सवालात का जवाब दफ़ावार दर्ज

२ होना चाहिये जिनपर नम्बर सिलसिला डालना चाहिये-मैं बंद

३ सवालात नम्बरी-के जवाब देनेपर इस वजह से (यहां एतराज़ की वजह तहरीर होनी चाहिये) एतराज़ करताहूं—

नम्बर ४

हुक्म वास्ते तहरीरी बयान हलफ़ी निस्वत दस्तावेज़ात के

(आर्डर ११ क़ायदा १२)

उनवान मुताबिक़ नम्बर (१) मुन्दर्जह सदर

को समाअत करनेके बाद हुक्म दियाजाताहै कि हुक्म हाज़ा की तारीख़ से दिनके अन्दर बज़रिये तहरीरी बयान हलफ़ी के जवाब दे कि अम्र मुतनाज़आफ़िया मुक़दमा हाज़ा के मुतअल्लिक़ उस के क़ब्ज़ा या इख़्तियार में कौन कौन दस्तावेज़ात हैं या कभी थीं और यह कि ख़र्चा दरख़्वास्त हाज़ा का हो-

नम्बर ५

तहरीरी बयान हलफ़ी निस्बत दस्तावेज़ातके

(आर्डर ११ क़ायदा १३)

उनवान मुताबिक़ नम्बर (१) मुन्दर्जह सदर

सीन (जीम दाल) मुद्दआअलैह मज़कूर हलफ खाताहूं और हस्व ज़ैल बयान करताहूं—

१—दस्तावेज़ात मुन्दर्जै हिस्सा अव्वल व दोम फ़ेहरिस्त मुन्सलिका हाज़ा मुतअल्लिक़ अमूर मुतनाज़आफिया मुक़दमा हाज़ा मेरे क़ब्ज़ा या इख़्तियार में हैं—

२—मैं दस्तावेज़ात मज़कूर मुन्दर्जह हिस्सा दोम फेहरिस्त अव्वल मुन्सलिका हाज़ा के पेश करने पर (यहां एतराज़ की वजूह तहरीर होनी चाहिये) एतराज़ करताहूं—

३—दस्तावेज़ात मुन्दर्जह फेहरिस्त दोम मुन्सलिका-हाज़ा मुतअल्लिक अमूर मुतनाज़आफिया मुक़दमा हाज़ा मेरे क़ब्ज़ा या इख़्तियार में थीं मगर अब नहीं हैं—

४—आख़िरुल्ज़िक्र दस्तावेज़ात मेरेक़ब्ज़ा या इख़्तियार में अख़ीर मर्तबा (यहां यह तहरीर होना चाहिये कि किस वक्त क़ब्ज़ा या इख़्तियार में थीं और वह क्या हुई और अब वह किसके कब्ज़ा में हैं—

५—मेरे बेहतरीन इल्म व इत्तिला व यकीन के मुताबिक़ मेरे क़ब्ज़ा या हिरासत या इख़्तियार में या मेरे वकील या एजन्ट के क़ब्ज़ा या हिरासत या इख़्तियार में या मेरी जानिब से किसी दूसरे शख़्सके क़ब्ज़ा या हिरासत या इख़्तियार में दस्तावेज़ात मुन्दर्जै ज़ैल न अब है न कभी थीं यानी कोई हिसाब वहीखाता सनद रसीद याददाश्त कागज या तहरीर या कोई नक़्ल या इन्तिख़ाब किसी दस्तावेज मजक़ूर का या कोई दूसरी दस्तावेज किसी क़िस्मकी जो मुक़द्दमा हाज़ाके अमूर मुतनाज़आफिया से या उनमें से किसी एकसे मुतअल्लिक हो या जिनमें अमूर मजक़ूर या उनमें से किसी एक से मुतअल्लिक़ कोई इन्दराज कियागया

हो बइस्तिस्नाय व वजूज़ दस्तावेज़ात मुन्दर्जै फ़ेहरिस्त अव्वल व दोम मुन्सलिकै हाज़ाके-

नम्बर ६

हुक्म निस्बत पेश करने दस्तावेज़ात के वास्ते मुआयना के

(आर्डर ११ क़ायदा १४)

उनवान मुताबिक़ नम्बर (१) मुन्दर्जह सदर

मुसम्मै को समाअत करने और तहरीरी बयान हलफी मिन-जानिब मदखिला तारीख माह सन् के पढ़ने के बाद यह हुक्म दियाजाताहै कि तमाम मुनासिब औक़ात पर बाद मुनासिब इत्तिला के दस्तावेज़ात मुन्दर्जै ज़ैल यानी को वाक़ै पर पेशकरै और यह कि को दस्तावेज़ात मज़कूर पेशकर-दहको मुआयना करने और पढ़ने और उनके मज़मून के नोट लेनेका इख्तियार है-इसी अस्तनाय में यह हुक्म दियाजाताहै कि तमाम कार्रवाई आयन्दा मुल्तवीराय और खर्चा दर्ख्वास्त हाज़ाका हो-

नम्बर ७

इत्तिलानामा निस्बत पेश करने दस्तावेज़ात के

(आर्डर ११ क़ायदा १६)

उनवान मुताबिक़ नम्बर (१) मुन्दर्जह सदर

मुत्तिला रहो कि (मुद्दई या मुद्दआअलैह) तुमसे दस्तावेज़ात मुन्दर्जह ज़ैलको जिनका तुम्हारे अर्ज़ीदावा या बयान तहरीरी या तहरीरी बयान हलफी मौरखै तारीख माह सन् में हवाला दियागयाहै मुआयना के वास्ते पेश कराना चाहता है—

(यहां दस्तावेज़ात मतलूबाकी तफ़्सील तहरीर होनी चाहिये)

फलां वकील बनाम फलां वकील

नम्बर ८

इत्तिलानामा निस्बत मुआयना दस्तावेज़ात के

उनवान मुताबिक़ नम्बर (१) मुन्दर्जह सदर

मुत्तिला रहो कि तुम दस्तावेज़ात को जो तुम्हारे इत्तिलानामा मौरखै तारीख माह सन् में दर्ज हैं बइस्तिस्नाय दस्तावेज़ात नम्बरी मुन्दर्जह इत्तिलानामा मज़कूरके बमुक़ाम (मुक़ाम मुआयना दर्ज होना चाहिये) बरोज़ जुमेरात आयन्दा बतारीख माह रवां माबैन १२ व ४ बजेके मुआयना करसक्ते हो या यह कि मुदई या मुद्दआअलैह तुमको दस्तावेज़ात के मुआयना कराने से जो तुम्हारे इत्तिलानामा मौरखै तारीख माह सन् में दर्ज हैं इस वजह से यहां वजह तहरीर होना चाहिये इन्कार करता है—

नम्बर ६

इत्तिलानामा निस्बत तसलीम करने दस्तावेज़ात के

(आर्डर १२ क़ायदा ३)

उनवान मुताबिक़ नम्बर (१) मुन्दर्जह सदर

मुत्तिला रहो कि मुक़दमा हाज़ा में मुदई (या मुद्दआअलैह) दस्तावेज़ात मुसरहे ज़ैलको बजह सबूत में पेश करना चाहता है और यह कि दस्तावेज़ात मज़कूर को मुद्दआअलैह (या मुदई या उसका वकील या एजन्ट) बमुक़ाम बतारीख माबैन और के मुआयना करसक्ता है और यह कि हुक्म दियाजाताहै कि (बहिफ़्ज़ उन तमाम एतराज़ात व यक़ीनी के जो मुक़दमा में निस्बत क़ाबिल मक़बूल शहादत होने दस्तावेज़ात मज़कूर के हों) मुद्दआअलैह या मुदई आख़िरुल ज़िक्र वक्त से ४८ घंटाके अन्दर तसलीम करै दस्तावेज़ात मज़कूर में से जो असल हैं वह इसी तरह तहरीर हुई या उनपर दस्तख़त हुये या उनकी तकमील हुई जिस तरह कि उनका तहरीर होना या उनपर दस्तख़त होना या तकमील होना दर्ज है और जो नक़ूल हैं उनकी निस्बत यह तसलीम

करै कि वह सही नक़ूल हैं और जिन दस्तावेज़ात की बावत यह बयान कियागयाहै कि वह तामील कराई गई या मुर्सिल हुई या हवाले हुई उनकी निस्बत यह तसलीम करै कि वह इसी तरह तामील कराई गई या मुर्सिल हुई या हवाले हुई जिस तरह कि मज़कूर है—

(ज़े हे) वकील या एजन्ट मिनजानिब मुद्दई या मुद्दआअलैह

बनाम

(हे बाब) वकील या एजन्ट मिनजानिब मुद्दआअलैह या मुद्दई

(यहां दस्तावेज़ातकी तफ़्सील तहरीर होनी चाहिये और हर एक दस्तावेज़ की निस्बत लिखना चाहिये कि वह असलहै या नक़ल)-

नम्बर १०

इत्तिलानामा निस्बत तसलीम करने वाक़िआत के

(आर्डर १२ क़ायदा ५)

उनवान मुताबिक़ नम्बर (१) मुन्दर्जह सदर

मुत्तिलाहो कि मुक़द्दमा हाज़ामें मुद्दई (या मुद्दआअलैह) चाहताहै कि मुद्दआअलैह (या मुद्दई) सिर्फ वास्ते अग़राज़ मुक़दमाहाज़ाके व असहाव मुसरहे ज़ैलको तसलीम करै—और यह कि मुद्दआअलैह (या मुद्दई) को हुक्म दियाजाताहै कि तामील इत्तिलानामा से छःयोमके अन्दर (व हिफ़्ज़ तमाम एतराज़ात व यक़ीनीके जो मुक़दमाहाज़ामें निस्बत क़ाबिल मक़बूल शहादत होने वाक़िआत मज़कूरहके हों) वाक़िआत मज़कूर को तसलीम करै—

(जे हे) वकील या एजन्ट मिनजानिब मुद्दई या मुद्दआअलैह—

(हे बाब) वकील या एजन्ट मिनजानिब मुद्दआअलैह या मुद्दई—

वाक़िआत जिनका तसलीम कराना मतलूबहै हस्बज़ैलहैं—

१—यह कि (मीम) यकुम जनवरी सन् १८९० ई० को फ़ौत हुआ—

२—यह कि वह बिला छोड़ने किसी वसीयतके फ़ौत हुआ—

३—यह कि सिर्फ (नू) उसका पिसर जायज़ था—

४—यह कि (सीन) यकुम अप्रैल सन् १८९६ ई० को फ़ौत हुआ—

५—यह कि (सीन) की शादी नहीं हुई थी—

नम्बर ११

तसलीम वाक़िआत बतामील इत्तिलानामा

(आर्डर १२ क़ायदा ५)

उनवान मुताबिक़ नम्बर (१) मुन्दर्जह सदर

मुक़द्दमाहाज़ामें मुद्दआअलैह (या मुद्दई) सिर्फ मुक़द्दमाहाज़ाकी अग़राज़के लिये बज़रिये तहरीरहाज़ा वाक़िआत मुसरहे ज़ैलको बरिआयत शरायत व क़यूद मुसरहे ज़ैलके और बहिफ़्ज़ उन तमाम मुस्तसनियात वाजिबीके जो मुक़द्दमाहाज़ा में निस्बत क़ाबिल मक़बूल शहादत होने वाक़िआत मज़कूर या उनमें से किसी वाक़िआकी निस्बतहों तसलीम करताहै—

मगर शर्त यहहै कि यह तसलीम सिर्फ मुक़द्दमाहाज़ाकी अग़राज़के लिये कीजाती है और मुद्दआअलैह (या मुद्दई) के खिलाफ किसी दूसरे मौक़ापर या मिनजानिब किसी दूसरे शख़्सके बइस्तिस्नाय मुद्दई (या मुद्दआअलैह या फरीक़ तलब कुनिन्दा तसलीम) के मुस्तअमल न होगी—

(हे वाव) वकील या एजन्ट मुद्दआअलैह (या मुद्दई)

बनाम

(जे हे) वकील (या एजन्ट) मुद्दई (या मुद्दआअलैह)

वाक़िआत मुसल्लिमः	शरायत क़यूद (अगर कोई हों) बरिआयत जिनके वाक़िआत तसलीम किये गये—
१—यह कि (मीम) यक्कुम जनवरी सन् १८९० ई० को फौत हुआ	१——
	२——
२—यह कि वह बिला वसीयत छोड़ने के फौत हुआ—	३—लेकिन यह नहीं कि वह तनहा उसका पिसर जायज़ था—
३—यह कि (नून) उसका पिसर जायज़था—	४—लेकिन यह नहीं कि वह यक्कुम अप्रैल सन् १८९६ ई० को फौत हुआ—
४—यह कि (सीन) फौत होगया—	
५—यह कि (सीन) की कभी शादी नहीं हुई थी—	५——

नम्बर १२

इत्तिलानामा बहुक्म पेश करने के (नमूना आम)
(आर्डर १२ क़ायदा ८)

उनवान मुताबिक़ नम्बर (१) मुन्दर्जह सदर

मुत्तिला रहो कि वज़रिये तहरीरहाज़ा तुमसे यह मतलूब है कि तुम वक्त समाअ़त अव्वल मुक़द्दमाहाज़ा तमाम कुतुब व काग़ज़ात व खतूत व नक़ूल खतूत व दीगर तहरीरात व दस्तावेजात जो तुम्हारी हिरासत क़ब्ज़ा या इख़्तियार में हों और जिनमें कोई इन्दराज या याद्दाश्त या रूयदाद मुतअ़ल्लिक़ वाक़ियात मुतनाज़आ़फ़िया मुक़द्दमाहाज़ाके हो और ख़ुसूसन——पेशकरो और अदालतको मुलाहिज़ा कराओ—

(ज़े हे) वकील (या एजन्ट) मुद्दई (या मुद्दआ़अ़लैह)

बनाम

(हे वाव) वकील (या एजन्ट) मुद्दआ़अ़लैह (या मुद्दई)

इपनडिक्स (दाल)

नमूने डिगरियोंके

नम्बर १

डिगरी बमुक़द्दमा इब्तिदाई
(आर्डर २० क़ायदा ६ व ७)

उनवान

दावा बाबत

आज यह मुक़द्दमा वास्ते इनफिसाल अख़ीर के रूबरू बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दआ़अ़लैह हुआ बिनाबरान यह हुक्म व डिगरी हुई कि और नीज यह कि को मुबलिग रुपया बाबत ख़र्चा मुक़द्दमाहाज़ा मये सूद बश फ़ीसदी रुपया सालाना तारीख हाज़ा से तारीख वसूलयाबी त. अदाकरे—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और मोहर अदालत से इवाले कियागया–

दस्तखत जज

खर्चा मुक़दमा

मुद्दई				मुद्आअलैह			
	रुपया	आना	पाई		रुपया	आना	पाई
१–इस्टाम्प अर्जीदावाका				इस्टाम्प वकालतनामा का			
२–इस्टाम्प वकालतनामा का				इस्टाम्प सवालका			
३–इस्टाम्प वजह सबूत				मेहनताना वकील			
४-मेहनतानावकीलवाबतमुवक्लिय				खूराक गवाहों की			
५–खूराक गवाहों की				इजराय हुकुमनामा			
६–फ़ीस अहल कमीशन				फ़ीस अहल कमीशन			
७-इजराय हुकुमनामा							
मीज़ान				मीज़ान			

नम्बर २

(डिगरी महज़ ज़र नक़्दकी)

(उनवान)

दावा बाबत–

आज यह मुक़दमा वास्ते इनफिसाल अखीर के रूबरू बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई और मिनजानिब मुद्आअलैह पेश हुवा बिनाबरान हुक्म हुवा कि मुवक्लिग तादादी मये सूद बशरह फीसदी सालाना या माहाना मिनइब्तिदाय तारीख तातारीख वसूलयाबी ज़र मजकूर को अदाकरें और नीज़ खर्चा इस मुक़दमाका जो कि अदालत के ओहदादार तशखीस कुनिन्दाने महसूब किया है मये उसके सूदके बशरह फीसदी——सालाना तारीख——हाजासे तातारीख वसूलयाबी को अदाकरे–

आज बतारीख——माह——सन्——मेरे दस्तख़त और मोहर अदालतसे हवाले कियागया—

दस्तखत जज

खर्चा मुक़द्दमा

मुद्दई				मुद्दआअलैह			
	रुपया	आना	पाई		रुपया	आना	पाई
१-इस्टाम्प अर्जीदावाका				इस्टाम्प वकालतनामा का			
२-इस्टाम्प वकालतनामाका				,, सवाल का			
३-इस्टाम्प वजह सबूत				मेहनताना वकील			
४-मेहनतानावकीलबाबतरुपया				ख़ूराक गवाहोंकी			
५-ख़ूराक गवाहों की				इजरा हुकुमनामाका			
६-रसूम अहाली कमीशनकी				फ़ीस अहाली कमीशन			
७-इजराय हुकुमनामा							
मीज़ान				मीज़ान			

नम्बर ३

डिगरी इजराय बैबातकी

(आर्डर ३४ क़ायदा २)

(उनवान)

आज यह मुकद्दमा वास्ते इनफिसाल आखिरके अलख—जाहिर किया जाताहै कि मुबलिग़—बाबत ज़र असल व सूद व खर्चा जो तारीख़—माह—सन्—तक महसूब कियागयाहै मुद्दईके याफ़तनी हैं और हस्बज़ैल डिगरी सादिर कीजाती है—

(१) यह कि अगर मुद्दआअलैह रक़म मज़कूर जो हस्ब मुतज़किरह वाला वाजिबुल अदा करार दीगईहै तारीख माह सन् मज़कूर को या उससे क़ब्ल अदालत में दाखिल करदेगा तो मुद्दई तमाम दस्तावेजात को जो मुतअल्लिक़ जायदाद मरहूना के उसके क़ब्जा या इख़्तियार में हों मुद्दआअलैह के या उस शख़्स के हवाले करदेगा जिसको मुद्दआअलैह मुक़र्रर करे और अगर ज़रूरत हो तो जायदाद को मुद्दआ-

अलेह के हक़ में रेहन से और उन तमाम बारहाय से गुज़री करके जिन को मुद्दई ने या किसी शख़्स ने जो उसकी मातहती में दावेदारहो पैदा किया हो बार दीगर मुन्तक़िल करदेगा (जब कि मुद्दई बज़रिये ऐसे इस्तहक़ाक़ के दावेदारहो जो उसको दूसरे से पहुँचा तो यह अलफ़ाज़ इज़ाफ़ा करने चाहियें या उन अशख़ास ने पैदा किया हो जिनकी मातहती से वह दावेदारहै–

(जब कि मुद्दई क़ाबिज़ हो तो यह अलफ़ाज़ इज़ाफ़ा करने चाहियें और मुद्दआअलेह को जायदाद पर क़ाबिज़ करादेगा–)

(२) यह कि अगर अदायगी मज़कूर तारीख़ माह सन मज़कूर को या इससे क़ब्ल अमल में न आई तो मुद्दआअलेह तमाम हुक़ूक़ से निस्बत इनफ़िकाक कराने जायदाद के मम-नूअ रहेगा–

फ़ेहरिस्त
तफ़सील जायदाद मरहूना

(नम्बर ४)
डिगरी इब्तिदाई नीलाम की
आर्डर ३४–क़ायदा ४
(उनवान)

आज यह मुक़द्दमा वास्ते इनफ़िसाल अख़ीर के अलख़ त्रिनावरान ज़ाहिर कियाजाताहै कि मुबलिग़ बाबत जर असल व सूद व ख़र्चा जो तारीख़ माह सन् तक महसूब कियागयाहै मुद्दई के याफ़्तनी हैं यह कि रक़म मज़कूर पर सूद बशरह फ़ीसदी सालाना तावसूलजारी रहेगा और हस्बज़ैल डिगरी सादिर कीजाती है—

(१) यह कि अगर मुद्दआअलेह मुबलिग़ मज़कूर जो हस्ब मुन्दर्जे बाला वाजिबुलअदा व क़रार दियेगये हैं तारीख़—माह—सन्—मज़कूर को या उससे क़ब्ल अदालत में दाख़िल कर देगा तो मुद्दई तमाम दस्तावेजात को जो जायदाद मरहूना के मुतअल्लिक़ उसके क़ब्ज़ा या इख़्तियारमेंहों मुद्दआअलेहके या उस शख़्सके हवाले करदेगा जिसको मुद्दआअलेह मुक़र्ररकरे

और अगर ज़रूरतहो तो जायदादको मुद्दआअलेहके हक़ में रेहन से और तमाम बारहायसे मुबर्राकरके जिनको मुद्दईने या किसी शख़्सने पैदाकियाहो जो उसकी मातहतीमें दावेदारहो बारदीगर मुन्तकिल करदेगा (जब कि मुद्दई बज़रिये ऐसे इस्तहक़ाक़के दावेदारहो जो उसको दूसरे से पहुंचाहो तो यह अलफ़ाज़ इज़ाफ़ा करने चाहियें या उन अशख़ासने पैदाकियाहो जिनकी मातहती से वह दावेदारहै–

(जब कि मुद्दई क़ाबिज़ हो तो यह अलफ़ाज़ इज़ाफ़ा करने चाहियें और मुद्दआअलेह को जायदाद पर काबिज़ करादेगा)–

(२) यह कि अगर अदायगी मज़कूर तारीख माह सन् मज़कूर को या उससे क़ब्ल अमल में न आये तो जायदाद मरहूना या एक काफ़ी जुज़्व उसका नीलाम कियाजाये और ज़रसमन नीलाम (बाद मिनहाई इख़राजात नीलाम) अदालतमें दाख़िल कियाजाये और जो रक़म हस्ब मुतज़किरहबाला मुद्दईकी याफ़्तनी क़रार दीगईहै और जिसमें सूद माबाद और ख़र्चा माबाद शामिल है इसकी अदायगी में सर्फ कियाजाये और बक़ाया अगर कुछहो तो मुद्दआअलेहको दियाजायेगा–

(३) यह कि अगर खालिस मुहासिल नीलाम रक़म मज़कूर और सूद और खर्चा माबाद मज़कूर की बेबाक़ी के लिये काफ़ी नहों तो मुद्दई को इख़्तियार होगा कि बाबत ज़र बक़ाया के वास्ते डिगरी ब मुक़ाबिला ज़ात के दरख़्वास्त करे–

फ़ेहरिस्त

तफ़सील जायदाद मरहूना

(नम्बर ५)

डिगरी इब्तिदाई इनफ़िकाक की

आर्डर ३४–क़ायदा ७

(उनवान)

आज यह मुक़द्दमा वास्ते इनफ़िसाल आख़िर के अलख़ बिनाबरान

ज़ाहिर कियाजाताहै कि मुबलिग़ बाबत ज़र असल व सूद व खर्चा जो तारीख—माह—सन्—तक महसूब कियागयाहै मुद्दआअलेह के याफ़्तनी हैं और हस्बज़ैल डिगरी सादिर की जाती है—

(१) यह कि अगर मुद्दई रक़म मज़कूर जो हस्ब मुन्दर्जेबाला वाजिबुलअदा क़रार दीगई है तारीख—माह—सन्—मज़कूर को या उससे क़ब्ल अदालत में दाखिल करदेगा तो मुद्दआअलेह तमाम दस्तावेज़ात को जो मुतआल्लिक़ जायदाद मरहूना के उसके क़ब्ज़ा या इख़्तियार में हों मुद्दई के या उस शख़्स के हवाले करदेगा जिसको मुद्दई मुक़र्रर करे—

और अगर ज़रूरत हो तो जायदादको वहक़ मुद्दई रेहन से और तमाम बारहायसे मुबर्रा करके जिनको मुद्दआअलेहने या किसी शख़्स ने पैदा कियाहो जो उसकी मातहतीसे दावेदारहो बार दीगर मुन्तक़िल करदेगा—

(जब कि मुद्दआअलेह बज़रिये ऐसे इस्तहक़ाक़ के दावेदारहो जो दूसरे से पहुंचा हो तो यह अलफ़ाज़ इज़ाफा करने चाहियें या उन अशख़ास ने पैदा कियाहो जिनकी मातहती से वह दावेदार है)

(जबकि मुद्दआअलेह क़ाबिज़ हो तो यह अलफाज़ इज़ाफा करने चाहियें और मुद्दईको जायदाद पर क़ाबिज़ करादेगा)

(२) यह कि अगर अदायगी मज़कूर तारीख—माह—सन्—मज़कूर को या उससे क़ब्ल अमल में न आई तो मुद्दई तमाम हक़ूक़ से निस्बत इनफिकाक कराने जायदाद के ममनूअ रहैगा (अगर रेहन सादह या मुनफअती हो तो यह इबारत क़ायम करो जायदाद नीलाम कीजायेगी)

फ़ेहरिस्त

तफ़सील जायदाद मरहूना

(नम्बर ६)

डिगरी बैबातकी-मुर्तहिन अव्वल बनाम मुर्तहिन दोम व राहिन-मीयाद मुतवातिर इनफ़िकाक रेहनकी

(उनवान)

यह ज़ाहिर कियाजाता है कि मुबलिग़ (ज़्यादा) रुपया बाबत ज़र असल

व सूद व खर्चा जो तारीख—माह—सन्—तक (अलिफ़) महसूब कियागयाहै मुद्दई के याफ़्तनी हैं और यह कि बतारीख—माह—सन्—(बे) मुबलिग़—रुपया बाबत सूदके मुद्दई के और याफ़्तनी होंगे जिन की मजमूई तादाद मुबलिग़ (जो) है और नीज़ यह भी ज़ाहिर किया जाताहै कि बतारीख—माह—सन्—(बे) मुबलिग़ (ग़ैन) रुपया बाबत ज़र असल व सूद व खर्चा मुद्दआअलेह अव्वलके याफ़्तनीहोंगे-

और इस्वज़ैल डिगरी सादिर कीजाती है-

(१) कि अगर मुद्दआअलेह अव्वल मुबलिग़ (ज़्वाद) मज़कूर तारीख—माह—सन्—मज़कूर (अलिफ़) को या उससे कब्ल अदालत में दाखिल करदेगा तो मुद्दई .... हवाले करदेगा अलख (हस्ब मज़मून नमूना नम्बर ३)-

(२) यह कि अगर मुद्दआअलेह अव्वल मुबलिग़ मज़कूर तारीख मज़कूर को या उससे कब्ल अदालत में दाखिल न करै तो वह तमाम हक़ूक़ से निस्बत इनफिकाक कराने जायदाद के ममनूअ रहैगा-

(३) यह कि बहालत वैबात मज़कूर और अगर मुद्दआअलेह दोम मुबलिग़ (जो)—

नोट (अलिफ़) यहां एक तारीख़ दर्ज करनी चाहिये जो तारीख़ डिगरी से छ माह के अन्दर हो-

नोट (बे) यहां एक तारीख़ दर्ज करनी चाहिये जो तारीख मुन्दर्जह (अलिफ़) से तीन माह के अन्दर हो—

मज़कूर तारीख—माह—सन्—(बे) को या उससे क़ब्ल अदालत में दाखिल करदेगा तो मुद्दई ....हवाले करदेगा अलख .... (हस्ब मज़मून नमूना नम्बर ३)

(४) यह कि अगर मुद्दआअलेह दोम मुबलिग मज़कूर तारीख़ मज़कूर को या उससे कब्ल अदालत में दाखिल न करै तो वह तमाम हक़ूक़ से निस्बत इनफिकाक कराने जायदाद के ममनूअ रहैगा-

(५) यह कि उस सूरत में कि मुद्दआअलेह अव्वल जायदाद मरहूना का इनफ़िकाक कराये अगर मुद्दआअलेह दोम मुबलिग (जो) व मुबलिग़ (ग़ैन) मज़कूर तारीख—माह—सन्—(बे) को या उससे क़ब्ल अदालत में दाखिल करदेगा तो

मुद्दआअलेह अव्वल हवाले करदेगा अलख (हस्ब मज़मून नमूना नम्बर ३)

(६) यह कि अगर मुद्दआअलेह दोम मुबलिग़ान मज़कूर तारीख मज़कूर को या उससे क़ब्ल अदालत में दाखिल न करे तो वह तमाम हुकूक़ से निस्बत इनफिकाक कराने जायदाद के ममनूअ रहेगा (अगर मुद्दआअलेह दोम क़ाबिज़ हो तो यह अलफाज़ इज़ाफा करने चाहियें और मुद्दआअलेह अव्वलको जायदाद पर क़ाबिज़ करादेगा)

(नम्बर ७)

डिगरी नीलामकी—मुर्तहिन अव्वल-बनाम मुर्तहिन दोम व राहिन—एक मीयाद इनफ़िकाककी

(उनवान)

यह ज़ाहिर कियाजाताहै कि मुबलिग़ (ता'दाद) रुपया बाबत ज़रअसल व सूद व खर्चा जो तारीख—माह—सन्—तक महसूब कियागया है मुद्दई के याफ़्तनीहैं और यह कि तारीख मज़कूरको मुबलिग़ (जो) रुपया बाबत ज़रअसल व सूद व खर्चा मुद्दआअलेह अव्वलके याफ़्तनी होंगे—और हस्बज़ैल डिगरी सादिर कीजाती है—

(१) कि अगर मुद्दआअलेहुम् या उनमें से कोई मुद्दआअलेह मुबलिग़ (ता'दाद) मज़कूर तारीख—माह—सन्—मज़कूर को या उससे क़ब्ल अदालतमें दाखिल करदेंगे या करदेगा तो मुद्दई.... हवाले करदेगा अलख (हस्ब मज़मून नमूना नम्बर ४)

(२) यह कि अगर अदायगी मुबलिग़ मज़कूर तारीख—माह—सन्—को या उससे क़ब्ल अमल में न आये तो जायदाद मरहूना या एक काफी जुज़्व उसका नीलाम कियाजाये और ज़रसमन नीलाम (बाद मिनहाई इखराजात नीलाम) अदालतमें अज़नाम मुक़द्दमाहाज़ा दाखिल कियाजाये और हस्ब मुन्दर्जेज़ैल सर्फ़ कियाजाये—

अव्वल—मुद्दईको मुबलिग़ (ता'दाद) मज़कूरके और उस क़दर ज़रसूद व खर्चा मा'बादके अदा करने में जो अदालतने दिला-

याहो-दोम मुद्दआम्रलेह अव्वलको मुबलिग़ (ज़ो) मज़कूरके और ज़रसूद व खर्चा माबाद मुतज़क्किरहवालाके अदा करने में और अगर कुछ बक़ायारहै तो मुद्दआम्रलेह दोमको दियाजायेगा-

(३) यह कि अगर मुद्दआम्रलेहुम् या उनमें से कोई मुद्दआम्रलेह मुबलिग़ (ज़्वाद) मज़कूर हस्ब मुतज़क्किरहबाला अदा करदें या करदे तो उनको या उसको इख़्तियार होगा कि अदालत में दरख़्वास्त गुज़राने या गुज़राने कि मुद्दईका रेहन शख़्स अदाकुनिन्दा रक़म मज़कूरके फायदाके लिये या दीगर तौर पर ज़िन्दह रक्खाजाये जैसा उनको या उसको मशविरा दियाजाये-

(४) यह कि अगर ख़ालिस मुहासिल नीलाम मुबलिग़ (ज़्वाद) मज़कूर और ज़रसूद व ख़र्चा माबाद मज़कूरकी बेबाक़ीके वास्ते काफी न हो तो मुद्दईको इख़्तियार होगा कि बाबत ज़रबक़ाया के वास्ते सदूर डिगरी बमुक़ाबिले ज़ातके दरख़्वास्तकरे-

(नम्बर ८)

डिगरी नीलामकी मुर्तहिन दोम बनाम मुर्तहिन अव्वल व राहिन-एक मीयाद इनफ़िकाककी

(उनवान)

[यहां इज़हार इस मज़मूनका कि मुद्दईके मुबलिग (ज़ो) रुपया और मुद्दआम्रलेह अव्वलके मुबलिग़ (ज़्वाद) रुपया याफ़्तनीहैं हस्ब मुन्दर्जे नमूना नम्बर ७ दर्जकरो]

और हस्बज़ैल डिगरी सादिर कीजाती है-

(१) कि अगर मुद्दई या मुद्दआम्रलेह दोम मुबलिग़ (ज़्वाद) रुपया मज़कूर तारीख़—माह—सन्—मज़कूरको या उससे क़ब्ल अदालतमें दाख़िल करदेगा तो मुद्दआम्रलेह अव्वल ...हवाले करदेगा अलख (हस्ब मज़मून नमूना नम्बर ४)

(२) यह कि अगर अदायगी रक़म मज़कूर तारीख़—माह—सन्—को या उससे क़ब्ल अमल में न आये तो मुद्दआम्रलेह अव्वलको इख़्तियार होगा कि दरख़्वास्त पेशकरे कि नालिश

डिसमिस कीजाये या जायदाद मरहूना नीलाम कीजाये और उस सूरतमें कि वह नीलामके लिये दरख़्वास्तदे जायदाद मरहूना या एक काफी जुज़्व उसका मुद्दई और मुद्दआअलेह अव्वलके बारहाय से मुवर्रा नीलाम कियाजायेगा और ज़रसमन नीलाम (बाद मिनहाई इखराजात नीलाम) अदालतमें दाख़िल कियाजायेगा और हस्ब मुन्दर्जैज़ैल सर्फ कियाजायेगा-अव्वल मुद्दआअलेह अव्वलको मुबलिग़ (इत्ताद) रुपया मज़कूरके और उस क़दर ज़रसूद व खर्चा मावादके अदा करने में जो अदालतने दिलायाहो दोम मुद्दईको मुबलिग़ (ज़ो) रुपया मज़कूरके और ज़रसूद व खर्चा मावाद मुतज़क्किरहवाला के अदा करने में और अगर कुछ बक़ायारहै तो मुद्दआअलेह दोमको दियाजायेगा-

(३) यह कि अगर मुद्दई मुबालिग़ (इत्ताद) रुपया मज़कूर तारीख़ माह—सन्—को या उससे क़ब्ल अदालतमें दाख़िल करदेगा तो मुद्दआअलेह दोमको इख़्तियार होगा कि मुबलिग़ मज़कूर और मुबलिग (ज़ो) रुपया मज़कूर तारीख़—माह-सन्—को या उससे क़ब्ल अदालतमें दाखिल करदे और ऐसा करनेपर मुद्दई....हवाले करदेगा अलख (हस्ब मज़मून नमूना नम्बर४)

(४) यह कि अगर मुद्दई रक़म मज़कूर हस्ब मुतज़क्किरहवाला अदा करदे लेकिन मुद्दआअलेह दोम रक़ूम मज़कूरको हस्ब मुतज़क्किरहवाला अदा न करै तो जायदाद मरहूना या एक काफी जुज़्व उसका नीलाम कियाजायेगा और ज़रसमन नीलाम (बाद मिनहाई इखरातजात नीलाम) मुद्दई को रक़ूम इत्ताद व ज़ो मज़कूरके और नीज़ उस क़दर ज़रसूद व खर्चा मावादके अदा करने में जो अदालतने दिलायाहै सर्फ़ कियाजायेगा और अगर कुछ बक़ायारहै तो मुद्दआअलेह दोमको दियाजायगा-

(५) यह कि अगर ख़ालिस मुहासिल नीलाम रक़ूम मज़कूर व सूद व खर्चाकी बेबाक़ीके वास्ते काफ़ी न हों तो मुद्दईको इख़्तियार होगा कि ज़र बक़ायाकी बाबत डिगरी बमुक़ाबिलेज़ातके हासिल करनेके लिये दरख़्वास्तकरै—

(नम्बर ९)

डिगरी नीलामकी मुर्तहिन मातहत बनाम मुर्तहिन और राहिन जब कि रेहन असली की तादाद रेहन मातहतकी तादादसे ज़्यादाहो

(उनवान)

(यहां इज़हार इस अम्रका कि मुवालिग़ (ज़्वाद) रुपया मुद्दई के और मुवालिग़ (ज़ो) रुपया मुद्दआअलेह अव्वल के याफ़्तनी हैं हस्त्र नमूना नम्बर (७) दर्ज करो)

और हस्व ज़ैल डिगरी सादिर कीजातीहै—

(१) मुद्दआअलेह अव्वल व मुद्दआअलेह दोम को इख़्तियार है कि मुवलिग़ (ज़्वाद) रुपया व मुवलिग़ (ज़ो) रुपया मज़कूर अलत्तरतीव——तारीख——माह—— सन्—— को या उससे क़ब्ल अदालत में दाख़िल करदे और जब रक़ूम मज़कूर अदा होजायें तो मुद्दई....हवाले करदेगा अलख़ (हस्व मज़मून नमूना नम्बर ४) और ऐसा होनेपर मुवलिग (ज़्वाद) रुपया मुद्दई को अदा करदिया जायेगा—

(२) अगर अदायगी मुतज़क्किरहवाला मिन्‌जानिब मुद्दआअलेह दोम अमल में आये तो मुद्दआअलेह अव्वल भी....हवाला करदेगा अलख़ (हस्व मज़मून नमूना नम्बर ४) और ऐसा करनेपर मुद्दई को हस्व मुतज़क्किरहवाला अदा करने के बाद जो वक़ाया रहै वह मुद्दआअलेह अव्वलको दिया जायेगा—

(३) अगर मुद्दआअलेह अव्वल व दोयम रुपया हस्व मज़कूरहवाला अदा करने से क़ासिर रहैं तो जायदाद मरहूना या एक काफ़ी जुज़्व उसका नीलाम किया जायेगा और ज़र समन नीलाम (बाद मिनहाई इख़राजात नीलाम) अदालत में दाख़िल किया जायेगा और हस्व मुन्दर्जेज़ैल सर्फ़ किया जायेगा अव्वल मुद्दई को मुवलिग ज़्वाद रुपया मज़कूर के और उस क़दर

सूद व खर्चा मावादके अदा करने में जो अदालतने दिलायाहो (लेकिन मजमूई तादाद और ज़रअसल व सूदकी उस ज़र असल वसूदकी तादाद से ज्यादा न होगी जो मुद्दआअलेह अव्वलका याफ़्तनी है) दोयम मुद्दआअलेह अव्वलको उस क़दर रक़मके अदा करने में जिस क़दर मुबलिग़ जो रुपया मुबलिग़ ज्वाद रुपयासे ज्यादाहो और सूद व खर्चा मावाद हस्ब मुतज़क्किरहवालाके अदा करने में—और अगर कुछ बक़ाया रहै वह मुद्दआअलेह दोयमको दियाजायेगा—

(४) अगर अदायगी मिन्‌जानिब मुद्दआअलेह अव्वल अमल में आये और मुद्दआअलेह दोयम हस्ब मुतज़क्किरहवाला अदा न करै तो मुद्दआअलेह अव्वलको इख़्तियार होगा कि जायदाद मरहूनाके नीलामके वास्ते दरख़्वास्तकरे और दरख़्वास्त मज़कूरपर जायदाद मरहूना या एक काफ़ी जुज़्व उसका नीलाम कियाजायेगा और खालिस ज़र मुहासिल नीलाम इसतरह सर्फ कियाजायेगा कि अव्वल मुद्दआअलेह अव्वलको मुबलिग (जो) रुपया मज़कूर और उस क़दर ज़रसूद मज़ीद व खर्चा जो अदालतने दिलायाहो दियाजायेगा और अगर कुछ बक़ाया रहै वह मुद्दआअलेह दोयमको दियाजायेगा—

(५) यह कि अगर खालिस ज़र मुहासिल नीलाम रक़ूम मुतज़क्किरहवाला व सूद मज़ीद व खर्चाकी बेबाकीके वास्ते काफ़ी न हो तो मुद्दई या मुद्दआअलेह अव्वल को यानी जैसी कि सूरतहो इख़्तियारहोगा कि ज़रबक़ायाकी बाबत डिगरी बमुक़ाबिलेज़ात के हासिल करनेके लिये दरख़्वास्त पेशकरै—

नम्बर १०

डिगरी क़तई बेबातकी

(आर्डर ३४ क़ायदा ३)

उनवान

चूंकि डिगरीको पढ़नेके बाद जो मुक़द्दमाहाज़ामें तारीख   माह सन्   को सादिरहुईथी और दरख़्वास्त मुद्दई मुवर्रिखे तारीख

माह सन् को पढ़नेके बाद और वकील मुद्दई और वकाल मुद्दआअलेहको सुननेके बाद यह मालूम होताहै कि अदायगी हस्बुल्हुक्म मुन्दर्जे डिगरी मज़कूर अमल में नहीं आई है—

लिहाज़ा हस्बज़ैल डिगरी सादिर कीजाती है कि मुद्दआअलेह और तमाम अशखास जो उसके ज़रिये से या उसकी मातहती से दावेदारहों तमाम हकूक़ से निस्बत इनफिकाक कराने जायदाद मरहूना मुन्दर्जे व मुसरहे फेहरिस्त मुन्सलिकाहाज़ाके ममनूअ रक्खेजायें (जब कि मुद्दआअलेह काबिजहो तो यह अलफाज़ इज़ाफा करने चाहियें और मुद्दई को जायदाद मज़कूरपर क़ाबिज़ करादेगा—)

फ़ेहरिस्त

तफ़सील जायदाद मरहूना

नम्बर ११

डिगरी बमुक़ाबिलेज़ात राहिनके

(आर्डर ३४ क़ायदा ६)

उनवान

हरगाह कि खालिस जर मुहासिल नीलाम जो बमूजिब उस डिगरी क़तईके वक्अमें आया जो मुकदमैहाज़ामें बतारीख माह सन् सादिरहुई थी और ज़र मज़कूर अदालतमें अज़नाम मुक़दमाहाज़ा जमा है बक़दर मुबलिग़ (ज़ो) रुपयाके है और इसवक़्त मुबलिग़ (ज़्वाद) रुपया मुन्दर्जे डिगरी मजकूर और नीज़ मुबलिग़ रुपया बाबत सूद रक़म मज़कूर बशरह छः रुपया फीसदी सालाना मिनइब्तिदाय तारीख माह सन् लगायत तारीखहाज़ा और नीज मुबलिग रुपया बाबत खर्चा मुक़दमाहाजा जो बाद डिगरीके आयदहुआ मुद्दईके याफ़्तनी हैं और मुबलिग (गैन) रुपया याफ़्तनी मुद्दईके बाक़ीहैं और हरगाह कि अदालतको यह मालूम होताहै कि मुद्दआअलेहकी जात बक़ाया मज़कूर के वास्ते क़ाबिल मवाखिज़हहै—

नजरबरां हस्बज़ैल डिगरी सादिर कीजाती है—

(१) यह कि मुबलिग़ जो रुपया मज़कूर अदालत से मुद्दईको अदा कियाजाये—

(२) यह कि मुद्दआअलेह मुद्दईको मुबलिग (गैन) रुपया मज़कूर मये उसके सूद बशरह छः रुपया फ़ीसदी सालाना मिन्इब्तिदाय तारीख़हाज़ा लग़ायत तारीख़ वसूलयाबी मुबलिग़ मज़कूर के अदाकरे—

नम्बर १२

डिगरी तसहीह दस्तावेज़की

उनवान

वज्य इस के ज़ाहिर कियाजाता है कि मुवर्रिख़े तारीख माह सन् फरीक़ैन मज़कूर के मन्शाय को सहीतौर पर ज़ाहिर नहीं करता और यह डिगरी सादिर की जातीहै कि मज़कूरकी करके तसहीह कीजाये—

नम्बर १३

डिगरी मन्सूख़ी इन्तिक़ालकी जो बग़रज़ फ़रेबदिही क़र्ज़ख़्वाहान के अमल में आयाहो

उनवान

वज्य इसके ज़ाहिर किया कि जो बतारीख़ माह सन् माबैन और के अमल में आया व मुक़ाबिले मुद्दई के और मुद्दआअलेह के जुम्ला दीगर कर्ज़ ख़्वाहान के (अगर कोई हों) कल अदम है—

नम्बर १४

हुक्म इम्तिनाई बख़िलाफ़ फ़ेल तकलीफ़दिह ख़ानगी के

उनवान

मुद्दआअलेह और उसके एजन्टयान व मुलाज़िमान व कारीगरान

हमेशा के लिये वाज़ रक्खे जातेहैं कि मुद्दआअलेह के क़िता अराज़ी पर जिसपर नक़्शा मुनसलिका में हर्फ़ (बे) डालागया है इस तरह ईंटें न जलायें और न जलवायें जिससे मुद्दई को बहैसियत मालिक व क़ाबिज़ मकान मसकूना व बाग़ के जो अर्ज़ीदावे में ममलूका व मक़बूज़ा मुद्दई बयान कियेगये हैं तकलीफ न पहुंचे—

नम्बर १५

हुक्म इम्तिनाई पुरानी सतह से ऊंची तामीर करने के ख़िलाफ़

उनवान

मुद्दआअलेह और उसके ठेकादारान व एजन्टयान व कारीगरान हमेशा के लिये वाज़ रक्खेजाते हैं कि उसकी अराज़ीवाक़ै पर कोई मकान या तामीर उन तामीरात से जो साबिक़ में अराज़ी मज़कूर पर उस्तादहथीं और जो हाल में गिराई गई हैं ज्यादा बलन्द इस तरह और ऐसे तरीक़े में न बनायें जिससे मुद्दईकी खिड़कियां जो अराज़ी मज़कूर पर वाक़ै हैं, और जिनमें क़दीम से रोशनी की गुज़र है अंधेरी होजायें और उनको नुक्सान पहुंचे और वह बंद होजायें—

नम्बर १६

हुक्म इम्तिनाई सड़क खानगी को इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़

उनवान

मुद्दआअलेह और उसके एजन्टयान व मुलाज़िमान व कारीगरान हमेशाके लिये वाज रक्खे जातेहैं कि कूचा वाक़ै के किसी हिस्सा को जिसकी मिट्टी मिल्कियत मुद्दई है बतौर रास्ता गाड़ी व बग्घी व दीगरअराबाजात के इस्तेमाल न करें और न किसी को इस्तेमाल करने दें ख़्वाह अराज़ी निशानी हर्फ़ (बे) मुन्दर्जे नक़्शा मुन्सलिका पर जानेके वास्ते ख़्वाह अराज़ी मज़कूर से वापस आने के वास्ते ख़्वाह किसी दीगर ग़रज के वास्ते—

नम्बर १७

डिगरी इब्तिदाई बमुक़द्दमा इहतिमाम तर्का

उनवान

हुक्म हुआ कि तरतीव हिसाव व तहक़ीक़ात हस्व मुफ़स्सिले ज़ैल अमल में आये यानी व मुक़द्दमा दायन—

१—जो रक़ूम कि याफ़्तनी मुद्दई और तमाम दीगर क़र्ज़ख्वाहान मुतवफ़्फ़ी की हों उनका हिसाव मुरत्तिव कियाजाये—

वमुक़द्दमा मूसालहुम्—

२—हिसाव माल वसीयतीका जो कि मूसाकी वसीयत की रूसे दिया गयाहो मुरत्तिव कियाजाये—

व मुकद्दमा क़रावती क़रीबतर—

३—तहकीक़ात कीजाय और हिसाव मुरत्तिवहो कि मुद्दई माल वसीयती में से वतौर क़रावती क़रीब (या क़रावती मिन्जुम्ला क़रावतयान क़रीवतर के) शख्स विला वसीयत किस क़दरका या किस हिस्साका अगर कुछ है मुस्तहक़ है—

(वाद फ़िकरह अव्वल के डिगरी में दर हालेकि ज़रूरीहो वमुकद्दमा दायन हुक्म तहक़ीक़ात और तरतीव हिसावका वहक़ मूसालहुम् और वरसाय जायज़ और क़रावतयान करीवतर के दियाजायेगा और वमुक़द्दमा दीगर दावीदारान वजुज़ दायनान के तमाम सूरतों में वाद फ़िकरह अव्वल के हुक्म होगा कि दायनान की वावत तहक़ीकात कीजाय और उनका हिसाव मुरत्तिव कियाजाये और वाद अज़ां यह हुक्म लिखा जायगा कि दीगर अशखास की वावत जिनकी ज़रूरतहो तहक़ीक़ातहो और हिसाव मुरत्तिव कियाजाय और शुरूअ की इवारत मामूली मतरूक कीजाय और उसके वाद यह नमूना मुताविक इसी नमूनाके हो जो दायन के मुकदमा के वास्ते है—

४—हिसाव इख़राजात तजहीज़ व तकफीन और मुतअल्लिका वसीयत मुरत्तिव कियाजाय—

५—हिसाव माल मन्कूला मतरूका मुतवफ़्फ़ीका जो वक़ब्ज़ा मुद्दआ-

अलेह या किसी और शख़्स के मुदआअलेह के हुक्म से या उसके इस्ते माल के लिये दरआया हो मुरत्तिब कियाजाये—

और तहक़ीकात इस अम्र की अमल में आयें कि किस क़दर जायदाद मन्कूला मतरूका मुतवफ़्फ़ी अगर कुछ हो बाक़ी है जिसकी निस्बत कुछ अमल में नहीं कियागया—

(७) और नीज़ हुक्म दियाजाता है कि मुदआअलेह बतारीख़ या क़ब्ल तारीख माह सन् अदालत में तमाम मुबलिग जो दरियाफ़्त हो कि उसके कब्ज़ा में आये हैं या उसके हुक्म से या उसके फ़ायदा के लिये-और-क़ब्जा में आये हैं अदालत में दाखिल करे—

(८) और नीज यह कि * की दानिस्त में वास्ते हसूल अ-गराज़ मुकद्दमाके नीलाम करना किसी जुज़्व जायदाद मन्कूला मतरूका मुतवफ़्फ़ी का ज़रूरी मुतसव्वर हो तो उसको नीलाम करके ज़र समन नीलाम अदालत में दाखिल करदे—

९—यह कि (-हे वाव.) इस मुक़द्दमा (या कार्रवाई में) मोहतमिम मुक़र्रर हो और मुतवफ़्फ़ी के तमाम दयून और जायदाद मन्कूला को फ़राहिम करके अपने इहतिमाम में लाये—और * के हवालेकरे (और वास्ते तामील करार वाकई अपनी खिदमात के बतादाद मुबलिग— ज़मानतनामा दाखिल करे)—

१०—नीज़ हुक्म दियाजाता है कि अगर जायदाद मन्कूला मतरूका मुतवफ़्फ़ी वास्ते अग़राज मुक़दमा के ग़ैर मुतवफ़्फ़ी पाईजाये तो तहक़ीक़ात मजीद अमल में आये और हिसाबात मुरत्तिब कियेजायें—यानी

(अलिफ) तहक़ीकात इस अम्रकी कि जायदाद ग़ैर मन्कूला पर मुतवफ़्फ़ी बरवक्त अपनी वफात के क़ाबिज़ था या उस का मुस्तहक़ था—

(बे) तहक़ीकात इस अम्रकी कि मुतवफ़्फ़ी की जायदाद ग़ैर मन्कूला या उसके किसी जुज़्व पर क्या मवाख़िजाजात हैं अगर कुछ मवाखिजे हों—

(जीम) हिसाब जहांतक मुमकिन हो उन रक़ूम का जोकि ज़ुम्ला मवाखिजाजात की बाबत वाजिब हों और उसमें तफ़सील

नोट * यहां मोहतमिम मुनासिब का नाम दर्ज करो—

तक़दीम व ताखीर इन मवाखिज़ादारों की दर्ज कीजाये जो उस नीलाम पर जिसका कि वादअर्ज़ी बयान कियाजायेगा राजी हों—

११–यह कि जायदाद ग़ैर मन्कूला मतरूका मुतवफ़्फ़ी या उसमें से जिस वास्ते हसूल गरज़ मुक़दमा बइज़ाफा ज़र मदखिला अदालत ज़रूरी हो वमंज़ूरी हाकिम अदालत मुवर्रा मवाखिज़ाजात से उन दावीदारों के जोकि नीलाम पर राज़ीहों और वक़ैद मवाखिज़ा जात उन दावीदारों के जोकि नीलाम पर राज़ी न हों नीलाम कीजाये–

१२–और नीज़ हुक्म दियाजाता है कि (ज़े हे) जायदाद ग़ैर मन्कूला का नीलाम करे और जिन शरायत और मआदिहों पर नीलाम हो उन को वास्ते मंज़ूरी * के क़लमबंद करे और दरसूरत वाक़े होने किसी शक या दुशवारी के काग़ज़ात जज़ के रूबरू वास्ते तस्फ़िया के पेश कियेजायें–

१३–नीज हुक्म दियाजाता है कि बग़रज़ तहक़ीक़ात मुतज़क्किरह वाला * अखबारात में मुताबिक़ ज़ाब्ता अदालत के इश्तहार छपवावे या तहक़ीकात मजकूर को किसी और ऐसे तौरपर अमल में लाये जोकि * की दानिस्त में उस तहक़ीकात को मुश्तहर करने के लिये निहायत मुफ़ीद हो—

१४–नीज हुक्म दियाजाता है कि तहक़ीक़ात और हिसाव मज़कूर की तरतीव और तमाम दीगर अमूर जिनके अमल में आनेका हुक्म दियागया क़ब्ल तारीख माह सन् तकमील पायें और * कैफियत नतीजा तहक़ीक़ात और हिसाबात की और इस अम्रकी गुज़राने कि तमाम दीगर अमूरकी तकमील होगई जिनके अमल में आनेका हुक्म दियागया था और अपनी कैफियत इस बावमें वास्ते मुआयना फरीक़ैन के बतारीख माह मुरत्तिवरक्खे–

१५–अखीर यह कि मुक़दमा (या मआमिला) वास्ते सदूर डिगरी अखीरके तातारीख माह मुल्तवी रहै–

[इस डिगरीका सिर्फ वह जुज़्व लिखाजाय जो कि खास सूरत से इलाक़ा रखता हो]

* यहा अफ्सर मुनासिब का नाम दर्जकरो—

नम्बर १८

डिगरी अख़ीर बमुक़द्दमा नालिश मूसालहू दरबाब इहतिमामतर्कामुतवफ़्फ़ी

उनवान

१–हुक्म हुआ कि मुद्दआअलेह बतारीख माह सन् या क़ब्ल इसके अदालत में मुबलिग़ यानी ज़रबाक़ी जो अज़रूय सार्टीफिकट मज़कूर मुद्दआअलेह मज़कूर से बाबत जायदाद मतरूका मूसा याफ़्तनी पाया गया और नीज़ मुबलिग़ बाबत सूद बहिसाब फ़ीसदी सालाना मुबलिग़ तारीख माह सेतातारीख माह हमगी मुबलिग अदाकरै—

२–* अदालत मज़कूर इस मुक़द्दमा में खर्चा जानिब मुद्दई व मुद्दआअलेह क़रारदे और इसतौर पर तजवीज़ किये जानेके बाद ज़रखर्चा मज़कूर मिनजुम्ला मुबलिग़ मज़कूर के वास्ते हस्ब मज़कूरहवाल अदालतमें दाखिल कियेजानेका हुक्म हुआहै हस्ब तफ़्सील ज़ैल अदा कियाजाय–

(अलिफ) खर्चा जानिब मुद्दई मिस्टर उसके अटरनी (या प्लीडरको) और खर्चा जानिब मुद्दआअलेह मिस्टर उसके अटरनी (या प्लीडर को)–

(बे) (अगर कोई दयून याफ़्तनी हों तो) मुबलिग मज़कूर के ज़र बाकीमांदा में से बाद अदाय खर्चा जानिब मुद्दई व मुद्दआअलेह हस्ब मरक़ूमैबालाके जिस क़दर रुपया कि जुम्ला क़र्ज़ख्वाहोंका हस्ब मुन्दर्जै फेहरिस्त बमूजिब तसदीक़ * वाजिबी पायाजाये मयेसूद माबाद के बाबत उन दयूनके जो सूदी हैं अदा कियाजाये और बाद अदाय रक़ूम मज़कूर जिस क़दर रुपया कि जुम्ला मूसालहुम् मुन्दर्जै फेहरिस्तको मये सूद माबाद के (जिसकी तसदीक़ हस्ब मज़कूरहवाला कीजायेगी) वाजिबुल् अदाहो अदा कियाजाये–

---

* यहां अदालत मुनासिब का नाम दर्ज करो—

३—अगर बाद अर्जी कुछ और रुपया बाक़ी रहै तो वह जायदाद वाक़ीमांदा के मूसालहू को अदा कियाजाये—

नम्बर १९

डिगरी इब्तिदाई बमुक़दमा नालिश मूसालहू दरबाब इहतिमाम तर्का जिस हालमें कि वसी बज़ात खुद ज़िम्मेदार अदायशै वसीयतीकाहो

उनवान

१—वाज़ेहहो कि मुद्दआअलेह बज़ात खुद ज़िम्मेदार इसकाहै कि शै वसीयती मुबलिग़   मुद्दईको अदाकरै—

२—और हुक्म दियाजाताहै कि हिसाब ज़रअसल व सूद बाबत शै वसीयती मज़कूर जोकि याफ़तनीहो मुरत्तिब कियाजाये—

३—और नीज़ हुक्म होताहै कि *   की तसदीकक़ी तारीख से हफ़्ताके अन्दर मुद्दआअलेह मुद्दईको उस क़दर ज़र जोकि *   बाबत असल व सूद याफ़तनी तजवीज़करै अदाकरदे—

४—नीज़ हुक्म दियाजाताहै कि मुद्दआअलेह खर्चा जो मुद्दईपर आयद हुआहो मुद्दईको अदाकरै और अगर तादाद खर्चाकी निस्बत फरीकैन में इत्तिफ़ाक़ न हो तो उसको तशखीस करदियाजायेगा—

नम्बर २०

डिगरी अख़ीर बमुक़द्दमै नालिश क़रावती क़रीबतर दरबाब इहतिमाम तर्का

उनवान

१—*   अदालत मज़कूर खर्चा जानिब मुद्दई व मुद्दआअलेह मुक़द्दमाहाज़ाके क़रारदे और ज़रखर्चा जानिब मुद्दई मज़कूर इस तौरपर

* यहां अफ़सर मुनासिब का नाम दर्ज करो—

क़रार दियेजानेके बाद मुबलिग़ यानी उस ज़र बाक़ीमें से जो हस्ब तसदीक़ मज़कूर मुद्दआअलेह से बाबत जायदाद मन्कूला (हे वाव) मुतवफ़्फ़ी बिला वसीयतके याफ़्तनी पायाजाये अन्दर एक हफ़्ताके उस तारीख़ से कि खर्चा मज़कूरको * मौसूफ़ क़रारदे अदा कियाजाये और मुद्दआअलेह मिनजुम्ला उसी मुबलिग़के अपना ख़र्चा जब कि वह महसूबहो अपने वास्ते रखले–

२–नीज़ हुक्म दियाजाताहै कि जो रुपया मुबलिग़ मज़कूर में से बाद अदाय ख़र्चा मुद्दई व मुद्दआअलेहा मज़कूरहके बाक़ीरहै वह मुद्दआअलेहा हस्ब मुफ़स्सिलै ज़ैल अदा और सर्फ़करै–

(अलिफ़) मुद्दआअलेहा उस तारीख़से कि तअय्युन खर्चाका* हस्ब मज़कूरैवाला अदा करदे एक हफ़्ताके अन्दर ज़रबक़ीया मज़कूरका एक सुलस मुद्दईयान (बे) और (जीम) उसकी ज़ौजहको बाबत उस ज़ौजह के हकके इस वजह से कि वह (हे वाव) मुतवफ़्फ़ी बिला वसीयती की बहिन और मिनजुम्ला क़राबतियों के एक क़राबती क़रीबतर है अदाकरै–

(बे) मुद्दआअलेहा मिनजुम्ला बक़ीया ज़र मज़कूर बाबत अपने हिस्साके एक सुलसले इस वजह से कि वह (हे वाव) मुतवफ़्फ़ी बिला वसीयती मज़कूर की मां और मिनजुम्ला दीगर क़राबतियों के एक क़राबती क़रीबतरहै–

(जीम) मुद्दआअलेहा उस तारीख़ से कि * हस्ब मरकूमैवाला तअय्युन ख़र्चा का करे एक हफ़्ता के अन्दर मिनजुम्ला ज़र बक़ीया मज़कूरके एक सुलस बाक़ीमांदह (ज़े हे) को बाबत उसके हिस्साके दे इस वजह से कि वह (हे वाव) मुतवफ़्फ़ी बिला वसीयती मज़कूर का भाई और उसका दूसरा क़राबती क़रीबतर है–

---

* यहां अफ़सर मुनासिब का नाम दर्ज करो–

नम्बर २१

डिगरी इब्तिदाई बमुक़द्दमा फ़िस्ख़ शराकत व लेने हिसाबात शराकती

उनवान

यह ज़ाहिर कियाजाताहै कि फ़रीक़ैनके हिसिस रसदी शराकतमें हस्ब ज़ैलहैं—

यह ज़ाहिर कियाजाता है कि शराकत मुतज़क्किरह अर्ज़ी नालिश जो माबैन मुद्दई और मुद्दआअलेहके है तारीख   माह   से फ़िस्ख़ होनी चाहिये (या फ़िस्ख़ मुतसव्वर होनी चाहिये) और नीज़ हुक्म दियाजाताहै कि इनफ़िसाख़ शराकत मज़कूरका तारीख मज़कूरसे गज़ट वग़ैरह में मुश्तहरहो—

और हुक्म दियाजाता है कि   रिसीवर यानी मोहतमिम जायदाद शराकती और अमवाल मुतनाज़िआ नालिश हाज़ाका मुक़र्ररहो और जो दयून मुन्दर्जह वही और दआवी कारख़ाना शराकतीके लोगोंके ज़िम्मे हैं वह सब वसूलकरै—

और हुक्म दियाजाताहै कि हिसाबात मुफ़स्सिलै ज़ैल लियेजायें—

२—हिसाब दयून याफ़्तनी व जायदाद व अमवाल फ़िलहाल मुतअल्लिक़ै कारख़ाना शराकती मज़कूर—

हिसाब दयून और मतालिबाजात ज़िम्मगी कारखाना शराकती मज़कूर॰

३—हिसाब तमाम दाद व सितद और मआमिलातका माबैन मुद्दई व मुद्दआअलेह जो बाद हिसाब तस्फ़िया याफ़्ता मुन्दर्जह नालिशहाज़ा मुसविता (अलिफ) के हुयेहों और किसी हिसाबात तस्फ़िया याफ़्ता मा बादसे इलाक़ा न रखतेहों—

और हुक्म दियाजाताहै कि गुडवील यानी नेकनामी उस कारोबारकी जो क़ब्ल अर्ज़ी मुद्दई व मुद्दआअलेह हस्ब मुन्दर्जै अर्ज़ीदावा करते थे और माल मौजूदह मुतअल्लिक़ै कारोबार उसी मुक़ामपर नीलाम किया जाये और*   को इख़्तियारहै कि फ़रीक़ैन में से किसी दरख़्वास्तपर

---

* यहां अफ़सर मुनासिबका नाम दर्जकरो—

उस नीलाममें तमाम या किसी लाटके वास्ते अपनी तजवीज़ से वोली क़रारदे और फ़रीकैन में से हरएकको इख़्तियार है कि वरवक्त नीलाम वोली वोले—

और हुक्म दियाजाताहै कि क़ब्ल तारीख माह हिसावात मज़कूरैबाला मुरत्तिव कियेजायें और तमाम दीगर अमूर जिनका अमलमें आना ज़रूरीहो तकमीलको पहुंचायेजायें और * वावत नतीजा हिसावातके और इस इस अम्रके कि तमाम दीगर अमूरकी तकमील होगई तसदीक़करे और वतारीख माह अपना सार्टीफिकट उस वावमें वास्ते मुआयना फ़रीक़ैनके मुरत्तिव रक्खै—

विल आखिर हुक्म दियाजाताहै कि वास्ते सादिर करने डिगरी अखीरके यह मुक़दमा तातारीख माह मुल्तवीरहै—

नम्बर २२

डिगरी अखीर बमुक़द्दमा फ़िस्ख़ शराकत व लेने हिसावात शराकत

उनवान

हुक्म हुआ कि मुवालिग़ तादादी जो विलफैल अदालतमें जमा हैं हस्वजैल सर्फ़ कियेजायें—

(१) दयून ज़िम्मगी कारखाना शराकती हस्व मुन्दर्जे सार्टीफिकट हमगी तादादी मुवलिग़ के अदा करने में—

(२) खर्चा तमाम अहाली मुक़दमाहाज़ा तादादी मुवलिग़ अदा करने में—

(यह इख़राजात डिगरी के लिखे जानेसे पहिले मुस्तहक़ होने चाहियें

(३) मुवालिग़ वावत हिस्सा माल शराकती मौजूदह मुद्दई के अदा कियेजायें और मुवलिग़ जो कुल मुवालिग़ मज़कूर में से कि विलफैल अदालत में जमा हैं वाक़ी रहे वावत हिस्स

---

*— यहां अक़सर मुवालिग़ नाम दर्जकरो—

माल शराकती मौजूदह के मुद्दआअलेह को दियेजायें—या यह कि मिनजुम्ला ज़र मज़कूर के बाक़ी रुपया मुद्दई (या मुद्दआअलेह) मज़कूर को मिनजुम्ला मुबलिग के जो हिसाब शराकतीकी बाबत उसका याफ़तनी सार्टीफिकट मज़कूर में लिखा है दियाजाये—

(४) मुद्दआअलेह या (मुद्दई) बतारीख माह या क़ब्ल उसके मुद्दई या (मुद्दआअलेह) को मुबलिग जो उसे वक़्त उसका बाक़ी वाजिब होगा मिनजुम्ला कुल मुबलिग जो फिलहाल उसको याफ़तनी है अदाकरे—

नम्बर २३

डिगरी बाज़याफ़्त अराज़ी व वासिलात की

उनवान

इस्बज़ैल डिगरी सादिर कीजाती है—

१—यह कि मुद्दआअलेह मुद्दईको जायदाद मुसरहे फ़ेहरिस्त मुन्सालिका हाजापर क़ाबिज़ करादे—

२—यह कि मुदआअलेह मुद्दई को मुबलिग रुपया मये उसके सूद बशरह रुपया फ़ीसदी सालानाके तारीख वसूलयाबीतक बाबत वासिलातके अदाकरे जो इरजाय नालिशसे क़ब्ल वाजिबहुये—

या

यह कि बाबत तादाद ज़र वासिलातके जो इरजाअ नालिशसे क़ब्ल वाजिब हुआ तहक़ीक़ात कीजाये—

३—यह कि बाबत तादाद ज़र वासिलातके तहक़ीक़ात कीजाये इरजाअ नालिश से (तारीख क़ाबिज़ कराने डिगरीदारतक) उस तारीखतक जब कि मदयून डिगरी डिगरीदारको अदालतकी मार्फ़त इत्तिला देकर कब्ज़ा तर्क करदे (तारीख डिगरीसे तीनसाल मुनक़ज़ी होनेतक)

फ़ेहरिस्त

इपनडिक्स (हे)

इजरा

नम्बर १

इत्तिलानामा वास्ते ज़ाहिर करने वजहके कि अदा या तस्फ़िया बलफ़ज़ तसदीक़ शुदह क्यों क़लमबंद न कियाजाये

(आर्डर २१ क़ायदा२)

उनवान

बनाम

हरगाह कि मुक़द्दमा मुन्दर्जेवाला में सीग़ा इजरायमें ने अदालत हाज़ा में दरख़्वास्तदी है कि मुबलिग रुपया जो बमूजिब डिगरी क़ाबिल वसूल थे अदा होगये या उनका तस्फ़िया होगया और बलफ़ज़ तसदीक़ शुदह क़लमबंद होने चाहियें लिहाज़ा तुमको इत्तिला दीजाती है कि तुम बतारीख़ माह सन् उस अदालत में हाज़िर होकर वजह ज़ाहिर करो कि अदायगी या तस्फ़िया मजकूर क्यों बलफ़ज़ तसदीक़ शुदह क़लमबंद न कियाजाये—

आज बतारीख़ माह सन् मेरेदस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले किया गया—

दस्तख़त जज

नम्बर २

परीसप्ट (दफ़ा ४६)

उनवान

बाद समाअत डिगरीदारके हुक्म हुआ कि परीसप्ट हाज़ा अदालत वाक़ै में हस्ब दफ़अ ४६ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी इस हिदायात के साथ भेजा जावे कि जायदाद मुसर्रहे फ़ेहरिस्त मुन्सलिका ज़ेर

कीजाये और ता गुज़रने दरख़्वास्तके जो मिन्जानिब डिगरीदार वास्ते इजराय डिगरी के गुज़रानी जाये जायदाद मज़कूर क़ब्ज़ा में रक्खीजाये—

फ़ेहरिस्त

मुवर्रिख़ तारीख़ माह सन्

दस्तख़त जज

नम्बर ३

हुक्म मुतज़म्मिन इरसाल डिगरी बग़रज़ इजराय दूसरी अदालत में

(आर्डर २१ क़ायदा ६)

उनवान

हरगाह कि मुक़द्दमा मुन्दर्जैवाला में डिगरीदारने इस अदालत में दरख़्वास्त गुज़रानी है कि अदालत वाक़े में सार्टीफिकट इस ग़रज़से इरसाल कियाजाये कि अदालत मौसूफ़ डिगरी मसदरह मुक़द्दमा मुन्दर्जहवाला का इजराकरे और यह बयान कियाहै कि मदयून डिगरी अदालत मौसूफके इलाक़ा की हदूद अरज़ी में सकूनत या जायदाद रखताहै अदालत मौसूफ में सार्टीफिकट का बमूजिब आर्डर २१ क़ायदा ६—इरसाल करना जरूरी व मुनासिब ख़्याल कियाजाताहै—

लिहाज़ा हुक्म हुआ

कि इस हुक्म की नक़ल मये नक़ल डिगरी व नक़ल हुक्म जो डिगरी मजकूर के इजराय के वास्ते सादिर हुआहो व सार्टीफिकट अदम ईफ़ाय डिगरी मजकूरके के पास भेजी जाये—

मुवर्रिख़ै तारीख़ माह सन्

दस्तखत जज

नम्बर ४

सार्टीफ़िकट अदम ईफ़ाय डिगरी

(आर्डर २१ क़ायदा—६)

उनवान

तसदीक़ कीजाती है कि ईफ़ाय डिगरी अदालत हाज़ा व मुक़द्दमा नम्बर सन् जिसकी नक़ल इसके साथ मुन्सलिकहै अदालत हाज़ा के इलाक़ा में बजरिये इजरा नहीं (१) हुआ है—

मुवर्रिख़ै तारीख़ माह सन्

नोट:(१) अगर जुज़्व ईफ़ाय हुआ है तो लफ़्ज़ नहीं को ख़ारिज करके लिखो कि किस क़दर ईफ़ाय हुआ है—

नम्बर ५

सार्टीफ़िकट डिग्री के इजराय का जो दूसरी अदालत में मुन्तक़िल की गई

आर्डर २१ क़ायदा ६

उनवान

नम्बर मुक़द्दमा व नाम अदालत सादिर कुनिन्दा डिग्री	नाम फ़रीक़ैन	तारीख़ दरख़्वास्त इजराय डिग्री	नम्बर मुक़द्दमा इजराय	इश्तिहारनामजात जो जारी हुए और उनके तामील की तारीख़ें	ख़र्चा इजराय			तादाद वसूल शुदः			मुक़द्दमा का क्या तस्फ़िया हुआ	कैफ़ियत
१	२	३	४	५	६			७			८	९
					रुपया	आना	पाई	रुपया	आना	पाई		

दस्तख़त मुहर्रिर इन्चार्ज दस्तख़त जज

नम्बर ६

दरख़्वास्त इजराय डिग्री

(आर्डर २१ क़ायदा ११)

बअदालत

मैं डिग्रीदार डिग्री मुन्दरजे ज़ैल के इजराय के वास्ते दरख़्वास्त करता हूं—

१	नम्बर मुक़द्दमा	नम्बर-७८९ सन् १८९७ ई०
२	नाम फरीक़ैन	अलिफ़ बे मुद्दई जीम दाल मुद्दआअलेह
३	तारीख़ डिगरी	२१-अकतूबर सन् १८९७ ई०
४	आया डिगरी की नाराज़ीसे अपील हुआ कि नहीं	नहीं
५	अदायगी या तस्फ़िया (अगर कोई) हुआहो	नहीं
६	दरख़्वास्त हाय साबिक़ा (अगर कोई गुज़री हो) मये उनकी तारीख़ व नतीजाके—	मुबलिग़ ७२।) मुन्दर्जे दरख़्वास्त मुवर्रिख़े ४-मार्च सन् १८९९ ई०
७	तादाद मयेसूद जो बरूय डिगरी वाजिबुलअदा हो या दीगर दादरसी जो बरूय डिगरी अताहुईहो मये नफसील कर इसडिगरी के	मुबलिग़ ३१४॥) '२ पाई असल (व सूद व शरह छ रुपया फीसदी सालाना मिन् इब्तिदाय तारीख़ डिगरी तायौम वसूल) मुन्दर्जे डिगरी ४७॥=) ४ पाई आयद शुद मावाद ८=) मीज़ान ५५॥।) ४ पाई
८	तादाद ख़र्चा (अगर्चि कुछ दिलायाहो)	बमुक़ाबिले जीम दाल मुद्दआअलेह
९	किसके ख़िलाफ इजराय मतलूब है	(अगर कुर्क़ी व नीलाम माल मन्क़ूला मतलूब हो) मैं दरख़्वास्त करताहूं कि कुल मुबलिग़ (मयेसूद बालाय ज़र असलतातारीख़ वसूल) वख़र्चा इजरायहाज़ा बज़रिये कुर्क़ी व नीलाम माल मन्क़ूला अज़ा मुद्दआअलेह मुन्दर्जे ज़ैल वसूल होकर मुझको दिलायाजावे— (अगर कुर्क़ी व नीलाम जायदाद ग़ैर मन्क़ूला मतलूबहो) मैं दरख़्वास्त करताहूं कि कुल मुबलिग़ (मये सूद बालाय ज़र असलतातारीख़ वसूल) व ख़र्चा इजराय हाज़ा बज़रिये कुर्क़ी व नीलाम जायदाद ग़ैर मन्क़ूला अज़ा मुद्दआअलेह जो दरख़्वास्त हाज़ा के ज़ैलमें दर्ज है वसूलहो मुझको दिलायाजावे—
१०	तरीक़ा जिसमें अदालत की अयानत मतलूब है	

मैं ज़ाहिर करताहूं कि मज़मून मुन्दर्जै दरख़्वास्त हाज़ा ताहद इल्म व यक़ीन मेरे सब सचहै—

दस्तख़त डिगरीदार

मुवर्रिख़ै तारीख़ माह सन्

(जिस सूरत में कुर्क़ी व नीलाम जायदाद ग़ैरमन्कूला मतलूबहो)

पता व तफ़्सील जायदाद

½ हिस्सा ग़ैर मुनकसमः ममलूका मदयून अज़ यक मंज़िल मकान वाक़ै मौज़ा महदूदह मालियती ४०)

शरकी	ग़रबी	जनूबी	शिमाली
मकान ज़ैद	मकान बकर	शारअ़ आम	कूचाख़ानगी व मकान ख़ालिद

मैं ज़ाहिर करताहूं कि जो कुछ तफ़्सील मुन्दर्जैबाला में दर्ज है और जहांतक जायदाद मुन्दर्जै तफ़्सील मज़कूरको निस्बत हकूक़ मुदआअलेह के मुतहक़्क़िक़ करसक्ताहूं वह ताहद इल्म व यक़ीन मेरे सचहै—

दस्तख़त डिगरीदार

नम्बर ७

नोटिस व ग़रज़ ज़ाहिर करने वजह के कि इजराय क्यों न किया जाये

(आर्डर २१ क़ायदा २२)

उनवान

बनाम

हरगाह कि ने अदालत हाज़ा में दरख़्वास्त इजराय डिगरी बमुक़द्दमा नम्बर बाबत सन् इस बयान से गुज़रानी है कि डिगरी मज़कूर उसके हक़ में मुन्तक़िल होगई है—लिहाज़ा तुमको इत्तिला दीजाती है कि-तुम बतारीख़ माह सन् इस अदालत में हाज़िर होकर वजह ज़ाहिर करो कि इजराय क्यों न कियाजाये—

आज बतारीख   माह   सन्   मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ८

वारन्ट कुर्क़ी जायदाद मन्कूला बइल्लत इजराय डिगरी ज़र नक़्द के

(आर्डर २१ क़ायदा ३०)

उनवान

बनाम वेलिफ़ अदालत

हरगाह इस अदालत की डिगरी मरक़ूमै तारीख   माह   सन्   की रू से व मुक़द्दमा नम्बर   सन्   मुसम्मै   को यह हुक्म हुआ था कि मुद्दई को मुबलिग   बहस्ब तफ़्सील मुन्दर्जै हाशिया अदाकरे और जो कि मुबलिग   मज़कूर अदा नहीं किया गया है लिहाज़ा तुमको हुक्म दियाजाता है कि जायदाद मन्कूला   मज़कूर की बहस्ब मुन्दर्जै फ़र्द तफ़्सीला मुन्सलिका या वह माल मन्कूला जिसकी निशांदिही तुमको   मज़कूर करे कुर्क करो और   मज़कूर अगर तुमको मुबलिग   मज़कूर मये मुबलिग   बाबत खर्चा इस कुर्क़ी के न अदा करदे तो जब तक कि हुक्म सानी इस अदालत से न हो उस मालको कुर्क रक्खो—

डिगरी			
ज़र असल			
ज़र सूद			
ख़र्चा			
ख़र्चा डिगरी			
सूद			
मीज़ान ख़र्चा कुर्क़ी			
मीज़ान कुल			

तुमको यह भी हुक्म दियाजाताहै कि इस वारन्ट को बतारीख   माह   सन्   या क़ब्ल उसके बई तसदीक़ ज़ाहिरी वापस करो कि किस तारीख और किस तौरपर उसकी तामील हुई या किस वजह से तामील नहीं हुई—

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख   माह   सन्   हवाले कियागया—

फ़र्द तफ़्सीला

दस्तखत जज

नम्बर ९

वारन्ट ज़ब्ती ख़ास जायदाद मन्कूला तस्फ़िया शुदः अज़रूय डिगरी

(आर्डर २१ क़ायदा ३१)

उनवान

बनाम बेलिफ अदालत

हरगाह को इस अदालत की डिगरी की रू से जो बमुक़द्दमा नम्बर सन् बतारीख माह सन् सादिर हुई थी हुक्म हुआथा कि जायदाद मन्कूला (या हिस्सा जायदाद मन्कूला मुसरहे फर्द मुन्सलिका मुद्दई को हवाले करे और हरगाह जायदाद या हिस्सा मज़कूर हवाले नहीं कियागया—

लिहाज़ा इसके ज़रिये से तुमको हुक्म होताहै कि जायदाद मज़कूर (या फ़लां हिस्सा जायदाद मज़कूर का) ज़ब्त करके मुद्दई के या उस शख़्स के जिसको वह कहे हवाले करो—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से जारी कियागया—

फ़ेहरिस्त

दस्तख़त जज

नम्बर १०

इत्तिलानामा वास्ते करने उज़रात दरबारे मसविदा दस्तावेज़ के

(आर्डर २१ क़ायदा ३४)

उनवान

बनाम

मुत्तिला रहो कि बतारीख माह सन् डिगरीदार मुक़द्दमा मुन्दर्जेबाला ने अदालत हाजा में दरख़्वास्त गुज़रानी कि

अदालत तुम्हारी जानिब से जायदाद गैरमन्कूला मुसरहे ज़ैल की निस्बत दस्तावेज़ की जिसका मसविदा मुन्सलिका हाज़ाहै तकमील करे और तारीख माह सन् वास्ते समाअत दरख़्वास्त मजकूर के मुक़र्रर कीगई है और तुमको इख़्तियार है कि तारीख मजकूर पर हाजिर होकर जो उज़रात बाबत मसविदा मजकूर के रखतेहो लिख कर पेश करो—

तफसील जायदाद

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले किया गया—

दस्तखत जज

नम्बर ११

वारन्ट बनाम बेलिफ़ वास्ते हवाले करने क़ब्ज़ा अराज़ी वग़ैरह

(आर्डर २१ क़ायदा ३५)

उनवान

बनाम बेलिफ अदालत

हरगाह कि अराज़ी मुन्दर्जे ज़ैल जो के क़ब्ज़ा में है बरूय डिगरी मुद्दई मुक़द्दमाहाज़ा को दिलाई गई है लिहाजा तुमको हुक्म दिया जाताहै कि मजकूर को अराज़ी मजकूर पर क़ब्ज़ा दिला दो और तुमको यह भी इख़्तियार दियाजाता है कि अगर कोई शख़्स जो पाबंद डिगरी हो क़ब्ज़ा देनेसे इन्कार करे तो उसको निकाल दो—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले किया गया—

फेहरिस्त

दस्तखत जज

नम्बर १२

इत्तिलानामा बिनाबर ज़ाहिर करने वजह के कि वारन्ट गिरफ़्तारी क्यों जारी न किया जावे (आर्डर २१ क़ायदा ३७)

उनवान

बनाम

हरगाह कि ने दरख़्वास्त इजराय डिगरी व मुक़दमा नम्बर वावतसन् बज़रिये गिरफ़्तारी व क़ैद तुम्हारी ज़ात के अदालत हाज़ा में गुज़रानीहै लिहाज़ा तुमको हुक्म होताहै कि तुम बतारीख़ माह सन् अदालत हाज़ा में हाज़िर होकर वजह ज़ाहिर करो कि तुम डिगरी मज़कूर के इजराय जेलखाना दीवानी में क्यों न भेजे जावो—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर १३

वारन्ट गिरफ़्तारी बाबत इजराय डिगरी (आर्डर २१ क़ायदा ३८)

उनवान

बनाम बेलिफ अदालत

हरगाह व मुक़दमा दीवानी नम्बर सन् ई० अजरूय डिगरी अदालतमुवर्रिखे माह सन् के मुसम्मै को हुक्म हुआहै कि मुद्दई को मुबलिग हस्ब तफसील मुन्दर्जे हाशिया अदाकरे और हरगाह मुबलिग मजकूर बईफाय उस डिगरी के मुद्दई मज़कूर को नहीं अदा किया गयाहै लिहाज़ा

	रुपया	आना	पाई
ज़र असल ज़र सूद खर्चा मुक़दमा खर्चा इजराय डिगरी			
मीज़ान			

वज़रिये इस तहरीर के तुमको हुक्म होता है कि मुद्दआअलेह मजकूर को गिरफ़्तार करो और अगर वह मुबलिग़ . मज़कूर मये मुबलिग़ खर्चा इजराय हुकुमनामा हाजा तुमको न अदाकरे तो मुद्दआअलेह मज़कूर को अदालत के रूबरू जिस क़दर जल्द वसूलत होसके हाज़िर करो नीज़ तुमको हुक्म दियाजाता है कि इस वारन्ट को वतारीख माह सन् या क़ब्ल इसके मये तहरीर ज़ोहरी वतसदीक़ इस अम्र के कि किस तारीख और किस तौर पर उसकी तामील हुई या यह कि किस वजह से तामील न होसकी वापस करो–

आज वतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया–

दस्तखत जज

नम्बर १४

वारन्ट मदयून डिगरी को जेलखाना में भेजनेका (आर्डर २१ क़ायदा ४०)

उनवान–

वनाम अफसर मोहतमिम जेलखाना वाक़े–

हरगाह कि इस अदालत में वतारीख माह सन् वतामील वारन्ट इजराय डिगरी के जो इस अदालत ने वतारीख माह सन् सुनाई और सादिर की और जिस डिगरी की रूसे मजकूर को मुबलिग रुपया अदा करनेका हुक्म हुआ था हाज़िर लायागया और हरगाह कि मज़कूर ने डिगरी की तामील नहीं की और न अदालतका इतमीनान किया कि वह हिरासत से रिहा होने का मुस्तहक़ है लिहाजा तुमको हुजूर मलिकमुअज़्ज़म क़ैसर हिंद के नाम में हुक्म दियाजाताहै कि तुम मज़कूर को लो और जेलखाना दीवानी में दाखिल करो और उसमें उस मुद्दततक जो से ज़्यादा न हो या जवतक कि डिगरीका पूरे तौरपर ईफा नहो या जब तक मजकूर हस्व शरायत व अहकाम दफा ५८ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी व निहज दीगर रिहाई पानेका मुस्तहक़ न हो क़ैद रक्खो और अदालत वज़रिये वारन्ट हाजा आना योमिया शरह खूराक माहवारी मज़कूर

जबतक वह इस वारन्ट सिपुर्दगी की तामील में मुकैयद रहै मुक़र्रर करतीहै—
आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर १५

हुक्म रिहाईका निस्बत उस शख़्स के जो बइल्लत इजराय डिगरी क़ैद किया गया

(दफ़ात ५८ व ५९)

उनवान

बनाम अफ़सर मोहतमिम जेलख़ाना वाके—
हस्ब अहकाम मसदरह इस रोज़ह तुमको हिदायत कीजातीहै कि तुम मदयून को जो इसवक़्त तुम्हारी हिरासत में है रिहा करदो—
मुवर्रिखै

दस्तख़त जज

नम्बर १६

कुर्क़ी बसीगै इजराय डिगरी

हुक्म इम्तिनाई उस हाल में कि जायदाद क़ाबिल कुर्क़ी ऐसी शै मन्कूलाहो जिसपर मुद्दआअलेहका इस्तहक़ाक़ ताबे किसी मवाखिजा या इस्तहक़ाक़ किसी और शख़्स के हो जो उस वक़्त क़ाबिज उसकाहो—
(आर्डर २१ क़ायदा ४६)

उनवान

बनाम—
हरगाह ने ज़र डिगरी जो बतारीख माह सन् उसपर बहक़ बाबत मुतालिबा सादिर हुई थी अदा नहीं किया है लिहाज़ा हुक्म होताहै कि मुद्दआअलेह जबतक कि उस अदालत से दूसरा हुक्म सादिर न हो से माल मुफ़स्सिलै जैल जो मज़कूर के कब्ज़ा में है यानी जिसका मुद्दआअलेह बाबताअ मवाखिजा मज़कूर के मुस्तहक़ है उसके लेनेसे ममनूअ और बाज रक्खाजावे

और कहागयाहै और मजकूर उस वक़्त तक कि इस अदालत से और हुक्म सादिर हो माल मज़कूर को किसी और शख़्स या अशखास को गोकि वह कोई हों हवाले करनेसे ममनूअ और बाज़ रक्खा जाये और कहा गया है—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर १७

कुर्की बसीगे इजराय डिगरी

हुक्म इम्तिनाई जिस हाल में कि जायदाद अज़ क़िस्म ऐसे दयूनके हो जिनके इस्तहक़ाक़ के लिये दस्तावेज़ात क़ाबिल बैवशिशरा न लिखीगई हों

(आर्डर २१ क़ायदा १६)

उनवान

बनाम

हरगाह ने ज़र डिगरी जो बनाम बतारीख माह सन् बमुक़दमा दीवानी नम्बर सन् बहक़ बाबत मुबलिग से सादिर हुई थी नहीं अदा किया है लिहाज़ा हुक्म दिया जाताहै कि मुद्दआअलेह बज़रिये इस हुक्मके उस वक़्ततक कि इस अदालत से दूसरा हुक्म सादिर हो तुमसे वह क़र्ज़ा जो कि बिलफैल तुम से याफ़तनी मुद्दआअलेह मजकूर बयान कियागया है वसूल करने से ममनूअ और बाज़ रक्खाजाये और कहागया है यानी और नीज़ तुम मजकूर को बज़रिये इस हुक्म के इत्तिला दीजाती है कि जब तक इस अदालत से और हुक्म सादिर न हो तुम क़र्ज़ा मजकूर या

उसका कोई जुज़्व किसी शख़्स को गोकि वह कोई हो अदा करने से ममनूअ और वाज़ रक्खेगये हो—

आज बतारीख़ माह सन् मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर १८

कुर्क़ी बसीग़ै इजराय डिगरी

हुक्म इम्तिनाई जिस हाल में कि जायदाद हिस्सा किसी कारपुरेशन का हो

(आर्डर २१ क़ायदा ४६)

उनवान

बनाम मुद्दआअलेह और बनाम सिक्रेटरी कारपुरेशन हरगाह ने ज़र डिगरी जो बनाम बतारीख़ माह सन् बमुक़द्दमा दीवानी नम्बर सन् बहक़ बाबत मुबलिग़ सादिर कीगई थी अदा नहीं किया है लिहाज़ा हुक्म होता है कि तुम मुद्दआअलेह अज़रूय इस हुक्म के तावक़्ते कि इस अदालत से दूसरा हुक्म सादिर न हो—हिसिस कारपुरेशन मज़कूर यानी के इन्तिक़ाल करने से या उसके किसी मुनाफ़ा की बाबत हिस्सा के वसूल करने से ममनूअ और वाज़ रक्खेगये हो और तुम सिक्रेटरी कारपुरेशन मज़कूर अज़रूय इस हुक्म के इन्तिक़ाल मज़कूर की इजाज़त देने या हिस्सा मुनाफ़ा मज़कूर के अदा करने से ममनूअ और वाज़ रक्खेगये हो—

आज बतारीख़ माह सन् मेरेदस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले किया गया—

दस्तख़त जज

नम्बर १९

हुक्म अफ़सर सर्कारी या मुलाज़िम रेलवे या मुलाज़िम हाकिम मुक़ामी की तनख़्वाह कुर्क करने का

(आर्डर २१ क़ायदा ४८)

उनवान

बनाम—

हरगाह जो मुक़दमा मुन्दर्जे उनवान में मदयून डिगरीहो है (यहां मदयून डिगरी का ओहदा लिखना चाहिये) और अपनी तनख़्वाह (या मवाजिब तुम्हारे ज़रिये से पाताहै और हरगाह ने जो मुक़दमा मज़कूर में डिगरीदार है इस अदालत में एक दरख़्वास्त गुज़रानी है कि की तनख़्वाह (या मवाजिब) का हिस्सा जो उसको अज़रूय डिगरी याफ़्तनी है कुर्क करायाजाये लिहाज़ा तुम को हुक्म होताहै कि रक़म मज़कूर बक़दर फलाँ शख़्स की तनख़्वाह में से रक़म माह ब माह वज़ा करलिया करो और रक़म मज़कूर (या इक़सात माहाना) इस अदालत में इरसाल करो—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से जारी कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर २०

हुक्म कुर्की दस्तावेज़ क़ाबिल बेबाशिशः

(आर्डर २१ क़ायदा ५१)

उनवान

बनाम बेलिफ अदालत—

हरगाह कि इस अदालत से ब तारीख माह सन् हुक्म बिनाबर कुर्की सादिर हुआहै लिहाज़ा तुमको बज़रिये हुक्म हाज़ा हिदायत कीजाती है कि तुम मज़कूर क़ब्ज़ा में लो और उसको अदालत में हाज़िर लाओ—

आज बतारीख़ माह सन् मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले कियागया-

दस्तख़त जज

नम्बर २१

कुर्क़ी

हुक्म इम्तिनाई जिसहाल में कि जायदाद ज़र नक़्द या कोई शै मन्क़ूला ब क़ब्ज़ै अदालत या अफ़सर सर्कारी के हो

(आर्डर २१ क़ायदा ५२)

उनवान

बनाम-

जनाब जो कि मुद्दई ने हस्ब आर्डर २१ क़ायदा २२ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी ब मुराद कुर्क़ होने उस ज़र नक़्द के जो बिलफ़ैल तुम्हारे क़ब्ज़ा में है दरख़्वास्त गुज़रानी है (यहां लिखना चाहिये कि शख़्स मकतूबअलेह के क़ब्ज़ा में ज़र नक़्दका होना किस तरह मालूम हुआ और किस अम्रकी बाबत है वग़ैरह) बिनाबरान तुमसे दरख़्वास्त की जाती है कि जबतक हुक्मसानी इस अदालत से सादिर न हो तुम उस रुपया को अपने क़ब्ज़ा में रक्खो-

आपका ख़ादिम

दस्तख़त जज

मरक़ूमै तारीख़ माह सन्

नम्बर २२

इत्तिलानामा डिगरी की कुर्क़ीका बनाम उस अदालत के जिसने डिगरी सादिर की हो

(आर्डर २१ क़ायदा ५३)

उनवान

बनाम साहब जज अदालत—

मैं आपको मुत्तिला करताहूं कि उस डिगरी को जो आप की अदालत में बतारीख माह सन् फलां शख्स ने बमुक़द्दमा नम्बर सन् जिसमें कि वह था और थे हासिल की थी इस अदालत ने ऊपर दरख्वास्त के जो व मुक़द्दमा मुन्दर्जै उनवान मरजूत्र्या अदालत हाज़ा है कुर्क करलियाहै—लिहाज़ा आपसे इलतिमास है कि अपनी अदालत की डिगरी के इजराय की कार्रवाई उस वक़्त तक मुल्तवी रखिये जबतक आपके पास इस अदालत से एक इत्तिला इस मजमून की न पहुंचे कि इत्तिलानामा हाज़ा मुस्तरद होगया या जबतक डिगरीदार इस अदालत का डिगरी मज़कूरके इजराय की दरख्वास्त न दे--

दस्तखत जज

नम्बर २३

इत्तिलानामा डिगरी की कुर्क़ी का बनाम डिगरीदारके (आर्डर २१ क़ायदा ५३)

उनवान

बनाम

हरगाह मुक़द्दमा मुन्दर्जै उनवान के डिगरीदार ने एक दरख्वास्त इस अदालतमें गुज़रानी है इस मज़मून की कि वह डिगरी जो तुमने बतारीख माह सन् बअदालत बमुक़द्दमा नम्बर सन् जिसमें कि तुम थे और थे हासिल की कुर्क करली जाये लिहाज़ा हुक्म होताहै कि तुम मज़कूर ता सदूर अहकाम अदालत हाज़ा किसी जायदाद को मुन्तक़िल या जेरबार करने से कि जिसपर तुमको डिगरी मजकूर की रूसे इस्तहक़ाक़ हासिल हो मना-कियेगये और बाज़ रक्खेगये—

आज बतारीख माह सन मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से जारी कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर २४

कुर्क़ी बसीग़ै इजराय डिगरी हुक्म इम्तिनाई बहालत जायदाद ग़ैर मन्कूला (आर्डर २१ क़ायदा ५४)

उनवान

बनाम

हरगाह तुम ईफ़ाय डिगरी का जो तुम पर बतारीख माह सन् बमुक़द्दमा दीवानी नम्बर सन् बहक़ मुद्दश्रा अलेह बाबत मुबलिग़ सादिर की गई थी नहीं किया लिहाज़ा हुक्म दियाजाता है कि तुम मज़कूर जबतक कि दूसरा हुक्म इस अदालत से सादिर न हो जायदाद मुसरहे फ़र्द तअ़लीक़ा मुन्सलिका को बज़रिये बै व हिबा वग़ैरह मुन्तक़िल या ज़ेर मबाखिज़ह करने से ममनूअ़ और बाज़रक्खेगयेहो और तमाम अशखास उसको बज़रिये खरीदारी व हिबा वग़ैरह के लेनेसे ममनूअ़ व बाज़रक्खेगये हैं—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

फ़र्द तअ़लीक़ा

दस्तख़त जज

नम्बर २५

हुक्म बईमुराद कि रुपया वग़ैरह जो किसी शख़्स सालिस के क़ब्ज़ामें हो मुद्दई को दियाजाये (आर्डर २१ क़ायदा ५६)

बनाम

हरगाह माल मुन्दर्जे जैल बइल्लत इजराय डिगरी अदालत दीवानी ...क़द्दमा दीवानी नम्बर सन् मसदरह तारीख ...ह सन् बहक़ बाबत मुबलिग कुर्क कियागया है ...हाजा हुक्म होताहै कि माल मक़रूक़ा मज़कूर यानी मुबलिग ... नक़द और बैंकनोट क़ीमती मुबलिग या उनमें से जिस क़दर ...वास्ते ईफ़ाय डिगरी मज़कूर के काफ़ी हो तुम मज़कूर ...कूर को अदा करदो—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर २६
इत्तिला बनाम दायन क़ारिक़ के
(आर्डर २१ क़ायदा ५८)
उनवान

बनाम

हरगाह मुसम्मै ने इस अदालत में दरख्वास्त गुज़रानी है कि कुर्क़ी मालकी जो तुम्हारी तरफ़ से बसीगै इजराय डिगरी मुकदमै अदालत दीवानी नम्बर सन् कीगई है उठाईजाये लिहाज़ा तुमको इत्तिला दीजाती है बतारीख माह सन् इस अदालत में असालतन या बज़रिये वकील अदालतके जो क़रार वाक़ई वाक़िफ हो वास्ते ताईद तुम्हारे दावा के बमन्सब दायन क़ारिक़ होने के हाज़िर हो—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर २७
वारन्ट यानी हुकुमनामा नीलाम जायदाद बइल्लत इजराय डिगरी ज़र नक़्द
(आर्डर २१ क़ायदा ६६)

बनाम वेलिफ अदालत

बजरिये इस तहरीर के तुमको हुक्म दियाजाता है कि पेश्तर इत्तिला योमकी इस तौरपर दीगर याने नीलाम का इत्तिलानामा इस कचहरी में चस्पां और इश्तहार हस्ब ज़ाब्ता कराकर जायदाद को जो हस्ब वारन्ट अदालत हाजा मुवर्रिखै माह सन् बइजराय डिगरी बहक़ के बमुक़दमा नम्बरी सन् के कुर्क़ कीगई थी या जायदाद मज़कूर में से उस क़दर कि वास्ते वसूल करने

मुबलिग़ के जो कि डिगरी और खर्चा मज़कूर में से हिनोज़ ग़ैर मुवद्दारहा है काफी हो नीलाम करो—

तुमको यह भी हुक्म होता है कि वारन्ट हाज़ा की पुश्तपर तसदीक़ इस अम्रकी लिखकर कि उसकी तामील किस तौरपर कीगई या उसकी तामील न कियेजाने की वजह तहरीर करके इस वारन्ट को बतारीख़ माह सन् या उसके क़ब्ल वापस करो—

आज बतारीख़ माह सन् मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर २८

इत्तिला तारीख़ बग़रज़ तस्फ़िया मरातिब इश्तहार नीलाम

(आर्डर २१ क़ायदा ६६)

उनवान

बनाम मदयून

हरगाह कि मुक़द्दमा मुन्दर्जे बाला में डिगरीदार ने नीलाम की दरख़्वास्त की है तुमको इस इत्तिलानामा के ज़रिये मुत्तिला कियाजाता है कि तारीख़ माह सन् वास्ते तै करने मरातिब इश्तहार नीलाम के मुक़र्रर कीगई है—

आज बतारीख़ माह सन् मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर २९

इश्तहार नीलाम

(आर्डर २१ क़ायदा ६६)

उनवान

इस तहरीर की रू से हस्ब आर्डर २१ क़ायदा ६६ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी अदालत हाज़ा से हुक्म वास्ते नीलाम जायदाद मफ़स्सला मुन्दर्जे

फेहरिस्त मुन्सलिका बईफाय दावा	डिगरीदार व मुक़द्दमा † मुन्दर्जे
† मुक़द्दमा नम्बरी बाबतसन् ई०	हाशिया बक़दर मये खर्चा व
मुनफ़सिला मुक़ाम	सूद व तातारीख नीलाम सादिर हुआ
जिसमें मुद्दईथा	है जायदाद बज़रिये नीलाम
और	आम के फरोख़्तकी जायेगी और नी-
मुद्दआअलेह था

लाम अज़रूय लाट मुन्दर्जे फेहरिस्त ज़ैल के अमल में आयेगा—नीलाम जायदाद मदयून डिगरी मज़कूरुलसदरका हस्ब तसरीह फ़ेहरिस्त ज़ैल के होगा—और मतालिबाजात व दआवी मुतअल्लिका जायदाद मज़कूर जहांतक कि तहक़ीक़ हुयेहैं फ़ेहरिस्त मज़कूर में बमुक़ाबिले हर लाटके मुन्दर्ज हैं—

अगर कोई हुक्म इलतुवा नीलाम सादिर न हो तो नीलाम मार्फ़त के बरवक़्त नीलाम माहवारी जो तारीख को मुक़ाम वक़्त बजेके शुरूअ होगा अमल में आयेगा—लेकिन दरसूरते कि कुल रुपया मतालिबा मुसरहे बाला और खर्चा नीलाम किसी लाट की बोली खतम होनेसे पहले पेश या अदा कियाजाये तो नीलाम मौक़ूफ किया जायेगा—

अमूमन खास व आमको असालतन् ख्वाह बज़रिये मुख़्तार के जो दस्तज़ाब्ता मजाज़हो नीलाम में बोली बोलनेका इख़्तियार है लेकिन बिला हसूल इजाज़त सरीह अदालत के जो पहले से दीगई हो कोई बोली डिगरीदारान मज़कूरुलसदर ख्वाह उनकी जानिब से मक़बूल न होगी और न नीलाम उनके नाम जायज होगा—

शरायत मज़ीद नीलाम के ज़ैल में मुन्दर्ज हैं—

शरायत नीलाम

१—मरातिब मुसर्रहे फेहरिस्त मुन्दर्जे ज़ैल ताहद्द वाक़फ़ियत अदालत के तहरीर हुये हैं लेकिन किसी गलती या खिलाफ बयानी या फरो गुज़ाश्त की बाबत जो इस इश्तहार में पाई जाये अदालत लायक़ मवाख़िज़ा के न होगी—

२—जिस तादाद में कि बोली बढ़ाई जायेगी उसको ओहदादार नीलाम कुनिन्दा मुक़र्रर करेगा—जिस सूरत में कि कोई निज़ाअ बोली की

मिक़दार पर या बोली बोलने वाले की निस्बत पैदा हो तो वह लाट फ़ौरन् फिर नीलाम की जायेगी—

३—जिस शख़्स की बोली सब से ज़्यादा होगी वह खरीदार उस लाटका क़रारदिया जायेगा मगर यह बात हमेशा मलहूज़ रहेगी कि नामवुर्दह क़ानूनन् क़ाबिल बोली बोलने के हैं और यह भी शर्त है कि सबसे ज़्यादा मिक़दार की बोली को क़बूल करने से इन्कार करना अदालत या ओहदादार नीलाम कुनिन्दा की सवाबदीद पर मौक़ूफ़है जिस सूरत में कि यह मालूम हो कि क़ीमत पेश करीदन इस क़दर नाकाफ़ी है कि उसको क़बूल न करना क़रीन मसलहतहै—

४—ओहदादार नीलाम कुनिन्दा को इख़्तियार है कि वजूह क़लमबंद करके नीलाम को मुलतवी करदे मगर अहकाम आर्डर २१ क़ायदा ६९ की पाबंदी हमेशा करनी होगी—

५—दरसूरत नीलाम जायदाद मन्क़ूला के क़ीमत हरलाट की वक़्त नीलाम या जिस क़दर जल्द बाद नीलाम के ओहदादार नीलाम कुनिन्दा हुक्मदे दाखिल करनी होगी और दरसूरत न दाखिल करने के वह जायदाद फ़ौरन फिर नीलाम कीजायेगी—

६—दरसूरत नीलाम जायदाद ग़ैर मन्क़ूलाके उस शख़्स को जो खरीदार नीलाम क़रार दियाजाये बफ़ौर खरीदार क़रार पानेके अपनी बोली की तादाद पर पचीस रुपया सैकड़ा ओहदादार नीलाम कुनिन्दा के पास जमा करना होगा और दरसूरत जमा न करने के जायदाद फ़ौरन् फिर नीलाम कीजायेगी—

७—खरीदार को लाजिमहै कि रोज नीलामसे पंदरहवें दिन अलावह उस रोज के क़ब्ल बख़ास्त अदालत कुलजर समन दाखिल करे या अगर पंदरहवें दिन रोज अतवार या और कोई रोज तातील का वाक़े हो तो पंदरहवें दिन के बाद जिस रोज पहले कचहरी खुले उसी दिन दाखिलकरे·

८—अगर बक़ीया ज़र समन मीयाद मुअय्यन में अदा न कियाजाये तो जायदाद बाद इजराय इश्तहार नीलाम जदीद के फिर नीलाम की जायेगी और ज़र अमानत बाद अदा करने खर्चा नीलाम के अगर अदालत मुनासिब समझे सर्कार में जब्त होगा और खरीदार क़ासिर

का इस्तहक़ाक़ निस्बत जायदाद या किसी जुज़्व ज़र समन के व यवज़ जिसके जायदाद बाद में नीलाम कीजाये बाक़ी न रहेगा—

आज बतारीख   माह   सन्   मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

फेहरिस्त जायदाद

नम्बर लाट	तफ़सील जायदाद नीलामतलब मये नाम हर मालिक के जिस सूरत में कि एक से ज़्यादा मदयून हों—	मालगुज़ारी मुशख़िसा मुहाल या जुज़्व मुहाल अगर जायदाद नीलाम तलब ऐसा हक़ मुहाल या जुज़्व मुहाल में हो जो माल गुज़ार सर्कार हो—	तफ़सील बार किफ़ालत जिसका मवाख़िज़ा जायदाद पर है—	दावागी (अगर कोई हो) जो निस्बत जायदाद के पेश कियेगये हैं—और दीगर मरातिब मालूमा जिनका असर नौय्यत व मालियत जायदाद पर पहुंचता हो—
१	२	३	४	५

नम्बर ३०

हुक्म बनाम नाज़िर वास्ते तामील कराने इश्तहार नीलाम के

(आर्डर २१ क़ायदा ६६)

उनवान

बनाम नाज़िर अदालत—

हरगाह कि वास्ते नीलाम जायदाद मदयून डिगरी मुसरहे फेहरिस्त

मुन्सलिका हाज़ा हुक्म हुआ है और हरमाह कि तारीख माह सन् वास्ते नीलाम जायदाद मजकूरके मुक़र्रर हुई है लिहाज़ा-पर्वे इश्तहार नीलाम के इस वारन्ट की रूसे तुम्हारे हवाले किये जाते हैं और तुमको हुक्म दियाजाता है कि तुम इश्तहार नीलाम को बजर्वेदुहल हर जायदाद पर जो फेहरिस्त मज़कूर में दर्ज है मुश्तहर करादो और हर जायदाद मजकूर के मंज़रगाहआम पर इश्तहार मज़कूर का एक एक पर्त चस्पां करादो और उसके बाद एक कैफ़ियत बइज़हार उन तवारीख के जिनपर और उस तरीक़ा के जिसमें इश्तहारों की मुश्तहरी कीगई इस अदालत में भेजदो—

मुवर्रिखै तारीख माह सन्

दस्तख़त जज

फ़ेहरिस्त

नम्बर ३१

सार्टीफ़िकट ओहदादार नीलामकुनिन्दा निस्बत क़ीमत के जो इस सूरत में हुई कि जायदाद बवजह क़सूर ख़रीदारके दुबारा नीलामकीगई

(आर्डर २१ क़ायदा ७१)

उनवान

तसदीक़ कीजाती है कि ब वजह क़सूर ख़रीदार के जायदाद इजराय डिगरी मुक़द्दमा मजकूरे वाला में दुबारा नीलाम कीगई और जायदाद मजकूर की कीमत में मुबलिग की कमी वाक़े हुई और इख़राजात नीलाम दुबारा मुबलिग रुपया हुये जिसकी मीज़ान मुबलिग है और रकम मज़कूर शख़्स क़ासिर से काबिल वसूल है—

मुवर्रिखै तारीख माह सन्

ओहदादार नीलाम कुनिन्दा

नम्बर ३२

इत्तिलानामा बनाम क़ाबिज़शै मन्कूला जो बाबत इजराय डिगरी नीलाम हुई

(आर्डर २१ क़ायदा ७९)

उनवान

बनाम

हरगाह मुकद्दमा मरकूमा वालाकी इजराय डिगरी में मुसम्मै मुश्तरी नीलाम शै नीलामीका हुआहै जो तुम्हारे क़ब्ज़ा में है लिहाज़ा तुमको बज़रिये इस हुक्म के मुमानिअत कीजाती है कि मज़कूर पर क़ब्ज़ा किसी शख़्स को बजुज़ मज़कूर के न दो—

बदस्तखत मेरे और मुहर अदालत आज तारीख माह सन् को हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ३३

हुक्म इम्तिनाई बई मुराद कि दयून जो बाबत इजराय डिगरी नीलाम कियेगये बजुज़ मुश्तरी के किसी और को न अदा कियेजायें

(आर्डर २१ क़ायदा ७९)

उनवान

बनाम और बनाम

हरगाह ने बर वक़्त नीलाम बाबत इजराय डिगरी मुक़द्दमा मरकूमा वाला के बाबत वह ज़र कर्ज़ा जो तुम से को याफ़्तनी है यानी बतादाद ख़रीद करलियाहै लिहाजा हुक्म दियाजाता है कि तुम क़र्ज़ा मजकूर के बजुज़ मजकूर के किसी और शख़्स को अदा करनेसे और तुम कर्ज़ा मजकूर के वसूल करने से ममनूअ किये गयेहो—

आज बतारीख माह सन् को मेरेदस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर ३४

हुक्म मशअर मुमानिअत इन्तिक़ाल हिसिस जो बाबत इजराय डिगरी नीलाम किये गयेहों

(आर्डर २१ क़ायदा ७९)

उनवान

बनाम व सिक्रेटरी कारपुरेशन

हरगाह - -ने नीलाम आम में बइल्लत इजराय डिगरी मुक़द्दमा मज़कूर वाला कारपुरेशन मज़कूर के चंद हिस्से यानी जो तुम्हारे नाम के हैं ख़रीद किये लिहाज़ा हुक्म दियाजाताहै कि तुम हिसिस मज़कूर को बजुज़ मुश्तरी मज़कूर के किसी और शख़्स के हाथ किसी तौर पर मुन्तक़िल करने और उनके मुनाफ़ाका हिस्सा लेनेसे ममनूअहो और तुम सिक्रेटरी कारपुरेशन मज़कूर ममनूअ किये जातेहो कि बजुज़ मुश्तरी मज़कूर के किसी और शख़्स के हाथ ऐसा इन्तिक़ाल न होने दो या ज़र मुनाफ़ा मज़कूर किसी और शख़्स को अदा न करो—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले किया गया—

दस्तख़त जज

नम्बर ३५

सार्टीफ़िकट बनाम मद्यून डिगरी जिसमें कि उसको इजाज़त दीगई कि जायदाद को रेहन करे पट्टापरदे या फ़रोख़्तकरे

(आर्डर २१ क़ायदा ८३)

उनवान

हरगाह कि बइजराय डिगरी मसदरह मुक़द्दमा मज़कूर वालामें बतारी

ख माह सन् यह हुक्म हुआथा कि मदयून डिगरी की जायदाद मुफस्सिलै ज़ैल नीलाम कीजाये और हरगाह कि मदयून डिगरी की दरख़्वास्त पर अदालत ने नीलाम मज़कूर को मुल्तवी कर दियाहै ताकि मदयून डिगरी ज़र डिगरी को बज़रिये रेहन या पट्टा या बै खानगी जायदाद मज़कूर या उसके किसी जुज्व के बेबाक़ करसके—

लिहाज़ा यह तसदीक़ कीजाती है कि अदालत बरूय सार्टीफिकट हाज़ा मदयून डिगरी मज़कूरको इजाज़त देती है कि सार्टीफिकट हाज़ा की तारीख से मुद्दत के अन्दर रेहन या पट्टा या बै मुजव्विज़ा को करे मगर शर्त यह है कि जो रकूम रेहन या पट्टा या बै मज़कूर की रू से क़ाबिल अदाहों वह इस अदालत में दाखिल कीजायें और मदयून डिगरी मज़कूर को न दीजायें—

तफ़सील जायदाद

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ३६

नोटिस बग़रज़ इज़हार वजह केकि नीलाम क्यों मंसूख़ न कियाजाये

(आर्डर २१ क़ायदा ९० व ९२)

उनवान

बनाम

हरगाह कि नीलाम मुसरहे ज़ैल तारीख माह सन् बइजराय डिगरी मसदरह मुक़द्दमा मज़कूरै बाला नीलाम कीगई थी और हरगाह कि डिगरीदार (या मदयून डिगरी) ने इस अदालत में वास्ते मन्सूखी नीलाम जायदाद मज़कूर के दरख़्वास्त दी है बरबिनाय बे ज़ाब्तगी अहम (या फ़रेब) दरबारह मुश्तहर करने (या अमल में लाने) नीलाम के जो हस्ब ज़ैल है—

मुत्तिलाहो कि अगर तुम ऐसी वजह ज़ाहिर करसक्ते हो कि दरख़्वास्त मज़कूर क्यों मंज़ूर न कीजाये तो तुम मयें अपने सबूत के इस अदालत में बतारीख़ माह सन् जब कि दरख़्वास्त मज़कूर मसमूअ व फ़ैसल होगी हाज़िर आवो—

आज बतारीख़ माह सन् मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

तफ़सील जायदाद

दस्तख़तजज

नम्बर ३७

नोटिस बग़रज़ इज़हार वजह के कि नीलाम क्यों मन्सूख़ न कियाजाये

(आर्डर २१ क़ायदा ६१ व ६२)

उनवान

बनाम

हरगाह कि ख़रीदार जायदाद मुसर्रहे ज़ैल ने जो बतारीख़ माह सन् बइजराय डिगरी मसदरह मुक़द्दमा मज़कूरह वाला नीलाम कीगई थी इस अदालत में वास्ते मन्सूखी नीलाम जायदाद मज़कूरह के इस बिनायपर दरख़्वास्त दी है कि मदयून डिगरी का जायदाद मज़कूर में कोई हक़ क़ाबिल फ़रोख़्त न था—

लिहाज़ा तुम मुत्तिला हो कि अगर तुम ऐसी वजह ज़ाहिर करसक्ते हो कि दरख़्वास्त मज़कूर क्यों न मंज़ूर कीजाये तो तुम मये अपने सबूत के इस अदालत में बतारीख़ माह सन् जब कि दरख़्वास्त मज़कूर मसमूअ और फ़ैसल होगी हाज़िर आवो—

आज बतारीख़ माह सन् मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

तफ़सील जायदाद

दस्तख़त जज

नम्बर ३८

सार्टीफ़िकट नीलाम अराज़ी

(आर्डर २१ क़ायदा ९४)

उनवान

इस तहरीर की रूसे तसदीक़ की जाती है कि मुसम्मै वतारीख माह सन् वज़रिये नीलाम आम के जो बइल्लत इजराय डिगरी इस मुक़द्दमा के हुआथा मुश्तरी वाक़ै का क़रार दिया गया और नीलाम मज़कूर इस अदालत से बाज़ाब्ता मंज़ूर हुआ—

आज बतारीख माह सन् को मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ३९

हुक्म हवाले करने क़ब्जा अराज़ीका मुश्तरी सार्टी-फ़िकट याफ़्ता नीलाम इजराय डिगरीको

(आर्डर २१ क़ायदा ९५)

बनाम वेलिफ अदालत

हरगाह वर वक़्त नीलाम बाबत इजराय डिगरी अदालत दीवानी मुक़-द्दमा नम्बर सन् के मुसम्मै ने को खरीदकर सा-र्टीफिकट नीलामी हासिल किया और अराज़ी मजकूर मुसम्मै के क़ब्ज़ा में है लिहाज़ा तुमको हुक्म दियाजाता है कि मुसम्मै मजकूर मुश्तरी सार्टीफिकट याफ़्ता (या उसके क़ायम मुक़ाम जायज़) को मज़कूर पर क़ब्जा दिला दो और अगर ज़रूरहो तो जो शख़्स क़ब्जा देने से इनकार करे उसको अराज़ी मज़कूर से खारिज करदो—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले किया गया—

दस्तखत जज

नम्बर ४०

सम्मन बग़रज़ हाज़िरी व जवाबदिही इलज़ाम मज़ाहिमत इजराय डिगरी के

(आर्डर २१ क़ायदा ९७)

उनवान

बनाम—

हरगाह कि डिगरीदार मुकद्दमा मज़कूरै वाला ने इस अदालत में इस्तग़ासा कियाहै कि तुमने ओहदादार के साथ जिसके सिपुर्द वारन्ट क़ब्ज़ा की तामील थी मज़ाहिमत (या तअर्रुज़) किया है—

लिहाज़ा तुमको बज़रिये इसके हुक्म दियाजाता है कि तुम बतारीख माह सन् बवक़्त क़ब्ल दोपहर इस अदालत में हाज़िर होकर इस्तग़ासा मज़कूरकी जवाबदिही करो—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ४१

वारन्ट हिरासत में रखनेका

(आर्डर २१ क़ायदा ९८)

उनवान

बनाम अफ़सर मोहतमिम जेलखाना दीवानी वाक़ै—

हरगाह कि जायदाद मुन्दर्जे ज़ैल बरुय डिगरी मुद्दई मुक़द्दमा हाज़ा को दिलाई गई है और हरगाह कि अदालत का इतमीनान होगया है कि ने बिला वजह जायज़के मज़कूरके साथ निस्बत पाने क़ब्ज़ा जायदाद के मज़ाहिमत (या तअर्रुज़) कियाहै और हिनोज़ कर रहा है और हरगाह कि मज़कूरने इस अदालत में दरख्वास्त की है कि मज़कूर जेलखाना दीवानी में क़ैद कियाजाये—

लिहाजा तुमको बज़रिये वारन्ट हाज़ा हुक्म दियाजाताहै और ताकीद कीजाती है कि तुम मज़कूर को जेलखाना दीवानी में दाखिल करो और इसमें मुद्दत योमतक इसको क़ैद रक्खो—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवा कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ४२

इजाज़त बनाम कलक्टर दरबाब मुल्तवी रखने नीलाम आम अराज़ी के (दफ़ा ७२)

बनाम कलक्टर मुक़ाम

बजबाब आपकी तहरीर नम्बरी मुवर्रिखे मशअर इस अम्र के कि बसीगै इजराय डिगरी इस मुक़द्दमाके नीलाम अराज़ी का जो आपके ज़िलअ में वाक़ै है अमल में आना मुनासिब नहीं लिहाज़ा मैं आपको मुत्तिला करताहूं कि आपको इख़्तियार दियाजाताहै कि जिस तौरपर कि आपने बजाय नीलाम अराज़ी डिगरी के ईफाय की तदबीर लिखीहै वह अमल में लाई जाय—

आपका खादिम

दस्तखत जज

इपनडिक्स (बाब)

कार्रवाई हाय ज़िमनी

नम्बर १

वारन्ट गिरफ़्तारी क़ब्ल फ़ैसला

(आर्डर ३८ क़ायदा-१)

उनवान

बनाम बेलिफ़ अदालत

हरगाह मुद्दई मुक़द्दमा मज़कूरह बाला ने हस्ब तफ़सील मुन्दर्जे

	रुपया	आना	पाई
जर असल			
जर सूद			
ख़र्चा मुक़द्दमा			
मीज़ान			

हाशिया मुबलिग़ का दावा किया है और हस्ब इतमीनान अदालत यह साबित करदियाहै कि इसके बावर करने की वजह माकूल है कि मुद्दआअलेह करीब है कि लिहाज़ा तुमको हुक्म दियाजाता है कि मज़कूर से मुबलिग़ जो मुद्दई का दावा पूरा करने के लिये काफी हो तलब और वसूल करो और अगर मज़कूर मुबलिग फौरन् तुम्हारे हवाले न करै या उसकी तरफ से अदा न कियाजाये तो मज़कूर को हिरासत में करो, रूबरू अदालत के हाजिर करो ताकि वह वजह इसकी बयान करै कि उससे ज़मानत बतादाद मुबलिग़ अदालत के रूबरू तावक़्ते कि मुक़द्दमा मज़कूर व कुली और क़तई फैसल होजाये और तावक़्ते कि डिगरी जो बनाम व मुक़द्दमा मज़कूर सादिरहो जारी होकर उसका ईफा करदियाजाय असालतन हाज़िर रहने के लिये क्यों न दाखिल कराई जाये—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर २

ज़मानत वास्ते हाज़िरी मुद्दआअलेह के जो क़ब्ल फ़ैसला गिरफ़्तार हुआ

(आर्डर ३८ क़ायदा-२)

उनवान

हरगाह कि मुद्दई मुक़द्दमा मज़कूरह बालाकी तहरीक पर मुद्दआअलेह गिरफ़्तार होकर अदालत के रूबरू लायागया और हरगाह मुद्दआअलेह मज़कूर वजह ज़ाहिर न करसका कि वह हाज़िरज़ामिनी क्यों दाखिल न करै और अदालत ने उसको ज़मानत मज़कूर के दाखिल करने का हुक्म दियाहै—

इस लिये मैं अपनी मर्ज़ीसे ज़ामिन होताहूं और इस तहरीरकी रूसे अदालत मौसूफ के मुक़ाबिले में ख़ुद को और अपने वरसा और औसियाय को ज़िम्मेदार क़रार देताहूं कि दौरान मुक़द्दमा में और ता ईफ़ाय डिगरी के जो मुक़ाबिले उसके मुक़द्दमा मज़कूर में सादिर हो मुद्दआअलेह मज़कूर जिस वक़्त अदालत हुक्म देगी हाज़िर होगा और अगर मुद्दआअलेह मज़कूर हाज़िर न होगा तो मैं इक़रार करताहूं कि मैं और मेरे वरसा और औसियाय रक़म जो ब ज़िम्मे मुद्दआअलेह मज़कूर मुक़द्दमा में वाजिब क़रार पाये अदालत मौसूफ को इन्दुल्हुक्म अदालत अदा करेंगे—

जिसके सबूत में मेरे दस्तख़त बतारीख़ माह सन् सब्त हुये—

दस्तख़त

गवाहान

१—

२—

नम्बर ३

सम्मन बग़रज़ हाज़िरी मुद्दआअलेह जब कि ज़ामिन ने वास्ते बराअत के दरख़्वास्तकी हो

(आर्डर ३८ क़ायदा ३)

उनवान

बनाम

हरगाह कि ने जो बतारीख़ माह सन् तुम्हारी हाज़िरी के लिये ज़ामिन हुआ था इस अदालत में अपनी ज़िम्मेदारीसे बरी होने के लिये दरख़्वास्त दी है—

लिहाज़ा तुमको बज़रिये इसके हुक्म दियाजाता है तुम इस अदालत में बतारीख़ माह सन् बवक़्त क़ब्ल दोपहर जब कि दरख़्वास्त मज़कूर मसमूत्र्य और फ़ैसल होगी असालतन हाज़िर आओ—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ४
हुक्म हिरासत में रखने का
(आर्डर ३८ क़ायदा ४)

उनवान

बनाम

हरगाह मुद्दई ने इस मुक़द्दमा में अदालत के हज़ूर यह दरख़्वास्त गुज़रानी है कि मुद्दआअलेह से वास्ते तामील उस फ़ैसला के जो कि पर इस मुक़द्दमा में सादिरहो हाज़िर ज़ामिनी तलब कीजाये और अदालत ने मुद्दआअलेह को हुक्म दिया कि ज़मानत मज़कूर दाखिल करै या बजाय ज़मानत के ज़र काफ़ी अमानतन दाखिल करै मगर इस अम्र में क़ासिर हुआ लिहाज़ा हुक्म दियाजाताहै कि मुद्दआअलेह मज़कूर ताफ़ैसला मुक़द्दमा या जिस हाल में कि फ़ैसला ख़िलाफ़ मुराद सादिर हो तो तावक़्त इजराय डिगरी दीवानी जेल में हिरासत में रक्खाजाये—

आज बतारीख माह सन् को मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ५
कुर्की क़ब्ल फ़ैसलामये हुक्म अदख़ाल ज़मानत वास्ते तामील डिगरीके
(आर्डर ३८ क़ायदा ५)

उनवान

बनाम नाज़िर अदालत

हरगाह ने हस्ब इतमीनान अदालत साबित कियाहै कि मुद्दआअ

लेहने बमुक़द्दमा मरक़ूमे वाला लिहाज़ा तुमको हुक्म दियाजाताहै कि मुद्दआअलेह को हुक्म दो कि बतारीख़ माह सन् या उससे पहले बाबत मुबलिग के ज़मानत इस अम्रकी दाखिल करे कि जब हुक्महो तो इस अदालत में पेशकरके अमानत दाख़िल करे या उसकी क़ीमत दाखिल करे या क़ीमतमें से इस क़दर जो वास्ते ईफ़ा उस डिगरी के काफी हो कि अदालत हाज़ा पर सादिर करे या यह कि अदालत में हाज़िर होकर यह ज़ाहिर करे कि कोकिस वजहसे ज़मानत दाखिल करनी न चाहिये और तुमको यह हुक्म भी दियाजाताहै कि मज़कूर को कुर्क करके ता सदूर हुक्मसानी अदालत के उसको हिरासत महफूज़में रक्खो और तुमको यह भी हुक्म दिया जाताहै कि इस वारन्ट की पुश्तपर तसदीक़ इस अम्रकी लिखकर कि वारन्ट की तामील किस तारीख़को और किसतौर पर कीगई या उसके तामील न कियेजाने की वजह लिखकर इस वारन्ट को वापस भेजदो—

आज बतारीख़ माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ६
ज़मानत बग़रज़ पेश करने जायदाद के
(आर्डर ३८ क़ायदा ५)
उनवान

हरगाह कि तहरीक मुद्दई मुक़द्दमा मज़कूरे वाला अदालत में मुद्दआअलेहको हुक्म दियाहै कि ज़मानत बक़दर मुबलिग़ रुपया के वास्ते पेश करने और बक़ब्ज़ा अदालत देने जायदाद मुन्दर्जे फ़ेहरिस्त मुन्सलिका हाज़ाके दाखिल करे लिहाज़ा मैं अपनी मर्ज़ी से ज़ामिन होताहूं और इस तहरीर की रू से अदालत मौसूफ के मुक़ाबिले में खुदको और अपने वरसाय और औसियाय को जिम्मेदार क़रार देताहूं कि मुद्दआअलेह मज़कूर जायदाद मुन्दर्जे फेहरिस्त मज़कूर को या उसकी क़ीमत को या उसके इस क़दर जुज़्व जो वास्ते ईफ़ा डिगरी के काफी हो इन्दुल तलब अदालतमें पेश करेगा और बक़ब्ज़ा

अदालत देदेगा और अगर वह ऐसा न करै तो मैं इक़रार करताहूं कि मैं और मेरे वरसा और औसियाय इन्दुल्हुक्म अदालत मुतालिग़ रुपया या इस क़दर रुपया जो रक़म मज़कूर से ज़्यादा न हो जैसा अदालत मौसूफ तै करै अदालत मौसूफ को अदा करैंगे—

फेहरिस्त

जिसके सबूत में मैंने बतारीख़ माह सन् अपने दस्तख़त सिब्त किये—

दस्तख़त

गवाहान

१—

२—

नम्बर ७

कुर्क़ी क़ब्ल फ़ैसला दरसूरत सबूत अदम अदख़ाल ज़मानत

(आर्डर ३८ क़ायदा ६०)

उनवान

बनाम बेलिफ़ अदालत

हरगाह मुसम्मै मुद्दई ने इस मुक़द्दमा में अदालत को यह दरख़्वास्त दी है कि मुद्दआअलेह से ज़मानत वास्ते ईफ़ाय डिगरी के जो बनाम इस मुक़द्दमा में सादिर हो तलब कीजाये और जोकि अदालत ने मज़कूर को इस ज़मानत के दाखिल करने का हुक्म दियाहै मगर वह वजाआवरी से क़ासिर रहा है लिहाजा तुमको हुक्म दियाजाता है कि माल मज़कूर का कुर्क करो और उसको तावक़्ते कि हुक्मसानी अदालत कासादिर हो वहिफ़ाज़त ज़ेर हिरासत रक्खो और तुमको यह भी हुक्म दियाजाता है इस वारन्ट की पुश्तपर तसदीक़ इस अम्रकी लिखकर कि वारन्ट की तामील किस तारीख़ को और किस तौरपर कीगई या उसके तामील न कियेजाने की वजह लिखकर इस वारन्ट को वापस भेजदो—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ८

हुक्म इम्तिनाई चंद रोज़ह

(आर्डर ३९ क़ायदा १)

उनवान

बरतवक्त दरख़्वास्त मुसम्मै वकील (या कौंसली) (अलिफ़ बे) मुद्दई के और बमुलाहिज़ा सवाल मुद्दई मज़कूर के जो (आज) इस मआमिला में गुज़रा है (या बमुलाहिज़ा अर्ज़ीदावा के जो इस मुक़द्दमा में बतारीख माह सन् गुज़रा है या बमुलाहिज़ा बयान तहरीरी मुद्दई के जो बतारीख माह सन् दाखिल हुआ है और बाद समाअत शहादत मुसम्मियान और जो बताईद दरख़्वास्त के पेशहुई है (अगर मुद्दआअलेह को इत्तिला दीगई हो और वह हाज़िर न हो तो यह लिखा जायेगा कि बाद समाअत शहादत मुसम्मै बसबूत पहुंचने इत्तिला अदखाल दरख़्वास्त मज़कूर बदस्त (जीम दाल) मुद्दआअलेह के) अदालत से हुक्म होताहै कि हुक्म इम्तिनाई बमुराद बाज़ रखने (जीम दाल) मुद्दआअलेह और उसके नौकरों और कारीगरों और कारपरदाज़ों के उस मकान के मिसमार करने या मिसमार होनेदेनेसे जो मुद्दई मजकूर के अर्ज़ीदावा में मज़कूर है (या जो मुद्दई ने बयान तहरीरी या सवाल में या इस शहादत में बयान हुआ है जो वक्त अदखाल इस दरख़्वास्त के लीगई थी) यानी मकान नम्बर ९ सड़क मौसूमा आयल मिनकर स्ट्रीट वाक़ै मौज़ा हिन्दूपूर तअल्लुक़ा और नीज बास्ते बाज़ रखने मुद्दआअलेह और उसके मुलाज़िमान वगैरह को मकान मजकूर के अमला और मसालहा के फरोख्त करने से उस वक्ततक कि इस मुक़द्दमा की समाअत न हो या तासदूर हुक्मसानी अदालत हाज़ा के जारी कियाजाये—

मुवर्रिखै तारीख माह सन् १९ ई०

दस्तखत जज

तश्रीह—जबकि हुक्म इम्तिनाई वास्ते बाज़ रखने मुद्दआअलेह के फरोख़्त करने से किसी बिल या नोट के मतलूबहो तो अदालत के हुक्म में जहां हुक्म इम्तिनाई का बयान है यह लिखा जायेगा कि मुद्दआअलेहुम् और तावक्ते कि इस मुक़दमा की समाअत हो या ता सदूर हुक्मसानी अदालत हाज़ाके उस परामेसरी नोट या बिल आफ़ एक्स-चेंज मुवर्रिखे को जो मुद्दई के अर्ज़ीदावा (या सवाल) में बयान हुआ है और जिसका मजकूर इस शहादत में भी है जो बरवक्त अदख़ाल दरख़्वास्त के लीगई थी अपने या उनमेंसे किसीके क़ब्ज़ा से अलाहिदा न करें और उसकी पुश्तपर इबारत फ़रोख़्त या इन्तिक़ाल की न लिखें और न उसको फरोख़्त करैं—

जब मुक़द्दमा वास्ते हिफ़्ज़ हक़ मुसन्निफी के हो तो हुक्म इम्तिनाई में यह लिखाजायेगा कि वास्ते बाज़रखने (जीम दाल) मुद्दआअलेह और उसके मुलाज़िमों और कारीगरों और कारपरदाज़ों के किताब मौसूमा या उसके किसी जुज़्व के, छापने या मुश्तहर या फरोख़्त करने से तावक़्ते कि इस मुक़द्दमाकी समाअत न हो या अदालत से हुक्मसानी सादिर न हो अलख़—

जब मुद्दआअलेह को सिर्फ एक जुज़्व किताब के तबा वग़ैरह से बाज़ रखना मंजूरहो तो यह लिखाजायेगा कि वास्ते बाज़रखने (जीम दाल) मुद्दआअलेह और उसके मुलाजिमों और कारीगरों और कार परदाज़ों के छापने या मुश्तहर या फरोख़्त या किसी निहजपर मुन्तक़िल करने से उस क़दर हिस्सि किताब के जो मुद्दई के अर्ज़ीदावा (या सवाल या शहादत मदख़िला) में मुफस्सिल मज़कूरहैं और जिनका मुद्दआअलेह की तरफसे मुश्तहर होना जाहिर कियागया है हस्ब तफसील ज़ैल यानी किताब मजकूरका उस क़दर जुज़्व जो कहलाता है और नीज वह जुज़्व जो के नाम से मौसूम है (या जो किताब में सफा से सफा तक मुन्दर्ज है) तावक़्ते कि अलख़—

मुक़द्दमात हिफ़्ज पेटएट यानी हक़ ईजाद में यह लिखाजायेगा कि तासदूर हुक्म अदालत (जीम दाल) मुद्दआअलेह और उसके कारीगर और मुलाज़िम और कार परदाज़ लोग अमूर मुफस्सिले ज़ैल से बाज़

रक्खेजायें यानी ईटें सूराखदार व या जो शैहो मिस्ल शैईजाद मुद्दई के जो अर्ज़ीदावा में (या सवाल या बयान-तहरीरी वगैरह में) मुफस्सिल मज़कूर है और जिसके ईजादका हक़ मदयून या उनमें से एकको हासिल है इस मुद्दतकी बाक़ी मीयाद तक जो मुद्दई की सनद पेटएट में अताहुई है और जिसका जिक्र अर्ज़ीदावा में (या जैसी सूरतहो) मुन्दर्ज है अपनी तरफ से तयार या फरोख़्त न करैं और न उसकी नक़ल और तलवीस करैं और न उसी शक्ल और वज़ा की और ईंट बनायें और न नौईजाद ईंट में कुछ कमी और बेशीकरैं तावक़्ते कि अलख—

माल तिजारत के निशानात के मुक़दमा में यह लिखाजायेगा कि वसदर हुक्म अदालत मुसम्मै (जीम दाल) मुद्दआअलेह और उसके मुलाज़िम और कारीगर और कारपरदाज़ लोग अफ़आल मुफस्सिलै ज़ैल से वाज़ रक्खेजायें यानी किसी क़िस्मकी मुरक्कब चीज़ या स्याही जो कुछ कि हो जो वनाम निहाद स्याही-मुरक्कबा (अलिफ बे) मुद्दई के बयान या ज़ाहिर कीगईहो ऐसी बोतलों में भरकर फरोख़्त न करैं न फरोख़्त के लिये दिखावैं न औरों से फरोख़्त करावैं जिनपर ऐसा लेबुल यानी काग़ज़ तस्मिया चस्पांहो जिसकी सराहत मुद्दई के अर्ज़ीदावा में या सवाल वगैरह में मुन्दर्ज है या कोई और लेबुल ऐसी क़िस्म और क़ितअ और रङ्ग और इबारतका लगाहो कि ब वजह मुशाबिहत व लेबुल असली के यह गुमान पैदाकरै कि वह मुरक्कब चीज़ या स्याही तैयारकरदह मुद्दआअलेह मज़कूर वहीहै जो मुद्दई आप तैयारकरके बेचताहै और नीज़ हुक्म दियाजाय है कि वह लोग फरोख़्त के इश्तहारनामे ऐसे बना कर और लिखाकर मुस्तअमल न करैं कि अवाम को गुमानहो कि वह मुरकब चीज़ या स्याही जो मुद्दआअलेह बनवाकर फरोख़्त करताहै या फरोख़्त करना चाहताहै वहीहै जो (अलिफ बे) मुद्दई तयार और फरोख़्त करताहै तावक़्ते कि अलख—

अगर किसी शरीक को कारोबार शराकती में दस्त अन्दाज़ होने से वाज़रखना मंज़ूर हो तो यह लिखाजायेगा कि वसदूर हुक्म अदालत (जीम दाल) मुद्दआअलेह और उसके मुलाज़िम और कारपरदाज़ लोग अफआल मुफ़स्सिलै ज़ैल से वाज़ रक्खे जायें याने वह लोग (हे वाव) की कोठी शराकती के नाम से किसी तरहका मआहिदा न करैं

और कोई बिलआफ एक्सचेंज या हुण्डी या नोट या किफालतनामा तहरीरी न लिखैं और न सकारैं और न पुश्तपर इन्तिक़ाल की इबारत लिखैं न उनकी फरोख्त करैं और (हे वाव) की कोठी शराकती के नाम से या उसके एतबार की तक़वियत से कभी कर्ज़ा न लें और माल खरीद व फरोख्त न करैं और न किसी तरहका वादा या इक़रार या मुआहिदा ज़बानी या तहरीरी अमल में लायें और न कोई ऐसा फेल कोठी शराकती के नाम से करैं या दूसरेसे करायें जिसके सबब से कोठी शराकती मज़कूर किसी मुबलिग के अदा करनेकी ज़िम्मेदार होजाये या तामील किसी वादा या इक़रार या मुआहिदा की कोठी मज़कूर पर लाज़िम आये तावक़्ते कि अलख—

नम्बर १

तक़र्रुर रिसीवर यानी मोहतमिम

(आर्डर ४० क़ायदा १)

उनवान

बनाम

हरगाह जायदाद बइल्लत इजराय डिगरी जो बमुक़द्दमा मज़कूर बतारीख माह सन् बहक़ सादिर हुई थी क़ुर्क कीगई है लिहाज़ा तुम सरबराहकार जायदाद मज़कूर के हस्ब आर्डर ४० मजमूआ जाब्ता दीवानी मुक़र्रर हुये बशर्त अदखाल जमानत हस्ब इतमीनान अदालत के और तुमको हस्ब अहकाम आर्डर मज़कूर इख़्तियारात कुली हासिल हैं—

तुमको लाज़िम है कि तारीख पर हिसाब सही और वाजिबी आमद व खर्च जायदाद मज़कूर का दाखिल करो और बमूजिब इस हुक्म तक़र्रुर के तुम उस रुपया पर जो कि वसूल हो बशरह फीसदी के मुस्तहक़ पाने हक़ुलसई के होगे—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर १०

इक़रारनामा जो रिसीवर यानी मोहतमिमको दाख़िल करना होगा

(आर्डर ४० क़ायदा ३)

उनवान

सब लोगों को वाजेहहो कि हम मुसम्मियान   और   और बिलजमाअ और बिल नफराद   अदालत   की खिदमत में इक़रार करते हैं कि मुबलिग   मौसूफ या उसके जानशीन ओहदा बरवक़्त को अदा करदेंगे और अज़रूय इस इक़रार नामा के हम और हम में से हर एक और हमारे वरसा और औसिया और मोहतमिमान तर्का बिलजमाअ और बिलनफराद और उस कुल रुपया के अदा करने के ज़िम्मेदार रहैंगे—

मरक़ूमै तारीख   माह   सन्

और हरगाह एक अर्ज़ीदावा इस अदालत में   ने बनाम   के बमुराद (यहां ग़रज नालिश की लिखनी होगी) गुज़रानाहै—

और हरगाह   मजकूर ब हुक्म अदालत मज़कूरै बाला   मुतज़क्किरह अर्ज़ीदावा की जायदाद ग़ैर मन्क़ूला के लगान या किराया और मुनाफाके वसूल करने और उसकी जायदाद ग़ैर मन्क़ूला को ग़ैरों से हासिल करनेके लिये मुक़र्रर कियागयाहै—

पस शर्त इस इक़रार नामाकी यह है कि अगर   मज़कूर बाबत तमाम मुबलिग और हर रक़म के जो कि उसको   मज़कूर की जायदाद ग़ैर मन्क़ूला के लगान या किराया और मुनाफा की बाबत और उसकी जायदाद मन्क़ूला की बाबत वसूलहो (यानी जैसी कि सूरतहो) उन औक़ात पर जो कि अदालत मजकूर मुकर्रर करै हस्ब ज़ाब्ता हिसाब दे और जो बाक़ियात कि वक़्तन फवक़्तन उससे वाजिबुल वसूलहों और जिनकी तसदीक़ उस तौरपर जैसा कि अदालत ने हिदायत की है या आयन्दा हिदायत करै हस्ब ज़ाब्ता अदाकरदे तो यह इक़रारनामा फिस्ख़ होगा वरना पूरेतौरपर क़ायम रहेगा—

मुकिरान मज़कूरै वाला के दस्तखत से हवाले कियागया रूबरू के—

तम्बीह—अगर रुपया अमानत दाखिल कियाजाये तो उसकी याददाश्त मुताबिक शर्त मुन्दर्जै इक़रारनामा के होगी—

इपनडिक्स (ज़े)

अपील व इस्तिसवाव व तजवीज़ सानी

नम्बर १

याददाश्त अपील

(आर्डर ४१ क़ायदा १)

उनवान

मज़कूरै वाला अदालत वाक़ै में बनाराज़ी डिगरी बमुक़द्मै मरक़ूमै वाला मुवर्रिखै तारीख माह सन् बवजूह मुफस्सिलै ज़ैल अपील गुज़रानता है यानी (यहां वजूह नाराज़ी वयान कीजायें—)

नम्बर २

ज़मानतनामा जो वरतवक़ सदूर हुक्म इलतुवाय इजराय डिगरी दिया जायेगा

(आर्डर ४१ क़ायदा ५)

उनवान

वनाम

जमानतनामा हाजा वरतवक़ इलतुवाय इजराय डिगरी इक़रारी सनद अमूर मुन्दर्जै ज़ैल है—

यह कि मुद्दई मुक़द्दमा बाबत सन् ने मुद्दआअलेह पर इस अदालत में नालिश की और तारीख माह सन् वहक़ मुद्दई डिगरी सादिरहुई और मुद्दआअलेहने बनाराजी डिगरी मज़कूर अदालत में अपील दायर किया जो हिनोज़ ज़ेर तजवीज़ है—

अब मुद्दई डिगरीदार ने इजराय डिगरी की दरख्वास्त की और मुद्-

आअलेहने दरख़्वास्त बइस्तदुआय इलतुवाय इजराय डिगरीगुज़रानीहै और उसको ज़मानत दाखिल करने का हुक्म हुआहै लिहाज़ा मैं बिला इकराह अपनी मर्ज़ी से बक़दर मुबलिग रुपया के ज़ामिन होकर जायदाद हाय मुन्दर्जै फेहरिस्त मुन्सलिका हाज़ा को रेहन करता हूं और इक़रार करताहूं कि अगर अदालत अपील से अदालत मराफअऔला की डिगरी बहाल रहै या बदलीजाये तो मुदआअलेह मज़कूर डिगरी अदालत अपील के बमूजिब बतौर वाजिब अमल करैगा और डिगरी की रूसे जो कुछ बजिम्मे उसके वाजिबुलअदाहोगा अदाकरेगा और अगर वह उस में क़सूर करै तो रक़म वाजिबुलअदा मज़कूर जायदाद हाय मरहूना हाज़ा से वसूल कीजाये और अगर मुहासिल नीलाम जायदाद हाय मज़कूर वास्ते अदायगी रक़म मज़कूर के ना काफी हो तो मैं और मेरे क़ायम मुक़ामान क़ानूनी अदाय ज़र बक़ाया के बज़ात खुद ज़िम्मेदार होंगे—बईं मुराद मैंने ज़मानतनामा हाज़ा आज बतारीख़ माह सन् तहरीर करदिया—

फेहरिस्त

दस्तख़त

गवाहान—

१—

२—

नम्बर ३

ज़मानतनामा जो दौरान अपील में दिया जायेगा

(आर्डर ४१ क़ायदा ६)

उनवान

बनाम—

ज़मानतनामा हाज़ा बरतवक़ इलतुवाय इजराय डिगरी इक़रारी सनद अमूर मुन्दर्जै ज़ैलहै—

यह कि मुद्दई मुक़दमा नं० बाबत सन् ने मुदआअलेहपर इस अदालत में नालिश की और बतारीख़ माह

सन् वहक़ मुद्दई डिगरी सादिर हुई और मुद्दआअलेह ने बनाराज़ी डिगरी मज़कूर अदालत में अपील दायर किया जो हिनोज़ ज़ेर तजवीज़ है–

अब मुद्दई डिगरीदार ने इजराय डिगरी की दरख़्वास्त की है और उसको ज़मानत दाखिल करनेका हुक्म हुआहै लिहाज़ा मैं बिलाइक-राह अपनी मर्ज़ी से बक़दर मुबलिग़ के ज़ामिन होकर जायदाद-हाय मुन्दर्जै फ़ेहरिस्त मुन्सलिका हाज़ा रेहन करताहूं और इक़रार करताहूं कि अगर अदालत अपील से डिगरी अदालत मुराफअऔलाकी मन्सूख़ होजाये या बदल जाये तो मुद्दई उस जायदाद को जो डिगरी मज़कूरके इजराय में लीजाये या लेलीगईहो वापस करदेगा और डिगरी अदालत अपीलके बमूजिब बतौर वाजिब अमल करैगा और डिगरी की रूसे जो कुछ बज़िम्मे उसके वाजिबुलअदाहोगा अदा करेगा और अगर वह उसमें क़सूर करै तो रक़म वाजिबुलअदा मज़कूर जायदाद हाय मरहूना हाज़ा से वसूल कीजाये और अगर मुहासिल नीलाम जायदाद हाय मरहूना मज़कूर वास्ते अदायगी रक़म मज़कूरके नाकाफी हो तो मैं और मेरेक़ायम मुक़ा-मान क़ानूनी अदाय ज़र बक़ायाके बज़ात खुद ज़िम्मेदारहोंगे–बईमुराद मैंने ज़मानत नामा हाज़ा आज बतारीख माह सन् तहरीर करदिया–

फ़ेहरिस्त

गवाहान दस्तख़त

१—

२—

नम्बर ४

ज़मानत ख़र्चा अपीलकी

(आर्डर ४१ क़ायदा १०)

उनवान

बनाम——

ज़मानतनामा हाज़ा बाबत ख़र्चा अपील इक़रारी मनदअमूर मुन्दर्जे ज़ैल है–

अपीलांट हाज़ाने डिगरी मुक़द्दमा वाबतसन् की नाराज़ी से बमुक़ाबिले रस्पांडन्ट के अपील दायर कियाहै और उसको ज़मानत दाखिल करनेका हुक्म हुआहै—लिहाज़ा मैं बिला इकरार अपनी मर्ज़ी से खर्चा अपीलका ज़ामिन होकर जायदाद हाय मुन्दर्जे फेहरिस्त मुन्सलिका हाज़ा को रेहन करताहूं—मैं जायदाद हाय मजकूर या उनके किसी जुज़्व को मुन्तकिल नहीं करूंगा और दरसूरत सरज़द होने क़सूर मिन्जानिब अपीलांट के मैं बतौर वाजिब उस हुक्मकी तामील करूंगा जो दरबारे अदाय खर्चा अपील मेरे नाम सादिरहो—जो रक़म हस्ब मजकूरे वाला वाजिबुलअदा हो वह जायदाद हाय मरहूनाहाज़ा से वसूल कीजायेगी और अगर मुहासिल नीलाम जायदाद हाय मजकूर अदाय रक़म वाजिबुल अदाके वास्ते काफी न हो तो मैं और मेरे क़ायममुकामान कानूनी अदायज़र बक़ाया के बज़ात खुद जिम्मेदार होंगे—बईमुराद मैंने ज़मानतनामा हाज़ा आज बतारीख माह सन् तहरीर करदिया—

फेहरिस्त

गवाहान दस्तखत
१—
२—

नम्बर ५

अदखाल अपील की इत्तिला अदालत मातहतको

(आर्डर ४१ क़ायदा १३)

उन्वान

बनाम—

इस तहरीर कीरूसे आपको इत्तिला दीजाती है कि ने जो मुक़द्दमा मज़कूरे वाला में था बनाराज़ी डिगरीके जो आपने बतारीख माह सन् सादिर की थी इस अदालत में अपील दायर कियाहै—

आपसे दरख़्वास्त कीजाती है कि मुक़द्दमा के तमाम जरूरी काग़ज़ात जिस कदर जल्द मुमकिनहो भेज दीजिये—

मुवर्रिख़े तारीख़ माह सन्

दस्तख़त जज

नम्बर ६

इत्तिलानामा बनाम रस्पांडन्ट मशअ़र इत्तिला तारीख़ मुक़र्ररह समाअ़त अपील

(आर्डर ४१ क़ायदा १४)

उनवान

अपील वनाराज़ी अदालत मुक़ाम

मुवर्रिख़ै माह सन् रस्पांडन्ट

वनाम—

मुत्तिलाहो कि अपील वनाराज़ी डिगरी इस मुक़द्दमा में मुसम्मै ने पेश किया और वह इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत ने वक़्त तारीख़ माह सन् वास्ते समाअ़त इस अपील के मुक़र्रर कियाहै—

अगर ख़ुद तुम या तुम्हारा वकील या कोई और शख़्स जो क़ानूनन तुम्हारी तरफ से अपील हाज़ा में जवाब व सवाल करनेका मजाज़ हो हाज़िर न आयेगा तो उसकी समाअ़त और तजवीज़ तुम्हारी ग़ैरहाज़िरी में यकतरफा कीजायेगी—

आज बतारीख़ माह सन मेरेदस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले किया गया—

दस्तख़त जज

तम्बीह—अगर इजराय डिगरी के मुलतवी होनेका हुक्म हुआहो तो उसकी इत्तिला इस इत्तिलानामा में लिखनी चाहिये—

नम्बर ७

नोटिस बनाम फ़रीक़ मुक़द्दमा जो अपील में फ़रीक़ न किया गया मगर जिसको अदालत ने रस्पांडन्ट गरदाना

(आर्डर ४१ क़ायदा २०)

उनवान

बनाम—

हरगाह कि तुम बमुक़द्दमा नं० बाबतसन् बअदालत फ़रीक़ थे और हरगाह कि ने डिगरी की नाराज़ी से जो उसके खिलाफ सादिर हुईथी इस अदालत में अपील दायर कियाहै और इस अदालत को मालूम होताहै कि तुम अपील मज़कूरके नतीजा में ग़रज़ रखते हो—

लिहाज़ा तुमको बजरिये इसके इत्तिला दीजाती है कि इस अदालतने तुमको अपील मज़कूर में रस्पांडन्ट बनाये जानेका हुक्मदियाहै और अपील मज़कूरकी समाअत तारीख माह सन् वक़्त क़ब्ल दोपहरतक मुल्तवी करदीहै—अगर तुम्हारी जानिब से तारीख व वक़्त मज़कूरपर कोई हाज़िर न होगा तो अपील तुम्हारी ग़ैरहाजिरी में मसमूअ और फ़ैसल होगा—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर ८

याददाश्त उज़रात मुक़ाबिला

(आर्डर ४१ क़ायदा २२)

उनवान

हरगाह कि ने अदालत वाक़ै में बनाराजी डिगरी बमुक़द्दमा नम्बर बाबतसन् मुवर्रिखै तारीख

माह सन् अपील दायर किया है और हरगाह कि इत्तिलानामा तारीख मुक़र्ररह समाअत अपील की तामील पर बतारीख माह सन् हुई उज़र मुक़ाबिल की इस याददाश्त को हस्ब आर्डर ४१ क़ायदा २२ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी दाखिल करता है और डिगरी अपील शुदह की बाबत हस्ब जैल उजरात करता है यानी—

नम्बर ९

डिगरी अपील

(आर्डर ४१ क़ायदा ३५)

उनवान

अपील नम्बर सन् बनाराज़ी डिगरी अदालत मुवर्रिखै तारीख माह सन्—

याददाश्त अपील

मुद्दई

मुद्दआअलेह

मजकूरै वाला अदालत वाकै में बनाराज़ी डिगरी मुक़द्दमा मजकूरै वाला मुवर्रिखै तारीख माह सन् बवजूह मुफ़स्सिलै ज़ैल अपील गुजरानता है याने अपील नम्बर बनाराज़ी अदालत मुवर्रिखै माह सन् यह अपील बतारीख माह सन् रूबरू के बहाजिरी मिन्जानिब अपीलांट और बहाजिरी मिन्जानिब रस्पांडन्ट समाअत के लिये पेशहुआ पस हुक्म हुआ—

(यहां बयान दादरसीका लिखाजायगा)

खर्चा अपीलहाज़ा का हस्ब-ज़ैल मुसम्मै तादादी मुबलिग़ अदाकरै—

खर्चा मुक़द्दमा मराफ़िआऔला का मुसम्मै अदाकरै—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

ख़र्चा अपील

अपीलांट	तादाद	रस्पाडन्ट	तादाद
१-इस्टाम्प याददाश्त अपील		इस्टाम्प वकालतनामाका	
२- " , वकालत नामाका		" सवालका	
३-इजराय हुक्मनामजात		इजराय हुक्मनामजात	
४-मेहनतानावकीलवालायमुवक्लिल		मेहनताना वकील बालाय मुवक्लिल	
मीज़ान		मीज़ान	

नम्बर १०

दरख़्वास्त अपील मुफ़्लिसी

(आर्डर ४४ क़ायदा १)

उनवान

मैं   मज़कूरवाला   डिगरी मुक़द्दमै मज़कूरै वालाकी नाराजी से याददाश्त अपील मुन्सलिका पेशकरके दरख़्वास्त करताहूं कि मुझे बतौर मुफलिस अपील दायर करनेकी इजाज़त दीजाये—

ज़ैल में मेरीकुल जायदाद मन्कूला व गैर मनकूलाकी मये उसकी क़ीमत तख़मीनी के पूरी और सही फ़ेहरिस्त दर्ज है—

मुवर्रिख़ै तारीख   माह   सन्

दस्तख़त

नोट—अगर दरख़्वास्त मिनजानिब मुद्दई हो तो उसको बयान करना चाहिये आया उसने अदालत मराफअऔला में दरख़्वास्तदी थी और उसको बहैसियत मुफलिस नालिश करनेकी इजाजत दीगई थी—

नम्बर ११

इत्तिलानामा अपील मुफ़्लिसाना

(आर्डर ४४ क़ायदा १)

उनवान

हरगाह कि   मजकूरै वालाने दरख़्वास्त दी है कि उसको डिगरी

मुक़द्दमै मज़कूरै वाला मुवर्रिखै तारीख माह सन की नाराज़ी से बहैसियत मुफ़लिस अपील करने की इजाज़त दीजाये और हरगाह कि तारीख माह सन् वास्ते समाअत दरख़्वास्त के मुक़र्रर हुईहै लिहाज़ा तुमको इस तहरीरकी रू से इत्तिला दीजाती है कि अगर तुम वजह ज़ाहिर करना चाहते हो कि सायल को बहैसित मुफ़लिस अपील करने की इजाजत क्यों न दीजाये तो तुमको तारीख मज़कूर पर वजह ज़ाहिर करने का मौक़ा दिया जायेगा—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर १२

नोटिस बग़रज़ ज़ाहिर करने वजह के कि सार्टीफ़िकट अपील बहज़ूर मलिक मुअज़्ज़म बइजलास कौंसल अता क्यों न कियाजाये

(आर्डर ४५ क़ायदा ३)

उनवान

बनाम

मुत्तिला हो कि ने बग़रज हसूल सार्टीफिकट के कि मुकद्दमा मज़कूर बलिहाज़ तादाद या मालियत व नौय्यत के शरायत दफा ११० मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी को पूरा करता है या दीगर वजूह से लायक़ दायरह अपील बहज़ूर मलिक मुअज़्ज़म बइजलास कौंसल के है इस अदालत में दरख़्वास्त दी है—

तारीख माह सन् इसलिये मुक़र्रर हुई है कि तुम वजह ज़ाहिर करो कि अदालत सार्टीफिकट ख़्वास्ता अता क्यों न करे—

आज बतारीख माह सन मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले किया गया—

दस्तखत रजिस्ट्रार

नम्बर १३

नोटिस अदख़ाल अपील बहुज़ूर मलिक मुअ़ज़्ज़म बइजलास कौंसल रस्पांडन्ट को

(आर्डर ४५ क़ायदा ८)

उनवान

बनाम

हरगाह ने जो मुक़दमा मज़कूर वालामें है ज़मानत दाखिल करदीहै और हस्बुल् हुक्म आर्डर ४५ क़ायदा ७ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी रुपया दाखिल करदिया है—

मुत्तिला हो कि अपील मज़कूर का बहज़ूर मलिक मुअ़ज़्ज़म बइजलास कौंसल बतारीख माह सन् दाखिल हुआ—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले कियागया—   दस्तखत रजिस्ट्रार

नम्बर १४

नोटिस बग़रज़ इज़हार वजहकी कि तजवीज़ सानी क्यों मंजूर न कीजाये

(आर्डर ४७ क़ायदा ४)

उनवान

बनाम

मुत्तिला हो कि ने तजवीज़सानी डिगरी मुक़दमा मज़कूर मसदूरह तारीख माह सन् की तजवीज़सानी की इस अदालत में दरख़्वास्त दी है तारीख माह सन् इसलिये मुक़र्रर हुईहै कि तुम वजह ज़ाहिर करो कि अदालत अपनी डिगरी की तजवीज़सानी क्यों न करै—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—   दस्तखत जज

इपनडिक्स (हे)

मुतफ़र्रिक़

नम्बर १

इक़रारनामा फ़रीक़ैन दरबारह अमर तन्क़ीह-तलब जिसकी तहक़ीक़ात कीजाये

(आर्डर १४ क़ायदा ६)

उनवान

हरगाह कि हम फरीक़ैन मुक़दमा मजकूरै बाला निस्बत अम्र निज़ाई वाक़िआती (या क़ानूनी) के जिसका तस्फिया होना माबैन हमारे ज़रूर है मुत्तफ़िक़ हैं और अमर तन्क़ीहतलब माबैन हमारे यह है कि आया दावा में जो मुबनी बर तमस्सुक मुवर्रिखै तारीख माह सन् है और तमस्सुक मुक़दमा मज़कूर में बतौर कागज निशानी दाखिल है क़ानूनी मीयाद समाअत आरिज़ है या नहीं (या जो और अम्र तन्क़ीह तलब हो वह लिखना चाहिये) इसलिये हम अपने आपको बिल इनफराद जिम्मेदार क़रार देते हैं कि अगर अदालत अम्र-तन्क़ीह तलब मज़कूर की तजवीज़ नफी (या असबात) में करै तो मुबलिग रुपया (या उस क़दर रुपया जो अदालत उस बारह में वाजिबुल अदा क़रार दे)— मज़कूर को अदा करेगा और मैं मजकूर रक़म मज़कूर मुबलिग रुपयाको (या उस क़दररुपया को जो अदालत वाजिबुल अदा क़रारदे) अपने दावा बरबिनाय तमस्सुक मज़कूर के ईफ़ाय कुली में क़बूल करूंगा (या तजवीज़ मजकूर के बाद मैं मज़कूर करूंगा या उसपै करने मे बाज़रहूंगा)

मुद्दई

मुद्दआअलेह

गवाहान

१—

२—

मुवर्रिखै तारीख माह सन

नम्बर २

इत्तिलानामा दरख़्वास्त इन्तिक़ाल मुक़द्दमा दूसरी अदालत को बग़रज़ तजवीज़ के

(दफ़ा २४)

बअदालत साहब जज बहादुर ज़िला

नम्बर बाबत सन्

बनाम

हरगाह कि मिनजानिब के जो मुक़द्दमा नम्बर बाबत सन् में है इस अदालत में दरख़्वास्त मुवर्रिख़े तारीख़ माह सन् गुज़री है कि मुक़द्दमा मज़कूर जो अदालत वाक़े में इस वक़्त ज़ेर तजवीज़ है और जिसमें मुद्दई और मुद्दआअलेह है वास्ते तजवीज़ के अदालत में मुन्तक़िल कर दियाजाये—

लिहाज़ा तुमको इस तहरीर की रू से इत्तिला दीजाती कि तारीख़ माह सन् वास्ते समाअत और दरख़्वास्त मज़कूर के मुक़र्रर हुई है अगर तुम कुछ उज़र करना चाहते हो तो उस तारीख़ पर तुम्हारा उज़र मसमूअ होगा—

आज बतारीख़ माह सन् मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर ३

इत्तिला अदख़ाल ज़र अदालत में

(आर्डर २४ क़ायदा २)

उनवान

मुत्तिलाहो कि मुद्दआअलेह ने मुबलिग रुपया अदालत में

दाखिल कियाहै और वह यह कहता है कि रक़म मज़कूर वास्ते कुली ईफाय दावा मुद्दई के काफी—

ज़्वाद तो वकील मुद्दआअलेह

वनाम गैन वकील मुद्दई

नम्बर ४

इत्तिला इज़हार वजह (नमूना आम)

उनवान

वनाम—

हरगाह कि मज़कूरह वालाने इस अदालत में दरख्वास्तकी है कि लिहाज़ा तुमको इस तहरीर की रूसे आगाह कियाजाता है कि तुम ख़्वाह असालतन ख़्वाह मारफत वकीलके जो मामिला से क़रार वाक़ई वाक़िफ किया गयाहो तारीख माह सन् बवक़्त क़ब्ल दोपहर इस अदालतमें हाज़िर आवो और दरख़्वास्त के खिलाफ वजह ज़ाहिर करो अगर तुम हाज़िर न आवोगे तो दरख़्वास्तकी समाअत व तजवीज़ यकतर्फा अमल में आयेगी—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ५

फ़ेहरिस्त दस्तावेज़ात पेश करदह $\frac{\text{मुद्दई}}{\text{मुद्दआअलेह}}$

(आर्डर १३ क़ायदा १)

उनवान

नम्बर	तफ़सील दस्तावेज़	तारीख़ (अगर कोईहो) मुन्दर्जे दस्तावेज़	दस्तख़त फ़रीक़ यागवाहके
१	२	३	४

नम्बर ६

इत्तिला बनाम फ़रीक़ैन तारीख़ की जो वास्ते इज़हार गवाह के जो इलाक़ा अदालत से बाहर जाने को है मुक़र्रर हुई

(आर्डर १८ क़ायदा १६)

उनवान

बनाम मुद्दई (या मुद्दआअलेह)

हरगाह कि मुक़द्दमे मज़कूरे बालामें ने अदालत में दरख़्वास्त दीहै कि इज़हार गवाहका जो मुक़द्दमा मज़कूर में मिन्जानिब मज़कूर तलब हुआहै फौरन ले लियाजाये और हस्ब इतमीनान अदालत यह साबित कियागयाहै कि गवाह मज़कूर इलाक़ा अदालत से बाहर जानेवालाहै (या और वजह काफी व माकूल लिखनी चाहिये)—

मुत्तिलाहो कि अदालत गवाह मज़कूरका इज़हार बतारीख माह सन् लेगी—

मुवर्रिखे तारीख माह सन्

दस्तखत जज

नम्बर ७

कमीशन वास्ते लेने इज़हार गवाहान गैरहाज़िरके

(आर्डर २६ क़ायदा ४ व १८)

उनवान

बनाम—

हरगाह शहादत की मिन्जानिब बमुक़द्दमा महूला बाला ज़रूर है और हरगाह लिहाज़ा तुमको हुक्म दियाजाता है कि गवाहान मज़कूर से सवालातका जवाब लिखावो (या उनका इज़हार ज़बानी लो) पस उस ग़रज़ के लिये तुम बज़रिये इस हुक्म के कमिश्नर मुक़र्रर कियेगये शहादत फरीक़ैन या उनके एजन्टियान की मवाजह में लीजायेगी बशर्ते कि वह मौजूदहों और उनको अमूर मुन्दरहे

की बाबत गवाह से सवालात करनेकी इजाजत होगी और नीज़ तुमको हिदायत होती है कि बमुजर्रद इसके कि इज़हारात मज़कूर लिये जायें उनका रीटर्न अदालत हाज़ा में भेजदो (हुक्मनामा इहज़ार गवाहका उस अदालत से कि जिसको इख्तियारात मुक़ामी हासिलहों बरवक़्त तुम्हारी दरख़्वास्त के सादिर किया जायेगा)

मुबलिग जो मुकद्दमा मज़कूर में तुम्हारी फीस है कमीशनहाज़ा के साथ भेजे जाते हैं—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तखत जज

नम्बर ८

चिट्ठियात मुतज़म्मिन दरख़्वास्त इज़हार गवाहान (आर्डर २८ क़ायदा ५)

उनवान

बनाम साहब प्रेसीडन्ट और साहबान जज अदालत वगैरह २ यानी जैसी सूरतहो—

हरगाह एक मुकद्दमा अदालत में दिलफैल दायरहै जिसमें (अलिफ बे) मुद्दई और (जीम दाल) मुद्दआलेह है और उस मुक़द्दमामें मुद्दई यह दावा करताहै—

(पुश्त पर तसरीह इस दावाकी होना चाहिये)

और हरगाह अदालत मजकूर से जाहिर कियागयाहै कि वास्ते अगराज इन्साफ के और वास्ते तस्फिया वाजिबी मामिलात निजाई माबैन फ़रीक़ैन के जरूर है कि अशखास जैल यानी—

(हे वाव) साकिन—

(ज़े हे) साकिन—

और (तो ये) साकिन—

का इजहार हलफी मामिलात निजाई मजकूरकी निस्बत वतौर गवाह के लियाजाये और चूंकि यह सब अशखास आपकी मुअज्ज़िज़ अदालत के इलाका में रहते हैं—

लिहाजा मैं कि अदालत मजकूरका हूं आपकी खिदमत में अर्ज़ करताहूं कि ब वजूह मज़कूरेबाला और बनज़र अयानत इस अदालत के आप हजरात यानी प्रेसीडन्ट और साहबान जज अदालत या आप साहबान में से एक या ज़्यादा हजरात बराह मेहरबानी गवाहान मजकूर को (और नीज उन गवाहों को कि जिनके तलब करनेकी निस्बत मुदई और मुद्दआअलेह मजकूर के एजन्ट आप से तहरीरी इलतिजाकरें) जिस वक्त और मुकाम परकि आप मुकर्रर फरमायें वास्ते अदाय शहादत के आप हज़रात में से एक या ज़्यादा के रूबरू या किसी और शख्स के रूबरू जो आपकी अदालत के ज़ाब्ता के मुताबिक गवाहों का इज़हार लेसक्ताहो तलब फरमायें और उनका इज़हार बर बुनियाद बंद सवालात कि जो इस लेटरआफ़ रिक्वेस्ट के साथ भेजेजाते हैं (या इजहार ज़बानी) निस्बत अमूर निज़ाई के बमौजूदगी ऐजन्टियान मुद्दई और मुद्दआअलेह के या जो उनमें से बर वसूली इत्तिला इज़हारके वक्त हाज़िर हों लें—

मैं यह भी दरख्वास्त करताहूं कि आप बराह मेहरबानी गवाहान मजकूर के जवाबात जब्त तहरीर में लायें और तमाम किताबों और खतूत और कागजात और दस्तावेज़ात पर कि जो इज़हार में पेशहों शिनाख्त के वास्ते कुछ निशान करदें नीज इजहार मजकूर पर अपनी अदालत की मुहर तसदीकन सिब्तकरें या जो तरीका तसदीक का कि आप के यहां रायजहो उसके मुताबिक तसदीक करें और इजहार मजकूर को मये उस दरख्वास्त तहरीरी के (अगर कोई हुईहो) कि जो दीगर गवाहान के इजहारकी निस्बत कीगईहो अदालत मज़कूर में इरसाल फरमायें—

नोट—अगर यह चिट्ठी किसी अदालत वाके मुल्कग़ैर में भेजी जाने को हो तो कब्ल अलफाज "अदालत मज़कूर में इरसाल फरमायें" के "मार्फत आलाहज़रत मलिकेमुअज़्ज़मके सिक्रेटरी आफस्टेट (दरबारे खार-जिया के" इजाफा होना चाहिये)

नम्बर ९

कमीशन वास्ते तहक़ीक़ात मौक़ा या तहक़ीक़ात हिसाबातके

(आर्डर २६ क़ायदा ६ व ११)

उनवान

बनाम—

हरगाह इस मुक़द्दमामें मुनासिब मुतसव्वर होताहै कि कमीशन वास्ते के सादिर कियाजाये लिहाज़ा तुम बग़रज़ कमिश्नर मुक़र्रर कियेगये (हुकुमनामा वास्ते जबरन हाज़िर कराने गवाहों के या पेश कराने किसी काग़ज़ात के तुम्हारे रूबरू जिनका तुम इज़हार लेना या मुआयना करना चाहो) उस अदालत से कि जिसको इख़्तियारात मुक़ामी हासिल हों तुम्हारी दरख़्वास्त पर सादिर किया जायगा—

मुबलिग़ जो बमुक़द्दमा मज़कूर तुम्हारी फ़ीस है इस कमीशनके साथ भेजाजाताहै—

आज बतारीख माह सन् मेरेदस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर १०

कमीशन बिनाबर करने बटवारहके

(आर्डर २६ क़ायदा १३)

उनवान

बनाम

हरगाह कि अग़राज़ मुक़द्दमा के वास्ते यह ज़रूरी ख़्याल कियाजाता है कि कमीशन वास्ते करने बटवारह अल्लाहिदगी जायदाद मुसर्रहे डिग्री अदालत हाज़ा मुवर्रिख़ेतारीख़ माह सन् के बमु-

जिबहकूक़ करारदादह डिगरी मज़कूर के जारी कियाजाये लिहाज़ा तुम को ग़रज मज़कूर के लिये कमिश्नर मुक़र्रर कियाजाता है और तुमको हिदायत कीजाती है कि तुम ज़रूरी तहक़ीक़ात करके जायदाद मज़कूर को ताहद खुर्रम व इदराक अपने के हिसिसमुसर्रह डिगरी में तक़सीम करो और हिसिस मज़कूर को मुतम्मद्दिद फरीक़ों की तरफ लगावो तुमको यह इख़्तियार दियाजाता है कि तुम एक फ़रीक़ से दूसरे फरीक़ को बग़रज़ मसावी करने क़ीमत हिसिस के कोई रक़म दिलाओ—

हुकुमनामा वास्ते जबरन हाज़िर कराने गवाहों के या पेश कराने किसी काग़ज़ात के तुम्हारे रूबरू जिनका तुम इज़हार लेना या मुआयना करना चाहो उस अदालत से कि जिसको इख़्तियारात मुक़ामी हासिल हों तुम्हारी दरख़्वास्त पर सादिर किया जायेगा—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर ११

इत्तिलानामा बनाम मुद्दआअलेह नाबालिग़ व वली

(आर्डर ३२ क़ायदा ३)

उनवान

बनाम— मुद्दआअलेह नाबालिग़

(जीमदाल)— वली क़ुदरती

हरगाह मुक़दमा मुन्दर्जे उनवान में मुद्दई ने एक दरख़्वास्त गुज़रानी है कि मुद्दआअलेह नाबालिग का एक वली दौरान मुक़द्दमा मुक़र्रर किया जाये लिहाज़ा तुम नाबालिग़ को और + तुम— को इसकी रूसे इत्तिला दीजाती है कि अगर तामील इत्तिलानामा हाज़ा से—योम के अन्दर एक दरख़्वास्त इस अदालत में निस्बत + तुम्हारे या तुम नाबालिग के किसी दोस्त के वली दौरान मुक़द्दमा मुकर्रर कियेजाने के न गुज़रानोगे

+ नोट—यहां वली का नाम लिखना चाहिये.

तो अदालत किसी और शख़्स को नाबालिग़ मज़कूर का वली वास्ते अग़राज़ मुक़द्दमा के मुक़र्रर करेगी

आज बतारीख़ माह सन् मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से जारी कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर १२

इत्तिला तारीख़ समाअत शहादत मुफ़लिसी की फ़रीक़ सानी को

(आर्डर ३३ क़ायदा ६)

उनवान

बनाम—

हरगाह कि—ने इस अदालत में वास्ते हसूल इजाज़त इरजाअनालिश बमुक़ाबिले कि बहैसियत मुफ़लिस के हस्ब आर्डर ३३ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी दरख़्वास्तदी है और हरगाह कि अदालत को दरख़्वास्त के नामंज़ूरी करने की कोई वजह नहीं मालूम होती और हरगाह कि वास्ते लेने शहादत के जो सायल अपनी मुफ़लिसी के सबूत में पेश करे और वास्ते समाअत शहादत के जो उसकी तरदीद में पेश कीजाये तारीख़— माह सन मुक़र्रर हुई है—

लिहाज़ा तुमको इस तहरीर की रूसे हस्ब आर्डर ३३ क़ायदा ६ इत्तिला दीजाती है कि अगर तुम सायल की मुफ़लिसी की तरदीद में कोई शहादत देना चाहते हो तो तुम बतारीख़ माह सन् मज़कूर इस अदालत में हाज़िर होकर शहादत देसक्ते हो—

आज बतारीख़ माह सन् मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर १३

इत्तिला ज़ामिन को उसके ज़िम्मेदारी की जो हस्ब डिगरी आयद हुई

दफ़ा १४५

उनवान

बनाम—

हरगाह कि तुम—बतारीख वास्ते ईफ़ाय डिगरी के जो बमुक़ाबिले—मुद्दआअलेह मुक़द्दमा मज़कूर के सादिर हो बहैसियत ज़ामिन ज़िम्मेदार हुये थे और हरगाह कि बतारीख माह सन् मुद्दआअलेह मज़कूर पर डिगरी वास्ते अदाय मुबलिग—के सादिर हुई और हरगाह कि तुम्हारे मुक़ाबिले में डिगरी मज़कूर के इजराय की दरख़्वास्त गुज़री है—

लिहाज़ा तुमको इत्तिला दीजाती है कि तुम तारीख माह सन् को या उससे क़ब्ल हाज़िर होकर वजह ज़ाहिर करो कि तुमपर डिगरी का इजराय क्यों न किया जाये और अगर अन्दर मीयाद मुसरहे वाला कोई वजह काफी क़ाबिल इतमीनान अदालत ज़ाहिर न कीजायेगी तो बमूजिब मज़मून दरख़्वास्त मज़कूर के हुक्म इजराय डिगरी का सादिर किया जायेगा—

आज बतारीख माह सन् मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से हवाले कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर १४

रजिस्टर मुक़द्दमात दीवानी (आर्डर ४ क़ायदा २)

अदालत जिला बइजलास मुक़ाम

रजिस्टर मुक़द्दमात दीवानी सन् १९ ई०

	मुद्दई				मुद्दआअलैह			दावा			इज़हार			फ़ैसला			अपील		इजराय डिगरी					कैफ़ियत तामील इजराय डिगरी		
[illegible]	नम्बर मुक़द्दमा	नाम	वल्दियत सकूनत व क़ौम व पेशा वग़ैरह	मुक़ाम सकूनत	नाम	वल्दियत सकूनत व क़ौम व पेशा वग़ैरह	मुक़ाम सकूनत	कैफ़ियत मुख़्तसिरुल दावा	मिक़दार दावा या तादाद मालियत	तारीख़ दाख़िल दावा	तारीख़ मुक़र्ररा इज़हार मुतख़ासमीन	मुद्दई	मुद्दआअलैह	तारीख़	किसके हक़ में सादिर हुआ	बाबत किस के या किस क़दर रुपया के	तारीख़ फ़ैसला अपील	फ़ैसला अपील	तारीख़ दरख़्वास्त	तारीख़ हुक्म	किन दरख़्वास्तों पर डिगरी जारी कराई मक़्बूल हुई	किस रक़म की बाबत या जायदाद हो तो किस क़दर रुपया की बाबत	मिक़दार ख़र्चा	रुपया जो अदालत में दाख़िल हुआ	गिरफ़्तारी	निस्फ़ दीगर कैफ़ियात का वक़ूअ अदाय ज़र या गिरफ़्तारी और तारीख़ हर कैफ़ियत की

नोट—अगर मुतअद्दिद मुद्दई या मुतअद्दिद मुद्दआअलैहुम हों तो रजिस्टर में नाम सिर्फ़ मुद्दई अव्वल या मुद्दआअलैह अव्वलका यानी जैसी सूरतहो लिखना काफ़ी है—

नम्बर १५

रजिस्टर अपील (आर्डर ४१ क़ायदा ९)

अदालत (या हाईकोर्ट) मुक़ाम

रजिस्टर अपील बनाराज़ी डिगरियात बाबत सन् १९ ई०

	अपीलांट				रस्पांडन्ट			डिगरी जिसकी नाराज़ी से अपील हुआ				इज़्हार			फ़ैसला अपील		
तारीख़ पाद्दाश्त	नम्बर अपील	नाम	अहवाल यानी वल्दियत और क़ौम और पेशा वग़ैरह	मुक़ाम सकूनत	नाम	अहवाल यानी वल्दियत और क़ौम और पेशा वग़ैरह	मुक़ाम सकूनत	किस अदालत की डिगरी	नम्बर मुक़द्दमा इब्तिदाई	कैफ़ियत मरातिब मुतनाज़िआ	तादाद या मालियत	तारीख़ मुक़र्ररा इज़्हार मुतख़ासमीन	अपीलांट	रस्पांडन्ट	तारीख़ फ़ैसला	बहाल रहा या मंसूख़ हुआ या उसकी तरमीम हुई	किस शै या किस क़दर रुपया की बाबत

ज़मीमा दोम

सालसी

मुक़द्दमात की सालसी

दफ़ा ४०६ १-(१) अगर किसी मुकद्दमा में जुमला फ़रीक़ैन ज़ीगरज़ को यह मंज़ूर हो कि कोई अम्र जो मुकद्दमा में बाहम उनके मुतनाज़अ हो वास्ते फ़ैसला के सिपुर्द सालसी कियाजाये तो उनको इख़्तियार है कि किसी वक़्त क़ब्ल सुनाये जाने फ़ैसलाके इस बात की दरख़्वास्त अदालत में गुज़रानें कि सालसी का हुक्म दियाजाये—

फ़रीक़ैन हुक्म सालसी के लिये दरख्वास्त दे सकेंगे

(२) ऐसी हर दरख़्वास्त तहरीरी होगी और वह अम्र जिसको सालसी में सिपुर्द करना मंज़ूरहो उसमें लिखा जायेगा—

दफ़ा ४०७ २-तक़र्रुर सालसका फ़रीक़ैनकी तरफ से बमूजिब उस तरीक़ा के अमल में आयेगा जो बतराज़ी तरफ़ैन क़रार पाये—

तक़र्रुर सालस

दफ़ा ४०८ ३-(१) अदालत बज़रिये हुक्म के वह अम्र मुतनाज़अ मुक़द्दमा सालस को तफवीज करेगी जिसका तस्फ़िया कराना सालस से मक़सूद है और वास्ते सादिर करने फ़ैसला सालसी के एक मीयाद मुक़र्रर करेगी जो उसके नजदीक माक़ूल मुतसव्वरहो और मीयाद मुक़र्ररा हुक्म मज़कूर में लिखी जायेगी—

हुक्म हवालगी

(२) अगर कोई मामिला सालसी में सिपुर्द कियाजाये तो अदालत को लाज़िम है कि उस मामिलाकी निस्बत मुकद्दमा में अमल न करे इल्ला बमूजिब उस तरीक़ाके उस हद्दतक जो ज़मीमे हाज़ा में मज़कूर है—

दफ़ा ४०९ ४-(१) अगर मुक़द्दमा दो या कई सालसों को सिपुर्द हो तो हुक्म सिपुर्दगी में सालसों की इख़्तिलाफ़ रायकी सूरत के लिये तदबीर मुफ़स्सिले ज़ैल कीजायेगी—

[illegible]

(अलिफ) एक सरपंच मुक़र्रर कियाजायगा—या

(बे) यह क़रार दिया जायेगा कि वलिहाज कसरत राय के निज़ामकी तजवीज़हो जबकि सालसोंकी तादाद कसीर इत्तिफ़ाक़ करै—या

(जीम) सालसों को इख़्तियार दिया जायेगा कि वह अपनी तजवीज़ से एक सरपंच मुक़र्रर करैं—

(दाल) और जिस तरहसे कि बतराज़ी तरफैन क़रार पाये या अगर फरीक़ैन राजी न हों तो जिसतरह अदालत तजवीज़ करै—

(२) अगर कोई सरपंच मुक़र्रर किया जाये तो अदालत उस क़दर मीयाद जो मुनासिब मालूमहो उसका फ़ैसला सादिर होनेके लिये मुक़र्रर करेगी बशर्ते कि उससे काम कियाजाये—

५—(१) सूरत हाय मुफस्सिलै ज़ैल में से किसी सूरतमें—यानी— दफ़ा ५१०

बाज़ सूरतों में अदालत सालस मुक़र्रर करसक्तीहै

(अलिफ) अगर फरीक़ैन एक मीयाद मोकूल के अन्दर कोई सालस मुक़र्रर करनेकी निस्बत इत्तिफ़ाक़ न करैं या वह शख़्स जो सालस मुक़र्रर हुआ हो सालसी करने से इन्कार करै—या दफ़ा ५०७ (४

(बे) अगर सालस या सरपंच—

(१) फ़ौतहोजाये—या

(२) सालसी करने से इन्कार करै या सालसी करने में ग़फ़लत करै या लायक़ सालसी करने के न रहे—या

(३) ऐसे हालतमें बृटिश इण्डिया के बाहरजाये जिससे वाजह हो कि वह गालिबन जल्द वापस नहीं आयेगा—या

(जीम) अगर सालसों को बमूजिब हुक्म सालसी के इख़्तियार तक़र्रुर सरपंच का दियागयाहो और वह सरपंच मुक़र्रर न करैं तो मिनजुमला फरीक़ैन के कोई फरीक़ फरीक दीगर या सालसों के पास यानी जैसी सूरतहो इत्तिलानामा तहरीरी वास्ते तक़र्रुर सालस या सरपंच के पहुंचा सक्ताहै— दफ़ा ५११

(२) अगर पूरे ७ रोज के अन्दर बाद पहुंचाने ऐसे इत्तिलानामा के या उस मीयाद जायद के अन्दर जिसकी अदालत हर सूरतमें इजाजतदे कोई सालस या सरपंच यानी जैसी सूरतहो मुक़र्रर

न हो तो अदालत मजाज़ होगी कि वर तवक़ गुज़रने दरख़्वास्त उस फरीक़ के जिसने इत्तिलानामा पहुंचाया हो और बाद इस के कि फरीक़सानी को समाअतका मौक़ा हासिल हुआहो एक सालस या सरपंच मुक़र्रर करै या हुक्म मशअर मंसूखी सालसी सादिर करै और ऐसी सूरत में उसको लाज़िम होगा कि मुक़द्दमा की कार्रवाई जारीकरै—

दफ़ा ५१२ ६—हरसालस या सरपंच जो फ़िक़रह ४ या ५ के बमूजिब मुक़र्ररहो उसे मुक़द्दमा में कारबन्द होनेका इसी तरह इख़्तियार होगा कि गोया उसका नाम हुक्म सिपुर्दगी मुक़द्दमा सालसी में मुन्दर्ज था—

जो सालस या सरपच हस्व फ़िक़रह ४ या ५ मुक़र्रर कियाजाये उसके इख़्तियारात

दफ़ा ५१३ ७-(१) अदालत को लाज़िमहै कि बनाम उन फरीक़ैन और गवाहों के जिनका इज़हार सालस या सरपंच लिया चाहता हो वैसेही हुक्मनामे सादिर करै जैसे कि अदालत अपने इजलासके मुक़द्दमात मुतदायरहमें सादिर करने की मजाज़है—

गवाहों की तलबी और उनकी गैरहाज़िरी

(२) जो अशख़ास कि मुताबिक़ हुक्मनामा मजकूर हाज़िर न हों या उनसे और किसी तरहका क़सूर सरज़द हो या अदाय शहादत से इन्कार करैं या असनाय तहक़ीक़ात मुफ़स्सिलह बसालसी में सालस या सरपंचकी निस्बत गुस्ताख़ी करैं तो वह मुस्तौजिब इस अम्रके होंगे कि ऐसा तावान और तदारुक और सज़ा बहुक्म अदालत बरतवक़ गुज़ारिश सालस या सरपंच के उन पर आयदहो जैसे बहालत फ़ैसल होने मुक़द्दमा के अदालतमें बवजूह उन्हीं क़सूरात के आयद होती—

दफ़ा ५१४ ८—अगर सालसान या सरपंच माबैन मीयाद व मुन्दर्जे हुक्मके तकमील अपने फ़ैसलाकी न करसकैं तो अदालत इस बात की मजाज़ कि वास्ते दाख़िल होने फ़ैसला के अगर मुनासिब समझे मीयाद ज़ायद मरहमतकरै और ख़्वाह क़ब्ल या बाद मुनक़ज़ी होने उस मीयाद के जो वास्ते सदूर फ़ैसला सालसीके मुक़र्रर हुई हो वक़्तन फ़वक़्तन उसको बढ़ाती रहै या हुक्म मशअर मंसूखी सालसी

तौसीअ मीयाद वास्ते सदूर फ़ैसला सालसी

सादिर करे और ऐसी सूरत में लाज़िमहै कि मुक़द्दमा की कार्रवाई शुरूअ़ करे—

९—जब सरपंच मुक़र्रर होचुके तो उसे इख़्तियार होगा कि बजाय सालसों के सूरत हाय मुफ़स्सिलह ज़ैल में मुक़द्दमा को खुद तजवीज़ करे— दफ़ा ५११

किस सूरत में सरपच बजाय सालसों के कार्रवाई कर सकेगा

(अलिफ) अगर उन्हों ने मीयाद मुअय्यना को बिला सदूर फ़ैसला के मुनक़ज़ी होने दियाहो—या

(बे) जब उन्हों ने अदालत या सरपंच को इत्तिला तहरीरी इस अम्रकी दीहो कि बाहम उनके इत्तिफ़ाक़ राय नहीं होसकता है—

१०—जब मुक़द्दमा में फ़ैसला सालसी सादिरहो तो अशख़ास मुजव्विज़ फ़ैसलाको लाज़िमहै कि इसपर दस्तखत करके इसको अदालत में मये किसी इज़हारात और दस्तावेजातके जो उनके रूबरू लीगईहों और साबित हुईहों भेजदें और लाज़िमहै कि इत्तिला दाखिल करने फैसला सालसीके फ़रीक़ैनको दीजाये— दफ़ा ५१६

फ़ैसलासालसी दस्तखत होकर अदालत में दाखिल होगा

११—अगर कोई मुक़द्दमा बहुक्म अदालत सिपुर्द सालसीहो तो सालसों या सरपंच को इख़्तियार होगा कि अदालत की इजाज़त से अपनी तजवीज़ सालसाना निस्बत कुल या जुज़्व उस अम्रके जो सिपुर्द सालसी हुआहो बतौर मुक़द्दमा खास अदालत की रायके वास्ते तहरीर करें और अदालत उसकी निस्बत अपनी राय लिखेगी और वह रायफ़ैसलामें शामिल होकर फ़ैसलाका एक जुज़्व क़रार पायेगी— दफ़ा ५१७

तहरीर बतौर मुक़द्दमा खास मिन्जानिब सालसान या सरपच

१२—अदालत मजाज़है कि बज़रिये हुक्म के सूरत हाय मुसरहे ज़ैल में फैसला सालसी को तरमीम या उसकी इसलाहकरे- दफ़ा ५१८

फ़ैसला सालसी की तरमीम या उसकी इसलाहकरनेका इख़्तियार

(अलिफ़) जब यह मालूमहो कि जुज़्व फ़ैसला सालसी एक ऐसे अम्रकी बाबत है कि सिपुर्द सालसी नहीं कियागया था

और जुज़्व मज़कूर बाक़ी या फ़ैसला से अलहिदा होसक्ता हो और तजवीज़ सालसी पर जो निस्बत अम्र मुफ़व्विज़ा के हो मौसिर न हो—या

(बे) जब कि तरतीब फ़ैसला सालसी की नाक़िस हो या उस में कोई ऐसी ग़लती सरीह पाई जातीहो जिसकी इसलाह तजवीज़ सालसी मज़कूर में मुख़िल होने के बग़ैर मुमकिन हो—या

(जीम) जब फ़ैसला सालसी में कोई ग़लती किताबत हो या कोई ऐसी ग़लती हो जो इत्तिफ़ाक़न हो या फ़रो गुज़ाश्त से हुईहो—

दफ़ा ५१९ १३—नीज़ अदालतको इख़्तियार है कि हुक्म मुनासिब निस्बत ख़र्चा सालसी के सादिर करै बशर्ते कि कोई एतराज़ निस्बत ख़र्चा मज़कूरके पैदा हुआहो और फ़ैसला मज़कूर में ख़र्चे की निस्बत तजवीज़ काफ़ी दर्ज न हुईहो—

हुक्म निस्बत ख़र्चा सालसी

दफ़ा ५२० १४—अदालत मजाज़ होगी कि फ़ैसला सालसीको या किसी अम्र महूला सालसी को वास्ते नज़रसानी के उन्हीं सालसों या सरपंच के पास ऐसी शरायत के साथ जो उसके नज़दीक मुनासिब मुतसव्वर हों वापस करै—यानी

रद फ़ैसला सालसी या अम्र महूला सालसी वापस किया जायगा।

(अलिफ) उस हाल में कि मिन्जुमला अमूर मुफ़व्विज़ा सालसी के कोई अम्र बिला तजवीज़ रहगयाहो या जो अम्र कि सालसी के वास्ते नहीं सिपुर्द कियागया था उस की तजवीज़ हुई हो इल्ला उस हालमें कि अम्र मज़कूर अमूर महूला की तजवीज़ में ख़लल अन्दाज़ होनेके बिदून अलाहिदा किया जासकता हो—

(बे) जिस हाल में कि फ़ैसला सालसी ऐसा मुहमिल हो कि तामील उसकी ना मुमकिन हो—

(जीम) जिस हालमें कि दरमुख़ालिफ़ा फ़ैसला सालसी के कोई एतराज़ निस्बत जवाज़ फ़ैसला मज़कूर के बादिउल नज़र में पायाजाता हो—

दफ़ा ५२१ १५-(१) जो फ़ैसला कि हस्ब फ़िक़रह १४ के वापस कियागया

वजह मंसूखी फ़ैसला सालसी

हो अगर सालस या सरपंच उसपर नज़रसानी न करसके तो वह कलम्अदम होजायेगा लेकिन कोई फ़ैसला सालसी क़ाबिल मंसूखी न होगा बजुज़ किसी वजह के मिन्जु-मला वजूह मुन्दर्जैज़ैल—यानी

(अलिफ़) सालस या सरपंच की रिश्वत सितानी या बदमुआमिलगी—

(बे) किसी फरीक़का इस निहजपर क़सूरवार होना कि जिस अम्रको उसे ज़ाहिर करदेना चाहिये था वह उसने फरेबन् मखफ़ी रक्खा या अमदन पंच या सरपंचको मुगालता या धोखा दियाहो—

(जीम) फ़ैसला सालसी बाद उस हुक्म के कियागयाहो जो कि अदालत ने दरबाब फ़िस्ख सालसी और जारी करने कार्रवाई मुक़द्दमा के सादिर कियाहो या बाद मुनक़ज़ी होने उस मीयाद के कियागया हो जो अदालत की तरफ़ से मुक़र्रर कीगई थी या फ़ैसला सालसी किसी और तरह नाजायज़ हो—

(२)—अगर कोई फ़ैसला सालसी हस्ब ज़िमन (१) बातिल होजाये या मंसूख़ करदिया जाये तो अदालत हुक्म मंसूखी सालसी सादिर करेगी और ऐसी सूरत में मुक़द्दमा की कार्रवाई शुरूअ करेगी—

१६—(१) अगर अदालत के नज़दीक कोई वजह इसकी न पाईजाये दफा ५२२

फ़ैसला अदालत मुताबिक़ फ़ैसला सालसी के होगा

कि फ़ैसला या कोई अम्र मिन् जुमला अमूर मुफ़ब्विज़ा सालसी हस्ब मरक़ूमै बाला नज़रसानी करने के लिये वापस भेजाजाये और कोई दरख़्वास्तवास्तेमंसूखी फ़ैसला सालसी के न गुज़रे या अगर अदालतने दरख्वास्त मज़कूर को नामंज़ूर किया हो तो अदालत को लाज़िम होगा कि जब दरख़्वास्त गुज़रने की मीयाद गुज़र जाये मुताबिक़ फ़ैसला सालसी के फैसला सादिर करे—

(२) बलिहाज फ़ैसला मसदूरह के डिगरी सादिर होगी और ऐसी डिगरी की नाराज़ी से अपील न हो सकेगा बजुज़ उस क़दरके जो उस फ़ैसला में लिखेहुये से ज़्यादा की डिगरी हो या उसके मुताबिक़ न हो—

हुक्म सालसी हस्ब इक़रारनामा सिपुर्दगी

१७—(१) अगर चंद अशख़ास बज़रिये इक़रारनामै तहरीरी के यह दफा ५२३

दरख्वास्त वास्ते अद-ख़ाल इक़रारनामा सालसी अदालत में

बात कबूल करें कि कोई निज़ाअ जो बाहम उनके वाक़े हो वास्ते सालसी के सिपुर्द कीजाये तो फ़रीक़ैन इक़-रारनामा या उनमें से कोई उस अदालत में जिसको निज़ाअ मुन्दर्जे इक़रारनामा की निस्वत इख़्तियार समाअत का हासिल हो दरख़्वास्त मशअर इस बाबके गुज़रान सक्ता है कि इक़रारनामे मज़कूर अदालत में दाख़िल कराया जाये-

(२) दरख़्वास्त तहरीरी होनी चाहिये और उसपर नम्बर सिब्त किया जायेगा और दर सूरते कि दरख़्वास्त फ़रीक़ैन में से सबकी तरफ़ से हो तो मुक़दमा माबैन एक या कई फ़रीक़ अहल ग़रज़ या अहलगरज होनेके दावेदारोंके बतौर मुद्दई या मुद्दइयान और दूसरे एक या कई फरीक बतौर मुद्दआअलेह या मुद्दआअलेहुम् के रजिस्टरमें क़ायम किया जायेगा और अगर दरख़्वास्त जुमला फरीक़ की तरफ से न हो तो बाहम सायल बतौर मुद्दई और दीगर अशख़ास बतौर मुद्दआअलेहुम् के मुक़दमा क़ायमहोगा-

(३) उस दरख़्वास्त के गुज़रने पर अदालत को यह हुक्म देना लाज़िम होगा कि इत्तिलानामा बनाम बाक़ी तमाम फरीक़ हाय इक़रारनामा के जो शरीक़ दरख़्वास्त न हुयेहों मुतज़म्मिन इस बात के जारी कियाजाये कि फरीक़ हाय मज़कूर अन्दर मीयाद मुअय्यना इत्तिलानामा के वजह काफ़ी निस्वत न दाख़िल होने इक़रार नामा के पेश करें—

(४) अगर कोई वजह काफी न पेश की जाये तो अदालत इक़रारनामा अदालत में दाख़िल करने का हुक्म देगी और उस सालस को जो हस्ब शरायत इक़रार नामा मुक़र्रर हुआ हो कार्रवाई सालसी करने का हुक्म देगी या अगर इक़रार नामा में कोई शर्त न हो और फ़रीक़ैन में इत्तिफ़ाक़ न होसके तो एक सालस मुक़र्रर करदेगी-

दफ़ा ११ ऐक्ट ६ सन् १८८६ ई० से मुता- [illegible] [illegible] दर [illegible] [illegible] [illegible]

१८-अगर कोई फ़रीक इक़रार नामा सालसी या कोई ऐसा शख़्स जो बज़रिये उसके दावेदार हो किसी दूसरे फरीक इ-क़रार नामा के नाम या उस शख़्स के नाम जो ब-ज़रिये उसके दावेदार हो किसी ऐसे अम्र की निस्बत

नालिश रुजूअ करै जिसकी सालसी की बाबत फरीकैन में इक़रार हो तो किसी फ़रीक नालिश मज़कूर को इख़्तियार है कि जिस क़दर जल्द मुमकिन हो और बहरहाल बरवक़्त या क़ब्ल करारदाद अमूर तनक़ीहतलब के इलतुवाय मुक़द्दमा की अदालत में दरख़्वास्त दे और अगर अदालत का इतमीनान होजाये कि हस्ब इक़रारनामा सालसी उस अम्रके सालसीन होने की वजह काफी नहीं है और यह कि दरख़्वास्त कुनिन्दा बरवक़्त इरजाअ नालिश कुल अमूर ज़रूरी मुतअल्लिक़ कार्रवाई सालसी के करने पर आमादह और राज़ी था और हिनोज़ है तो अदालत हुक्म इलतुवाय मुक़द्दमा सादिर करसक्ती है—

१९—अहकाम मुन्दर्जै बाला जहांतक कि वह किसी इक़रार नामा दाखिल शुदह हस्ब फ़िक़रह १७ के खिलाफ न हों कुल कार्रवाई से जो बमूजिब हुक्म मसदरह अदालत मशअर तफवीज़ सालसी हस्ब फ़िक़रह मज़कूर अमल में आई हो और फैसला सालसी से और उस डिगरी के इजरा से जो उसके बमूजिब सादिरहुई हो मुतअल्लिक़होंगे— दफ़ा ५२२

अहकाम मुतअल्लिक़ कार्रवाई फ़िक़रह १७

सालसी बिलातवस्सित अदालत

२०—(१) जब कोई अम्र बिला तवस्सित किसी अदालत के सिपुर्द सालसी हुआहो और उसकी बाबत फैसला सालसी होगया हो तो हरशख़्स जो फ़ैसला से इलाक़ा रखता हो मजाज़है कि किसी ऐसी अदालतमें जिसे शै मुतनाज़िआ फैसला सालसी की समाअतका इख़्तियार हासिल हो इस अम्र की दरख्वास्त गुज़राने कि फैसला सालसी दाखिल अदालत किया जाये— दफ़ा ५२५

अदख़ाल फैसला सालसी जो बिलातवस्सित अदालत के हुआहो

(२) दरख़्वास्त तहरीरी होनी चाहिये और दाखिल नम्बर और रजिस्टर होकर बमंज़िलै एक मुक़द्दमा के तसव्वर की जायेगी जिसमें सायल बतौर मुद्दई होगा और दीगर अशख़ास बतौर मुद्दआअलेहुम्—

(३) अदालत हुक्म सादिर करेगी कि इत्तिलानामा बनाम उन अशख़ास के जिन्हों ने सालसी करार्इ हो और शरीक दरख़्वास्त

न हों मुतज़म्मिन इसबात के जारी हो कि अशख़ास मज़कूर अन्दर मीयाद मुअय्यना के वजह काफ़ी वास्ते न दाख़िल होने फ़ैसला सालसी के पेश करें—

दफ़ा ५२६ २१—(१) अगर अदालत को इसबात का इतमीनान होजाये कि अम्र मुतनाज़आ सिपुर्द सालसी किया गया और उसकी निस्बत फ़ैसला सादिर हुआ और अगर कोई ऐसी वजह जिसका ज़िक्र फ़िक़रह १४ या फ़िक़रह १५ में है साबित न की जाये तो अदालत फ़ैसला मज़कूर दाख़िल करने का हुक्म देगी और फ़ैसलै सालसी के मुताबिक़ अपना फ़ैसला सादिर करेगी—

अदख़ाल और निफ़ाज़ फ़ैसला मज़कूर

(२) बलिहाज़ फ़ैसला मसदरह के डिगरी सादिर होगी और ऐसी डिगरी की नाराज़ी से अपील न होसकेगा बजुज़ उस क़दर के जो उस फ़ैसला में लिखे हुये से ज़्यादह की डिगरी हो या उसके मुताबिक़ न हो—

नम्बर १ सन् १८७७ ई० दफ़ा३ ऐक्ट ६ सन् १८६६ई० २२—ऐक्ट दादरसी ख़ास सन् १८७७ ई० की दफ़ा २१ के अख़ीर के ३७—अलफ़ाज यानी "लेकिन अगर वह शख़्स जिसने सालसी कराने का अहद किया हो और फिर उसकी तामील से इन्कार किया हो किसी ऐसे अम्र की बाबत नालिश करै जिसकी सालसी कराने का उसने मुआहिदा किया हो तो ऐसे मुआहिदा का मौजूदहोना नालिश का मानअहोगा" किसी ऐसे इक़रारनामै सालसी या फ़ैसला सालसी से मुतअल्लिक़ न होगी कि जिससे अहकाम ज़मीमाहाजा मुतअल्लिक़ हों—

ऐक्ट दादरसी ख़ासकी कुछ इबारत का ख़ारिज होना

(जदीद) २३—नमूना जात इपनडिक्स वास्ते अगराज़ मुन्दर्जे इपनडिक्स के मुस्तअमल किये जायेंगे और उनमें हस्ब ज़रूरत तग़य्युर किया जायेगा—

नमून जात
इपनडिक्स
नंबर १
दरख़्वास्त निस्बत हुक्म सिपुर्दगी सालसी
(उनवान)

१—नालिश हाज़ा मान्ने (यहां मौज़ूअ दावा लिखना चाहिये)

२—अम्र मुतनाज़आ माबैन फरीक़ैन के यह है (यहां अम्र मुतनाज़आ लिखना चाहिये)

३—जुमला फरीक़ैन ज़ीगरज़ यानी दरख़्वास्त कुनिन्दगान ने बाहम यह इक़रार किया है कि अम्र मुतनाज़आ सिपुर्द सालसी किया जाये—

४—सायलान हुक्म सालसी के मुस्तदई हैं—

दस्तख़त (अलिफ बे)
(जीम दाल)

मरक़ूमै तारीख़—

नोट—अगर फरीक़ैन सालसों की निस्बत इत्तिफाक़ करैं तो यहभी लिखना चाहिये)

नम्बर २
हुक्म सिपुर्दगी सालसी
(उनवान मुक़द्दमा)

बाद मुलाहिज़ा दरख़्वास्त जो बतारीख़—पेश हुई यह हुक्म दिया जाता है कि मुक़द्दमाहाज़ा में अम्र मुतनाज़िआ यानी—वास्ते तजवीज़ के (अलिफ बे) और (जीम दाल) के हवाले कियाजाये या बसूरत अदम इत्तिफ़ाक़राय (हे वाव) के हवाले किया जाये जो बज़रिये इस के सरपंच मुक़र्रर कियाजाताहै और सालसान मज़कूर बतारीख़—या उसके क़ब्ल फैसला सादिर करैं और दरसूरत अदम इत्तिफाक़ राय निस्बत फ़ैसला सालसी सरपंच मज़कूर अपना फैसला क़लमबन्द करै अन्दर माह सन् ई० बाद मुनक़ज़ी होने उस मीयाद के जिसके अन्दर फैसला करना सालसों के इख़्तियार में था—

इस्तजाज़त दरख़्वास्त—

बसिब्त दस्तख़त और मुहर अदालत के आज तारीख़ माह सन् को जारी कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर ३
हुक्म निस्बत तक़र्रुर सालस जदीद
(उनवान मुक़द्दमा)

(यहां हुक्म सालसी और साल...

... मुक़र्ररकर्दा हस्ब मुन्दर्जे ...

की वफ़ात या इन्कार वग़ैरह लिखना चाहिये) लिहाज़ा बतराज़ी तरफ़ैन यह हुक्मदिया जाताहै कि अज़रूय हुक्म मज़कूर (जे हे) बजाय (अलिफ़ बे) मुतवफ़्फ़ी के या जैसी सूरत हो वशमूल (जीम दाल) सालसबाक़ीमांदा के कार्रवाई करने के लिये मुक़र्रर कियाजाये और नीज़ यह हुक्म दियाजाताहै कि सालसान मज़कूर बतारीख़ या इसके क़ब्ल फ़ैसला सादिर करैं—

बसिब्त दस्तख़त और मुहर अदालत के आज तारीख़ माह सन् को जारी कियागया—

दस्तख़त जज

नम्बर ४

सूरत ख़ास

(उनवान मुक़द्दमा)

बमुक़ाबिला निज़ाअ दरमियान (अलिफ़ बे) साकिन और (जीम दाल) साकिन सूरत मुफ़स्सिला ज़ैल वास्ते राय अदालत के पेश कीजाती है—

(यहां मुख़्तसिर तौर पर वाक़ियात मामिला नम्बरवार दफ़ात में लिखना चाहिये)

सायल क़ानूनी जिनकी निस्बत अदालत मज़कूरकीरायतलब की जाती है यह हैं ॥

पहले यह कि ————————————

दूसरे यह कि ————————————

मुवर्रिख़ै दस्तख़त (स्वाद)

नम्बर ५

फ़ैसला सालसी

(उनवान मुक़द्दमा)

बमामिला निज़ाअ दरमियान (अलिफ़ बे) साकिन और (जीमदाल) साकिन चूंकि बज़रिये हुक्म मिंजुम्ला सालसी मज़कूर

तारीख़　माह　सन्　व मसदरह अदालत—मरक़ूमुल् जैल अम्र निज़ाई माबैन (अलिफ़ बे) और (जीम दाल) यानी-वग़रज़ तजवीज़ हमलोगों के सिपुर्द कियागया—

लिहाज़ा हम मामिलात मज़कूर पर खूब ग़ौर करके हस्ब जैल फैसला करते हैं—

(१) यह कि ————————

(२) यह कि ————————

मुवर्रिखे ———————— दस्तख़त (तो ये
(हे वाव)

ज़मीमा सोम

इजराय डिगरी मार्फ़त कलक्टर

१—जब किसी डिगरी का इजराय हस्ब दफ़ा ६८ मुन्तक़िल कियाजाये दफ़ा ३२१ तो साहब कलक्टर को इख़्तियार है कि—कलक्टर के इख़्तियारात—

(अलिफ़) उसीतरह अमल करै जिसतरह अदालत अमल करती अगर जायदाद ग़ैरमन्क़ूला का नीलाम मुल्तवी कियाजाये ताकि मदयून ज़र डिगरी का इन्तिज़ाम करसकै-या

(बे) कुल या जुज़्व जायदाद मुश्तहरा नीलाम को बाद अखज़ उजरत के पट्टा इस्तमरारी या मीयादी पर देकर या उसको रेहन करके ज़र डिगरी का इन्तिज़ाम करै या-

(जीम) जायदाद वरसरे नीलाम को या जुज़्व उसका जिसक़दर ज़रूर हो वै करे—

२—जब इजराय किसी डिगरी का मुन्तक़िल कियाजाये जिसमें हुक्म दफ़ा ३२२

कलक्टर की कार्रवाई ख़ास सूरतों में

नीलाम जायदाद ग़ैर मन्क़ूला का मुवाफ़िक़ एक मआहिदा के जिसका असर ख़ास उसी जायदाद पर पहुंचता हो न दिया गया हो बल्कि वह डिगरी ज़र नक़्द की हो जिसके ईफ़ाय के लिये अदालत ने हुक्म नीलाम जायदाद ग़ैर मन्क़ूला का दिया हो तो साहब कलक्टर को इख़्तियार है कि अगर बाद उसक़दर तहक़ीक़ात के जो ज़रूरी मालूम हो उसको वजह इस गुमान की पाईजाये

कि तमाम दयून जिम्मगी मदयून विला नीलाम उसकी तमाम जायदाद ग़ैर मन्कूला मुतहसिला के बेबाक हो सकते हैं तो हस्ब तरीक़ मज़कूरे आयन्दा अमल करे—

दफा ३२२ (अलिफ)

नोटिस बनाम डिगरीदार और दीगर अशख़ास के जो जायदाद पर कुछ दावा रखते हों

३-(१) सूरत मुतज़क्किरह फ़िक़रह २—में साहब कलक्टर को चाहिये कि क़ितअ नोटिस कि जिसकी तामील के लिये अर्सा ६० रोज़का तारीख़ मुश्तहरीसे दिया जायेगा इस हुक्म के साथ मुश्तहर करे—

(अलिफ) कि हरशख़्स जो मदयून डिगरी के नाम ऐसी डिगरी ज़र नक़्दकी रखता हो जिसके इजराय में जायदाद ग़ैर मन्कूला नीलाम होसकती हो और जिसको डिगरीदार ख़ुद उस तौरपर जारी कराना चाहताहो और नीज़ हरशख़्स क़ाबिज़ ऐसी डिगरी जर नक़्दका जिसके वसूल के लिये कार्रवाई नीलाम जायदाद मज़कूरकी दायरहो एक नक़ल डिगरीकी और सार्टीफ़िकट उस अदालतका जिसने डिगरी सादिरकीहो या जो उसकी तामील में मसरूफ़हो साहब कलक्टर के रूबरू हाजिर करे जिसमें यह लिखाहो कि डिगरीकी रूसे किस क़दर रुपया वाजिबुल अदाहै—

(बे) और यह कि हरशख़्स जो जायदाद मज़कूर पर कुछ दावा रखताहै अपने दावाका हाल लिखकर साहब कलक्टरके पास दाख़िल और उसके सबूतकी दस्तावेज़ात अगर कुछ मौजूदहों पेशकरे—

(२) ऐसा इश्तहार उस अदालतके मकान के किसी नज़रगाह आम पर आवेज़ां किया जायेगा जिसने असल हुक्म नीलाम का सादिर कियाहो और ऐसे मुक़ामातपर (अगर कोईहों) चस्पां किया जायेगा जो साहब कलक्टर को मुनासिब मालूम हों और जब निशान और पता किसी डिगरीदार या दावेदार का मालूमहो तो इश्तहार की नक़ल उसके पास बज़रीये डाक या और तौरपर भेजी जायेगी—

दफा ३२२ (बे)

४-(१) बाद इन्क़िज़ाय मीयाद मुन्दर्जा इश्तहार साहब कलक्टर

तादाद डिगरीजरनक्द और उसके ईफ़ायके लिये जायदाद गैरमंनकूला मौजूदह दरियाफ्त कीजायेगी

एक तारीख मुक़र्रर करेगा वास्ते समाअत जुमला उज़रात के जो मदयून डिगरी या ऐसी डिगरी या ऐसे डिगरीदार ख़्वाह दावेदार लोग (अगर कोईहों) पेश करना चाहियें और नीज़ वास्ते अमल में लाने ऐसी तहक़ीक़ात के जो वास्ते दरियाफ़्त नौय्यत और तादाद ऐसी डिगरियात और दआवी और नौय्यत व तादाद जायदाद गैरमन्कूला ममलूका मदयून के साहब मौसूफ़ को ज़रूरी मालूमहो और वह मजाज़ होगा कि ऐसी समाअत और तहक़ीक़ात को वक़्तन फवक़्तन मुल्तवी करता रहे—

(२) अगर निस्वत असलियत या मिक़दार उस ज़िम्मेदारीकी जो उन डिगरियात और मतालिबाजात की रूसे मदयून डिगरी से लाहक़हो जिनकी इत्तिला साहब कलक्टर को होगईहो या निस्वत तक़दीम व ताख़ीर उन डिगरियात या मतालिबजात के या निस्वत माखूज़ी व मकफूली जायदाद मज़कूर जिहत अदाय डिगरियात व मतालिबाजात मज़कूर किसी तरहकी निज़ाअहो तो साहब कलक्टर एक कैफियत तय्यार करेगा इस तफ़सील के साथ कि ऐसी डिगरियात के पटाने के लिये किस क़दर रुपया वसूल किया जायेगा और हर एक डिगरी और मतालिबा किस तरतीब से बेबाक़ किया जायेगा और इस मक़सद के लिये किस क़दर जायदाद गैर मनकूला क़ाबिल हसूलहै—

(३) अगर अमूर मुतज़क्किरह सदरकी बाबत कोई निज़ाअ बरपाहो तो साहब कलक्टर निज़ाअ मज़कूर को मये हालात निज़ाअ और अपनी रायके उस अदालतमें मुरसिल करेगा जिसने असल हुक्म नीलाम सादिर कियाहो और अम्र निज़ाई की बाबत जो कार्रवाई होती रहीहो उसको ता आने जवाब के मुल्तवी रक्खेगा अगर अम्र निज़ाई उस अदालत की समाअत के लायक़हो तो वह अम्र मज़कूर को तै करदेगी व इल्ला मुक़दमा को किसी अदालत मजाज़ समाअत में मुरसिल करेगी और जो फ़ैसला अख़ीर उसकी निस्वत क़रार पाये उसकी इत्तिला साहब कलक्टर को दीजायेगी उसपर साहबकलक्टर वह कैफियत जो ऊपर मज़कूर होचुकी है उस फ़ैसला के मुताबिक तयार करेगा—

दफ़ा ३२२ (जीम) कब अदालत ज़िला नोटिस जारी और तहक़ीक़ात करसक्ती है

५—साहबकलक्टर को इख़्तियार है कि इश्तहारात और तहक़ीक़ात मुतज़क्किरह फ़िक़रह जात ३ व ४ ख़ुद अपनी ज़ातसे इश्तहार करने और अमल में लाने के बदले एक बयान तहरीर करे जिस में हाल मदयून डिगरी और उसकी जायदाद ग़ैरमन्क़ूला का जहांतक साहबकलक्टर को उसका इल्महो या जिस क़दर काग़जात सरिश्तह से वाजहहो सराहत के साथ लिखा जायेगा और बयान मज़कूर को अदालत ज़िला में भेजदेगा उस पर अदालत ज़िला वह इश्तहारात सादिर करेगी और वह तहक़ीक़ात अमल में लायेगी और वह कैफ़ियत लिखेगी जो फ़िक़रह जात ३ व ४ में महकूम है और कैफ़ियत मज़कूर को साहबकलक्टर के पास भेजदेगी—

दफ़ा ३२ (दाल) असर तजवीज़ अदालत निस्बत निज़ाअ के

६—फ़ैसला अदालतका निस्बत उस निज़ाअके जो हस्ब फ़िक़रह ४ या ५ के बरपाहो जहांतक उसको फ़रीक़ैन मुक़द्दमासे तअल्लुक़हो वही असर रक्खेगा और उसी तरह क़ाबिल अपील होगा जिस तरह डिगरी मौसर और क़ाबिल अपील होतीहै—

दफ़ा ३२३ तदबीर वास्ते अदाय डिगरी ज़र नक़द के

७—(१) जब तादाद ज़र जिसका वसूल करना ज़रूरहै और मिक़दार जायदाद क़ाबिल हसूल हस्ब फ़िक़रह ४ या ५ के मुनक़्क़ह होजाये तो साहबकलक्टर को इख़्तियार होगाकि—

(अलिफ़) अगर साहब मौसूफ़ की दानिस्त में तादाद मतलूबा बिला नीलाम कुल जायदाद क़ाबिल हसूल के वसूल करनी ग़ैरमुमकिनहो तो जायदाद मज़कूर को नीलाम करदे या (बे) अगर मालूमहो कि तादाद मतलूबा मयेसूद मुन्दर्जे डिगरी (अगर सूदकी डिगरी हुईहो) और जब सूद की डिगरी न हुईहो मयेसूद (अगर कुछहो) इस शरहके मुताबिक़ जो मशार अलेह को दिलाना मुनासिब मालूमहो बिला नीलाम के वसूल करनी मुमकिन है तो तादाद मतलूबा सूद (बावस्फ़ हुक्म अमल नीलाम के) फ़राहिम करे इस तौरपर—यानी—

(१) बज़रिये देने पट्टा कुल या जुज़्व जायदाद मज़कूरके बराय इजारा या किसी मीयाद के लिये व अदाय ज़र पेशगीबाद—

(२) बज़रिये रेहन कुल या जुज़्व जायदाद मज़कूर बबाद—

(३) बज़रिये बै जुज़्व जायदाद मज़कूरके बबाद—

(४) बजरिये देने ठेका या खुद अपने इहतिमाम या दूसरे की सरबराहकारी में रखने कुल या जुज़्व जायदाद मज़कूर किसी मीयाद के लिये जो तारीख हुक्म नीलाम से २० बरस से ज़्यादा अर्सा के लिये न हो ख्वाह–

(५) बजरिये एक तरीक़ा और बजरिये दूसरे तरीक़ों को अमल में लाने से—

(२) वास्ते हुस्न इन्तिजाम कुल या जुज़्व जायदाद मज़कूरके साहब कलक्टर मजाज़होगा कि तमाम इख़्तियारात उसके मालिक के नाफ़िज़ करै—

(३) बगरज़ अफ़ज़ूनी क़ीमत बाज़ारी जायदाद क़ाबिल हसूल या उसके किसी जुज़्व के या इस मक़सूद से कि वह जायदाद ज़्यादातर ठेकापर देने या इन्तिज़ाम खास में रखने के होजाये या उसको किसी मवाखिज़हकी बेबाक़ी के लिये नीलाम के सदमासे बचाने के लिये साहबकलक्टर को इख़्तियार रहेगा कि किसी मवाखिज़हदार के देन को जो वाजिबुल अदा होगया हो बेबाक करदे या किसी मवाखिज़हदार के मतालिबका मसालहा आम इससे कि वह वाजिबुल अख्ज़ होगया हो या नहीं करदे और बगरज़ फ़राहिमी ऐसे सरमाया के जिसकी मदद से ऐसी बेबाक़ी या मसालहा होसके उस क़दर जुज़्व जायदाद कोजो उसके नज़दीक मिक़दार में काफ़ीहो रेहन करै या ठेका पर दे या बै करै और अगर कोई निज़ाअ निस्बत तादाद उस मवाखिज़ा के बरपाहो जिसका तै करना साहबकलक्टर को इस फ़िक़रह के बमूजिब मंज़ूरहो तो साहब मौसूफ़को इख़्तियार है कि खुद अपने या मदयून डिगरी के नाम से नालिश वास्ते लिये जाने हिसाब मतालिबाके अदालत मुनासिब में रुजूअ करै या इस बातपर राजीहो कि अम्र निज़ाई दो शख़्स सालसको जिनमें एक सालस एक फ़रीक़ और दूसरा सालस दूसरे फ़रीक़ की तजवीज़से मुक़र्रर होगा या ऐसे सरपंचको जिसको दोनों सालस नामजद करें फ़ैसलाके लिये नामज़द कियाजाये–

(४) दरवक़्त कार्रवाई मुताबिक़ फ़िक़रह हाजा साहब कलक्टर को

लाज़िम है कि वइतवाअ उन क़वाअद के कार बन्द हो जो इस ऐक्ट के मुनासिब और वक़्तन फ़वक़्तन लोकल गवर्नमेण्ट की तजवीज़ से मुरत्तिब हों—

दफ़ा ३२४
वसूलयाबी ज़र बाक़ी बाद पट्टा या सर व राह कारी

८—अगर पट्टा या सरबराह कारी मुतज़ाकिरह फ़िक़रह ७ के ख़तम होने पर तादाद वसूल तलब वसूल न होजाये तो साहब कलक्टर उस अम्र की इत्तिला मदयून डिगरी या उसके क़ायम मुक़ाम हक़ीयत को तहरीरन देगा और उसमें यह ज़ाहिर करेगा कि अगर बाक़ी रुपया जो वास्ते बेबाक़ी मतालिबाजात मज़कूर के दरकार हो इत्तिलानामा की तारीख़ से छः हफ़्ता के अन्दर कलक्टर के पास अदा न कियाजाये तो साहब कलक्टर जायदाद मज़कूर को कुल्लन् या उसका जुज़्व काफी नीलम करेगा और अगर छः हफ़्ता मज़कूर के गुज़रने पर वह ज़र बाक़ी अदा न कियाजाये तो साहब कलक्टर जायदाद मज़कूर या उसके जुज़्व को नीलाम करेगा—

दफ़ा ३२४ (अलिफ़)
कलक्टर अदालत में हिसाब पेश करेगा

९—(१) साहब कलक्टर को लाज़िम है कि वक़्तन फ़वक़्तन उस अदालत में जहां से असल हुक्म नीलाम सादिर हुआ हो हिसाब तमाम मुबलिग़ का जो उसके क़ब्ज़ा में आये हों और तमाम मसारिफ़ का जो उन इख़्तियारात और ख़िदमातकी तामील में उसके ज़िम्मे आयद हुये हों जो इस ज़मीमा की शरायत के मुताबिक़ उसको मुफ़व्विज़ हुई हैं दाख़िल करे और जो तादाद बाक़ी रहे उसको तासदूर हुक्म अदालत अपने पास रक्खे—

(२) मसारिफ़ मज़कूर में तमाम ज़रहाय क़र्ज़ा और दयून जो बाबत जायदाद मज़कूर या उसके किसी जुज़्व के सर्कार को वक़्तन फ़वक़्तन वाजिबुलअदा हों और ज़र लगान (अगर कुछ हो) जो ऐसी जायदाद या जुज़्व की बाबत वक़्तन फ़वक़्तन किसी मालिक आला को देनी हो और नीज़ ख़र्च तलबी गवाहान (अगर साहब कलक्टर ऐसी हिदायत करे) शामिल होगा—

(३) तादाद बाक़ी अदालत की मारफ़त उमूर मुफ़स्सिलै ज़ैल में सर्फ़ की जायेगी—

(अलिफ़) मदयून डिगरी के ख़ानदान में से उन लोगों को (अगर कुछ हों) नान व नफ़क़ा देने में जो जायदाद की आमदनी

परवरिश पाने के मुस्तहक़ हैं और हर अहल खान्दान के लिये उस मिक़दारतक जो अदालत को मुनासिब मालूम हो और—

(बे) जब साहब कलक्टर की कार्रवाई मुताबिक़ फ़िक़रह १ के हुई हो उस असल डिगरी की बेबाक़ी में जिसके इजराय के लिये अदालत ने हुक्म नीलाम जायदाद ग़ैर मन्क़ूला का सादिर किया हो और तरह पर सर्फ़ कीजाये जिसे अदालत हस्बुलहुक्म दफ़ा ७३ हिदायत करे या—

(जीम) जब साहब कलक्टर की कार्रवाई फ़िक़रह २ के मुताबिक़ हुई हो—

(१) उन मवाख़िज़ों के सूद की मिक़दार घटाने में जिनमें जायदाद माख़ूज़ हो और—

(२) (जब मदयून डिगरी के पास कोई और ज़रिया काफ़ी परवरिश का न हो) उसको उस तादाद तक नान व नफ़क़ा देने में जो अदालत को मुनासिब मालूम हो और—

(३) नीज़ बाक़ी मज़कूर को उस असल डिगरीदार और दूसरे डिगरीदारों के दरमियान बतौर रसदी तक़सीम करने में जिन्हों ने नोटिस यानी इत्तिला नामा की तामील की हो और जिनके मतालिबा जात उस मुतालिबा मजमूई में शामिल हुये थे जिसके वसूल करने के लिये हुक्म हुआ था—

(४) कोई और शख़्स क़ाबिज़ डिगरी ज़र नक़्द का उस वक़्ततक ऐसी जायदाद की आमदनी या उसकी बाक़ी से रुपया पाने का मुस्तहक़ न होगा तावक़्ते कि उन डिगरीदारों का मतालिबा जिन्हों ने हुक्म मज़कूर हासिल किया हो बेबाक़ न होजाये और ज़र फ़ाज़िल (अगर कुछ हो) मदयून डिगरी या किसी और शख़्स को (अगर कोई हो) जिसकी बाबत अदालत हिदायत करे हवाले कियाजायेगा—

१०—जब साहब कलक्टर कोई जायदाद इस ज़मीमा के बमूजिब नीलाम करे उसको चाहिये कि जायदाद को एक या चंद लाट करके जैसा मुनासिब समझे नीलाम आम पर चढ़ाये और इख़्तियार है कि— दफ़ा ३२५

नीलाम किसतरह होगा

(अलिफ) हर लाटके लिये एक मुनासिब तादाद अक़ल क़ीमत की मुक़र्रर करदे—

(बे) एक मीयाद माकूल के लिये नीलामको ऐसी हरसूरत में मुलतवी करदे जब उसका मुलतवी करना इस ग़रज़से ज़रूर मालूमहो कि जायदादके यवज़ क़ीमत माकूल हासिलहो और उस को लाज़िमहै कि इलतुवायकी वजूह क़लमबंद करे—

(जीम) जायदाद को जब नीलाम पर चढ़े खुद खरीद करले और उसको बज़रिये नीलाम आम या अहद व पैमान खानगी के जैसा मुनासिब समझै फिर-फरोख़्तकरे—

दफ़ा ३२५ (अलिफ) क़युद निस्बतइन्तिक़ाल मिनजानिब मदयून या उसके क़ायम मुक़ाम के और डिगरीदार की चारहजोई

११-(१) जबतक कि साहबकलक्टर को निस्बत जायदाद ग़ैर मन्क़ूला मदयून डिगरी या किसी जुज़्व जायदाद के मन्सब नाफ़िज़ करने या अमल में लाने उन इख़्तियारात या खिद्मातका जो फ़िक़रह जात १— लगायत १० की रूसे उसको मुफ़व्विज़ या उसके ज़िम्मे वाजिबुल तामील कीगई हों हासिल रहैं तबतक मदयून डिगरी या उसके क़ायम मुक़ाम हक़ीयत को किसी तरह इख़्तियार न होगा कि जायदाद मज़कूर या कोई जुज़्व उसका मरहून या किसी देन में माखूज़ करे या पट्टा पर दे या मुन्तक़िल करे इल्ला बहसूल इजाज़त तहरीरी साहबकलक्टर के और न किसी अदालत दीवानीको बइल्लत इजराय डिगरी ज़रनक़्द के ऐसी जायदाद या उसके जुज़्व पर कोई हुक्मनामा जारी करनेका इख़्तियार होगा—

(२) अर्सा मज़कूर में किसी अदालत दीवानी को मन्सब न होगा कि बइल्लत इजराय किसी डिगरी के जिसकी बेबाक़ी के लिये साहबकलक्टर ने फ़िक़रह ७ के बमूजिब बन्दोबस्त कियाहो मदयून डिगरी की जान या उसकी जायदाद पर कोई हुक्मनामा जारी करे—

(३) बग़रज़ महसूबी मीयाद समाअत मुतअल्लिक़ा इजराय ऐसी डिगरी के जिसपर इस क़ायदा के अहकाम का कुछ असर पहुंचे निस्बत किसी चारहजोई के जिससे डिगरीदार बवजह नालिश मज़कूर चंदरोज़ महरूम रक्खा गयाहो अर्सा मज़कूर हिसाबमें शामिल रक्खा जायेगा—

१२–जब वह जायदाद जिसके नीलामहोनेका हुक्म हुआहो एक जिलासे ज़्यादा जिलों में वाक़े हो तो वह इख़्तिदारात और ख़िदमात जो हस्ब अहकाम फ़िक़रह जात १–लगायत १० साहबकलक्टर को मुफ़व्विज़ और उसके ज़िम्मे वाजिबुल तामील कीगई हैं वक़्तन फ़वक़्तन इज़लाअ मज़कूरके कलक्टरों में से इस कलक्टर की मार्फ़त नाफ़िज़ होंगी और तामील पायेंगी जिसको लोकल गवर्नमेण्ट बज़रिये किसी क़ायदे आम या हुक्म ख़ास के मुक़र्रर करे– दफ़ा ३२५ (बे)

हुक्म अगर जायदाद कई जिलों मे हो

१३–बवक़्त निफ़ाज़ उन इख़्तिदारात के जो हस्ब फ़िक़रह जात १–लगायत १० कलक्टर को दिये गयेहैं कलक्टर मौसूफ़ को बग़रज़ जबरन हाज़िर कराने फ़रीक़ैन मुक़दमा और गवाहों और पेश कराने दस्तावेजात के वही इख़्तियारात हासिलहोंगे जो अदालत दीवानी को हासिलहैं– दफ़ा ३२५ (जीम)

इख़्तियार कलक्टर निस्बत जबरन हाज़िरी और पेशी दस्तावेजात

ज़मीमा चहारुम
(देखोदफ़ा १५५)
ऐक्ट हाय तरमीम शुदह

१	२	३	४
सन्	नम्बर	मुख़्तसिरनाम	तरमीम
सन् १८७०	७	ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई०	ज़मीमा अव्वलके मद नम्बर १ में बाद लफ़्ज़ " अर्ज़ीदावा " के अलफ़ाज़ " यादयान तहरीरी जिसमें कि मुजरा या दावा मुक़ाबिल याददास्त अपील या उज़र मुक़ाबिल का ज़िक्रहो " दाख़िल होंगे– ज़मीमा दोमके मद नम्बर ११ में से अलफ़ाज़ " बनाराज़ी किसी हुक्म मशअ्र नामज़ूरी अर्ज़ीदावा " निकाल दिये जायेंगे– बजाय इबारत मुन्दर्जे ख़ाना अव्वल ज़मीमा दोम मुतअल्लिक़ मद नम्बर १६ के इबारत ज़ैल पढ़ना चाहिये " इक़रारनामा तहरीरी जिसमें कोई अम्र वास्ते लेने राय अदालत के हस्ब मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी बयान कियाजाये"–

(अलिफ) हर लाटके लिये एक मुनासिब तादाद अक़ल क़ीमत की मुक़र्रर करदे—

(बे) एक मीयाद माकूल के लिये नीलामको ऐसी हरसूरत में मुलतवी करदे जब उसका मुलतवी करना इस गरज़से ज़रूर मालूमहो कि जायदादके यवज़ क़ीमत माकूल हासिलहो और उस को लाज़िमहै कि इलतुवायकी वजूह क़लमबंद करे—

(जीम) जायदाद को जब नीलाम पर चढे खुद खरीद करले और उसको बज़रिये नीलाम आम या अहद व पैमान खानगी के जैसा मुनासिब समझै फिर फरोख़्तकरे—

दफ़ा ३२५ (अलिफ)

क़यूद निस्बतइन्तिक़ाल मिनजानिब मदयून या उसके क़ायम मुक़ाम के और डिगरीदार की चारहजोई

११-(१) जबतक कि साहबकलक्टर को निस्बत जायदाद गैर मन्क़ूला मदयून डिगरी या किसी जुज़्व जायदाद के मन्सब नाफ़िज करने या अमल में लाने उन इख़्तियारात या खिदमातका जो फ़िक़रह जात १— लगायत १० की रूसे उसको मुफ़व्विज़ या उसके ज़िम्मे वाजिबुल तामील कीगईहों हासिल रहै तबतक मदयून डिगरी या उसके क़ायम मुक़ाम हक़ीयत को किसी तरह इख़्तियार न होगा कि जायदाद मज़कूर या कोई जुज़्व उसका मरहून या किसी देन में माख़ूज़ करै या पट्टा पर दे या मुन्तक़िल करै इल्ला बहसूल इजाज़त तहरीरी साहबकलक्टर के और न किसी अदालत दीवानीको बइल्लत इजराय डिगरी ज़रनक़द के ऐसी जायदाद या उसके जुज़्व पर कोई हुक्मनामा जारी करनेका इख़्तियार होगा—

(२) अर्सा मज़कूर में किसी अदालत दीवानी को मन्सब न होगा कि बइल्लत इजराय किसी डिगरी के जिसकी बेबाक़ी के लिये साहबकलक्टर ने फ़िक़रह ७ के बमूजिब बन्दोबस्त कियाहो मदयून डिगरी की जान या उसकी जायदाद पर कोई हुक्मनामा जारी करै—

(३) बक़्त मुहलती मीयाद समाअत मुक़द्दमेका इजराय ऐसी डिगरी के जिसपर इस क़ायदा के अहकाम का कुछ असर पहुंचै निस्बत किसी चारहजोई के जिसमें डिगरीदार बवजह तासीर मज़कूर चंदरोज़ महरूम रक्खा गयाहो अर्सा मज़कूर हिसाबमें शामिल न किया जायगा—

१२—जब वह जायदाद जिसके नीलामहोनेका हुक्म हुआहो एक ज़िलअ से ज़्यादा जिलों में वाकै हो तो वह इख़्तिदारात और खिदमात जो हस्ब अहकाम फ़िक़रह जात १—लग़ायत १० साहबकलक्टर को मुफ़व्विज़ और उसके जिम्मे वाजिबुल तामील कीगई हैं वक़्तन फ़वक़्तन इज़लाअ मज़कूरके कलक्टरों में से इस कलक्टर की मार्फ़त नाफ़िज़ होंगी और तामील पायेंगी जिसको लोकल गवर्नमेण्ट बज़रिये किसी क़ायदे आम या हुक्म खास के मुक़र्रर करे— दफ़ा ३२५ (बे)

हुक्म अगर जायदाद कई जिलों मे हो

१३—बवक़्त निफ़ाज उन इख़्तिदारात के जो हस्ब फ़िकरह जात १—लग़ायत १० कलक्टर को दिये गयेहैं कलक्टर मौसूफ़ को बगरज जबरन हाज़िर कराने फ़रीक़ैन मुक़द्दमा और गवाहों और पेश कराने दस्तावेजात के वही इख़्तियारात हासिलहोंगे जो अदालत दीवानी को हासिलहैं— दफ़ा ३२५ (जीम)

इख़्तियार कलक्टर निस्बत जबरन हाज़िरी और पेशी दस्तावेजात

ज़मीमा चहारुम

(देखोदफ़ा १५५)

ऐक्ट हाय तरमीम शुदह

१	२	३	४
सन्	नम्बर	मुख़्तसिरनाम	तरमीम
सन् १८७०	७	ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई०	ज़मीमा अव्वलके मद नम्बर १ में बाद लफ्ज़ "अर्ज़ीदावा" के अलफ़ाज़ "यादयान तहरीरी जिसमें कि मुजरा या दावा मुक़ाबिल याददास्त अपील या उजर मुक़ाबिल का ज़िक्रहो" दाख़िल होंगे— ज़मीमा दोमके मद नजर ११ में से अलफ़ाज़ "वनाराज़ी किसी हुक्म मशअर नामज़री अर्ज़ीदावा" निकाल दिये जायेंगे— बजाय इबारत मुन्दर्जे ख़ाना अव्वल ज़मीमा दोम मुतअल्लिक़ मद नम्बर १६ के इबारत जैल पढ़ना चाहिये "इक़रारनामा तहरीरी जिसमें कोई अम्र वास्ते लेने राय अदालत के हस्ब मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी बयान कियाजाये"—

ज़मीमै पंजुम

(देखो दफ़ा १५६)

ऐक्ट हाय मन्सूख़ शुदह

१	२	३	४
सन्	नम्बर	मजमून या मुख़्तसिर नाम	मिक़दार मसूख़ी
		ऐक्ट हाय मसदरह नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल	
१८७०	७	ऐक्ट रसूम अदालत सन् १८७०ई०	दफ़ा १६ व मद १५—ज़मीमै दोम
१८८२	४	ऐक्ट इन्तिक़ाल जायदाद सन् १८८२ ई०	दफ़ात ८५ लग़ायत ९ व ९२ लग़ायत ९४ व ९६ व ९७ व ९९—और दफ़ा १०० में इबारत " और तमाम शरायत मस्कूमै सदर जो उस मुर्तहिन से मुतअ़ल्लिक़ की गई हैं जो जायदाद मरहूना के नीलाम कराने की नालिश करे"—
,,	१४	मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी... ...	कुल ऐक्ट
,,	१५	ऐक्ट अदालत हाय मतालिबात ख़फ़ीफ़ा बलाद प्रेसीडेंसी सन् १८८२ ई०	फ़िक़रह गवर्नर दफ़ा ३—
१८८८	६	ऐक्ट क़र्ज़दारान सन् १८८८ई० ..	दफ़ातें २ लग़ायत ८—
,,	७	ऐक्ट तरमीम कुनिन्दा मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी सन् १८८८ ई०	उस क़दर हिस्सा जो मन्सूख़ नहीं हुआथा [illegible] दफ़ा १ व ६५ व [illegible] हाय १ व २ व४ दफ़ा६६—
,,	१०	ऐक्ट तरमीम कुनिन्दा ऐक्ट मतालिबात ख़फ़ीफ़ा बलाद प्रेसीडेंसी सन् १८८८ ई०	उस क़दर हिस्सा जो मन्सूख़ नहीं हुआथा—
१८९०	८	ऐक्ट औलिया व नाबालिग़ान सन् १८९० ई०	दफ़ा ५३—
१८९१	१२	ऐक्ट मन्सूखी व तरमीम कुनिन्दा सन् १८९१ ई०	उस क़दर हिस्सा जो ऐक्ट १४ सन् १८८२ ई० और ऐक्ट ७ सन् [illegible] [illegible] मुतअ़ल्लिक़ है—

१	२	३	४
सन्	नम्बर	मज़मून या मुख़्तसिरनाम	मिक़दार मसूख़ी
१८९२	६	ऐक्ट तरमीम कुनिन्दा ऐक्ट मीयाद समाअत हिन्द व मजमूआ जाब्ता दीवानी सन् १८९२ ई०	उनवान और तमहीद मे अलफाज 'और मजमूआ जाब्ता दीवानी' और दफा २ व ३ व ४
१८९४	५	ऐक्ट तरमीम कुनिन्दा मजमूआ जाब्ता दीवानी सन् १८९४ ई०	कुल ऐक्ट
१८९५	७	ऐक्ट तरमीम कुनिन्दा ऐक्ट कवानीन पजाव सन् १८९५ ई०	दफ़ात १ व २
,,	१३	ऐक्ट तरमीम कुनिन्दा मजमूआ जाब्ता दीवानी सन् १८९५ ई०	कुल ऐक्ट
१९००	६	ऐक्ट अदालत हाय लुवर ब्रह्मा सन् १९०० ई०	इस क़दर हिस्सा जमीमा का जो ऐक्ट १४ सन् १८८२ से मुतअल्लिक़ है



इश्तिहार ॥

(फ़ौजदारी)

ऐक्टनंबर ५ सन् १८६८ मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी

क़ीमत २) पु०

इण्डियनपिनलकोड अर्थात् ताज़ीरातहिन्द क़ी० १।) पु०

कमीशनबड़ौधा क़ीमत २॥) पु०

मय नज़ायर मुक़द्दमा जहर खिलाना कर्नैलफियरसाहब रज़ीडण्टबड़ौधा निस्बत महाराजासाहब मल्हारराव गायकवाड़ स्वर्गवासी ॥

(दीवानी)

ऐक्टनं० ५ सन् १८०८ क़ीमत १।) पु०

ऐक्ट नम्बर २ सन् ८६ इन्कमटेक्स क़ीमत ≈) पु०

(माल)

ऐक्ट नम्बर १६ सन् ७३ मालगुज़ारी आराज़ी मुमालिक मग़रबी व शिमाली क़ीमत ।) पु०

ऐक्ट२सन् १८०१ नागरी लगान मग़रबी व शिमाली क़ी० ।)

ऐक्ट ३ सन् १८०१ मालगुज़ारी क़ीमत ॥)

क़वाअ़द पटवारियान बोर्डमाल सूबा आगरा मतबूआ सन् १८०२ ई० क़ीमत ।) पु० विलायतज़ात

तथा मुल्क अवध मतबूआ सन् १८०२ ई० क़ी० ।) पु० विलायतज़ात

ऐक्ट नम्बर ८ सन् ८५ क़ीमत ।) पु०

स्मोहवही १०० सफ़ा ।)

तथा २०० सफ़ा ॥)

तथा सूबह आगरा उर्दू नागरी ।)